छत्तीसगढ़ शासन

आर्थिक सर्वेक्षण

वर्ष 2017–18







आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय,
छत्तीसगढ़, नया रायपुर



छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण

वर्ष 2017–18

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय
छत्तीसगढ़, रायपुर

प्राक्कथन

''छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण, 2017–18'' नामक प्रकाशन आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़, द्वारा तैयार किया गया है। जिसमें राज्य की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं, सामाजार्थिक स्थिति, उसे प्रभावित करने वाले आधारभूत घटकों एवं राज्य शासन की वर्तमान नीतियों के संदर्भ में प्रगति की विवेचनात्मक अध्ययन करने का प्रयास किया गया है।

छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण, 2017–18 प्रकाशन को परिमार्जन एवं नवीनता प्रदान करने में श्री सुनील कुजूर, अपर मुख्य सचिव, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, एवं सचिव, योजना आर्थिक एवं सॉख्यिकी विभाग के निर्देशन में संचालनालय के अधिकारी एवं कर्मचारियों जिन्होंने इस प्रकाशन को अंतिम रूप देने में अपना योगदान दिया है, प्रशंसा के पात्र हैं।

संबंधित विभागाध्यक्षों, निगमों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख प्रतिष्ठानों द्वारा अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराई गई, जिसके लिये हम उनके अभारी हैं।

रायपुर,
दिनांक : **फरवरी** 2017

आशीष कुमार भट्ट
आयुक्त सह संचालक
आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय
छत्तीसगढ़, नया रायपुर

विषय–सूची

स.क्र.	विषय	पृष्ठ संख्या
1	आर्थिक स्थिति – एक समीक्षा	1–5
2	जनसंख्या	6–25
3	राज्यीय आय	26–38
4	मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली	39–57
5	लोक वित्त	58–65
6	संस्थागत वित्त एवं विनियोजन	66–81
7	कृषि एवं संबद्ध सेवाएं	82–114
8	वानिकी	115–123
9	खनिज	124–133
10	उद्योग	134–162
11	विद्युत एवं आधारभूत संरचना	163–179
12	ग्रामीण विकास एवं रोजगार	180–190
13	नगरीय विकास	191–205
14	शिक्षा	206–222
15	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	223–246
16	सामाजिक सेवाएं	247–272

आर्थिक स्थिति एक समीक्षा

1

अध्याय

1 आर्थिक स्थिति - एक समीक्षा

अर्थव्यवस्था का विहंगावलोकन :

1 भारत

भारतीय अर्थव्यवस्था मूल्यों के अनुपात में सकल घरेलू उत्पाद में विश्व का 10वां एवं क्रय शक्ति अनुपात में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास दर वर्ष 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17 एवं 2017–18 में क्रमशः 5.6, 6.6, 7.2, 7.6, 7.1 एवं 6.75 प्रतिशत वृद्धि के साथ औसत वृद्धि 6.81 प्रतिशत रही। भारत वैश्विक परिदृश्य में सबसे ज्यादा युवा कार्यशील जनसंख्या वाले देश के रूप में उभर रहा है। साथ ही, हमारे देश में शहरीकरण में वृद्धि हुई है। ग्रामीण विकास, विकेन्द्रीकरण, महिला सशक्तिकरण, शहरीकरण, उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास एवं विस्तार, उन्नत संचार एवं आधारभूत संरचनाओं के विकास, अंतरिक्ष प्रोद्यौगिकी में विकास, निर्यात में वृद्धि तथा 65 प्रतिशत युवा जनसंख्या आदि वे सकारात्मक बिन्दु हैं, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ आधार प्रदान करते हैं।

नोटबंदी, वस्तु एवं सेवाकर (GST) जैसे साहसिक कदमों से राष्ट्र की छवि में सुधार हुआ है। नोटबंदी के कारण अर्थव्यवस्था में एक ओर अल्पावधि में नगदी की कमी आई। वर्ष 2017–18 में महॅगाई दर औसत रूप से 3.3 प्रतिशत संभावित है, जो कि पिछले छह वर्षों में सबसे कम होगी। लघु व्यवसायों के लिए बैंकों द्वारा अधिक मात्रा में ऋण दिया जा रहा है, शेयर बाजार में तेजी का रूख बना हुआ है। इसके साथ ही कैशलैश ट्रॉजेक्शन में वृद्धि हुई है। राजस्व जमा में वृद्धि, तथा बैंकों के पास जमा में वृद्धि से लंबी अवधि में विकास दर को उच्च स्तर पर बनाए रखने में सहायता मिलेगी। सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों के तुलनपत्रों को मजबूत बनाने के लिए एक बड़े पुनर्पुंजीकरण पैकेज की घोषणा की है।

विगत वर्ष में वाकई कुछ बड़े सुधार किए गए। युगांतरकारी परिवर्तन लाने वाला वस्तु एवं सेवाकर (GST) की व्यवस्था ने ''एक राष्ट्र एक कर और एक कानून'' की अवधारणा को लागू कर दिया है। उत्पादक राज्यों को जीएसटी लागू होने से सबसे बड़ी चिंता नुकसान की भरपाई को लेकर थी। केन्द्र शासन द्वारा आगामी पॉच वर्षों तक होने वाली राजस्व हानि का मुआवजा दिया जाएगा। जीएसटी लागू होने से भारत वर्श में करदाताओं की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है।

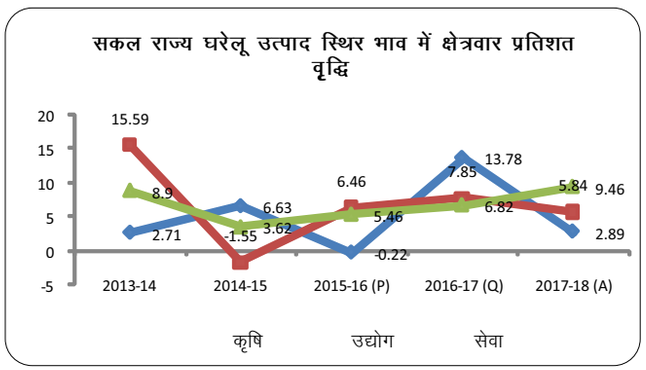
2 छत्तीसगढ़

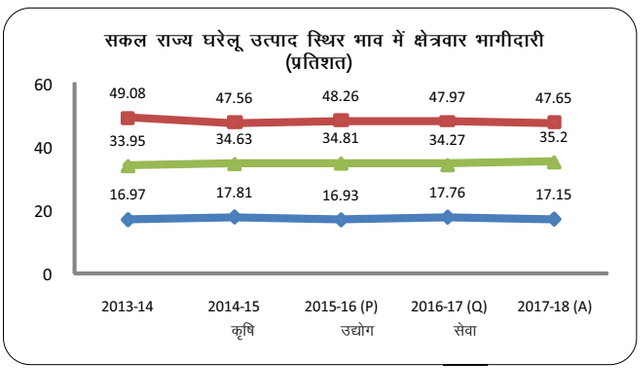
छत्तीसगढ़ भारत में एक विशिष्ट स्थान रखता है जो कि वन बाहुल्य, विपुल खनिज संपदा से संपन्न एवं कम जनघनत्व वाला प्रदेश है। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ 2.55 करोड जनसंख्या के साथ देश का सोलहवां बड़ा राज्य है। जो कि भारत की कुल जनसंख्या का 2.11 प्रतिशत है। राज्य में सकल लिंगानुपात 991 (ग्रामीण क्षेत्र में 1001, शहरी क्षेत्र में 956) है, जो भारत संघ में 5वें स्थान को इंगित करता है। राज्य की साक्षरता दर 70.3% है, राज्य में शिशु मृत्यु दर वर्ष 2000 में 77 प्रति हजार थी, जो घटकर 2016 की स्थिति में 39 हो चुकी है। इसी प्रकार जन्म दर, मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर में कमी हुई है, जो प्रदेश में सुधरते स्वास्थ्य व्यवस्था को दर्शाता है।

3.1 सकल राज्य घरेलू उत्पाद -

किसी भी प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद उस प्रदेश की आर्थिक प्रगति को व्यक्त करता है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) में वर्ष 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17 एवं 2017–18 में वृद्धि क्रमशः 5, 10, 1.81, 6.02, 8.41 एवं 6.65 तथा औसत वृद्धि 6.31 प्रतिशत दर्ज की गई। सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी में वर्ष 2017–18 में विशेष वृद्धि देखी गयी है। यह स्थिति विकासशील देश में प्रायः परिलक्षित होती है। वर्ष 2017–18 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की भागीदारी 17.15 एवं उद्योग क्षेत्र की भागीदारी 47.65 प्रतिशत अनुमानित है। इसी अवधि में सेवा क्षेत्र की भागीदारी 35.20 प्रतिशत रहने की संभावना है। प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण से प्राप्त जानकारी निम्नानुसार है :–

छत्तीसगढ़ राज्य का उद्योग समूहवार सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य





3.1.1 कृषि :- इस क्षेत्र में वर्ष 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17 एवं 2017–18 में वृद्धि क्रमशः 2.71, 6.63, –0.22, 13.78, तथा 2.89 औसत वृद्धि 5.15 प्रतिशत दर्ज की गई। वर्ष 2015–16 में प्रदेश में कई जनपद सूखाग्रस्त होने के कारण वृद्धि केवल–0.22 प्रतिशत थी। वर्ष 2016–17 में अच्छी फसल होने के कारण वृद्धिदर 13.78 प्रतिशत सम्भावित है। वर्ष 2011–12 में जहॉ सकल घरेलू उत्पाद (स्थिर भाव) में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 18.1 प्रतिशत थी, वहीं निरंतर किंतु धीमी गति में घटते हुए वर्ष 2017–18 में 17.15 प्रतिशत पर आ गई है।

3.1.2. उद्योग :- इस क्षेत्र में खनन, विनिर्माण, विद्युत, जलापूर्ति एवं निर्माण क्षेत्र शामिल हैं। वर्ष 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17 एवं 2017–18 में उद्योग क्षेत्र में वृद्धि क्रमशः 15.59, –1.55, 6.46, 7.85 तथा 5.84 औसत वृद्धि 6.82 प्रतिशत दर्ज की गई। वर्ष 2011–12 में जहॉ सकल घरेलू उत्पाद (स्थिर भाव) में उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी 47.3 प्रतिशत थी, वर्ष 2017–18 में 47.65 प्रतिशत सम्भावित है।

3.1.3 सेवा क्षेत्र :- छततीसगढ़ में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए विगत वर्षों में निरंतर बढ़ रही है। इस क्षेत्र के अंतर्गत रियल इस्टेट, व्यापार,होटल एवं जलपान गृह, वित्तीय सेवाओं, लोक प्रशासन के क्षेत्र की सर्वाधिक भागीदारी है। इसके साथ ही संचार के क्षेत्र, लोक प्रशासन, भण्डारण एवं यातायात (रेल्वे के अतिरिक्त) के क्षेत्र में तेज वृद्धि हो रही है। वर्ष 2013–14,

2014–15, 2015–16, 2016–17 तथा 2017–18 (A) में क्रमशः 8.9, 3.62, 5.46, 6.82 तथा 9.46 के वृद्धि के साथ औसत 6.85 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हो रही है। वर्ष 2011–12 में जहॉ सकल घरेलू उत्पाद (स्थिर भाव) में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी 34.63 प्रतिशत थी, यह वर्ष 2017–18 (A) में 35.20 होना अनुमानित है।

4. वर्ष 2017–18 में धान (सामान्य) एवं धान (ग्रेड–ए) के समर्थन मूल्य क्रमशः 1550 एवं 1590 भारत सरकार द्वारा घोषित किया गया। वर्ष 2015–16 में राशि रू. 8430.11 करोड़ से 59.29 लाख टन धान खरीदा गया। खरीफ वर्ष 2016.17 में राशि रू. 10318 करोड़ मूल्य का 69.59 लाख टन धान समर्थन मूल्य पर उपार्जन किया गया था। वर्तमान में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकाने क्रमशः 1256 तथा 11042 संचालित है। वर्तमान में कुल 5775008 परिवारों को राशन कार्ड जारी किए गए हैं।

5.1 वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुल राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 5.27 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुल कर राजस्व में 6.61 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है, यह वृद्धि पिछले वर्ष 26.69 प्रतिशत रही। कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का योगदान 34.44 प्रतिशत अनुमानित है। गैर कर राजस्व में प्रमुख योगदान केन्द्रीय सरकार से प्राप्त सहायता अनुदानों का है। वर्ष 2017–18 में गैर कर राजस्व रू. 21805.20 करोड़ अनुमानित है, जिसमें केन्द्रीय सरकार से रू. 14101.00 करोड़ प्राप्त होना अनुमानित है। वर्ष 2017–18 में राजस्व प्राप्ति रू. 66093.80 करोड़ एवं राजस्व व्यय रू. 61312.83 करोड़ अनुमानित है। इस प्रकार राजस्व आधिक्य रू. 4780.97 करोड़ दर्शाता है।

5.2.1 वर्ष 2016.17 में वैट (प्रान्तीय) कर संग्रहण से सितंबर 2016 तक 3,711.59 करोड़ रू प्राप्त हुआ, तथा 31 मार्च 2017 की स्थिति में 9,012.23 करोड़ रू. प्राप्त हुआ। वर्ष 2017–18 में माह सितंबर 2017 तक 3,870.40 करोड़ रू. का राजस्व प्राप्त हो चुका है।

5.2.2 वर्ष 2016.17 में केन्द्रीय विक्रय कर संग्रहण से सितंबर 2016 तक 370.58 करोड़ रू. का राजस्व प्राप्त हुआ, तथा 31 मार्च 2017 की स्थिति में 914.99 करोड़ रू. की राजस्व प्राप्ति हुई। साथ ही वर्ष 2017–18 में माह सितंबर 2017 तक 248.03 करोड़ रू. का राजस्व प्राप्त हो चुका है।

5.2.3 वर्ष 2016.17 में प्रवेश कर संग्रहण से सितंबर 2016 तक 439.03 करोड़ रू. का राजस्व प्राप्त हुआ है, तथा 31 मार्च 2017 की स्थिति में 1340.36 करोड़ रू. की राजस्व प्राप्ति हुई है। साथ ही वर्ष 2017–18 में माह सितंबर 2017 तक 439.03 करोड़ रू. का राजस्व प्राप्त हो चुका है।

5.2.4 वर्ष 2016.17 में स्थानीय कर संग्रहण से सितंबर 2016 तक 4.16 करोड़ रू. का राजस्व प्राप्त हुआ है, तथा 31 मार्च 2017 की स्थिति में 8.71 करोड़ रू. की राजस्व प्राप्ति हुई है। साथ ही वर्ष 2017–18 में माह सितंबर 2017 तक 2.73 करोड़ रू. का राजस्व प्राप्त हो चुका है।

5.2.5 वर्ष 2016.17 में मनोरंजन कर संग्रहण से सितंबर 2016 तक 15.97 करोड़ रू. का राजस्व प्राप्त हुआ है, तथा 31 मार्च 2017 की स्थिति में 29.01 करोड़ रू. की राजस्व प्राप्ति हुई है। साथ ही वर्ष 2017–18 में माह सितंबर 2017 तक 10.05 करोड़ रू. का राजस्व प्राप्त हो चुका है।

5.2.6 वर्ष 2017–18 में SGST संग्रहण से माह सितंबर 2017 तक 654.74 करोड़ रू. का राजस्व प्राप्त हो चुका हैं, तथा प्लैज संग्रहण से माह सितंबर 2017 तक 209.80 करोड़ रू. का राजस्व प्राप्त हो चुका है। साथ ही क्षतिपूर्ति के रूप में राज्य को सितंबर 2017 तक 253.00 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है।

6.1 छत्तीसगढ़ राज्य की बैंकिंग गतिविधियों में निरंतर वृद्धि हो रही है। राज्य में बैकों की संख्या जून 2017 अंत की स्थिति में 52, शाखाओं की संख्या 2718 एवं एटीएम की संख्या 3085 है। जिनमें कुल जमा 125011.85 करोड़ रूपये है। प्राथमिकता क्षेत्र में आबंटित ऋण में जून 2016 की तुलना में जून 2017 में 11.57 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। प्रधानमत्री जन–धन योजना 28 अगस्त 2014 को आरंभ की गई थी। दिनॉक 31/08/2017 की स्थिति में राज्य में 12604805 खाते हैं।

6.2 राज्य में जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों की संख्या 07 एवं इनकी कार्यरत शाखाओं की संख्या 260 है। वर्ष 2016–17 में बैंकों की अंशपूंजी 38091.09 लाख रू. हो गई, इसमें राज्य शासन का अंशदान 2353.49 लाख रूपये रहा। विपणन संघ द्वारा प्रदेश में कार्यरत कुल 1333 प्राथमिक कृषि साख समितियों के माध्यम से 1989 केन्द्रों पर धान उपार्जन किया जा रहा है। इन समितियों के सदस्यों की संख्या 2016–2017 में 23.24 लाख है।

7. प्रमाणित बीज उत्पादन तथा वितरण वर्ष 2015–16 में 9.68 लाख क्विंटल की तुलना में वर्ष 2016–17 में 14 प्रतिशत अधिक 11.06 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज का उत्पादन हुआ। वर्ष 2016–17 में 12.03 लाख क्विंटल बीज का वितरण किया गया। वर्ष 2016–17 में 4013.86 हेक्टेयर में आम पौध रोपण कार्य किया गया जिस पर 319.92 लाख रू. व्यय हुए एवं वर्ष 2017–18 में माह सितम्बर 2017 तक 2832.15 हेक्टेयर क्षेत्र में आम पौध रोपण कार्य किया गया है। राज्य में वर्तमान में 69 कृषि उपज मंडियाँ एवं 118 उप–मंडियाँ कार्यरत है। प्रदेश में बकरी पालन को बढ़ावा दिये जाने हेतु दो नवीन बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र की स्थापना ग्राम सरोरा जिला रायपुर तथा रामपुर (ठाठापुर) जिला कबीरधाम में की गई है। राज्य में कुल जल क्षेत्र का 94.41% जल क्षेत्र मछली पालन अंतर्गत विकसित किया जा चुका है, जो ग्रामीण क्षेत्रों की बेरोजगारी दूर करने का सशक्त एवं रोजगारोन्मुखी साधन है।

8.1 31 मार्च 2017 की स्थिति में कोयले का उत्पादन 139722 हजार टन, लौह अयस्क का 31068 हजार टन, चूना पत्थर का 31919 हजार टन, बाक्साइट का 1954 हजार टन, डोलोमाइट का 2739 हजार टन तथा टिन का 12120 कि.ग्राम उत्पादन हुआ है।

8.2 विगत वर्ष 2016–17 में मुख्य खनिज से 3071.89 करोड़ आय हुई, जहां गौण खनिज से उसी अवधि में 185.03 करोड़ आय हुई है। राज्य की खनिज राजस्व आय मूलतः कोयला एवं लौह अयस्क से ही प्राप्त होती है। राज्य में वर्ष 2015–16 में खनिजों से कुल राजस्व आय 3709.57 करोड़ थी। वर्ष 2016–17 में 4141.47 करोड़ राजस्व आय प्राप्त हुई।

9.1 राज्य में सुनियोजित विकास के लिये वर्तमान में ''औद्योगिक नीति 2014–19'' अपनायी गई है। सीएसआईडीसी द्वारा नया रायपुर में आबंटित 28.32 हेक्टेयर भूमि पर आबंटित भूमि पर इलेक्ट्रानिक मेन्यूफेक्चिरिंग क्लस्टर की स्थापना की जा रही है। भारत सरकार से अंतिम स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

परियोजना की लागत रु. 89.22 करोड़ है। ग्राम बगौद जिला–धमतरी में कुल 68.68 हेक्टेयर भूमि पर फूड पार्क के विकास कार्य प्रगति पर है। भिलाई से लगे हुए ग्राम हथखोज में कुल 122.618 हेक्टेयर भूमि पर निगम द्वारा इंजीनियरिंग उत्पादों के क्लस्टर विकास हेतु इंजीनियरिंग पार्क विकसित किया गया है। ग्राम लखनपुरी, तहसील–चारामा, जिला–कांकेर में कुल 53.30 हेक्टेयर भूमि पर राशि रू. 31.61 करोड़ कुल लागत से नवीन औद्योगिक क्षेत्र लखनपुरी की स्थापना की जा रही है।

10.1 राज्य शासन के अधीन विद्युत संयंत्रों द्वारा वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान 18097.428 मिलियन यूनिट (तापीय 17906.323 जलीय 184.529 एवं अन्य सह–उत्पादन 6.576 मिलियन यूनिट) विद्युत का उत्पादन किया गया। नवंबर 2017 तक कुल स्थापित क्षमता 3424.70 मेगावाट है। इसमें 3280 मेगावाट ताप विद्युत, 138.7 मेगावाट जल विद्युत तथा 6 मेगावाट अन्य (सह–उत्पा.) की स्थापित क्षमता है। वर्ष 2016–17 में वितरण हानि का प्रतिशत 18.56 रहा, जो वर्ष 2015–16 की अपेक्षा 2.96 प्रतिशत कम है।

10.2 जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में कुल 19567 ग्रामों में से वित्त वर्ष 2016–17 के अंत तक 19225 (18231 परंपरागत तरीके से + 994 अपरंपरागत तरीके से क्रेडा व्दारा) ग्राम विद्युतीकृत थे। राज्य में 2011 की जनगणना के आधार पर विद्युतीकरण का स्तर 98.25 प्रतिशत रहा।

11. वर्ष 2017–18 में सितंबर तक कुल उपलब्ध राशि रु. 2196.30 करोड़ के विरुद्ध राशि रु. 1986.43 करोड़ व्यय कर 579.31 लाख मानव दिवस सृजित किए गए। वर्ष 2017–18 में सितंबर तक 100 दिवस रोजगार उपलब्ध कराये गये परिवारों की संख्या 55600 है।

12. वर्ष 2017–18 में नवंबर 2017 की स्थिति में राज्य के 19,655 ग्रामों के 74,685 बसाहटों में 2,67,992 हैंडपंप स्थापित कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य में 3,148 नलजल प्रदाय योजनाएं एवं 3,192 स्थल जलप्रदाय योजनाओं के माध्यम से ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल प्रदाय किया जा रहा है। प्रदेश की 55,294 शालाओं एवं 27,428 आंगनबाड़ी केन्द्रों में शुद्ध पेयजल व्यवस्था उपलब्ध करायी गयी है। वर्तमान में 3 हजार 586 सोलर पम्पों के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्तमान में 2 हजार 676 बसाहटों में सौर ऊर्जा आधारित पेयजल योजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

13. वर्ष 2016–17 माह सितंबर 16 तक 210444 वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया गया तथा वर्षान्त (31 मार्च 17) तक 478550 वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया गया है। वर्ष 2017–18 में माह सितंबर 17 तक 227977 वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया गया है।

जनसंख्या

2

अध्याय

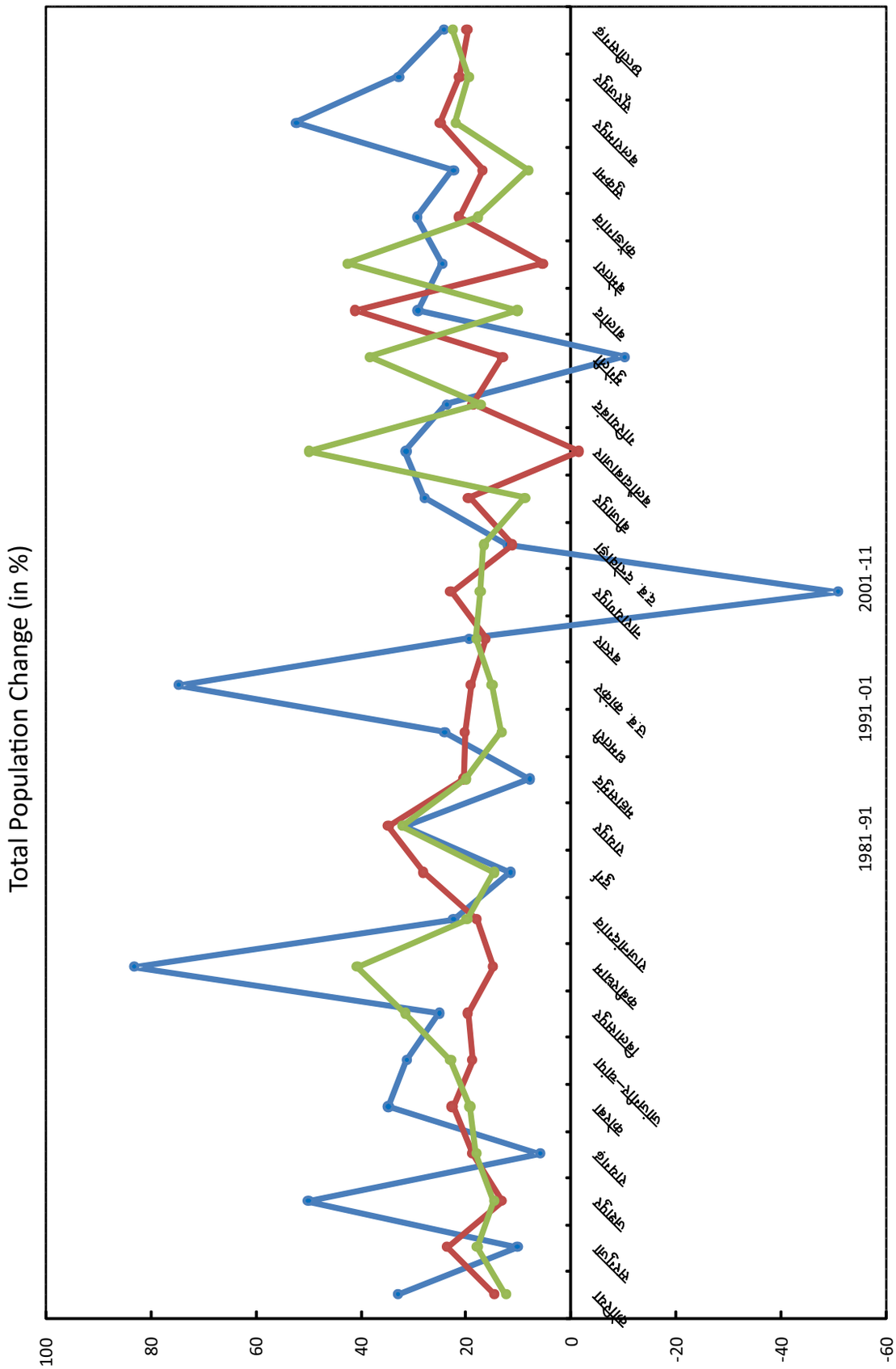
अध्याय 2 जनसंख्या चार्ट एवं ग्राफ

मुख्य बिन्दुः-

- जनगणना 2001 से 2011 के मध्य राज्य में 22.61 प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि परिलक्षित हुई। सर्वाधिक वृद्धि जिला बलौदाबाजार में 49.87 रही।
- जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में महिला-पुरूष लिंगानुपात 991 है। सर्वाधिक (1033) कोण्डागॉव एवं न्यूनतम (963) रायपुर में है।
- जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति महिला-पुरूष लिंगानुपात 1020 है। सर्वाधिक (1067) दंतेवाड़ा एवं न्यूनतम (974) रायपुर में है।

तालिका 2.1 दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर (%)

स. क्र.	जिलों के नाम	1981-91	1991-01	2001-11
1	कोरिया	33.04	14.54	12.38
2	सरगुजा	10.28	23.48	17.87
3	जशपुर	50.06	13.23	14.6
4	रायगढ़	5.98	18.72	18.05
5	कोरबा	34.83	22.51	19.25
6	जांजगीर–चांपा	31.35	18.67	22.94
7	बिलासपुर	25.2	19.64	31.59
8	कबीरधाम	83.18	14.8	40.71
9	राजनांदगांव	22.41	17.85	19.79
10	दुर्ग	11.53	27.94	14.56
11	रायपुर	31.61	34.65	32.06
12	महासमुंद	7.83	20.37	20.05
13	धमतरी	24.15	20.23	13.19
14	उ.ब. कांकेर	74.77	18.97	15.06
15	बस्तर	19.55	16.13	18.07
16	नारायणपुर	-50.73	22.78	17.28
17	द.ब. दन्तेवाड़ा	12.2	11.1	16.68
18	बीजापुर	27.87	19.43	8.78
19	बलौदाबाजार	31.49	-1.52	49.87
20	गरियाबंद	23.66	18.63	17.26
21	मुंगेली	-10.21	12.97	38.29
22	बालोद	29.18	40.95	10.24
23	बेमेतरा	24.49	5.32	42.65
24	कोंडागांव	29.27	21.3	17.79
25	सुकमा	22.45	16.75	8.16
26	बलरामपुर	52.37	24.79	21.98
27	सूरजपुर	32.88	21.13	19.5
	छत्तीसगढ़	**24.23**	**19.7**	**22.61**

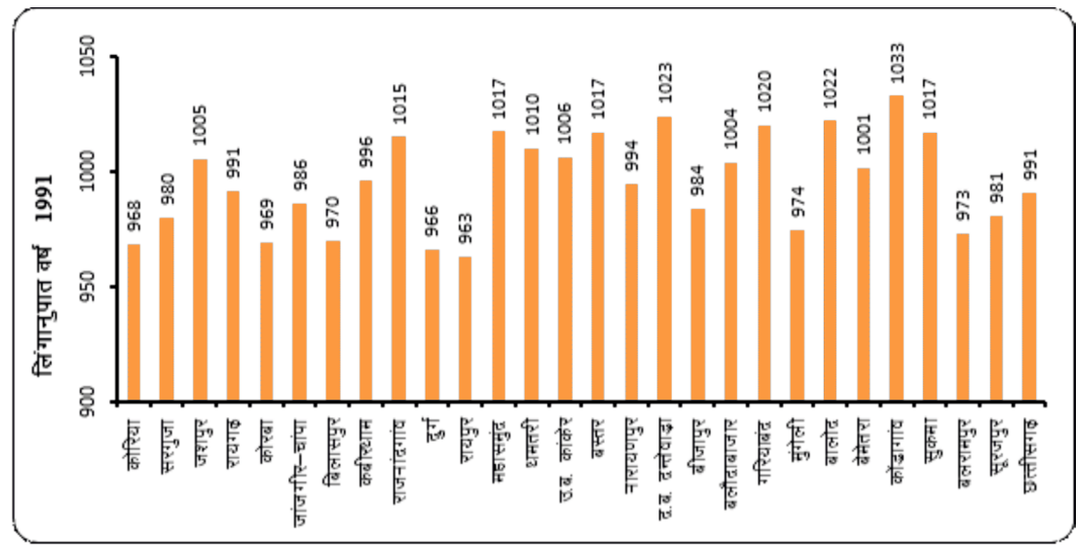

Total Population Change (in %)
100
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
1981-91
1991-01
2001-11

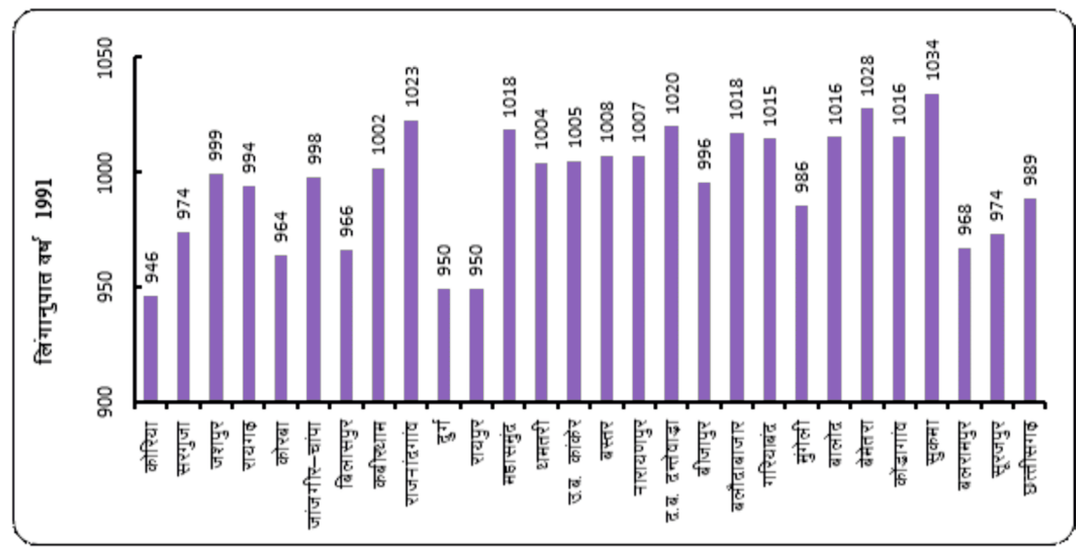
तालिका 2.2 जिलेवार जनसंख्या

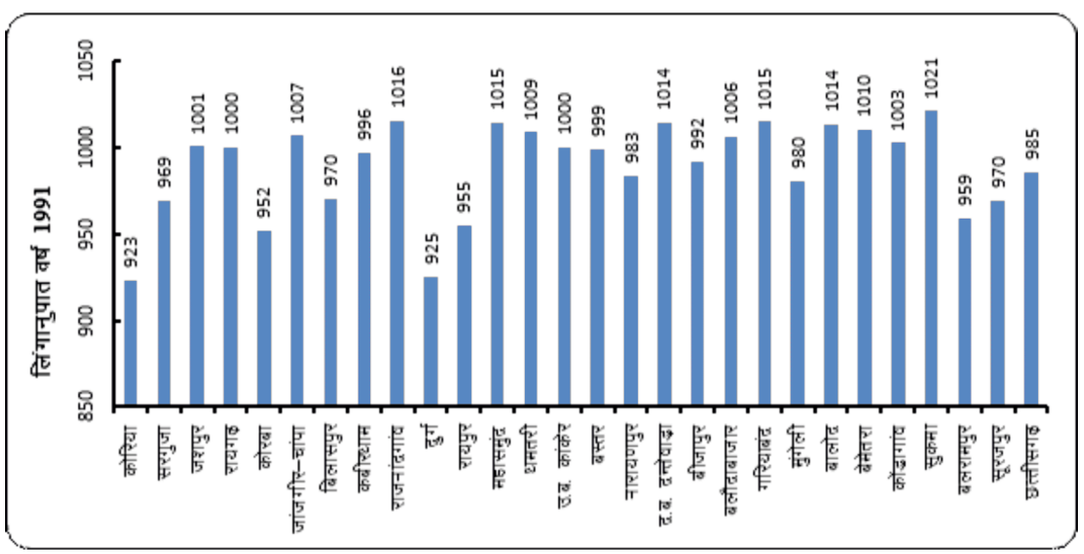
स. क्र.	जिलों के नाम	कुल			अ. जा.			अ. ज. जा.		
		जनगणना वर्ष								
		1991	2001	2011	1991	2001	2011	1991	2001	2011
1	कोरिया	513273	586327	658917	41242	48205	54776	222503	260040	304280
2	सरगुजा	576002	712959	840352	26228	33243	40090	341032	405736	482007
3	जशपुर	656352	743160	851669	47012	36400	48844	429092	469953	530378
4	रायगढ़	1065939	1265529	1493984	148901	179744	224942	392385	447703	505609
5	कोरबा	825891	1011823	1206640	82481	100960	124679	356222	419889	493559
6	जांजगीर–चांपा	1110200	1317431	1619707	248273	296199	397908	135641	153069	187196
7	बिलासपुर	1246209	1490921	1961922	207968	241897	358222	298838	342449	425688
8	कबीरधाम	509894	584552	822526	70592	74351	119798	103895	121957	167043
9	राजनांदगांव	1089047	1283224	1537133	109820	127424	156623	293071	341688	405194
10	दुर्ग	1223124	1503146	1721948	161147	205450	245587	68076	88509	101188
11	रायपुर	1215250	1636301	2160876	191591	259008	358674	48393	68557	93010
12	महासमुंद	791343	860257	1032754	100368	104391	139581	222364	232485	279896
13	धमतरी	587679	706591	799781	40307	49394	58581	160175	185515	207633
14	उ.ब. कांकेर	547140	650934	748941	24828	27663	31543	308323	365031	414770
15	बस्तर	608502	706656	834375	61270	14374	14759	379766	438482	520779
16	नारायणपुर	97100	119217	139820	3621	4054	4979	74680	91784	108161
17	द.ब. दन्तेवाड़ा	218674	242954	283479	10094	20869	10220	153696	141237	201458
18	बीजापुर	196464	234637	255230	9816	9672	10122	160823	189815	204189
19	बलौदाबाजार	884388	870967	1305343	189194	180178	305018	123892	109674	167450
20	गरियाबंद	429621	509662	597653	42169	48537	60558	159370	187042	215986
21	मुंगेली	449157	507434	701707	115508	127191	194770	48642	54655	72781
22	बालोद	644177	749440	826165	54330	61410	68431	204223	233485	259043
23	बेमेतरा	529945	557850	795759	90439	92651	144022	25872	26807	37185
24	कोंडागांव	405127	491411	578824	17982	20452	23204	284414	345290	411001
25	सुकमा	198107	231285	250159	5270	3622	2776	168022	194945	208797
26	बलरामपुर	479873	598855	730491	21697	26654	32732	313040	371747	458949
27	सूरजपुर	525997	660280	789043	27490	34940	42830	243145	299186	359672
छत्तीसगढ़		**17624475**	**20833803**	**25545198**	**2149638**	**2418722**	**3274269**	**5719595**	**6616596**	**7822902**

तालिका 2.3 जनगणना वर्ष एंव जिलेवार लिंगानुपात

स. क्र.	जिलों के नाम	जनगणना वर्ष		
		1991	**2001**	**2011**
1	कोरिया	923	946	968
2	सरगुजा	969	974	980
3	जशपुर	1001	999	1005
4	रायगढ़	1000	994	991
5	कोरबा	952	964	969
6	जांजगीर–चांपा	1007	998	986
7	बिलासपुर	970	966	970
8	कबीरधाम	996	1002	996
9	राजनांदगांव	1016	1023	1015
10	दुर्ग	925	950	966
11	रायपुर	955	950	963
12	महासमुंद	1015	1018	1017
13	धमतरी	1009	1004	1010
14	उ.ब. कांकेर	1000	1005	1006
15	बस्तर	999	1008	1017
16	नारायणपुर	983	1007	994
17	द.ब. दन्तेवाड़ा	1014	1020	1023
18	बीजापुर	992	996	984
19	बलौदाबाजार	1006	1018	1004
20	गरियाबंद	1015	1015	1020
21	मुंगेली	980	986	974
22	बालोद	1014	1016	1022
23	बेमेतरा	1010	1028	1001
24	कोंडागांव	1003	1016	1033
25	सुकमा	1021	1034	1017
26	बलरामपुर	959	968	973
27	सूरजपुर	970	974	981
छत्तीसगढ़		**985**	**989**	**991**


लिंगानुपात वर्ष 1991
900
950
1000
1050
कोरिया 968
सरगुजा 980
जशपुर 1005
रायगढ़ 991
कोरबा 969
जांजगीर–चांपा 986
बिलासपुर 970
कबीरधाम 996
राजनांदगांव 1015
दुर्ग 966
रायपुर 963
महासमुंद 1017
धमतरी 1010
उ.ब. कांकेर 1006
बस्तर 1017
नारायणपुर 994
द.ब. दन्तेवाड़ा 1023
बीजापुर 984
बलौदाबाजार 1004
गरियाबंद 1020
मुंगेली 974
बालोद 1022
बेमेतरा 1001
कोंडागांव 1033
सुकमा 1017
बलरामपुर 973
सूरजपुर 981
छत्तीसगढ़ 991

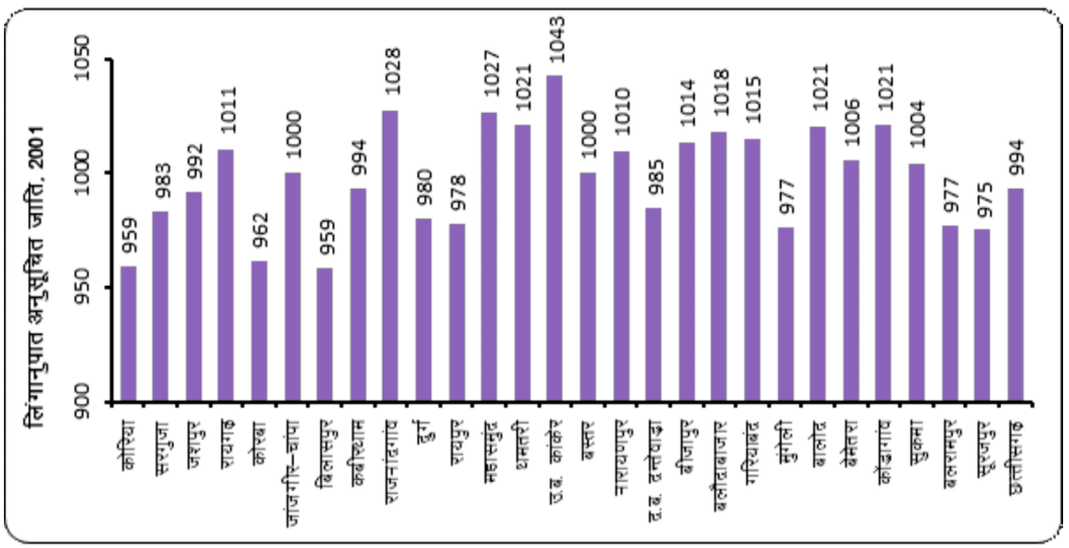

लिंगानुपात वर्ष 1991
900
950
1000
1050
कोरिया 946
सरगुजा 974
जशपुर 999
रायगढ़ 994
कोरबा 964
जांजगीर–चांपा 998
बिलासपुर 966
कबीरधाम 1002
राजनांदगांव 1023
दुर्ग 950
रायपुर 950
महासमुंद 1018
धमतरी 1004
उ.ब. कांकेर 1005
बस्तर 1008
नारायणपुर 1007
द.ब. दन्तेवाड़ा 1020
बीजापुर 996
बलौदाबाजार 1018
गरियाबंद 1015
मुंगेली 986
बालोद 1016
बेमेतरा 1028
कोंडागांव 1016
सुकमा 1034
बलरामपुर 968
सूरजपुर 974
छत्तीसगढ़ 989

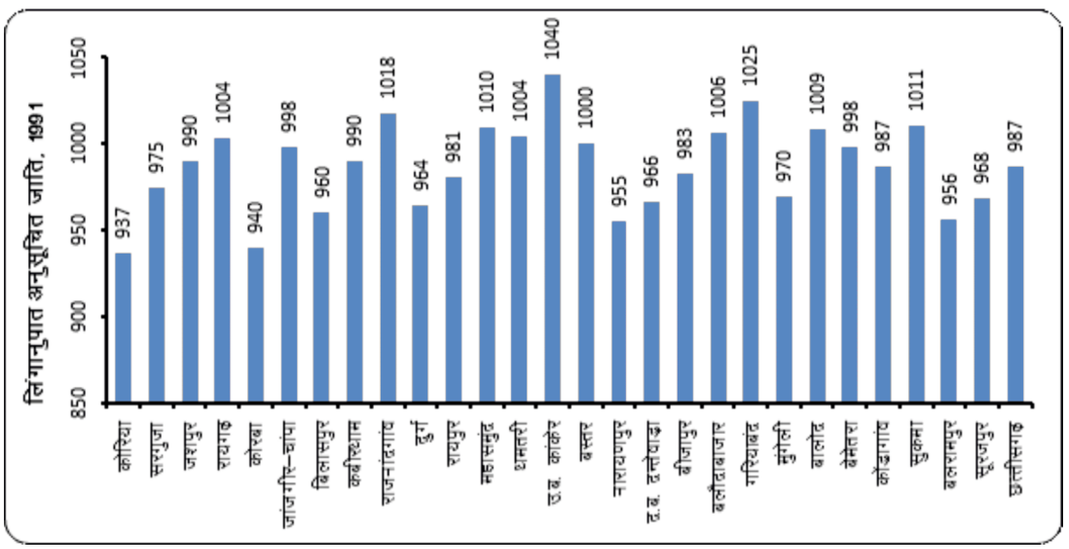

लिंगानुपात वर्ष 1991
850
900
950
1000
1050
कोरिया 923
सरगुजा 969
जशपुर 1001
रायगढ़ 1000
कोरबा 952
जांजगीर–चांपा 1007
बिलासपुर 970
कबीरधाम 996
राजनांदगांव 1016
दुर्ग 925
रायपुर 955
महासमुंद 1015
धमतरी 1009
उ.ब. कांकेर 1000
बस्तर 999
नारायणपुर 983
द.ब. दन्तेवाड़ा 1014
बीजापुर 992
बलौदाबाजार 1006
गरियाबंद 1015
मुंगेली 980
बालोद 1014
बेमेतरा 1010
कोंडागांव 1003
सुकमा 1021
बलरामपुर 959
सूरजपुर 970
छत्तीसगढ़ 985

तालिका 2.4 महिला-पुरूष लिंगानुपात अनुसूचित जाति

स. क्र.	जिलों के नाम	जनगणना वर्ष		
		1991	**2001**	**2011**
1	कोरिया	937	959	979
2	सरगुजा	975	983	992
3	जशपुर	990	992	1009
4	रायगढ़	1004	1011	1006
5	कोरबा	940	962	965
6	जांजगीर–चांपा	998	1000	993
7	बिलासपुर	960	959	964
8	कबीरधाम	990	994	992
9	राजनांदगांव	1018	1028	1035
10	दुर्ग	964	980	994
11	रायपुर	981	978	993
12	महासमुंद	1010	1027	1024
13	धमतरी	1004	1021	1028
14	उ.ब. कांकेर	1040	1043	1024
15	बस्तर	1000	1000	1024
16	नारायणपुर	955	1010	977
17	द.ब. दन्तेवाड़ा	966	985	961
18	बीजापुर	983	1014	967
19	बलौदाबाजार	1006	1018	1001
20	गरियाबंद	1025	1015	1022
21	मुंगेली	970	977	970
22	बालोद	1009	1021	1034
23	बेमेतरा	998	1006	993
24	कोंडागांव	987	1021	1014
25	सुकमा	1011	1004	932
26	बलरामपुर	956	977	969
27	सूरजपुर	968	975	989
	छत्तीसगढ़	**987**	**994**	**994**

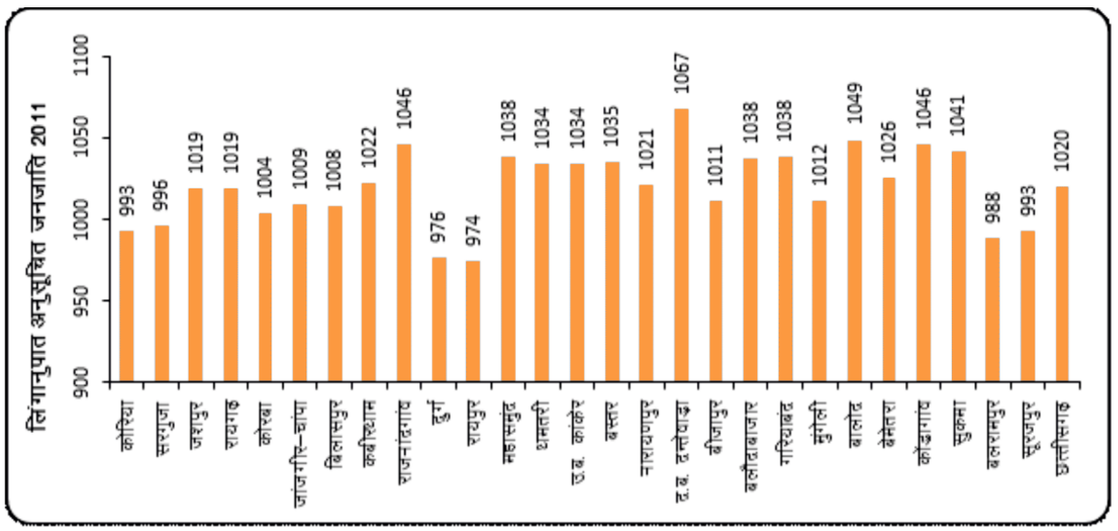

लिंगानुपात अनुसूचित जाति, 2011
850
900
950
1000
1050
कोरिया 979
सरगुजा 992
जशपुर 1009
रायगढ़ 1006
कोरबा 965
जांजगीर–चांपा 993
बिलासपुर 964
कबीरधाम 992
राजनांदगांव 1035
दुर्ग 994
रायपुर 993
महासमुंद 1024
धमतरी 1028
उ.ब. कांकेर 1024
बस्तर 1024
नारायणपुर 977
द.ब. दन्तेवाड़ा 961
बीजापुर 967
बलौदाबाजार 1001
गरियाबंद 1022
मुंगेली 970
बालोद 1034
बेमेतरा 993
कोंडागांव 1014
सुकमा 932
बलरामपुर 969
सूरजपुर 989
छत्तीसगढ़ 994

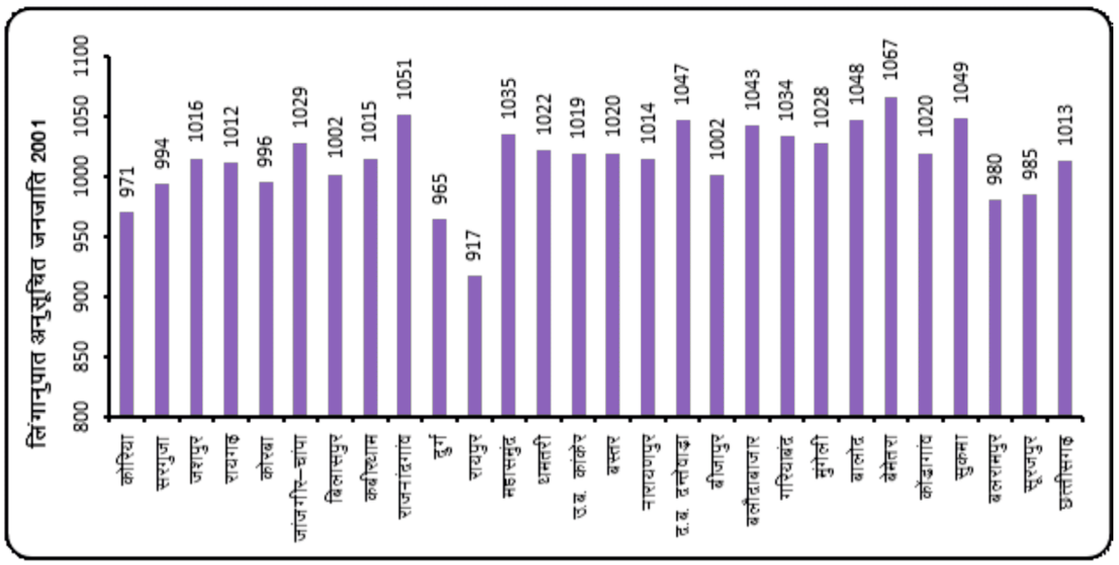

लिंगानुपात अनुसूचित जाति, 2001
900
950
1000
1050
कोरिया 959
सरगुजा 983
जशपुर 992
रायगढ़ 1011
कोरबा 962
जांजगीर–चांपा 1000
बिलासपुर 959
कबीरधाम 994
राजनांदगांव 1028
दुर्ग 980
रायपुर 978
महासमुंद 1027
धमतरी 1021
उ.ब. कांकेर 1043
बस्तर 1000
नारायणपुर 1010
द.ब. दन्तेवाड़ा 985
बीजापुर 1014
बलौदाबाजार 1018
गरियाबंद 1015
मुंगेली 977
बालोद 1021
बेमेतरा 1006
कोंडागांव 1021
सुकमा 1004
बलरामपुर 977
सूरजपुर 975
छत्तीसगढ़ 994

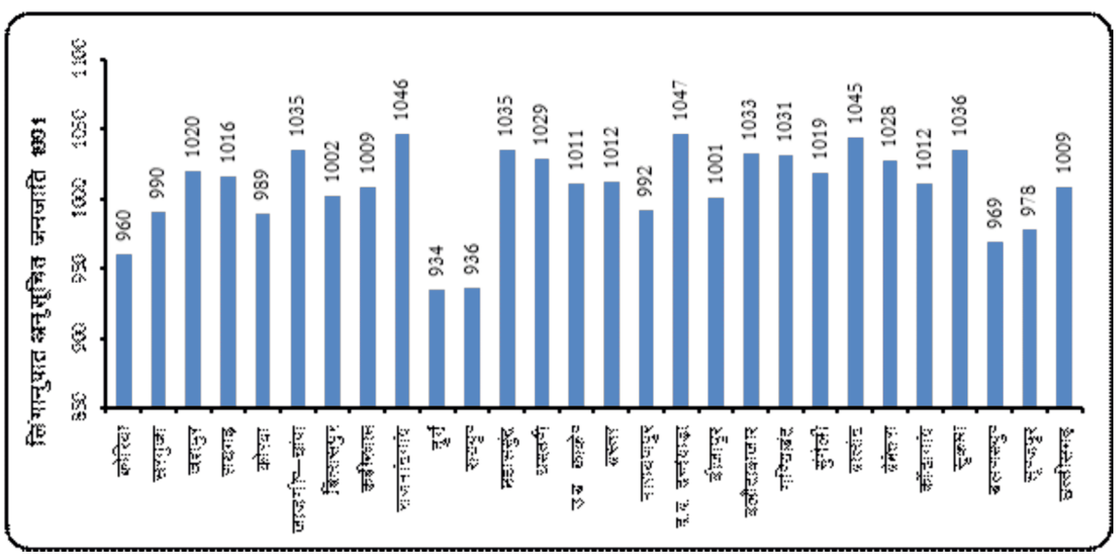

लिंगानुपात अनुसूचित जाति, 1991
850
900
950
1000
1050
कोरिया 937
सरगुजा 975
जशपुर 990
रायगढ़ 1004
कोरबा 940
जांजगीर–चांपा 998
बिलासपुर 960
कबीरधाम 990
राजनांदगांव 1018
दुर्ग 964
रायपुर 981
महासमुंद 1010
धमतरी 1004
उ.ब. कांकेर 1040
बस्तर 1000
नारायणपुर 955
द.ब. दन्तेवाड़ा 966
बीजापुर 983
बलौदाबाजार 1006
गरियाबंद 1025
मुंगेली 970
बालोद 1009
बेमेतरा 998
कोंडागांव 987
सुकमा 1011
बलरामपुर 956
सूरजपुर 968
छत्तीसगढ़ 987

तालिका 2.5 महिला-पुरूष लिंगानुपात अनुसूचित जनजाति

स. क्र.	जिलों के नाम	जनगणना वर्ष		
		1991	2001	2011
1	कोरिया	960	971	993
2	सरगुजा	990	994	996
3	जशपुर	1020	1016	1019
4	रायगढ़	1016	1012	1019
5	कोरबा	989	996	1004
6	जांजगीर–चांपा	1035	1029	1009
7	बिलासपुर	1002	1002	1008
8	कबीरधाम	1009	1015	1022
9	राजनांदगांव	1046	1051	1046
10	दुर्ग	934	965	976
11	रायपुर	936	917	974
12	महासमुंद	1035	1035	1038
13	धमतरी	1029	1022	1034
14	उ.ब. कांकेर	1011	1019	1034
15	बस्तर	1012	1020	1035
16	नारायणपुर	992	1014	1021
17	द.ब. दन्तेवाड़ा	1047	1047	1067
18	बीजापुर	1001	1002	1011
19	बलौदाबाजार	1033	1043	1038
20	गरियाबंद	1031	1034	1038
21	मुंगेली	1019	1028	1012
22	बालोद	1045	1048	1049
23	बेमेतरा	1028	1067	1026
24	कोंडागांव	1012	1020	1046
25	सुकमा	1036	1049	1041
26	बलरामपुर	969	980	988
27	सूरजपुर	978	985	993
छत्तीसगढ़		**1009**	**1013**	**1020**

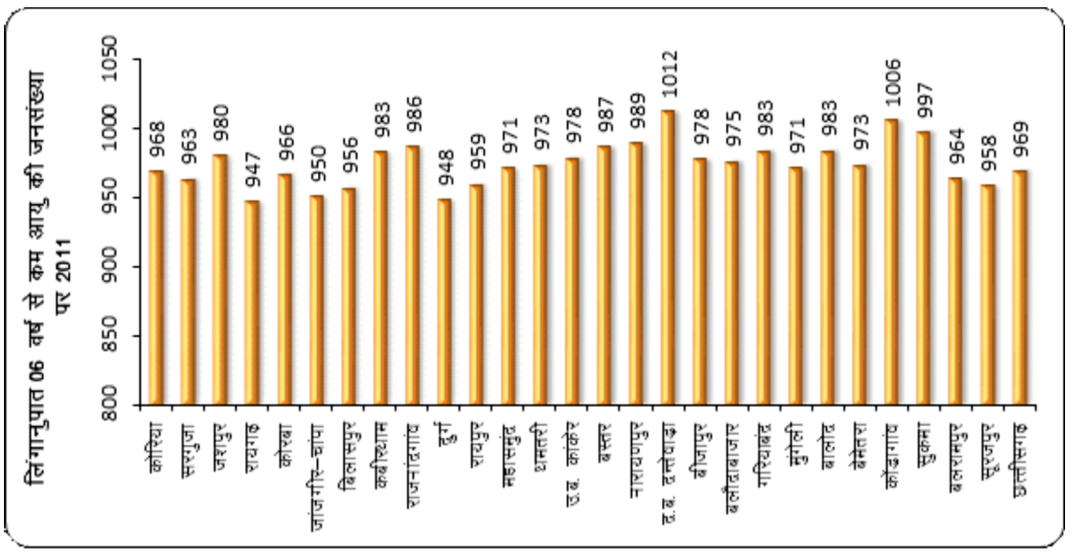

लिंगानुपात अनुसूचित जनजाति 2011
900
950
1000
1050
1100
कोरिया 993
सरगुजा 996
जशपुर 1019
रायगढ़ 1019
कोरबा 1004
जांजगीर–चांपा 1009
बिलासपुर 1008
कबीरधाम 1022
राजनांदगांव 1046
दुर्ग 976
रायपुर 974
महासमुंद 1038
धमतरी 1034
उ.ब. काकेर 1034
बस्तर 1035
नारायणपुर 1021
द.ब. दन्तेवाड़ा 1067
बीजापुर 1011
बलौदाबाजार 1038
गरियाबंद 1038
मुंगेली 1012
बालोद 1049
बेमेतरा 1026
कोंडागांव 1046
सुकमा 1041
बलरामपुर 988
सूरजपुर 993
छत्तीसगढ़ 1020

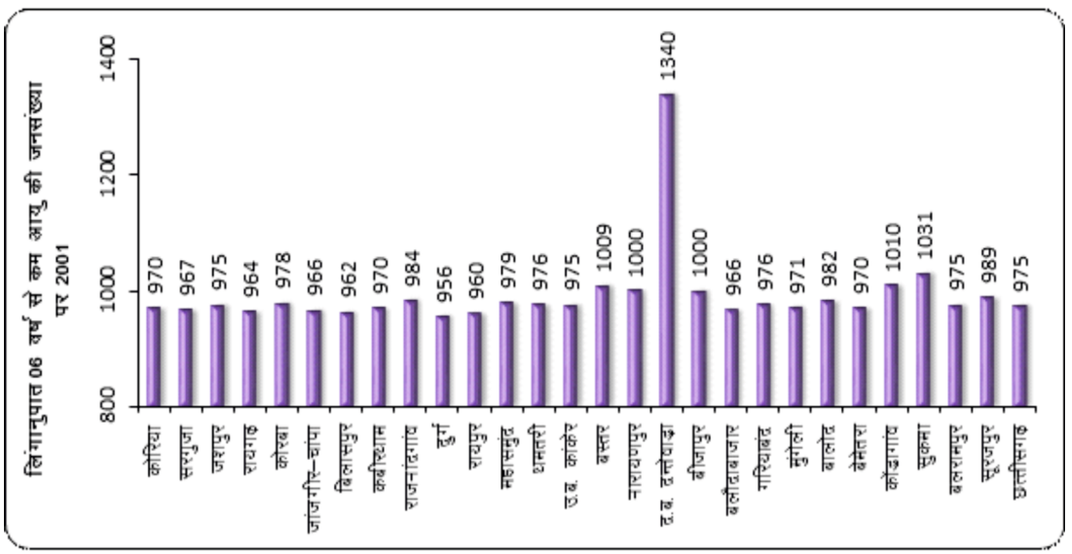

लिंगानुपात अनुसूचित जनजाति 2001
800
850
900
950
1000
1050
1100
कोरिया 971
सरगुजा 994
जशपुर 1016
रायगढ़ 1012
कोरबा 996
जांजगीर–चांपा 1029
बिलासपुर 1002
कबीरधाम 1015
राजनांदगांव 1051
दुर्ग 965
रायपुर 917
महासमुंद 1035
धमतरी 1022
उ.ब. काकेर 1019
बस्तर 1020
नारायणपुर 1014
द.ब. दन्तेवाड़ा 1047
बीजापुर 1002
बलौदाबाजार 1043
गरियाबंद 1034
मुंगेली 1028
बालोद 1048
बेमेतरा 1067
कोंडागांव 1020
सुकमा 1049
बलरामपुर 980
सूरजपुर 985
छत्तीसगढ़ 1013

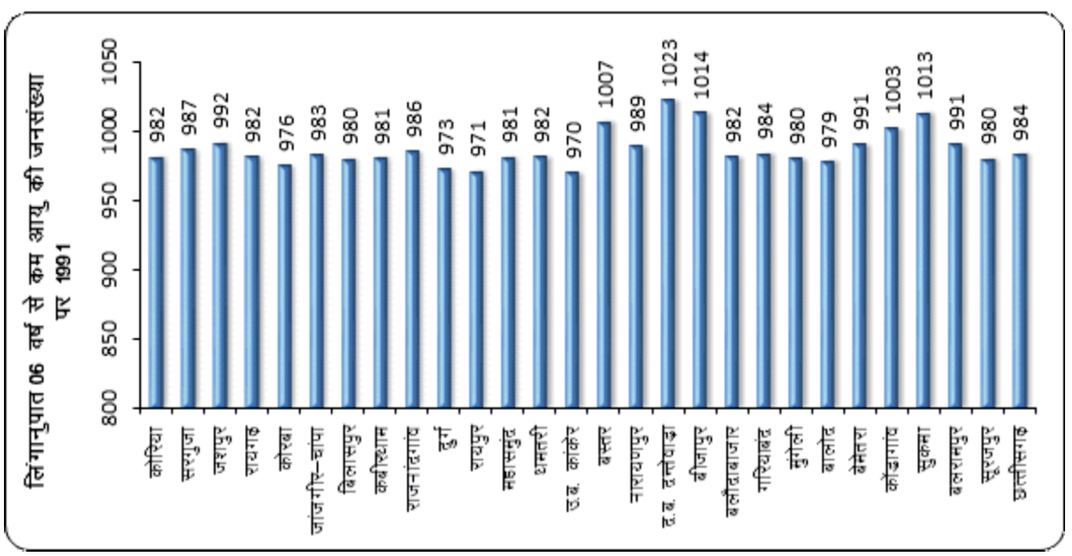

लिंगानुपात अनुसूचित जनजाति 1991
कोरिया 960
सरगुजा 990
जशपुर 1020
रायगढ़ 1016
कोरबा 989
जांजगीर–चांपा 1035
बिलासपुर 1002
कबीरधाम 1009
राजनांदगांव 1046
दुर्ग 934
रायपुर 936
महासमुंद 1035
धमतरी 1029
उ.ब. काकेर 1011
बस्तर 1012
नारायणपुर 992
द.ब. दन्तेवाड़ा 1047
बीजापुर 1001
बलौदाबाजार 1033
गरियाबंद 1031
मुंगेली 1019
बालोद 1045
बेमेतरा 1028
कोंडागांव 1012
सुकमा 1036
बलरामपुर 969
सूरजपुर 978
छत्तीसगढ़ 1009

तालिका 2.6 लिंगानुपात 06 वर्ष से कम आयु की जनसंख्या पर

स. क्र.	जिलों के नाम	जनगणना वर्ष		
		1991	2001	2011
1	कोरिया	982	970	968
2	सरगुजा	987	967	963
3	जशपुर	992	975	980
4	रायगढ़	982	964	947
5	कोरबा	976	978	966
6	जांजगीर–चांपा	983	966	950
7	बिलासपुर	980	962	956
8	कबीरधाम	981	970	983
9	राजनांदगांव	986	984	986
10	दुर्ग	973	956	948
11	रायपुर	971	960	959
12	महासमुंद	981	979	971
13	धमतरी	982	976	973
14	उ.ब. कांकेर	970	975	978
15	बस्तर	1007	1009	987
16	नारायणपुर	989	1000	989
17	द.ब. दन्तेवाड़ा	1023	1340	1012
18	बीजापुर	1014	1000	978
19	बलौदाबाजार	982	966	975
20	गरियाबंद	984	976	983
21	मुंगेली	980	971	971
22	बालोद	979	982	983
23	बेमेतरा	991	970	973
24	कोंडागांव	1003	1010	1006
25	सुकमा	1013	1031	997
26	बलरामपुर	991	975	964
27	सूरजपुर	980	989	958
	छत्तीसगढ़	**984**	**975**	**969**

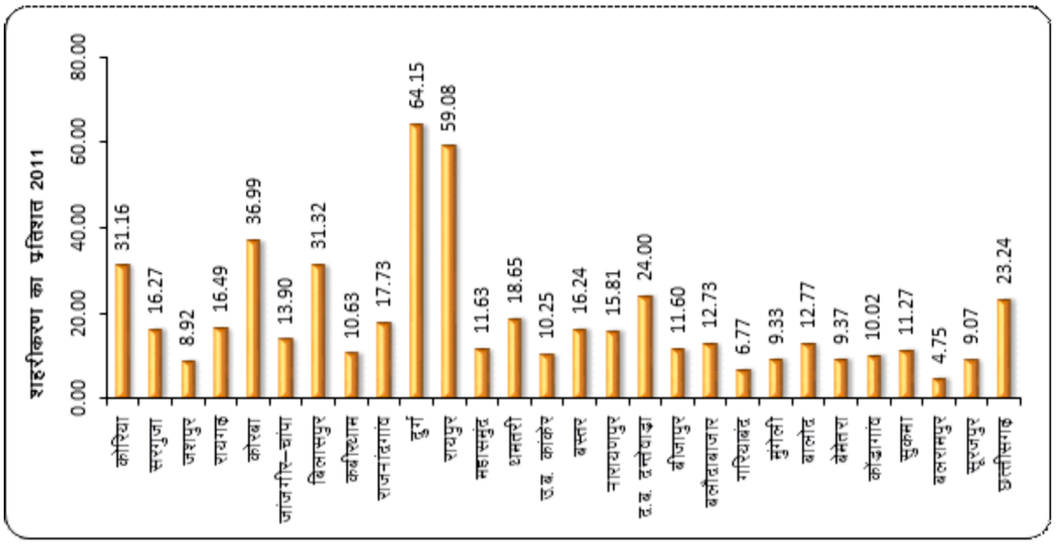

लिंगानुपात 06 वर्ष से कम आयु की जनसंख्या
पर 2011
800 850 900 950 1000 1050
कोरिया 968
सरगुजा 963
जशपुर 980
रायगढ़ 947
कोरबा 966
जांजगीर–चांपा 950
बिलासपुर 956
कबीरधाम 983
राजनांदगांव 986
दुर्ग 948
रायपुर 959
महासमुंद 971
धमतरी 973
उ.ब. कांकेर 978
बस्तर 987
नारायणपुर 989
द.ब. दन्तेवाड़ा 1012
बीजापुर 978
बलौदाबाजार 975
गरियाबंद 983
मुंगेली 971
बालोद 983
बेमेतरा 973
कोंडागांव 1006
सुकमा 997
बलरामपुर 964
सूरजपुर 958
छत्तीसगढ़ 969

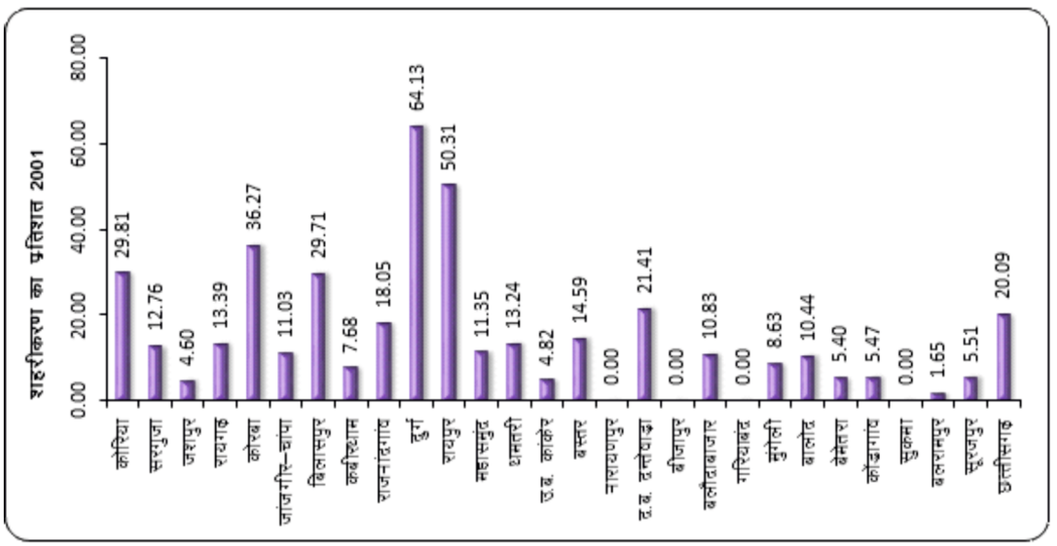

लिंगानुपात 06 वर्ष से कम आयु की जनसंख्या
पर 2001
800 1000 1200 1400
कोरिया 970
सरगुजा 967
जशपुर 975
रायगढ़ 964
कोरबा 978
जांजगीर–चांपा 966
बिलासपुर 962
कबीरधाम 970
राजनांदगांव 984
दुर्ग 956
रायपुर 960
महासमुंद 979
धमतरी 976
उ.ब. कांकेर 975
बस्तर 1009
नारायणपुर 1000
द.ब. दन्तेवाड़ा 1340
बीजापुर 1000
बलौदाबाजार 966
गरियाबंद 976
मुंगेली 971
बालोद 982
बेमेतरा 970
कोंडागांव 1010
सुकमा 1031
बलरामपुर 975
सूरजपुर 989
छत्तीसगढ़ 975

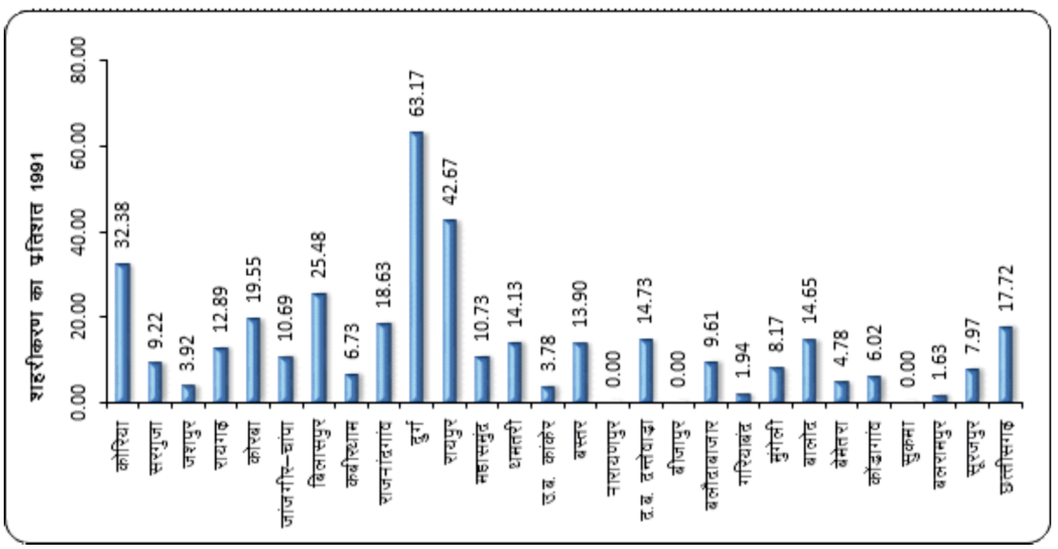

लिंगानुपात 06 वर्ष से कम आयु की जनसंख्या
पर 1991
800 850 900 950 1000 1050
कोरिया 982
सरगुजा 987
जशपुर 992
रायगढ़ 982
कोरबा 976
जांजगीर–चांपा 983
बिलासपुर 980
कबीरधाम 981
राजनांदगांव 986
दुर्ग 973
रायपुर 971
महासमुंद 981
धमतरी 982
उ.ब. कांकेर 970
बस्तर 1007
नारायणपुर 989
द.ब. दन्तेवाड़ा 1023
बीजापुर 1014
बलौदाबाजार 982
गरियाबंद 984
मुंगेली 980
बालोद 979
बेमेतरा 991
कोंडागांव 1003
सुकमा 1013
बलरामपुर 991
सूरजपुर 980
छत्तीसगढ़ 984

तालिका 2.6 शहरीकरण का प्रतिशत

स. क्र.	जिलों के नाम	जनगणना वर्ष		
		1991	2001	2011
1	कोरिया	32.38	29.81	31.16
2	सरगुजा	9.22	12.76	16.27
3	जशपुर	3.92	4.60	8.92
4	रायगढ़	12.89	13.39	16.49
5	कोरबा	19.55	36.27	36.99
6	जांजगीर–चांपा	10.69	11.03	13.90
7	बिलासपुर	25.48	29.71	31.32
8	कबीरधाम	6.73	7.68	10.63
9	राजनांदगांव	18.63	18.05	17.73
10	दुर्ग	63.17	64.13	64.15
11	रायपुर	42.67	50.31	59.08
12	महासमुंद	10.73	11.35	11.63
13	धमतरी	14.13	13.24	18.65
14	उ.ब. कांकेर	3.78	4.82	10.25
15	बस्तर	13.90	14.59	16.24
16	नारायणपुर	0.00	0.00	15.81
17	द.ब. दन्तेवाड़ा	14.73	21.41	24.00
18	बीजापुर	0.00	0.00	11.60
19	बलौदाबाजार	9.61	10.83	12.73
20	गरियाबंद	1.94	0.00	6.77
21	मुंगेली	8.17	8.63	9.33
22	बालोद	14.65	10.44	12.77
23	बेमेतरा	4.78	5.40	9.37
24	कोंडागांव	6.02	5.47	10.02
25	सुकमा	0.00	0.00	11.27
26	बलरामपुर	1.63	1.65	4.75
27	सूरजपुर	7.97	5.51	9.07
	छत्तीसगढ़	**17.72**	**20.09**	**23.24**

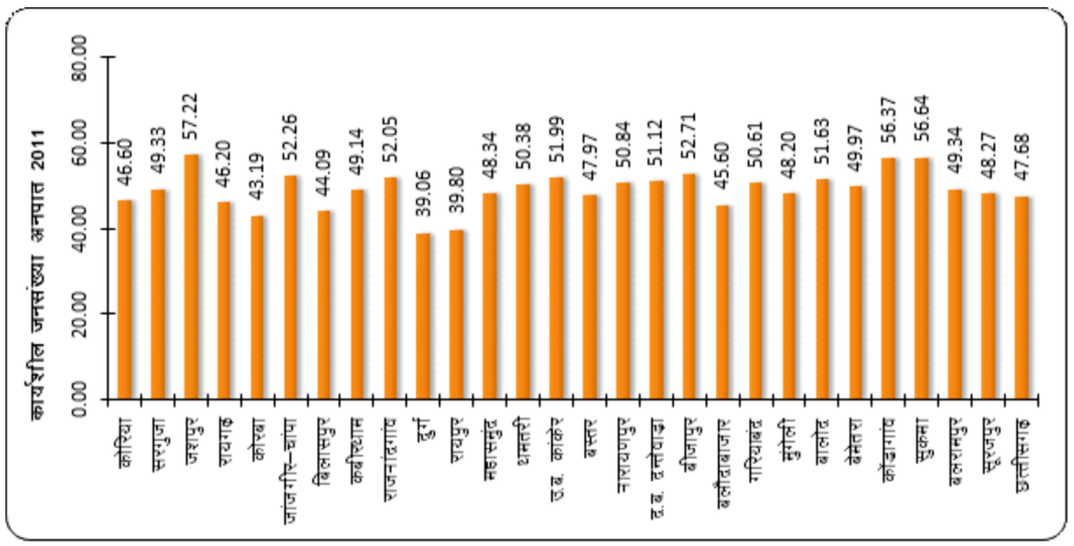

शहरीकरण का प्रतिशत 2011
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
कोरिया 31.16
सरगुजा 16.27
जशपुर 8.92
रायगढ़ 16.49
कोरबा 36.99
जांजगीर-चांपा 13.90
बिलासपुर 31.32
कबीरधाम 10.63
राजनांदगांव 17.73
दुर्ग 64.15
रायपुर 59.08
महासमुंद 11.63
धमतरी 18.65
उ.ब. कांकेर 10.25
बस्तर 16.24
नारायणपुर 15.81
द.ब. दन्तेवाड़ा 24.00
बीजापुर 11.60
बलौदाबाजार 12.73
गरियाबंद 6.77
मुंगेली 9.33
बालोद 12.77
बेमेतरा 9.37
कोंडागांव 10.02
सुकमा 11.27
बलरामपुर 4.75
सूरजपुर 9.07
छत्तीसगढ़ 23.24

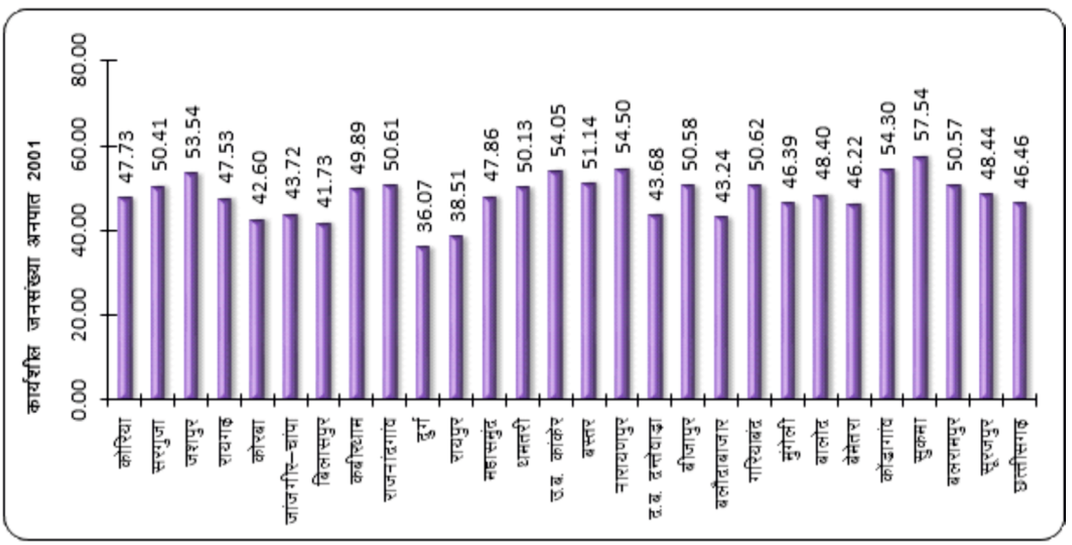

शहरीकरण का प्रतिशत 2001
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
कोरिया 29.81
सरगुजा 12.76
जशपुर 4.60
रायगढ़ 13.39
कोरबा 36.27
जांजगीर-चांपा 11.03
बिलासपुर 29.71
कबीरधाम 7.68
राजनांदगांव 18.05
दुर्ग 64.13
रायपुर 50.31
महासमुंद 11.35
धमतरी 13.24
उ.ब. कांकेर 4.82
बस्तर 14.59
नारायणपुर 0.00
द.ब. दन्तेवाड़ा 21.41
बीजापुर 0.00
बलौदाबाजार 10.83
गरियाबंद 0.00
मुंगेली 8.63
बालोद 10.44
बेमेतरा 5.40
कोंडागांव 5.47
सुकमा 0.00
बलरामपुर 1.65
सूरजपुर 5.51
छत्तीसगढ़ 20.09

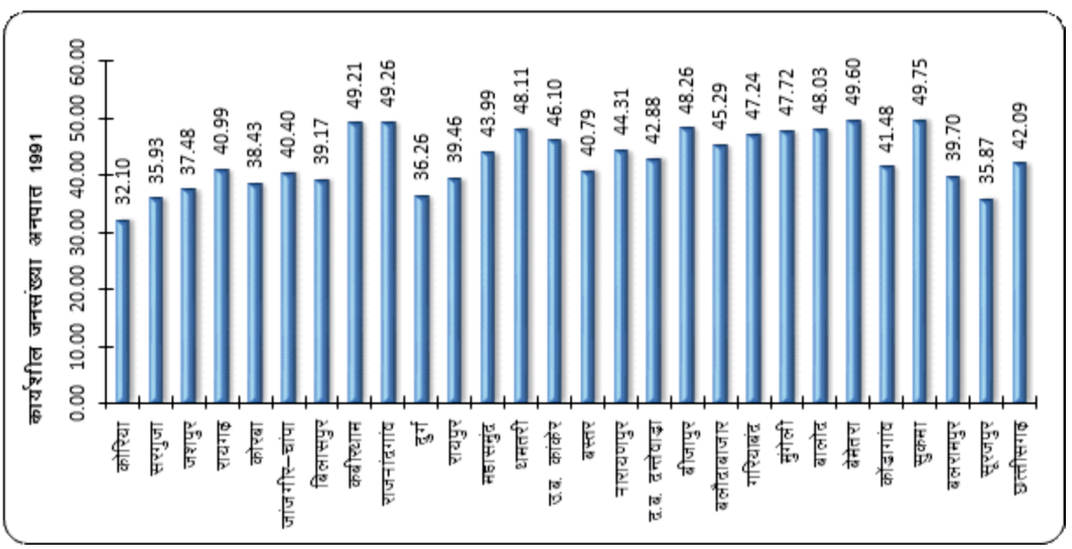

शहरीकरण का प्रतिशत 1991
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
कोरिया 32.38
सरगुजा 9.22
जशपुर 3.92
रायगढ़ 12.89
कोरबा 19.55
जांजगीर-चांपा 10.69
बिलासपुर 25.48
कबीरधाम 6.73
राजनांदगांव 18.63
दुर्ग 63.17
रायपुर 42.67
महासमुंद 10.73
धमतरी 14.13
उ.ब. कांकेर 3.78
बस्तर 13.90
नारायणपुर 0.00
द.ब. दन्तेवाड़ा 14.73
बीजापुर 0.00
बलौदाबाजार 9.61
गरियाबंद 1.94
मुंगेली 8.17
बालोद 14.65
बेमेतरा 4.78
कोंडागांव 6.02
सुकमा 0.00
बलरामपुर 1.63
सूरजपुर 7.97
छत्तीसगढ़ 17.72

तालिका 2.7 कार्यशील जनसंख्या अनपात

स. क्र.	जिलों के नाम	जनगणना वर्ष		
		1991	2001	2011
1	कोरिया	32.10	47.73	46.60
2	सरगुजा	35.93	50.41	49.33
3	जशपुर	37.48	53.54	57.22
4	रायगढ़	40.99	47.53	46.20
5	कोरबा	38.43	42.60	43.19
6	जांजगीर–चांपा	40.40	43.72	52.26
7	बिलासपुर	39.17	41.73	44.09
8	कबीरधाम	49.21	49.89	49.14
9	राजनांदगांव	49.26	50.61	52.05
10	दुर्ग	36.26	36.07	39.06
11	रायपुर	39.46	38.51	39.80
12	महासमुंद	43.99	47.86	48.34
13	धमतरी	48.11	50.13	50.38
14	उ.ब. कांकेर	46.10	54.05	51.99
15	बस्तर	40.79	51.14	47.97
16	नारायणपुर	44.31	54.50	50.84
17	द.ब. दन्तेवाड़ा	42.88	43.68	51.12
18	बीजापुर	48.26	50.58	52.71
19	बलौदाबाजार	45.29	43.24	45.60
20	गरियाबंद	47.24	50.62	50.61
21	मुंगेली	47.72	46.39	48.20
22	बालोद	48.03	48.40	51.63
23	बेमेतरा	49.60	46.22	49.97
24	कोंडागांव	41.48	54.30	56.37
25	सुकमा	49.75	57.54	56.64
26	बलरामपुर	39.70	50.57	49.34
27	सूरजपुर	35.87	48.44	48.27
	छत्तीसगढ़	**42.09**	**46.46**	**47.68**

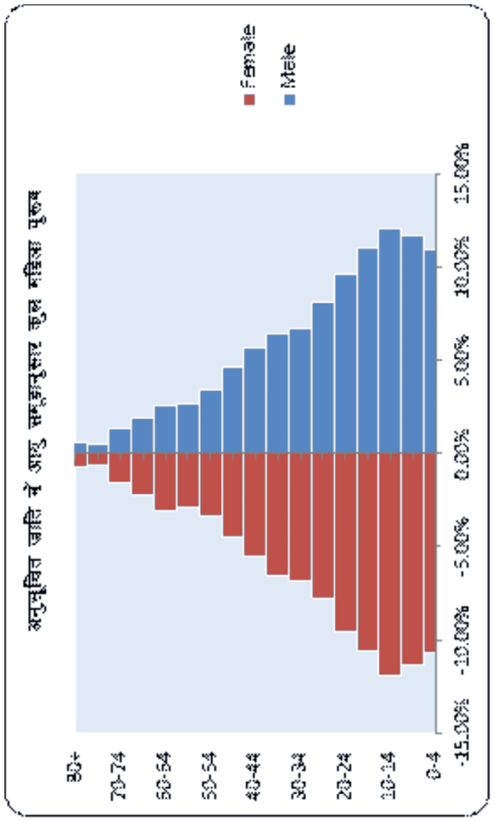

कार्यशील जनसंख्या अनुपात 2011
0.00 20.00 40.00 60.00 80.00
कोरिया 46.60
सरगुजा 49.33
जशपुर 57.22
रायगढ़ 46.20
कोरबा 43.19
जांजगीर-चांपा 52.26
बिलासपुर 44.09
कबीरधाम 49.14
राजनांदगांव 52.05
दुर्ग 39.06
रायपुर 39.80
महासमुंद 48.34
धमतरी 50.38
उ.ब. काकेर 51.99
बस्तर 47.97
नारायणपुर 50.84
द.ब. दन्तेवाड़ा 51.12
बीजापुर 52.71
बलौदाबाजार 45.60
गरियाबंद 50.61
मुंगेली 48.20
बालोद 51.63
बेमेतरा 49.97
कोंडागांव 56.37
सुकमा 56.64
बलरामपुर 49.34
सूरजपुर 48.27
छत्तीसगढ़ 47.68

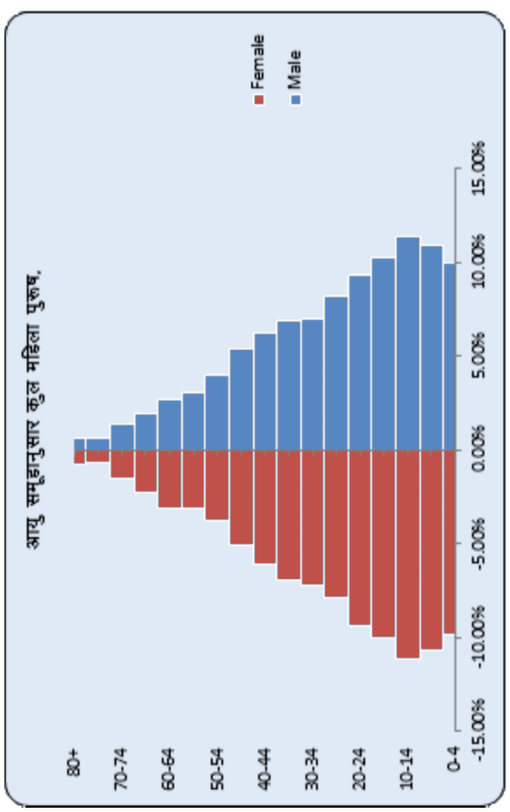

कार्यशील जनसंख्या अनुपात 2001
0.00 20.00 40.00 60.00 80.00
कोरिया 47.73
सरगुजा 50.41
जशपुर 53.54
रायगढ़ 47.53
कोरबा 42.60
जांजगीर-चांपा 43.72
बिलासपुर 41.73
कबीरधाम 49.89
राजनांदगांव 50.61
दुर्ग 36.07
रायपुर 38.51
महासमुंद 47.86
धमतरी 50.13
उ.ब. काकेर 54.05
बस्तर 51.14
नारायणपुर 54.50
द.ब. दन्तेवाड़ा 43.68
बीजापुर 50.58
बलौदाबाजार 43.24
गरियाबंद 50.62
मुंगेली 46.39
बालोद 48.40
बेमेतरा 46.22
कोंडागांव 54.30
सुकमा 57.54
बलरामपुर 50.57
सूरजपुर 48.44
छत्तीसगढ़ 46.46

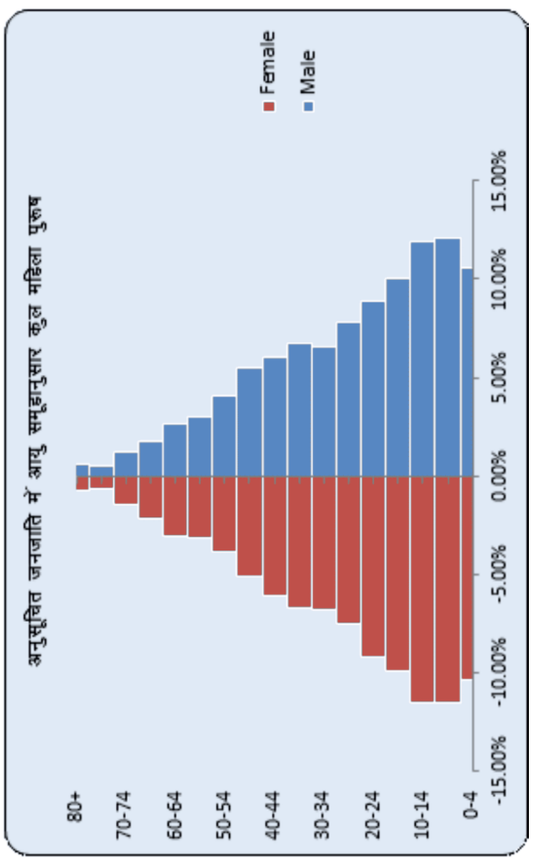

कार्यशील जनसंख्या अनुपात 1991
0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00
कोरिया 32.10
सरगुजा 35.93
जशपुर 37.48
रायगढ़ 40.99
कोरबा 38.43
जांजगीर-चांपा 40.40
बिलासपुर 39.17
कबीरधाम 49.21
राजनांदगांव 49.26
दुर्ग 36.26
रायपुर 39.46
महासमुंद 43.99
धमतरी 48.11
उ.ब. काकेर 46.10
बस्तर 40.79
नारायणपुर 44.31
द.ब. दन्तेवाड़ा 42.88
बीजापुर 48.26
बलौदाबाजार 45.29
गरियाबंद 47.24
मुंगेली 47.72
बालोद 48.03
बेमेतरा 49.60
कोंडागांव 41.48
सुकमा 49.75
बलरामपुर 39.70
सूरजपुर 35.87
छत्तीसगढ़ 42.09

तालिका 2.8 आयु समूहानुसार अनुसूचित जाति, जनजाति जनसंख्या

आयु समूह	कुल					अनुसूचित जाति					अनुसूचित जनजाति				
	Persons	Males	Females	Male%	Female%	Persons	Males	Females	Male%	Female%	Persons	Males	Females	Male%	Female%
0-4	2541065	1286970	1254095	10.03%	9.87%	354897	179666	175231	10.94%	10.73%	819540	409794	409746	10.58%	10.37%
5-9	2758758	1404079	1354679	10.94%	10.66%	376137	191365	184772	11.66%	11.32%	923857	467474	456383	12.07%	11.55%
10-14	2884013	1461185	1422828	11.39%	11.19%	393050	198475	194575	12.09%	11.92%	915623	460551	455072	11.89%	11.52%
15-19	2599842	1319451	1280391	10.28%	10.07%	353657	181118	172539	11.03%	10.57%	779640	387807	391833	10.01%	9.92%
20-24	2389497	1193378	1196119	9.30%	9.41%	313222	157339	155883	9.58%	9.55%	705606	342437	363169	8.84%	9.19%
25-29	2057300	1049238	1008062	8.18%	7.93%	260017	132803	127214	8.09%	7.79%	599567	303459	296108	7.83%	7.50%
30-34	1815058	898023	917035	7.00%	7.21%	221099	109378	111721	6.66%	6.84%	523475	253598	269877	6.55%	6.83%
35-39	1779414	891265	888149	6.95%	6.99%	213337	105795	107542	6.44%	6.59%	528163	261720	266443	6.76%	6.75%
40-44	1576553	796402	780151	6.21%	6.14%	183380	92578	90802	5.64%	5.56%	474899	233977	240922	6.04%	6.10%
45-49	1334374	692974	641400	5.40%	5.05%	149024	76209	72815	4.64%	4.46%	416064	213417	202647	5.51%	5.13%
50-54	992947	510326	482621	3.98%	3.80%	111689	56335	55354	3.43%	3.39%	307013	156201	150812	4.03%	3.82%
55-59	789353	389338	400015	3.03%	3.15%	90443	43442	47001	2.65%	2.88%	243429	117849	125580	3.04%	3.18%
60-64	743742	348956	394786	2.72%	3.11%	92193	42093	50100	2.56%	3.07%	224457	104284	120173	2.69%	3.04%
65-69	533810	244336	289474	1.90%	2.28%	68910	31839	37071	1.94%	2.27%	154952	68249	86703	1.76%	2.20%
70-74	373000	174249	198751	1.36%	1.56%	47556	22324	25232	1.36%	1.55%	105860	47754	58106	1.23%	1.47%
75-79	166578	75545	91033	0.59%	0.72%	19666	8892	10774	0.54%	0.66%	44943	19076	25867	0.49%	0.65%
80+	186779	85073	101706	0.66%	0.80%	22700	10422	12278	0.63%	0.75%	51405	23287	28118	0.60%	0.71%
	25545198	12832895	12712303	100.00%	100.00%	3274269	1641738	1632531	100.00%	100.00%	7822902	3873191	3949711	100.00%	100.00%

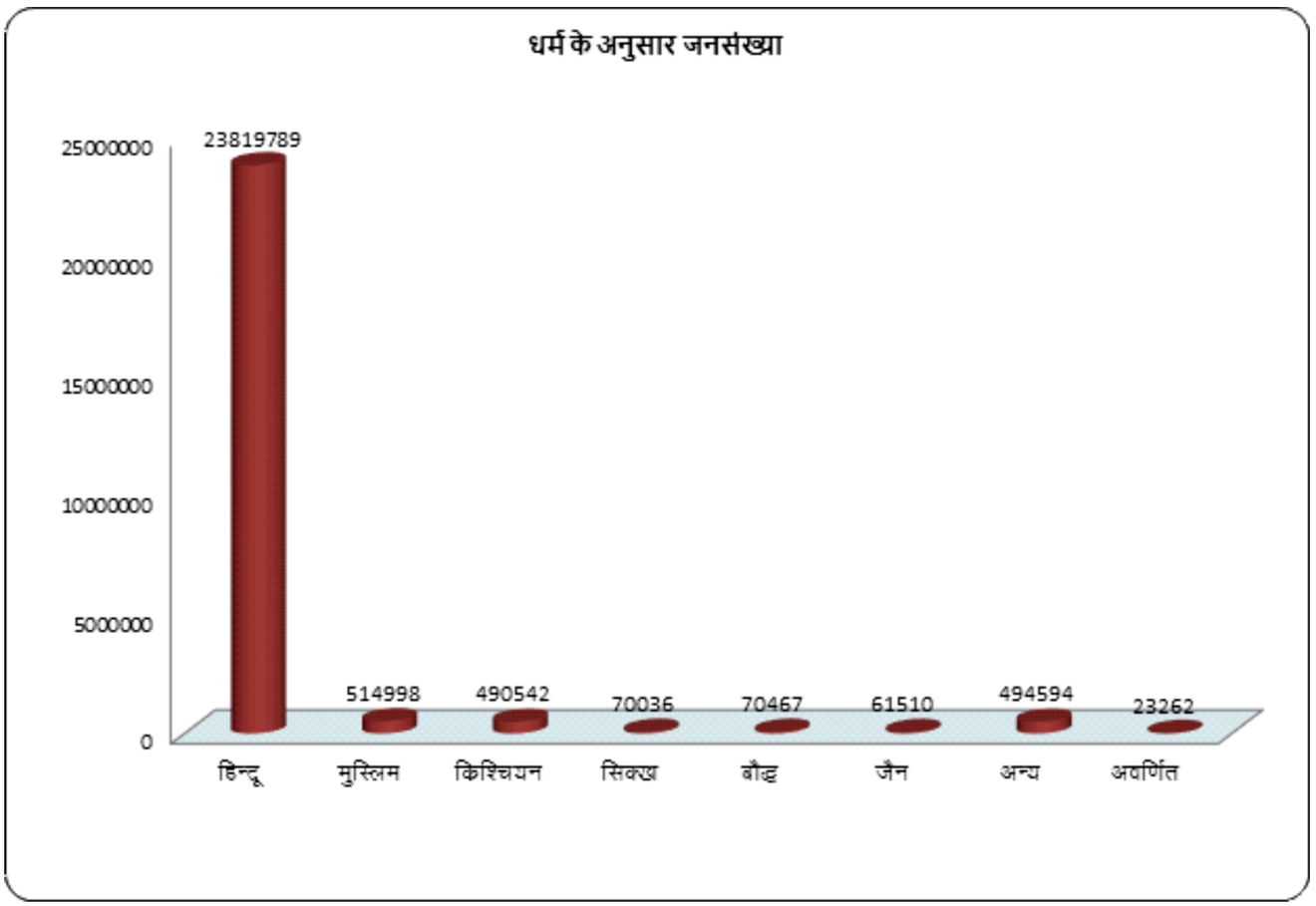

अनुसूचित जाति में आयु समूहानुसार कुल महिला पुरुष
Female
Male
80+
70-74
60-64
50-54
40-44
30-34
20-24
10-14
0-4
-15.00%
-10.00%
-5.00%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%


आयु समूहानुसार कुल महिला पुरुष.
Female
Male
80+
70-74
60-64
50-54
40-44
30-34
20-24
10-14
0-4
-15.00%
-10.00%
-5.00%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%


अनुसूचित जनजाति में आयु समूहानुसार कुल महिला पुरुष
Female
Male
80+
70-74
60-64
50-54
40-44
30-34
20-24
10-14
0-4
-15.00%
-10.00%
-5.00%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%

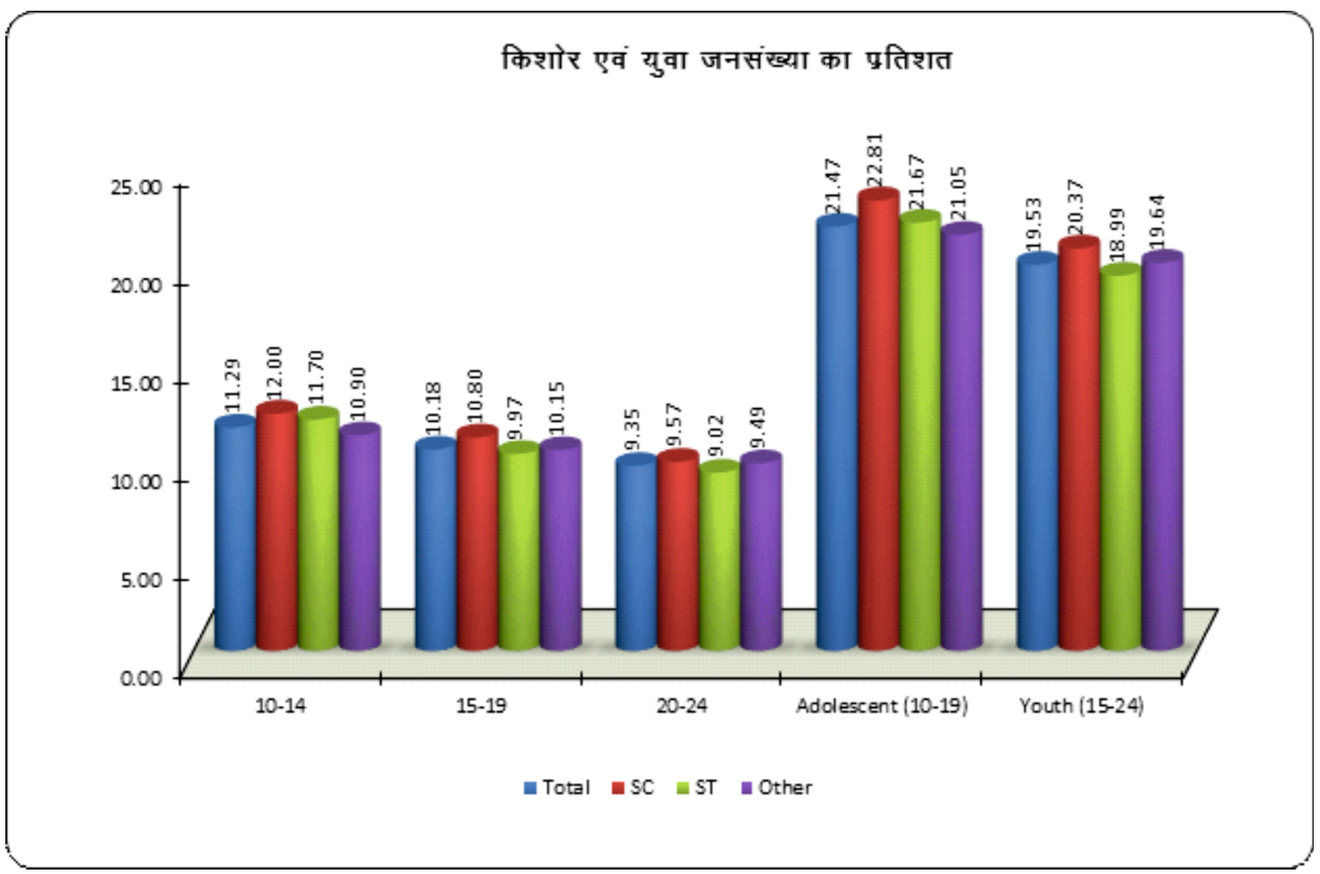
तालिका 2.9 धर्मानुसार जनसंख्या

धर्म	जनसंख्या	प्रतिशत
हिन्दू	23819789	93.25
मुस्लिम	514998	2.02
क्रिश्चियन	490542	1.92
सिक्ख	70036	0.27
बौद्ध	70467	0.28
जैन	61510	0.24
अन्य	494594	1.94
अवर्णित	23262	0.09
कुल	**25545198**	**100**



तालिका 2.10 किशोर एवं युवा जनसंख्या

किशोर एवं युवा श्रेणी	कुल जनसंख्या			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			अन्य जनसंख्या		
	कुल	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला
कुल												
10-14	11.29	11.39	11.19	12.00	12.09	11.92	11.70	11.89	11.52	10.90	10.96	10.84
15-19	10.18	10.28	10.07	10.80	11.03	10.57	9.97	10.01	9.92	10.15	10.26	10.04
20-24	9.35	9.30	9.41	9.57	9.58	9.55	9.02	8.84	9.19	9.49	9.48	9.50
किशोर (10-19)	21.47	21.67	21.26	22.81	23.12	22.49	21.67	21.90	21.44	21.05	21.22	20.89
युवा (15-24)	19.53	19.58	19.48	20.37	20.62	20.12	18.99	18.85	19.12	19.64	19.73	19.54
ग्रामीण												
10-14	11.68	11.79	11.56	12.30	12.39	12.20	11.69	11.89	11.49	11.51	11.56	11.46
15-19	10.19	10.30	10.08	10.73	11.00	10.47	9.83	9.88	9.78	10.32	10.43	10.20
20-24	9.05	9.03	9.06	9.21	9.30	9.13	8.88	8.70	9.05	9.13	9.21	9.05
किशोर (10-19)	21.87	22.09	21.64	23.03	23.39	22.67	21.52	21.78	21.27	21.83	21.99	21.66
युवा (15-24)	19.24	19.34	19.14	19.95	20.30	19.60	18.71	18.58	18.83	19.44	19.64	19.25
नगरीय												
10-14	10.01	10.08	9.93	11.04	11.09	10.98	11.89	11.86	11.91	9.60	9.70	9.49
15-19	10.14	10.22	10.05	11.02	11.15	10.89	11.64	11.58	11.69	9.79	9.89	9.69
20-24	10.37	10.15	10.59	10.73	10.52	10.94	10.74	10.53	10.94	10.26	10.05	10.49
किशोर (10-19)	20.15	20.30	19.99	22.06	22.24	21.88	23.52	23.44	23.60	19.39	19.59	19.18
युवा (15-24)	20.50	20.37	20.64	21.75	21.67	21.83	22.37	22.11	22.63	20.06	19.94	20.18



राज्यीय आय

3

अध्याय

3. राज्यीय आय

मुख्य बिन्दु :

- वर्ष 2017-18 के प्रचलित भाव में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अग्रिम अनुमान बाजार मूल्य में 29168072 लाख रू., वर्ष 2016-17 से 11.22 प्रतिशत अधिक।
- वर्ष 2017-18 के स्थिर भाव (2011-12) में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अग्रिम अनुमान बाजार मूल्य पर 22786631 लाख रू., वर्ष 2016-17 से 6.65 प्रतिशत अधिक है।
- राज्य में क्षेत्रवार वृद्धि (स्थिर भाव-अग्रिम अनुमान 2017-18) कृषि 2.89, उद्योग 5.84, सेवा 9.46 प्रतिशत अनुमानित।
- वर्ष 2017-18 में अखिल भारत के स्थिर भाव (2011-12) में सकल घरेलू उत्पाद बाजार मूल्य में 6.5 प्रतिशत वृद्धि जिसमें कृषि क्षेत्र का 2.13, उद्योग क्षेत्र में 4.37 एवं सेवा क्षेत्र में 8.28 प्रतिशत वृद्धि (आधार मूल्यों) पर अनुमानित।
- पिछले 5 वर्षों की भांति उद्योग क्षेत्र का योगदान सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव (2011-12) 2017-18 में सर्वाधिक 47.65 होना अनुमानित।
- वर्ष 2016-17 की तुलना में 2017-18 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव (2011-12) में प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक संचार सेवायें (17.82) प्रक्षेत्र एवं न्यूनतम वानिकी (0.94) प्रक्षेत्र में संभावित है।
- प्रति व्यक्ति आय (निवल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भाव के आधार पर) छत्तीसगढ़ में वर्ष 2017-18 के अग्रिम अनुमान अनुसार 92035 रू. वहीं अखिल भारत के लिए यह 111782 रू. अनुमानित।

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा राज्य घरेलू उत्पाद के अग्रिम अनुमान वर्ष 2017–18 के लिए आधार वर्ष (2011–12) एवं प्रचलित भावों पर सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार अनुमानित किये गये है। यह अनुमान तालिका क्रमांक 3.1 से 3.7 में दर्शाये गये है।

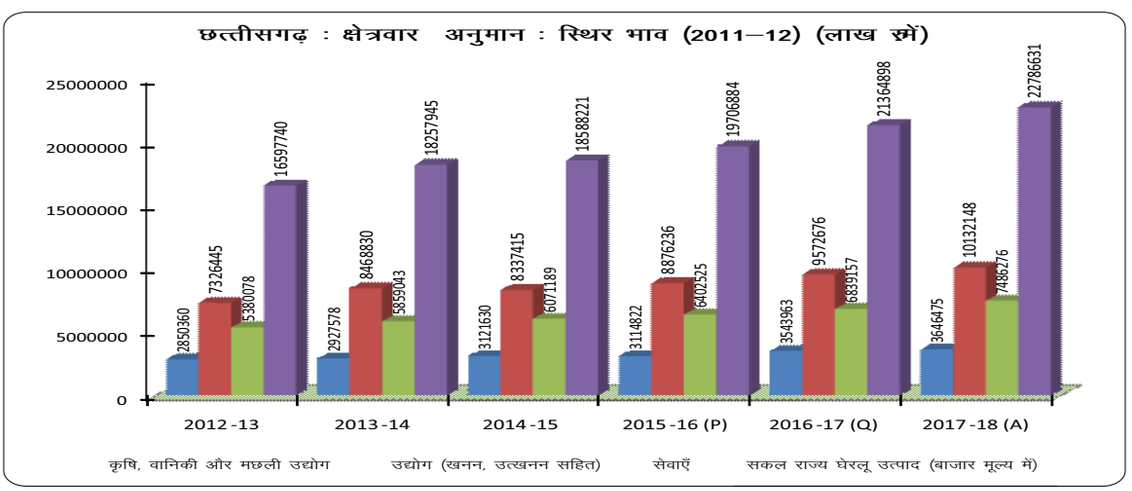
राज्य घरेलू उत्पाद के अग्रिम अनुमान बेंचमार्क सूचकांक दृष्टिकोण के आधार पर तैयार किये जाते है। क्षेत्रवार अनुमान तैयार करने के लिए सूचकांको से बाह्यगणन के आधार पर किया जाता है। जैसे औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, वित्तीय वर्ष के प्रथम 8–9 माह के थोक मूल्य सूचकांक, कृषि फसलों के प्रथम अग्रिम अनुमान, पशुधन के उत्पादन लक्ष्य, वानिकी विभाग के लक्ष्य, सूचीबद्ध कंपनियों का वित्तीय प्रदर्शन की प्रवृत्ति, राज्य सरकार के बजट लेखा, बिक्रीकर, बैंक के अग्रिम एवं क्रेडिट लेखा, वायु यातायात आगम निर्गत यात्री संख्या, स्टाम्प शुल्क, पंजीकृत वाहनों की संख्या की जानकारी आदि।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अग्रिम अनुमान (2017-18), स्थिर भाव (2011-12) पर

3.1 अग्रिम अनुमान - वर्ष 2017–18 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अग्रिम अनुमान उपलब्ध प्रवृत्तियों एवं सूचकाँकों पर आधारित है। छत्तीसगढ़ राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2017–18 का अग्रिम अनुमान बाजार भाव में स्थिर मूल्य (आधार वर्ष 2011–12) पर रु. 22786631 लाख अनुमानित है जो की गत वर्ष 2016–17 से 6.65 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है। क्षेत्रवार अनुमान निम्नांकित तालिका में दिये गये हैं।

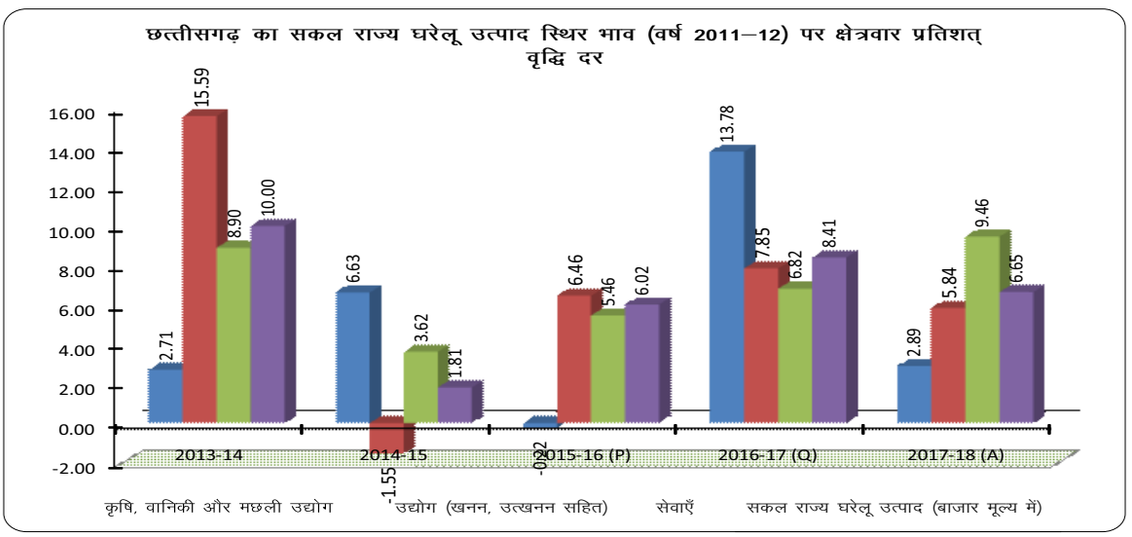
तालिका 3.1 छत्तीसगढ़ : क्षेत्रवार अनुमान : स्थिर भाव (2011-12) (लाख रू.में)

समूह	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16 (P)	2016-17 (Q)	2017-18 (A)
कृषि, वानिकी और मछली उद्योग	2850360	2927578	3121630	3114822	3543963	3646475
उद्योग (खनन, उत्खनन सहित)	7326445	8468830	8337415	8876236	9572676	10132148
सेवाएँ	5380078	5859043	6071189	6402525	6839157	7486276
सकल राज्य घेरलू उत्पाद मूल्य वर्धन (आधार मूल्य पर)	15556882	17255451	17530234	18393583	19955796	21264899
उत्पाद शुल्क (जोड़)–.सब्सिडी	1040858	1002494	1057987	1313301	1409102	1521733
सकल राज्य घेरलू उत्पाद (बाजार मूल्य में)	16597740	18257945	18588221	19706884	21364898	22786631



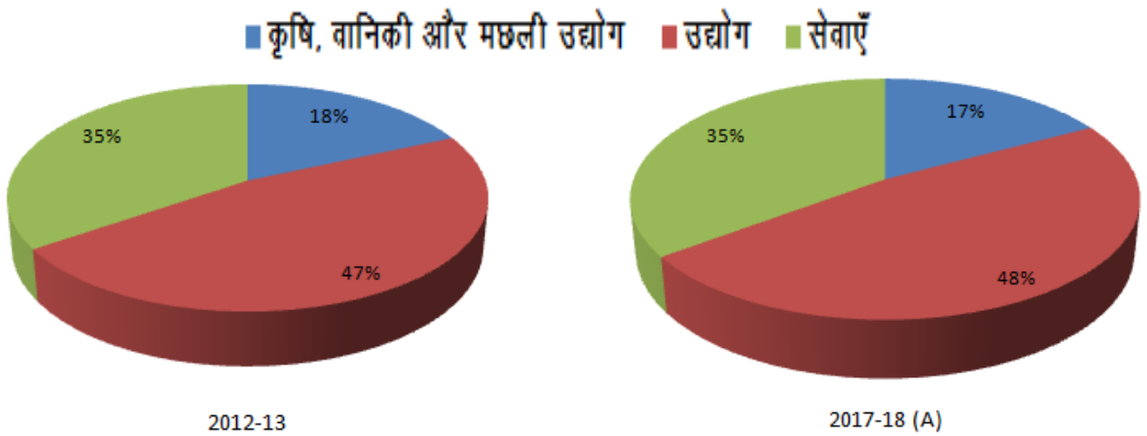
तालिका 3.2 छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव (वर्ष 2011-12) पर क्षेत्रवार प्रतिशत् वृद्धि दर

उद्योग समूह	2013-14	2014-15	2015-16 (P)	2016-17 (Q)	2017-18 (A)
कृषि, वानिकी और मछली उद्योग	2.71	6.63	-0.22	13.78	2.89
उद्योग (खनन, उत्खनन सहित)	15.59	-1.55	6.46	7.85	5.84
सेवाएँ	8.90	3.62	5.46	6.82	9.46
सकल राज्य घरेलू उत्पाद मूल्य वर्धन (आधार मूल्य पर)	10.92	1.59	4.92	8.49	6.56
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (बाजार मूल्य में)	10.00	1.81	6.02	8.41	6.65



तालिका 3.3 छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत हिस्सा-स्थिर भावों (वर्ष 2011-12) पर

उद्योग समूह	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16 (P)	2016-17(Q)	2017-18 (A)
कृषि, वानिकी और मछली उद्योग	18.32	16.97	17.81	16.93	17.76	17.15
उद्योग	47.09	49.08	47.56	48.26	47.97	47.65
सेवाएँ	34.58	33.95	34.63	34.81	34.27	35.20



सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अग्रिम अनुमान (2017-18), प्रचलित भाव पर

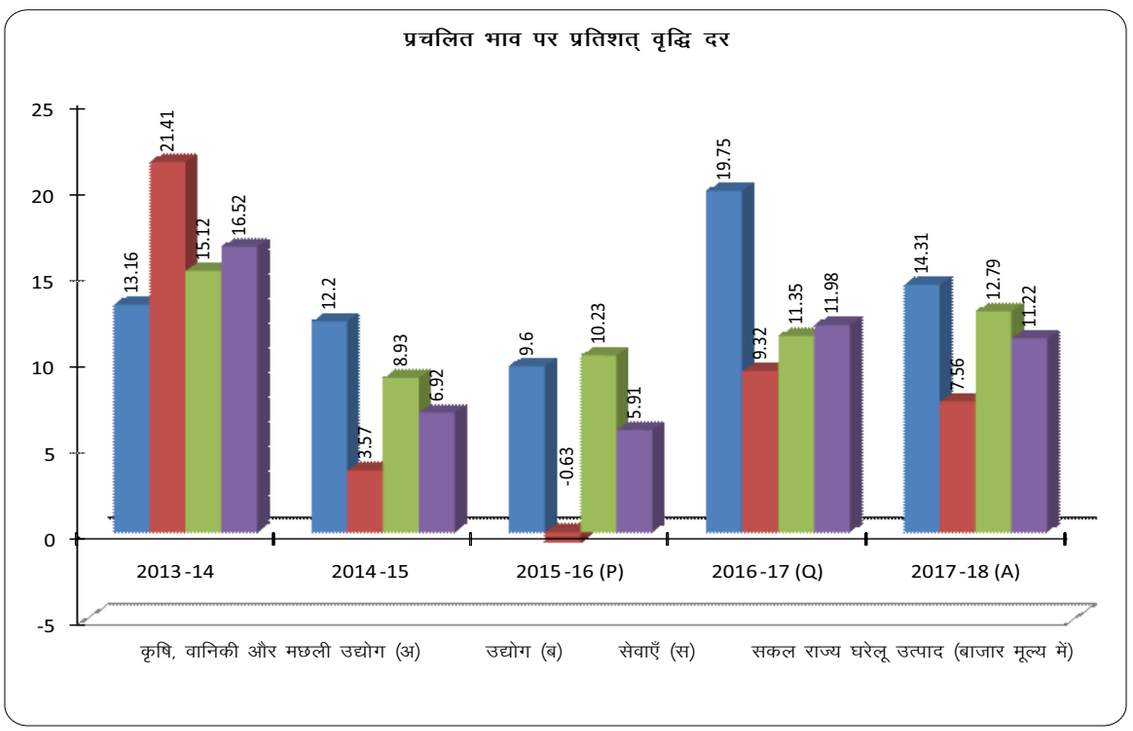
3.2 अग्रिम अनुमान - वर्ष 2017–18 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अग्रिम अनुमान उपलब्ध प्रवृत्तियों एवं सूचकाँकों पर आधारित है। छत्तीसगढ़ राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2017–18 का अग्रिम अनुमान बाजार मूल्य में **प्रचलित भाव पर** रु. 29168072 लाख अनुमानित है जो की गत वर्ष 2016–17 से 11.22 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है। क्षेत्रवार अनुमान निम्नांकित तालिका में दिये गये हैं।

तालिका 3.4 छत्तीसगढ़ : क्षेत्रवार अनुमान : प्रचलित भाव पर (लाख रू. में)

समूह	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16(P)	2016-17 (Q)	2017-18 (A)
कृषि, वानिकी और मछली उद्योग	3180908	3599597	4038920	4426468	5300498	6059122
उद्योग	7632393	9266257	9597369	9537080	10426289	11214039
सेवाएँ	5800031	6676858	7272890	8016998	8926992	10068524
सकल राज्य घेरलू उत्पाद मूल्य वर्धन (आधार मूल्य पर)	16613332	19542712	20909179	21980546	24653778	27341685
उत्पाद शुल्क (जोड़)–.सब्सिडी	1137800	1140607	1205047	1440691	1572558	1826387
सकल राज्य घेरलू उत्पाद (बाजार मूल्य में)	17751132	20683319	22114226	23421237	26226336	29168072

तालिका 3.5 प्रचलित भाव पर प्रतिशत् वृद्धि दर

उद्योग समूह	2013-14	2014-15	2015-16(P)	2016-17 (Q)	2017-18 (A)
कृषि, वानिकी और मछली उद्योग (अ)	13.16	12.20	9.60	19.75	14.31
उद्योग (ब)	21.41	3.57	-0.63	9.32	7.56
सेवाएँ (स)	15.12	8.93	10.23	11.35	12.79
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (बाजार मूल्य में)	16.52	6.92	5.91	11.98	11.22



तालिका 3.6 छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत हिस्सा-प्रचलित भाव पर

उद्योग समूह	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16 (P)	2016-17 (Q)	2017-18 (A)
कृषि, वानिकी और मछली उद्योग	19.15	18.42	19.32	20.14	21.50	22.16
उद्योग	45.94	47.42	45.90	43.39	42.29	41.01
सेवाएँ	34.91	34.16	34.78	36.47	36.21	36.83

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान वर्ष 2016-17 (त्वरित)

3.3 स्थिर भाव - सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान वर्ष 2016–17 के लिए स्थिर मूल्यों (2011–12) पर त्वरित अनुमान रु. 21364898 लाख है। जो कि वर्ष 2015–16 के अनुमानों से 8.41 प्रतिशत कुल अर्थव्यवस्था में वृद्धि आंकलित है।

कृषि क्षेत्र - स्थिर भाव पर वर्ष 2016–17 के दौरान कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में वृद्धि 13.78 प्रतिशत पूर्व वर्ष 2015–16 की तुलना में परिलक्षित हुई है, इस क्षेत्र के अंतर्गत फसलों में वृद्धि 18.65, मत्स्य क्षेत्र में 10.12 रही जबकि वानिकी एवं पशुधन क्षेत्र में क्रमशः 0.26 एवं 8.64 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है।

उद्योग समूह क्षेत्र - उद्योग समूह क्षेत्र में वर्ष 2016–17 में 7.85 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है। इस क्षेत्र के अंतर्गत विद्युत, गैस एवं जल प्रदाय क्षेत्र में 10.93 प्रतिशत, विनिर्माण क्षेत्र में 6.43 प्रतिशत, निर्माण गतिविधियों में 5.32 प्रतिशत वृद्धि अंकित है जबकि खनन एवं उत्खनन क्षेत्र में 10.38 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गयी।

सेवा क्षेत्र - सेवा क्षेत्र के अधिकांश अनुमान केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा प्रदाय किये जाते है। अतः इस उप क्षेत्र के प्रारंभिक अनुमानों के लिये प्रवृत्तियों एवं अन्य परिणामों के आधार पर अनुमान तैयार किये जाते है। सेवा क्षेत्र वर्ष 2016–17 के दौरान 6.82 प्रतिशत वृद्धि आंकलित है। इस क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2016–17 में अधिकतम हिस्सेदारी 9.89 प्रतिशत स्थावर सम्पदा इत्यादि क्षेत्र का है, जिसमें कि 0.82 प्रतिशत वृद्धि हुई। द्वितीय स्थान व्यापार, होटल एवं जलपान गृह क्षेत्र का रहा जिसका हिस्सा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 6.36 प्रतिशत रहा, जिसमें कि 7.54 प्रतिशत वृद्धि हुई। परिवहन, भण्डार एवं संचार क्षेत्र में वृद्धि 11.05 प्रतिशत हुई।

3.4 प्रचलित भाव - सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान वर्ष 2016–17 बाजार मूल्य प्रचलित भावों पर रु. 26226336 लाख है, जो की पिछले वर्ष 2015–16 की तुलना में 11.98 प्रतिशत अधिक है।

कृषि क्षेत्र - प्रचलित भाव पर वर्ष 2016–17 के दौरान कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में 19.75 प्रतिशत पूर्व वर्ष 2015–16 की तुलना में वृद्धि परिलक्षित हुई है, इस क्षेत्र के अंतर्गत फसलों में 24.83 प्रतिशत, मत्स्य क्षेत्र में 12.79 प्रतिशत, वानिकी एवं पशुधन क्षेत्र में क्रमशः 7.04 एवं 18.25 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है।

उद्योग समूह क्षेत्र - प्रचलित भाव पर उद्योग समूह क्षेत्र में वर्ष 2016–17 में 9.32 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है। इस क्षेत्र के अंतर्गत विद्युत, गैस एवं जल प्रदाय क्षेत्र में 10.48 प्रतिशत, विनिर्माण क्षेत्र में 6.14 प्रतिशत, निर्माण गतिविधियों में 11.80 प्रतिशत वृद्धि अंकित है, जबकि खनन एवं उत्खनन क्षेत्र में 11.15 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गयी।

सेवा क्षेत्र - सेवा क्षेत्र के अधिकांश अनुमान केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा प्रदाय किये जाते है। अतः इस उप क्षेत्र के प्रारंभिक अनुमानों के लिये प्रवृत्तियों एवं अन्य परिणामों के आधार पर अनुमान तैयार किये जाते है। सेवा क्षेत्र वर्ष 2016–17 के दौरान 11.35 प्रतिशत वृद्धि आंकलित है। इस क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2016–17 में मुख्य उपक्षेत्र यथा–स्थावर सम्पदा इत्यादि क्षेत्र में 6.88 प्रतिशत, व्यापार, होटल एवं जलपान गृह क्षेत्र में 11. 69 प्रतिशत एवं परिवहन, भण्डार एवं संचार क्षेत्र में 12.35 प्रतिशत वृद्धि हुई।

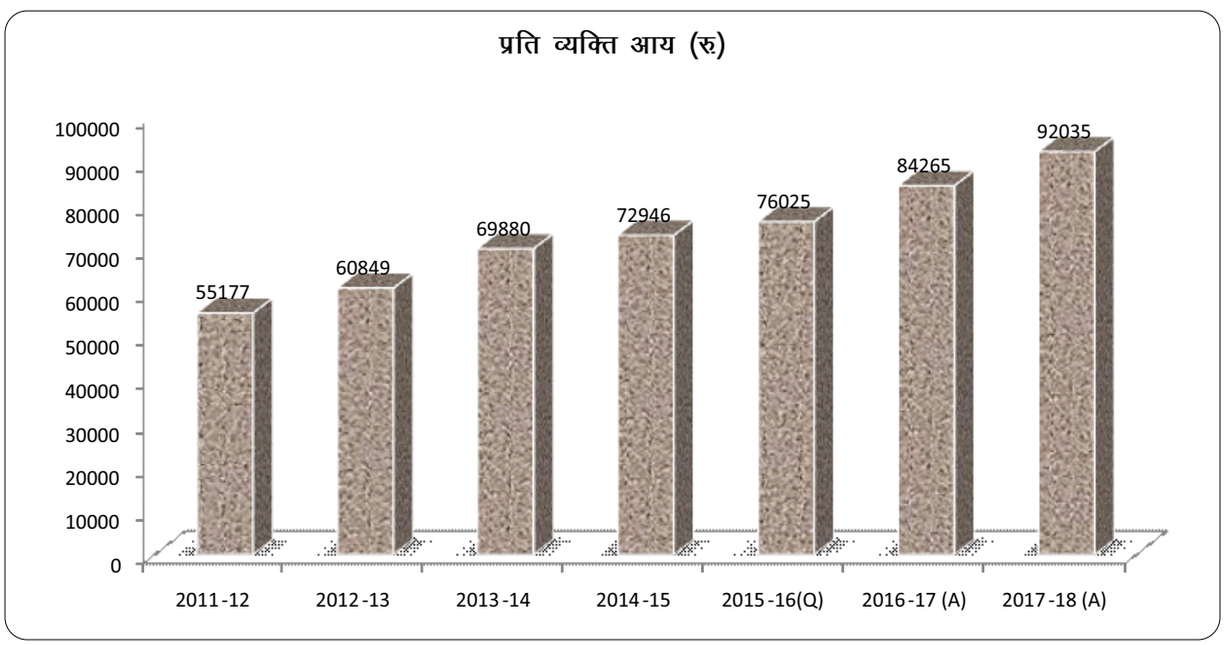
3.5 निवल राज्य घरेलू उत्पाद - वर्ष 2016–17 में निवल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भावों (बाजार मूल्य) पर अनुमानों के अनुसार रू. 23537770लाख अनुमानित है, जो कि वर्ष 2015–16 के अनुमान की तुलना में 12.62 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है। स्थिर भावों में वर्ष 2016–17 बाजार मूल्य पर निवल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुमान रू. 19084141 लाख आंकलित है, जो कि वर्ष 2015–16 की तुलना में 8.83 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है।

प्रति व्यक्ति आय

3.6 प्रति व्यक्ति आय, निवल राज्य घरेलू उत्पाद को प्रोजेक्टेड जनसंख्या से भाग देकर निकाला जाता है। वर्ष 2017–18 में प्रति व्यक्ति आय (प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद, प्रचलित भावों पर) बाजार मूल्य पर रू. 92035 अनुमानित है, जबकि वर्ष 2016–17 में प्रति व्यक्ति आय रू. 84265 थी। वर्ष 2017–18 में प्रति व्यक्ति आय में 9.22 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता हैं। वर्ष 2011–12 से 2017–18 (अ.) की प्रति व्यक्ति आय निम्नांकित तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका 3.7 प्रति व्यक्ति आय रूपये में

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16(Q)	2016-17 (A)	2017-18 (A)
प्रति व्यक्ति आय (रु.)	55177	60849	69880	72946	76025	84265	92035



तालिका 3.8 छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद-प्रचलित भाव पर (लाख रूपये में)

क्र. सं.	उद्योग समुह	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16 (प्रा.)	2016-17 (त्व.)	2017-18 (अ.)
1.1	फसलें	1798258	2140927	2405368	2571796	2767514	3454788	3953211
1.2	पशुपालन	226704	255035	310931	347756	405038	478948	543973
1.3	वनोद्योग तथा लटठे बनाना	426205	503309	559637	733885	826665	884845	1041363
1.4	मछली उद्योग	234783	281637	323661	385483	427251	481917	520575
1.5	खनन तथा उत्खनन	1970258	1923021	2144358	2384662	1864798	2072732	2136286
A	**योग (प्राथमिक क्षेत्र)**	**4656208**	**5103929**	**5743955**	**6423582**	**6291265**	**7373230**	**8195408**
	कृषि (1.1+1.2+1.3+1.4)	**2685950**	**3180908**	**3599597**	**4038920**	**4426468**	**5300498**	**6059122**
2	विनिर्माण	2435032	2817915	3810105	3495197	3608554	3830227	4124831
3	विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति अन्य उपयोगिता	709991	970686	1051772	1175686	1508427	1666467	1817026
4	निर्माण	1901330	1920771	2260022	2541824	2555302	2856863	3135895
B	**योग (द्वितीयक क्षेत्र)**	**5046354**	**5709372**	**7121899**	**7212707**	**7672282**	**8353557**	**9077752**
	उद्योग (B+1.5)	**7016612**	**7632393**	**9266257**	**9597369**	**9537080**	**10426289**	**11214039**
5	व्यापार, होटल एवं जलपानगृह	932617	1101271	1288982	1382032	1499776	1675071	1974628
6	परिवहन, संग्रहण एवं संचार	583708	683320	783118	873355	977190	1097888	1259682
6.1	रेलवे	121509	140418	150098	160701	176324	191118	206445
6.2	परिवहन (रेलवे के अतिरिक्त)	281709	329096	365284	397901	435399	474189	535708
6.3	भण्डारण	10189	11689	14026	15338	16312	18308	20674
6.4	संचार एवं प्रसारण सेवा से संबंधित	170301	202117	253709	299414	349155	414273	496855
7	वित्तीय सेवा	537699	609344	680931	723159	858883	950694	1055322
8	स्थावर संपदा आवासगृहों को स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाएँ	1755211	1919629	2227586	2406208	2568553	2745214	2934293
9	लोक प्रशासन	549383	611344	781483	879675	1035501	1155682	1337139
10	अन्य सेवाएँ	781802	875123	914758	1008461	1077096	1302443	1507460
C	**योग (सेवा क्षेत्र)**	**5140420**	**5800031**	**6676858**	**7272890**	**8016998**	**8926992**	**10068524**
11	योग स.रा.घ.मूल्य वर्धन (आधार मूल्य पर)	**14842982**	**16613332**	**19542712**	**20909179**	**21980546**	**24653778**	**27341685**
12	उत्पादकर–उत्पाद अनुदान	964400	1137800	1140607	1205047	1440691	1572558	1826387
13	**स.रा.घ.उ. (बाजार मूल्य पर)**	**15807382**	**17751132**	**20683319**	**22114226**	**23421237**	**26226336**	**29168072**
14	जनसंख्या (हजार में)	25785	26201	26624	27053	27490	27933	28384
15	प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. (रु. में)	61305	67750	77687	81744	85199	93890	102762

प्रा.=प्रावधिक अनुमान, त्व.=त्वरित अनुमान अ.=अग्रिम अनुमान

तालिका 3.9 छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद-स्थिर भावों (2011-12) पर (लाख रूपये में)

क्र. सं.	उद्योग समुह	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16 (प्रा.)	2016-17 (त्व.)	2017-18 (अ.)
1.1	फसलें	1798258	1923736	1982691	2045885	2003319	2376873	2433096
1.2	पशुपालन	226704	237979	249536	245276	251577	273301	295246
1.3	वनोद्योग तथा लटठे बनाना	426205	449230	428448	536211	539444	540863	545940
1.4	मछली उद्योग	234783	239415	266903	294258	320482	352926	372193
1.5	खनन तथा उत्खनन	1970259	1923176	2072375	2109607	2008546	2216994	2332041
A	**योग (प्राथमिक क्षेत्र)**	**4656209**	**4773536**	**4999953**	**5231237**	**5123367**	**5760958**	**5978516**
	कृषि (1.1+1.2+1.3+1.4)	**2685950**	**2850360**	**2927578**	**3121630**	**3114822**	**3543963**	**3646475**
2	विनिर्माण	2435032	2660179	3588922	3313429	3748324	3989283	4242869
3	विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति अन्य उपयोगिता	709991	955984	1047311	1150570	1444462	1602349	1735974
4	निर्माण	1901330	1787106	1760222	1763809	1674904	1764050	1821264
B	**योग (द्वितीयक क्षेत्र)**	**5046353**	**5403268**	**6396455**	**6227808**	**6867690**	**7355682**	**7800107**
	उद्योग (B+1.5)	**7016612**	**7326445**	**8468830**	**8337415**	**8876236**	**9572676**	**10132148**
5	व्यापार, होटल एवं जलपानगृह	932617	1021682	1129497	1154290	1179600	1268536	1459478
6	परिवहन, संग्रहण एवं संचार	583708	650790	726840	799681	894216	993014	1128029
6.1	रेलवे	121509	133946	139351	139183	145941	156716	167777
6.2	परिवहन (रेलवे के अतिरिक्त)	281709	312165	339701	373159	412337	446681	502536
6.3	भण्डारण	10189	11087	12696	13623	14529	15777	17272
6.4	संचार एवं प्रसारण सेवा से संबंधित	170301	193592	235092	273717	321409	373839	440444
7	वित्तीय सेवा	537699	601331	657470	691410	800256	855607	915499
8	स्थावर संपदा आवासगृहों को स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाएँ	1755211	1741686	1895155	1923839	1957168	1973305	2010786
9	लोक प्रशासन	549383	562938	661283	680126	749839	808437	920630
10	अन्य सेवाएँ	781802	801651	788798	821843	821445	940259	1051854
C	**योग (सेवा क्षेत्र)**	**5140420**	**5380078**	**5859043**	**6071189**	**6402525**	**6839157**	**7486276**
11	**योग स.रा.घ.मूल्य वर्धन (आधार मूल्य पर)**	**14842982**	**15556882**	**17255451**	**17530234**	**18393583**	**19955796**	**21264899**
12	उत्पादकर–उत्पाद अनुदान	964400	1040858	1002494	1057987	1313301	1409102	1521733
13	**स.रा.घ.उ. (बाजार मूल्य पर)**	**15807382**	**16597740**	**18257945**	**18588221**	**19706884**	**21364898**	**22786631**
14	जनसंख्या (हजार में)	25785	26201	26624	27053	27490	27933	28384
15	प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. (रु. में)	61305	63348	68577	68710	71687	76486	80280

प्रा.=प्रावधिक अनुमान, त्व.=त्वरित अनुमान, अ.=अग्रिम अनुमान

तालिका 3.10 छत्तीसगढ़ का निवल राज्य घरेलू उत्पाद- प्रचलित भाव पर
(लाख रूपये में)

क्र. सं.	उद्योग समुह	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16 (प्रा.)	2016-17 (त्व.)	2017-18 (अ.)
1.1	फसलें	1646143	1963201	2194237	2333827	2506162	3155153	3610348
1.2	पशुपालन	221527	249016	304221	340100	397165	472077	537102
1.3	वनोद्योग तथा लटठे बनाना	421532	497684	553321	726648	818705	877445	1033963
1.4	मछली उद्योग	207185	250029	289553	349190	388476	431792	466429
1.5	खनन तथा उत्खनन	1732435	1689652	1836289	2024369	1555313	1714670	1751227
A	**योग (प्राथमिक क्षेत्र)**	**4228822**	**4649583**	**5177621**	**5774134**	**5665820**	**6651137**	**7399069**
	कृषि (1.1+1.2+1.3+1.4)	**2496387**	**2959930**	**3341332**	**3749765**	**4110508**	**4936467**	**5647842**
2	विनिर्माण	2096873	2457605	3440532	3058680	3155251	3485507	3724730
3	विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति अन्य उपयोगिता	471685	634688	695984	761427	1009780	1096854	1153802
4	निर्माण	1811676	1819654	2143948	2392533	2407349	2687356	2951332
B	**योग (द्वितीयक क्षेत्र)**	**4380235**	**4911947**	**6280464**	**6212640**	**6572379**	**7269717**	**7829864**
	उद्योग (B+1.5)	**6112670**	**6601599**	**8116753**	**8237009**	**8127692**	**8984387**	**9581092**
5	व्यापार, होटल एवं जलपानगृह	868351	1022444	1195215	1276126	1383468	1548389	1825299
6	परिवहन, संग्रहण एवं संचार	489851	577283	635604	717727	812963	912923	1047247
6.1	रेलवे	101630	118355	124514	132108	143279	155300	167755
6.2	परिवहन (रेलवें के अतिरिक्त)	240528	282193	306448	336224	370345	403333	455653
6.3	भण्डारण	8723	10121	11948	12911	13668	15340	17323
6.4	संचार एवं प्रसारण सेवा से संबंधित	138970	166614	192693	236072	285671	338949	406516
7	वित्तीय सेवा	529208	598550	669637	709819	842661	932738	1035390
8	स्थावर संपदा आवासगृहों को स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाएँ	1609432	1747425	2032613	2191490	2345319	2506626	2679273
9	लोक प्रशासन	423898	475364	613867	696822	820257	915457	1059195
10	अन्य सेवाएँ	733146	822746	859324	950387	1015720	1228226	1421560
C	**योग (सेवा क्षेत्र)**	**4653886**	**5243812**	**6006260**	**6542371**	**7220387**	**8044359**	**9067965**
11	**योग नि.रा.घ.मूल्य वर्धन (आधार मूल्य पर)**	**13262943**	**14805341**	**17464345**	**18529145**	**19458587**	**21965212**	**24296898**
12	उत्पादकर–उत्पाद अनुदान	964400	1137800	1140607	1205047	1440691	1572558	1826387
13	**नि.रा.घ.उ. (बाजार मूल्य पर)**	**14227343**	**15943141**	**18604952**	**19734192**	**20899278**	**23537770**	**26123285**
14	जनसंख्या (हजार में)	25785	26201	26624	27053	27490	27933	28384
15	प्रति व्यक्ति नि.रा.घ.उ. (रु. में)	55177	60849	69880	72946	76025	84265	92035

प्रा.=प्रावधिक अनुमान, त्व.=त्वरित अनुमान, अ.=अग्रिम अनुमान

तालिका 3.11 छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद का गत वर्ष से प्रतिशत वृद्धि- प्रचलित भाव पर

क्र.सं.	उद्योग समुह	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16 (प्रा.)	2016-17 (त्व.)	2017-18 (अ.)
1.1	फसलें	19.06	12.35	6.92	7.61	24.83	14.43
1.2	पशुपालन	12.50	21.92	11.84	16.47	18.25	13.58
1.3	वनोद्योग तथा लटठे बनाना	18.09	11.19	31.14	12.64	7.04	17.69
1.4	मछली उद्योग	19.96	14.92	19.10	10.84	12.79	8.02
1.5	खनन तथा उत्खनन	-2.40	11.51	11.21	-21.80	11.15	3.07
A	**योग (प्राथमिक क्षेत्र)**	**9.62**	**12.54**	**11.83**	**-2.06**	**17.20**	**11.15**
	कृषि (1.1+1.2+1.3+1.4)	**18.43**	**13.16**	**12.20**	**9.60**	**19.75**	**14.31**
2	विनिर्माण	15.72	35.21	-8.27	3.24	6.14	7.69
3	विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति अन्य उपयोगिता	36.72	8.35	11.78	28.30	10.48	9.03
4	निर्माण	1.02	17.66	12.47	0.53	11.80	9.77
B	**योग (द्वितीयक क्षेत्र)**	**13.14**	**24.74**	**1.28**	**6.37**	**8.88**	**8.67**
	उद्योग (B+1.5)	**8.78**	**21.41**	**3.57**	**-0.63**	**9.32**	**7.56**
5	व्यापार, होटल एवं जलपानगृह	18.08	17.04	7.22	8.52	11.69	17.88
6	परिवहन, संग्रहण एवं संचार	17.07	14.60	11.52	11.89	12.35	14.74
6.1	रेलवे	15.56	6.89	7.06	9.72	8.39	8.02
6.2	परिवहन (रेलवे के अतिरिक्त)	16.82	11.00	8.93	9.42	8.91	12.97
6.3	भण्डारण	14.72	19.99	9.35	6.35	12.24	12.93
6.4	संचार एवं प्रसारण सेवा से संबंधित	18.68	25.53	18.01	16.61	18.65	19.93
7	वित्तीय सेवा	13.32	11.75	6.20	18.77	10.69	11.01
8	स्थावर संपदा आवासगृहों को स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाएँ	9.37	16.04	8.02	6.75	6.88	6.89
9	लोक प्रशासन	11.28	27.83	12.56	17.71	11.61	15.70
10	अन्य सेवाएँ	11.94	4.53	10.24	6.81	20.92	15.74
C	**योग (सेवा क्षेत्र)**	**12.83**	**15.12**	**8.93**	**10.23**	**11.35**	**12.79**
11	**योग स.रा.घ.मूल्य वर्धन (आधार मूल्य पर)**	**11.93**	**17.63**	**6.99**	**5.12**	**12.16**	**10.90**
12	उत्पादकर–उत्पाद अनुदान	17.98	0.25	5.65	19.55	9.15	16.14
13	**स.रा.घ.उ. (बाजार मूल्य पर)**	**12.30**	**16.52**	**6.92**	**5.91**	**11.98**	**11.22**
14	जनसंख्या (हजार में)	26201	26624	27053	27490	27933	28384
15	प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. (रु.में)	10.51	14.67	5.22	4.23	10.20	9.45

प्रा.=प्रावधिक अनुमान त्व.=त्वरित अनुमान, अ.=अग्रिम अनुमान

तालिका 3.12 छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद का गत वर्ष से प्रतिशत वृद्धि- स्थिर भावों (2011-12) पर

क्र. सं.	उद्योग समुह	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16 (प्रा.)	2016-17 (त्व.)	2017-18 (अ.)
1.1	फसलें	6.98	3.06	3.19	-2.08	18.65	2.37
1.2	पशुपालन	4.97	4.86	-1.71	2.57	8.64	8.03
1.3	वनोद्योग तथा लटठे बनाना	5.40	-4.63	25.15	0.60	0.26	0.94
1.4	मछली उद्योग	1.97	11.48	10.25	8.91	10.12	5.46
1.5	खनन तथा उत्खनन	-2.39	7.76	1.80	-4.79	10.38	5.19
A	**योग (प्राथमिक क्षेत्र)**	**2.52**	**4.74**	**4.63**	**-2.06**	**12.44**	**3.78**
	कृषि (1.1+1.2+1.3+1.4)	**6.12**	**2.71**	**6.63**	**-0.22**	**13.78**	**2.89**
2	विनिर्माण	9.25	34.91	-7.68	13.13	6.43	6.36
3	विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति अन्य उपयोगिता	34.65	9.55	9.86	25.54	10.93	8.34
4	निर्माण	-6.01	-1.50	0.20	-5.04	5.32	3.24
B	**योग (द्वितीयक क्षेत्र)**	**7.07**	**18.38**	**-2.64**	**10.27**	**7.11**	**6.04**
	उद्योग (B+1.5)	**4.42**	**15.59**	**-1.55**	**6.46**	**7.85**	**5.84**
5	व्यापार, होटल एवं जलपानगृह	9.55	10.55	2.20	2.19	7.54	15.05
6	परिवहन, संग्रहण एवं संचार	11.49	11.69	10.02	11.82	11.05	13.60
6.1	रेलवे	10.24	4.04	-0.12	4.86	7.38	7.06
6.2	परिवहन (रेलवे के अतिरिक्त)	10.81	8.82	9.85	10.50	8.33	12.50
6.3	भण्डारण	8.81	14.51	7.30	6.65	8.59	9.47
6.4	संचार एवं प्रसारण सेवा से संबंधित	13.68	21.44	16.43	17.42	16.31	17.82
7	वित्तीय सेवा	11.83	9.34	5.16	15.74	6.92	7.00
8	स्थावर संपदा आवासगृहों को स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाएँ	-0.77	8.81	1.51	1.73	0.82	1.90
9	लोक प्रशासन	2.47	17.47	2.85	10.25	7.81	13.88
10	अन्य सेवाएँ	2.54	-1.60	4.19	-0.05	14.46	11.87
C	**योग (सेवा क्षेत्र)**	**4.66**	**8.90**	**3.62**	**5.46**	**6.82**	**9.46**
11	**योग स.रा.घ.मूल्य वर्धन (आधार मूल्य पर)**	**4.81**	**10.92**	**1.59**	**4.92**	**8.49**	**6.56**
12	उत्पादकर–उत्पाद अनुदान	7.93	-3.69	5.54	24.13	7.29	7.99
13	**स.रा.घ.उ. (बाजार मूल्य पर)**	**5.00**	**10.00**	**1.81**	**6.02**	**8.41**	**6.65**
14	जनसंख्या (हजार में)	26201	26624	27053	27490	27933	28384
15	प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. (रु.में)	3.33	8.25	0.19	4.33	6.69	4.96

प्रा.=प्रावधिक अनुमान, त्व.=त्वरित अनुमान, अ.=अग्रिम अनुमान

तालिका 3.13 छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत वितरण-प्रचलित भाव पर

क्र. सं.	उद्योग समुह	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16 (प्रा.)	2016-17 (त्व.)	2017-18 (अ.)
1.1	फसलें	12.12	12.89	12.31	12.30	12.59	14.01	14.46
1.2	पशुपालन	1.53	1.54	1.59	1.66	1.84	1.94	1.99
1.3	वनोद्योग तथा लटठे बनाना	2.87	3.03	2.86	3.51	3.76	3.59	3.81
1.4	मछली उद्योग	1.58	1.70	1.66	1.84	1.94	1.95	1.90
1.5	खनन तथा उत्खनन	13.27	11.58	10.97	11.40	8.48	8.41	7.81
A	योग (प्राथमिक क्षेत्र)	**31.37**	**30.72**	**29.39**	**30.72**	**28.62**	**29.91**	**29.97**
	कृषि(1.1+1.2+1.3+1.4)	**18.10**	**19.15**	**18.42**	**19.32**	**20.14**	**21.50**	**22.161**
2	विनिर्माण	16.41	16.96	19.50	16.72	16.42	15.54	15.09
3	विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति अन्य उपयोगिता	4.78	5.84	5.38	5.62	6.86	6.76	6.65
4	निर्माण	12.81	11.56	11.56	12.16	11.63	11.59	11.47
B	योग (द्वितीयक क्षेत्र)	**34.00**	**34.37**	**36.44**	**34.50**	**34.90**	**33.88**	**33.20**
	उद्योग(B+1.5)	**47.27**	**45.94**	**47.42**	**45.90**	**43.39**	**42.29**	**41.01**
5	व्यापार, होटल एवं जलपानगृह	6.28	6.63	6.60	6.61	6.82	6.79	7.22
6	परिवहन, संग्रहण एवं संचार	3.93	4.11	4.01	4.18	4.45	4.45	4.61
6.1	रेलवे	0.82	0.85	0.77	0.77	0.80	0.78	0.76
6.2	परिवहन (रेलवे के अतिरिक्त)	1.90	1.98	1.87	1.90	1.98	1.92	1.96
6.3	भण्डारण	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08
6.4	संचार एवं प्रसारण सेवा से संबंधित	1.15	1.22	1.30	1.43	1.59	1.68	1.82
7	वित्तीय सेवा	3.62	3.67	3.48	3.46	3.91	3.86	3.86
8	स्थावर संपदा आवासगृहों को स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाएँ	11.83	11.55	11.40	11.51	11.69	11.14	10.73
9	लोक प्रशासन	3.70	3.68	4.00	4.21	4.71	4.69	4.89
10	अन्य सेवाएँ	5.27	5.27	4.68	4.82	4.90	5.28	5.51
C	**योग (सेवा क्षेत्र)**	**34.63**	**34.91**	**34.17**	**34.78**	**36.47**	**36.21**	**36.82**
11	**योग स.रा.घ.मूल्य वर्धन (आधार मूल्य पर)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

प्रा.=प्रावधिक अनुमान, त्व.=त्वरित अनुमान, अ.=अग्रिम अनुमान

तालिका 3.14 छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत वितरण-स्थिर भावों (2011-12) पर

क्र. सं.	उद्योग समुह	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16 (प्रा.)	2016-17 (त्व.)	2017-18 (अ.)
1.1	फसलें	12.12	12.37	11.49	11.67	10.89	11.91	11.44
1.2	पशुपालन	1.53	1.53	1.45	1.40	1.37	1.37	1.39
1.3	वनोद्योग तथा लटठे बनाना	2.87	2.89	2.48	3.06	2.93	2.71	2.57
1.4	मछली उद्योग	1.58	1.54	1.55	1.68	1.74	1.77	1.75
1.5	खनन तथा उत्खनन	13.27	12.36	12.01	12.03	10.92	11.11	10.97
A	**योग (प्राथमिक क्षेत्र)**	**31.37**	**30.68**	**28.98**	**29.84**	**27.85**	**28.87**	**28.11**
	कृषि (1.1+1.2+1.3+1.4)	**18.10**	**18.32**	**16.97**	**17.81**	**16.93**	**17.76**	**17.15**
2	विनिर्माण	16.41	17.10	20.80	18.90	20.38	19.99	19.95
3	विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति अन्य उपयोगिता	4.78	6.15	6.07	6.56	7.85	8.03	8.16
4	निर्माण	12.81	11.49	10.20	10.06	9.11	8.84	8.56
B	**योग (द्वितीयक क्षेत्र)**	**34.00**	**34.73**	**37.07**	**35.53**	**37.34**	**36.86**	**36.68**
	उद्योग (B+1.5)	**47.27**	**47.09**	**49.08**	**47.56**	**48.26**	**47.97**	**47.65**
5	व्यापार, होटल एवं जलपानगृह	6.28	6.57	6.55	6.58	6.41	6.36	6.86
6	परिवहन, संग्रहण एवं संचार	3.93	4.18	4.21	4.56	4.86	4.98	5.30
6.1	रेलवे	0.82	0.86	0.81	0.79	0.79	0.79	0.79
6.2	परिवहन (रेलवे के अतिरिक्त)	1.90	2.01	1.97	2.13	2.24	2.24	2.36
6.3	भण्डारण	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08
6.4	संचार एवं प्रसारण सेवा से संबंधित	1.15	1.24	1.36	1.56	1.75	1.87	2.07
7	वित्तीय सेवा	3.62	3.87	3.81	3.94	4.35	4.29	4.31
8	स्थावर संपदा आवासगृहों को स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाएँ	11.83	11.20	10.98	10.97	10.64	9.89	9.46
9	लोक प्रशासन	3.70	3.62	3.83	3.88	4.08	4.05	4.33
10	अन्य सेवाएँ	5.27	5.15	4.57	4.69	4.47	4.71	4.95
C	**योग (सेवा क्षेत्र)**	**34.63**	**34.58**	**33.95**	**34.63**	**34.81**	**34.27**	**35.20**
11	**योग स.रा.घ.मूल्य वर्धन (आधार मूल्य पर)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

प्रा.=प्रावधिक अनुमान, त्व.=त्वरित अनुमान, अ.=अग्रिम अनुमान,

मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली

4

अध्याय

4. मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली

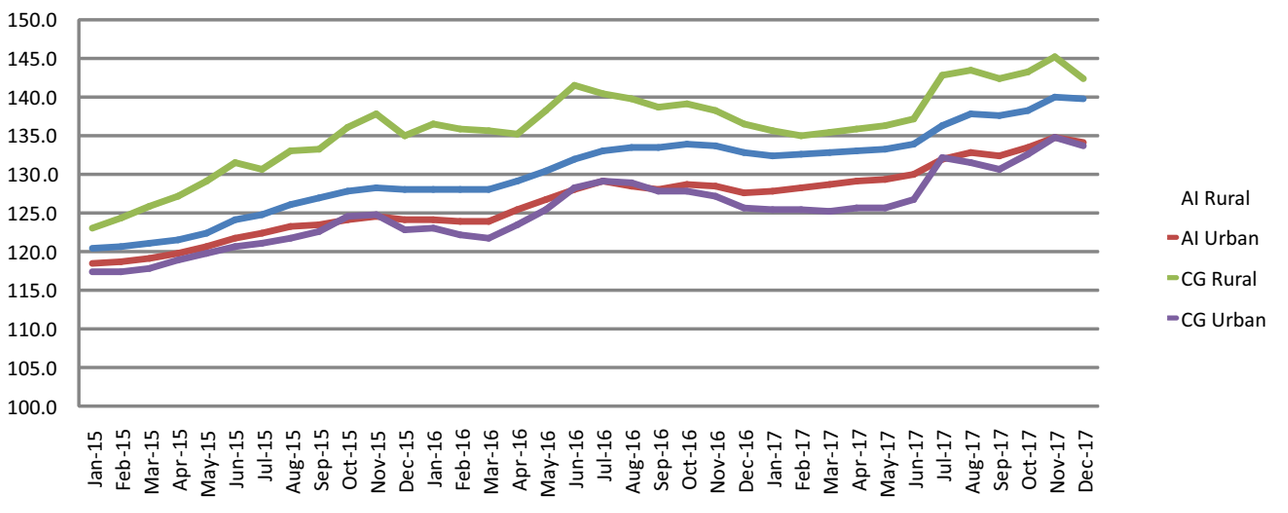
मुख्य बिन्दु

- छततीसगढ़ उपभोक्ता मूल्य सूचकॉक (CPI) दिसंबर-17 में दिसम्बर-16 की स्थिति से ग्रामीण, नगरीय, संयुक्त क्षेत्र में क्रमशः 4.4, 6.4 एवं 5.1 प्रतिशत वृद्धि हुई है।
- भारत के कृषि श्रमिक एवं ग्रामीण श्रमिक के लिए औसत मूल्य सूचकांक (CPI-AL) तथा (CPI-RL) जनवरी से दिसम्बर-17 का औसत क्रमशः 883 एवं 889 था जो कि गत् वर्ष इसी अवधि की तुलना में क्रमशः 2.25 एवं 2. 33 प्रतिशत अधिक है।
- उपभोक्ता मूल्य सूचकॉक (औद्योगिक श्रमिक) नवम्बर-16 में निवम्बर-17 की स्थिति से सम्पूर्ण भारत एवं छत्तीसगढ़ के भिलाई केन्द्र में क्रमशः 2.35 एवं 1.28 प्रतिशत औसत वार्षिक वृद्धि हुई है।
- थोक मूल्य सूचकॉक दिसंबर-17 में दिसम्बर-16 की स्थिति में 3.6 प्रतिशत वृद्धि हुई है।
- वर्ष 2017-18 में धान (सामान्य) एवं धान (ग्रेड-ए) के समर्थन मूल्य क्रमशः 1550 एवं 1590 भारत सरकार द्वारा घोषित।
- वर्तमान में 5775008 परिवारों को राशन कार्ड जारी किए गए हैं।
- शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में वर्तमान में उचित मूल्य की दुकाने क्रमशः 1256 तथा 11042 संचालित है।

4.1 मूल्य :- आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में परिवर्तन का समाज के प्रत्येक वर्ग पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। विक्रेता के दृष्टिकोण से, एक प्रभावी क़ीमत वह मूल्य है जो उस अधिकतम के बहुत निकट है, जितना ग्राहक भुगतान करने के लिए तैयार हैं। आर्थिक संदर्भ में, यह वही मूल्य है जो उपभोक्ता के अधिकांश अधिशेष को निर्माता को अंतरित करता है। अर्थव्यवस्था में उपभोग व्यय के समूह में शामिल प्रतिनिधि वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन का अनुमान लगाने हेतु मूल्य सूचकांक एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह आर्थिक योजना की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण सूचकांक है। जहां उपभोक्ता मूल्य सूचकांक खुदरा विक्रेता के परिप्रेक्ष्य में व्यक्तिगत आधार पर उत्पन्न वास्तविक मुद्रा स्फीति को दर्शाता है। वहीं थोक मूल्य सूचकांक थोक मूल्यों में परिवर्तन को दर्शाने वाला प्राथमिक मापक है।

4.1.1 भारत में मूल्य स्थिति :- केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारत सरकार द्वारा प्रत्येक माह सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदशों के ग्रामीण, नगरीय एवं संयुक्त क्षेत्रों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2012) जारी किया जाता है। छत्तीसगढ़ का औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दिसम्बर 2016 में 136.4, 125.7 एवं 132.3 क्रमशः ग्रामीण, नगरीय एवं संयुक्त क्षेत्र के लिए था जो दिसम्बर 2017 में 142.4, 133.7 एवं 139.0 क्रमशः ग्रामीण, नगरीय एवं संयुक्त क्षेत्र के लिए हो गया। दिसम्बर 2016 के लिए भारत की सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 132.8, 127.6 एवं 130.4 क्रमशः ग्रामीण, नगरीय एवं संयुक्त क्षेत्र के लिए था जो दिसम्बर 2017 में 139.8, 134.1 एवं 137.2 क्रमशः ग्रामीण, नगरीय एवं संयुक्त क्षेत्र के लिए हो गया। इस अवधि में, बिंदु से बिंदु आधार पर वार्षिक मुद्रास्फीति दर क्रमशः ग्रामीण, नगरीय एवं संयुक्त क्षेत्र के लिए जहां छ.ग. में वार्षिक औसत 1.16, 2.58 एवं 1.66 रही, वहीं भारत में 5.32, 3.31 एवं 3.33 थी। अतः वर्ष 2016 की स्थिति में छ.ग. में ग्रामीण क्षेत्र में सूचकांक का स्तर भारत के स्तर से अधिक था एवं नगरीय क्षेत्र में कम था, जबकि परवर्ती एक वर्ष मे भी मुद्रास्फीति दर कम हि रहा, फलस्वरुप दिसंबर 2017 की स्थिति में छ.ग. एवं भारत के सूचकांक का अंतर लगभग पूर्व वर्ष जैसा ही रहा। (विस्तृत विवरण – परिशिष्ठ 4.1, 4.2 एवं 4.3)

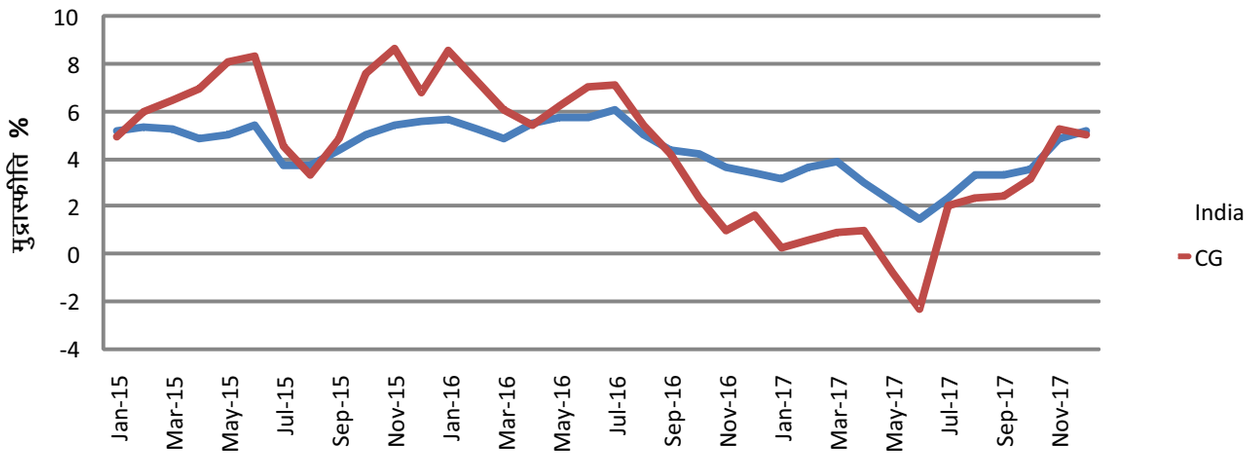
CPI of India and CG- Rural and Urban



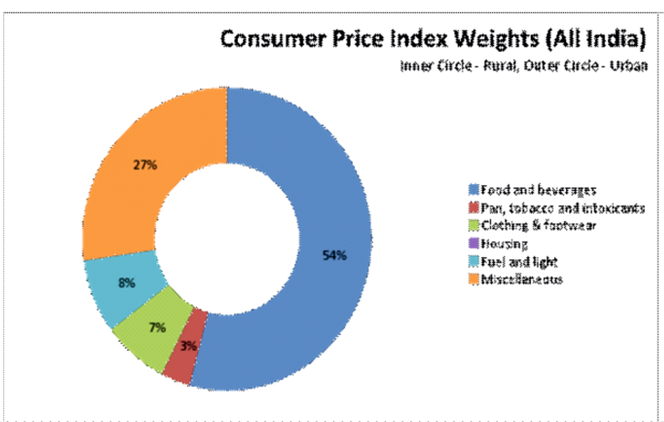
तालिका 4.1 उपभोक्ता मूल्य सूचकॉक

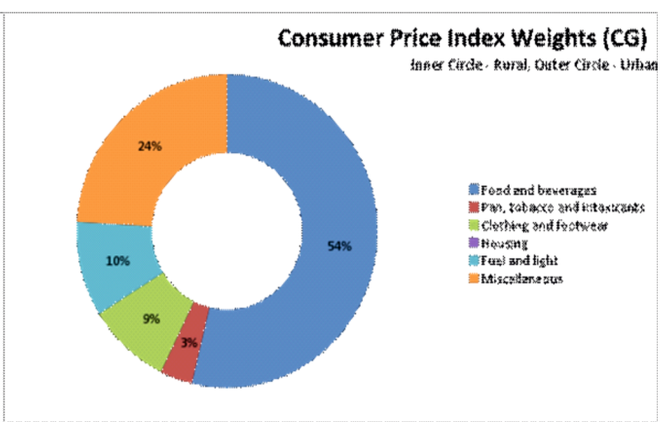
भारत / राज्य	दिसंबर–2016			दिसंबर –2017			वार्षिक वृद्धि (%)		
	ग्रामीण	नगरीय	संयुक्त	ग्रामीण	नगरीय	संयुक्त	ग्रामीण	नगरीय	संयुक्त
भारत	132.8	127.6	130.4	139.8	134.1	137.2	5.3	5.1	5.2
छ.ग.	136.4	125.7	132.3	142.4	133.7	139.0	4.4	6.4	5.1

मुद्रास्फीति – भारत एवं छत्तीसगढ़ (सीएसओ)

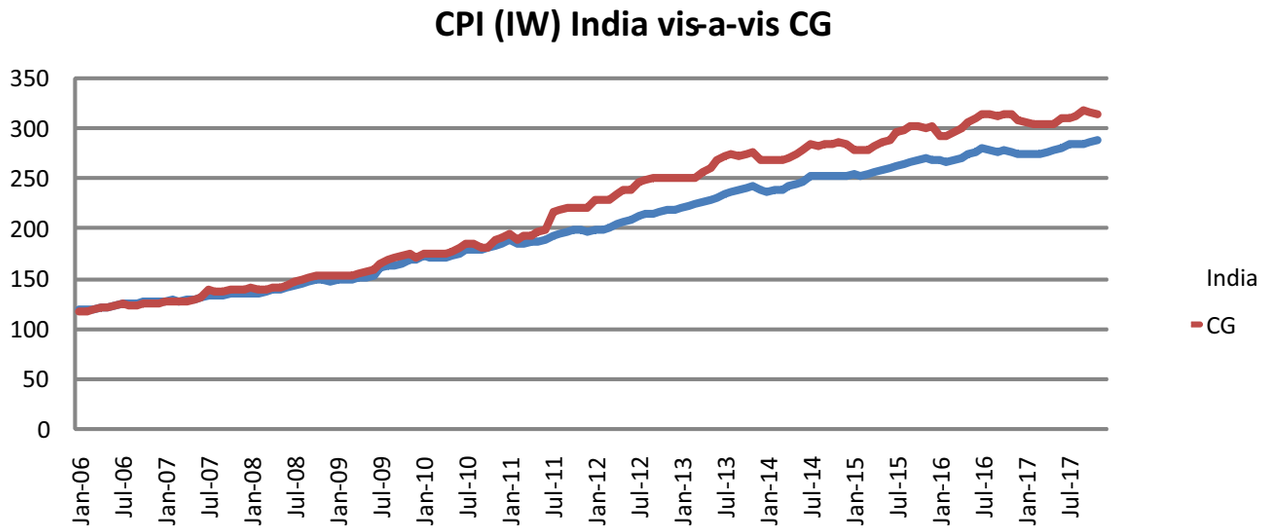


4.1.2 :- श्रम ब्यूरो, भारत सरकार तीन प्रकार के मासिक सूचकांक–कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-AL), ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-RL) एवं औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) तैयार करता है। (CPI-AL) एवं (CPI-RL) का उपयोग ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण एवं पुनरीक्षण हेतु किया जाता है। परिशिष्ट 4.3 में CPI-AL एवं CPI-RL की श्रृंखला दर्शाई गई है। भारत के कृषि श्रमिकों के लिए औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-AL) का जनवरी से दिसंबर 2017 तक का औसत 883 रहा, जो कि गत् वर्ष की तुलना में 2.25 प्रतिशत अधिक है। इसी प्रकार भारत के ग्रामीण श्रमिक के लिए औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-RL) 889 है जो गत् वर्ष की तुलना में 2.33 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है। परिशिष्ट 4.4 में विस्तृत जानकारी दर्शित है।



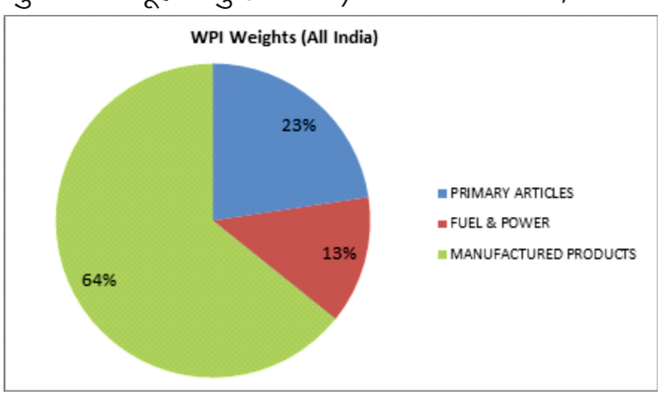


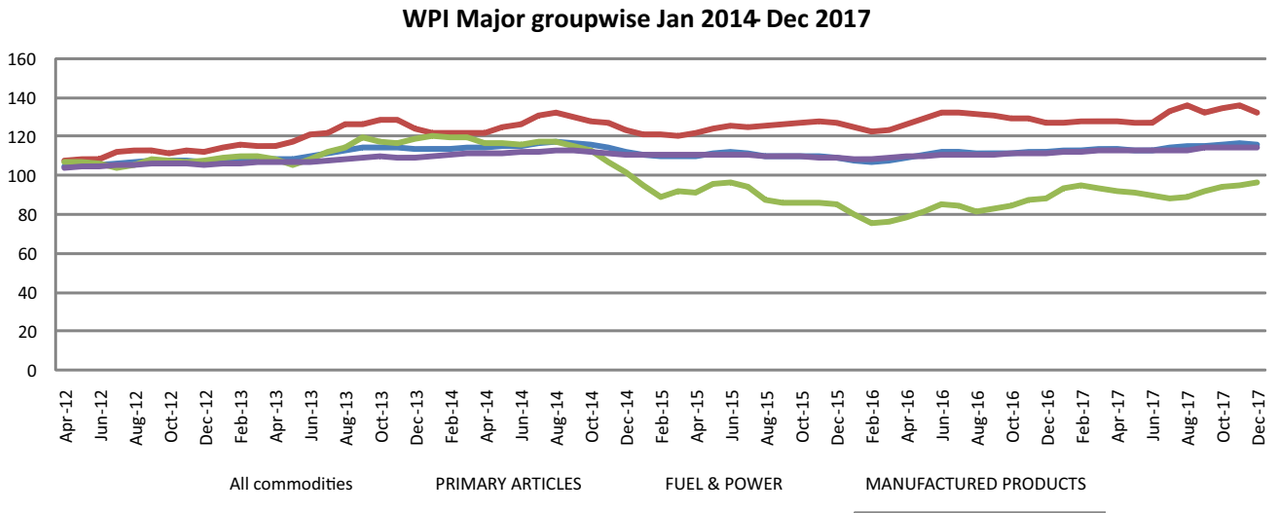
4.1.3 :- श्रम ब्यूरो द्वारा जारी (CPI-IW) मुख्यतः सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के महंगाई भत्ता, संगठित क्षेत्र की न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण एवं पुनरीक्षण हेतु प्रयोग किया जाता है। यह औद्योगिक रूप से विकसित 78 चुने हुए केंद्रों में आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के खुदरा मूल्य पर आधारित है। भारत के लिएजनवरी से दिसंबर 2016 तक का औसत CPI-IW 274.3 था जो जनवरी से नवम्बर 2017 तक के लिए बढ़कर 280.7 हो गया एवं भिलाई केंद्र में 302.9 था जो जनवरी से नवम्बर 2017 में बढ़कर 309.5 हो गया यह पिछले वर्ष के संबंधित अवधि की तुलना में भारत में जनवरी से नवम्बर तक के लिए 2.35 प्रतिशत एवं भिलाई केंद्र में 1.28 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है। (विस्तृत विवरण परिशिष्ट –4.5)



4.1.4 थोक मूल्य सूचकांक :- भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा थोक मूल्य सूचकांक (नवीन आधार वर्ष 2011–12) तैयार किया जाता है, जो शासन की व्यापार, राजकोषीय एवं अन्य आर्थिक नीतियों के निर्माण एवं पुनरीक्षण में प्रमुख निर्धारक है।

सभी वस्तुओं के लिए थोक मूल्य सूचकांक जो माह दिसम्बर 2016 में 109.4 एवं माह दिसम्बर 2016 में 111.7 था वह माह दिसम्बर 2017 में 115.7 हो गया है। जोकि दिस.16 से दिस.17 की अवधि में बिन्दु से बिन्दु मुदास्फीति में 1.04 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इसी अवधि (दिस.15 से दिस.16) में 1.02 प्रतिशत की वृद्धि थी। यद्यपि (दिस.16 से दिस.17) अवधि में प्राथमिक वस्तुओं के समूह में मुदास्फीति) 1.04 प्रतिशत थी, तथापि ईंधन एवं ऊर्जा समूह के लिए (1.09 प्रतिशत एवं विनिर्माण उत्पाद के लिए) 1.03 प्रतिशत मुद्रास्फीति होने के फलस्वरूप सभी वस्तुओं के लिए थोक मूल्य सूचकांक में) 1.04 प्रतिशत की तेजी परिलक्षित हो रही है। क्षेत्रवार थोक मूल्य सूचकांक निम्नांकित चार्ट में दर्शाया गया है। (विस्तृत विवरण परिशिष्ट 4.6)





उपर्युक्त दिए गए परिच्छेद से यह दृष्टिगत होता है कि दिसंबर 2015 की तुलना में दिसंबर 2016 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में 3.33 प्रतिशत की वृद्धि हुई है एवं थोक मूल्य सूचकांक में 1.04 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। समान अवधि में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि व थोक मूल्य सूचकांक (WPI) दोनों में वृद्धि होने के कारण को इस प्रकार समझा जा सकता है–

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक खपत योग्य आवश्यक वस्तु व सेवाओं पर केंद्रित होता है एवं थोक मूल्य सूचकांक देश के अर्थव्यवस्था में सभी महत्वपूर्ण वस्तुओं पर केंद्रित होता है। नवीन आधार वर्ष 2011–12 के अनुसारथोक मूल्य सूचकांक में तीन क्षेत्र शामिल है यथा, प्राथमिक वस्तु समूह (वेटेज 22.6), ईंधन–ऊर्जा समूह (वेटेज 13.2), एवं विनिर्मित वस्तु समूह (वेटेज 64.2)। साधारणतः प्राथमिक वस्तु समूह के अंतर्गत खाद्य अनाज (वेटेज 3.46) के थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लगभग समानता दर्शाता है। इसलिए सम्पूर्ण थोक मूल्य सूचकांक में 1.04 प्रतिशत वृद्धि एवं इसके अंतर्गत खाद्य वस्तुओं के समूह के थोक मूल्य सूचकांक में (–) 10.60 प्रतिशत कमी के कारण भी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में) 3.33 प्रतिशत वृद्धि असंभव नहीं है।

परिशिष्ट 4.1

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निमार्ण-सीएसओ (आधार वर्ष 2012) - भारत

माह	खाद्य एवं पेय			मदक द्रव्य			कपड़े एवं जूते			भवन नि.		इंधन एवं प्रकाश			विविध			सामान्य सूची		
	ग्रा.	श.	सभी	ग्रा.	श.	सभी	ग्रा.	श.	सभी	श.	सभी	ग्रा.	श.	सभी	ग्रा.	श.	सभी .	ग्रा.	श.	सभी.
Jan-15	122.8	123.5	123.1	122.7	127.4	124.0	124.0	120.2	122.5	117.3	117.3	118.4	113.4	116.5	114.5	113.4	114.0	120.3	118.5	119.5
Feb-15	122.8	123.7	123.1	124.2	128.1	125.2	125.0	120.6	123.3	118.1	118.1	120.0	114.0	117.7	115.0	113.2	114.1	120.6	118.7	119.7
Mar-15	123.1	123.9	123.4	124.7	128.8	125.8	125.5	120.9	123.7	118.6	118.6	120.6	114.4	118.3	115.5	113.8	114.7	121.1	119.1	120.2
Apr-15	123.6	124.6	124.0	125.7	130.1	126.9	126.0	121.3	124.1	119.2	119.2	121.2	114.7	118.7	116.0	114.2	115.1	121.5	119.7	120.7
May-15	124.4	126.1	125.0	126.7	131.3	127.9	126.8	121.6	124.7	119.6	119.6	121.9	114.9	119.2	116.9	115.2	116.1	122.4	120.7	121.6
Jun-15	126.6	128.5	127.3	128.2	132.1	129.2	128.0	122.3	125.7	119.0	119.0	122.6	115.1	119.8	117.9	116.0	117.0	124.1	121.7	123
Jul-15	127.5	129.5	128.2	129.4	133.1	130.4	128.3	122.7	126.1	119.9	119.9	123.0	115.3	120.1	118.1	116.3	117.2	124.7	122.4	123.6
Aug-15	129.8	131.1	130.3	130.1	134.2	131.2	129.0	122.9	126.6	120.9	120.9	123.8	115.3	120.6	118.2	116.2	117.2	126.1	123.2	124.8
Sep-15	131.0	131.5	131.2	131.0	134.7	132.0	129.9	123.2	127.2	121.6	121.6	123.7	115.1	120.4	118.8	116.2	117.5	127	123.5	125.4
Oct-15	131.8	132.6	132.1	131.5	135.3	132.5	130.6	123.6	127.8	122.4	122.4	124.4	114.9	120.8	119.2	116.5	117.9	127.7	124.2	126.1
Nov-15	132.4	133.3	132.7	132.2	137.6	133.6	131.5	124.2	128.6	122.9	122.9	125.6	115.1	121.6	119.6	116.6	118.1	128.3	124.6	126.6
Dec-15	131.4	131.5	131.4	133.1	138.2	134.5	131.9	124.5	129.0	122.4	122.4	125.7	116.0	122.0	119.8	116.7	118.3	127.9	124	126.1
Jan-16	131.4	131.2	131.3	133.6	139.5	135.2	132.6	124.9	129.5	123.4	123.4	126.2	116.9	122.7	120.1	116.8	118.5	128.1	124.2	126.3
Feb-16	130.3	129.1	129.9	134.4	140.0	135.9	133.4	125.3	130.2	124.4	124.4	127.5	116.0	123.1	120.9	117.2	119.1	127.9	123.8	126
Mar-16	130.4	128.9	129.8	135.0	140.6	136.5	133.8	125.5	130.5	124.9	124.9	127.0	114.8	122.4	121.1	117.3	119.3	128	123.8	126
Apr-16	131.8	131.8	131.8	135.5	141.5	137.1	134.4	125.8	131.0	125.6	125.6	127.0	114.6	122.3	121.7	118.2	120.0	129	125.3	127.3
May-16	133.6	134.6	134.0	136.0	142.2	137.7	134.8	126.2	131.4	126.0	126.0	127.4	115.0	122.7	122.5	118.7	120.7	130.3	126.6	128.6
Jun-16	136.0	138.2	136.8	137.2	142.7	138.7	135.6	126.6	132.0	125.5	125.5	128.0	115.5	123.3	123.3	119.6	121.5	131.9	128.1	130.1
Jul-16	137.6	139.8	138.4	138.0	142.9	139.3	136.5	126.9	132.7	126.4	126.4	128.2	115.5	123.4	123.8	119.9	121.9	133	129	131.1
Aug-16	138.0	137.6	137.9	138.9	143.6	140.2	137.1	127.3	133.2	127.3	127.3	129.1	114.7	123.6	124.2	119.9	122.1	133.5	128.4	131.1
Sep-16	137.2	135.7	136.6	139.9	143.9	141.0	137.8	127.7	133.8	127.9	127.9	129.7	114.8	124.1	124.9	120.5	122.8	133.4	128	130.9
Oct-16	137.4	136.3	137.0	140.9	144.3	141.8	138.8	128.0	134.5	128.7	128.7	129.8	115.2	124.3	125.7	120.9	123.4	133.8	128.6	131.4
Nov-16	136.6	135.2	136.1	141.2	144.3	142.0	139.2	128.5	135.0	129.1	129.1	130.3	116.2	125.0	126.1	121.3	123.8	133.6	128.5	131.2
Dec-16	134.7	132.8	134.0	142.4	145.0	143.1	139.7	128.8	135.4	128.5	128.5	132.0	117.8	126.6	126.3	121.4	123.9	132.8	127.6	130.4
Jan-17	133.7	132.0	133.1	143.1	145.6	143.8	140.0	129.0	135.6	129.6	129.6	132.1	118.0	126.8	126.6	122.1	124.4	132.4	127.8	130.3
Feb-17	133.6	132.1	133.0	143.7	146.3	144.4	140.2	129.3	135.9	130.5	130.5	133.2	119.2	127.9	127.0	122.4	124.8	132.6	128.2	130.6
Mar-17	133.4	132.6	133.1	144.2	147.5	145.1	140.8	129.6	136.4	131.1	131.1	134.2	120.8	129.1	127.4	122.6	125.1	132.8	128.7	130.9
Apr-17	133.5	133.4	133.5	144.4	148.0	145.4	141.6	130.0	137.0	131.7	131.7	135.0	121.4	129.8	127.5	122.5	125.1	132.9	129.1	131.1
May-17	133.8	133.6	133.7	145.5	148.3	146.2	141.8	130.2	137.2	132.1	132.1	135.0	120.1	129.4	127.9	122.6	125.3	133.3	129.3	131.4
Jun-17	134.9	135.7	135.2	145.8	148.6	146.5	142.3	130.2	137.5	131.4	131.4	134.8	119.0	128.8	128.1	122.7	125.5	133.9	129.9	132
Jul-17	138.5	139.8	139.0	147.4	150.5	148.2	143.5	130.4	138.3	132.6	132.6	135.3	119.7	129.4	128.6	123.0	125.9	136.2	131.8	134.2
Aug-17	140.6	140.5	140.6	149.0	152.1	149.8	144.5	131.4	139.3	134.4	134.4	136.4	118.9	129.8	129.7	123.8	126.8	137.8	132.7	135.4
Sep-17	139.6	138.0	139.0	149.8	153.6	150.8	145.2	132.0	140.0	135.7	135.7	137.4	120.6	131.0	130.3	124.5	127.5	137.6	132.4	135.2
Oct-17	140.4	139.7	140.1	150.5	154.6	151.6	146.2	132.6	140.8	137.3	137.3	138.1	122.6	132.2	130.7	124.5	127.7	138.3	133.5	136.1
Nov-17	142.5	141.5	142.1	151.9	156.2	153.0	147.1	133.5	141.7	138.6	138.6	140.5	125.7	134.9	131.5	124.9	128.3	140	134.8	137.6
Dec-17	141.5	138.8	140.5	153.2	157.0	154.2	147.1	134.0	141.9	139.1	139.1	142.6	126.8	136.6	131.8	125.1	128.6	139.8	134.1	137.2

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निमार्ण-सीएसओ (आधार वर्ष 2012) - भारत

माह	खाद्य एवं पेय			मदक द्रव्य			कपड़े एवं जूते			भवन नि.		ईंधन एवं प्रकाश			विविध			सामान्य सूची		
	ग्रा.	श.	सभी	ग्रा.	श.	सभी	ग्रा.	श.	सभी	श.	सभी	ग्रा.	श.	सभी	ग्रा.	श.	सभी .	ग्रा.	श.	सभी.
Jan-15	125.7	120.4	124.1	125.0	125.7	125.2	125.5	126.1	125.7	118.9	118.9	120.1	121.6	120.5	117.2	108.5	113.5	123.1	117.3	120.9
Feb-15	125.2	120.2	123.7	130.2	125.5	128.9	129.4	127.0	128.6	119.4	119.4	127.2	123.2	126.0	118.4	108.0	113.9	124.3	117.3	121.6
Mar-15	127.0	120.1	125.0	130.5	125.6	129.1	130.9	128.7	130.2	119.9	119.9	129.1	123.0	127.3	119.6	108.8	115.0	125.9	117.7	122.7
Apr-15	127.8	121.9	126.1	131.2	127.4	130.1	131.3	130.4	131.0	120.2	120.2	132.3	123.4	129.7	121.0	109.5	116.1	127.1	118.8	123.9
May-15	129.4	123.4	127.6	133.6	127.1	131.8	135.9	131.2	134.4	120.8	120.8	132.8	123.1	130.0	123.7	110.3	117.9	129.1	119.7	125.5
Jun-15	132.6	125.2	130.4	133.3	127.0	131.5	137.2	131.2	135.2	120.3	120.3	135.7	125.7	132.8	125.1	110.9	119.0	131.5	120.6	127.3
Jul-15	132.3	126.4	130.6	134.4	129.1	132.9	135.1	131.1	133.8	120.7	120.7	130.9	125.4	129.3	124.5	110.9	118.7	130.6	121.1	126.9
Aug-15	134.3	128.1	132.5	135.4	130.5	134.0	138.5	132.3	136.5	121.5	121.5	135.7	125.3	132.7	126.1	110.3	119.3	132.9	121.8	128.6
Sep-15	134.3	129.0	132.7	135.0	129.9	133.6	139.5	132.9	137.3	122.4	122.4	139.1	125.7	135.2	126.3	110.7	119.6	133.3	122.5	129.1
Oct-15	137.7	134.1	136.6	133.6	130.9	132.8	141.6	134.3	139.2	122.5	122.5	143.8	126.0	138.6	127.4	111.3	120.5	136.0	124.6	131.6
Nov-15	140.1	134.4	138.4	134.1	130.9	133.2	144.5	134.8	141.3	123.2	123.2	144.7	125.5	139.1	127.7	111.1	120.6	137.7	124.8	132.7
Dec-15	136.1	128.7	133.9	135.6	130.0	134.0	143.5	135.5	140.9	123.3	123.3	139.9	125.9	135.8	126.7	110.9	119.9	134.9	122.8	130.2
Jan-16	138.7	128.3	135.6	137.7	130.5	135.7	143.8	136.2	141.3	124.2	124.2	138.8	126.9	135.4	127.2	111.4	120.4	136.4	123.1	131.3
Feb-16	137.6	124.7	133.8	137.9	131.4	136.1	142.0	137.2	140.4	124.9	124.9	140.5	125.3	136.1	127.2	111.9	120.6	135.8	122.1	130.5
Mar-16	136.7	122.4	132.5	138.9	131.7	136.9	142.3	137.7	140.8	126.2	126.2	138.3	125.1	134.5	128.9	112.0	121.6	135.6	121.6	130.2
Apr-16	137.3	126.3	134.0	139.8	132.2	137.7	141.1	137.7	140.0	127.0	127.0	132.3	124.3	130.0	128.3	113.0	121.7	135.1	123.4	130.6
May-16	141.3	129.4	137.8	139.7	133.3	137.9	144.0	137.9	142.0	128.1	128.1	135.9	124.9	132.7	130.4	114.5	123.6	138.3	125.3	133.3
Jun-16	145.7	136.5	143.0	142.1	132.9	139.5	143.4	137.8	141.6	128.1	128.1	141.7	128.1	137.8	130.8	115.3	124.1	141.4	128.2	136.3
Jul-16	144.0	137.5	142.1	143.3	132.2	140.2	144.5	139.2	142.8	129.2	129.2	138.7	130.2	136.2	130.7	115.6	124.2	140.3	129.1	136.0
Aug-16	142.2	136.9	140.6	142.9	132.4	140.0	145.4	139.8	143.6	129.7	129.7	142.6	129.7	138.9	130.6	115.4	124.1	139.8	128.9	135.6
Sep-16	139.5	133.0	137.6	143.7	130.7	140.1	146.1	141.6	144.6	130.3	130.3	143.2	128.8	139.0	131.6	115.8	124.8	138.7	127.8	134.5
Oct-16	139.8	131.9	137.5	145.7	130.7	141.5	147.6	142.9	146.1	130.6	130.6	140.9	128.8	137.4	132.5	116.6	125.7	139.1	127.8	134.7
Nov-16	137.6	129.4	135.2	146.9	130.2	142.2	147.2	143.5	146.0	131.1	131.1	144.4	129.7	140.1	133.1	117.0	126.2	138.3	127.2	134.0
Dec-16	134.1	125.3	131.5	146.1	130.0	141.6	146.8	143.8	145.8	130.7	130.7	144.2	130.5	140.2	133.1	116.8	126.1	136.4	125.7	132.3
Jan-17	132.5	123.5	129.8	147.7	130.1	142.8	146.8	144.1	145.9	131.1	131.1	142.6	131.5	139.4	133.3	117.7	126.6	135.5	125.5	131.6
Feb-17	131.9	122.6	129.1	148.8	130.3	143.6	146.2	144.3	145.6	131.4	131.4	141.4	133.2	139.0	133.1	117.9	126.6	135.0	125.4	131.3
Mar-17	131.4	121.1	128.3	150.0	130.2	144.5	147.3	144.6	146.4	132.2	132.2	143.5	135.3	141.1	133.8	117.8	126.9	135.3	125.1	131.4
Apr-17	132.0	123.1	129.4	147.1	129.9	142.3	149.4	145.0	147.9	132.4	132.4	146.0	134.9	142.8	133.5	117.2	126.5	135.8	125.7	131.9
May-17	132.9	123.6	130.1	147.1	129.5	142.2	149.6	145.3	148.2	132.9	132.9	144.5	131.6	140.8	133.9	117.1	126.7	136.3	125.7	132.2
Jun-17	133.7	126.5	131.6	149.6	128.2	143.6	149.9	146.0	148.6	132.8	132.8	148.7	129.5	143.1	133.9	117.2	126.7	137.2	126.7	133.1
Jul-17	144.4	141.0	143.4	149.7	130.2	144.3	149.4	146.6	148.5	134.1	134.1	148.6	129.5	143.1	133.6	116.8	126.4	142.8	132.1	138.7
Aug-17	144.1	136.7	141.9	154.3	132.3	148.2	152.1	147.4	150.6	135.5	135.5	148.3	132.3	143.7	135.1	117.8	127.7	143.4	131.4	138.8
Sep-17	140.7	130.6	137.7	156.5	134.6	150.4	155.0	149.0	153.0	137.6	137.6	151.5	136.2	147.1	136.0	119.3	128.8	142.4	130.5	137.8
Oct-17	140.6	134.3	138.7	154.8	136.1	149.6	157.3	152.7	155.8	138.8	138.8	156.1	137.5	150.7	136.3	119.8	129.2	143.1	132.6	139.0
Nov-17	142.6	137.3	141.0	153.6	137.7	149.2	157.5	153.5	156.2	142.2	142.2	158.0	140.7	153.0	137.3	120.6	130.1	145.1	134.8	141.1
Dec-17	138.0	131.1	136.0	158.9	141.8	154.1	156.3	154.0	155.5	144.9	144.9	159.7	142.6	154.7	137.9	121.7	130.9	142.4	133.7	139.0

परिशिष्ट 4.3

मुद्रास्फीति भारत एवं छत्तीसगढ़-सीपीआई के अनु. (सीएसओ) संयुक्त

वर्ष	माह	खाद्य एवं पेय		मदक द्रव्य		कपड़े एवं जूते		भवन नि. (श.)		ईधन एवं प्रकाश		विविध		सामान्य सूची	
		भारत	छ.ग.	भारत	छ.ग.	भारत	छ.ग.	भारत	छ.ग.	भारत	छ.ग.	भारत	छ.ग.	भारत	छ.ग.
2015	जनवरी	6.30	5.53	8.3	5.83	6.15	7.34	5.11	6.45	3.83	3.26	3.07	2.9	5.19	4.95
2015	फरवरी	6.76	6.09	9.15	8.87	6.38	9.45	4.98	6.42	4.72	9.19	2.89	3.17	5.37	6.02
2015	मार्च	6.29	6.93	9.2	8.67	6.27	9.78	4.77	5.55	5.16	10.22	3.05	3.7	5.25	6.51
2015	अप्रेल	5.44	7.23	9.4	8.96	6.07	9.17	4.65	5.72	5.51	11.71	3.23	4.31	4.87	6.99
2015	मई	5.13	8.04	9.5	10.66	6.04	11.81	4.64	5.5	5.96	11.68	3.85	5.93	5.01	8.1
2015	जून	5.73	8.04	9.68	8.23	6.26	12.11	4.48	5.07	5.83	14.48	4.19	6.73	5.4	8.34
2015	जुलाई	2.81	1.71	9.76	8.14	5.88	9.76	4.44	5.05	5.44	12.93	3.44	5.42	3.69	4.53
2015	अगस्त	2.92	-1.27	9.42	8.06	5.85	12.25	4.68	5.1	5.79	13.61	3.08	5.48	3.74	3.29
2015	सितंबर	4.29	1.76	9.27	9.24	5.91	11.9	4.74	5.15	5.34	13.71	3.34	5.65	4.41	4.87
2015	अक्टूबर	5.34	6.72	9.41	7.18	5.62	12.35	4.88	4.7	5.32	16.67	3.51	5.7	5	7.6
2015	नवंबर	6.08	8.72	9.42	6.3	5.76	13.68	4.95	4.5	5.28	15.05	3.78	6.63	5.41	8.68
2015	दिसंबर	6.31	5.6	9.35	7.89	5.74	12.99	5.06	4.05	5.45	12.14	3.95	6.11	5.61	6.81
2016	जनवरी	6.66	9.27	9.03	8.39	5.71	12.41	5.2	4.46	5.32	12.37	3.95	6.08	5.69	8.6
2016	फरवरी	5.52	8.16	8.55	5.59	5.6	9.18	5.33	4.61	4.59	8.02	4.38	5.88	5.26	7.32
2016	मार्च	5.19	6	8.51	6.04	5.5	8.14	5.31	5.25	3.47	5.66	4.01	5.74	4.83	6.11
2016	अप्रेल	6.29	6.26	8.04	5.84	5.56	6.87	5.37	5.66	3.03	0.23	4.26	4.82	5.47	5.41
2016	मई	7.2	7.99	7.66	4.63	5.37	5.65	5.35	6.04	2.94	2.08	3.96	4.83	5.76	6.22
2016	जून	7.46	9.66	7.35	6.08	5.01	4.73	5.46	6.48	2.92	3.77	3.85	4.29	5.77	7.07
2016	जुलाई	7.96	8.81	6.83	5.49	5.23	6.73	5.42	7.04	2.75	5.34	4.01	4.63	6.07	7.17
2016	अगस्त	5.83	6.11	6.86	4.48	5.21	5.2	5.29	6.75	2.49	4.67	4.18	4.02	5.05	5.44
2016	सितंबर	4.12	3.69	6.82	4.87	5.19	5.32	5.18	6.45	3.07	2.81	4.51	4.35	4.39	4.18
2016	अक्टूबर	3.71	0.66	7.02	6.55	5.24	4.96	5.15	6.61	2.9	-0.87	4.66	4.32	4.2	2.36
2016	नवंबर	2.56	-2.31	6.29	6.76	4.98	3.33	5.04	6.41	2.8	0.72	4.83	4.64	3.63	0.98
2016	दिसंबर	1.98	-1.79	6.39	5.67	4.96	3.48	4.98	6	3.77	3.24	4.73	5.17	3.41	1.61
2017	जन.	1.37	-4.28	6.36	5.23	4.71	3.26	5.02	5.56	3.34	2.95	4.98	5.15	3.17	0.23
2017	फर	2.39	-3.51	6.25	5.51	4.38	3.7	4.9	5.2	3.9	2.13	4.79	4.98	3.65	0.61
2017	मार्च	2.54	-3.17	6.3	5.55	4.52	3.98	4.96	4.75	5.47	4.91	4.86	4.36	3.89	0.92
2017	अप्रेल	1.29	-3.43	6.05	3.34	4.58	5.64	4.86	4.25	6.13	9.85	4.25	3.94	2.99	1
2017	मई	-0.22	-5.59	6.17	3.12	4.41	4.37	4.84	3.75	5.46	6.1	3.81	2.51	2.18	-0.83
2017	जून	-1.17	-7.97	5.62	2.94	4.17	4.94	4.7	3.67	4.46	3.85	3.29	2.1	1.46	-2.35
2017	जुलाई	0.43	0.91	6.39	2.92	4.22	3.99	4.91	3.79	4.86	5.07	3.28	1.77	2.36	1.99
2017	अगस्त	1.96	0.92	6.85	5.86	4.58	4.87	5.58	4.47	5.02	3.46	3.85	2.9	3.28	2.36
2017	सित.	1.76	0.07	6.95	7.35	4.63	5.81	6.1	5.6	5.56	5.83	3.83	3.21	3.28	2.45
2017	अक्टू.	2.26	0.87	6.91	5.72	4.68	6.64	6.68	6.28	6.36	9.68	3.48	2.78	3.58	3.19
2017	नवं.	4.41	4.29	7.75	4.92	4.96	6.99	7.36	8.47	7.92	9.21	3.63	3.09	4.88	5.3
2017	दिस.	4.85	3.42	7.76	8.83	4.8	6.65	8.25	10.86	7.9	10.34	3.79	3.81	5.21	5.06

परिशिष्ट 4.4

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कृषि श्रमिक एवं ग्रामीण श्रमिक

माह	सीपीआई–एल	सीपीआई–आरएल
जन.–15	804	808
फर.–15	803	806
मार्च–15	803	807
अप्रेल–15	805	809
मई–15	811	816
जून–15	820	824
जुलाई–15	822	827
अगस्त–15	832	836
सित.–15	839	843
अक्टू–15	849	853
नवं–15	853	857
दिस.–15	853	857
जन.–16	849	854
फर.–16	843	849
मार्च–16	843	848
अप्रेल–16	848	854
मई–16	860	866
जून–16	869	874
जुलाई–16	877	881
अगस्त–16	876	881
सित.–16	873	877
अक्टू–16	876	881
नवं–16	878	883
दिस.–16	876	881
जन.–17	870	876
फर.–17	869	874
मार्च–17	866	872
अप्रेल–17	870	876
मई–17	872	878
जून–17	877	884
जुलाई–17	884	890
अगस्त–17	894	900
सित.–17	893	899
अक्टू–17	901	907
नवं–17	905	910
दिस.–17	900	906

परिशिष्ट 4.5

औद्योगिक श्रमिक की बिन्दु से बिन्दुवार मुद्रास्फीति दर (आधार वर्ष 2001=100), अखिल भारत

वर्ष	जन.	फर.	मार्च	अप्रे.	मई	जून	जुला.	अग.	सित.	अक्टू.	नवं.	दिस.	औसत
2008	5.51	5.47	7.87	7.81	7.75	7.69	8.33	9.02	9.77	10.45	10.45	9.70	8.32
2009	10.45	9.63	8.03	8.70	8.63	9.29	11.89	11.72	11.64	11.49	13.51	14.97	10.83
2010	16.22	14.86	14.86	13.33	13.91	13.73	11.25	9.88	9.82	9.70	8.33	9.47	12.11
2011	9.30	8.82	8.82	9.41	8.72	8.62	8.43	8.99	10.06	9.39	9.34	6.49	8.87
2012	5.32	7.57	8.65	10.22	10.16	10.05	9.84	10.31	9.14	9.60	9.55	11.17	9.30
2013	11.62	12.06	11.44	10.24	10.68	11.06	10.85	10.75	10.70	11.06	11.47	9.13	10.92
2014	7.24	6.73	6.70	7.08	7.02	6.49	7.23	6.75	6.30	4.98	4.12	5.86	6.38
2015	7.17	6.30	6.28	5.79	5.74	6.10	4.37	4.35	5.14	6.32	6.72	6.32	5.88
2016	5.91	5.53	5.51	5.86	6.59	6.13	6.46	5.3	4.14	3.35	2.59	2.23	4.99
2017	1.86	2.62	2.61	2.21	1.09	1.08	1.79	2.52	2.89	3.24	3.97	NA	2.35

छत्तीसगढ़: सीपीआई (औद्योगिक श्रमिक) आधार वर्ष 2001=100, केन्द्र भिलाई (छत्तीसगढ़)

वर्ष	जन.	फर.	मार्च	अप्रे.	मई	जून	जुला.	अग.	सित.	अक्टू.	नवं.	दिस.	औसत
2007	125	125	125	125	128	129	137	136	136	137	138	137	131.5
2008	140	139	139	140	141	142	146	147	150	151	152	151	144.8
2009	151	151	151	154	156	158	164	168	170	172	173	171	161.6
2010	174	174	175	175	176	179	183	183	181	181	187	190	179.8
2011	194	189	192	193	196	198	216	218	221	221	220	219	206.4
2012	228	228	229	235	237	239	246	249	250	250	250	250	240.9
2013	251	251	251	257	261	269	272	274	272	275	276	269	264.8
2014	267	268	268	270	274	277	284	282	284	284	285	284	277.3
2015	279	277	278	283	287	288	296	298	302	302	301	302	291.1
2016	293	292	297	301	306	310	313	313	312	313	313	308	302.9
2017	307	303	304	304	305	310	311	312	318	316	315	NA	309.5

औद्योगिक श्रमिक की बिन्दु से बिन्दुवार मुद्रास्फीति दर की विकास दर (आधार वर्ष 2001=100) भिलाई (छत्तीसगढ़)

वर्ष	जन.	फर.	मार्च	अप्रे.	मई	जून	जुला.	अग.	सित.	अक्टू.	नवं.	दिस.	औसत
2007	6.84	7.76	5.93	5.04	6.67	4.88	10.48	11.48	11.48	10.48	11.29	10.48	8.57
2008	12.00	11.20	11.20	12.00	10.16	10.08	6.57	8.09	10.29	10.22	10.14	10.22	10.18
2009	7.86	8.63	8.63	10.00	10.64	11.27	12.33	14.29	13.33	13.91	13.82	13.25	11.50
2010	15.23	15.23	15.89	13.64	12.82	13.29	11.59	8.93	6.47	5.23	8.09	11.11	11.46
2011	11.49	8.62	9.71	10.29	11.36	10.61	18.03	19.13	22.10	22.10	17.65	15.26	14.70
2012	17.53	20.63	19.27	21.76	20.92	20.71	13.89	14.22	13.12	13.12	13.64	14.16	16.91
2013	10.09	10.09	9.61	9.36	10.13	12.55	10.57	10.04	8.80	10.00	10.40	7.60	9.94
2014	6.37	6.77	6.77	5.06	4.98	2.97	4.41	2.92	4.41	3.27	3.26	5.58	4.73
2015	4.49	3.36	3.73	4.81	4.74	3.97	4.23	5.67	6.34	6.34	5.61	6.34	4.97
2016	5.42	6.83	6.36	6.62	7.64	5.74	5.03	3.31	3.64	3.99	1.99	5.09	5.02
2017	4.78	3.77	2.36	1.00	-0.33	0.00	-0.64	-0.32	1.92	0.96	0.64	NA	1.28

परिशिष्ट 4.6

थोक विक्रय मूल्य (आधार वर्ष 2011-12)

Month	सभी वस्तुएं	I प्रारंभिक वस्तुएं	II ईधन एवं ऊर्जा	III उत्पादित वस्तुएं
	100.0	**22.6**	**13.2**	**64.2**
जन.—14	113.6	121.2	119.9	109.5
फर.—14	113.6	121.1	118.9	109.9
मार्च—14	114.3	121.4	119.3	110.7
अप्रेल—14	114.1	121.5	116.5	111
मई—14	114.8	124	116.2	111.3
जून—14	115.2	125.7	115.1	111.5
जुलाई—14	116.7	130.1	117.1	111.8
अगस्त—14	117.2	131.5	116.6	112.3
सित.—14	116.4	129.4	114.9	112.2
अक्टू—14	115.6	127.3	112.6	112.1
नवं—14	114.1	126.5	106.6	111.3
दिस.—14	112.1	123.1	101.3	110.5
जन.—15	110.8	120.8	94.5	110.6
फर.—15	109.6	120.7	88.5	110.1
मार्च—15	109.9	120.1	92	110
अप्रेल—15	110.2	121.5	91.3	110.1
मई—15	111.4	123.4	95.5	110.5
जून—15	111.8	124.9	96.4	110.3
जुलाई—15	111.1	124.3	93.8	109.9
अगस्त—15	110	125.4	87.6	109.2
सित.—15	109.9	125.9	85.7	109.2
अक्टू—15	110.1	126.4	85.6	109.4
नवं—15	109.9	127.1	85.5	108.8
दिस.—15	109.4	126.7	84.8	108.4
जन.—16	108	124.3	79.8	108
फर.—16	107.1	122.1	75.5	108.3
मार्च—16	107.7	123	76.5	108.8
अप्रेल—16	109	126.1	78.3	109.2
मई—16	110.4	128.8	81.3	109.8
जून—16	111.7	132	85.2	110
जुलाई—16	111.8	131.8	84.7	110.3
अगस्त—16	111.2	131.4	81.1	110.2
सित.—16	111.4	130.6	83.2	110.4
अक्टू—16	111.5	129.1	84.6	110.8
नवं—16	111.9	128.8	87.3	111
दिस.—16	111.7	126.8	88.4	111.1
जन.—17	112.6	126.7	93.1	111.6
फर.—17	113	127	94.5	111.8
मार्च—17	113.2	127.1	93.6	112.3
अप्रेल—17	113.2	127.4	91.7	112.6
मई—17	112.9	126.6	90.9	112.6
जून—17	112.7	126.5	89.6	112.6
जुलाई—17	113.9	132.6	88.4	112.6
अगस्त—17	114.8	135.3	89.1	112.8
सित.—17	114.9	131.5	91.9	113.7
अक्टू—17	115.6	133.9	93.8	113.7
नवं—17	116.3	135.6	95	113.9
दिस.—17	115.7	131.7	96.5	114

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करती है। यह रियायती दरों पर खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं जनसाधारण, विशेषतः समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को प्रदाय किया जाता है। इसके अतिरिक्त मूल्य स्थिरीकरण सुनिश्चित करने में भी उपयोगी है। राज्य में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न, शक्कर, केरोसिन आदि आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से नियत दरों पर उपलब्ध करायी जाती हैं। राज्य के सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्रियान्वयन नागरिक आपूर्ति निगम के 127 पीडीएस प्रदाय केन्द्र एवं 12,298 उचित मूल्य दुकानों के जरिए किया जा रहा है, जिसके माध्यम से प्रतिमाह 57.75 लाख राशन कार्ड धारियों को पात्रतानुसार राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है।

उचित मूल्य दुकान :- राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत नवंबर 2017 की स्थिति में शहरी क्षेत्र में 1256 एवं ग्रामीण क्षेत्र में 11042 कुल 12,298 उचित मूल्य दुकानें संचालित हैं। इनमें से सहकारी समितियों द्वारा 4,478 दुकान, ग्राम पंचायत द्वारा 4,188 दुकान, महिला स्व–सहायता समूह द्वारा 3,451 दुकान, वन सुरक्षा समितियों द्वारा 144 तथा नगरीय निकाय द्वारा 37 उचित मूल्य दुकान संचालित की जा रही है। विगत 02 वर्ष में राज्य शासन द्वारा 1216 नवीन पंचायतें गठित की गई तथा इनमें से सभी नवीन पंचायतों में नवीन राशन दुकान खोला गया। इन दुकानों में से बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 171 दुकानें खोली गई हैं जिससे इस क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा का दायरा पहले से अधिक मजबूत हुआ है। संचालन एजेंसीवार विवरण – तालिका पर दर्शित है।

2 छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 :-

प्रदेश के गरीब और जरूरतमंदों को भोजन का अधिकार सुनिश्चित करने तथा पात्रता अनुसार राशन सामग्री उपलब्ध कराने हेतु स्वयं का खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के लागू होने के पूर्व खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 राज्य में लागू किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के द्वारा राज्य की 78 प्रतिशत जनसंख्या अर्थात् 2 करोड़ लोगों को 5 किलो प्रति सदस्य के मान से खाद्यान्न की पात्रता निर्धारित की गई है जबकि राज्य के खाद्य सुरक्षा कानून के जरिए 82 प्रतिशत जनसंख्या अर्थात् 2.09 करोड़ लोगों को न्यूनतम 7 किलो प्रति सदस्य के मान से चावल वितरित किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत चावल की उपभोक्ता दर 3 रूपये प्रति किलो है, जबकि राज्य के खाद्य सुरक्षा कानून के जरिए अन्त्योदय एवं प्राथमिकता वाले 57.75 लाख परिवारों को 1 रूपये प्रति किलो की दर से चावल वितरित किया जा रहा है। राज्य के खाद्य सुरक्षा अधिनियम के मुख्य प्रावधान निम्नानुसार हैं –

तालिका कं. 4.2 योजनांतर्गत खाद्यान्न की पात्रता एवं दर

क	परिवार का प्रकार	खाद्य पदार्थ	मासिक पात्रता	उपभोक्ता दर
1	अन्त्योदय परिवार	चावल	35 किग्रा प्रतिमाह	रू. 1 प्रति किग्रा
		चना	2 किग्रा प्रति परिवार	रू. 5.00 प्रति किग्रा
		रिफाईन्ड आयोडाइज्ड नमक	अनुसूचित क्षेत्र में 2 किग्रा प्रति परिवार गैर अनुसूचित क्षेत्र में 1 किग्रा प्रति परिवार	निःशुल्क
2	प्राथमिकता परिवार	खाद्यान्न	7 किलोग्राम प्रति सदस्य, प्रतिमाह	रू. 1 प्रति किग्रा
		चना	2 किग्रा प्रति परिवार	रू. 5.00 प्रति किग्रा
		रिफाईन्ड आयोडाइज्ड नमक	अनुसूचित क्षेत्र में 2 किग्रा प्रति परिवार गैर अनुसूचित क्षेत्र में 1 किग्रा प्रति परिवार	**निःशुल्क**

टीप :-

- चने की पात्रता, राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में निवास करने वाले समस्त अन्त्योदय तथा प्राथमिकता वाले राशनकार्डधारी परिवारों को है।
- उपरोक्त सामग्री के अतिरिक्त अन्त्योदय एवं प्राथमिकता परिवारों को 1 किलो शक्कर की पात्रता है।
- अन्त्योदय एवं प्राथमिकता परिवार वाले राशनकार्डधारियों को केरोसिन की पात्रता है।

4.2.1 राशनकार्ड :- राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 57.75 लाख राशनकार्ड प्रचलित हैं। इनमें से 1473218 अन्त्योदय गुलाबी राशनकार्ड, 4225924 प्राथमिकता राशनकार्ड, 59498 एकल निराश्रित राशनकार्ड, 7686 अन्नपूर्णा गुलाबी राशनकार्ड तथा 8682 निःशक्तजन हरा राशनकार्ड कुल 5775008 राशनकार्ड प्रचलित हैं। इन राशनकार्डो में निर्धारित पात्रता अनुसार प्रतिमाह राशन सामग्री प्रदाय की जा रही है। योजनावार, जिलेवार जानकारी तालिका ... पर दर्शित है।

4.2.2 राशन सामग्री का आवंटन :- सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 में अप्रैल से अक्टूबर 2017 तक आबंटन एवं उठाव की जानकारी निम्नानुसार है :–

तालिका क्रमांक 4.3 सामग्रियों का वर्षवार उठाव (मात्रा टन में)

क्र	सामग्री	वर्ष					
		2015–16		2016–17		2017–18 (अक्टूबर)	
		आबंटन	उठाव	आबंटन	उठाव	आबंटन	उठाव
1	चावल	2250452	2188995	2122086	2045543	1185629	1158095
2	शक्कर	71339	70495	72555	68771	34693	31520
3	नमक	125247	72229	102645	96122	57032	53209
4	चना	33323	29629	60209	45978	27225	25976

4.3 कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य -

तालिका 4.4 समर्थन मूल्य रूपये प्रति क्विंटल

फसल / किस्म	विपणन वर्ष						
	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18
धान–सामान्य	1080	1250	1310	1360	1410	1470	1550
धान– ग्रेड–ए	1110	1280	1345	1400	1450	1510	1590
गेंहू	1170	1285	1350	1400	1450	1525	1625
ज्वार	980	980	1500	1530	1570	1625	1700
बाजरा	980	980	1250	1250	1275	1330	1425
मक्का	980	1175	1310	1310	1325	1365	1425
रागी	–	–	1500	1550	1650	1725	1900
अरहर	–	–	4300	4350	4625 (रू–200 बोनस सहित)	4625	5450 (रू–200 बोनस सहित)
उडद	3300	–	4300	4350	4625 (रू–200 बोनस सहित)	4575	5400 (रू–200 बोनस सहित)
मूंगफली	2700	–	4000	4000	4030	4120	4450
मूंग	3500	–	4500	4600	4850 (रू–200 बोनस सहित)	4800	5575 (रू–200 बोनस सहित)
सोयाबीन	1690	–	2560	2560	2600	2675	3050 (रू–200 बोनस सहित)
सूर्यमुखी	2800	–	–	–	3800	3850	4100 (रू–100 बोनस सहित)

न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि उपज एवं मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार के आर्थिक मामलों की केबिनेट समिति द्वारा घोषित किया जाता है। मूल्य घोषित करने के समय उत्पादन मूल्य के साथ–साथ समग्र मांग एवं पूर्ति, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कीमतें, अंतर उपजीय समता एवं अर्थव्यवस्था पर मूल्य नीति के संभावित प्रभाव एवं उत्पादन के साधनों यथा–भूमि एवं जल का युक्तिपूर्ण उपयोग को भी CACP द्वारा ध्यान में रखा जाता है।

यद्यपि CACP एक विशेषज्ञ निकाय है जिसकी अनुशंसाओं को शासन द्वारा यथावत स्वीकार किया जाता है। तथापि विशेष परिस्थितियों यथा–किसी उपज का अधिक उत्पादन एवं किसी अन्य उपज के कम उत्पादन को दृष्टिगत रखते हुए अन्य उपजों के उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने हेतु प्रोत्साहन स्वरूप शासन द्वारा बोनस की दिया जाता है। वर्ष 2011–12 से 2017–18 तक खरीफ एवं रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का विवरण तालिका क्र. 4.4 में दर्शित है।

राज्य में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्रदान किए जाने हेतु भारत शासन द्वारा घोषित मूल्य पर धान का उपार्जन किया जाता है। इसके साथ ही विभाग द्वारा उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण एवं संवर्धन किया जाता है। किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य प्रदान किए जाने हेतु राज्य की अधिकृत एजेंसी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा सहकारी समितियों के माध्यम से पंजीकृत किसानों से घोषित समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जाती है।

खरीफ वर्ष 2016.17 में राशि रू. 1031771 लाख मूल्य का 69.59 लाख टन धान समर्थन मूल्य पर उपार्जन किया गया था। खरीफ वर्ष 2017–18 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन का कार्य 15 नवंबर 2017 से 31 जनवरी 2018 तक किया जावेगा। इस वर्ष कॉमन धान हेतु राशि रूपए 1550 प्रति क्विंटल तथा ग्रेड–ए धान हेतु राशि रूपए 1590 प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य निर्धारित है।

6 धान खरीदी का कम्प्यूटरीकरण :- खरीफ वर्ष 2007–08 में विभाग द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की समूची व्यवस्था को कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया तथा प्रत्येक वर्ष धान खरीदी के अनुभव एवं आने वाली समस्याओं के निराकरण हेतु इसमें नियमित सुधार किया गया। वर्तमान वर्ष में भी राज्य के 1992 धान खरीदी केन्द्रों में राज्य के किसानों से कम्प्यूटर के माध्यम से धान खरीदी का कार्य किया जा रहा है।

वर्तमान खरीफ वर्ष 2017–18 में धान खरीदी व्यवस्था को बेहतर बनाने हेतु धान खरीदी केन्द्रों में धान विक्रय के लिए किसानों द्वारा स्वयं पंजीयन कराने की व्यवस्था की गई है। इस वर्ष कुल 15.78 लाख किसानों द्वारा समितियों के खरीदी केन्द्र में धान विक्रय हेतु अपना पंजीयन कराया गया है। कुल पंजीकृत किसान में से 14.79 लाख किसानों की आधार सीडिंग की गई है। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक समिति के अंतर्गत आने वाले किसानों के नाम, कुल भूमि रकबा, धान का अनुमानित उत्पादन एवं विक्रय हेतु अनुमानित धान की मात्रा आदि की जानकारी धान खरीदी प्रारंभ होने के पहले ही कम्प्यूटर के साफ्टवेयर में दर्ज कर ली गई है। खरीदी केन्द्रों में ऑनलाईन धान खरीदी का कार्य वर्ष 2012–13 से प्रारंभ किया गया है। इस वर्ष संचालित 1992 धान खरीदी केन्द्रों में से इंटरनेट कनेक्टिविटी की उपलब्धता के आधार पर ऑनलाईन धान खरीदी की व्यवस्था की गई। राज्य सरकार के इस प्रयास से धान खरीदी केन्द्रों में धान खरीदी की जानकारी तत्काल उपलब्ध हुई। आवश्यकतानुसार कुछ धान खरीदी केन्द्रों में मोटर साईकल रनर्स के जरिए प्रतिदिन धान खरीदी का डेटा वेबसाइट में अपलोड किया गया। अधिकांश किसानों को धान खरीदी का आनलाईन भुगतान

सीधे उनके बैंक खाते में एनईएफटी के माध्यम से किया गया है, जिससे उन्हें उनकी उपज का पूरा एवं तत्काल भुगतान प्राप्त हुआ।

7. **सार्वजनिक वितरण णाली में पारदर्शिता** :- राज्य शासन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन सामग्री के आबंटन एवं उचित मूल्य दुकानों को प्रदाय तथा हितग्राहियों को राशन सामग्री के वितरण में पारदर्शिता तथा प्रभावी नियंत्रण हेतु निम्नलिखित कार्यवाही की गई है :–

- **पीडीएस-ऑनलाईन व्यवस्था** :- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण का कार्य वर्ष 2007 में प्रारंभ किया गया एवं अब तक राज्य स्तर से लेकर छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन के प्रदाय केन्द्रों तक के समस्त क्रियाकलाप का कम्प्यूटरीकरण किया जा चुका है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण हेतु सभी जिला खाद्य कार्यालयों को इंटरनेट के माध्यम से राज्य मुख्यालय से जोड़ा गया है। राशन सामग्री के आबंटन हेतु राज्य की समस्त 12298 उचित मूल्य दुकानों का डेटाबेस तैयार किया गया एवं उनसे संलग्न राशन कार्डों के आधार पर जनवरी 2008 से कम्प्यूटर के माध्यम से खाद्य संचालनालय द्वारा दुकानवार राशन सामग्री का आबंटन जारी किया जा रहा है। राज्य में पीडीएस के अंतिम चरण में उचित मूल्य दुकानों का कम्प्यूटरीकरण एंड्रायड आधारित टेबलेट के माध्यम से किया जा रहा है। वर्तमान में 11898 उचित मूल्य दुकान एंड्रायड आधारित टेबलेट के माध्यम से कम्प्यूटरीकृत है। उचित मूल्य दुकान स्तर तक कम्प्यूटरीकरण से राशनकार्डधारियो को राशन सामग्री वितरण की जानकारी आनलाईन उपलब्ध है। इस व्यवस्था से सार्वजनिक वितरण प्रणाली अधिक सुदृढ़ एवं पारदर्शी होगी।
- **चावल उत्सव** :- राज्य शासन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन सामग्री के वितरण की नियमित निगरानी के लिए माह फरवरी 2008 से चावल उत्सव प्रारंभ किया गया है। चावल उत्सव के लिए जिन गांवों में उचित मूल्य दुकान संचालित हैं तथा जहां साप्ताहिक हाट बाजार भी लगता है, वहां प्रत्येक माह की 06 तारीख के बाद लगने वाले प्रथम हाट बाजार के दिन चावल उत्सव का आयोजन होता है, तथा शेष उचित मूल्य दुकानें जिन गांवों में संचालित हैं, वहां प्रत्येक माह की 07 तारीख को चावल उत्सव आयोजित हो रहा है। इस उत्सव के आयोजन से निर्धारित तिथि पर राशनकार्डधारी द्वारा राशन सामग्री प्राप्त की जा सकती है।
- **कॉल सेंटर :-** सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता तथा जनभागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से खाद्य विभाग द्वारा जनवरी 2008 से काल सेंटर संचालित किए जा रहा है। जिसका दूरभाष क्रमांक 1800–233–3663 (टोल फ्री) है। इसके माध्यम से कोई भी नागरिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं खाद्य विभाग द्वारा संचालित अन्य योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकता है तथा अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।

- **जनभागीदारी वेबसाईट** :- जनभागीदारी वेबसाईट (http://khadya.cg.nic.in/citizen/) राज्य शासन का एक नवीन प्रयोग है। कोई भी नागरिक इस वेबसाईट में अपना निःशुल्क पंजीयन करा सकता है। पंजीयन कराने के बाद नागरिकों को ई–मेल के माध्यम से खाद्य विभाग से संबंधित शिकायत एवं सुझाव भेजने की सुविधा उपलब्ध हो जावेगी। इस पंजीयन के बाद नागरिकों द्वारा एस.एम.एस. के माध्यम से राशन दुकान की जानकारी हेतु पंजीयन किया जा सकता है।

8 सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण हेतु नेशनल ई–गवर्नेंस अवार्ड, मंथन अवार्ड, ई–इंडिया अवार्ड, सी.एस.आई. ई–गवर्नेंस अवार्ड, सी.एस.आई. निहिलेंट ई–गवर्नेंस अवार्ड प्राप्त हो चुके हैं।

9. प्रधानमंत्री उज्जवला योजना :- महिलाओं के स्वास्थ्य और सम्मान के लिए यह योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस योजना से स्वच्छ ईंधन का उपयोग बढ़ेगा और पर्यावरण पर भी अनुकूल असर पड़ेगा। छत्तीसगढ़ राज्य ऐसा पहला राज्य है, जो भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री उज्जवला योजना हेतु जारी मार्गदर्शी सिद्धांत के कंडिका 6 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार योजना में भागीदार है। राज्य शासन द्वारा हितग्राही के 200 रूपये के अंशदान पर डबल बर्नर गैस चूल्हा तथा प्रथम रिफिल की सब्सिडी योजना के अंतर्गत वहन की जा रही है। जिसकी अनुमानित सब्सिडी लगभग 1500 रूपये प्रति हितग्राही है।

राज्य में इस योजना के अंतर्गत आगामी 2 वर्षों में 25 लाख पात्र परिवारों को गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में 10 लाख बीपीएल महिलाओं को गैस कनेक्शन जारी किया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में 15 लाख नये गैस कनेक्शन बीपीएल महिलाओं को जारी किए जाने का लक्ष्य है।

छत्तीसगढ राज्य पहला ऐसा राज्य है जहां दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रो में एलपीजी गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये 50 दुर्गम क्षेत्र वितरक के रूप में प्राथमिक कृषि साख समितियों को नियुक्त किया जा रहा है। इन समितियों द्वारा जनवरी 2018 तक दुर्गम क्षेत्र वितरक के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया जाएगा, इससे राज्य के नक्सल प्रभावित एवं दूरस्थ इलाके के हितग्राहियो को प्रधानमंत्री उज्जवला योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा तथा हितग्राहियों को गैस सिलेण्डर की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी।

तालिका 4.5 सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत संचालित उचित मूल्य दुकानों की एजेंसीवार संचालन की जानकारी

क्र.	जिले का नाम	एजेंसी का प्रकार					योग	शहरी उचित मूल्य दुकानों की संख्या	ग्रामीण उचित मूल्य दुकानों की संख्या
		सहकारी समिति	ग्राम पंचायत	महिला स्व–सहायता समूह	वन सुरक्षा समिति	नगरीय निकाय			
1	बस्तर	ग्राम पंचायत	192	125	5	2	**414**	48	366
2	बीजापुर	43	98	45	1	0	**187**	13	174
3	दन्तेवाड़ा	78	47	19	0	0	**144**	19	125
4	कांकेर	119	203	115	9	0	**446**	19	427
5	कोंडागांव	43	183	77	18	0	**321**	15	306
6	नरायणपुर	19	69	14	1	0	**103**	5	98
7	सुकमा	63	78	17	5	0	**163**	12	151
8	बिलासपुर	321	266	234	6	1	**828**	164	664
9	जांजगीर	226	139	316	0	0	**681**	45	636
10	कोरबा	97	197	150	6	0	**450**	60	390
11	मुंगेली	59	171	134	2	0	**366**	14	352
12	रायगढ़	45	451	330	10	0	**836**	68	768
13	बालोद	165	176	84	17	0	**442**	21	421
14	बेमेतरा	161	73	176	0	0	**410**	21	389
15	दुर्ग	266	68	209	0	1	**544**	247	297
16	कवर्धा	190	81	205	2	1	**479**	18	461
17	राजनांदगावं	367	172	319	5	0	**863**	65	798
18	बलौदाबाजार	401	83	154	0	0	**638**	28	610
19	धमतरी	262	73	49	0	8	**392**	33	359
20	गरियाबंद	302	36	2	0	0	**340**	7	333
21	महासमुंद	481	90	6	0	0	**577**	31	546
22	रायपुर	433	104	33	0	11	**581**	172	409
23	बलरामपुर	43	234	123	20	0	**420**	5	415
24	जशपुर	4	411	3	13	11	**442**	13	429
25	कोरिया	39	165	137	7	1	**349**	59	290
26	सरगुजा	82	113	239	11	0	**445**	42	403
27	सुरजपुर	79	215	136	6	1	**437**	12	425
	कुल योग	**4478**	**4188**	**3451**	**144**	**37**	**12298**	**1256**	**11042**

तालिका 4.6 सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रचलित राशनकार्डो की जानकारी

क्र	जिला	अंत्योदय गुलाबी राशनकार्ड	एकल निराश्रित राशनकार्ड	अन्नपूर्णा गुलाबी राशनकार्ड	प्राथमिकता नीला राशनकार्ड	निःशक्तजन हरा राशनकार्ड	योग
1	बस्तर	48753	1077	244	131103	14	181191
2	बीजापुर	24585	17	241	35561	39	60443
3	दन्तेवाड़ा	30368	145	139	39584	621	70857
4	कांकेर	36292	511	136	117519	204	154662
5	कोंडागांव	34174	587	125	91422	10	126318
6	नरायणपुर	16763	119	221	13066	5	30174
7	सुकमा	33770	96	102	37139	9	71116
8	बिलासपुर	122001	7068	470	352989	636	483164
9	जांजगीर	91759	6774	353	338630	1203	438719
10	कोरबा	56979	3370	287	184444	33	245113
11	मुंगेली	50897	1749	177	138521	167	191511
12	रायगढ़	101830	5143	616	262643	201	370433
13	बालोद	30705	1301	217	126333	777	159333
14	बेमेतरा	42503	4873	440	145461	284	193561
15	दुर्ग	72644	2765	318	222931	1053	299711
16	कवर्धा	64872	1314	149	152777	51	219163
17	राजनांदगावं	73654	1231	375	223905	222	299387
18	बलौदाबाजार	59296	4031	236	254924	497	318984
19	धमतरी	45264	1032	312	116273	199	163080
20	गरियाबंद	48201	1681	212	113372	282	163748
21	महासमुंद	56263	3706	336	224423	1116	285844
22	रायपुर	61802	4566	353	262722	695	330138
23	बलरामपुर	54574	1323	331	113111	32	169371
24	जशपुर	55663	1260	172	139406	67	196568
25	कोरिया	40441	788	226	96920	53	138428
26	सरगुजा	65065	1404	602	153660	127	220858
27	सुरजपुर	54100	1567	296	137085	85	193133
कुल योग		**1473218**	**59498**	**7686**	**4225924**	**8682**	**5775008**

लोक वित्त

5

अध्याय

5 लोक वित्त

मुख्य बिन्दु :

- बजट का उद्देश्य ऐसे आर्थिक वातावरण का निर्माण करना होता है जिसमें सामाजिक एवं आर्थिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए संसाधन उपलब्ध हो सके।
- वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुल राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 5.27 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है।
- वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुल कर राजस्व में 6.61 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है, यह वृद्धि पिछले वर्ष 26.69 प्रतिशत रही।
- वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का योगदान 67.01 प्रतिशत अनुमानित है।
- गैर कर राजस्व में प्रमुख योगदान केन्द्रीय सरकार से प्राप्त सहायता अनुदानों का है।
- वर्ष 2017–18 में कुल गैर कर राजस्व रू. 21805.20 करोड़ है, जिसमें केन्द्रीय सरकार से रू. 14101.00 करोड़ प्राप्त होना अनुमानित है।
- वर्ष 2017–18 में राजस्व प्राप्ति रू. 66093.80 करोड़ एवं राजस्व व्यय रू. 61312.83 करोड़ अनुमानित है। इस प्रकार राजस्व अधिक्य रू. 4780.97 करोड़ दर्शाता है।

5.1 बजट 2017-18 :- बजट का उदेद्श्य ऐसे आर्थिक वातावरण का निर्माण करना होता है जिसमें सामाजिक एवं आर्थिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिये संसाधन उपलब्ध हो सकें। बजट मात्र आय एवं व्यय का पत्रक ही नहीं होता वरन यह शासकीय नीतियों का महत्वपूर्ण घोषणा पत्र भी होता है। बजट 2017–18 इस दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत किया गया कि राज्य की विकास आवश्यकताओं एवं अतिरिक्त कर भार के बीच उचित संतुलन बना रहे। बजट में राजस्व अधिक्य रू. 4780.97 करोड़ के अनुमान के बावजूद पूंजीगत व्यय में 17.39 प्रतिशत वृद्धि हेतु वित्तीय घाटे में 25.81 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है जो 2016–17 में रू.(–) 7667.80 करोड़ से बढ़कर 2017–18 में रू.(–) 9646.64 करोड़ अनुमानित है। बजट सारांश तालिका 5.1 में दर्शाया गया है।

तालिका 5.1 बजट (राशि करोड़ में)

क्र	मद	2015–16 (लेखा)	2016–17 (पु.अ.)	2017–18 (आ.अ.)
1	राजस्व प्राप्ति	46067.71	62785.67	66093.80
2	राजस्व व्यय	43701.06	57964.62	61312.83
3	राजस्व आधिक्य (+) या घाटा (–)	2366.65	4821.05	4780.97
4	पूंजीगत प्राप्तियाँ	5299.94	7809.90	9858.31
5	पूजींगत व्यय	7945.00	12312.59	14453.83
6	ऋण एवं अग्रिम	165.22	336.98	264.96
7	कुल प्राप्तियाँ	51367.65	70595.57	75952.11
8	कुल व्यय	51811.28	70674.19	76031.62
9	बजट घाटा	–443.63	–78.62	–79.51
10	वित्तीय घाटा (–)	–5443.83	–7667.80	–9646.64

स्रोतः–वित्त सचिव का स्मृति–पत्र, पु.अ.= पुनरीक्षित अनुमान, आ.अ.= आय–व्ययक अनुमान

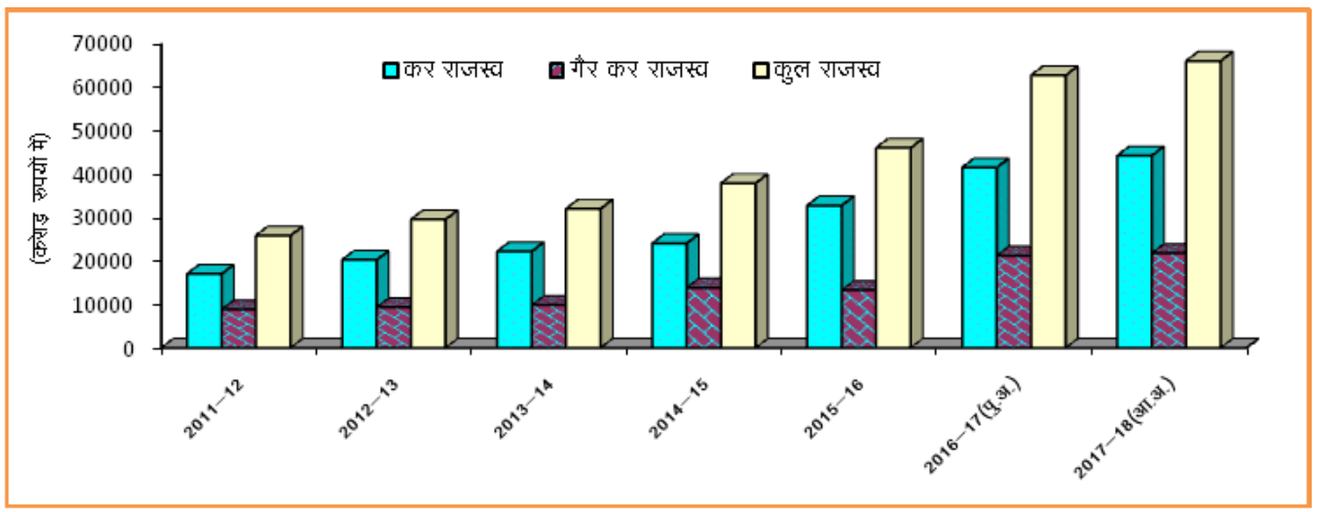
स्रोत :- वित्त सचिव का स्मृति-पत्र, पु.अ. = पुनरीक्षित अनुमानय आ.अ. = आय-व्ययक अनुमान

5.2 राजस्व प्राप्तियाँ - वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुल राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 5.27 प्रतिशत वृद्धि के साथ रू. 66093.80 करोड़ अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में कर राजस्व रू. 44288.60 करोड़ अनुमानित है, जबकि 2016–17 में पुनरीक्षित अनुमान रू. 41543.26 करोड़ अनुमानित रहा अर्थात कर राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में 6.61 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है। इसी तरह गैर–कर राजस्व में 2.65 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। गैर कर राजस्व का 2016–17 में पुनरीक्षित अनुमान रू. 21242.41 करोड़ रूपये की तुलना में 2017–18 में रू. 21805.20 करोड़ अनुमानित है। विवरण तालिका 5.2 में है।

तालिका 5.2 राजस्व प्राप्तियाँ (राशि करोड़ में)

वर्ष	कर राजस्व	गैर कर राजस्व	कुल राजस्व प्राप्तियाँ
2011–12	17032.69	8834.69	25867.38
2012–13	20251.81	9326.28	29578.09
2013–14	22222.93	9827.33	32050.26
2014–15	24070.29	13862.51	37932.80
2015–16	32791.32	13276.39	46067.71
2016–17 (पु.अ.)	41543.26	21242.41	62785.67
2017–18 (आ.अ.)	44288.60	21805.20	66093.80

स्रोतः– वित्त सचिव का स्मृति–पत्र,पु.अ.=पुनरीक्षित अनुमानय आ.अ.=आय–व्ययक अनुमान

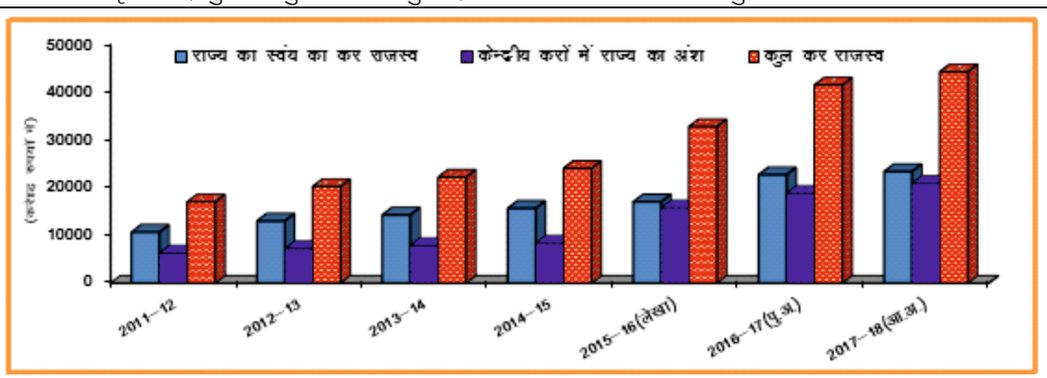


5.3 कर राजस्व :- वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुल कर राजस्व में 6.61 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है, यह वृद्धि पिछले वर्ष 26.69 प्रतिशत रही। राज्य के कर राजस्व में प्रमुख योगदान राज्य के स्वयं का कर राजस्व है। राज्य के स्वयं के कर राजस्व में 3.02 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है, जबकि केन्दीय करों के कर राजस्व में 10. 95 प्रतिशत वृद्धि होना अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में कर राजस्व में राज्य के स्वयं के करों का अंश 52.88 प्रतिशत अनुमानित है एवं कुल राजस्व प्राप्तियों में इसका योगदान 34.44 प्रतिशत अनुमानित है। तालिका 5.3 में वर्ष 2011–12 से 2017–18 तक का कर राजस्व विवरण दर्शाया गया है।

तालिका 5.3 कर राजस्व (राशि करोड़ में)

वर्ष	राज्य का स्वयं का कर राजस्व	केंद्रीय करों में राज्य का अंश	योग	कुल कर में स्वयं के कर राजस्व का प्रतिशत	कुल कर में केन्द्रीय करों का प्रतिशत	वर्षवार प्रतिशत वृद्धि		पूर्व वर्ष से अंतर	
						स्वयं का कर	केन्द्रीय कर	स्वयं का कर	केन्द्रीय कर
2011–12	10712.25	6320.44	17032.69	62.89	37.11	–	–	–	–
2012–13	13034.21	7217.60	20251.81	64.36	35.64	21.68	14.19	2321.96	897.16
2013–14	14342.71	7880.22	22222.93	64.54	35.46	10.04	9.18	1308.50	662.62
2014–15	15707.27	8363.02	24070.29	65.25	34.75	9.51	6.13	1364.56	482.80
2015–16	17074.85	15716.47	32791.32	52.07	47.93	8.71	87.93	1367.58	7353.45
2016–17 (पु.अ.)	22734.10	18809.16	41543.26	54.72	45.28	33.14	19.68	5659.25	3092.69
2017–18 (आ.अ.)	23420.64	20867.96	44288.60	52.88	47.12	3.02	10.95	686.54	2058.80

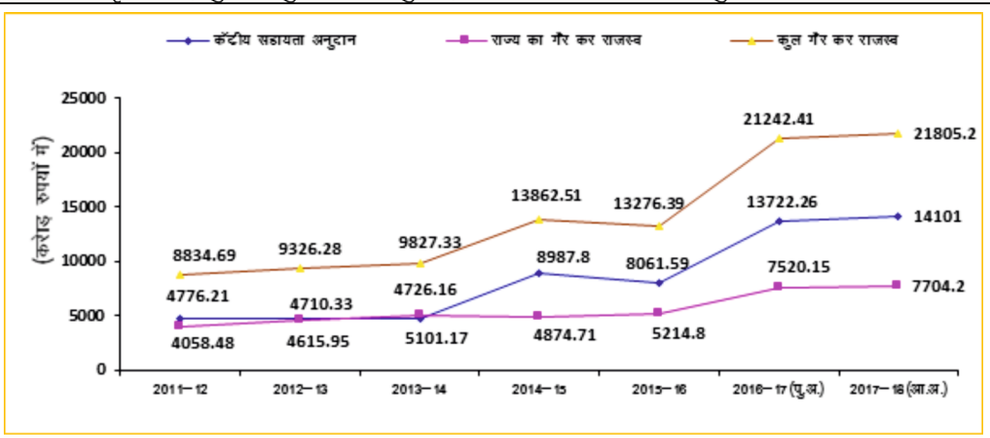
स्रोतः– वित्त सचिव का स्मृति–पत्र,, पु.अ.= पुनरीक्षित अनुमान, आ.अ. = आय–व्ययक अनुमान



5.4 गैर-कर राजस्व :- वित्तीय वर्ष 2017–18 में गैर–कर राजस्व रू. 21805.20 करोड़ अनुमानित है। गैर–कर राजस्व में प्रमुख योगदान केन्द्रीय सरकार से प्राप्त सहायता अनुदानों का है। पिछले छः वित्तीय वर्षों में गैर–कर राजस्व की प्रवृत्ति को तालिका 5.4 में दर्शाया गया है।

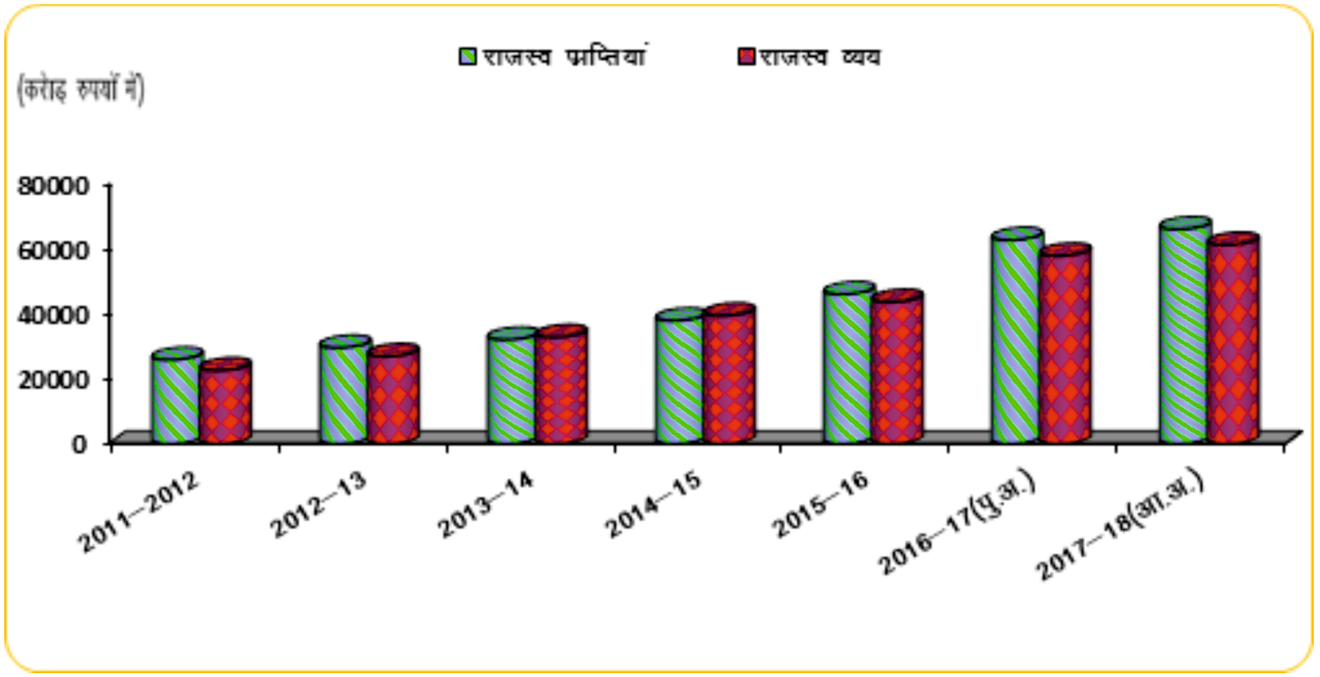
तालिका 5.4 गैर कर राजस्व (राशि करोड़ में)

वर्ष	केंद्रीय सहायता अनुदान	राज्य का गैर कर राजस्व	कुल गैर कर राजस्व	केंद्रीय सहायता का गैर कर राजस्व में प्रतिशत	राज्य के गैर कर राजस्व का कुल गैर कर राजस्व में प्रतिशत	वर्षवार प्रतिशत वृद्धि		पूर्व वर्ष से अंतर	
						केंद्रीय सहायता	राज्य का गैर कर राजस्व	केंद्रीय सहायता	राज्य का गैर कर राजस्व
2011–12	4776.21	4058.48	8834.69	54.06	45.94	–	–	–	–
2012–13	4710.33	4615.95	9326.28	51.51	49.49	1.38	13.74	.65.88	557.47
2013–14	4726.16	5101.17	9827.33	48.09	51.91	0.34	10.51	15.83	485.22
2014–15	8987.80	4874.71	13862.51	64.84	35.16	90.17	–4.44	4261.64	–226.46
2015–16	8061.59	5214.80	13276.39	60.72	39.28	–10.31	6.98	–926.21	340.09
2016–17(पु.अ.)	13722.26	7520.15	21242.41	64.60	35.40	70.22	44.21	5660.67	2305.35
2017–18(आ.अ.)	14101.00	7704.20	21805.20	64.67	35.33	2.76	2.45	378.74	184.05
स्रोतः– वित्त सचिव का स्मृति–पत्र, पु.अ.= पुनरीक्षित अनुमान, आ.अ. = आय–व्ययक अनुमान									



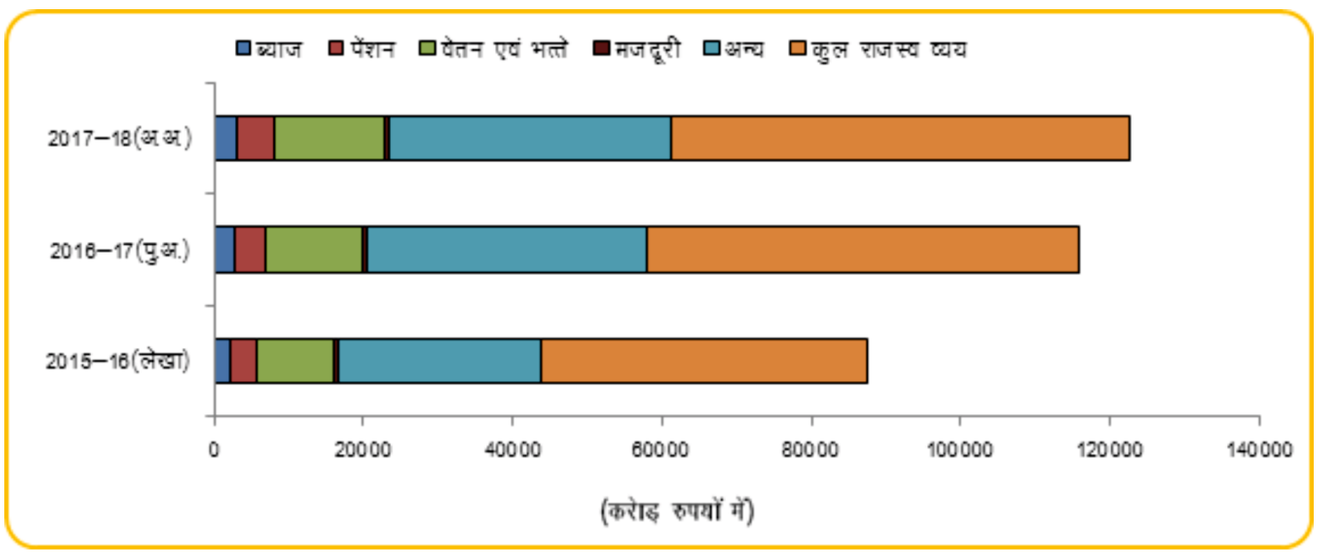
तालिका 5.5 राजस्व प्राप्तियां एवं व्यय (राशि करोड़ में)

वर्ष	राजस्व प्राप्तियां	राजस्व व्यय	आधिक्य (+) या घाटा (–)	राजस्व प्राप्तियों से व्यय का प्रतिशत	वर्षवार प्रतिशत वृद्धि		पूर्व वर्ष से अंतर	
					राजस्व प्राप्तियां	राजस्व व्यय	राजस्व प्राप्तियां	राजस्व व्यय
2011–12	25867.38	22628.05	3239.33	87	–	–	–	–
2012–13	29578.09	26971.84	2606.25	91	14	19	3710.71	4343.79
2013–14	32050.26	32859.57	–809.31	103	8	22	2472.17	5887.73
2014–15	37932.80	39497.20	–1564.40	104	18	20	5882.54	6637.63
2015–16	46067.71	43701.06	2366.65	95	21	11	8134.91	4203.86
2016–17(पु.अ.)	62785.67	57964.62	4821.05	92	36	33	16717.96	14263.56
2017–18(आ.अ.)	66093.80	61312.83	4780.97	93	5	6	3308.13	3348.21
स्रोतः– वित्त सचिव का स्मृति–पत्र, पु.अ.= पुनरीक्षित अनुमान, आ.अ. = आय–व्ययक अनुमान								



तालिका 5.6 राजस्व व्यय के महत्वपूर्ण शीर्ष (राशि करोड़ में)

वर्ष	ब्याज	पेंशन	वेतन एवं भत्ते	मजदूरी	अन्य	कुल राजस्व व्यय
2015–16 (लेखा)	2148.91	3518.57	10298.51	566.03	27169.04	43701.06
2016–17 (पु.अ.)	2676.56	4183.66	12902.30	664.49	37537.61	57964.62
2017–18 (आ.अ.)	3022.68	5213.91	14624.90	712.27	37739.07	61312.83
स्रोतः– छत्तीसगढ़ आय–व्ययक, पु.अ.=पुनरीक्षित अनुमान, आ.अ.=आय–व्ययक अनुमान						

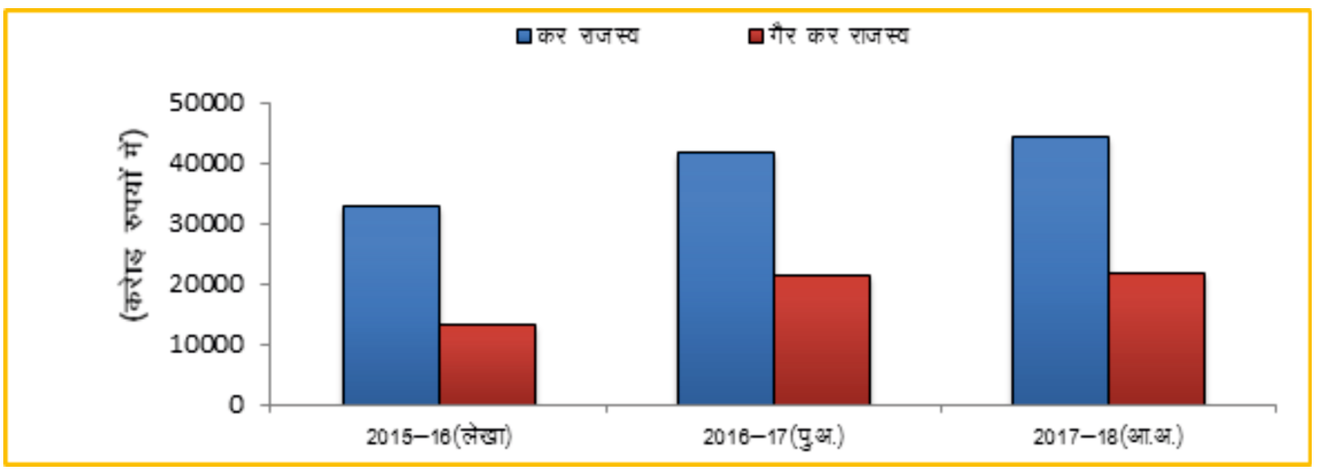


5.6 राजस्व प्राप्तियां - वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुल व्यय के 86.93 प्रतिशत भाग की पूर्ति राजस्व प्राप्तियों से होना अनुमानित है, यह भाग 2015–16 एवं 2016–17 के पुनरीक्षित अनुमान में क्रमशः 88.84 एवं 88.91 प्रतिशत है। राजस्व प्राप्तियों का विस्तृत विवरण तालिका 5.7 में दर्शाया गया है।

तालिका 5.7 राजस्व प्राप्तियां (राशि करोड़ में)

क्र.	मद	2015–16 (लेखा)	2016–17 (पु.अ.)	2017–18 (आ.अ.)
(1)	**कर राजस्व**	**32791.32**	**41543.26**	**44288.60**
	(i) आय एवं व्यय पर कर	8413.18	10211.36	11519.10
	(ii) सम्पत्ति एवं पंजीगत लेन देनो पर कर	1549.98	2063.78	2149.81
	(iii) वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर	22828.16	29268.12	30619.69
(2)	**गैर कर राजस्व**	**13276.39**	**21242.41**	**21805.20**
	(i) राज्य का गैर कर राजस्व	5214.80	7520.15	7704.20
	(ii) केंद्र से सहायता अनुदान	8061.59	13722.26	14101.00
	कुल (1+2)	**46067.71**	**62785.67**	**66093.80**

स्रोतः– छत्तीसगढ़ आय–व्ययक, पु.अ.= पुनरीक्षित अनुमान, आ.अ. = आय–व्ययक अनुमान



5.7 राज्य की वित्तीय स्थिति - राज्य की वित्तीय स्थिति एवं वित्तीय संसाधनों की वृद्धि का विवरण तालिका 5.8 में दर्शाया गया है :–

तालिका क्रमांक 5.8 राज्य की वित्तीय स्थिति

क्र.	मद	2015–16 लेखा	2016–17 (पु.अ.)	2017–18 (आ.अ.)
I	**राजस्व प्राप्तियां**	**46067.71**	**62785.67**	**66093.80**
क.	**राज्य के स्वयं का राजस्व (A+B)**	**22289.65**	**30254.25**	**31124.84**
1	राज्य के स्वयं का कर राजस्व	17074.85	22734.10	23420.64
2	राज्य के स्वयं का गैर– कर राजस्व	5214.80	7520.15	7704.20
ख.	**केन्द्र से प्राप्तियाँ (A+B)**	**23778.06**	**32531.42**	**34968.96**
3	केन्द्रीय करों में हिस्सा	15716.47	18809.16	20867.96
4	सहायता अनुदान	8061.59	13722.26	14101.00
II	**पूंजीगत प्राप्तियॉं**	**5299.94**	**7809.90**	**9858.31**
5	उधार एवं अग्रिम की वसूली	296.90	220.72	291.18
6	विवध पूंजीगत प्राप्तियां	2.84	0.00	0.00
7	शुद्ध लोक ऋण	6000.97	7089.18	9067.13
8	लोक लेखों से शुद्ध प्राप्तियाँ	–1000.77	500.00	500.00
III	**कुल प्राप्तियां (I+II)**	**51367.65**	**70595.57**	**75952.11**
IV	**आयोजनेत्तर व्यय (A+B+C+D)**	**23175.46**	**27191.99**	–
9	राजस्व व्यय, ब्याज भुगतान के साथ	23172.01	27078.32	–
10	ऋण एवं अग्रिम	1.49	0.45	–
11	पूंजीगत व्यय	1.96	53.22	–
12	ब्याज भुगतान	2148.90	2676.56	–
13	आकस्मिकता निधि में विनियोजन	0.00	60.00	–
V	**आयोजना व्यय**	**28635.82**	**43482.19**	–
14	राजस्व व्यय	20529.05	30886.29	–
15	पूंजीगत व्यय	7943.04	12259.37	–
16	ऋण एवं अग्रिम	163.73	336.53	–
VI	**कुल व्यय**	**51811.28**	**70674.19**	**76031.62**
VII	**राजस्व व्यय**	**43701.06**	**57964.62**	**61312.83**
VIII	**पूंजीगत व्यय**	**7945.00**	**12312.59**	**14453.83**
IX	**ऋण एवं अग्रिम**	**165.22**	**336.98**	**264.96**
X	**आकस्मिकता निधि में विनियोजन**	**0.00**	**60.00**	**0.00**
XI	**ब्याज भुगतान(रा.व्य.मेसम्मिलित)**	**2148.90**	**2676.56**	**3022.68**
XII	**राजस्व घाटा/आधिक्य**	**2366.65**	**4821.05**	**4780.97**
XI	**राजकोषीय घाटा**	**–5443.83**	**–7667.80**	**–9646.64**
XII	**प्राथमिक घाटा**	**–3294.93**	**–4991.24**	**–6623.96**

स्रोतः– वित्त सचिव का स्मृति–पत्र, पु.अ.= पुनरीक्षित अनुमान, आ.अ. = आय–व्ययक अनुमान

तालिका क्रमांक 5.9 राज्य के राजकोषीय सूचक

क्र.	राजकोषीय सूचक	2015–16 लेखा	2016–17 (पु.अ.)	2017–18 (आ.अ.)
I	**प्राप्तियां**			
(i)	राजस्व प्राप्तियां/कुल प्राप्तियाँ (%)	89.68	88.94	87.02
(ii)	पूजीगत प्राप्तियां/कुल प्राप्तियाँ (%)	10.32	11.06	12.98
(iii)	राज्य के स्वयं का राजस्व प्राप्तियाँ/राजस्व प्राप्तियाँ (%)	48.38	48.19	47.09
(iv)	केन्द्र से प्राप्तियाँ/राजस्व प्राप्तियाँ (%)	51.62	51.81	52.91
(v)	राज्य के स्वयं का कर राजस्व/राज्य के स्वयं का राजस्व (%)	76.60	75.14	75.25
(vi)	राज्य के स्वयं का गैर कर राजस्व/राज्य के स्वयं का राजस्व(%)	23.40	24.86	24.75
(vii)	केन्दीय करों में हिस्सा/केन्द्र से प्राप्तियाँ (%)	66.10	57.82	59.68
(viii)	सहायता अनुदान/केन्द्र से प्राप्तियाँ (%)	33.90	42.18	40.32
II	**व्यय**			
(i)	आयोजनेत्तर व्यय/कुल व्यय %	44.73	38.48	–
(ii)	आयोजना व्यय/कुल व्यय %	55.27	61.52	–
III	**व्यय/प्राप्तियाँ**			
(i)	राजस्व व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ %	94.86	92.32	92.77
(ii)	कुल व्यय/कुल प्राप्तियाँ %	100.86	100.11	100.10
(iii)	ब्याज भुगतान/राजस्व प्राप्तियाँ %	4.66	4.26	4.57
स्त्रोतः वित्त सचिव का स्मृति पत्र, बजट 2017–18, छत्तीसगढ़ शासन				

संस्थागत वित्त एवं विनियोजन

6

अध्याय

6 संस्थागत वित्त एवं विनियोजन

मुख्य बिन्दु

- छत्तीसगढ़ राज्य की बैंकिंग गतिविधियों में निरंतर वृद्धि हो रही है।
- वर्ष 2017-18 के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अग्रिम अनुमान में बैंकिंग क्षेत्र का योगदान 915499 लाख रूपये अनुमानित।
- राज्य में बैकों की संख्या जून 2017 अंत की स्थिति में 57, शाखाओं की संख्या 2718 एवं एटीएम की संख्या 3085 है। जिनमें कुल जमा 125011.85 करोड़ रूपये है।
- प्राथमिकता क्षेत्र में आबंटित ऋण में वर्ष 2016 की तुलना में वर्ष 2017 में 11.57 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- प्रधानमत्री जन-धन योजना 28 अगस्त 2014 को आरंभ की गई थी। 31/08/2017 की स्थिति में राज्य में 12604805 खाते हैं।
- राज्य में जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों की संख्या 07 एवं इनकी कार्यरत शाखाओं की संख्या 260 है। वर्ष 2016-17 में बैंकों की अंशपूंजी 38091.09 लाख रू. हो गई, इसमें राज्य शासन का अंशदान 2353.49 लाख रूपये रहा।
- छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ के अंतर्गत सदस्य के रूप में कुल 543 सहकारी समितियां हैं।
- विपणन संघ द्वारा प्रदेश में कार्यरत कुल 1333 प्राथमिक कृषि साख समितियों के माध्यम से 1989 केन्द्रों पर धान उपार्जन किया जा रहा है।
- वर्ष 2016-17 सितंबर 17 की स्थिति में 2553144 किसान क्रेडिट कार्ड हैं।

6.1 वित्तीय क्षेत्र एवं आर्थिक विकास

विश्व बैंक के अध्ययन के अनुसार प्रगतिशील देशों के अनुभव यह बताते हैं कि बैंकिंग व्यवस्था सामाजिक एवं आर्थिक विकास में वित्तीय एकीकरण (Financial Integratation) की प्रक्रिया के माध्यम में न केवल महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है, अपितु पूँजी जुटाने (Capital Mobilization) में भी सहायक होती है जहाँ एक ओर वित्तीय संस्थायें अर्थव्यवस्था में तरलता एवं गतिशीलता को बनाये रखने हेतु वित्तीय मध्यस्थता के माध्यम से बचत व निवेश को प्रोत्साहन तथा संस्थाओं व व्यक्तियों को ऋण प्रदान करने का कार्य करती हैं वहीं दूसरी तरफ विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में उत्पादक रूप से वित्तीय प्रबंधन को सुनिश्चित करते हुये राज्य तथा राष्ट्र के आर्थिक वृद्धि एवं विकास में अपना योगदान देती हैं।

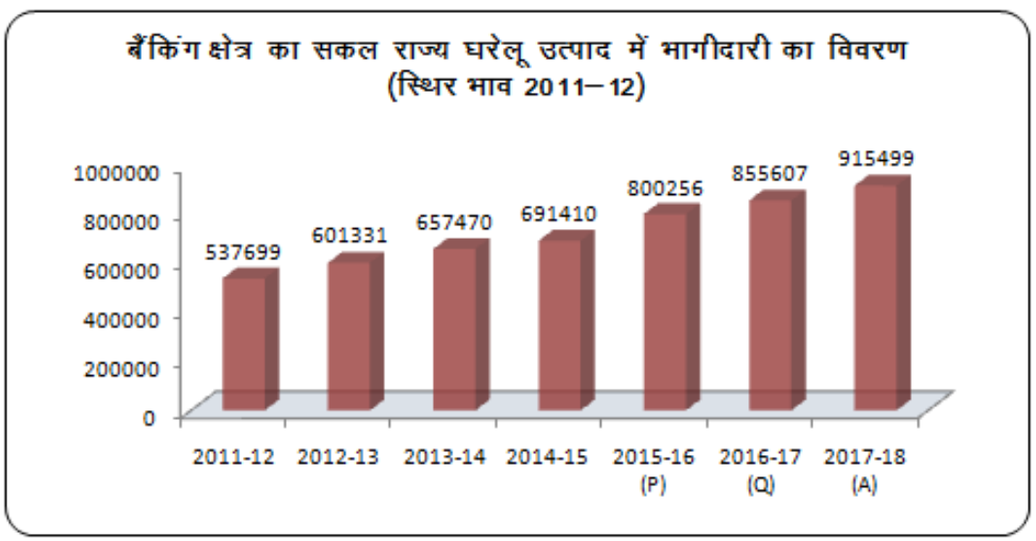
मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों (MSMEs) की विभिन्न आर्थिक गतिविधियों जैसे उत्पादन गतिशीलता को बाजार की माँग के अनुरूप बनाये रखने तथा वित्तीय संसाधनों के इष्टितम उपयोग से जोखिम उठाकर निवेश पर आय सुनिश्चित करने वाले उद्यमियों को बैंक व वित्तीय संस्थायें बहुत सहायक होती हैं। ठीक इसी प्रकार कृषि क्षेत्र में जहां लघु, एवं सीमांत कृषक उत्पादन के लिये आवश्यक निविष्टियों (Input) जैसे– सिंचाई, बीज, खाद एवं कीटनाशक दवाओं की खरीदी इत्यादि कृषि–सम्बंधित कार्यों हेतु न्यूनतम–ब्याज दर पर ऋण की अपेक्षा रखते हैं, उनको पूरा करने में भी बैंकों की भूमिका प्रमुख भूमिका होती है।

6.1.1 राज्य में सकल घरेलू उत्पाद में बैकिंग सेक्टर का हिस्सा निरंतर बढ़ कर रहा है, तो तालिका 6.1 में दर्शाया गया है :-

तालिका 6.1 बैंकिंग क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में भागीदारी का विवरण

(स्थिर भाव 2011-12)

मद	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16 (P)	2016-17 (Q)	2017-18 (A)
भागीदारी (लाख)	537699	601331	657470	691410	800256	855607	915499
वृद्धि (प्रतिशत)		11.83	9.34	5.16	15.74	6.92	7.00
हिस्सा (प्रतिशत)	3.62	3.87	3.81	3.94	4.35	4.29	4.31

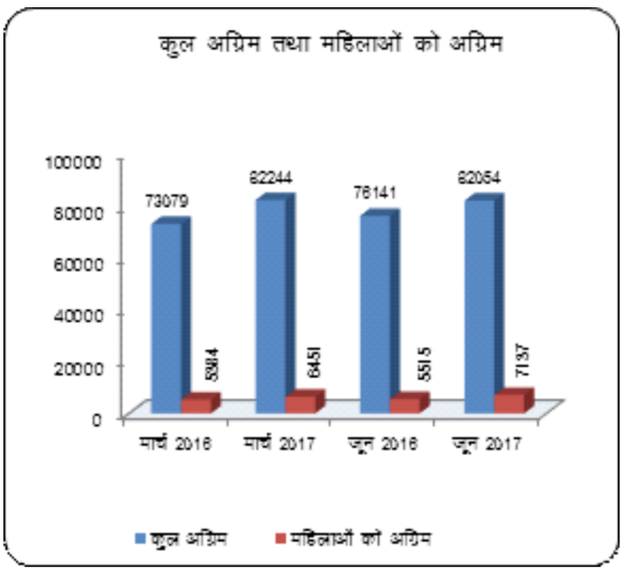


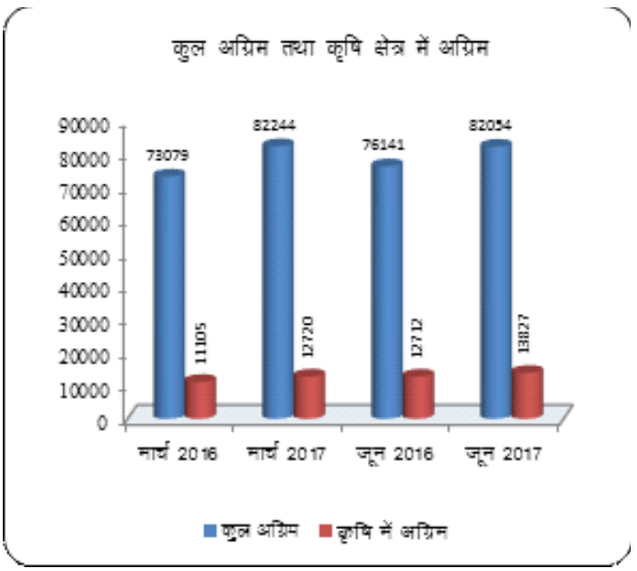
6.1.2 छततीसगढ़ राज्य में बैंकिंग गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं। बैंकिंग गतिविधियों को गति देने में दिशा देने हेतु राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति त्रैमासिक बैठकों के माध्यम से समीक्षा करती हैं। जो कि तालिका क्रमांक 6.2 से स्पष्ट होता है। 30 जून 2017 की स्थिति में 2718 बैंक शाखाएं हैं।

- जून 2017 की स्थिति में बैंक जमा राशि 125011.85 करोड़ है, जो कि जून 2016 की तुलना में 14.93 प्रतिशत अधिक है।
- जून 2017 की स्थिति में क्रेडिट (अग्रिम) 82053.63 था जो कि जून 2016 की तुलना में 7.77 प्रतिशत अधिक है।
- क्रेडिट (अग्रिम) के स्वरूप के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि प्राथमिकता क्षेत्र में अग्रिम की राशि अप्रैल–जून 2016 की स्थिति में रू. 36751.52 करोड़ से बढ़कर अप्रैल–जून 2017 में रू. 41003.44 करोड़ हो गई है, अर्थात् कुल 11.57 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- इस संदर्भ अवधि में कृषि क्षेत्र में क्रेडिट (अग्रिम) में 8.77 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- साथ ही अप्रैल–जून 2016 से अप्रैल–जून 2017 की अवधि में महिलाओं हेतु प्रदत्त क्रेडिट (अग्रिम) में भी 29.41 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अप्रैल–जून 2017 की अवधि में रू. 7136.54 करोड़ राशि स्वीकृत की गई, जबकि वर्ष 2015–16 में इसी अवधि में राशि रू. 5514.51 करोड़ स्वीकृत की गई थी।

6.1.3 साख जमा गतिविधियां :-

क्र.	विवरण	मार्च 2016	मार्च 2017	अप्रैल–जून 2016	अप्रैल –जून 2017	प्रतिशत वृद्धि (अप्रैल –जून)
1	बैंकों की संख्या	52	-	51	52	-
2	शाखाओं की संख्या	2635	2703	2622	2718	-
3	ATM की संख्या	2747	-	2754	3085	-
4	कुल जमा	107440.58	124013.18	108771.58	125011.85	14.93
5	कुल अग्रिम	73078.64	82244.31	76140.83	82053.63	7.77
6	साख–जमा अनुपात प्रतिशत	68.02	66.32	70.00	65.64	
7	प्राथमिक क्षेत्र में अग्रिम	34694.57	40594.63	36751.52	41003.44	11.57
8	कुल साख में से प्राथमिक क्षेत्र में अग्रिम प्रतिशत	47.48	49.36	48.27	49.97	
9	कृषि में अग्रिम	11104.91	12719.76	12712.23	13827.10	8.77
10	कुल साख में से कृषि क्षेत्र में अग्रिम प्रतिशत	15.20	15.47	16.70	16.85	
11	लद्यु उद्योगों में अग्रिम	17092.55	20597.53	17453.44	19581.46	12.19
12	अन्य कमजोर वर्गो के लिए अग्रिम	9791.51	12246.10	10390.85	12707.24	22.29
13	कुल साख में से अन्य कमजोर वर्ग का प्रतिशत	13.40	14.88	13.64	15.41	
14	महिलाओं को अग्रिम	5384.14	6450.55	5514.51	7136.54	29.41





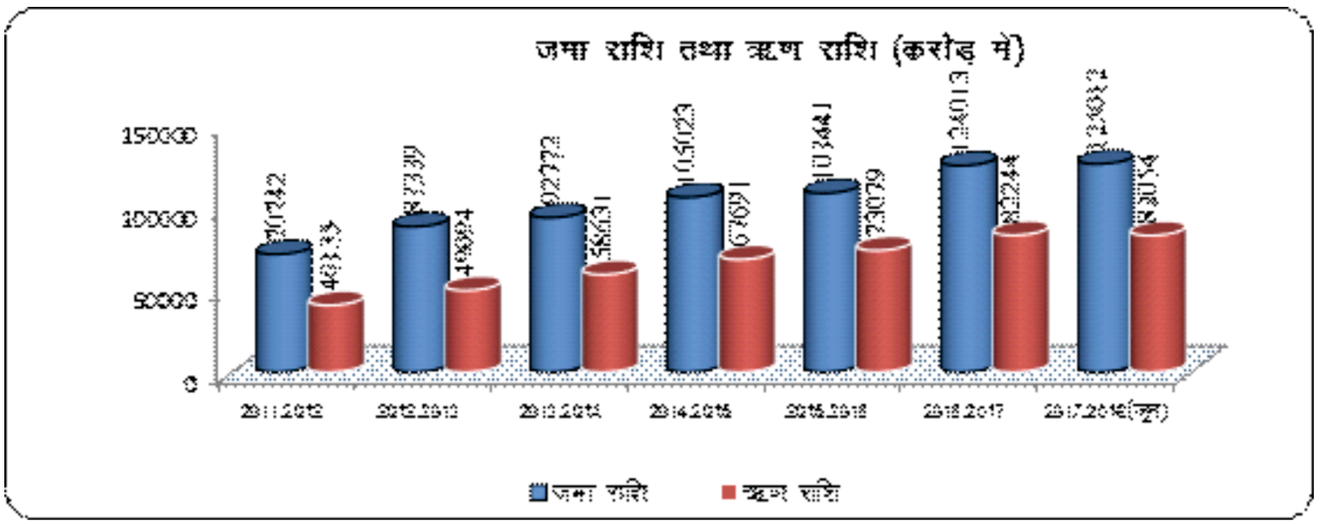
तालिका 6.3 प्रतिवेदक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की स्थिति

(राशि करोड रूपयों में)

वर्षान्त (अंतिम शुक्रवार की स्थिति)	प्रतिवेदक बैंक शाखायें	जमा राशि	ऋण राशि	ऋण जमा अनुपात (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5
1999–2000	1045	6116	2379	38.91
2000–2001	1042	7458	2966	39.77
2001–2002	1036	9605	4219	43.93
2002–2003	1039	11443	4474	39.1
2003–2004	1319	15454	9101	58.89
2004–2005*	1331	17605	11269	64.01
2005–2006*	1334	22053	12684	57.52
2006–2007*	1356	26014	15420	58.27
2007–2008*	1416	31618	19094	60.39
2008–2009*	1500	39437	23043	57.99
2009–2010*	1590	49379	27943	56.59
2010–2011*	1705	59032	33022	55.94
2011–2012	1912	70742	40135	56.73
2012–2013	2084	87339	49094	56.21
2013–2014	2334	92772	58631	63.2
2014–2015	2454	105023	67691	64.45
2015–2016	2635	107441	73079	68.02
2016–2017	2703	124013	82244	66.32
2017–2018 (जून)	2718	125012	82054	65.64

स्रोत - भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति बैठक प्रकाशन,



6.2 वित्तीय समावेश पर अवलोकन और गति

6.2.1 वित्तीय समावेश अर्थव्यवस्था में विभिन्न आर्थिक गतिविधियों को सशक्त करने हेतु सामाजिक तथा आर्थिक विकास के साथ–साथ लेन–देन की गतिविधियों में सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए समावेशी विकास को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके माध्यम से व्यापारिक गतिविधियों के संवेग में वृद्धि तथा विस्तार होती है, साथ ही मध्यम, लघु एवं छोटे उद्योगों की स्थापना में सहायता मिलती है जिससे रोजगार के नये अवसर का सृजन होता है।

वित्तीय समावेश केन्द्र, अमेरिका (Center for Financial Inclusion) की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय समावेशन निम्नलिखित बिन्दुओं को समावेशित करता है।

- वित्तीय सेवाओं जैसे ऋण, बचत, बीमा, और भुगतान इत्यादि का अभियोग।
- गुणवत्तापूर्ण सुविधाजनक, सस्ती, उपयुक्त व ग्राहक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली सेवा।
- ग्राहकों को वित्तीय प्रबंधन के बारे में सूचित करते हुये उनके वित्तीय का क्षमता विकास करना।
- सभी के वित्तीय सेवाओं के उपयोग करने हेतु समान अवसर।
- विविध एवं प्रतिस्पर्धी बाजार के माध्यम से सेवा प्रदाताओं की श्रृंखला।
- स्पष्ट वित्तीय नियामक ढांचा।

अतः विगत दशकों के दौरान वित्तीय समावेशन सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक रहा है, जिसका क्रियान्वयन बैंकों के राष्ट्रीयकरण, बैंकों को शाखा विस्तार, लीड बैंक योजना, व्यापार संवाददाता मॉडल, मोबाइल बैंकिंग का विस्तार, आधार बैंकिंग खाते, ई–KYCs इत्यादि विभिन्न पहलों के द्वारा किया जा रहा है। वित्तीय, समावेशन का उद्देश्य देश की बडी आबादी, जो कि अब तक स्थिर विकास की संभावनाओं में पिछडी हुई है, उनके लिए वित्तीय सेवाओं का विस्तार करना है। इसके अतिरिक्त यह विशेष रूप से गरीबों के लिए वित्तपोषण उपलब्धता हेतु एक अधिक समावेशी विकास की दिशा में एक प्रयास है।

6.2.2 प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) :- प्रधानमंत्री जन–धन योजना (पीएमजेडीवाई) औपचारिक रूप से 28 अगस्त, 2014 को आरंभ की गयी थी। इस योजना के अंतर्गत सार्वभौमिक ऋण, बीमा

और पेंशन के लिए हर घर के लिए कम से कम एक सामान्य बैंकिंग खाते के साथ बैंकिंग सुविधाओं के लिए वित्तीय साक्षरता की परिकल्पना की गई है। लाभार्थियों को 1.00 लाख रुपए की रुपे डेबिट कार्ड होने पर अंतर्निहित दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। इसके अलावा रू. 30000 का जीवन बीमा कवर उन लोगों को प्राप्त होगा जो 15–08–2014 से 26–01–2015 के बीच पहली बार बैंक खाता खोल चुके हैं व योजना कि अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करेंगे।

पीएमजेडीवाई (PMJDY) पहले वित्तीय समावेशन कार्यक्रम (स्वाभिमान) से अलग है, चूँकि अन्य बातों के साथ देश भर में सभी परिवारों (ग्रामीण एवं शहरी) तक बैंकिंग सेवाओं के लिए सार्वभौमिक पहुँच प्रदान करना चाहता है। जबकि पहला वित्तीय समावेश कार्यक्रम 2000 से अधिक आबादी वाले गांवों को शामिल करने पर केन्द्रित था, पीएमजेडीवाई (PMJDY) के अंतर्गत सरलीकृत केवाईसी (KYC) हेतु दिशा निर्देश दिया गया है।

यह स्पष्ट किया गया है कि मौजूदा खाता धारक पीएमजेडीवाई के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए एक नया खाता नहीं खोल सकते। वे मौजूदा खाते में जारी रुपे डेबिट कार्ड और ओवरड्राट सीमा में दुर्घटना बीमा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

तालिका 6.4 प्रधानमंत्री जन-धन योजना प्रगति

स्थिति	प्रधानमंत्री जन–धन योजना खाते	सक्रिय खाते	सक्रिय खातों का प्रतिशत	आधार लिंक खाते	आधार लिंक खातों का प्रतिशत
31/03/2015	6776888	2682375	40	1214103	18
30/09/2015	7826718	3793846	48	1487076	19
31/03/2016	9741764	5637620	58	3019947	31
08/02/2017	12158934	7998311	66	7645994	63
31/08/2017	12604805	9213696	73	9396795	75

6.2.3 रूपे कार्ड :- रूपे कार्ड एक नई भुगतान योजना एनपीसीआई द्वारा नियोजित कि गयी है। यह एक घरेलू, स्वतंत्र बहुपक्षीय कार्ड भुगतान प्रणाली है, जो सभी भारतीय बैंकों और भारत में वित्तीय संस्थानों में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की अनुमति प्रदान करता है। रूपे कार्ड 8 मई 2014 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया है। रुपे कार्ड भारत में बैंकिंग क्षेत्र की क्षमता बढाने के लिए एक नेटवर्क बनाने का प्रतीक है। जो की भारतीय बैंकों को काफी कम और सस्ती लागत पर कार्ड भुगतान सुविधा देता हैजिससे अंतरराष्ट्रीय कार्ड पर निर्भरता कम होती है। यह चीन जैसे बड़े उभरते देश जिनकी स्वयं के घरेलू कार्ड भुगतान प्रणाली है के जैसा है। भारत सरकार ने बैंकों को सभी ज़ब्ब और क्ठज लाभार्थियों को डेबिट कार्ड जारी करने का निर्देश दिया है इसके साथ हर नये खाता धारक को एक डेबिट कार्ड जारी किया जाना है। इस प्रकार एक कम लागत विकल्प के रूप में रूपे वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को पूरा करने के उद्देश्य को प्राप्त करने में मददगार होगा। रूपे कार्ड एटीएम बिक्री टर्मिनलों के केंद्र और ऑनलाइन खरीद पर काम करता है, और न केवल दुनिया में किसी भी अन्य कार्ड योजना के बराबर है, बल्कि यह ग्राहकों को भुगतान विकल्प में लचीलापन प्रदान करता है। विवरण तालिका क्र. 6.5 में दर्शित है।

तालिका 6.5 रूपे कार्ड विवरण (संख्या लाख में)

प्रधानमंत्री जनधन योजना खाते संख्या	रूपे कार्ड जारी खाते	सक्रिय प्रधानमंत्री जनधन खातों से लिंक रूपे कार्ड खातों की संख्या
126.04	86.53	49.87

6.2.4 मुद्रा (Micro Units Development Refinance Agency) योजना :- छोटे गैर कॉर्पोरेट (NCSBS) क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। किंतु इन छोटे कुटीर उद्योगों को बैंक नियमो को पूरा नहीं कर पाने के कारण बैंकों से आर्थिक मदद आसानी से नहीं मिलती। वे काफी हद तक स्ववित्त पोषित हैं अथवा निजी नेटवर्क या साहूकारों पर निर्भर हैं। इसलिए मुद्रा बैंक योजना 8 अप्रैल 2015 को घोषित की गई हैं। यह

न केवल इन उद्यमियों के जीवनस्तर में सुधार लायेगा वरन नये रोजगार सृजन करेगा एवं देश की उच्च विकास दर को प्राप्त करने में योगदान देगा। मुद्रा बैंक योजना के तहत छोटे उद्योगों एवम दुकानदारों को ऋण की सुविधा तीन चरणों में दी गई है :–

- **शिशु ऋण योजना** : कुटीर उद्योग की शुरुआत के समय मुद्रा बैंक के तहत पचास हजार के ऋण का प्रावधान है।
- **किशोर ऋण योजना** : इसमें ऋण की राशि पचास हजार से पांच लाख तक की जा सकती है।
- **तरूण ऋण योजना** : इसमें पाँच से दस लाख तक का ऋण लिया जा सकता हैं।

तालिका 6.6 मुद्रा योजना प्रगति (राशि करोड़ में)

वर्ष	शिशु		किशोर		तरूण		कुल	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2016–17 प्राप्तियॉ	62415	159.97	9198	222.77	3218	268.11	74831	650.84
2017–18 लक्ष्य	351430	166360	20082	475.31	2599	237.66	374110	2376.57

6.2.5 प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) और एलपीजी (DBTL) के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण :

DBT योजना का उद्देश्य, विभिन्न विकास योजनाओं के अंतर्गत पैसे सीधे और बिना किसी देरी के लाभार्थियों तक पहुँच सुनिश्चित करना है। बैंक डीबीटी/डीबीटीएल के क्रियान्वयन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इस कार्य के चार महत्वपूर्ण चरण है

1. सभी लाभार्थियों के बैंक खातों का खुलना।
2. आधार नंबर और एनपीसीआई मैपर पर अपलोड करने के साथ बैंक खातों की सीडिंग।
3. राष्ट्रीय स्वचालित क्लियरिंग हाउस का उपयोग कर धन हस्तांतरण, आधार कार्ड भुगतान ब्रिज सिस्टम (NACH-APBS)।
4. पैसे निकालने के लिए बैंकिंग ढांचे का सुदृढ़ीकरण।

6.3 विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाएं :- सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मई 2015 से भारत सरकार द्वारा तीन महत्वपूर्ण योजनाओं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पी.एम.जे.जे.बी.वाय.), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पी.एम.एस.बी.वाय.) एवं अटल पेंशन योजना (ए.पी.वाय.) का शुभारंभ किया गया है। उक्त योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य समाज के प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इन तीनों महत्वपूर्ण योजनाओं में राज्य में अत्यंत प्रगति हुई है विवरण निम्नानुसार है :–

तालिका 6.7 सामाजिक सुरक्षा योजनाएं

क्र.	योजना का नाम	31–05–2016		31–07–2017	
		प्राप्त आवेदन	दावा भुगतान	प्राप्त आवेदन	दावा भुगतान
1	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना	971047	2247	948863	2386
2	प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना	4711807	260	4167407	313

6.3.1 प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा और सुरक्षा बीमा योजना :- यह एक भारत सरकार द्वारा समर्थित एवं तैयार की गई जीवन बीमा योजना है जिसका लाभ 18 से 50 वर्ष की आयु के किसी भी व्यक्ति द्वारा उठाया जा सकता है। इसमें न्यूनतम वार्षिक किस्त 330 रू है, जिसमें मृत्यु होने पर नामित व्यक्ति को 2 लाख रूपये की राशि प्राप्त होती है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना एक–वर्ष की नवीकरणीय योजना है जो दुर्घटना से हुई मृत्यु सह विकलांगता के लिए प्रस्तावित की गई है जिसमें 12 रू के वार्षिक प्रिमियम पर 2 लाख रूपए की राशि प्राप्त होती है. बीमित व्यक्ति को आंशिक स्थायी विकलांगता पर एक लाख रू प्राप्त होगा।

6.3.2 सुकन्या समृद्धि खाता :- यह योजना शासन की बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ आंदोलन का एक भाग है। यह 22 जनवरी 2015 को लागू की गई है। इस योजना में निवेश करने पर 9.1 प्रतिशत की वार्षिक दर से लाभ प्राप्त होता है। वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु यह दर बढ़कर 9.2 प्रतिशत कर दी गई है। इस योजना में प्रस्तावित ब्याज दर परिवर्तित की जा सकती है और प्रतिवर्ष संयोजित की जावेगी।

6.3.3 अटल पेंशन योजना :- यह योजना सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रतिमाह कम अंशदान पर पेंशन का लाभ देने हेतु प्रस्तावित की गई है। वे व्यक्ति जो निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं निश्चित पेंशन प्राप्त करने के लिए रू. 1000 से रू. 5000 व्यय कर इस योजना को चुन सकते हैं। अंशदायी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी या नामित व्यक्ति पेंशन एवं संचित राशि का दावा कर सकता है। किन्तु यह योजना केवल निम्न आय वर्ग समूह के लिए है जो करदाताओं की श्रेणी में नही हैं। यह योजना समाज के लोगों जैसे–सुरक्षा गार्डवाहन चालक या घरेलू कार्य में सहायता देने वालो के लिए लागू की गई है।

6.3.4 पेंशन योजना :- यह एक स्वैच्छिक पेंशन योजना है जो पेंशन निधि नियामक एवं विकास अधिकरण (PFRDA) द्वारा नियमित की जाती है, जिसे सेवानिवृत्ति के पश्चात की आवश्यकताओं के उदेद्श्य से लागू किया गया है। इस योजना का धारा 80 CCD के अंतर्गत 1.5 लाख रू तक जैसा U/S 80C में प्रावधानित है, का कर लाभ प्राप्त होता है।

6.4 राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

6.4.1 ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि (आरआईडीएफ) :- इस निधि के अंतर्गत नाबार्ड द्वारा छत्तीसगढ़ शासन को वर्ष 2016–17 के दौरान कुल रु. 841.88 करोड़ की ऋण राशि (38 ग्रामीण पेयजल के लिए रु. 219.81 करोड़, 772 ग्रामीण सड़कों के लिए रु. 267.42 करोड़, 19 सिंचाई परियोजनाओं के लिए रु. 183.63 करोड़ एवं 11000 सोलर पंपों के लिए रु. 171.03 करोड़) स्वीकृत की गई। इसके अंतर्गत, वर्तमान में चल रही परियोजनाओं के लिए रु. 898.02 करोड़ की राशि संवितरित की गई है।

वर्ष 2017–18 के दौरान, दिनांक 30 सितंबर 2017 की स्थिति के अनुसार, नाबार्ड द्वारा कुल रु. 726. 31 करोड़ की ऋण राशि स्वीकृत की गई, इसके अंतर्गत, 11 सिंचाई परियोजनाएं, 119 ग्रामीण सड़कें, 2000 सोलर पंप सेट (सिंचाई) शामिल हैं।

6.4.2 पुनर्वित्त सहायता :- वर्ष 2016–17 (अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक) के दौरान नाबार्ड द्वारा छत्तीसगढ़ की सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को कृषि उत्पादन ऋण और निवेश ऋण हेतु क्रमशः

रु.1380.75 और रु. 16.00 करोड़ की सहायता दी गई। इसी प्रकार, वर्ष 2017–18 (अप्रैल 2017 से सितंबर 2017) की छमाही की समाप्ति तक नाबार्ड द्वारा छत्तीसगढ़ की सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को कृषि उत्पादन ऋण हेतु रु. 845 करोड़ की सहायता दी गई।

6.4.3 मार्कफेड को सहायता :- नाबार्ड द्वारा राज्य में खरीफ विपणन मौसम 2016–17 के दौरान धान की अधिप्राप्ति के लिए छत्तीसगढ़ मार्कफेड को रु. 1000 करोड़ का ऋण दिया गया, खरीफ विपणन मौसम 2017–18 हेतु धान की अधिप्राप्ति के लिए रु. 1500 करोड़ की ऋण सहायता स्वीकृत की गई है।

6.4.4 नाबार्ड आधारभूत विकास सहायता (एनआईडीए) :- वर्ष 2016–17 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने हेतु उप केन्द्रों तथा संवितरण अधोसंरचना हेतु छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी को रु. 902.63 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई।

6.5.5 खाद्य प्रसंस्करण निधि :- भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में 03 फूड पार्कों हेतु स्वीकृति दी गई है। इनमें से नाबार्ड द्वारा क्रियान्वित खाद्य प्रसंस्करण निधि के अंतर्गत वर्ष 2015–16 में मेसर्स इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क तिल्दा, जिला रायपुर को रु. 40.34 करोड़ का सावधि ऋण स्वीकृत किया गया है।

6.6.6 प्रत्यक्ष ऋण :- नाबार्ड द्वारा वर्ष 2017–18 के दौरान रायपुर जिला सहकारी बैंक को रु. 34.01 करोड़ का प्रत्यक्ष ऋण स्वीकृत किया गया है।

6.7 विशेष विकासात्मक पहल

6.7.1 स्वयं सहायता समूह-बैंक लिंकेज कार्यक्रम :- वर्ष 2016–17 और 2017–18 के दौरान, क्रमशः 23093 और 113 स्वयं सहायता समूह गठित/बचत और ऋण सहबद्ध किए गए। नाबार्ड ने 9040 स्वयं सहायता समूहों के संवर्धन और बैंक लिंकेज हेतु 52 स्वयं सहायता समूह संवर्धन संस्थान (एसएचपीआई) स्वीकृत किए और उन्हें कुल रुपये 664.73 लाख की अनुदान सहायता दी गयी। 2016–17 के दौरान 05 नयी स्वयं सहायता समूह संवर्धन संस्थान (एसएचपीआई) स्वीकृत की गयी। वर्ष 2016–17 के दौरान स्वयं सहायता समूहों के संवर्धन और बैंकरों/स्वयं सहायता समूह संवर्धन संस्थान (एसएचपीआई) और स्वयं सहायता समूहों आदि के क्षमता निर्माण हेतु रुपये 92.57 लाख की अनुदान सहायता राशि वितरित की गयी। वर्ष 2017–18 के दौरान, (30 सितंबर 2017 की स्थिति के अनुसार) 7429 और 7903 स्वयं सहायता समूह गठित/बचत और ऋण सहबद्ध किए गए।

6.7.2 माओवाद भावित (एलडबल्यूई) जिलों में महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम :- वर्ष 2012–13 में माओवाद प्रभावित (एलडबल्यूई) जिलों में महिला स्वयं सहायता समूह के गठन और पोषण के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया. 31मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार, 11685 महिला स्वयं सहायता समूहों के संवर्धन और पोषण हेतु 29 गैर सरकारी संगठनों को स्वीकृती दी गयी और उन्हें कुल रुपये 11.685 करोड़ की अनुदान सहायता दी गयी। 31मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार, महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम के

अंतर्गत 10969 समूहों को बचत सहबद्ध और 5163 समूहों को ऋण सहबद्ध और क्षमता निर्माण तथा प्रचार–प्रसार आदि हेतु रु. 444.25 लाख की अनुदान सहायता राशि वितरित की गयी। 30 सितंबर 2017 की स्थिति के अनुसार, महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम के अंतर्गत 10969 समूहों को बचत सहबद्ध और 5176 समूहों को ऋण सहबद्ध और क्षमता निर्माण तथा प्रचार प्रसार आदि हेतु रु. 446.84 लाख की अनुदान सहायता राशि वितरित की गयी।

6.7.3 संयुक्त देयता समूह (जेएलजी) :- नाबार्ड ने कास्तकारों, बटाईदारों, मौखिक पट्टेदारों और सीमांत किसानों के समूहों के संवर्धन और वित्त पोषण के लिए यह योजना बनाई है। छत्तीसगढ़ राज्य में 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार, 25439 संयुक्त देयता समूह (जेएलजी) गठित किए गए हैं, और उन्हें रुपये 20299.43 लाख का ऋण वितरित किया गया है। इसके अंतर्गत नाबार्ड ने छत्तीसगढ़ में 7775 संयुक्त देयता समूह (जेएलजी) की संवर्धन और ऋण सहबद्धता के लिए रुपये 1.55 करोड़ की अनुदान सहायता राशि स्वीकृत की गई है जिसके समक्ष 2692 संयुक्त देयता समूह (जेएलजी) के संवर्धन के लिए परियोजना क्रियान्वयन संस्थानों को रुपये 29.44 लाख की राशि दी गयी है। वर्ष 2016–17 के दौरान, 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार 4893 संयुक्त देयता समूह (जेएलजी) को ऋण सहबद्ध किया गया है।

6.7.4 स्वयं सहायता समूहों के डिजिटाइजेशन के लिए "ई-शक्ति" :- नाबार्ड ने 15 मार्च 2015 को स्वयं सहायता समूहों के डिजिटाइजेशन के लिए "ई–शक्ति" कार्यक्रम की शुरुआत की, इस कार्यक्रम के अंतर्गत, स्वयं सहायता समूह के अभिलेखों की पारदर्शिता, समय पर अद्यतनीकरण और समूचित रखरखाव किया जाएगा जिससे समूह का समुचित पोषण और सुदृढ़ीकरण होगा, अनियमितताएँ दूर होगी और समूह के सदस्यों को और खाता–वहियों का उचित रख–रखाव करने में सहायता होगी। स्वयं सहायता समूहों को ऋण की स्थिति को अपग्रेड करने में हो रही कठिनाइयों को दूर करने में डिजिटाइजेशन से सहायता मिलेगी और समूहों अपनी आवश्यकता के अनुसार ऋण की मात्रा में वृद्धि कर पाएंगे। साथ ही समूहों के वर्गीकरण से बैंकों को ऋण संबंधी निर्णय लेने में मदद मिलेगी।

शुरुआत में नाबार्ड ने प्रायोगिक आधार पर दो जिलों–रामगढ़ (झारखंड) और धूले (महाराष्ट्र) में इस योजना की शुरुआत की और जिसके परिणाम अच्छे रहे। दूसरे चरण में देश भर में अन्य 22 जिलों को डिजिटाइजेशन के लिए चिह्नित किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य में राजनांदगाँव को डिजिटाइजेशन के लिए चिह्नित किया गया। जिले के चिहनित 05 प्रखंडों में आईए–एमबीजेएस द्वारा ई–शक्ति पोर्टल में 5880 समूहों को डिजिटाइजड किया गया और अपलोड किया गया। एनीमेटर्स द्वारा दैनिक आधार पर मोबाइल पर दैनिक लेन–देन किया जा रहा है।

तीसरे चरण में देश भर में अन्य 75 जिलों को डिजिटाइजेशन के लिए चिहनित किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य में ई–शक्ति दृ चरण–प्प् के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों के डिजिटाइजेशन के लिए दुर्ग, बिलासपुर और महासमुंद को डिजिटाइजेशन के लिए चिह्नित किया गया है।

6.7.5 आदिवासी विकास निधि के तहत वाड़ी विकास :- नाबार्ड द्वारा स्थापित आदिवासी विकास निधि से

दूरदराज के आदिवासी क्षेत्रों में कई सफल आजीविका परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया गया है। इसका उद्देश्य राज्य के आदिवासी परिवारों को टिकाऊ आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना है। अब तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के 19 जिलों में कुल 80 वाड़ी परियोजनाएं चल रही है। और इस हेतु संचयी स्वीकृति की कुल राशि रु. 217.66 करोड़ है, तथा इसके अंतर्गत राज्य के 56214 आदिवासी परिवारों को शामिल किया गया है। वर्ष 2016–17 के दौरान 03 परियोजनाएं मंजूर की गई जिससे 1500 आदिवासी परिवार लाभान्वित हुए तथा आदिवासी विकास निधि से रु. 5.42 करोड़ की सहायता मंजूर की गई जिसमें रु. 5.42 करोड़ अनुदान के रूप में है। वर्ष 2017–18 की छमाही अर्थात सितंबर 2017 तक नाबार्ड द्वारा इस निधि के अंतर्गत रु. 3.22 करोड़ संवितरित किए गए।

6.7.6 वॉटरशेड विकास :- ग्रामीण क्षेत्रों में जल समस्या के निवारण के लिए नाबार्ड की इस वॉटरशेड विकास योजना के अंतर्गत राज्य के 17 जिलों में संचयी रूप में 63 वॉटरशेड परियोजनाओं हेतु स्वीकृत कुल राशि रु. 50.94 करोड़ है, तथा इसके अंतर्गत 74602 हेक्ट. भूमि का उपचार किया गया है और 25914 परिवारों को शामिल किया गया है। वर्ष 2016–17 के दौरान, पूर्ण कार्यान्वयन चरण (एफआईपी) में 02 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें कुल रु. 2.10 करोड़ की अनुदान सहायता शामिल है।

6.7.7 जलवायु परिवर्तन :- राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन के लिए नाबार्ड एकमात्र राष्ट्रीय क्रियान्वयन संस्था है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय व जलवायु परिवर्तन द्वारा प्रस्तावित परियोजना 'छत्तीसगढ़ में महानदी के जलग्रहण क्षेत्र के साथ–साथ डूबान भूमि में जलवायु अनुकूलन को नाबार्ड के प्रयासों से मंजूरी मिली है। इसका उद्देश्य महानदी के जलग्रहण क्षेत्र के साथ–साथ डूबान भूमि के तीन जिलों – धमतरी, महासमुंद और बलौदा बाजार में जलवायु अनुकूलन हेतु एकीकृत कार्यनीति को बढ़ावा देने सहित जलवायु अनुकूलन हेतु परियोजना क्षेत्र के निवासियों की अनुकूलन क्षमता में वृद्धि और क्षेत्र की परिस्थितिकी को यथासंभव पुनरूबहाल करने हेतु उपाय अपनाना है। इस परियोजना का वित्तीय परिव्यय रु. 21.47 करोड़ है, जिसमें से रु. 1.06 करोड़ की राशि जारी की गई है।

6.7.8 कृषक क्लब और कृषक उत्पादक संगठन :- 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य में 600 कृषक क्लब कार्यरत्त हैं। इसके साथ ही भारत सरकार की 'प्रोड्यूस' निधि के अंतर्गत 64 कृषक उत्पादक संगठन संवर्धित किए गए हैं। नाबार्ड के विभिन्न क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से कृषक क्लबों और कृषक उत्पादक संगठनों की क्षमता में वृद्धि हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। निविष्टियों का प्रबंधन, उत्पादों का एकत्रीकरण, अधिप्राप्ति और विपणन जैसे कार्य कृषक उत्पादक संगठनों को दिये जा सकते हैं।

6.8 सहकारिता

6.8.1 राज्य में जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक :- वर्ष 2016–17 में बैंकों की संख्या 07 एवं इनकी कार्यरत शाखाओं की संख्या 260 है। वर्ष 2016–17 में बैंकों की अँशपूंजी 38091.09 लाख रू. हो गई, इसमें राज्य शासन का अंशदान 2353.49 लाख रूपये रहा। वर्ष 2016–17 में बैंकों की अमानतें एवं कार्यशील पूँजी क्रमशः 617351.02 लाख रूपये एवं 938603.48 लाख रूपये हो गई। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों द्वारा वर्ष

2016–17 में 480192.86 लाख रूपये के ऋण वितरित किये गये जिसमें 405060.64 लाख रूपये अल्पकालीन एवं 75132.22 लाख रू. मध्यकालीन ऋण के रूप में हैं। इसी अवधि में बैंक का कुल बकाया ऋण 422054.76 लाख रूपयों का रहा। वर्ष 2015–16 में जिला सहकारी बैंकों की 99 शाखाओं को 13490.09 लाख रूपये का लाभ हुआ है, एवं 74 बैंकों को हानि हुई है।

6.8.2 प्राथमिक सहकारी कृषि साख समितियां :- राज्य में वर्ष 2016–2017 में प्राथमिक सहकारी कृषि साख समितियों की संख्या 1333 है, जो 2015–16 के समान ही है। इन समितियों के सदस्यों की संख्या 2016–2017 में 23.24 लाख है। समिति के कुल सदस्यों में से 3.55 लाख अनुसूचित जाति, तथा 6.55 अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। प्राथमिक कृषि साख समितियों की अंशपूंजी वर्ष 2016–17 में 33808.84 लाख रूपये थी। कृषि साख समितियों द्वारा वर्ष 2016–2017 में कुल ऋण 329441.99 लाख रू. वितरित किए गए जिसमें से 322461.07 लाख रूपये का अल्प ऋण एवं 6980.92 लाख रूपये मध्यकालीन ऋण के रूप में है।

तालिका 6.8 जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक

विवरण	2016–17 (अप्रैल 16 से सितंबर 16)	2016–17 (अप्रैल 16 से मार्च 17)	2017–18 (अप्रैल 17 से सितंबर17)
बैक संख्या	07	07	07
शाखाएं	257	260	260
सदस्य (हजार)	59240	78551	78551
अंश पूंजी			
(1) कुल	31040.42	38091.09	38625.73
(2) शासकीय	1290.80	2353.49	2353.49
अमानतें	543624.04	617351.02	594517.90
कार्यशील पूंजी	914840.59	938603.48	1029752.69
ऋण वितरण			
(अ) कुल	452597.29	480192.86	346860.54
(ब) अल्पकालीन	378315.32	405060.64	309360.97
(स) मध्यकालीन	74281.97	75132.22	37499.57
ऋण बकाया			
(अ) कुल	413387.29	422054.76	516523.58
(ब) अल्पकालीन	348187.14	366920.08	460668.99
(स) मध्यकालीन	65200.15	55134.68	55854.59
कालातीत ऋण	63633.37	116287.30	107391.42
लाभ			
(अ) बैंक संख्या	107	99	52
(ब) राशि	6534.21	13490.09	9863.14
हानि			
(अ) बैंक संख्या	40	74	60
(ब) राशि	1906.22	7354.64	4090.62

टीप :- दिनांक 07–10–2014 को जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक में संविलियन हो गया है। स्रोत–आयुक्त एवं पंजीयक सहकारी संस्थायें छत्तीसगढ़

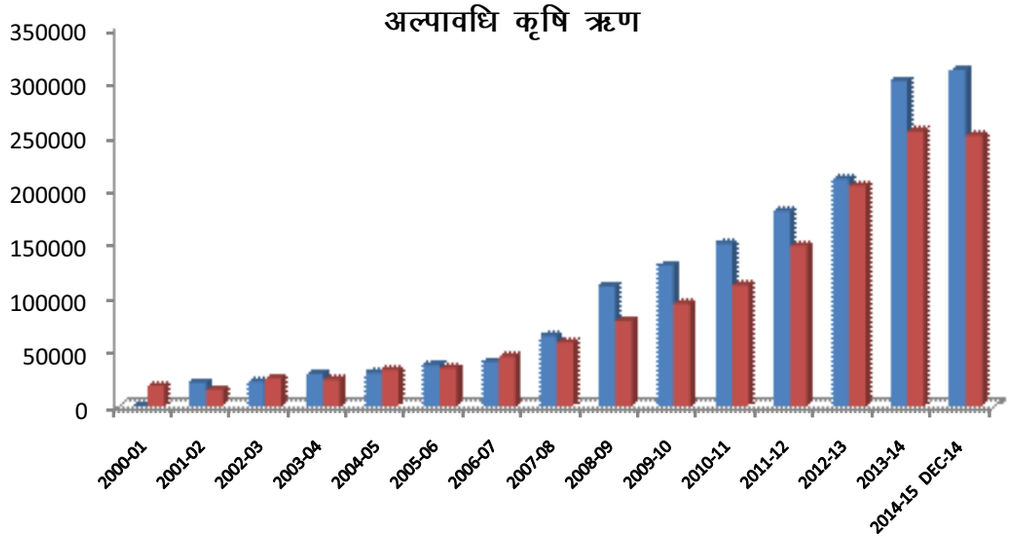
तालिका 6.9 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां

विवरण	इकाई	2016–17 (अप्रैल 16 से सितंबर 16)	2016–17 (अप्रैल 16 से मार्च 17)	2017–18 (अप्रैल 17 से सितंबर 17)
समितियाँ	संख्या	1333	1333	1333
सदस्य संख्या	हजार	3143.25	2323.56	2361.91
अनुसूचित जाति	हजार	417.12	355.11	361.202
अनुसूचित जनजाति	हजार	984.32	654.83	660.34
कुल ऋणी सदस्य	हजार	1904.39	1279.93	1300.86
अनुसूचित जाति	हजार	311.18	245.39	250.97
अनुसूचित जन जाति	हजार	605.24	386.11	391.90
कुल अंशपूंजी	लाख रू.	37205.67	33808.84	35611.20
कुल ऋण वितरण	लाख रू.	291524.62	329441.99	308234.49
(अ) अल्पकालीन	लाख रू.	282311.24	322461.07	307070.28
(ब) मध्यमकालीन	लाख रू.	9213.38	6980.92	1164.21
कुल ऋण बकाया	लाख रू.	402669.75	135455.42	364931.29
(अ) अल्पकालीन	लाख रू.	346907.15	110522.83	347656.86
(ब) मध्यमकालीन	लाख रू.	55762.60	24932.59	17274.43
कालातीत ऋण	लाख रू.	82015.20	69074.88	112599.16

स्त्रोत - आयुक्त एवं पंजीयक सहकारी संस्थायें छत्तीसगढ़

तालिका 6.10 प्रदेश के 1333 सहकारी समितियो के रियायती दर पर वितरित कृषि ऋण की वर्षवार जानकारी (राशि लाख में)

अल्पावधि कृषि ऋण वितरण (खरीफ–रबी)					
क्रमांक	वर्ष	अल्पावधि ऋण वितरण लक्ष्य	अल्पावधि कृषि ऋण वितरण	कृषकों पर प्रभारित ब्याज दर	लक्ष्य प्राप्ति का प्रतिशत
1	2000–01	–	19084.61	14.16%	-
2	2001–02	21930	15242.12	14.16%	69.50%
3	2002–03	23000	26022.7	14.16%	113.14%
4	2003–04	30030	24304.86	14.16%	80.94%
5	2004–05	31100	33446.4	9%	107.54%
6	2005–06	37880	35283.83	9%	93.15%
7	2006–07	40800	45697.77	7%	112.00%
8	2007–08	65000	58819.63	6%	90.49%
9	2008–09	110500	78687.51	3%	71.21%
10	2009–10	130000	94646.02	3%	72.80%
11	2010–11	150000	111674.3	3%	74.45%
12	2011–12	180000	148126.1	3%	82.29%
13	2012–13	210000	203350.4	1%	96.83%
14	2013–14	300000	253524.7	1%	84.51%
15	2014–15 (31.12.14)	310000	249892	0%	80.00%



6.8.3 छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ :- छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ के अंतर्गत सदस्य के रूप में कुल 543 सहकारी समितियां हैं।

तालिका 6.11 वर्षवार खाद वितरण

वर्ष	वितरण लक्ष्य (मे.टन)	खाद वितरण (मे.टन)	राशि (लाख में)
2012—13	842000	697680	88897
2013—14	928100	660501	81330
2014—15	813082	675163	81283
2015—16	846360	744190	92546.71
2016—17 (सितं.)	643180	544205	68564.93
2016—17 (मार्च)	883180	654685	81294.29
2017—18 (सितं.)	600500	571321	65259.94

6.8.4 धान उपार्जन :- राज्य शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर कृषकों से धान उपार्जन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. रायपुर को नोडल एजेंसी बनाया गया है। विपणन संघ द्वारा प्रदेश में कार्यरत कुल 1333 प्राथमिक .षि साख समितियों के माध्यम से 1989 केन्द्रों पर धान उपार्जन किया जा रहा है।

तालिका 6.12 धान उपार्जन

वर्ष	उपार्जित धान की मात्रा (मे.टन)	उपार्जन पर व्यय राशि (लाख में)
2013—14	7972157	9566.59
2014—15	6310427	7572.51
2015—16	5925178.82	7110.21
2016—17	6958857	1038026
2017—18(सितं.)	513	76

6.8.5 शक्कर उत्पादन :- तालिका क्र. 6.13 में दर्शित है।

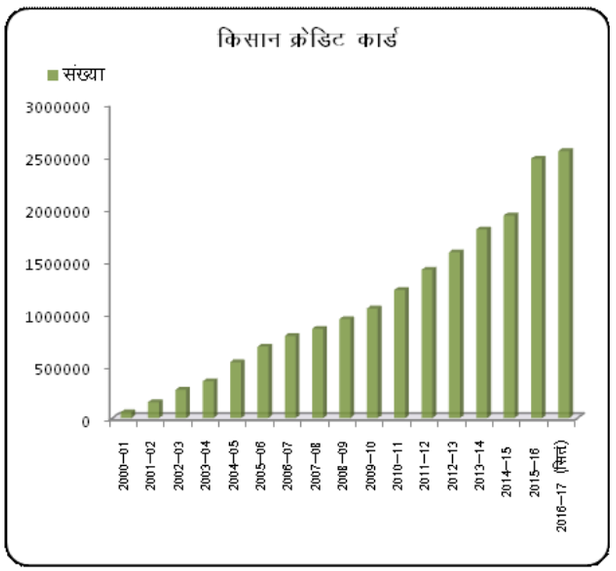
तालिका 6.13 शक्कर उत्पादन (शक्कर कारखाना)

क्र.	विवरण	वर्ष	शक्कर उत्पादन क्विंटल में
1	भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मर्या. कवर्धा	2013–14	385510
		2014–15	400960
		2015–16	401900
		2016–17 (सितं.)	207110
		2016–17 (मार्च)	258021
		2017–18 (सितं.)	0.00
2	दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मर्या. बालोद	2013–14	81332
		2014–15	51340
		2015–16	41825
		2016–17 (मार्च)	44440
3	मां महामाया सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मर्या. अंबिकापुर	2013–14	215120
		2014–15	190220
		2015–16	206560
		2016–17 (मार्च)	161060
		2017–18 (सितं.)	26325

6.9 किसान क्रेडिट कार्ड

वर्ष 2015–16 में 24.79 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए, जिससे मार्च 2015 अंत तक कृषि क्षेत्र में राशि रू. 388097.32 लाख ऋण दिए गए। वर्ष 2016–17 (सितं. 16) में 25.53 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए, जिससे सितंबर 2016 अंत तक कृषि क्षेत्र में राशि रू. 452597.29 लाख ऋण दिए गए।

तालिका 6.13 किसान क्रेडिट कार्ड		
क्र.	वर्ष	संख्या
1	2000–01	55994
2	2001–02	151352
3	2002–03	270140
4	2003–04	351588
5	2004–05	533815
6	2005–06	682194
7	2006–07	783949
8	2007–08	852170
9	2008–09	945588
10	2009–10	1046767
11	2010–11	1223457
12	2011–12	1418490
13	2012–13	1585646
14	2013–14	1803706
15	2014–15	1936470
17	2015–16	2479502
18	2016–17 (सितं.)	2553144



कृषि एवं संबद्ध सेवाएं

7

अध्याय

7 कृषि एवं संबध्द सेवाएं

मुख्य बिन्दु -

- फसल क्षेत्र का राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में भागीदारी वर्ष 2017-18 स्थिर भाव पर 2433096 लाख अनुमानित है।
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत प्रदेश में एक उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, कृषि यंत्र परीक्षण प्रयोगशाला तथा कृषि प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना की गई है।
- फसल बीमा योजनांतर्गत 2016-17 में 1404184 कृषकों का बीमा कराया गया तथा राशि रू. 12626.74 लाख का दावा भुगतान किया।
- प्रदेश में वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई योजनाओं से मार्च 2017 की स्थिति में 20.52 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र है।
- राज्य में वर्तमान में 69 कृषि उपज मंडियाँ एवं 118 उप-मंडियाँ कार्यरत हैं।
- प्रदेश में वर्तमान में दो नवीन बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र एवं दो सूकर प्रजनन प्रक्षेत्र संचालित हैं।
- राज्य में कुल जल क्षेत्र का 94.41% जलक्षेत्र मछली पालन अंतर्गत विकसित किया जा चुका है, जो ग्रामीण क्षेत्रों की बेरोजगारी दूर करने का सशक्त एवं रोजगारोन्मुखी साधन है।
- राज्य में वर्ष 2017-18 में सितंबर तक 220683.75 मे.टन मत्स्योत्पादन किया गया।

कृषि

7.1 छत्तीसगढ़ राज्य की लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या का जीवन यापन कृषि पर निर्भर है। प्रदेश के 37.46 लाख कृषक परिवारों में से 76 प्रतिशत लघु एवं सीमांत श्रेणी में आते है वर्तमान में प्रदेश के सभी सिंचाई स्त्रोतों से लगभग 35 प्रतिशत क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है जिसमें से सर्वाधिक 52 प्रतिशत क्षेत्र जलाशयों /नहरों के माध्यम से सिंचित है एवं 29 प्रतिशत क्षेत्र नलकूप से सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत आते हैं। अधिकांशतः वर्षा पर निर्भर है। प्रदेश की लगभग 55 प्रतिशत काश्त भूमि की जलधारण क्षमता कम होने के कारण, बिना सिंचाई साधन के दूसरी फसल लेना संभव नहीं है। राज्य निर्माण के समय, इस प्रदेश में आवश्यक संरचनायें तथा बीज प्रक्रिया केन्द्र, प्रशिक्षण केन्द्र, खाद एवं गोदाम आदि का अभाव था, इसलिए राज्य में विभिन्न फसलों की उत्पादकता, अन्य विकसित राज्यों की तुलना में कम थी। राज्य गठन के पश्चात् कृषि विकास के कार्यक्रमों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने तथा राज्य शासन के कृषकोन्मुखी योजनाओं/ कार्यक्रमों के फलस्वरूप कृषि विकास की गति में तेजी आई है एवं किसानों की आर्थिक उन्नति हेतु निरंतर प्रभावी प्रयास किये जा रहे है।

तालिका 7.1 फसल उत्पादन (000 मे. टन)

क्र.	फसल	15–16 पूर्ति	16–17 अनु. पूर्ति	वृद्धि/ कमी प्रतिशत	17–18 लक्ष्य
खरीफ					
1	धान	4192.00	8048.44	92	8030.00
2	मक्का	365.47	398.44	9	472.50
3	अरहर	74.60	82.02	10	105.00
4	मूंग	10.94	11.86	8	12.60
5	उड़द	47.05	46.45	-1	56.00
6	मूंगफली	66.81	53.99	-19	86.78
7	सोयाबीन	81.84	94.77	16	119.00
8	रामतिल	10.05	12.81	27	17.99
9	अन्य	33.12	56.88	72	71.12
	महायोग	**4881.88**	**8805.66**	**80**	**8970.99**
रबी					
1	धान	371.18	570.74	54	193.28
2	मक्का	126.03	164.22	30	185.25
3	गेहूं	217.38	269.49	24	305.32
4	चना	276.36	402.71	46	438.75
5	मटर	15.65	21.49	37	27.00
6	तिवड़ा	188.44	218.86	16	245.70
7	राई–सरसों	65.05	80.33	23	97.68
8	अलसी	18.5	23.44	27	32.86
9	अन्य	115.37	217.70	89	443.14
	महायोग	**1393.96**	**1968.98**	**41**	**1968.98**

स्त्रोतः– संचालनालय कृषि, छत्तीसगढ़

7.1.1 सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार :

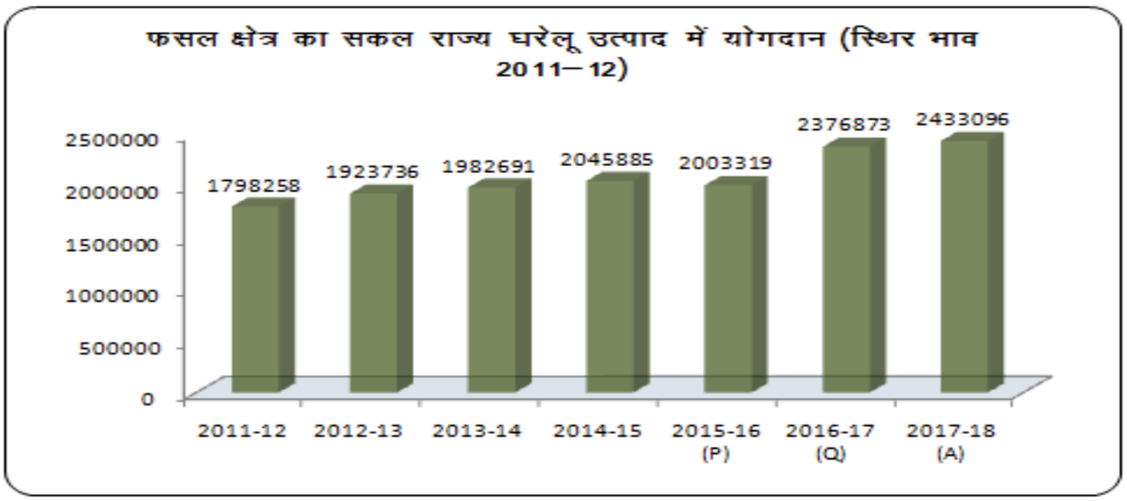
कृषि विकास में सिंचाई का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रदेश में समस्त सिंचाई स्त्रोत से 35 % सिंचाई क्षमता है। राज्य शासन द्वारा प्रदेश के लघु सीमांत कृषकों को सिंचाई कूप एवं पंप स्थापना हेतु शाकम्भरी योजना प्रारंभ की गई है। इसके अतिरिक्त पूर्व से संचालित लघु सिंचाई नलकूप योजना में देय अनुदान राशि में वृद्धि की गई है। सिंचाई जल के बेहतर उपयोग एवं नगदी फसलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सूक्ष्म सिंचाई योजना अंतर्गत सभी वर्ग के लघु सीमांत कृषकों को स्प्रिंकलर पर 70 प्रतिशत (33 प्रतिशत केन्द्रांश + 37 प्रतिशत राज्यांश) अनुदान दिया जा रहा है, अन्य किसानों को 50 प्रतिशत (27 प्रतिशत केन्द्रांश + 23 प्रतिशत राज्यांश) अनुदान दिया जा रहा है। सिंचित क्षेत्र के विस्तार हेतु संचालित योजनाओं की उपलब्धियॉ :–

तालिका 7.2 सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार योजना प्रगति

क्र.	विवरण		2016–17 पूर्ति	2017–18 लक्ष्य		2017–18 सितं. पूर्ति	
				संख्या	सिंचाई क्षमता (हे.)	संख्या	सिंचाई क्षमता (हे.)
1	किसान समृद्धि योजना/लघु सिंचाई (नलकूप) योजना		3989	3043	7303.20	0	0.00
2	लघुत्तम सिंचाई (तालाब) योजना		52	100	2500.00	59	1475.00
3	हरित क्रांति विस्तार योजनान्तर्गत निर्मित	तालाब	9	4	120.00	0	0.00
		चेकडेम	228	67	889.09	54	716.58
4	शाकम्भरी योजना	कूप	144	150	60	0	0.00
		पंप	28661	25563	10225.20	0	0.00

7.2 छत्तीसगढ़ राज्य में फसल क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान महत्वपूर्ण रहा जो निम्नांकित तालिका में दर्शाया गया है ।

तालिका 7.3 फसल क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में योगदान (स्थिर भाव 2011–12)							
सांख्यिकी	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16 (P)	2016–17 (Q)	2017–18 (A)
भागीदारी (लाख)	1798258	1923736	1982691	2045885	2003319	2376873	2433096
वृद्धि (प्रतिशत)		6.98	3.06	3.19	-2.08	18.65	2.37
हिस्सा (प्रतिशत)	12.12	12.37	11.49	11.67	10.89	11.91	11.44



7.3 आधार/प्रमाणित बीज उत्पादन एवं वितरण : – प्रदेश में किसानों को उच्च गुणवत्ता युक्त, अधिक उत्पादन देने वाले प्रमाणित बीज की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु राज्य शासन द्वारा विशेष प्रयास किये गये हैं। प्रमाणित बीज का उपयोग कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता वृद्धि का प्रमुख आधार है। राज्य पोषित/केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत आधार/प्रमाणित बीज उत्पादन एवं वितरण पर रू. 500 से लेकर 2500 तक अनुदान देने का प्रावधान है।

तालिका 7.4 **आधार/प्रमाणित बीज उत्पादन एवं वितरण**					
क्र.	विवरण	इकाई	2015–16 पूर्ति	2016–17 पूर्ति	2017–18 कार्यक्रम
1	**बीज उत्पादन कार्यक्रम**				
	खरीफ	हेक्टेयर	33428	32974	33000
	रबी		13652	9553	13500
	योग (खरीफ+रबी)		**47080**	**42527**	**46500**
2	**प्रमाणित बीज उत्पादन**				
	खरीफ	क्विं.	768198	980195	990000
	रबी		199804	125998	150000
	योग (खरीफ+रबी)		**968002**	**1106193**	**1140000**
3	**प्रमाणित बीज वितरण**				
	खरीफ	क्विं.	718800	1076018	744965
	रबी		149449	127484	143620
	योग (खरीफ+रबी)		**868249**	**1203502**	**888585**

प्रमाणित बीज उत्पादन तथा वितरण वर्ष 2015–16 में 9.68 लाख क्विंटल की तुलना में वर्ष 2016–17 में 14 प्रतिशत अधिक 11.06 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज का उत्पादन हुआ। वर्ष 2016–17 में 12.03 लाख क्विंटल बीज का वितरण किया गया।

7.4 उर्वरक एवं जैविक खाद वितरण :– कृषि में फसल उत्पादन एवं उर्वरक क्षमता हेतु आदान–प्रदान सामग्री के रूप में मुख्यतः रासायनिक उर्वरक एवं जैव उर्वरक की आवश्यकता होती है। विगत् दो वर्षों में उर्वरक एवं जैव उर्वरक वितरण की प्रगति निम्नानुसार है :–

तालिका 7.5 उर्वरक वितरण

वर्ष	उर्वरक वितरण (तत्व रूप में) (000 मे.टन)				प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत (कि.ग्रा. में)			
	नत्रजन	स्फुर	पोटाश	योग	नत्रजन	स्फुर	पोटाश	योग
2015–16								
खरीफ पूर्ति	299.56	125.34	35.06	459.97	62	26	7	96
रबी पूर्ति	114.11	65.80	24.69	204.62	67	39	15	120
योग (खरीफ+रबी)	**413.67**	**191.14**	**59.75**	**664.59**				
2016-17								
खरीफ पूर्ति	291.03	153.40	39.15	483.58	61	32	8	101
रबी पूर्ति	97.92	67.59	24.27	189.77	55	38	14	107
योग (खरीफ+रबी)	**388.95**	**220.99**	**63.42**	**673.35**				
2017-18 कार्यक्रम								
खरीफ लक्ष्य	296.10	164.60	48.80	509.50	62	34	10	106
रबी लक्ष्य	144.40	93.80	42.80	281.00	78	51	23	152
योग (खरीफ+रबी)	**440.50**	**258.40**	**91.60**	**790.50**				

तालिका 7.6 कल्चर वितरण

वर्ष	कल्चर वितरण खरीफ (पैकेट संख्या)				कल्चर वितरण रबी (पैकेट संख्या)			
	राइजोबियम	पीएसबी	एजेक्टोवेक्टर	योग	राइजोबियम	पीएसबी	एजेक्टोवेक्टर	योग
2012–13	372600	915320	162550	1450470	289208	540695	73440	903343
2013–14	385155	1108160	203900	1697215	446000	714295	102050	1265345
2014–15	1212140	386353	240347	1838840	669062	341379	90935	1101376
2015–16 पूर्ति	1291240	434620	247700	1973560	672550	353475	101975	1128000
2016–17 पूर्ति	1330235	436600	240780	2007615	676525	350160	83310	1109995
2017–18 कार्यक्रम	1386000	465800	263200	2115000	720000	380000	90000	1190000

7.5 प्रधानमंत्री स्वायल हेल्थ कार्ड वितरण योजना :– माननीय प्रधानमंत्रीजी की फ्लेगशीप योजना ''स्वायल हेल्थ कार्ड'' अंतर्गत प्रथम चक्र (वर्ष 2015–17) में छत्तीसगढ़ में मृदा नमूना संग्रहण व विश्लेषण लक्ष्य 7,03,691 के विरूद्व7,90,002 (112%) मृदा नमूनो का संग्रहण व विश्लेषण किया गया। स्वायल हेल्थ कार्ड वितरण लक्ष्य 38,90,709 के विरूद्व43,37,595 (112%) कार्ड किसानो को वितरण किया गया।

द्वितीय चक्र (वर्ष 2017–19) के प्रथम वर्ष 2017–18 हेतु कुल 4,69,378 नमूना संग्रहण व विश्लेषण एवं 2346890 स्वायल हेल्थ कार्ड प्रिंटींग व वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, इसके विरूद्व माह अक्टूबर 2017 तक 3,10,484 (66%) नमूना संग्रहण कर 2,09,710 (45%) नमूनो का विश्लेषण पश्चात 5,27,491 (22%) स्वायल हेल्थ कार्ड प्रिंटीग कर कृषकों को वितरण किया गया है।

7.6 जैविक खेती योजना :– प्रदेश के 5 जिले गरियाबंद, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा एवं नारायणपुर को पूर्ण जैविक जिला व शेष 22 जिलों के एक–एक विकासखंड को पूर्ण जैविक विकासखंड के रूप में विकसित किये जाने की योजना है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्य पोषित जैविक खेती मिशन तथा केन्द्र प्रवर्तित परंपरागत कृषि विकास योजना संचालित है।

7.7 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना :– प्रदेश में कृषकों के फसलों के बीमा हेतु खरीफ वर्ष 2016 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई जिसमें क्षतिपूर्ति हेतु पात्रता के मापदण्ड निम्नानुसार है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत क्षतिपूर्ति की पात्रता के मापदण्ड

- बुआई नहीं हो पाने की स्थिति/बुआई का फेल हो जाना।
- फसल की अवधि में नुकसान होने की स्थिति में।
- स्थानीय आपदाओं के मामले में क्षति की स्थिति में।
- फसल कटाई के उपरांत खेत में सुखाने के लिए फैलाकर रखी हुई फसल में नुकसान होने की स्थिति में।
- फसल पैदावार के आधार पर व्यायक क्षति की स्थिति में।

प्रदेश में कृषकों के फसलों के बीमा हेतु राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संचालित की गई, प्रगति निम्नानुसार है –

तालिका 7.7 फसल बीमा योजना प्रगति

वर्ष	बीमित कृषक संख्या	बीमित क्षेत्र (लाख हे.)	लाभान्वित कृषक संख्या	देय दावा राशि (लाख रू.)
2015–16	12,03,919	21.61	6,66,405	69604.71
2016–17	14,04,184	22.87	94,716	12626.74

7.8 कृषि यांत्रिकीकरण :– विभिन्न कृषि कार्यों के सुगमतापूर्वक एवं उचित समय पर पूर्ण कर उत्पादन में वृद्धि करने तथा प्रदेश के लघु सीमांत कृषकों को किराये पर उन्नत कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के साथ ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से योजना संचालित किया गया है जिसके तहत कृषि यंत्र सेवा केन्द्र स्थापना हेतु रू. 10 लाख तक वित्तीय सहायता दी जाती है। अब तक 569 कृषि यंत्र सेवा केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है।

वर्ष 2016–17 में योजनान्तर्गत राशि रू. 1500 लाख का प्रावधान किया जाकर प्रदेश में 150 कृषि यंत्र सेवा केन्द्र स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

7.9 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

कृषि–अधोसंरचना विकास

प्रयोगशाला सीापित–

- 26 नवीन स्थायी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला एवं 174 मिनी लैब मृदा परीक्षण हेतु स्थापित।
- उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला।
- राजनांदगांव में एक पौध संरक्षण औषधि एवं गुण नियंत्रण प्रयोगशाला।
- रायपुर में एक कृषि यंत्र परीक्षण प्रयोगशाला।
- तीन नवीन बीज परीक्षण प्रयोगशाला बिलासपुर, जगदलपुर एवं अंबिकापुर।

प्रशिक्षण केन्द्र–

- राज्य कृषि प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना।
- 92 विकासखंड स्तरीय शहीद वीरनारायण सिंह बहुउद्देशीय कृषक सेवा केन्द्र स्थापित।
- 360 कृषक सूचना केन्द्र निर्मित।

7.10 कृषि अभियांत्रिकी :-

तालिका 7.8 कृषि अभियांत्रिकी अंतर्गत विभिन्न योजनाओं की भौतिक/वित्तीय प्रगति

क्र.	गतिविधियॉ	इकाई	वर्ष 2016–17				वर्ष 2017–18 (सितम्बर, 2017 तक)			
			भौतिक		वित्तीय (लाख में)		भौतिक		वित्तीय (लाख में)	
			लक्ष्य	पूर्ति	आबंटन	व्यय	लक्ष्य	पूर्ति	आबंटन	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	कस्टम हायरिंग योजना									
	(क) डोजिंग कार्य	घंटे	19000	10212	225.00	205.23	19000	5568	156.60	64.11
	(ख) कल्टीवेशन कार्य	घंटे	22000	15460			22000	6322		
	(ग) यील्ड टेस्ट*	संख्या	-	35			-	4		
2	**सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाईजेशन**									
	1. ट्रेक्टर	संख्या	180	168	1131.46	1077.48	300	-	282.3	190.01 *
	2. पावर टिलर/पैडी ट्रांसप्लांटर/स्व चलित रीपर	संख्या	530	597			1750	-		
	3. शक्ति चलित यंत्र	संख्या	2732	2971			4177	-		
	4. हस्त चलित/बैल चलित कृषि यंत्रों का वितरण	संख्या	3649	75751			11000	-		
3	फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना	संख्या	71	58	500.00	418.00	86	-	0.00	0.00
4	''फसल प्रदर्शन'' योजनांतर्गत पैडी ट्रांसप्लांटर मशीन से कृषकों के खेत में धान रोपाई पर अनुदान	हेक्टेयर	1200	1075.71	90.00	80.67	1200	1019	0.00	0.00
5	कृषि यंत्र सेवा केन्द्रों की स्थापना	संख्या	150	144	1500.00	1344.50	150	-	0.00	0.00

(*) विगत वर्ष के लंबित देयकों के भुगतान हेतु व्यय की गई राशि।

रिमार्क :- *शासन द्वारा बाध्यता समाप्त करने के कारण।

कृषि विपणन

7.11 कृषि उपज मंडियॉ :– कृषि उत्पादन के सुनियोजित विपणन में कृषि उपज मंडियों का विशेष योगदान रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में 69 कृषि उपज मंडियां एवं 118 उपमंडियां कार्यरत है। मंडी समितियों का मुख्य उद्देश्य कृषकों को शोषण से बचाना, समयावधि में उनको उपज का उचित मूल्य दिलाना एवं विपणन की सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

तालिका 7.9 कृषि उपज मण्डियों में आवक, आय एवं प्राप्त मंडी शुल्क

विवरण	इकाई	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16
आवक	टन	9426298	10179396	8735603	8581824
आय	लाख रू.	18846.23	16364.81	22090.97	39520.15
बोर्ड शुल्क	लाख रू.	2369	1869	2534	5285

7.11.1 मंडियों में आवक :– राज्य में मंडियों में वर्ष 2015–2016 में 8581824 टन की आवक हुई, जबकि वर्ष 2016–17 में 9938893 टन की आवक हुई है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 13,57,069 टन अधिक है। इसी प्रकार मंडियों में वर्ष 2016–17 (माह अप्रैल से सितम्बर तक) में 12,72,782 टन की आवक हुई, जबकि वर्ष 2017–18 (माह अप्रैल से सितम्बर तक) में 18,92,304 टन की आवक हुई है, जो कि गत वर्ष की तुलना में आलोच्य अवधि में 6,19,522 टन अधिक है।

7.11.2 राष्ट्रीय कृषि बाजार :– प्रदेश की नियमित कृषि उपज मंडियों को तीन चरणें में राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ने की योजना है। इस हेतु 14 कृषि उपज मंडियॉ चिन्हांकित की गयी हैं। प्रथम चरण में 5 मंडियों को राश्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ा जा चुका है तथा द्वितीय एवं तृतीय चरण की मंडियों को राष्ट्रीय बाजार से जोड़े जाने की प्रक्रिया प्रगति पर है।

प्रथम चरण :– राजनांदगांव, कवर्धा, कुरूद, नवापारा, भाटापारा

द्वितीय चरण :– बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, धमतरी, जगदलपुर

तृतीय चरण :– मुंगेली, रायगढ़, बालोद, राजिम।

उपरोक्त मंडियों में राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल पर चिन्हांकित कृषि उपजों का ऑनलाईन क्रय–विक्रय प्रारंभ हो गया है।

7.11.3 मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला :– प्रदेश में 11 मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला तथा 111 मिनी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता मंडी बोर्ड/मंडी समिति द्वारा दी गई है। मंडियों में स्थापित मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला एवं मिनी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी परीक्षण की कार्यवाही प्रारंभ हो चुकी है।

7.11.4 एग्रीमंडी साफ्टवेयर :– छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड के वेबसाईट www.samb.cg.gov.in में संचालित एग्रीमंडी साफ्टवेयर (ऑनलाईन) में प्रदेश के कृषि उपज मंडियों की दैनिक आवक एवं भाव, मासिक जानकारी तथा अन्य जानकारीयां नियमित रूप से इंद्राज की जा रही है।

7.11.5 मोबाईल एप :– मंडी एंड्राईड मोबाईल एप तैयार की गई है, जो कि वेबसाईट www.samb.cg.gov.in में उपलब्ध है, जिसे एंड्राईड मोबाईल में डाउनलोड कर प्रदेश के कृषि उपज मंडियों की दैनिक आवक एवं भाव की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

7.11.6 फल–सब्जी मंडी :– उद्यानिकी फसलों के विपणन हेतु तुलसी (रायपुर), तिफरा (बिलासपुर), दुर्ग, राजनांदगांव, पखांजूर एवं रायगढ़ में फल–सब्जी उपमंडी की स्थापना की गई है।

7.11.7 आदर्श मंडी :– प्रदेश में धमतरी, कुरूद, राजनांदगांव, कवर्धा एवं मुंगेली में आदर्श मंडी की स्थापना की गई है।

7.11.8 गौ सेवा आयोग अनुदान :– गौ शालाओं तथा वृद्ध पशुओं की देखभाल हेतु गौ सेवा आयोग को मंडी बोर्ड द्वारा अपनी सकल आय का 5 प्रतिशत की दर से वर्ष 2005 से वर्ष 2015–16 तक एवं वर्ष 2016–17 में 10 प्रतिशत की दर अनुदान दिया गया है। इस प्रकार कुल 63.45 करोड़ अनुदान दिया गया है।

7.11.9 बीज उत्पादन एवं वितरण अनुदान :– मंडी बोर्ड द्वारा छ.ग.राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम को वर्ष 2014–15, वर्ष 2015–16 एवं वर्ष 2016–17 में बीज उत्पादन तथा वितरण अनुदान 74.70 करोड़ प्रदाय किया गया है।

7.11.10 एग्री बिजनेस :– इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से स्नातक, एग्रीक्लिनीक–एग्री बिजनेस डिप्लोमाधारी युवकों को एग्री बिजनेस तथा गौ–उत्पाद विपणन हेतु मंडियों में उपलब्ध दुकानों में से प्रथम 05 दुकानें, प्रथम आओ, प्रथम पाओ के आधार पर आरक्षित कर आबंटित करने के निर्देश मंडियों को दिये गये है।

7.11.11 हॉट बाजारों में आधारभूत संरचनाओं का निर्माण :– ग्रामीण अंचल में कृषि उपज के विपणन हेतु हाट बाजारों में सुविधा विकसित करने की दृष्टि से 36 हाट बाजारों को 5.35 करोड़ रूपये व्यय कर विकसित किया गया।

7.11.12 धान उपार्जन केन्द्रों में चबूतरा/गोदाम निर्माण :– समर्थन मूल्य पर क्रय धान की सुरक्षा की दृष्टिकोण से मंडी बोर्ड निधि से कुल 331 धान उपार्जन केन्द्रों में रूपये 45.54 करोड़ की लागत से 1324 चबूतरा निर्माण सह बोर खनन कराया गया है, साथ ही 78 केन्द्रों में 200 मे.टन गोदाम 78 नग बनाये गये हैं।

7.11.13 किसान शॉपिंग मॉल :– राजनांदगांव मंडी में कृषकों (विक्रेताओं) तथा मंडी कृत्यकारियों की सुविधा हेतु किसान शॉपिंग मॉल रूपये 2.29 करोड़ की लागत से वर्ष 2010 में निर्माण कराया गया है। शॉपिंग मॉल में कृषि आदान, खाद, बीज, पेस्टीसाईट, कृषि उपकरण, ट्रेक्टर पार्ट्स, छड़, सीमेन्ट, कपड़ा, ज्वेलरी, मनोरंजन हेतु मल्टीप्लेक्स टॉकिज, रेस्टोरेन्ट तथा गार्डन है।

उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी

7.12 उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी : छत्तीसगढ़ राज्य में उद्यानिकी फसलों के क्षेत्रफल एवं उत्पादन में वृद्धि करने हेतु उद्यानिकी विभाग द्वारा फल, सब्जी, मसाला, पुष्प एवं औषधीय पौध विकास योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही हैं। विभाग के अंतर्गत 119 उद्यान तथा 01 सब्जी बीज उत्पादन सह प्रगुणन प्रक्षेत्र बना है।

तालिका 7.7 उद्यानिकी फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता

क्र	फसल का नाम	(रकबा)	उत्पादन (मे.टन)	(रकबा)	उत्पादन (मे.टन)	उत्पादकता (मे.टन प्रति हे.)
		2015–16		2016–17		
1	फल	236374	2316728	250219	2477094	9.90
2	सब्जी	436887	6046485	463251	6556502	14.15
3	मसाला	96296	685616	96617	683333	7.07
4	औषधि एवं सुगंधित फसल	8260	66061	8543	60791	7.12
5	पुष्प	10699	50968	12169	56215	4.62

7.12.1 राज्य पोषित योजनाएँ :–

- **फल विकास कार्यक्रम** – योजनान्तर्गत कृषक द्वारा बैंक ऋण लेने पर आम, पपीता एवं केला के रोपण पर नाबार्ड के मापदंड अनुसार 25 प्रतिशत अनुदान देय है, किन्तु जो कृषक बैंक ऋण नहीं लेता चाहते है, उन्हें विभागीय फलोद्यान योजना के अंतर्गत केवल आम पर 25 प्रतिशत अनुदान, नाबार्ड के मापदण्डों पर दिया जाता है। वर्ष 2016–17 में 4013.86 हेक्टेयर में आम पौध रोपण कार्य किया गया जिस पर 319.92 लाख रू. व्यय हुए एवं वर्ष 2017–18 में माह सितम्बर 2017 तक 2832.15 हेक्टेयर क्षेत्र में आम पौध रोपण कार्य किया गया है। इसके साथ ही योजना अंतर्गत बेरोजगार नवयुवकों को 10–10 दिवस का दो चरणों में टाप वर्किंग प्रशिक्षण दिये जाने का प्रावधान है। प्रशिक्षण उपरांत इन प्रशिक्षार्थियों द्वारा आम, बेर, आंवला के देशी वृक्षों को उन्नतशील किस्मों में टाप वर्किंग कार्य द्वारा परिवर्तन किये जाने पर राशि रू. 10.00 प्रति सफल परिवर्तित वृक्ष पारिश्रमिक दिये जाने का प्रावधान है। योजनान्तर्गत वर्ष 2016–17 में 68339 एवं वर्ष 2017–18 में अद्यतन 34918 पौधों को टापवर्किंग उपरान्त उन्नत किस्मों में परिवर्तित किये जा चुके हैं।
- **नदी कछार/तटों पर लघु सब्जी उत्पादक समुदायों को प्रोत्साहन योजना** :– नदी कछार/तटीय क्षेत्रों में खेती करने वाले बी.पी.एल. एवं लघु सीमांत कृषकों को लाभान्वित करने की योजना है, जिसमें प्रति हितग्राही न्यूनतम 0.25 हेक्टर

एवं अधिकतम 0.4 हेक्टर क्षेत्र हेतु लाभ देने का प्रावधान है। वर्ष 2016–17 में 850.53 हेक्टेयर हेतु कृषकों को लाभान्वित किया गया, जिस पर 99.92 लाख व्यय हुए। वर्ष 2017–18 में 1063.50 हेक्टेयर क्षेत्र हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके विरूद्वअद्यतन 651.50 हेक्टेयर पूर्ति की जा चुकी है।

● **राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना** :– यह योजना राज्य सरकार द्वारा सामान्य कृषकों को ड्रिप सिंचाई पर अनुदान देने के उद्देश्य से वर्ष 2013–14 से राज्य के संपूर्ण जिलों में लागू की गई है। योजनान्तर्गत अनुमानित लागत का लघु एवं सीमांत कृषकों को 70 प्रतिशत अनुदान एवं बड़े कृषकों को 50 प्रतिशत अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। (अधिकतम रकबा 5 हेक्टर) योजनान्तर्गत वर्ष 2016–17 में 1667 हेक्टेयर ड्रिप प्रतिस्थापन का लक्ष्य रखा गया, जिसके विरूद्ध 1478.17 हेक्टेयर हेतु अनुदान दिया जा चुका है। जिस पर कुल राशि 886.90 लाख व्यय हुई है। वर्ष 2017–18 में भौतिक लक्ष्य 1451.72 हेक्टेयर निर्धारित किया गया है, जिसके लिए राशि रूपये 600.00 लाख प्रावधानित है।

● **कम्यूनिटि फेंसिंग योजना** :– उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने के लिए यह योजना वर्ष 2016–17 से लागू की गई है। वर्ष 2016–17 में 550.50 हेक्टेयर कम्यूनिटी फेंसिंग का लक्ष्य रखा गया, जिसके विरूद्ध 424.40 हेक्टेयर हेतु कार्य सम्पादित किया जा चुका है। जिस पर कुल राशि रू. 287.13 लाख व्यय हुई है। वर्ष 2017–18 में भौतिक लक्ष्य 825 हेक्टेयर निर्धारित किया गया है, जिसके विरूद्ध माह सितम्बर 2017 तक 112.22 हेक्टेयर की पूर्ति की जा चुकी है।

7.12.2 राष्ट्रीय बागवानी मिशन अंतर्गत कार्यक्रम (योजनान्तर्गत प्रगति) :-

तालिका 7.8 राष्ट्रीय बागवानी मिशन की अन्य योजनाएं

क्र.	योजना का नाम	2016–17		2017–18 अक्टू.17	
		क्षेत्रफल हे	व्यय लाख	क्षेत्रफल हे.	लक्ष्य प्राप्ति हे.
1	फलोद्यान विकासयोजना	3350	938.90	3496	2606
2	पुष्प विकास योजना	1100	262.50	750	650
3	मसाला, औषधीय एवं सुगंधित फसल योजना	2408	288.96	2050	1500
4	सब्जी क्षेत्र विकास योजना	2950	590.00	2600	900

● **हाइटेक नर्सरी** :– 4 हेक्टेयर क्षेत्रफल में हाइटेक रोपणी की सीपना हेतु इकाई लागत रु. 100.00 लाख प्रति यूनिट है। सार्वजनिक क्षेत्रों में हाइटेक रोपणी की स्थापना पर शत–प्रतिशत अनुदान एवं निजी क्षेत्र हेतु राशि रू. 40.00 लाख अनुदान देय है। वर्ष 2017–18 में 2 हाइटेक नर्सरी सार्वजनिक क्षेत्र में एवं 2 हाइटेक नर्सरी निजी क्षेत्र में स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2016–17 में 2 हाइटेक रोपणी का स्थापना (सार्वजनिक क्षेत्र) की गई जिस पर राशि रू. 200.00 लाख व्यय हुआ है।

● **लघु नर्सरी** :– 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में लघु रोपणी की स्थापना हेतु इकाई लागत रु. 15.00 लाख प्रति यूनिट है। सार्वजनिक क्षेत्रों में लघु रोपणी की स्थापना पर शत प्रतिशत एवं निजी क्षेत्र हेतु राशि रू. 7.50 लाख अनुदान देय है। वर्ष 2017–18 में 2 लघु नर्सरी सार्वजनिक क्षेत्र में एवं 2 लघु नर्सरी निजि क्षेत्र में स्थापना का लक्ष्य रखा गया है।

● **अपग्रेडिंग नर्सरी इनफ्रास्ट्रक्चर** :– अपग्रेडिंग नर्सरी इनफ्रास्ट्रक्चर स्थापना हेतु इकाई लागत रु. 10.00 लाख प्रति इकाई है। सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापना पर शत–प्रतिशत अनुदान देय है। वर्ष 2017–18 में 10 अपग्रेडिंग नर्सरी इनफ्रास्ट्रक्चर सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2016–17 में 9 अपग्रेडिंग नर्सरी इनफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना (सार्वजनिक क्षेत्र) की गई जिस पर राशि रू. 90.00 लाख व्यय हुआ है।

● **सब्जी एवं मसाला बीजों का उत्पादन** :– ओपन पालिनेटेड क्रॉप अन्तर्गत सब्जी एवं मसाला बीजों के उत्पादन हेतु इकाई लागत रु. 0.35 लाख प्रति हेक्टेयर है। सार्वजनिक क्षेत्रों में स्थापना पर शत–प्रतिशत एवं निजी क्षेत्र हेतु रू. 0.1225 लाख अनुदान देय है। वर्ष 2017–18 में सार्वजनिक क्षेत्र में 100 हेक्टेयर एवं निजि क्षेत्र में 50 हेक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2016–17 में सार्वजनिक क्षेत्र में 50 हेक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य पूर्ण किया गया, जिस पर राशि रू. 17.50 लाख व्यय हुआ है।

● **सामुदायिक जल संसाधन स्त्रोतों का विकास** :– सामुदायिक सिंचाई योजनान्तर्गत वर्ष 2016–17 में 15 टैंक का निर्माण एवं 75 वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाए गए, जिस पर कुल 356.25 लाख राशि व्यय हुई एवं वर्ष 2017–18 में 11 सामुदायिक टैंक, 100 वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का लक्ष्य रखा गया है, जिसके विरूद्ध माह सितम्बर 2017 तक 5 सामुदायिक टैंक, 40 वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

7.13 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना :– प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना केन्द्र प्रवर्तित योजना है, इस योजना का उद्देश्य कम पानी से अधिकाधिक क्षेत्र में सिंचाई करना है। इस योजना में लघु एवं सीमांत वर्ग के कृषकों के लिए केन्द्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार का 30 प्रतिशत हिस्से से कुल 70 प्रतिशत तथा बड़े कृषकों को 50 प्रतिशत अनुदान देय होगा। शेष राशि की व्यवस्था हितग्राही स्वयं के साधन से अथवा बैंक ऋण से करता है। योजनान्तर्गत वर्ष 2016–17 में हितग्राहियों को 3334.81 हेक्टेयर में ड्रिप प्रतिस्थापित कर लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2017–18 में 3130 हेक्टेयर में ड्रिप प्रतिस्थापन का लक्ष्य रखा गया है।

7.14 राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत प्रगति :– प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना केन्द्र प्रवर्तित योजना हैं, इस योजना का उद्देश्य कम पानी से अधिकाधिक क्षेत्र में सिंचाई करना हैं। इस योजना में लघु एवं सीमांत वर्ग के कृषकों के लिए केन्द्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार का 30 प्रतिशत हिस्से से कुल 70 प्रतिशत तथा बड़े कृषकों को 50 प्रतिशत अनुदान देय होगा। शेष राशि की व्यवस्था हितग्राही स्वयं के साधन से अथवा बैंक ऋण से करता है। योजनान्तर्गत वर्ष 2016–17 में हितग्राहियों को 3334.81 हेक्टेयर में ड्रिप प्रतिस्थापित कर लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2017–18 में 3130 हेक्टेयर में ड्रिप प्रतिस्थापन का लक्ष्य रखा गया है।

7.15 नेशनल ऑयल पाम क्षेत्र विस्तार योजना :– यह योजना आईलसीड एवं आईलपाम तथा आलीव्ह को बढ़ावा देने हेतु संचालित है। योजनान्तर्गत वर्ष 2017–18 में कार्य योजना राशि रू. 1024.64 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है। योजना अन्तर्गत वर्ष 2017–18 में 1500 हेक्टेयर आइलपाम रोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्ष 2016–17 में 1500 हेक्टेयर क्षेत्र में आइलपाम रोपण का कार्य कराया गया जिस हेतु राशि रू. 278.23 लाख व्यय हुए।

7.16 प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (मौसम आधारित) :– प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना किसानों की फसल के संबंध में अनिश्चितताओं को दूर करने के लिए प्रारम्भ हुई है। यह योजना प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई हानि को किसानों के प्रीमियम का भुगतान देकर एक सीमा तक कम करायेगी। योजना अन्तर्गत वर्ष 2017–18 में राज्य बजट में राशि रू. 1060.00 लाख प्रावधानित है। वर्ष 2016–17 में 2174.403 हेक्टेयर हेतु बीमा राशि रू. 202.04 लाख राज्यांश राशि का भुगतान किया गया।

7.17 एनएमएसए नेशनल मिशन आन एग्रो फारेस्ट्री (नवीन योजना) :– कृषि एवं वानिकी की तकनीकों का मिश्रण करके विविधतापूर्ण, लाभप्रद, स्वस्थ एवं टिकाऊ भूमि उपयोग सुनिश्चित किये जाने हेतु योजना संचालित है। योजनान्तर्गत वर्ष 2017–18 में कार्ययोजना राशि रू. 833.33 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है। योजनांतर्गत 7 छोटी नर्सरी, 10 बड़ी नर्सरी, 10 हाईटेक नर्सरी, 2400 हेक्टेयर परिधीय/बाउण्ड्री वानिकी पौध रोपण तथा 200 हेक्टेयर सघन वानिकी पौध ब्लाक वृक्षारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

जल संसाधन

7.18.1 भौगौलिक विवरण एवं उपलब्ध जल :– छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल 137.90 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से लगभग 42 प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है। छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल्य कृषि प्रधान राज्य है। राज्य में कुछ वृष्टिछाया प्रभावित खण्डों को छोड़कर अधिकतम भाग जल संसाधन से सम्पन्न हैं।

प्रदेश में विभिन्न स्त्रोतों से सतही जल की मात्रा 48296 मि.घ.मी. है, जिसमें से 41720 मि.घ.मी. जल उपयोग में लाया जा सकता है। केन्द्रीय भू–जल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार भूगर्भीय जल की मात्रा 11630 मि.घ.मी. है। अभी तक भूगर्भीय जल का लगभग 37% उपयोग में लाया जा रहा है। प्रदेश के कुल 146 विकासखण्ड में से 125 विकासखण्ड भू–जल की दृष्टि से सुरक्षित श्रेणी तथा 18 विकासखण्ड आंशिक संकटपूर्ण श्रेणी में हैं। 02 विकासखण्ड संकटपूर्ण श्रेणी में तथा 01 विकासखण्ड अत्याधिक दोहन की श्रेणी में आंकलित है।

7.18.2 सृजित सिंचाई क्षमता :- सिचांई के मुख्य साधन जलाशय, व्यपवर्तन, एनीकट/स्टॉपडेम एवं नलकूप आदि है। राज्य गठन के समय प्रदेश में निर्मित 03 वृहद, 29 मध्यम एवं 1945 लघु सिंचाई योजनाओं से कुल 13.28 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता सृजित थीं, जो वर्तमान में (मार्च 2017तक) 20.52 लाख हेक्टेयर हो गई हैं। इस तरह राज्य निर्माण के पश्चात कुल 7.24 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता की वृद्धि हुई। वर्तमान में प्रदेश की सिंचाई का प्रतिशत 36 हो गया है। वर्ष 2028 तक राज्य के कुल बोये गये क्षेत्र का 75 प्रतिशत अर्थात करीब 43 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में से 32 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सतही जल से सिंचाई क्षमता विकसित करने का लक्ष्य है।

7.18.3 निर्मित एवं निर्माणाधीन योजनाएं :- वर्तमान में 08 वृहद, 35 मध्यम एवं 2457 लघु सिंचाई योजनाएं तथा 651 एनीकट/स्टापडेम निर्मित है। जबकि 04 वृहद, 03 मध्यम एवं 418 लघु सिंचाई योजनाएं, तथा 157 एनीकट/स्टापडेम निर्माणाधीन हैं।

7.18.3.1 वृहद निर्माणाधीन परियोजनाएं :-

- **अरपा भैंसाझार परियोजना** :- यह योजना जिला बिलासपुर जिले के अंतर्गत कोटा विकासखण्ड में ग्राम–भैंसाझार के समीप अरपा नदी पर स्थित है। परियोजना की वर्तमान लागत रू. 1141.90 करोड़ है। योजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है। योजना से बिलासपुर जिले के कोटा, बिल्हा एवं तखतपुर विकासखंडों के अंतर्गत 102 ग्राम लाभान्वित होंगे। इस योजना के पूर्ण होने से लगभग 25,000 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित होगी।
- **केलो परियोजना** :- जिला रायगढ़ में केलो जलाशय परियोजना से रायगढ़ एवं जाजगीर– चांपा जिले के 175 ग्रामों की 22,810 हेक्टेयर भूमि में खरीफ के मौसम में सिंचाई की सुविधा प्राप्त होना है। इसके साथ ही योजनाएँ रायगढ़ शहर के पेयजल हेतु 4.44 मि.घ.मी. तथा परियोजना के निकट स्थापित उद्योगों हेतु 4.44 मि.घ.मी. जल प्रदाय किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना की पुनरीक्षित लागत रू. 920.47 करोड़ है। परियोजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है, इससे मार्च 2017 तक लगभग 16,215 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का सृजन हुआ है।
- **राजीव समोदा निसदा व्यपवर्तन** :- राजीव समोदा निसदा व्यपवर्तन योजना के प्रथम चरण में 2000 हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता निर्मित की जा चुकी है। योजना के द्वितीय चरण में 28,000 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ सिंचाई हेतु लगभग 70 कि.मी. लंबाई की मुख्य नहर के निर्माण हेतु रू. 114.45 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

7.18.4 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना :- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत भारत सरकार द्वारा चिन्हांकित 99 महत्वपूर्ण योजनाओं में प्रदेश की प्रमुख 03 योजनाएं यथा केलो वृहद सिंचाई परियोजना, खारंग सिंचाई परियोजना एवं मनियारी सिंचाई परियोजना शामिल की गई हैं। इससे कुल 42625 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता सृजित होगी। इन

योजनाओं को वर्ष 2017–18 के नवीन बजट में फास्ट ट्रेक अंतर्गत शामिल करते हुए रू. 20000 लाख का बजट प्रावधान रखा गया है।

7.18.5 सूक्ष्म सिंचाई एवं सौर सूक्ष्म सिंचाई योजना :- योजना अंतर्गत वर्ष 2015–16 के बजट में शामिल 02 योजनाओं यथा रायपुर जिले की ''हरदी एनीकट सूक्ष्म सिंचाई योजना'' का कार्य प्रारंभ है। योजना से 750 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई प्रस्तावित। राजनांदगांव जिले की ''धामनसरा–मोहड़ एनीकट सूक्ष्म सिंचाई योजना'' हेतु कार्य एजेंसी निर्धारित कर ली गई है। योजना से 480 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई प्रस्तावित है। इसी प्रकार वर्ष 2016–17 के बजट में 14 योजनाओं एवं वर्ष 2017–18 के बजट में 05 योजनाओं को नवीनमद के अंतर्गत शामिल किया गया है।

7.18.6 सौर सूक्ष्म सिंचाई येाजना :- सौर सूक्ष्म सिंचाई हेतु वर्ष 2016–17 के बजट में 11 योजनाओं एवं वर्ष 2017–18 के बजट में 15 योजनाओं को नवीनमद में शामिल किया गया है। इस योजना से विद्युत ऊर्जा की भी बचत होगी।

7.19 महानदी आयाकट :-

7.19.1 मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना :- मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना एक बहुउद्देश्यीय वृहद सिंचाई परियोजना है। जो हसदेव नदी पर कोरबा जिले के बांगो ग्राम के पास निर्मित है। बांध के 42 कि.मी. नीचे कोरबा के पास बैराज का निर्माण किया गया है। वर्तमान में बांध का शत–प्रतिशत निमार्ण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। परियोजना से कोरबा, जांजगीर–चांपा एवं रायगढ़ जिले के लगभग 923 ग्राम सिंचाई सुविधा से लाभान्वित है। परियोजना की निर्मित सिंचाई क्षमता 2,47,400 हेक्टेयर खरीफ एवं 173180 हेक्टेयर रबी कुल 4,20,580 हेक्टेयर है। परियोजना अंतर्गत कोरबा जिले की 5969 हेक्टेयर, जांजगीर–चांपा जिले के 2,29,520 हेक्टेयर तथा रायगढ़ जिले के 11,911 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई, सुविधा का लाभ उपलब्ध कराना प्रस्तावित है। योजना से वर्ष 2007 से ही पूर्ण सिंचाई क्षमता 4,20,580 हेक्टेयर (खरीफ 2,47,400 हेक्टेयर एवं रबी 1,73,180 हेक्टेयर) निर्मित की जा चुकी है। बांगो जलाशय से औद्योगिक जल प्रदाय हेतु 418.95 मि.घ.मी. तथा कोरबा नगर निगम को पेयजल हेतु 14 मि.घ.मी. जल प्रदाय किया जाना प्रावधानित है।

वर्ष 2016 में बांगो परियोजना से खरीफ सिंचाई हेतु 2,47,400 हेक्टेयर सिंचाई का लक्ष्य रखा गया था। जिसके विरूद्ध अंतिम खरीफ प्रतिवेदन के अनुसार 2,35,102 हेक्टेयर भूमि में खरीफ सिंचाई की गई थी। इस वर्ष 2017 में हसदेव बांगो परियोजना से 2,47,400 हेक्टेयर में खरीफ सिंचाई का लक्ष्य रखा गया है, जिसके विरूद्ध खरीफ सिंचाई के अद्यतन प्रतिवेदन के अनुसार 2,31,853 हेक्टेयर में खरीफ सिंचाई की गई है। गिरदावली पश्चात् संरचनाधीन संभागों से प्राप्त खरीफ सिंचाई के आंकड़ो के आधार पर अंतिम खरीफ सिंचाई प्रतिवेदन तैयार किया जावेगा।

मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना की नहर प्रणाली 20–25 वर्ष पूर्व निर्मित होने से टूट–फूट एवं लाइनिंग की जीर्णवस्था होने से रूपांकित क्षमता/निर्मित क्षमता के विरूद्ध एवं वास्तविक सिंचाई में हो रही कमी को दूर करने हेतु ई.आर.एम. कार्यो के तहत रू. 492.32 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति शासन द्वारा दिनांक 13.12.2012 को प्रदाय की गई थी। इस कार्य के पूर्ण हो जाने पर रूपांकित क्षमता एवं वास्तविक सिंचाई के आंकड़ो में आ रही कमी दूर की जा सकेगी।

7.19.2 केलो परियोजना :- केलो परियोजना रायगढ़ शहर से 8 कि.मी. की दूरी पर रायगढ़ – अम्बिकापुर राजमार्ग पर ग्राम दनौट में केलो नदी पर प्रस्तावित है। इस बांध के निर्माण से रायगढ़ एवं जांजगीर–चांपा जिले (रायगढ़, खरसिया, सरिया एवं चंद्रपुर विधान सभा क्षेत्र) के 175 ग्रामों की 24396 हेक्टेयर भूमि में से 22810 हेक्टेयर खरीफ की सिंचाई सुविधा के साथ–साथ रायगढ़ शहर को पेयजल हेतु 4.44 मि.घ.मी. तथा परियोजना के पास स्थापित उद्योग हेतु 4.44 मि.घ.मी. जल प्रदाय किया जाना प्रस्तावित है। योजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रस्ताव लागत रू. 598.91 करोड़ का शासन के पत्र क्रमांक 3683/एफ–7–40–31/एस.–2/2000 दिनांक 25.07.2009 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी। परियोजना की वर्तमान लागत 990.34 करोड़ है। परियोजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसे दिनांक 31.03.2019 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

केलो परियोजना की रूपांकित सिंचाई क्षमता 22,810 हेक्टेयर है। जून 2017 तक 16815 हेक्टेयर तथा शेष 5995 हेक्टेयर मार्च/2019 तक निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। इस वर्ष 2017 में खरीफ सिंचाई हेतु रायगढ़ जिले में 110000 हेक्टेयर क्षेत्र में ट्रायलरन पर जल प्रदाय किया जाना प्रस्तावित है, जिसके विरूद्ध 5450 हेक्टेयर में सिंचाई की गई है। केलो परियोजना शीर्ष एवं नहर कार्यो की भौतिक प्रगति क्रमशः 99 एवं 65 प्रतिशत माह सितम्बर, 2017 तक प्राप्त की जा चुकी है। परियोजना में स्वीकृत लागत रू. 59,891 लाख के विरूद्ध सितम्बर, 2017 तक कुल राशि रू. 71044 लाख व्यय की जा चुकी है।

छ.ग. शासन आदर्श पुनर्वास नीति यथा संशोधित 2007 के तहत केलो परियोजना के डूबान से प्रभावित विस्थापित परिवारों को निर्धारित मापदण्डों के अनुसार मूलभूत सुविधायें जैसे :– पुर्नवास स्थल पर आवासीय भू–खण्ड, पंचायत भवन, नलकूप, प्राथमिक शाला, सहकारी भण्डार, स्वास्थ सेवा बाजार एवं विस्थापितों के आर्थिक उत्थान के लिए शासन द्वारा संचालित योजनाओं जैसे पशुपालन, मत्स्य पालन, रेशम पालन, मधुमक्खी पालन, खरीफ फसल के पश्चात् जलाशय का जल स्तर कम होने के पश्चात् जलाशय के परिधि में रिक्त भूमि (तलछट) कृषि हेतु प्राथमिकता के आधार पर लीज पर भूमि उपलब्ध किया जाना प्रस्तावित है।

7.19.3 साराडीह बैराज का निर्माण कार्य :- इस संरचना अंतर्गत महानदी पर साराडीह बैराज जिसकी लागत रू. 620.40 करोड़ है का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वर्तमान में लगभग 95 प्रतिशत कार्यपूर्ण किया जा चुका है। सितम्बर, 2017 तक लागत के विरूद्ध राशि रू. 376.13 करोड़ व्यय की जा चुकी है। इस बैराज के निर्माण पश्चात् संग्रहित उपलब्ध जल से 333 हेक्टेयर में स्वयं के साधन से सिंचाई के साथ–साथ औद्योगिक संस्थानों को उपयोग हेतु जल उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। इस बैराज से निम्नानुसार औद्योगिक संस्थानों को जल प्रदाय किया जाना प्रस्तावित है :–

तालिका 7.9 साराडीह बैराज

क्र.	संस्थान के नाम	स्वीकृत जल कुल मात्रा वार्षिक	संस्थान हेतु ग्रीष्मकालीन आरक्षित जल संग्रहण	आफटेक पाईंट	अभियुक्ति
साराडीह बैराज		प्रस्तावित जल संग्रण मात्रा			54.24
1	इण्ड बारत एनर्जी लि. हैदराबाद (600 मे.वा.)	20.00	4.50	साराडीह बैराज	–
2	वीसा पॉवर लि., कोलकाता (1200 मे.वा.)	35.00	7.87	साराडीह बैराज	–
3	बी.ई.सी. पॉवर प्रा.लि. मुम्बई (505 मे.वा.)	14.50	3.26	साराडीह बैराज	–
4	अ) एस.के.एस. इस्पात एण्ड पॉवर लि., रायपुर (600 मे.वा.)	24.00	5.40	साराडीह बैराज	–
	ब) एस.के.एस. इस्पात एण्ड पॉवर लि., रायपुर (अतिरिक्त 600 मे.वा.)	11.00	2.47	साराडीह बैराज	–
5	अ) आर.के.एम.पॉवरजेन प्रा.लि., चैन्नई (1200 मे.वा.)	35.00	7.88	साराडीह बैराज	–
	ब) आर.के.एम.पॉवरजेन प्रा.लि., चैन्नई (अतिरिक्त 200 मे.वा.)	9.83	2.21	साराडीह बैराज	–
6	अ) एन.टी.पी.सी., लारा (4000 मे.वा. के प्रथम चरण 1600 मे.वा. हेतु)	45.00	15.18	साराडीह बैराज	–
	ब) एन.टी.पी.सी., लारा (4000 मे.वा. के द्वितिय चरण 2400 मे.वा. हेतु)	68.00	3.81	साराडीह बैराज	–
7	जिंदल स्टील एण्ड पावर लि. रायगढ़ (1000 मे.वा.)	88.00	1.66	कमला बैराज	शासन के पत्र क्र. 8004 / 29/1/91/म/31 औजप्र/01/डी–4, रायपुर, दिनांक 28.12.13 द्वारा संस्थान को मांग पत्र प्रेषित किया जाना स्थगित रखने हेतु निर्देश प्राप्त हुए है।
	योग :–	**350.33**	**54.24**	–	–

7.19.4 शिवरीनारायण बैराज का निर्माण कार्य :- इस संरचना अंतर्गत महानदी पर शिवरीनारायण बैराज जिसकी लागत रू. 162.43 करोड़ है जिसका निर्माण कार्य प्रगति पर है। वर्तमान में लगभग 90 प्रतिशत कार्यपूर्ण किया जा चुका है। सितम्बर, 2017 तक लागत के विरूद्ध राशि रू. 110.17 करोड़ व्यय की जा चुकी है। इस बैराज के निर्माण पश्चात् संग्रहित उपलब्ध जल से 690 हेक्टेयर में किसानों को स्वयं के साधन से सिंचाई के साथ–साथ औद्योगित संस्थानों के उपयोग हेतु उपलब्ध किया जाना प्रस्तावित है।

तालिका 7.10 शिवरीनारायण बैराज

स.क्र.	संस्थान के नाम	स्वीकृत जल की कुल मात्रा वार्षिक	संस्थान हेतु ग्रीष्मकालीन आरक्षित जल संग्रहण	आफटेक पाईंट	अभियुक्ति
शिवरीनारायण बरॉज :–		**प्रस्तावित जल संग्रण मात्रा**			**37.00**
1	जिंदल स्टील एण्ड पावर लि. रायगढ़ (600 मे.वा.)	42.00	9.45	कमला बरॉज	–
2	कर्नाटक पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड (1600 मे.वा)	52.00	17.55	शिवरीनारायण बरॉज	–
3	के.एस.के. महानदी पॉवर कंपनी लिमिटेड (वर्धा पॉवर) (1850 मे.वा.)	100.00	10.00	बसंतपुर बरॉज	संस्थान को 34.00 मि.घ.मी. अतिरिक्त जल मानसून अवधि (जुलाई से सितंबर) तथा मानसून पश्चात् अवधि (अक्टूबर से दिसंबर) में आबंटित किया जाना प्रस्तावित है।
योग :–		**194.00**	**37.00**	–	–

7.19.5 एनीकट :– संरचनाधीन 18 एनीकट निर्मित है, जिनमें किसानों द्वारा स्वयं के साधन से 2896 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जा रही है। 07 एनीकट निर्माणाधीन हैं। जिसके पूर्ण होने पर 1180 हेक्टेयर क्षेत्र में किसानों द्वारा स्वयं के साधन से सिंचाई प्रस्तावित है। निर्माणाधीन कार्यो की विस्तृत जानकारी तालिका क्र. 7.11 में दर्शित है।

तालिका 7.11 निर्माणाधीन एनीकट की जानकारी सितम्बर 2017 तक

(राशि लाख में)

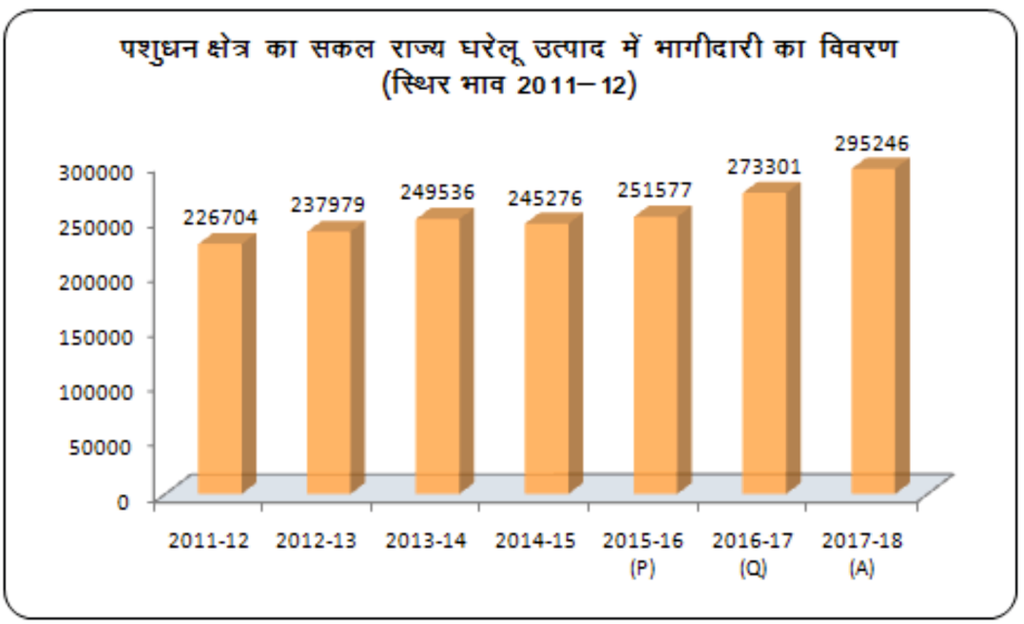
स. क.	एनीकट का नाम	नदी/नाला	जिला	विकास खण्ड	जल भराव क्षमता (मि.घ.मी.)	रूपांकित सिंचाई क्षमता (हेक्ट.में)	लागत राशि	अनुबंधित राशि	मार्च 2017 तक कुल व्यय राशि	सितम्बर 2017 तक व्यय राशि	अब तक का अद्यतन व्यय राशि	भौतिक प्रगति	प्रतिशत
1	बेलकर्री एनीकट	सोन नदी	जांजगीर–चॉपा	जैजैपुर	0.75 मि.घ.मी.	345.00	611.53	548.89	497.97	61.08	559.05	निर्माण कार्य प्रगति पर।	95%
2	मोहंदी एनीकट	बोरई नदी	जांजगीर–चॉपा	मालखरौदा	0.19 मि.घ.मी.	जल संवर्धन एवं निस्तारी हेतु।	458.70	382.48	372.17	33.17	405.88	निर्माण कार्य प्रगति पर।	95%
3	तालदेवरी एनीकट	हसदेव नदी	जांजगीर–चॉपा	बम्हनीडीह	2.35 मि.घ.मी.	130.00	2606.18	234.55	1015.50	295.51	1311.01	निर्माण कार्य प्रगति पर, पुनः निविदा आमंत्रित।	55%
4	गंजियाबोर	सोन नदी	जांजगीर–चॉपा	जैजैपुर	0.15 मि.घ.मी.	200.00	375.57	320.00	355.86	0.64	356.50	निर्माण कार्य प्रगति पर।	95%
5	भर्रीकोना एनीकट	बोरई नदी	जांजगीर–चॉपा	मालखरौदा	0.23 मि.घ.मी.	250.00	450.72	398.47	464.65	6.55	471.20	निर्माण कार्य प्रगति पर।	95%
6	कचंदा एनीकट	सोन नदी	जांजगीर–चॉपा	जैजैपुर	0.08 मि.घ.मी.	255.00	676.79	536.49	7.92	285.76	293.68	निर्माण कार्य प्रगति पर।	54%
7	सर्वेश्वर	हसदेव नदी	जांजगीर–चॉपा	कोरबा	9.7 मि.घ.मी.	पेयजल हेतु।	4984.15	5602.99	0.00	0.00	0.00	निर्माण कार्य प्रगति पर।	-
					योग :–	**1180.00**	**10163.64**		**2714.07**	**682.71**	**3397.32**	**-**	**-**

पशुधन

7.20.1 छत्तीसगढ़ राज्य के अधिकांश ग्रामीण परिवारों का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है। पशु संगणना 2012 के अनुसार प्रदेश में 1.50 करोड़ पशुधन तथा 1.80 करोड़ कुक्कुट एवं बतख पक्षीधन है। देशी नस्ल के पशुओं की दुग्ध उत्पादन की क्षमता में वृध्दि की दृष्टि से पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत उन्नत नस्ल के सांडों के वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान एवं उन्नत नस्ल के सांडों से प्राकृतिक गर्भाधान को बढ़ावा दिया जा रहा है। अन्य विभागीय कार्यक्रमों का संक्षिप्त ब्यौरा निम्नानुसार है :–

तालिका 7.12 पशुधन क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में भागीदारी का विवरण (स्थिर भाव 2011–12)

सांख्यिकी	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16 (P)	2016-17 (Q)	2017-18 (A)
भागीदारी (लाख)	226704	237979	249536	245276	251577	273301	295246
वृद्धि (प्रतिशत)		4.97	4.86	-1.71	2.57	8.64	8.03
हिस्सा (प्रतिशत)	1.53	1.53	1.45	1.40	1.37	1.37	1.39



7.20.2 गौवंशीय एवं भैसवंशीय पशु विकास :– पशु संगणना 2012 के अनुसार गौवंशीय एवं भैसवंशीय प्रजनन योग्य पशुओं की संख्या 36.34 लाख है। राज्य में वर्ष 2016–2017 की अवधि में पशुओं में उन्नत प्रजनन सुविधा हेतु, 22 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र, 249 हिमीकृत वीर्य कृत्रिम गर्भाधान ईकाईयां, 321 पशु चिकित्सालय, 803 पशु औषधालय, 10 मुख्य ग्राम खण्ड, 99 मुख्य ग्राम खण्ड ईकाई कार्यरत है। उपरोक्त संस्थाओं द्वारा वर्ष 2016–2017 में 5.71 लाख पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराई गई हैं। आलोच्य अवधि में कृत्रिम गर्भाधान से 1.76 लाख वत्सोत्पादन हुआ। तथा 26.51 लाख पशुओं का उपचार, 27.14 लाख पशुओं को औषधि प्रदाय, 3.37 लाख पशुओं में बधियाकरण, एवं 252.98 लाख पशुओं में टीकाकरण का कार्य किया गया है।

वर्ष 2017–2018 में सितम्बर 2017 तक 2.71 लाख पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराई गई । जिससे 0.74 लाख कृत्रिम गर्भाधान से वत्सोंत्पादन हुआ। तथा 12.07 लाख पशुओं का उपचार, 11.55 लाख पशुओं को औषधि प्रदाय, 0.80 लाख पशुओं में बधियाकरण , एवं 112.36 लाख पशुओं में टीकाकरण का कार्य किया गया है।

7.20.3 बकरी विकास :– प्रदेश में वर्ष 2012 की पशु संगणना के अनुसार 32.25 लाख बकरे–बकरियॉ है। प्रदेश में कार्यरत प्रक्षेत्रो के अंन्तर्गत अधिक उत्पादन वाली नस्लों का प्रजनन किया जाता है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में स्थानीय बकरियों के नस्ल सुधार हेतु उन्नत नस्ल के ग्रेडेड नस्ल का बकरा विभागीय व्यक्तिमूलक योजना में (विशेष घटक योजनांतर्गत) अनूसचित जाति वर्ग के एवं (आदिवासी उपयोजनांतर्गत) अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को अनुदान पर प्रजनन योग्य बकरों का वितरण किया जाता है। वर्ष 2016–17 में योजनांतर्गत राशि रू 40.00 लाख मे से राशि रू 39..28 लाख ब्यय कर कुल 982 बकरों का वितरण किया गया। वर्ष 2017–18 में योजनांतर्गत माह सितम्बर 2017 तक राशि रू 40.00 लाख मे से राशि रू 27.08 लाख ब्यय कर 695 बकरों का वितरण किया गया।

प्रदेश में बकरी पालन को बढ़ावा दिये जाने हेतु दो नवीन बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र की स्थापना ग्राम सरोरा जिला रायपुर तथा रामपुर (ठाठापुर) जिला कबीरधाम में की गई है।

7.20.4 सूकर विकास :– वर्ष 2012 की पशु संगणना के अनुसार राज्य में 4.39 लाख सूकर हैं। सूकर नस्ल सुधार हेतु चयनित सूकर पालकों को वर्ष 2016 –17 में अनुदान पर सूकरत्रयी (2 मादा + 1 नर सूकर) वितरण हेतु राशि रू. 103.98 लाख आबंटन अन्तर्गत लक्ष्यित 1155 सूकरत्रयी के विरुध्द राशि रू. 98.34 लाख ब्यय कर 1093 सूकरत्रयी प्रदाय किया गया एवं अनुदान पर नर सूकर वितरण हेतु राशि रू. 30.00 लाख आबंटन अन्तर्गत लक्ष्यित 857 नर सूकर के विरूध्द राशि रू. 28. 26 लाख ब्यय कर 807 नर सूकर अनुदान पर प्रदाय कर हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया हैं।

वर्ष 2017–18 में अनुदान पर सूकरत्रयी (2 मादा + 1 नर सूकर) वितरण हेतु राशि रू. 103.98 लाख आबंटन अन्तर्गत लक्ष्यित 1155 सूकरत्रयी के विरुद्ध राशि रू. 81.03 लाख ब्यय कर 900 सूकरत्रयी प्रदाय किया गया एवं अनुदान पर नर सूकर वितरण हेतु राशि रू. 30.00 लाख आबंटन अन्तर्गत लक्ष्यित 857 नर सूकर के विरूद्ध राशि रू. 15.71 लाख व्यय कर 448 नर सूकर अनुदान पर प्रदाय कर हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया हैं।

प्रदेश में सूकर पालन को बढ़ावा दिये जाने हेतु सकालो जिला अम्बिकापुर एवं परचनपाल जिला जगदलपुर में सूकर प्रजनन प्रक्षेंत्र संचालित है। जिसमें लार्ज व्हाइटयार्कशायर, रशियन चरमुखा नस्ल के सुकरों का प्रजनन किया जा रहा है। एक नवीन सूकर पालन प्रक्षेत्र की स्थापना कुनकुरी जिला जशपुर में प्रगति पर है।

7.20.5 शत–प्रतिशत अनुदान पर सांडों का प्रदाय :– प्रदेश मे वर्ष 2006–07 से पशु नस्ल के उन्नयन हेतु ऐसे सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां कृत्रिम गर्भाधन की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां पर ग्राम पंचायतों के माध्यम से उन्नत प्रगतिशील किसान/गौसेवक को शत्–प्रतिशत अनुदान पर सांडो का प्रदाय करने की योजना प्रारंभ की गयी हैं। योजना प्रारंभ से माह सितम्बर 2017 तक कुल 5088 सांड़ विभिन्न ग्राम पंचायतो में प्रदाय किये गये है। वर्ष 2016–17 में शत्–प्रतिशत अनुदान पर साड़ वितरण हेतु कुल राशि रु0 69.80 लाख आबंटन अन्तर्गत लक्ष्यित 292 साड़ों का वितरण किया गया हैं। वर्ष 2017–18 में माह सितम्बर 2017 तक राशि रू. 72.80 लाख में से 145 साड़ों का वितरण किया गया है, शेष सांड़ों के वितरण कार्य प्रगति पर है।

तालिका 7.13

चिकित्सालय	संख्या
पशु चिकित्सालय	321
पशु औषधालय	803
चल चिकित्सालय	27
माता महामारी उन्मूलन योजना	05
पशु जॉच चौकियॉ	07
रोग अनुसंधान प्रयोगशाला	18
कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	22
कृत्रिम गर्भाधान उपकेन्द्र	249
एम्बुलेट्री क्लीनिक	10
मोटर सायकल यूनिट	20
मुख्य ग्राम खण्ड	10
मुख्य ग्राम खण्ड इकाई	100

7.20.6 कुक्कुट विकास :– प्रदेश मे पशु संगणना 2012 के अनुसार कुल 179.55 लाख कुक्कुट एवं बतख पक्षी हैं। प्रदेश में 7 कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र एवं 2 बतख पालन प्रक्षेत्र स्थापित हैं। इन प्रक्षेत्रों पर उत्पादित रंगीन चूजों का वितरण बैकयार्ड कुक्कुट इकाई वितरण योजनांतर्गत आहार एवं औषधि सहित घर तक परिवहन पश्चात् अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को प्रदाय किया जाता हैं। योजनांतर्गत कुक्कुट चूंजों के अलावा बतख एवं बटेर चूजों का भी प्रदाय किया जाता हैं। वर्ष 2016–17 में बैकयार्ड कुक्कुट इकाई वितरण योजनांतर्गत राशि रू. 240.00 लाख आबंटन अंतर्गत राशि रू. 238.71 लाख ब्यय कर कुल 8841 हितग्राहियों को योजनान्तर्गत लाभान्वित किया गया है।

वर्ष 2017–18 में माह सितम्बर 2017 तक राशि रू. 240.00 लाख आबंटन अंतर्गत राशि रू. 162.31 लाख व्यय कर 6011 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। वर्तमान शेष बैकयार्ड कुक्कुट इकाईयों का वितरण शासकीय कुक्कुट पालन प्रक्षेत्रों से किया जा रहा है।

7.20.7 अतिरिक्त केन्दीय सहायता राशि :– राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत, विभाग के लिये वर्ष 2016–2017 में कुल 10 योजनाओं हेतु राशि रू. 2612.92 लाख की कार्ययोजना स्वीकृत हुई थी जिसके विरूद्ध राशि रू. 2610.67 लाख व्यय की गई है।

वर्ष 2017–2018 में कुल 10 योजनाओं हेतु राशि रू. 2274.59 लाख की कार्ययोजना स्वीकृत हुई है, जिसके अन्तर्गत रू. 923.00 लाख का बंटन प्राप्त हुआ है एवं सितम्बर 2017 तक रू. 592.30 लाख व्यय किया गया है।

7.20.8 प्रायवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता प्रशिक्षण योजना :– राष्ट्रीय कृषि आयोग की अनुशंसा अनुसार राष्ट्रीय गौवंशीय, भैसवंशीय परियोजनान्तर्गत प्रत्येक 1200 पशुओं पर एक कृत्रिम गर्भाधान ईकाई की आवश्यकतानुरूप, स्वरोजगारोन्मुखी प्राईवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता प्रशिक्षण योजना का कियान्वयन किया जा रहा है। जिसमें प्रशिक्षित गौ सेवको, स्थानीय बेरोजगार को एक माह का सैद्यान्तिक एवं व्यावहारिक तथा 3 माह का क्षेत्रीय/प्रशिक्षण देकर कृत्रिम गर्भाधान का कार्य कराया जा रहा है। वर्ष 2016–2017 में कुल 400 मैत्री/प्राईवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओ को प्रशिक्षण दिया गया है।

वर्ष 2017–2018 में कुल 100 मैत्री/प्राईवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता को प्रशिक्षित किया जाना प्रस्तावित है। इन्हे निःशुल्क औजार, उपकरण प्रदाय कर नियमित रूप से तरल नत्रजन एवं स्ट्रा प्रदाय की व्यवस्था नजदीकी विभागीय संस्था के माध्यम से की जा रही है तथा प्रत्येक वत्सोत्पादन पर 05 चरणों में रू. 1200 मानदेय देने का प्रावधान है।

7.20.9 ग्रामोंत्थान योजना :– राज्य में पशु नस्ल सुधार द्वारा कृषको की आमदनी में वृध्दि करने तथा कृषि कार्यो के लिये उन्नत नस्ल के सक्षम व ताकतवर पशुओं के विकास करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा कई पशु नस्ल सुधार योजनायें चलाई जा रही है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये पशु पालकों सहित गरीब चरवाहों को भी पशुधन विकास और पशुओं पर आधारित आर्थिक गतिविधियों में शामिल करने, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2006–07 से ग्रामोंत्थान योजना प्रारंभ किया गया है। योजना प्रारंभ से अब तक कुल 15709 चरवाहो का पंजीयन किया गया है। योजना का उद्देश्य पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान हेतु आवश्यक सूचना तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिये, चरवाहों को पशुपालन विभाग की आवश्यक कड़ी के रुप में जोड़ना है। वर्ष 2016–17 में ग्रामोत्थान योजना हेतु राशि रु. 29.37 लाख राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत प्रोत्साहन राशि रू. 15/प्रति कृत्रिम गर्भाधान एवं 15/– प्रति बधियाकरण कार्य में सहयोग हेतु चरवाहों को कुल 1,19,466 कृत्रिम गर्भाधान/बधियाकरण में राशि रू. 29.91 लाख प्रदाय किया गया है।

वर्ष 2017–18 में कुल 2.33 लाख कृत्रिम गर्भाधान/बधियाकरण कार्य का लक्ष्य के विरूद्ध रू. 35.00 लाख प्रावधानित है। सितम्बर 2017 तक 14.74 लाख खर्च किया गया है।

7.20.10 छततीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरण :– छत्तीसगढ़ राज्य में पशु संवर्धन की राष्ट्रीय गौवंशीय–भैसवंशीय पशु प्रजनन परियोजना के संचालन व नियंत्रण हेतु राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरण की स्थापना जून 2001 में की गई। अभिकरण को राष्ट्रीय गौवंशीय–भैसवंशीय पशु प्रजनन परियोजनान्तर्गत विभिन्न घटको के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2001–02 से वर्ष 2016–17 तक कुल आबंटन रु. 3752.14 लाख प्राप्त हुआ। परियोजनांतर्गत मुख्य उपलब्धियां निम्नानुसार हैं :–

- पशु संवर्धन कार्य हेतु आवश्यक हिमीकृत वीर्य का उत्पादन राज्य में सुनिश्चित करने के लिए फ्रोजन सीमन बुल स्टेशन की स्थापना।
- घर पहुंच सेवा सुनिश्चित करने हेतु 1109 अचल कृत्रिम गर्भाधान इकाईयों का चल कृत्रिम गर्भाधान इकाईयों में परिवर्तन।

- कृत्रिम गर्भाधान पहुंच विहीन गांवों में गर्भाधान व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु उन्नत किस्मों के सांडों का प्रदाय।
- कृत्रिम गर्भाधान कार्य हेतु आवश्यक तरल नत्रजन प्रदाय एवं भण्डारण व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण।
- गुणवत्ता परीक्षण उपरांत हिमीकृत वीर्य प्रदाय व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये वीर्य संग्रहालयों का सुदृढ़ीकरण।
- पशु नस्ल आवश्यक सुधार हेतु आवश्यक सूचना तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए चरवाहों को प्रशिक्षण।
- 1109 प्राईवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण व सामग्री प्रदाय एवं ए.आई. क्षेत्र विस्तार तथा स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु प्रदाय किया गया है।
- राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना अन्तर्गत राष्ट्रीय गोकुल ग्राम की स्थापना हेतु रू. 6.57 करोड़ का अनुमोदन।
- मानव संसाधन विकास हेतु विभागीय व गैर विभागीय क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को राज्य व राज्य के बाहर प्रशिक्षण। राष्ट्रीय गौवंशीय/भैसवंशीय परियोजना का राज्य में संचालित होने से कृत्रिम गर्भाधान कार्य में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। फलस्वरूप प्रतिवर्ष संकर/उन्नत नस्ल की दुधारू गायों की संख्या में वृद्धि हो रही है। परिणामस्वरूप राज्य में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हो रही है।

7.20.11 केन्द्रीय योजना (एस्काड) :– केन्द्र प्रवर्तित योजना लाइवस्टाक हेल्थ एण्ड डिसिज कण्ट्रोल अन्तर्गत एस्काड संचालित है जिसके अंतर्गत प्रमुख रोगों के प्रतिबंधात्मक टीकाकरण, पशुउपचार शिविर, प्रशिक्षण, कार्यशाला का आयोजन, पशु पालकों/किसानो के मध्य पशु पालन से संबंधित प्रचार–प्रसार कार्य, अनुसंधान एवं प्रयोगशालाओं का उन्नयन/सुदृढ़िकरण,किया जाता है। योजनान्तर्गत वर्ष 2016–17 में प्राप्त राशि रू. 327.93 लाख के विरूध्द राशि रू. 325. 23 लाख व्यय किया गया है।

वर्ष 2017–18 में सितम्बर 2017 तक राशि रू. 1510.10 लाख की कार्ययोजना प्रस्तावित है।

7.20.12 पशु माता महामारी योजना :– पशु माता महामारी योजना अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में स्टाक रूट ग्राम खोज कार्य 5385, सामान्य ग्राम खोज 15611, डे–बुक निरीक्षण कार्य 3447, पशु बाजार को भेंट 214, पशु उपचार 12733, पशु स्वास्थ्य परीक्षण 191770, टीकाकरण 35884 सेंपल कलेक्शन 4179, पशु जन जागरण शिविर 42 का कार्य किया गया।

सितम्बर 2017–18 तक स्टाक रूट ग्राम खोज कार्य 2724, सामान्य ग्राम खोज 5756, डे–बुक निरीक्षण कार्य 1454, पशु बाजार को भेट 88, पशु उपचार 6388, पशु स्वास्थ्य परीक्षण 85120, टीकाकरण 7737, सेंपल कलेक्शन 2757, पशु जन जागरण शिविर 31, का कार्य किया गया।

7.20.13 पशु उत्पाद उपलब्धता :– वर्ष 2016–17 के दौरान राज्य के 27 जिलों में केन्द्रीय एकीकृत न्यादर्श सर्वेक्षण कार्यक्रम अंतर्गत 810 चयनित गांवों में दूध, अण्डा, ऊन एवं मांस के उत्पादन विषयक अनुमान लगाने हेतु विस्तृत सर्वेक्षण कार्य सम्पादित किया गया। सर्वेक्षण अनुसार राज्य में 1387 हजार टन दुग्धोत्पादन, 16638 लाख अण्डा उत्पादन एवं 49356 हजार कि.ग्रा. मांस उत्पादन अनुमानित पाया गया। वर्ष 2016–17 के एकीकृत न्यादर्श सर्वेक्षण अनुसार प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन 134 ग्राम दूध की उपलब्धता, प्रतिव्यक्ति वार्षिक 59 अण्डे तथा प्रतिव्यक्ति वार्षिक मांस की उपलब्धता 1.747 कि0ग्रा0 होना पाया गया है।

7.20.14 डेयरी उद्यमिता विकास योजना :– राज्य में डेयरी उद्यमिता की अपार संभावनाओं को देखते हुए दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की बढ़ती हुई मांग के दृष्टिगत आपूर्ति सुनिश्चित करने डेयरी ईकाई की स्थापना को प्रोत्साहित किया जा रहा है। योजनांतर्गत भारतीय उन्नत नस्ल की गायें एवं उन्नत संकर नस्ल की गायें/भैंसे, जिसमें कम से कम 02 पशु और अधिकतम 15 पशुओं को खरीदने हेतु हितग्राहियों को शासन स्तर से अनुदान स्वीकृत किया जाता है।

योजना में दुधारू पशु क्रय, पशुओं की आवास व्यवस्था, जल व्यवस्था एवं वर्मी कम्पोस्ट टेंक निर्माण शामिल है। योजनांतर्गत डेयरी स्थापना हेतु राशि रू. 1.20 लाख से 12.00 लाख तक की इकाई लागत पर सामान्य वर्ग के हितग्राहियों

को 50% एवं अनुसूचित जाति, जनजाति के हितग्राहियों को 66.6% राशि अनुदान स्वीकृति का प्रावधान है। वर्ष 2016–17 में डेयरी उद्यमिता विकास योजनांतर्गत राशि रू. 1000.00 लाख आबंटन मे से राशि रू. 901.50 ब्यय कर 427 हितग्राहियों को योजनान्तर्गत लाभान्वित किया गया है।

वर्ष 2017–18 में माह सितम्बर 2017 तक राशि रू. 1300.00 आबंटन मे से राशि रू. 865.908 लाख ब्यय कर 301 हितग्राहियों को योजनान्तर्गत लाभान्वित किए गए।

7.20.15 उन्नत मादा वत्सपालन योजना :– इस योजना का लाभ सभी वर्ग के हितग्राहियों को दिया जाता है, ताकि उन्नत नस्ल के वत्सपालन की अभिरूचि उत्पन्न हो। वर्ष 2011–12 में योजना की इकाई लागत रू. 10,500/– में से सामान्य वर्ग के हितग्राहियों के लिये रू. 5000/– एवं अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों के लिये रू. 7500/– का शासकीय अनुदान दिया जाना, उन्नत नस्ल की बछिया हेतु 4 से 24 माह तक की आयु के लिये पशु आहार बाबत अनुदान स्वीकृत किया है। वर्ष 2012–13 में संशोधित योजना अनुसार इकाई लागत रू. 19500/– में से सामान्य वर्ग के हितग्रहियों के लिए 15000/– एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के हितग्राहियो के लिए 18000/– का शासकीय अनुदान दिया जाकर उन्नत नस्ल की बछिया हेतु 04 से 24 माह तक आयु के लिए पशु आहार बाबत अनुदान स्वीकृत किया गया है। वर्ष 2016–17 में योजनांतर्गत राशि रू. 200.00 लाख आबंटन मे से राशि रू. 198.77.00 लाख व्यय कर 1204 हितग्राहियों को योजनान्तर्गत लाभान्वित किया गया हैं।

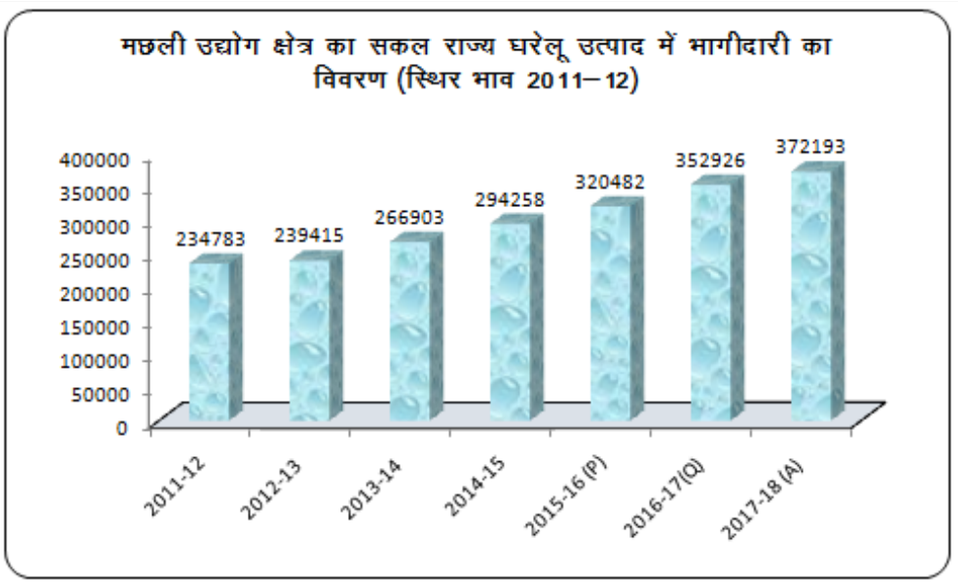
वर्ष 2017–18 में माह सितम्बर 2017 तक राशि रू. 200.00 लाख आबंटन मे से राशि रू. 68.60 लाख व्यय कर 510 हितग्राहियों को योजनान्तर्गत लाभान्वित किया गया है।

मत्स्य विकास

7.21.1 राज्य में उपलब्ध जल संसाधन मत्स्य पालन की दृष्टि से एक विशिष्ट स्थान रखता है। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 1.665 लाख हे. जलक्षेत्र उपलब्ध है। जिसमें से 1.572 लाख हेक्टेयर जलक्षेत्र मछली पालन अंतर्गत विकसित किया जा चुका है। जो कुल जलक्षेत्र का 94.41 प्रतिशत है। छत्तीसगढ़ राज्य में मत्स्य पालन विकास काफी प्रगति पर है। राज्य में उपलब्ध जल संसाधन की दृष्टि से मछली पालन एक विशिष्ट स्थान रखता है, राज्य की भौगोलिक एवं कृषि जलवायु स्थितियां भी मछली पालन हेतु उपयुक्त है। मछली पालन अधिक आय कम लागत और कम समय में सहायक धन्धें के रूप में ग्रामीण अंचलों में अत्यन्त लोकप्रिय है। यह ग्रामीण क्षेत्रों की बेरोजगारी दूर करने का सशक्त एवं रोजगारोन्मुखी साधन है मछली पालन से अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। साथ ही मछली जैसे पौष्टिक खाद्य का उत्पादन बढ़ाकर कुपोषण को दूर किया जा सकता है। राज्य शासन द्वारा इस व्यवसाय से जुड़े मछुआरों के हित में अनेक कल्याणकारी निर्णय लिये गये है तथा उनका लाभ भी अधिक उत्पादन के रूप में परिलक्षित होने लगा है।

तालिका 7.14 मछली उद्योग क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में भागीदारी का विवरण (स्थिर भाव 2011–12)

सांख्यिकी	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16 (P)	2016-17(Q)	2017-18 (A)
भागीदारी (लाख)	234783	239415	266903	294258	320482	352926	372193
वृद्धि (प्रतिशत)		1.97	11.48	10.25	8.91	10.12	5.46
हिस्सा (प्रतिशत)	1.58	1.54	1.55	1.68	1.74	1.77	1.75



7.21.2 छततीसगढ़ राज्य में निम्नानुसार मत्स्य विकास किया जा चुका है :–

संसाधन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 1.665 लाख हेक्टेयर जलक्षेत्र उपलब्ध है जिसमें से 1.572 लाख हेक्टेयर जलक्षेत्र मछली पालन अन्तर्गत विकसित किया जा चुका है जो कुल जलक्षेत्र का 94.41 प्रतिशत है।

(अ) <u>राज्य आयोजना</u> :–

- **मत्स्य बीज उत्पादन** :– राज्य में वर्ष 2015–16 में समस्त श्रोतों से 14917 लाख स्टेण्डर्ड फ्राई का उत्पादन हुआ था। इसी प्रकार वर्ष 2016–17 में 19750 लाख स्टेण्डर्ड फ्राई का उत्पादन हुआ जो गतवर्ष की तुलना में 32.39 प्रतिशत अधिक है।

- **मत्स्योत्पादन** :– राज्य में समस्त श्रोतों से वर्ष 2015–16 में 342299.06 मे. टन का मत्स्य उत्पादन किया गया था, जबकि वर्ष 2016–17 में 376801.51 मे. टन किया गया जो गत वर्ष की तुलना में 10.07 प्रतिशत अधिक है। आलोच्य वर्ष 2017–18 में माह सितम्बर तक 220683.75 मे. टन मत्स्योत्पादन किया गया है।

- **मछुआ सहकारिता** :– राज्य में वर्ष 2016–17 सितम्बर 2017 तक समितियों की संख्या 1339 है। इन समितियों की सदस्य संख्या 44560 है। उक्त समितियों को 10 वर्ष की अवधि के लिये तालाब/सिंचाई जलाशय पट्टे पर दिये जाने का प्रावधान है। राज्य के सभी वर्ग के मछुआ सहकारी समितियों को मछली पालन सुचारू रूप से करने हेतु तीन वर्षों में अधिकतम रू. 3.00 लाख की आर्थिक सहायता दी जाती है। जिसके तहत तालाब की पट्टा राशि, मत्स्य बीज क्रय एवं संचयन तथा मत्स्याखेट उपकरण हेतु प्रथम वर्ष रू. 1.35 लाख तक द्वितीय वर्ष में रू. 0.90 लाख तक तथा तृतीय वर्ष में अधिकतम रू. 0.75 लाख की आर्थिक सहायता दी जावेगी वर्ष 2016–17 में रू. 100 लाख प्रावधानित है, व परिपूरक आहार आदि सामग्री पर आर्थिक सहायता दिये जाने का प्रावधान है।

- **शिक्षण–प्रशिक्षण**:– शिक्षण–प्रशिक्षण योजनान्तर्गत विभाग द्वारा सभी श्रेणी के मछुआरों को राज्य में मत्स्य पालन के साथ मत्स्य उत्पादक्ता में वृद्धि लाने हेतु मछली पालन की तकनीकी पद्धति एवं मछली पकड़ने, जाल बुनने, सुधारने एवं नाव चलाने का 10 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है। चयन किये गये मछुआरों को जिलें के मत्स्य बीज केन्द्रों पर विभागीय अधिकारियों द्वारा सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण अवधि में मछुआरों को प्रशिक्षण केन्द्र तक आने जाने का किराया एवं प्रशिक्षण वृत्ति 750/–, जाल बुनने हेतु धागा के लिए रूपये 400/–, तथा अन्य व्यय हेतु 100/– इसी प्रकार प्रति प्रशिक्षणार्थी पर कुल व्यय रू. 1250/– का प्रावधान है। वर्ष 2016–17 में इस कार्यक्रम के तहत 6500 कृषकों को प्रशिक्षण दिया गया।

- **मछवारों को नवीनतम तकनीकी ज्ञान में वृद्धि हेतु तीन दिवसीय उन्नयन प्रशिक्षण**:–सभी वर्ग के मछुवारों को तकनीकी ज्ञान में वृद्धि के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है जिसके तहत रू. 1000 प्रति प्रशिक्षणार्थी व्यय का प्रावधान है। प्रशिक्षणार्थियों को प्रति दिवस रू. 150/–के मान से रू. 450/– शिष्यवृति तथा क्षेत्रीय भ्रमण व आने जाने पर व्यय रू. 550/– व्यय वर्ष 2016–17 हेतु 9900 कृषकों हेतु रू. 100 लाख व्यय किया गया।

- **मछुओं का अध्ययन भ्रमण** :– सभी वर्ग के प्रगतिशील मछुआरों को उन्नत मछली पालन का प्रत्यक्ष अनुभव कराने हेतु देश के अन्य राज्यों में अपनायी जा रही मछली पालन की तकनीक से परिचित करानें के उद्देश्य से राज्य के बाहर 10 दिवसीय अध्ययन भ्रमण पर भेजा जाता है उक्त प्रशिक्षण के दौरान आने जाने का किराया तथा रू. 100/– प्रति दिवस प्रति मछुआ के मान से प्रशिक्षण वृत्ति दिया जाता है। हितग्राही के अध्ययन भ्रमण हेतु अधिकतम रू. 2500/– प्रति हितग्राही व्यय किये जाने का प्रावधान है। वर्ष 2016–17 में 445 हितग्राहियों को अध्ययन भ्रमण पर भेजा गया।

- **मत्स्य पालन प्रसार** :– मत्स्य पालन प्रसार योजनान्तर्गत मछुआरों को झींगा मत्स्य पालन हेतु अनुसूचित जाति–जनजाति के कृषकों को झींगा बीज क्रय करने तथा खाद्य एवं खाद्य पदार्थ हेतु 3 वर्षो में अधिकतम रूपये 15000/– का प्रावधान है। योजना अतंर्गत वर्ष 2016–17 में 659 इकाईयां स्थापित की गई है, उक्त इकाईयों में 20.66 लाख झींगा बीज संचयन कर 76318 कि.ग्रा. का उत्पादन प्राप्त किया गया है।

- **मौसमी तालाबों में स्पान संवर्धन** :– राज्य में अनुसूचित जनजाति एवं जाति के हितग्राहियों को मौसमी तालाब में स्पान संवर्धन कर मत्स्य बीज उत्पादन योजनान्तर्गत प्रति इकाई रू. 30000/– की आर्थिक सहायता वर्ष 2016–17 में 276 हितग्राही लाभान्वित हुए।

- **नाव जाल अथवा जाल क्रय की सुविधा** :– राज्य में अनुसूचित जनजातियों के हितग्राहियों को मत्स्याखेट उपकरण उपलब्ध करवाने के उद्देश्यों से वर्ष 2016–17 में 1294 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया।
- **फिंगरलिंग क्रय कर संचयनः**– वर्तमान में राज्य सभी वर्ग के मछुओं को तालाब में फिंगरलिंग संचयन पर 5 वर्ष में 10000/–की सहायता दी गयी। वर्ष 2016–17 में 7860 हितग्राही लाभान्वित है।
- **मछुआरों के लिए फुटकर मछली विक्रय योजना** :– सभी संवर्ग के फुटकर मछुआ मत्स्य हितग्राहियों को आईस बॉक्स, तराजू–बॉट, आदि विक्रय उपकरण क्रय हेतु प्रति मछुआरा रू. 6000/– तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। वर्ष 2016–17 में 461 हिग्राहियों को सहायता दी गई।
- **मत्स्य प्रजनक बैंक की स्थापना हेतु मत्स्य पालकों को मत्स्य प्रजनकों की आपूर्ति कर आर्थिक सहायता** :– राज्य के मत्स्य बीज उत्पादको को मत्स्य प्रजनन काल के दौरान उन्नत स्वस्थ मत्स्य प्रजनक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मत्स्य पालको को मत्स्य प्रजनक बैंक की स्थापना कर मत्स्य प्रजनक आपूर्ति कर प्रोत्साहन के तौर पर विक्रय राशि का 30 प्रतिशत राशि प्रोत्साहन के रूप में अधिकतम रू. 45/–प्रति किलो ग्राम दिये जाने का प्रावधान है।
- नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के ग्रामीण तालाबों में शत्प्रतिशत अनुदान पर मत्स्य बीज संचयन योजना के तहत प्रति वर्ष रू. 7850/– (लाख में) व्यय किया जाकर क्षेत्रे के 302 ग्रामीण तालाबों में मत्स्य बीज संचयन कर ग्रामीणों को सुपाच्य भोजन प्राप्ति हेतु सहायता।
- **श्रीमती बिलासाबाई केवटीन मत्स्य विकास पुरूस्कार** :– मत्स्य पालन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति/संस्था/समूह को प्रतिवर्ष रू. 1 लाख का पुरस्कार दिये जाने का प्रावधान है। वर्ष 2016–17 को प्रदेश के उत्कृष्ट मत्स्य पालन हेतु श्री सानेन्द्र कुमार बघेल, ग्राम–कुरूदडीह, विकासखण्ड–पाटन, जिला–दुर्ग (छ.ग.) को प्रदाय किया गया है।
- **रोजगार सृजन** :– मत्स्य कृषकों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए वर्ष 2016–17 में 142.61 लाख मानव दिवसों का सृजन किया गया। वर्ष 2017–18 में माह सितम्बर 2018 तक 62.00 लाख मानव दिवसों का रोजगार सृजन किया गया।

(ब) <u>केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं</u> :–

मत्स्य कृषक विकास अभिकरण :– प्रदेश में केन्द्र प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत 27 जिला इकाईयों में जिनके माध्यम से 10 वर्ष की अवधि के लिए तालाब पट्टा आबंटन तथा तालाबों में कृषक के व्यय पर मत्स्य बीज संचयन एवं कृषकों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

7.21.3 राष्ट्रीय मछुआ कल्याण

- **मत्स्य जीवियों का दुर्घटना बीमा** :– मछली पालन व्यवसाय से जुड़े मत्स्य जीवियों को मत्स्य पालन अथवा मत्स्योखेट के समय दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु निःशुल्क दुर्घटना बीमा योजना क्रियान्वित की गई है। हितग्राही मत्स्य कृषक 18–70 वर्ष आयु वर्ग के ही इस योजना में सम्मिलित किये जाते है। केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा 50–50 प्रतिशत के अनुपात में व्यय भार वहन किया जाता है। योजनान्तर्गत दुर्घटना स्थिति में बीमित हितग्राहियों को अस्थायी अपंगता पर रू. 1,00,000/– तथा स्थाई अपंगता अथवा मृत्यु होने पर उस परिवार के नामित व्यक्ति को रू. 2,00,000/– की आर्थिक सहायता दी जावेगी। वर्ष 2016–17 में 2,10,000 मछुआरों का बीमा कराया गया इस कार्य में छत्तीसगढ़ राज्य दूसरे स्थान पर रहा।

- **मत्स्योद्योग प्रशिक्षण एवं विस्तार** :– योजनान्तर्गत केन्द्र शासन तथा राज्य शासन द्वारा 80:20 के अनुपातिक अशंदान से क्रियान्वित है। योजनान्तर्गत मत्स्योद्योग से सम्बधित अमले तथा मछुआरे प्रभावपूर्ण ढंग से आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक पर आधारित मत्स्यपालन विकास सम्बधी प्रशिक्षण एवं तत्संबधित अघोसंरचना निर्माण (यथा–मत्स्य जागरूकता केन्द्र/मत्स्य प्रशिक्षण केन्द्र/मत्स्य प्रसार पुस्तिकाओं का प्रकाशन/वर्कशाप/सेमीनार/मीटिंग/वृत्तचित्र निर्माण) कार्य क्रियान्वित किया गया है।

(स) केन्द्र क्षेत्र योजनाएँ :–

- **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना** :– यह योजना वर्ष 2007–08 से राज्य में लागू है। योजना अंतर्गत विभिन्न घटकों के माध्यम से हितग्राहियों निम्नानुसार लाभान्वित किया जा रहा है।
- **स्वयं की भूमि में तालाब निर्माण** :– सभी श्रेणी के लघु सीमांत कृषक अनु. जन.जाति महिला कृषकों को प्राथमिकता। हेक्टेयर जलक्षेत्र निर्माण कर अधिकतम रूपये 5.00 लाख की सहायता शासन द्वारा दी जाती है। रू. 1.00 लाख हितग्राही अंशदान कुल लागत रू. 6.00 लाख है।
- **संतुलित एवं परिपूरक आहार के प्रयोग हेतु सहायता** :– सभी श्रेणी के लघु सीमांत कृषक, अनु. जनजाति महिला कृषकों को प्राथमिकता कृषकों को शासकीय/विभागीय एवं त्रिस्तरीय पंचायतों द्वारा जिन्हें दीर्घावधि तक पट्टे पर तालाब आबंटित किए गए हैं, सहायता दी जावेगी। वर्ष 2016–17 में 5045 व्यक्तियों को वितरित किया गया।
- **विस्तार सेवाओं का उन्नयन** :– राज्य एवं जिला स्तरीय सेमीनार आयोजित किये जाते है।
- **मत्स्याखेट हेतु नाव जाल उपकरण क्रय हेतु आर्थिक सहायता** :– सभी वर्ग मत्स्य पालक /मत्स्य पालक समूह/मछुआ सहकारी समितियॉ जिन्हें दीर्घ अवधि के लिए तालाब/जलाशय पट्टे पर आबंटित किए गए है । मत्स्य पालकों को नाव जाल क्रय हेतु रू. 25 हजार की सहायता तथा मछुआ सहकारी समिति को नाव/ड्रेग नेट एवं गिल नेट क्रय हेतु रू. 1.00 लाख की आर्थिक सहायता दी जाती है। वर्ष 2016–17 में 50 समितियां लाभान्वित हुए।
- **नवीन हैचरी निर्माण/पूर्व निर्मित हैचरी प्रक्षेत्रों का पुनरोद्धार (शासकीय)** :–इस घटक अंतर्गत नवीन हैचरी निर्माण तथा पूर्व से निर्मित हैचरी अथवा प्रक्षेत्रों का मरम्मत कार्य कर उनका आधुनिकीकरण किया जाता है। वर्ष 2016–17 में 07 हैचरी का निर्माण किया गया है।
- **मौसमी तालाबों में मत्स्य बीज संवर्धन** :– 0.50 हे. के मौसमी तालाबों में मत्स्य बीज संवर्धन कार्य हेतु रू. 0.30 लाख की सहायता प्रति हितग्राही दी गई है। 2016–17 में उक्त योजना से 145 हितग्राही लाभान्वित हुए।
- **तालाबों में अंगुलिका संचयन कार्यक्रम** :– तालाबों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए फ्राई के स्थान पर फिंगरलिंग संचयन करवाने के लिए रू. 0.03 लाख की सहायता दी गई है। वर्ष 2016–17 में 504 हितग्राही लाभान्वित हुए।
- **जलाशयों में मत्स्य अंगुलिका संचयन** :– वर्ष 2015–16 में जलाशयों में अंगुलिका को संचयन हेतु 50:50 के अंश में शासकीय अनुदान दिया गया है। इस योजना में 17 जलाशयों का चयन किया गया है।
- **जलाशयों में केज कल्चर** :–वर्ष 2016–17 में राज्य के बड़े एवं मध्यम जलाशयों में 48 बैटरी के फ्लोटिंग केज स्थापित कर उनमें तीव्र गति से बढ़ने वाली मत्स्य (फगेसियस, तिलापिया) का पालन किया जाता है।

- **तालाबों में सीफेक्स वितरण** :—वर्ष 2016—17 में तालाबों में मत्स्य उत्पादकता वृद्धि हेतु सीफेक्स का उपयोग योजना के तहत् राशि रू. 3200 प्रति हे. हितग्राही के मान से 3882 हितग्राहियों को सहायता दी गयी है।
- **फुटकर मछली विक्रय योजना** :—वर्ष 2016—17 में फुटकर मछली विक्रय योजना के तहत् प्रति इकाई राशि रू. 6000/— पर 75 % अनुदान के मान से 3000 हितग्राहियों को सहायता दी गई है।

7.21.4 राष्ट्रीय मात्स्यकी विकास बोर्ड :— योजनान्तर्गत शत् प्रतिशत अनुदान पर सिंचाई जलाशयों में 100 एम. एम. साईज की अंगुलिका संचय की कार्यवाही की गई। वर्ष 2016—17 में 11 जलाशयों में 234.07 लाख मत्स्य बीज संचय कराया गया।

7.21.5 मात्स्यिकी क्षेत्र के लिए डाटाबेस एवं जी.आई.एस. :— हेतु केन्द्र प्रवर्तित योजना अन्तर्गत शत् प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान से उक्त योजना वर्ष 2004—05 से प्रारंभ की गई हैं। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016—17 में 25.07 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ जिसमें वर्तमान में प्रदेश के चयनित जिलो (रायपुर, दुर्ग, बालोद, मुंगेली, रायगढ़, जशपुर, सूरजपुर, कोरिया, कांकेर, नारायणपुर एवं कोण्डागांव, में ग्रामीण तालाबों में तथा सभी 27 जिलों में सिंचाई जलाशयों के जलक्षेत्र सर्वेक्षण, मत्स्यपालन सम्बधी आकड़े एकत्रीकरण कर केन्द्र शासन को आंकड़े उपलब्ध कराये जा रहे हैं। जिलों को संचालनालय के साथ नेटवर्किंग करने हेतु 18 जिलों में कम्प्युटर प्रदान किये जा चुके हैं।

7.21.6 मैपिंग ऑफ स्मालर वाटर बॉडीज :—यह कार्यक्रम 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से राज्य में वर्ष 2014—15 में संचालित है इस प्रोजेक्ट के अन्तर्गत राज्य के जलक्षेत्रों का रिर्मोट सेंसिंग तकनीक से सर्वेक्षण कर सभी जलक्षेत्रों की जानकारी एकत्र कर उनका जी.आई.एस. तैयार किया जाना है। प्रोजेक्ट में जिलों की सेटेलाइट इमेज प्राप्त कर उसे प्रोसेस कर जलक्षेत्र, सड़कें, नदीयां एवं अन्य संबंधित लेयर्स का डिजिटाइजेशन किया जाना है। इसके बाद गांव, विकासखंड एवं जिले का वाटर बॉड़ी मैप तैयार करवाया जाना है। वर्तमान में रायपुर एवं दुर्ग जिले का कार्य पूर्ण है, शेष जिलों (कबीरधाम, बालोद, बेमेतरा, गरियाबंद, बलौदाबाजार, एवं धमतरी) का सर्वेक्षण प्रारंभ किया जाना है।

7.21.7 नवीन योजना :— नीलक्रांति योजना भारत शासन द्वारा केन्द्र प्रवर्तित, केन्द्र क्षेत्र योजना, कार्यक्रमों को नवीन योजना नीलक्रांति के तहत् समाहित कर नीलक्रांति कार्यक्रमों के घटकों से राज्य में मत्स्य पालन विकास एवं प्रबंधन कार्यक्रमों के अंतर्गत मत्स्य पालन से जुड़ने वाले हितग्राहियों को मत्स्य बीज उत्पादन हेतु सरकुलर हेचरी की स्थापना, मत्स्य बीज आहार संचय की स्थापना, अंतर्देशीय मत्स्यपालन एव मत्स्याखेट के विकास के तहत् तालाबों में जीर्णोद्वार एवं इनपुट्स हेतु सहायता, बर्फ संयंत्र की स्थापना, मत्स्य विपणन व्यवस्था के लिए ऑटो रिक्शा/मोटर साईकल/सायकल सह आईस बॉक्स पर सहायता, फुटकर मत्स्य विक्रय हेतु दुकान की स्थापना एवं बचत सह राहत योजना के तहत् सहायता तथा हितग्राहियों की स्वयं की भूमि पर तालाब निर्माण एवं मत्स्य बीज संवर्धन पोखरों के निर्माण पर आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया। इसके तहत् हितग्राहियों को योजना लागत का 50 प्रतिशत अनुदान देना प्रावधानित रखा गया है।

अनुलग्न–7.1
(हेक्टेयर में)

भूमि उपयोग

क्र.	विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
1	कुल भौगौलिक क्षेत्रफल	13789836	13789836	13789836	13789836
2	वनों के अन्तर्गत क्षेत्रफल	6331274	6315530	6314198	6317281
3	**कृषि के लिये जो भूमि उपलब्ध नही है**				
	अ. गैर कृषि उपयोग में लाई गई भूमि	737574	741102	738934	735488
	ब. ऊसर व गैर–मुस्तकिल भूमि	289487	288458	287990	292655
	उप–योग – 3	1027061	1029560	1026924	1028143
4	**पड़ती भूमि के अतिरिक्त अन्य अकृष्य भूमि**				
	अ. स्थायी तथा दीगर चरागाह	881678	886890	887323	886819
	ब. विविध झाड़ों के झुण्ड तथा बाग जो बोये हुये क्षेत्र में शामिल नही हैं।	1113	983	2177	846
	स. कृषि योग्य बंजर भूमि	349080	350739	363555	362310
	उप–योग – 4	1231871	1238612	1253055	1249975
5	**पडती भूमि**				
	अ. पड़त भूमि चालू पड़ती के अतिरिक्त	253685	258211	263415	257214
	ब. चालू पड़ती भूमि	260222	267183	281269	273015
	उप–योग – 5	513907	525394	544684	530229
6	कुल अकृश्य भूमि पड़ती शामिल कर **उप–योग 4+5**	1745778	1764006	1797739	1780204
7	**शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल**	4685723	4680740	4650975	4664208
8	एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल	1011984	1046983	989342	1009212
9	सकल बोया गया क्षेत्रफल	5697707	5727723	5640317	5673420

स्त्रोत :- आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, छ.ग.

अनुलग्न-7.2

छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल तथा उसका वर्गीकरण कृषि वर्षान्त 30 जून, 2017

क्र.	जिला	कुल भौगौलिक क्षेत्रफल	वन	कृषि के लिये जो भूमि उपलब्ध नही है		अन्य अकृषि भूमि पड़ती को छोड़कर			पड़ती		फसल का निरा क्षेत्रफल	दुफसली क्षेत्रफल	संपूर्ण फसलों का कुल क्षेत्रफल
				अ. ऊसर व गैर–मुस्तकिल भूमि	ब. गैर कृषि उपयोग में लाई गई भूमि	कृषि के योग्य बंजर भूमि	मुतकील व दीगरचारागाह	अन्य झाड़ों के झुण्ड तथा बाग जो बोये गये क्षेत्रफल में शामिल नहीं है	चालू पड़ती	पुरानी पड़ती (2 साल से 5 साल तक)			
1	रायपुर	291437	2940	359	47611	22609	34673	94	6013	15284	161854	52597	214451
2	बलौदाबाजार	467697	132904	5701	31124	13637	32943	6	5469	11284	234629	41166	275795
3	गरियाबंद	585494	386450	3646	22960	4949	27784	24	2543	4568	132570	20976	153546
4	महासमुन्द	496301	141310	6291	37344	5290	29327	31	3548	4888	268272	37922	306194
5	धमतरी	408193	206261	1884	30177	2342	20854	0	1572	1553	143550	82863	226413
6	दुर्ग	231999	0	4805	35545	12937	19018	90	4632	8935	146037	40554	186591
7	बालोद	352700	97792	4911	32553	9982	20044	62	3388	6448	177520	70354	247874
8	बेमेतरा	285481	0	11	24197	5632	23158	20	2878	3899	225686	120448	346134
9	राजनांदगांव	802252	258614	17375	52038	20635	54617	120	20030	21255	357568	136162	493730
10	कबीरधाम	444705	189451	9966	16028	5027	28924	67	5270	4908	185064	87634	272698
11	बस्तर	392092	83821	19984	26329	40076	27393	0	12955	11811	169723	5863	175586
12	कोंडागांव	605073	405321	16211	11363	13749	11757	3	5283	4376	137010	6834	143844
13	नारायणपुर	692268	638686	1654	3297	7460	3393	14	3625	2617	31522	317	31839
14	कांकेर	643268	278588	19050	30930	16128	63018	0	13709	11939	209906	16437	226343
15	दन्तेवाड़ा	341050	147279	27345	13371	24978	5103	0	11138	12124	99712	1412	101124
16	सुकमा	576702	352462	10891	14602	49515	28773	3	6935	9042	104479	1067	105546
17	बीजापुर	655296	494720	6494	18754	43712	9020	0	9458	8248	64890	39	64929
18	बिलासपुर	581849	218684	9061	27544	21146	48242	55	21531	12351	223235	44742	267977
19	मुंगेली	275036	113038	229	12164	143	17633	14	1189	2020	128606	83992	212598
20	जाजगीर	446674	89327	2364	37386	10931	37949	90	4881	6878	256868	18985	275853
21	कोरबा	714544	472072	36449	21222	16809	21633	53	7576	9567	129163	8166	137329
22	सरगुजा	501980	240174	5124	25349	0	46177	0	20571	9996	154589	28116	182705
23	बलरामपुर	601634	294701	1637	29133	0	84415	100	22633	12737	156278	23431	179709
24	सूरजपुर	499826	236038	1197	28861	0	52916	0	15200	9992	155622	22156	177778
25	कोरिया	597770	399025	12840	22873	0	32246	0	20685	12097	98004	11589	109593
26	रायगढ़	652774	207683	14335	57523	5328	64340	0	15514	20722	267329	32538	299867
27	जशपुर	645741	229940	52841	25210	9295	41469	0	24789	17675	244522	12852	257374
	छत्तीसगढ	**13789836**	**6317281**	**292655**	**735488**	**362310**	**886819**	**846**	**273015**	**257214**	**4664208**	**1009212**	**5673420**

स्त्रोत :- आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, छ.ग.

अनुलग्नक-7.3

जिलेवार फसलों का कुल तथा शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

क्र.	जिला	कुल			बोया गया क्षेत्रफल		
		2014-15	2015-16	2016-17	2014-15	2015-16	2016-17
1	कोरिया	118452	103548	109593	105728	92933	98004
2	सरगुजा	182604	182562	182705	159165	159747	154589
3	बलरामपुर	180993	178735	179709	155152	153060	156278
4	सूरजपुर	180406	178217	177778	157306	155071	155622
5	जशपुर	256480	256863	257374	242720	243607	244522
6	रायगढ़	287010	287425	299867	254304	255530	267329
7	कोरबा	141079	141881	137329	130871	131485	129163
8	जांजगीर–चांपा	286321	290659	275853	257330	257133	256868
9	बिलासपुर	291030	283555	267977	233938	229669	223235
10	मुंगेली	209680	215064	212598	127975	129710	128606
11	कबीरधाम (कवर्धा)	267711	267006	272698	186182	184518	185064
12	राजनांदगांव	446960	468040	493730	343732	348624	357568
13	दुर्ग	190437	189721	186591	147146	148320	146037
14	बेमेतरा	353720	356512	346134	225705	225218	225686
15	बालौद	257565	234179	247874	177370	176830	177520
16	रायपुर	225177	200995	214451	164113	163050	161854
17	बलौदा बाजार	291670	296241	275795	234951	234727	234629
18	गरियाबंद	166948	156739	153546	140135	136693	132570
19	महासमुंद	303122	301314	306194	267977	268116	268272
20	धमतरी	233751	206551	226413	146530	145129	143550
21	उत्तर बस्तर (कांकेर)	231040	229304	226343	212530	211656	209906
22	बस्तर	179018	174710	175586	173295	169068	169723
23	कोंडागांव	137923	136778	143844	131573	130353	137010
24	नारायणपुर	33599	31787	31839	33009	31497	31522
25	दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा)	104443	101535	101124	102597	99962	99712
26	सुकमा	104535	107118	105546	103440	106040	104479
27	बीजापुर	66049	63278	64929	65966	63229	64890
	छत्तीसगढ़	**5727723**	**5640317**	**5673420**	**4680740**	**4650975**	**4664208**

स्त्रोत :- आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, छ.ग.

अनुलग्न-7.4

प्रमुख फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र

(हजार हेक्टेयर में)

क्र.	फसल	प्रमुख फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र								
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.0	**अनाज**									
1.1	धान	3928.8	3837.7	3937.8	3939.9	3982.2	3987.7	4035.7	3959.7	4052.60
1.2	गेहूँ	94.8	109.1	103.7	104.8	102.2	105.0	103.2	105.8	102.1
1.3	ज्वार	5.3	5.6	5.7	5.3	6.2	5.2	5.0	5.4	4.0
1.4	मक्का	99.3	101.7	104.9	107.4	116.8	123.4	125.1	126.4	120.5
1.5	कोदो–कुटकी	145.5	137.1	127.9	121.6	111.1	102.0	91.6	82.8	76.3
1.6	जौ	3.1	3.1	2.3	2.9	2.8	2.7	2.5	1.1	2.1
1.7	छोटे अनाज	54.3	44.3	39.2	37.7	34.5	33.0	30.4	38.1	35.5
2.0	**दालें**									
2.1	चना	243.5	237.5	263.9	250.5	260.2	267.9	289.7	280.9	290.7
2.2	तुअर	50.4	49.2	52.9	54.5	52.9	51.9	52.8	65.1	63.5
2.3	उड़द	114.9	110.8	107.2	107.1	102	98.7	96.9	97	94.4
2.4	मूग–मोठ	16.2	16.2	16.5	16.3	15.4	15.5	15.2	14.9	15.2
2.5	कुल्थी	53	51.6	51.1	50.9	48.7	47.6	45.9	44.3	43.7
2.6	लाख (तिवड़ा)	428.6	387.6	327.5	359.2	347.6	331.8	315.2	273.8	263.2
3.0	**गन्ना**	19.3	16	14.7	15.4	17.5	23	23.9	30.1	31.4
4.0	**तिलहन**									
4.1	मूँगफली	31.7	30.5	30.6	29.6	28.7	29.4	29.2	29	26.7
4.2	रामतिल	71.9	70.9	68.1	69.4	66.5	66.2	63.6	64.3	60.8
4.3	तिल	21.2	20	19.6	20.5	19.7	19.7	17.0	19.5	18.4
4.4	सोयाबीन	72.9	81.8	83.7	95.8	103.2	101.5	107.8	82.2	96.2
4.5	अलसी	55.9	47.6	44.8	37	35.3	32.2	31.2	25.1	21.6
4.6	राई सरसों	51.4	52	52.3	50.2	49.2	47	47.5	46.3	40.5

स्त्रोत :- आयुक्त भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़

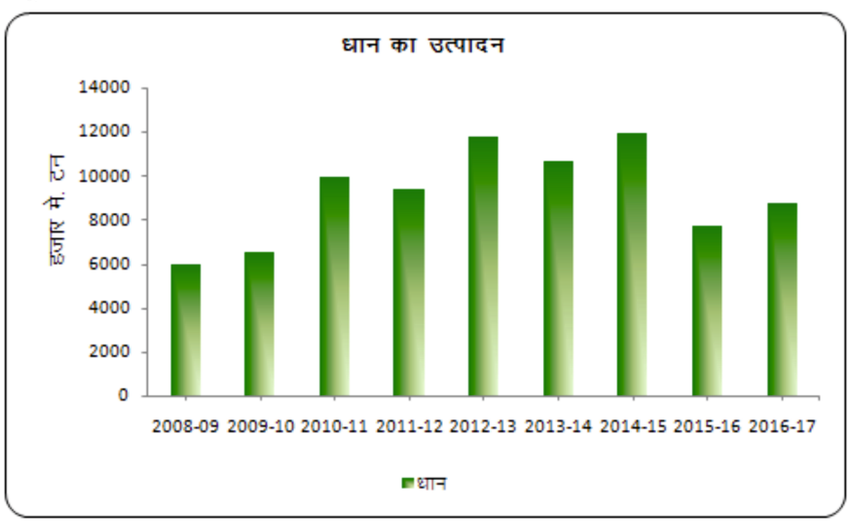
अनुलग्न - 7.5

प्रमुख फसलों का उत्पादन

(हजार मे. टन में)

क्र.	फसल	प्रमुख फसलों का उत्पादन								
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.0	**अनाज**									
1.1	धान	6021.8	6520.9	9956.6	9451.2	11772.6	10654.1	11966.6	7731.5	8793.3
1.2	गेहूँ	97.4	118.92	121.7	135.1	143.2	140.8	153.3	142.33	151.08
1.3	ज्वार	6.3	6.8	8.2	4.1	4.5	3.3	4.2	4.36	5.44
1.4	मक्का	139.9	145.36	190.5	177.8	225.1	254.1	235.1	237.74	309.32
1.5	कोदो–कुटकी	24.9	22.83	26	22.5	23.7	21.0	20.7	11.93	23.05
1.6	जौ	2.8	2.3	1.2	2.2	1.3	2.4	2.7	0.67	1.88
1.7	छोटे अनाज	9.5	9.3	8.9	10.5	9.7	8.3	8.9	7.87	4.97
2.0	**दालें**									
2.1	चना	190.3	230.18	239.6	260.7	304.9	221.6	311.2	218.8	338.32
2.2	तुअर	28.4	27.61	23.9	23.7	31	29.4	35.1	30.6	39.01
2.3	उड़द	32.4	29.2	30.6	30	31.4	30.0	30.1	28.91	30.57
2.4	मूँगमोठ	4	3.94	4.2	3.9	4.2	4.0	4.2	6.56	6.44
2.5	कुल्थी	16.1	14.13	14.6	14.4	14.3	14.1	14.3	15.09	16.37
2.6	लाख (तिवड़ा)	211	193.19	223.6	206.8	159.9	174.0	297.9	192.1	222.63
3.0	**गन्ना**	22	35.35	18.4	45.4	37.3	23.8	76.1	46.9	109.58
4.0	**तिलहन**									
4.1	मूँगफली	37.7	45.06	35.9	37.9	40.5	42.3	40.8	37.25	46.93
4.2	रामतिल	12.6	10.9	12	11.4	11.7	11.6	11.3	10.24	11.39
4.3	तिल	6.1	8.64	6.9	7.6	5.7	4.8	8.0	6.82	7.55
4.4	सोयाबीन	79.9	77.83	112.4	84.6	126.1	111.9	50.1	40.12	76.13
4.5	अलसी	13	13	9.8	13.6	13.4	11.9	11.2	9.45	10.10
4.6	राई सरसों	19.7	21.68	20.8	21.8	23.9	27.0	24.6	25.96	18.43

स्त्रोत :- आयुक्त भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़



अनुलग्न - 7.6

प्रमुख फसलों का औसत उत्पादन

(किलो ग्राम प्रति हेक्टेयर)

वर्ष	धान	गेहूँ	ज्वार	मक्का	चना	तुअर	सोयाबीन	कपास	गन्ना
1999-2000	2006	1205	844	1548	642	1086	832	249	3000
2000-2001	1482	1022	665	1346	515	429	547	106	2601
2001-2002	2103	1024	965	745	714	374	810	121	2514
2002-2003	1025	1106	740	1305	644	433	550	142	2484
2003-2004	2297	1066	1001	1370	964	603	882	336	2582
2004-2005	1848	889	667	1430	542	510	1017	284	2472
2005-2006	2051	876	682	1078	710	441	895	158	2310
2006-2007	2138	1044	873	1225	843	426	998	287	2546
2007-2008	2177	1098	1019	1562	872	522	1155	232	2485
2008-2009	1797	1027	1188	1404	801	583	977	298	2387
2009-2010	1769	1090	1214	1429	872	522	930	अनुपलब्ध	2405
2010-2011	2529	1174	1432	1817	957	439	1174	283	2448
2011-2012	2523	1278	768	654	995	432	753	240	2696
2012-2013	2955	1401	726	1927	1138	597	1242	141	1622
2013-2014	2672	1341	635	2059	765	557	1038	143	996
2014-2015	2965	1486	840	1879	1061	635	487	-	2615
2015-2016	1953	1345	805	1881	779	470	488	326	2440
2016-2017	2212	1448	1355	2566	1164	615	791	316	4236

*** भू-अभिलेख द्वारा चावल का उत्पादन दिया गया है जिसको धान में** (=Rice*3/2) परिवर्तित किया गया है।

स्त्रोत : आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, छत्तीसगढ

अनुलग्न - 7.7

सिंचाई स्त्रोत अनुसार शुद्ध सिंचित क्षेत्र

(हेक्टेयर में)

क्र	वर्ष	नहरें	तालाब	कुएँ	नलकूप सहित अन्य साधन	योग
1	1999-2000	802137	60085	40236	175981	1078439
2	2000-2001	677930	54663	39308	212261	984162
3	2001-2002	834737	54944	38955	222645	1151281
4	2002-2003	735061	55447	38871	243431	1072810
5	2003-2004	768759	49707	35611	236410	1090487
6	2004-2005	829987	58032	38952	281099	1208070
7	2005-2006	876039	52611	34724	284916	1248290
8	2006-2007	887577	52089	34853	307766	1282285
9	2007-2008	913825	55770	30666	333704	1333965
10	2008-2009	887059	51206	28275	372673	1339213
11	2009-2010	869701	50398	26790	375903	1322792
12	2010-2011	895112	45605	26092	388442	1355251
13	2011-2012	873089	53669	19686	468084	1414528
14	2012-2013	876670	49226	20413	502728	1449037
15	2013-2014	960033	52079	22296	716660	1751068
16	2014-15	903801	42622	20180	501107	1467710
17	2015-16	889345	42923	20607	523040	1475937
18	2016-17	900895	41322	21081	522465	1485763

स्त्रोत :- आयुक्त भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, छत्तीसगढ़

अनुलग्न-7.8

छत्तीसगढ़ राज्य में जिलेवार सिंचित क्षेत्रफल कृषि वर्षात 30 जून 2017

क्र	जिला	योग समस्त साधनों से सिंचित क्षेत्रफल		फसलों के निरा क्षेत्रफल से सिंचित निरा क्षेत्रफल का प्रतिशत	क्षेत्रफल जिसमें वर्ष में एक से अधिक बार सिंचाई की गई हो	संपूर्ण फसलों के क्षेत्रफल से सिंचित क्षेत्रफल का प्रतिशत
		कुल	निरा			
1	रायपुर	158917	139570	86%	19347	74%
2	बलौदाबाजार	119085	111191	47%	7894	43%
3	गरियाबंद	61686	46146	35%	15540	40%
4	महासमुन्द	125733	106455	40%	19278	41%
5	धमतरी	151654	120540	84%	31114	67%
6	दुर्ग	117499	94109	64%	23390	63%
7	बालोद	117690	91328	51%	26362	47%
8	बेमेतरा	147309	83917	37%	63392	43%
9	राजनांदगांव	134454	92584	26%	41870	27%
10	कबीरधाम	117854	74988	41%	42866	43%
11	बस्तर	6963	6963	4%	0	4%
12	कोंडागांव	6724	6724	5%	0	5%
13	नारायणपुर	213	213	1%	0	1%
14	कांकेर	31170	19142	9%	12028	14%
15	दन्तेवाड़ा	265	265	0%	0	0%
16	सुकमा	1285	1165	1%	120	1%
17	बीजापुर	3827	3827	6%	0	6%
18	बिलासपुर	100656	82134	37%	18522	38%
19	मुंगेली	77092	63841	50%	13251	36%
20	जाजगीर	214467	202299	79%	12168	78%
21	कोरबा	8822	8822	7%	0	6%
22	सरगुजा	17584	16359	11%	1225	10%
23	बलरामपुर	15078	14402	9%	676	8%
24	सूरजपुर	18610	17198	11%	1412	10%
25	कोरिया	8245	7366	8%	879	8%
26	रायगढ़	71964	63636	24%	8328	24%
27	जशपुर	10861	10579	4%	282	4%
	छत्तीसगढ	**1845707**	**1485763**	**32%**	**359944**	**33%**

स्त्रोत :- आयुक्त, भू अभिलेख

वानिकी

8

अध्याय

8 वानिकी

मुख्य बिन्दु :

- राज्य में आरक्षित वन 25782 वर्ग कि.मी. (43.13 प्रतिशत), संरक्षित वन 24036 वर्ग कि.मी. (40.22 प्रतिशत) व अवर्गीकृत वन 9954 वर्ग कि.मी. (16.65 प्रतिशत) वन क्षेत्र है।
- सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वानिकी क्षेत्र की भागीदारी वर्ष 2016-17(Q) में 540863 लाख तथा 2017-18 (अनुमानित) 545940 लाख है।
- सकल घरेलू उत्पाद में वानिकी का प्रतिशत हिस्सा 2016-17(Q) में 2.71 प्रतिशत व 2017-18 (अनुमानित) में 2.57 प्रतिशत है।
- वर्ष 2016-17 में 2500 हेक्टेयर सकल क्षेत्र में वन विकास मण्डल द्वारा सागौन रोपण कार्य प्रस्तावित है।
- वर्ष 2016-17 में हरियाली प्रसार योजनांतर्गत 288.81 लाख पौधों का रोपण किया गया तथा वर्ष 2017-18 में 308 लाख पौधों के रोपण का लक्ष्य रखा गया।

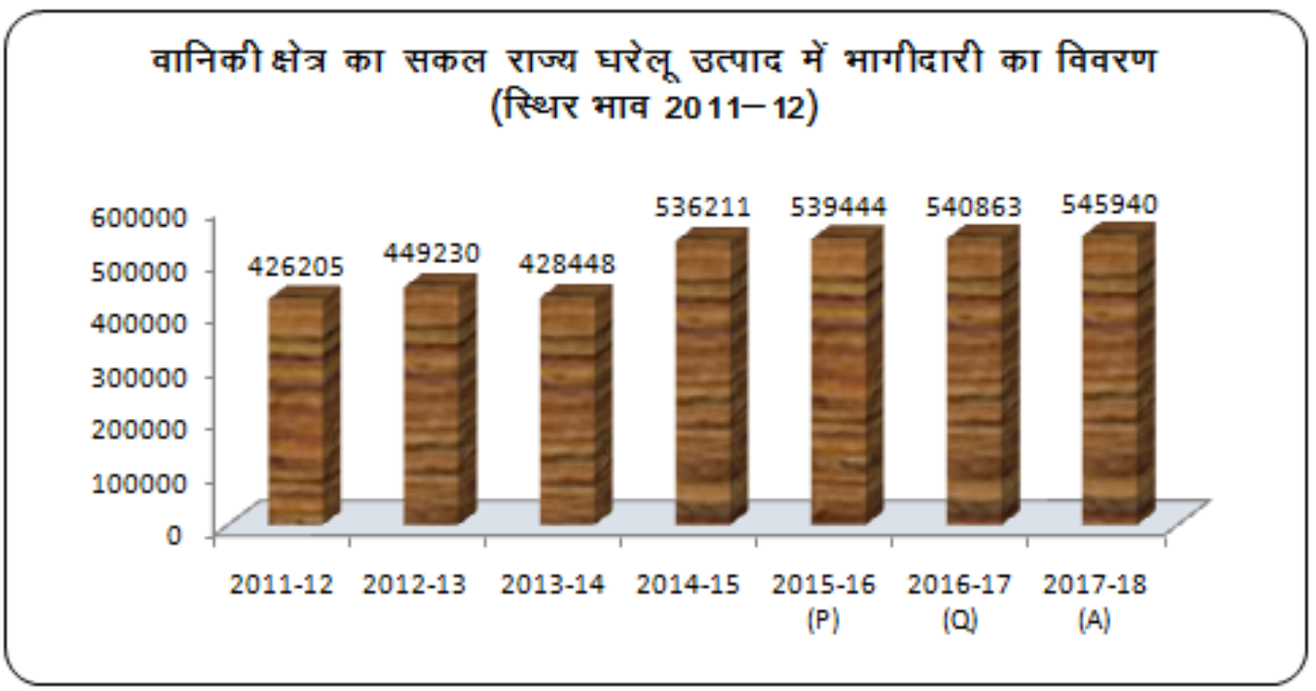
8.1 भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 23.38 प्रतिशत भाग वनाच्छादित है जबकि छत्तीसगढ़ में वनों का क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्र का 44.21 प्रतिशत है। छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्र भारत में चतुर्थ स्थान पर है। राज्य में आरक्षित वन 25782 वर्ग कि.मी.(43.13 प्रतिशत) संरक्षित वन 24036 वर्ग कि.मी. (40.22 प्रतिशत) अवर्गीकृत वन 9954 वर्ग कि.मी. कुल 59772 वर्ग कि. मी. वनक्षेत्र है। (स्रोत – राज्य वन विभाग)

8.2 वानिकी की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भागीदारी देखी जा सकती है, यदि इसे पूर्ण ढंग से लठ्ठा, इंधन की लकड़ी का संग्रहण, गैर इमारती लकड़ी एवं वनोत्पाद से ग्रामीण आय तथा जीवन निर्वाह आरंभ करने की दृष्टि से अवलोकित किया जाए। वन कार्बन अवशोषण कर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से मौसम परिवर्तन के दुष्प्रभाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वन पर्यावरण सेवाओं तथा अन्य उत्पादक क्षेत्रों को लाभान्वित करने का भी स्रोत है (यथा–बहाव कृषि के लिए वाटरशेड संरक्षण, वनाधारित मनोरंजन एवं पर्यटन)। अतः बहुत अधिक वन क्षेत्र न केवल राज्य को, बल्कि पूरे देश को उसके महत्वपूर्ण आच्छादन द्वारा भी लाभ पहुंचाता है।

8.3 पारंपरिक राष्ट्रीय लेखा के मामले में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वन क्षेत्र का योगदान महत्वपूर्ण परिलक्षित होता है जो तालिका 8.1 में दर्शाया गया है:–

तालिका 8.1 वानिकी क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में भागीदारी का विवरण (स्थिर भाव 2011–12)

मद	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16 (P)	2016-17 (Q)	2017-18 (A)
भागीदारी (लाख)	426205	449230	428448	536211	539444	540863	545940
वृद्धि (प्रतिशत)		5.40	-4.63	25.15	0.60	0.26	0.94
हिस्सा (प्रतिशत)	2.87	2.89	2.48	3.06	2.93	2.71	2.57



8.4 **विभाग की योजनाएं / कार्यक्रम**:– राज्य के वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु भारत शासन द्वारा 34 वनमंडलों के लिए कार्य आयोजना स्वीकृत है। राज्य के समस्त वनमंडल के वन क्षेत्रों का डिजीटाईजेशन कार्य पूर्ण किया जा चुका है। कार्य आयोजना की अवधि 10 वर्ष की होती है। योजनावार विवरण निम्नानुसार है :–

- **बिगड़े वनों का सुधार –**

प्रदेश के लगभग 30 प्रतिशत क्षेत्र का घनत्व 0.4 से कम है तथा इन्हे बिगड़े वनों की श्रेणी में रखा गया है। इन क्षेत्रों की उत्पादकता बढ़ाने हेतु बिगड़े वनों के सुधार का कार्य प्रति वर्ष लिया जाता है। इसके अंतर्गत जिन क्षेत्रों मे पर्याप्त जड़ भंडार होता है, वहां ठूंठ कटाई का कार्य कराया जाकर कापिस शूटस से नये पौधों का निर्माण किया जाता है। कम जड़ भंडार वाले एवं रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण किया जाता है।

- **बांस वनों का पुनरोद्धार –**

इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के बसोड़ों, पानबरेजा परिवारों एवं बांस का काम करने वाले हस्तशिल्प कारीगरों को अधिक मात्रा में अच्छा बांस उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वन एवं वनेत्तर क्षेत्रों में बिगड़े बांस वनों का सुधार एवं बांस रोपण कराया जाता है। बिगड़े बांस वनों में गुथे हुए बांस के भिर्रों की सफाई कराकर मिट्टी चढ़ाई का कार्य किया जाता है, जिससे अच्छे करले प्राप्त होते हैं एवं बांस वनों की उत्पादकता में वृद्धि होती है।

- **पर्यावरण वानिकी –**

शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने हेतु यह योजना संचालित है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में पौधा रोपण, पथ वृक्षारोपण एवं उनके रखरखाव का कार्य किया जाता है। इसके अतिरिक्त वन विभाग द्वारा निर्मित किए गए पर्यावरणीय उद्यानों का संधारण भी इस योजना के अंतर्गत किया जा रहा है।

- **पौधा प्रदाय योजना –**

जन सामान्य में वृक्षारोपण के प्रति अभिरूचि उत्पन्न कर उनकी आर्थिक उन्नति करने तथा वनेत्तर क्षेत्रों में हरियाली के प्रसार करने हेतु योजना अंतर्गत रियायती दर पर पौधे उपलब्ध कराए जाते हैं। वर्तमान में एक रूपये प्रति पौधे की दर से तैयारशुदा पौधे उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

- **नदी तट वृक्षारोपण योजना –**

छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदियों के तटों पर होने वाले भू–क्षरण की रोकथाम कर पारिस्थितिकीय स्थायित्व प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है।

- **पथ वृक्षारोपण –**

राज्य की महत्वपूर्ण सड़कों सड़कों के किनारे वृक्ष नहीं है। सड़कों के किनारे वृक्षारोपण तथा उनके रखरखाव हेतु यह योजना चलाई जा रही है। योजना के क्रियान्वयन से प्रदेश में वृक्ष आवरण क्षेत्र बढ़ेगा, पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सकेगा तथा पथिकों को छाया एवं मनमोहक हरियाली उपलब्ध होगी।

- **वन मार्गों पर रपटा एवं पुलिया निर्माण –**

वन विभाग के अंतर्गत 13500 किमी. लंबी सड़कें हैं, जो अंदरूनी क्षेत्रों में पहुंचने का एकमात्र साधन है। अंदरुनी वनक्षेत्रों से वनोपज, कृषि उपज, अन्य आवश्यक सामग्रियों का परिवहन एवं परिवहन सेवाओं की निरंतरता वर्षभर बनाये रखने के लिए वनमार्गों पर रपटा एवं पुलिया निर्माण हेतु यह योजना संचालित है।

तालिका क्र. 8.2 योजना/कार्यक्रमों की प्रगति

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	वर्ष 2016–17 की भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि		वर्ष 2017–18 की भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि	
		भौतिक	वित्तीय (हजार में)	भौतिक	वित्तीय (हजार में)
1	पर्यावरण वानिकी	1.16 लाख पौधों का रोपण, 21 पर्यावरण पार्क/पिकनिक स्पॉट का संचालन	110720	02 लाख पौधों का रोपण एवं 22 पर्यावरण पार्क/पिकनिक स्पॉट का संचालन	137500
2	बिगड़े वनों का सुधार	40955 हे. में तैयारी एवं सी.बी.ओ. कार्य 15000 हे. में रोपण, 190463 हे. में रखरखाव	1366415	35000 हे. में तैयारी एवं सी.बी.ओ. कार्य 13000 हे. में रोपण, 160000 हे. में रखरखाव	1661000
3	भू एवं जल संरक्षण कार्य	50400 हे. में उपचार कार्य, 58000 हे. रखरखाव	149418	55000 हे. में उपचार कार्य, 75000 हे. रखरखाव	235950
4	नदी तट वृक्षारोपण योजना	310 हे. रोपण, 240 हे. में तैयारी कार्य 2560 हे. पुराने रोपण का रखरखाव	38288	220 हे. रोपण, 300 हे. में तैयारी कार्य 2100 हे. पुराने रोपण का रखरखाव	93500
5	तेजी से बढ़ने वाले वृक्षारोपण बांस रोपण सहित	390 हे. में तैयारी, 1225 हे. रोपण, 1240 हे. में पुराने रोपण का रखरखाव	55842	800 हे. में तैयारी, 750 हे. रोपण, 6500 हे. में पुराने रोपण का रखरखाव	148500
6	हरियाली प्रसार योजना	288.81 लाख पौधों का रोपण	324997	308 लाख पौधों का रोपण	693000
7	पौधा प्रदाय योजना	11.30 लाख पौधों की तैयारी एवं वितरण	10449	10 लाख पौधों की तैयारी एवं वितरण	12100
8	बांस वनों का पुनरोद्धार	16000 हे. में तैयारी तथा बांस भिर्रा सफाई, 10500 हे. में रोपण, 100000 हे. में पुराने आर.डी.बी.एफ. एवं रोपण क्षेत्र का रखरखाव	293252	4000 हे. में तैयारी तथा बांस भिर्रा सफाई, 4900 हे. में रोपण, 100000 हे. में पुराने आर.डी.बी.एफ. एवं रोपण क्षेत्र का रखरखाव	462000
9	पथ वृक्षारोपण	10 कि.मी. रोपण, 62 कि.मी. तैयारी तथा 200 कि.मी. रखरखाव कार्य	64573	80 कि.मी. रोपण, 40 कि.मी. तैयारी तथा 300 कि.मी. रखरखाव कार्य	72600
10	अतिक्रमण व्यवस्थापन के बदले वृक्षारोपण	430 हे. में तैयारी, 430 हे. में रोपण, 1100 हे. में पुराने रोपण का रखरखाव	36221	300 हे. में तैयारी, 300 हे. में रोपण, 3700 हे. में पुराने रोपण का रखरखाव	48950
11	वन मार्गो पर रपटा एवं पुलिया निर्माण	वनमार्गो में 290 रपटा/पुलिया निर्माण	142769	वनमार्गो में 350 रपटा/पुलिया निर्माण	159500
12	सामाजिक वानिकी	टिश्यू कल्चर लैब, 260 हे. रोपण तथा 700 हे. में रखरखाव	22262	290 हे. तैयारी, 220 हे. रोपण तथा 2000 हे. में रखरखाव	36300
13	वन विकास उपकर निधि से व्यय	1500 हे. में रोपण, पथ रोपण 5 कि.मी. 2046 हे. में रखरखाव, नया रायपुर वन मुख्यालय में फर्नीचर तथा वन विकास निगम को अनुदान	160492	2200 हे. में तैयारी, रोपण, भू संरक्षण कार्य तथा 20000 हे. रखरखाव कार्य	251350
14	बाड़ी बांस योजना	लगभग 80000 कृषकों को न्यूनतम 5 एवं अधिकतम 50 पौधे निःशुल्क वितरण तथा बांस पौधों के रोपण	15951	लगभग 80000 कृषकों को न्यूनतम 5 एवं अधिकतम 50 पौधे निःशुल्क वितरण तथा बांस पौधों के रोपण	27500
		कुल योग :–	**2791649**		**4039750**

8.5 छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगमः– छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम मई, 2001 में रायपुर क्षेत्र की 4 परियोजना मण्डल को लेकर अस्तित्व में आया। वर्तमान में 8 परियोजना मण्डल हैं जिसमें औद्यौगिक परियोजना मंडल, कोरबा एवं जगलपुर शामिल हैं।

8.5.1 खदानी रोपणः– वर्ष 1990 से 2017 तक औद्यौगिक क्षेत्रों में 256.17 लाख पौधों का रोपण किया गया है। वर्षा ऋतु वर्ष 2017 में 9.34 लाख पौधों का रोपण किया गया है। वर्ष 2018 में 10.00 लाख पौधरोपण का लक्ष्य प्रस्तावित है।

8.5.2 सड़क किनारे वृक्षारोपणः– माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार पर्यावरण सुधार की दृष्टि से निगम द्वारा विगत 12 वर्षों के दौरान 1026.204 कि.मी. लंबाई में पथ एवं 2343.68 हेक्टेयर में ब्लाक वृक्षारोपण किया गया है।

तालिका 8.3 वर्ष 2016 की स्थिति (हे.)	
निगम का वन क्षेत्रफल	197322
रोपित रकबा	121258
सागौन	112279
बांस	6749
मिश्रित	1913
औषधीय	317

सारणी 8.4 सड़क किनारे वृक्षारोपण उपलब्धि					
मद	2012	2013	2014	2015	2016
रोपित मार्ग लंबाई (कि.मी.)	102.5	20	97.2 कि.मी. 64 हे.	220 कि.मी., 993 हे.	56.3 कि.मी., 465 हे
रोपित पौधों की संख्या	205000	40000	317512	1401110	561855

8.5.3 वन विकास निगम के परियोजना मण्डलों की विभिन्न रोपणियों में निम्नानुसार पौधे वर्ष 2018 वर्षा ऋतु में रोपण हेतु तैयार किए गए है–

सारणी 8.5 वर्षा ऋतु के रोपण का विवरण				
परियोजना मण्डल का नाम	गत वर्ष के शेष रूटशूट	वर्षा ऋतु वर्ष 2018 के रोपण के लिए रोपणियों में उपलब्ध पौधे		
		सागौन	मिश्रित	योग
बारनवापारा–रायपुर	3743400	600000	166000	4509400
पानाबरस–राजनांदगांव	319260	750000	113000	1182260
अंतागढ़–कबीरधाम	-	492500	-	492500
कवर्धा–कबीरधाम	175000	2110500	-	2285500
कोटा–बिलासपुर	-	1500000	-	1500000
सरगुजा–अम्बिकापुर	-	565150	52000	617150
औ.व.मं. कोरबा	-	-	121000	121000
योग	**4237660**	**6018150**	**998000**	**11253810**

8.6 छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड

शासन द्वारा राज्य में औषधीय पादपों के संरक्षण, संवर्धन, विनाश विहीन विदोहन, प्रसंस्करण तथा विपणन से संबंधित नीति बनाने एवं विभिन्न संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड के अंतर्गत राज्य बजट, एन.एम.पी.बी. तथा कैम्पा योजना के अंतर्गत निम्नानुसार विभिन्न कार्य प्रचलित है –

8.6.1 राज्य मद अंतर्गत किए गए कार्य :–

तालिका 8.6 राज्य मद अंतर्गत किए गए कार्य

वर्ष	प्राप्त बजट (लाख में)	व्यय (लाख में)
2015–16	400.00	497.56
2016–17	400.00	645.50
2017–18	320.00	142.68

- छ.ग. राज्य औषधीय पादप बोर्ड द्वारा औषधीय उद्यान का विकास किया गया जिसमें 250 औषधीय पादप को रोपित किया गया।
- बोर्ड द्वारा राज्य के विभिन्न वनमंडलों में दशमूल प्रजातियों का रोपण 150 हेक्टेयर, त्रिफला रोपण 485 हे, मेंहदी रोपण 140 हेक्टेयर एवं मिश्रित औषधीय वृक्षारोपण 1233 हेक्टेयर का कार्य कराया गया है।
- वर्ष 2016–17 में राज्य के जशपुर वनमंडल को त्रिफला रोपण 20 हेक्टे. तथा तेजबल रोपण 20 हेक्टे., औषधीय मिश्रित वृक्षारोपण हेतु केशकाल वनमंडल को 114 हेक्टे. बलरामपुर वनमंडल को 33 हेक्टे., कटघोरा वनमंडल को 80 हेक्टेयर तथा पश्चिम भानुप्रतापपुर को 100 हेक्टे. क्षेत्रफल में क्षेत्र तैयारी हेतु स्वीकृति दी गई है।
- वर्ष 2015–16 में वनमंडल कांकेर, केशकाल, दक्षिण कोण्डागांव तथा महासमुंद में कुल 60.00 लाख राशि विमुक्त कर हर्बल गार्डन की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदाय की गई है एवं वर्ष 2016–17 में वनमंडल सूरजपुर, पश्चिम भानुप्रतापपुर तथा बलरामपुर में हर्बल गार्डन स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदाय की गई है।
- वर्ष 2016–17 में राज्य के पश्चिम भानुप्रतापपुर एवं कटघोरा वनमंडल में कुल 900 हेक्टयर क्षेत्रफल में एम.पी.सी.ए. क्षेत्र स्थापना हेतु कुल राशि रू. 67.50 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है।
- नारायणपुर वनमंडल 05 हेक्टेयर क्षेत्रफल अंतर्गत हर्बल गार्डन की स्थापना का कार्य करने हेतु राशि रू. 39.00 लाख विमुक्त की गई है। इसमें 200 प्रजातियों का रोपण किया गया है।
- वर्षा ऋतु 2017 में राज्य के 09 वनमंडलों रायपुर, धमतरी, कवर्धा, सरगुजा, बस्तर, कांकेर, दक्षिण कोण्डागांव तथा मरवाही वनमंडल में होम हर्बल गार्डन की स्थापना की गई एवं शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं को मिलाकर कुल 9 लाख औषधीय पौधों का राज्य भर में वितरण किया गया।
- वर्ष 2016–17 हेतु वनमंडल पश्चिम भानुप्रतापपुर, केशकाल, बस्तर, रायपुर, बलौदाबाजार को होम हर्बल गार्डन योजनांतर्गत कुल 10 लाख औषधीय पौधे तैयार करने हेतु स्वीकृति प्रदाय की गई है ।

- गत 05 वर्षों में औषधीय पौधा चलित प्रदर्शनी के जरिये ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 60 गांवों में औषधीय पौधा संबंधित प्रचार प्रसार गतिविधि का आयोजन किया गया।
- वर्ष 2016–17 में अंतर्राष्ट्रीय दिवसों जैसे – विश्व वानिकी दिवस, पृथ्वी दिवस, जैव विविधता दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर औषधीय पौधों के महत्व एवं जन–सामान्य में जागरूकता लाने हेतु औषधीय पौधा चलित प्रदर्शनी एवं निःशुल्क औषधीय पौधा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
- बोर्ड द्वारा ट्वीटर (28 जून 2014) एवं फेसबुक (1 नवंबर 2015) के जरिये बोर्ड की योजनाओं एवं गतिविधियों के बारे में आम जनों को जानकारी दी जाती है।
- विगत 05 वर्षों में राज्य के अखबारों में लगभग 200 सकारात्मक न्यूज बोर्ड के क्रियाकलापों/गतिविधि/योजनाओं के बारे में प्रकाशित की गई।
- वर्ष 2016–17 में राज्य के 06 वनमंडलों पूर्व भानुप्रतापपुर, धमतरी, जगदलपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर तथा सरगुजा में वृत्त स्तरीय वैद्य सम्मेलन का आयोजन कर लगभग 900 वैद्यों के ज्ञान को अभिलेखित किया गया। राज्य में औषधीय पादप के विकास एवं संरक्षण कार्य में परंपरागत वैद्यों द्वारा भूमिका निभाई जा रही है।
- हर्बल उत्पादों के विक्रय को प्रोत्साहित करने हेतु रेल्वे स्टेशन, रायपुर एवं माना विमानतल रायपुर की नये टर्मिनल में रिटेल आउटलेट औषधीय उत्पाद सह–प्रचार केन्द्र स्थापित है। इन विक्रय केन्द्रों में मुख्यतः महिला समूहों द्वारा तैयार किये गये हेल्थ एवं ब्यूटी प्रोडक्ट्स का विक्रय किया जाता है।
- वर्ष 2016–17 में रायपुर के विभिन्न शासकीय उद्यानों/संस्थानो एवं अति विशिष्ट लोकजनों के आवासीय परिसरों सहित कुल 65 स्थानों का सर्वेक्षण उपरांत, विद्यमान औषधीय पौधों तथा वृक्ष प्रजातियों की पहचान कर लगभग 800 वृक्षों में नाम पट्टिका लगाई गयी।
- छ.ग. राज्य औषधीय पादप बोर्ड द्वारा साल के पारंपरिक पुनरूत्पादन प्रक्रिया का 14 वनमंडलों में जागरूकता अभियान चलाया गया।
- छ.ग. राज्य औषधीय पापद बोर्ड द्वारा 06 राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेला प्रदर्शनियों में भागीदारी की गई।
- बोर्ड द्वारा 14 स्थानों में औषधीय पौधा चलित प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।
- छ.ग. राज्य औषधीय पादप बोर्ड द्वारा होम हर्बल गार्डन योजनांतर्गत रायपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में लगभग 60 स्थानों में औषधीय पौधों का निःशुल्क वितरण किया गया।
- छ.ग. राज्य औषधीय पादप बोर्ड द्वारा औषधीय पौधों से संबंधित 09 प्रकाशन कार्य किए गए।
- छ.ग. राज्य औषधीय पादप बोर्ड द्वारा 04 राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मेला/प्रदर्शनी में भागीदारी, जिसमें वन मड़ई मेला 2017 एवं आरोग्य मेला 2017 विशाखापट्नम प्रमुख है।
- बोर्ड द्वारा 03 स्थानों में औषधीय पौधा चलित प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।

8.6.2 राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड के अंतर्गत संचालित कार्य–

NMPB योजना अंतर्गत वर्ष 2016–17 में छत्तीसगढ़ के 07 वनमंडल क्रमशः धमतरी, दक्षिण कोण्डागांव, बस्तर, मरवाही, खैरागढ़, सूरजपुर तथा जशपुर में 21 वनप्रबंधन समिति (JFMCs) के सहयोग द्वारा वनौषधियों के विनाश विहीन विदोहन, मूल्यवर्धक तथा विपणन कार्य हेतु प्रसंस्करण

- केन्द्र का राशि रू. 486.50 लाख का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया एवं इस हेतु राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड द्वारा कुल राशि रू. 315.00 लाख मंजूर की गई। प्रस्ताव अंतर्गत प्रावधानित प्रसंस्करण केन्दों में 01 Godown, 01 Drying Shed तथा मशीन सम्मिलित है।
- वर्ष 2016–17 में राशि रू. 327.00 लाख की वार्षिक कार्य आयोजना प्रस्ताव तैयार कर राज्य आयुष मिशन के माध्यम से भारत सरकार को प्रेषित किया गया।
- UNDP परियोजना अंतर्गत स्थापित 07 MPCA क्षेत्र के JFMCs द्वारा वनोपज का संग्रहण कर प्राथमिकि प्रसंस्करण व मार्केटिंग किया जाने हेतु NMPB के परियोजना "Sustainable collection,Value Addition, Warehousing and Marketing of Seleced RET and high trade Medicinal plant species covering 21 JFMCs in 07 Forest Division of Chhttisgarh" के अंतर्गत दिनांक 22.09.2017 को वनमंडल धमतरी (दुगली) व मरवाही वनमंडल (केंवची) में औषधीय पौधों का विनाश विहीन संग्रहण पद्धति व जैविक प्रमाणीकरण विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मरवाही वनमंडल में वन प्रबंधन समिति सदस्य व धमतरी वनमंडल में 124 वन प्रबंधन समिति सदस्यों ने भाग लिया।

8.6.3 कैम्पा योजनांतर्गत नवीन कार्य :–

तालिका 8.7 कैम्पा योजना

वर्ष	प्राप्त बजट (लाख में)	व्यय (लाख में)
2016–17	160.00	151.00
2017–18	150.00	49.97

- वर्ष 2016–17 में कैम्पा परियोजना अंतर्गत बनाए गए 07 MPCA क्षेत्र क्रमशः कोरबा, धमतरी, बलरामपुर, धरमजयगढ़, कटघोरा, केशकाल एवं सरगुजा में 1400 हेक्टेयर क्षेत्रफल को औषधीय पादप संरक्षित क्षेत्र बनाया गया है।
- बोर्ड द्वारा वनों से लगे ग्रामीण क्षेत्रों के युवक–युवतियों में औषधीय पौधों को पहचानने उनके वैज्ञानिक नाम जानने, औषधीय पौधों के संरक्षण, महत्व एवं विकास हेतु ग्रामीण वनस्पति विशेषज्ञ प्रशिक्षण का प्रतिवर्ष आयोजन किया जाता है। उक्त प्रशिक्षण में अब तक 84 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया तथा वर्ष 2016–17 में ग्रामीण वनस्पति विशेषज्ञ कार्यक्रम का नया सत्र प्रारंभ किया गया एवं माह दिसम्बर 2016 में कुल 27 प्रशिक्षणार्थियों को बैंगलोर में प्रशिक्षित कर प्रमाण–पत्र दिया गया एवं नवीन चरण हेतु कार्य प्रगति पर है।
- वर्ष 2016–17 में एफ.आर.एल.एच.टी., बैंगलोर (फाउंडेशन फॉर रिवाईटलाईजेशन ऑफ लोकल हेल्थ ट्रेडिशन) के तकनीकी सहयोग द्वारा 02 औषधीय पौधा संरक्षण क्षेत्र कोरबा तथा बलरामपुर को विनाश विहीन विदोहन क्षेत्र के रूप में चयनित किया गया है। उन क्षेत्रों में 09 औषधीय प्रजातियों के विनाश विहीन विदोहन एवं संग्रहण पद्धति पर प्रशिक्षण दिया गया। कोरबा वनमंडल में माह नवंबर 2016 कराया गया, जिसमें 45 प्रतिभागी सम्मिलित हुए एवं द्वितीय चरण वनमंडल सरगुजा में फरवरी 2017 को कराया गया जिसमें 35 प्रशिक्षणार्थी सम्मिलित हुए।
- समुदाय से समुदाय का प्रशिक्षण का आयोजन बलरामपुर वनमंडल में FRLHT के तकनीकी सहयोग से आयोजित की गई जिसमें 35 प्रशिक्षणार्थियों को Minar Forest Produce Species के संग्रहण पर प्रशिक्षण दिया गया, साथ ही एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय को अपने स्थान पर पाए जाने वाले वनस्पतियों के उपोग एवं संग्रहण के बारे में जानकारी दी गई।

- TFRI जबलपुर द्वारा अलग–अलग 03 ऋतुओं में Ecological सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण हो चुका है। उनके द्वारा हर्बेरियम बनाकर रिपोर्ट कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु पत्राचार किया गया है।
- औषधीय पौधों के परंपरागत ज्ञान के संकलन एवं क्षेत्र के पारंपरिक वैद्यों के सहयोग से औषधीय पौधों के परंपरागत ज्ञान को अभिलेखीकरण करने हेतु कैम्पा परियोजना अंतर्गत 07 नये एम.पी.सी.ए. क्षेत्रों में जैव विविधता समिति गठित कर कार्य करने की योजना है।
- औषधीय पौधा संरक्षित क्षेत्र में कार्य करने वाले मैदानी कर्मचारी एवं जैव प्रबंधन समिति सदस्य के लोगों के क्षमता विकास हेतु 25 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया, जिसके तहत् औषधीय पादप संरक्षित क्षेत्रोंकी उपयोगिता एवं औषधीय पौधों के पहचान तथा संरक्षण संबंधी प्रशिक्षण का आयोजन दिनांक 17 से 19 अक्टूबर 2016 को बस्तर वनमंडल में आयोजित की गई तथा उसका अंतिम चरण एफ.आर.एल.एच.टी. बैंगलोर में कराया जाना है।
- बोर्ड द्वारा परियोजना अंतर्गत एम.पी.सी.ए. से नजदीकी ग्रामीण क्षेत्रों में चलित प्रदर्शनी का आयोजन कर औषधीय पौधों के बारे में जागरूकता अभियान चलया गया तथा गांवों के स्कूलों एवं ग्राम पंचायतों में औषधीय पौधों के पोस्टर चस्पा किये गये तथा ब्रोशर एवं पुस्तिकाओं का वितरण किया गया तथा जागरूकता हेतु Flex लगाये गये।
- वर्ष 2017–18 में प्रत्येक MPCA क्षेत्र में बहुतायत में पाए जाने वाले औषधीय प्रजातियों का वानस्पतिक नाम का बोर्ड लगाना, भूजल संरक्षण एवं जीन बैंक की स्थापना आदि का कार्य प्रस्तावित है, जिसके लिए CAMPA से 150 करोड़ की राशि प्राप्त की गई है।

8.7 लघु वनोपज सहकारी संघ – लघु वनोपज सहकारी संघ राज्य, में वनांचलों के निवासियों द्वारा संग्रहित राष्ट्रीयकृत एवं अराष्ट्रीयकृत वनोत्पादों को, उचित मूल्य पर क्रय करता है। जिससे वनों में निवास करने वाले आदिवासियों को जीविकोपार्जन का अत्यंत महत्वपूर्ण आधार प्राप्त होता है जबकि पूर्व में स्थानीय व्यापारियों के द्वारा एकदम कम मूल्य पर अथवा केवल नमक के बदले वनोपजों की खरीदी की जाती रही है। संघ द्वारा भारत शासन के न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनांतर्गत हर्रा एवं सालबीज का संग्रहण वर्ष 2014–15 से तथा महुआ बीज, इमली, चिरौंजी गुठली एवं लाख का संग्रहण वर्ष 2015–16 से प्रारंभ हुआ है। साथ ही अन्य प्रमुख एवं गौण वनोपजों का सफलतापूर्वक संग्रहण किया जा रहा है। जिनका विवरण संबंधित तालिका में देखा जा सकता है । (एक मानक बोरा –50 हजार तेंदू पत्तियॉं)

तालिका 8.8 प्रमुख वनोत्पाद

मद	इकाई	2015.16		2016.17 सितं.	
		उत्पादन	संग्रहण मूल्य लाख	उत्पादन	संग्रहण मूल्य लाख
तेंदूपत्ता	लाख मानक बैग	1300874	15610	1361407	20421
साल बीज	क्विंटल	111983	1451	2808	36
संग्रहित हर्रा	क्विंटल	34189	479	57089	799
महुआ बीज	क्विंटल	4879	118	51	1
गौंद	क्विंटल	40	5	0	0
इमली	क्विंटल	35446	899	894	23
अन्य वनोपज	क्विंटल	3071	56	3071	56

खनिज

9

अध्याय

9 खनिज

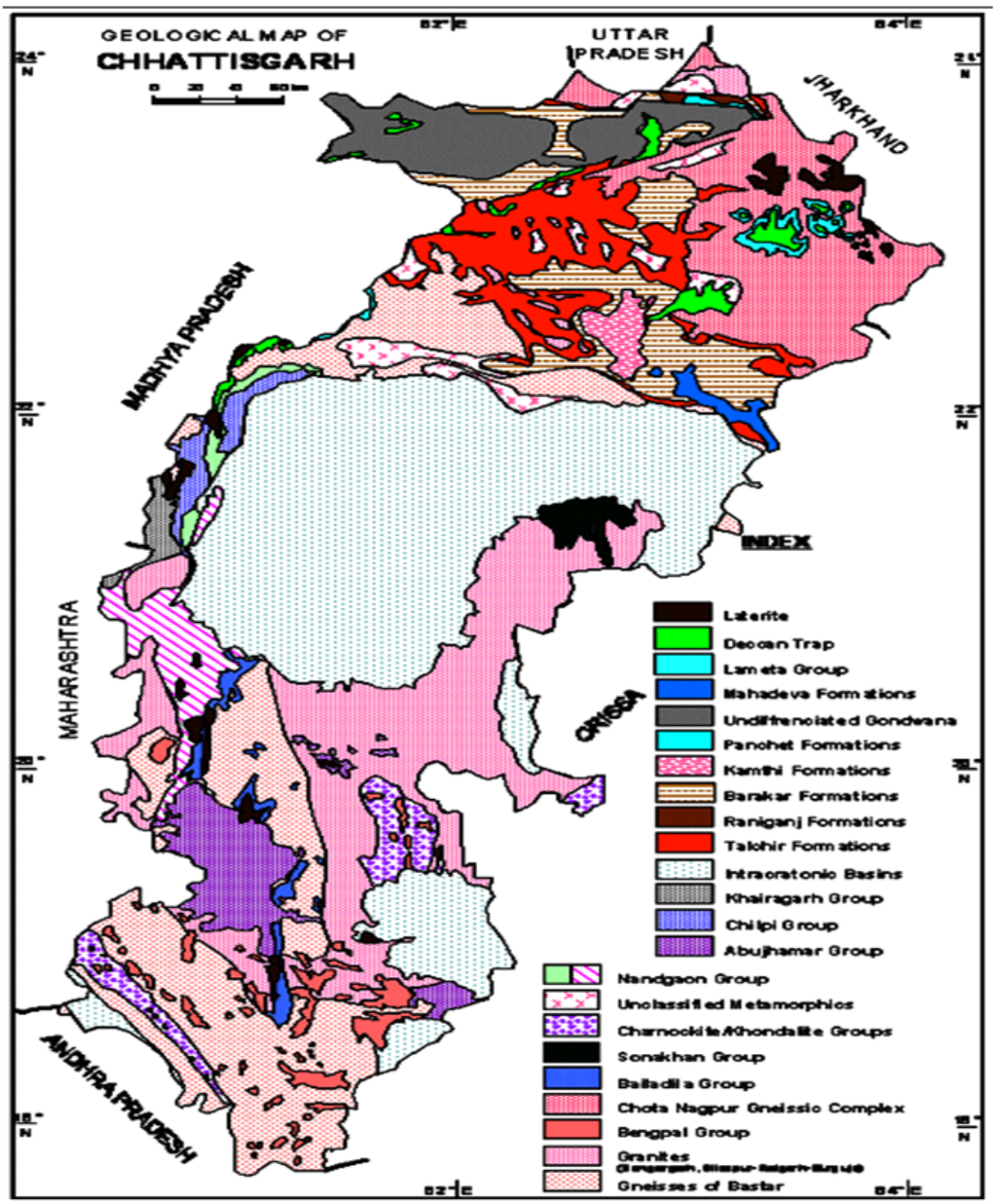
मुख्य बिन्दु -

- वर्ष 2017-18 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (स्थिर भाव) में खनिज क्षेत्र का योगदान 23320 करोड़ अनुमानित।
- वर्ष 2016-17 में भारत में उत्पादित खनिज के मूल्य में राज्य का योगदान 9.6 प्रतिशत है।
- छत्तीसगढ़ राज्य का लगभग 27% राजस्व, खनिजों के दोहन से खनिज राजस्व के रूप में प्राप्त होता है।
- छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा खनिजों की रियायतें प्राप्त कर खनिजों का विकास, दोहन एवं लाभार्जन किया जाता है।
- वर्ष 2016-17 में देश में 237730 करोड मूल्य के मुख्य खनिज का दोहन किया गया जो कि छत्तीसगढ़ में 22743 करोड़ (9.6%) था। वर्ष 2017-18 में अगस्त अंत तक यह हिस्सा लगभग 9.3 प्रतिशत है।
- राजस्व आय 2015-16 में 3710 करोड़, 16-17 में 4141 करोड़ है।

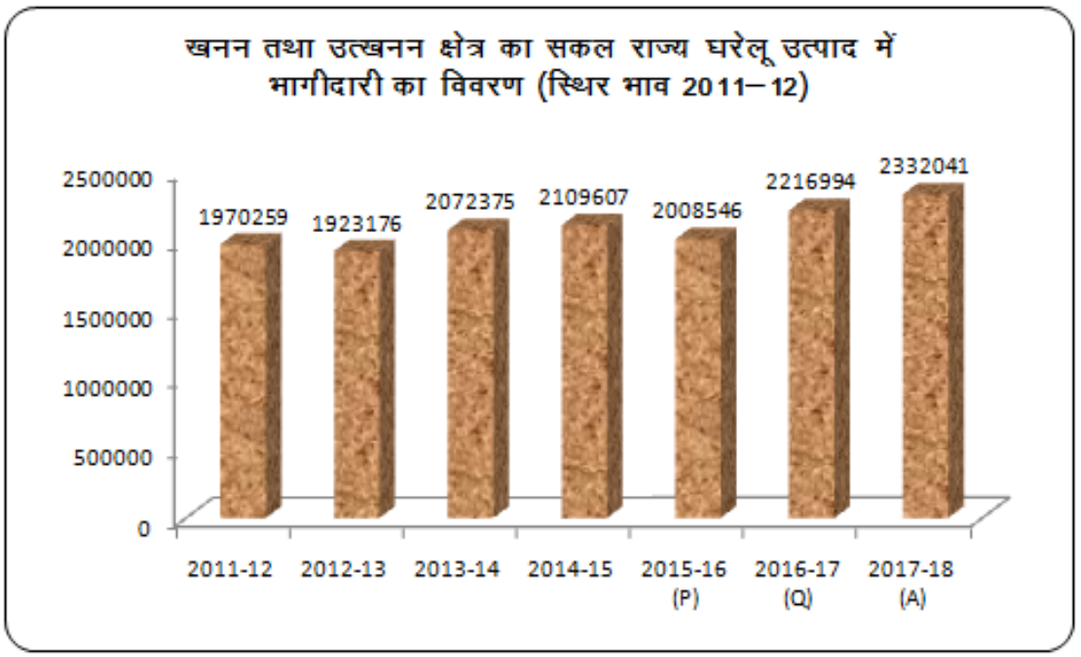
9.1 छत्तीसगढ़ की धरती औद्यौगिक खनिजों से परिपूर्ण है। इन खनिजों की गुणवत्ता तथा इनके भण्डार उद्यमियों को प्रदेश में उद्योग लगाने हेतु आकर्षित करते हैं। वित्तीय वर्ष 2016–17 में देश के कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य का हिस्सा 21.16%, लौह अयस्क 16.17%, चूनापत्थर 10. 19%, बॉक्साइट 7.92% तथा टिन अयस्क 100% रहा। छत्तीसगढ़ राज्य का लगभग 27 प्रतिशत राजस्व खनिजों के दोहन से खनिज राजस्व के रूप में प्राप्त होता है। वर्ष 2016–17 में 22743.07 करोड़ मूल्य के खनिजों का उत्पादन हुआ एवं राजस्व प्राप्ति 4141.47 करोड़ हुई। कोयले के अधिक उत्पादन के कारण छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में देश का महत्वपूर्ण केंद्र बन रहा है। इसी तरह यह राज्य विद्युत गहन खनिज प्रसंस्करण एवं पुनः अग्र–एकीकृत उद्योग यथाः लौह एवं इस्पात, एल्यूमिनियम एवं सीमेंट उद्योग इत्यादि का केंद्र भी बन रहा है।

तालिका 9.1 राजस्व आय **(करोड़)**

वर्ष	खनिज राजस्व
2014–15	3572.68
2015–16	3709.57
2016–17	4141.47



तालिका 9.2 खनन तथा उत्खनन क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में भागीदारी का विवरण (स्थिर भाव 2011–12)							
सांख्यिकी	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16 (P)	2016-17 (Q)	2017-18 (A)
भागीदारी (लाख)	1970259	1923176	2072375	2109607	2008546	2216994	2332041
वृद्धि (प्रतिशत)		–2.39	7.76	1.80	–4.79	10.38	5.19
हिस्सा (प्रतिशत)	13.27	12.36	12.01	12.03	10.92	11.11	10.97



9.2 वर्तमान में प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कोयला, चूनापत्थर, डोलोमाईट, लौह अयस्क, बाक्साइट, टिन अयस्क, हीरा, एवं स्वर्ण हैं। इन खनिजों के अतिरिक्त कोरण्डम, एलेक्जेंड्राइट, कार्नरूपेन, क्वार्टजाइट, क्ले, फ्लोराइट, बेरिल, एन्डालूसाइट, कायनाइट, सिलिमेनाइट, टाल्क, सोपस्टोन, लेपीडोलाइट, गार्नेट, रबर मोल्डिंग सेंड, ग्रेफाइट, मोल्डिंग सेंड, एम्बीलीगोनाइट आदि है। प्रदेश में पाई जाने वाली विभिन्न चट्टानों ग्रेनाइट, फ्लैगस्टोन (फर्शी पत्थर) मार्बल आदि पत्थर प्रचुर मात्रा में हैं।

तालिका 9.3– मुख्य खनिज के उत्पादन छत्तीसगढ़ एवं अखिल भारत, वर्ष 2016–17						
मुख्य खनिज	छत्तीसगढ़		भारत		योगदान का प्रतिशत	
	उत्पादन	मूल्य (लाख)	उत्पादन	मूल्य (लाख)	उत्पादन	मूल्य
कोयला (000 टन)	139722	1577288	660402	9136788	21.16	17.26
लौह अयस्क (000 टन)	31068	604625	192081	2513887	16.17	24.05
चूना पत्थर (000 टन)	31919	78890	313196	668838	10.19	11.80
बॅक्साइट (000 टन)	1954	13365	24665	141704	7.92	9.43
टिन (कि.ग्रा.)	12120	74	12120	74	100.0	100.0
अन्य मुख्य खनिज		64		11311712		
	योग	2274307		23773003		9.6
स्त्रोत–भारतीय खान ब्यूरो प्रकाशन						

तालिका 9.4– मुख्य खनिज के उत्पादन छत्तीसगढ़ एवं अखिल भारत, वर्ष 2017–18 (अगस्त 17)

मुख्य खनिज	छत्तीसगढ़		भारत		योगदान का प्रतिशत	
	उत्पादन	मूल्य (लाख)	उत्पादन	मूल्य (लाख)	उत्पादन	मूल्य
कोयला (000 टन)	50599	571199	235993	3246439	21.44	17.59
लौह अयस्क (000 टन)	12642	270130	78361	1201904	16.13	22.48
चूना पत्थर (000 टन)	15364	36279	136962	300966	11.22	12.05
बॅक्साइट (000 टन)	905	8093	92252	57160	0.98	14.16
टिन (कि.ग्रा.)	4650	26	4650	26	100.00	100.00
अन्य मुख्य खनिज		5		4695842		
योग		885732		9502337		9.32

स्त्रोत :- भारतीय खान ब्यूरो प्रकाशन

9.3 खनिज उत्पादन का मूल्यः– छत्तीसगढ़ राज्य के खनिज उत्पादन मूल्य 2012–13 में अखिल भारत के कुल उत्पादन मूल्य का 7.9 प्रतिशत रहा जो कि 2013–14 में बढ़कर 8.7 प्रतिशत हो गया परंतु वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में यह घटकर 8.2 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2016–17 में छत्तीसगढ़ राज्य के खनिज उत्पादन मूल्य अखिल भारत के कुल उत्पादन मूल्य का 9.6 प्रतिशत रहा तथा वर्ष 2017–18 में अप्रैल से अगस्त अवधि में यह 9.3 प्रतिशत है। इसका वर्षवार विवरण तालिका 9.5 में दर्शाया गया है।

तालिका 9.5 कुल खनिज उत्पादन का मूल्य (करोड़ में)

वर्ष	छत्तीसगढ़	भारत	योगदान का %
2012–13	18401	233321	7.9
2013–14	19566	225660	8.7
2014–15	19416	236554	8.2
2015–16	19213	234171	8.2
2016–17	22743	237730	9.6
2017–18 (अगस्त)	8857	95023	9.3

स्त्रोत–भारतीय खान ब्यूरो प्रकाशन'* कपया टेबल 9.2 को देखें

9.4 खनिज अन्वेषण कार्यः– वित्तीय वर्ष 2016–17 में 1180 वर्ग कि.मी. क्षेत्र का भौमिकी सर्वेक्षण, भण्डारों के प्रमाणीकरण हेतु 232 घन मीटर पिटिंग तथा 6639 मीटर ड्रिलिंग की गई। खनिजों की गुणवत्ता एवं श्रेणी निर्धारण हेतु 9282 खनिज नमूनों को विश्लेषित कर 53419 मूलकों की उपस्थिति ज्ञात की गई। प्रतिवेदित अवधि में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में चूनापत्थर के 2598 लाख टन, बाक्साइट के 25.89 लाख टन भण्डार विदित हुए।

तालिका 9.6 वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 में विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण

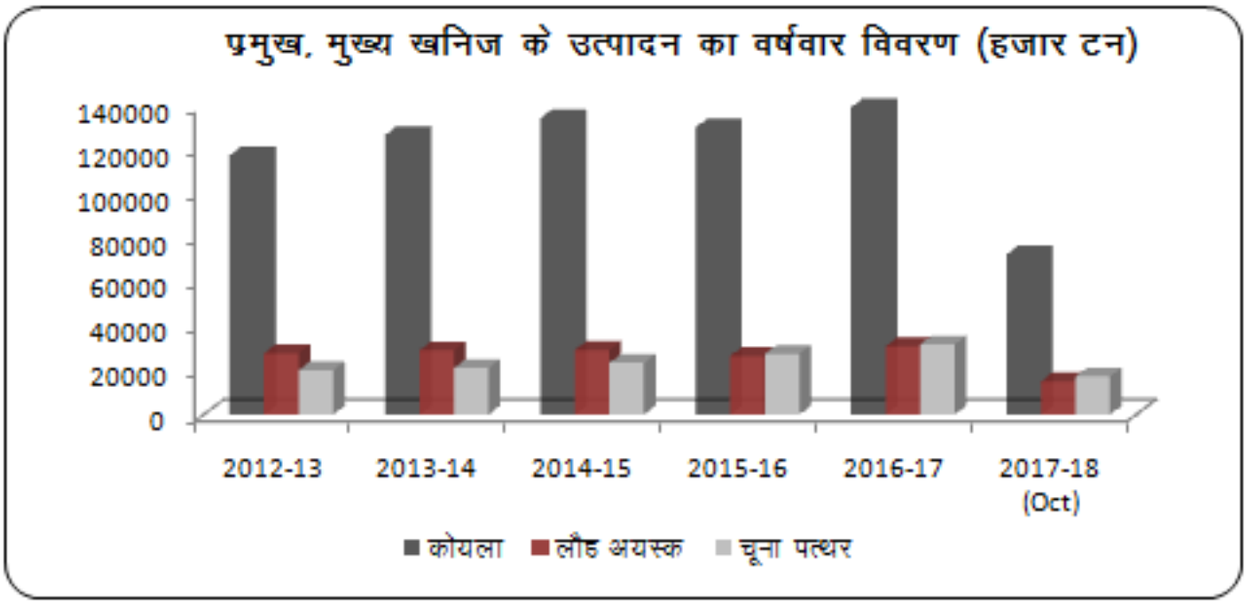
क्र.	कार्य का प्रकार	इकाई	2016–17		2017–18 (सितं–17)	
			लक्ष्य	उपलब्धियॉ	लक्ष्य	उपलब्धियॉ
1	सर्वेक्षण /मानचित्रण	वर्ग कि.मी.	1000	1180	200	201.24
2	पिटिंग/ट्रेचिंग	घनमीटर	200	232	400	48.00
3	ड्रिलिंग	मीटर	6000	6639	8000	942.80
4	नमूनों का विश्लेषण	मूलक संख्या	20000	53419	40000	94854

9.5 खनिज उत्पादनः–

9.5.1 मुख्य खनिजों का उत्पादनः– जैसा कि पूर्व से विदित है कि राज्य में मुख्य खनिज क्रमशः कोयला, लौह अयस्क एवं डोलोमाईट हैं। राज्य टिन का एक मात्र उत्पादक है। मुख्य खनिज का उत्पादन विगत पांच वर्षों का तालिका 9.7 में दर्शाया गया है।

तालिका 9.7 प्रमुख, मुख्य खनिज के उत्पादन का वर्षवार विवरण (हजार टन)

मुख्य खनिज	12–13	13–14	14–15	15–16	16–17	17–18 अक्टूबर
कोयला	117830	127095	134800	130605	139722	72863
लौह अयस्क	27963	29250	29388	26718	31068	15174
चूना पत्थर	20172	21217	23588	27667	31919	17406
डोलोमाइट	1970	2638	2438	-	0	-
बॉक्साईट	1818	1314	1561	1991	1954	1034
टिन (कि.ग्रा.)	47774	34862	24685	13541	12120	7363



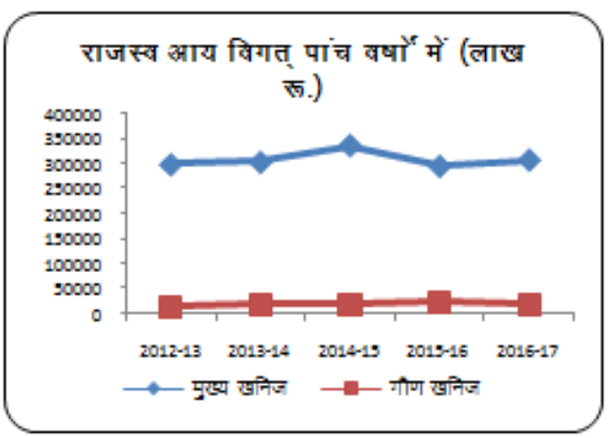
9.5.2 गौण खनिजों का उत्पादन :– वर्ष 2016–17 में राज्य में रू. 68716.43 लाख मूल्य के गौण खनिजों का उत्पादन हुआ जिसका विवरण तालिका 9.8 में दर्शाया गया है।

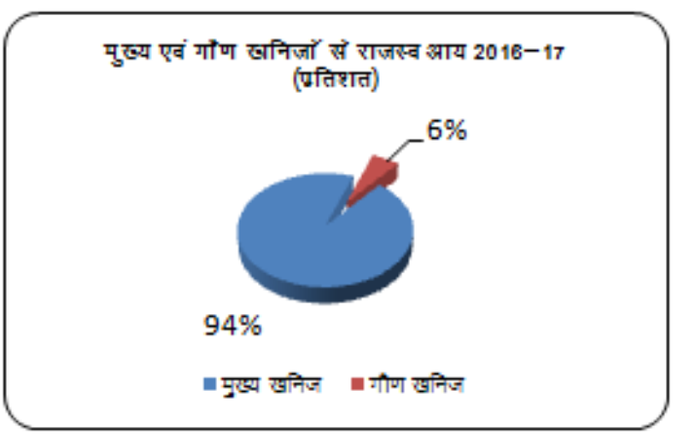
तालिका 9.8 गौण खनिज के उत्पादन एवं मूल्य का विवरण

खनिज का प्रकार	2014–15 उत्पादन		2015–16 उत्पादन		2016–17 उत्पादन	
	मात्रा (टन)	मूल्य (लाख)	मात्रा (टन)	मूल्य (लाख)	मात्रा (टन)	मूल्य (लाख)
पत्थर	5497536	17866.99	5646990	19764.47	3754172	13139.62
मिट्टी	1150587	1725.88	1165293	2097.53	767648	1381.78
मुरूम	4180175	6270.26	3544738	6380.53	5143334	9258.00
फर्शीपत्थर	514562	926.21	470559	941.12	301822	603.64
ग्रेनाईट (घ.मी.)	146	3.21	292	7.30	1279	31.92
चूना पत्थर	11275003	36643.76	13264591	46426.07	9722328	34028.17
डोलोमाईट	2438000	8259.00	3228186	12105.70	2739546	10273.30

9.6 राजस्व आय :– छत्तीसगढ़ राज्य का राजस्व आय में खनिज विभाग का महत्वपूर्ण योगदान रहा। मुख्य खनिज में लगातार वृद्धि हो रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2016–17 में मुख्य खनिज से 3071.89 करोड़ आय हुआ, जहाँ गौण खनिज इसी अवधि में 185.07 करोड़ आय हुआ है। विगत पाँच वर्षों में प्राप्त राजस्व की जानकारी तालिका क्र. 9.9 पर दर्शित है:–

तालिका 9.9 राजस्व आय विगत् पांच वर्षों में (लाख रू.)					
वर्ष	**2012–13**	**2013–14**	**2014–15**	**2015–16**	**2016–17**
मुख्य खनिज					
कोयला	176464.10	188622.59	180819.56	186709.23	195654.85
चूना पत्थर	12883.85	14159.59	17079.73	21742.33	25237.90
लौह अयस्क	104539.62	95857.48	133698.69	82276.92	82994.13
बॉक्साइट	2317.89	2025.53	2549.40	3344.70	3284.49
सोपस्टोन	1.13	0.38	0.06	0	0
मोल्डिंगसेंड	3.19	1.64	1.95	7.18	8.36
व्हाईटक्ले	0.03	0.23	0.00	0	0
गेरू/चाईनाक्ले	0.02	0	0.22	0	0
टिनअयस्क	31.34	22.33	21.79	5.24	7.81
ग्रेफाईट	0	0	0.51	0	0
वेनेलेडियम	0	0	0	400	0
विविध आय	308.99	143.33	27.40	0.30	1.28
योग	**296550.16**	**300833.10**	**334199.34**	**294485.90**	**307188.82**
वृद्धि		1.44	11.09	-11.88	4.31
गौण खनिज					
चूनापत्थर	7209.10	8576.64	9020.00	10611.67	7777.86
पत्थर	2660.09	3517.98	3680.60	3780.66	2513.42
फशीपत्थर	36.84	202.51	344.50	315.04	202.07
मिट्टी	200.50	208.29	156.48	158.48	104.40
मुरूम	281.98	237.22	476.54	404.10	586.34
रेत	4.53	3.04	18.03	6.03	0.53
ग्रेनाईट	9.48	4.05	2.18	4.38	19.18
डोलोमाइट	1373.73	1903.16	2226.87	2421.14	2054.66
क्वर्टज एवं क्वार्टजाइट	54.96	70.17	51.74	74.99	49.96
फायरक्ले	2.40	4.17	3.53	0.75	1.91
विविध आय	3656.30	5444.24	5694.66	6530.23	5197.00
योग	**15489.91**	**20171.47**	**21675.13**	**24307.47**	**18507.33**
वृद्धि		30.22	7.45	12.14	-23.86
नीलामी से प्राप्त राशि				50177.85	86302.52
अर्थदण्ड एवं राजसात		841.14	943.46	1063.13	1144.11
विविध प्राप्तियॉं	561.83	1696.39	449.85	922.53	1004.50
कुल राजस्व	**312601.90**	**323542.10**	**357267.81**	**370956.88**	**414147.28**
स्त्रोतः– खनिज विभाग छ.ग. नोट – अर्थदण्ड (0228) एवं विविध प्राप्तियों (0229) को छोड़कर					





तालिका 9.10 मुख्य खनिजों की रॉयल्टी दर (राशि प्रति टन)							
क्र.	मुख्य खनिज	2009-10*	2010-11	2011-12	2012-13**	2013-14	2014-15***
1	कोयला	100.00	110.00	110.00	130.00	145.00	145.00
2	आयरनओर	300.00	360.00	360.00	360.00	300.00	450.00
3	बॉक्साखइट	100.00	120.00	120.00	120.00	130.00	140.00
4	डोलोमाईट	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	75.00
5	लाईमस्टोन	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	80.00
स्त्रोतरू– खनिज विभाग वेबसाईट							

औसत रॉयल्टीट मूल्य *W-e-f- 10 May 2012, W-e-f- 13 August 2009, ***W-e-f- 1 September 2014**

तालिका 9.11 छत्तीसगढ़ के प्रमुख खनिज		
स. क्र.	जिला	खनिज
1	रायपुर	चूनापत्थर
2	बलौदाबाजार	चूनापत्थर, डोलोमाइट, स्वर्ण धातु
3	गरियाबंद	गार्नेट, हीरा, अलेक्जेन्ड्राइट (लौह अयस्क एवं मैगनीज सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध)
4	दुर्ग	चूनापत्थर, मोल्डिंग सेंड, क्वार्टजाईट
5	बालोद	लौह अयस्क
6	बेमेतरा	चूनापत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट (रेड ओकर सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध)
7	राजनांदगांव	चूनापत्थर, लौह अयस्क, फ्लोराइट, क्ले, क्वार्टज/सिलिका सेन्ड (स्वर्ण एवं सीसा सूक्ष्मं मात्रा में उपलब्ध)
8	कबीरधाम	बाक्साइट, चूनापत्थर, लौह अयस्क, सोपस्टोन (ओकर सूक्ष्मा मात्रा में उपलब्ध)
9	धमतरी	क्ले एवं अगेट सूक्ष्मू मात्रा में उपलब्ध
10	महासमुन्द	स्वर्ण धातु, क्वार्टजाइट, लौह अयस्क, चूनापत्थर (सीसा एवं फ्लोराइट सूक्ष्म् मात्रा में उपलब्ध)
11	जगदलपुर	चूनापत्थर, डोलोमाइट, बाक्साइट, क्वार्टजाइट
12	नारायणपुर	लौह अयस्क
13	कांकेर	बाक्साइट (स्वर्ण एवं क्वार्टज सूक्ष्मा मात्रा मेंउपलब्ध)
14	कोण्डागांव	बाक्साइट
15	दंतेवाड़ा	लौह अयस्क, टिन अयस्क (लेपिडोलाइट, गेलेना एवं क्वार्टज सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध)
16	बीजापुर	कोरण्डम, बाक्साइट (गार्नेट एवं ताम्र अयस्क सूक्ष्मे मात्रा में उपलब्ध)
17	सुकमा	क्वार्टज, लाइमस्टोन, टिन, कोरण्डम (गेलेना सिलिमेनाइट, बैरिल आदि सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध)
18	बिलासपुर	चूनापत्थर, डोलोमाइट
19	मुंगेली	चूनापत्थर, क्वार्टजाइट
20	जांजगीर	चूनापत्थर, डोलोमाइट
21	कोरबा	कोयला (माइका एवं फायर क्ले सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध)
22	सरगुजा	कोयला, बाक्साइट (लेड, माइका एवं चूनापत्थर सूक्ष्म् मात्रा मेंउपलब्ध)
23	सूरजपुर	कोयला (माइका एवं फायर क्ले सूक्ष्मू मात्रा में उपलब्ध)
24	बलरामपुर	कोयला, बाक्साइट (ग्रेफाइट एवं एसबेस्टस सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध)
25	कोरिया	कोयला
26	रायगढ़	कोयला, डोलोमाइट, चूनापत्थर एवं क्वार्टजाइट
27	जशपुर	स्वर्ण धातु, बाक्साइट (बेरिल एवं गार्नेट सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध)

तालिका क्र 9.12 छत्तीसगढ़ के प्रमुख खनिज भण्डार (01.04.2013 की स्थिति में) (Figures are round up)					
क्र.	खनिज का नाम	इकाई	देश में कुल भण्डार	छत्तीसगढ़ में कुल भंडार	देश में छ.ग. का प्रतिशत
1	कोयला*	मिलियन टन	306596	54912	17.91
2	लौह अयस्क (हेमेटाइट)	मिलियन टन	20575	4031	19.59
3	चूनापत्थर (सभी श्रेणी)	मिलियन टन	184935	8959	4.84
4	डोलोमाइट	मिलियन टन	8085	919	11.37
5	बाक्साइट	मिलियन टन	3739	168	4.49
6	टिन अयस्क	मिलियन टन	83.72	30	35.83
	टिन धातु	टन	102275	15487	15.14
7	क्वार्टजाइट	मिलियन टन	1251	27	2.16
8	क्वार्टज एण्ड सिलिका सेंड	मिलियन टन	3499	9	0.26
9	फ्लोराइट	मिलियन टन	18	0.55	3.06
10	हीरा	लाख कैरेट	319	13	4.07
11	फायर क्ले	मिलियन टन	714	21	2.94
12	क्ओलिन (चायना क्ले)	मिलियन टन	2705	15	0.55
13	कोरण्डम	टन	267816	885	0.33
14	स्वर्ण ओर (प्रायमरी)	मिलियन टन	494	5	1.01
	स्वर्ण धातु (प्रायमरी)	टन	640	5.51	0.83
15	गारनेट	मिलियन टन	57	0.03	0.05
16	टाल्क/स्टीयटाइट	मिलियन टन	269	0.11	0.04
17	ग्रेनाइट	लाख घन मीटर	46230	50	0.11
18	मार्बल	मिलियन टन	1931	83	4.30

स्त्रोत :- इंडियन मिनरल इयर बुक 2012, प्रकाशित मई 2014 के अनुसार

*01.04.2015 की स्थिति में (G.S.I.) Inventory of Coal resources

दिनांक – (29.11.2016 dks update)

9.7 मुख्य एवं गौण ब्लॉक्स की ई–नीलामी :– गत् वर्ष अनुसार 2016–17 में भी विभाग व्दारा मुख्य एवं गौण खनिज ब्लॉकों का आबंटन ई–नीलामी के माध्यम से सफलतापूर्वक सम्पादित किये गये। वर्ष 2017–18 हेतु मुख्य खनिज ब्लॉक अंतर्गत लाईमस्टोन एवं बाक्साईट के तीन–तीन ब्लॉक ई–ऑक्शन हेतु प्रस्तावित किया गया है, जिनमें से सितम्बर, 2017 तक खनिज लाईमस्टोन का एक ब्लॉक, केसला–II जिला रायपुर का ऑक्शन रिकार्ड बोली 96.15 प्रतिशत में सफलतापूर्वक किया गया है। राज्य शासन को उक्त ब्लॉक के नीलामी से लगभग रुपये 10,000 करोड़ की अतिरिक्त आय नीलामी मूल्य के रुप में प्राप्त होगी।

इसी प्रकार राज्य में सितम्बर, 2017 तक गौण खनिजों के 03 ब्लॉक्स ई–ऑक्शन तथा 105 ब्लॉक्स ई–टेण्डर के माध्यम से आबंटित किया गया है। इस निविदा से राज्य को देय राजस्व इत्यादि के अतिरिक्त रुपये 435.25 करोड़ नीलामी मूल्य प्राप्त होने की संभावना है।

9.8 खनिज ऑनलाईन :– विभाग द्वारा खनिज आधारित गतिविधियों के वेब बेस्ट समेकित प्रबंधन हेतु तैयार ''खनिज ऑनलाईन'' पोर्टल का निर्माण किया गया है। पोर्टल में हितग्राहियों को अपने स्थान से ही आवेदन, रायल्टी व अन्य भुगतानों का सिंगल क्लिक ई–पेमेंट, ई–परमिट, ई–ट्रांजिट पास, रिटर्न्स आदि कार्य सुगमतापूर्वक किये जाने की सुविधा प्रदान की

गई है। खनिज परिवहन में संलग्न वाहनों का भी पंजीयन पोर्टल में अनिवार्य किया गया है, जिससे खनिजों के निकास से उपयोग तक की End to End ट्रैकिंग की जा सकेगी। फिल्ड अधिकारियों/कर्मचारियों को मोबाईल हैंड हेल्ड डिवाईस उपलब्ध कराया गया है, जिससे प्रदेश में खनिज उत्खनन एवं परिवहन पर सतत् निगरानी रखी जा सके। खदान क्षेत्र में संलग्न हितग्राहियों के "Ease of Doing Business" क्रिया में विभाग का यह एक ठोस कदम है।

9.9 छततीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास :– भारत सरकार, खान मंत्रालय व्दारा खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 9(ख), 15(4) एवं 15क के तहत् राज्य सरकार व्दारा छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015, दिनांक 22 दिसम्बर 2015 अधिसूचित किया गया है। राज्य सरकार व्दारा खनन संक्रियाओं से प्रभावित व्यक्तियों एवं क्षेत्र के विकास हेतु समस्त 27 जिलों में जिला खनिज संस्थान न्यास का गठन किया गयाहै। यह न्यास एक गैर लाभ अर्जित करने वाली संस्था है।

खनन संक्रियाओं से प्रभावित व्यक्तियों एवं क्षेत्र के विकास के लिये छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 लागू किया गया है, जो दिनांक 12 जनवरी 2015 से प्रभावशील मान्य किया गया है। न्यास के कार्यो के लिए वित्तीय व्यवस्था मुख्य खनिज एवं गौण खनिज के खनिपट्टों, पूर्वेक्षण सह खनिपट्टों से प्राप्त रायल्टी का 10 से 30 प्रतिशत राशि डीएमएफ के रूप में प्राप्त की जा रही है।

अक्टूबर 2017 तक जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) में 2232.98 करोड़ की राशि प्राप्त हो चुकी है।

न्यास के कार्यो को नियमन करने के लिए प्रत्येक जिले में व्यवस्थापक व्दारा न्यासियों की नियुक्ति की गई है। न्यास में शासी परिषद् एवं प्रबंधकारिणी समितियां कार्यरत है। शासी परिषद् में कलेक्टर पदेन अध्यक्ष, तीन जन प्रतिनिधि को व्यवस्थापक व्दारा नामांकित किया गया है। इस के अतिरिक्त तीन खनिज रियायतधारी एवं दो सरपंच का नामांकन कलेक्टर व्दारा किया गया है।

न्यास के कार्यो के प्रबंधन, दैनंदिनी आधार पर प्रबंधकारिणी समिति व्दारा की जा रही है। प्रबंधकारिणी के पदेन अध्यक्ष कलेक्टर एवं पदेन सचिव मुख्य कार्यपालन जिला पंचायत है। इस समिति में उपरोक्त के अतिरिक्त 15 अन्य विभाग के जिला स्तर के अधिकारी पदेन सदस्य के रूप में नामित है।

यह समिति प्रभावी क्षेत्रों के ग्राम सभाओं के प्रस्ताव एवं परियोजना प्राप्त कर सकेगी एवं वित्तीय वर्ष समाप्त होने के 60 दिवस के पूर्व वार्षिक योजना तैयार कर शासी परिषद् के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करती है।

समस्त जिलों के न्यासयों के समग्र प्रबंधन के लिए नीति व्यापक रूप रेखा निर्धारित करने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय निगरानी समिति का गठन किया गया है।

उपरोक्त निधि का कम से कम 60 प्रतिशत राशि उच्च प्राथमिकता के क्षेत्रों में उपयोजित की जायेगी। जैसा कि, प्रभावित व्यक्तियों एवं ग्रामों के पेयजल, पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, महिला एवं बाल कल्याण, बच्चों, वृद्ध और निःशक्तजन के कल्याण, कौशल विकास एवं रोजगार की आवश्यकता एवं उत्थान हेतु किया जायेगा। इसके अतिरिक्त न्यास निधि के शेष 40 प्रतिशत राशि भौतिकी संरचना, सिंचाई, ऊर्जा और जल विभाजक विकास एवं राज्य सरकार व्दारा समय–समय पर निदेर्शित अधोसंरचनाकार एवं चिकित्सक नर्सो एवं शिक्षिकों की आवश्यकता की पूर्ति भी इस मद से की जा सकेगी।

9.10 डी.एम.एफ. अंतर्गत आदर्श ग्रामों का विकास :– राज्य में खनन प्रभावित क्षेत्रों के अंतर्गत ऐसे ग्राम जिनके अंतर्गत मुख्य खनिज के खदान स्थित है अथवा जो ग्राम खदानों के परिक्षेत्र में स्थित है। या जहॉ गौण खनिजों के खदानों के क्लस्टर हैं, वहां विकास की योजनाओं का समग्र क्रियान्वयन करके उन ग्रामों को आदर्श ग्राम बनाना है। अब तक 9 जिलों के 56 ऐसे ग्रामों को आदर्श ग्राम के रूप में चिन्हित किया गया है।

हर गांव में आदर्श स्कूल, उप स्वास्थ्य केन्द्र, पंचायत संसाधन केन्द्र, आदर्श उचित मूल्य दूकान, मॉडल आंगनवाड़ी भवन, लोक सेवा केन्द्र, पशु पालन विकास केन्द्र, कृषि उपज भण्डारण हेतु सोलर कोल्ड स्टोरेज, जल आवर्धन योजनाएं, आदर्श आवासीय आश्रम, वाटर एटीएम जैसी सुविधायें स्थापित होंगी।

- उप स्वास्थ्य केन्द्रों में टेली–मेडिसिन की सुविधा होगी।
- 'उज्ज्वला योजना' के अन्तर्गत 100 प्रतिशत गैस कनेक्शन, शत–प्रतिशत आर्थिक समावेश, सड़क किनारे प्लांटेशन, घरों में पाइप लाइन से पेयजल प्रदाय, ग्राम पंचायत भवन में वाई–फाई, सोलर स्ट्रीट लाइट, सड़कें, ओडीएफ गांव

आदि तमाम ऐसी सुविधाएं होंगी, जो बुनियादी सुविधाओं के साथ जीवन–स्तर उन्नयन का मार्ग भी प्रशस्त करेंगी। डी.एम.एफ. योजना अंतर्गत मुख्य रूप से योजना अनुसार प्रयोजन भी रहेगा :–

- छततीसगढ़ में मुख्य खनिजों की खदान के क्षेत्र से विस्थापित परिवारों के मेडिकल, इंजीनियरींग, लॉ, मेनेजमेन्ट आदि उच्च शिक्षण संस्थाओं, नेशनल इंस्टीट्यूट तथा आई.टी.आई. और पॉलीटेक्निक तक पढ़ने वाले बच्चों का पूरा ट्यूशन फीस राज्य सरकार देगी।
- मुख्य खनिजों के खदान क्षेत्रों के ग्रामों में महिलाओं को उज्जवला योजना के अंतर्गत शत्–प्रतिशत रसोई गैस कनेक्शन, गैस चूल्हा तथा पहला भरा सिलेण्डर निःशुल्क देंगे।
- मुख्य खनिजों के खदान क्षेत्रों के ग्रामों में शत्–प्रतिशत विद्युतीकरण करेंगे।

इस तरह शिक्षा, रसोई गैस तथा बिजली की सौगात हम मुख्य खनिजों के खदान क्षेत्रों की के ग्रामों में देकर उनका जीवन स्तर ऊँचा उठाएंगे।

इस प्रकार जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 के प्रभावशील होने के कारण खदानों के आप–पास प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों एवं व्यक्तियों का विकास सुनिश्चित् किया जा सकेगा।

9.11 प्रगति :– प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के निर्देशों के अनुरूप प्रदेश में आगामी 3 वर्षों के लिए 3253 करोड़ रूपये की कार्य योजना तैयार किया जाकर लगभग 22 हजार कार्यों की स्वीकृति जिलों में जारी किया गया है, जिसका लागत मूल्य 21 सौ करोड़ से अधिक है। डीएमएफ के कार्यों में सितम्बर 2017 तक 1070 करोड़ रूपये व्यय हो चुके है।

9.12 छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कारर्पोरेशन लिमिटेड :– सी.एम.डी.सी. छत्तीसगढ़ राज्य शासन का एक उपक्रम है, जिसमें शत–प्रतिशत निवेश राज्य सरकार का है। सी.एम.डी.सी. की अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन कार्ययोजना के अनुसार सी.एम.डी.सी. का मुख्य कार्य खनिजों की रियायतें प्राप्त कर खनिजों का विकास, दोहन एवं विक्रय कर लाभार्जन कर व्यवसाय बढ़ाना है।

9.13 छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की परियोजनाएं :–

9.13.1 कोल परियोजना :– वर्ष 2016 में भारत सरकार, कोयल मंत्रालय, नई दिल्ली व्दार सीएमडीसी एवं एम.पी. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन की संयुक्त उपक्रम की कंपनी ''केरवा कोल लिमिटेड'' (के.सी.एल.) को केरवा कोल ब्लॉक आवंटित किया गया। केरवा कोल ब्लॉक के विकास एवं दोहन हेतु वर्तमान में संयुक्त उपक्रम कंपनी के.सी.एल. के माध्यम से पूर्वेक्षण करने हेतु निविदा की कार्यवाही प्रचलन में है।

9.13.2 लौह अयस्क परियोजना :– सी.एम.डी.सी. की मुख्यतः 03 लौह अयस्क परियोजनाएं क्रमशः बैलाडीला लौह अयस्क निक्षेप क्रमांक–13, आरीडोंगरी लौह अयस्क तथा कबीरधाम लौह अयस्क है, जिसमें से बैलाडीला लौह अयस्क निक्षेप क्रमांक–13 की सभी वैधानिक स्वीकृतियां यथा वन स्वीकृति एवं पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त कर खनिपट्टा अनुबंध का निष्पादन दिनांक 10.01.2017 को पूर्ण कर लिया गया है तथा इसके विकास एवं दोहन हेतु संयुक्त उपक्रम कम्पनी (एन.एम.डी.सी.–सी.एम.डी.सी.एल.) के माध्यम से एम.डी.ओ. (MDO) के चयन की कार्यवाही प्रगति पर है। बैलाडीला लौह अयस्क निक्षेप क्रमांक–13 से लौह अयस्क का उत्पादन आगामी वित्तीय वर्ष में संभावित है। आरीडोंगरी लौह अयस्क के विकास एवं दोहन हेतु पर्यावरणीय एवं वन स्वीकृति की कार्यवाही प्रचलन में है, जिसके शीघ्र ही प्राप्त होने की सम्भावना है। कबीरधाम लौह अयस्क परियोजना हेतु सी.एम.डी.सी. को स्वीकृत पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति का विस्तृत अन्वेषण पूर्ण होने के उपरान्त खनिपट्टा आवेदन अग्रेषण की कार्यवाही शासन स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

9.13.3 खनिज बाक्साइट परियोजना :– सीएमडीसी को बाक्साइट खनिज के कुल 21 खनिपट्टा एवं 03 पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृत हैं। सी.एम.डी.सी. द्वारा जिला सरगुजा एवं कबीरधाम में संचालित बाक्साईट धारित क्षेत्रों से उत्पादन एवं परिवहन का कार्य जारी है।

9.13.4 खनिज कोरण्डम :– कोरण्डम खनिज के लिए वित्तीय वर्ष 2017–18 तक कुल 03 खनिपट्टा स्वीकृत है। कोरण्डम खनिज के 01 खनिपट्टे पर शीघ्र ही कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

9.13.5 खनिज केसेटराईट (टिन अयस्क) :– केसेटराईट खनिज के लिए वित्तीय वर्ष 2017–18 (सितम्बर 2017 तक) कुल 14 खनिपट्टा एवं 08 पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृत हैं, जिसमें से संयुक्त प्रक्षेत्र कंपनी मेसर्स प्रेशियस मिनरल्स एण्ड स्मेल्टिंग लिमिटेड जगदलपुर को 08 खनिपट्टा हस्तांतरित किया गया है। वर्तमान में 12 खनिपट्टा एवं 16 पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति आवेदित हैं।

उद्योग

10

अध्याय

10 उद्योग

मुख्य बिन्दु :

- वर्ष 2017-18 में विनिर्माण क्षेत्र में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स्थिर भाव) योगदान 4242869 लाख अनुमानित है।
- औद्योगिक नीति 2014-19 के अंतर्गत विभिन्न औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन/स्टार्टअप योजनाएं लागू की गई है।
- राज्य में दो रेल्वे कॉरिडोर ईस्ट एवं वेस्ट की स्थापना प्रस्तावित है जो पूर्ण होने पर राज्य के औद्योगिक विकास में क्रांतिकारी परिणाम आयेंगे।
- राज्य पूनर्गठन के बाद कोर सेक्टर के विकास पर जोर दिया गया। परिणाम स्वरूप कोर सेक्टर के उत्पाद में काफी वृद्धि हुई है।
- एक स्थान पर एक जैसे उद्योगों की स्थापना के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक पार्कों की स्थापना की जा रही है। जैसे :- मैटल पार्क, इंजीनियरिंग पार्क, मेगा फूड पार्क,
- इलेक्ट्रानिक मैन्यूफैक्चरिंग पार्क-नया रायपुर में 28.32 हेक्टेयर भूमि पर इलेक्ट्रानिक मैन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना की जा रही है। इस परियोजना की कुल लागत 89.22 करोड़ है।
- राज्य में लगभग 16699 करघों पर लगभग 50091 बुनकर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से रोजगाररत् है।
- टसर धागाकरण योजनांतर्गत 183 महिला स्व-सहायता धागाकरण समूह कार्यरत है।
- वर्ष 2016-17 में टसर्, कुकून उत्पादन में लगभग 34 हजार हितग्राही लाभान्वित हुए थे तथा वर्ष 17-18 में लगभग 31 हजार हितग्राही लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया। वर्ष 16-17 में पालित टसर् 874 लाख नग उत्पादन था। वर्ष 17-18 में 1050 लाख नग उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।
- मलबरी कुकून उत्पादन वर्ष 16-17 में 60502 कि.ग्रा. हुआ।
- वर्ष 16-17 में रेशम प्रभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं से 80331 हितग्राही लाभान्वित हुए। वर्ष 17-18 में 81061 हितग्राही लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया।

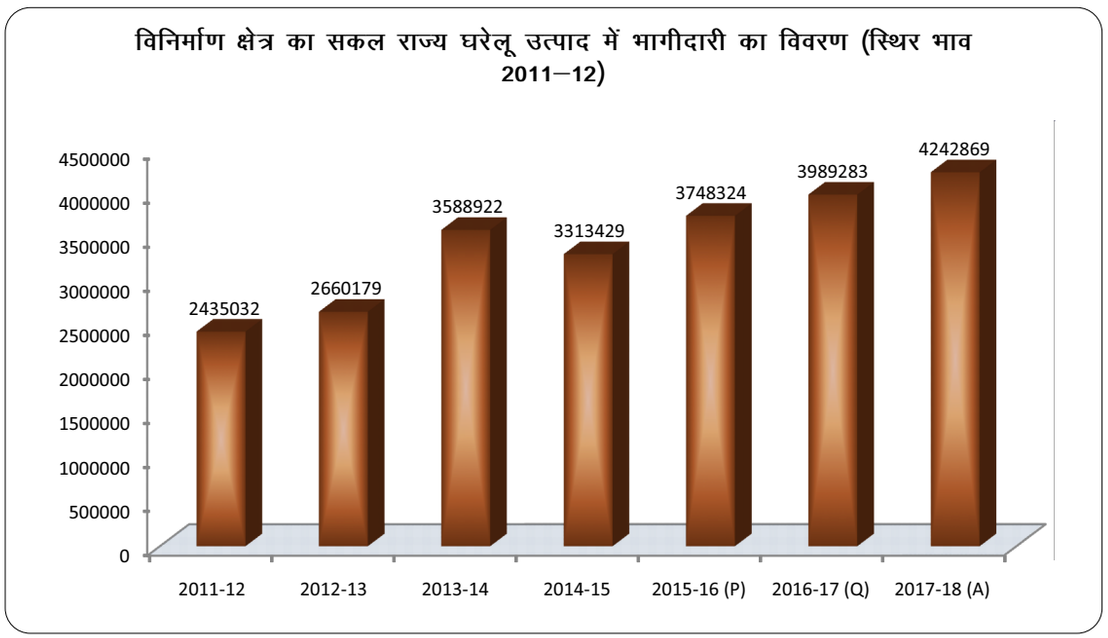
10.1 देश के आर्थिक विकास में औद्योगीकरण का योगदान महत्वपूर्ण है। उद्योग विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ–साथ अनेक प्रकार की वस्तुएं उत्पादित करते हैं। छ.ग राज्य मे स्थाई एवं सुशासन होने के अतिरिक्त गुणवत्तायुक्त निर्बाध विद्युत, अपार खनिज संपदा, शांत श्रम माहौल तथा आधारभूत औद्योगिक ढांचें की उपलब्धता होने के कारण यह निवेशकों के लिए पसंदीदा स्थान बन रहा है। छ.ग. जैसे कृषि आधारित राज्य में कृषि श्रमिकों की आधिक्यता को अवशोषित करके प्रच्छन्न बेरोजगारी की समस्या को भी दूर किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग के विकास से इन क्षेत्रों का तीव्र विकास सुनिश्चित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ राज्य में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान महत्वपूर्ण है। विनिर्माण क्षेत्र में वर्ष 2012–13 से लगातार धनात्मक वृद्धि रही है। किन्तु इस राज्य में जहां संगठित औद्योगिक क्षेत्र के लोहा, स्टील एवं सीमेंट उत्पादन का अधिकतम योगदान रहता है वहाँ वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में लोहा एवं स्टील, सीमेंट उत्पादन में कमी के कारण वृद्धि में थोड़ी कमी आई है। यह औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक से भी स्पष्ट होता है।

विनिर्माण क्षेत्र का राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में हिस्सा, वृद्धि एवं भागीदारी तालिका 10.1 में दर्शाई गई है।

तालिका 10.1 विनिर्माण क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में भागीदारी का विवरण (स्थिर भाव 2011–12)

मद	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16 (P)	2016-17 (Q)	2017-18 (A)
योगदान (लाख)	2435032	2660179	3588922	3313429	3748324	3989283	4242869
वृद्धि (प्रतिशत)		9.25	34.91	-7.68	13.13	6.43	6.36
हिस्सा (प्रतिशत)	16.41	17.10	20.80	18.90	20.38	19.99	19.95



उद्योग विभाग का कार्य प्रदेश के चहुमुखी विकास में औद्योगिकरण एवं व्यापार संवर्धन के माध्यम से, राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देते हुए, औद्योगिक विकास की गति को तीव्र करना है, ताकि राज्य में पूंजी निवेश अधिकाधिक हो, रोजगार के अवसर बढ़े, राज्य के मूल निवासियों को रोजगार प्राप्त हो व राज्य औद्योगिक दृष्टि से अन्य राज्यों की तुलना में प्रतिस्पर्धी हो।

10.2 औद्योगिक नीति 2014–19 – राष्ट्र में आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण के कारण औद्योगिक परिवेश में बड़े पैमाने में परिवर्तन हो रहे हैं। राज्य में सुनियोजित विकास के लिये वर्तमान में ''औद्योगिक नीति 2014–19'' अपनायी गई है।

10.2.1 औद्यौगिक निवेश को प्रोत्साहन देने की योजना का विवरण तालिका 10.2 में दर्शित है।

तालिका 10.2 औद्योगिक नीति 2014–19 में पात्र उद्योगों को औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की योजनाएँ

क्र.	योजना का नाम	योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली छूट व रियायतों का विवरण
1	ब्याज अनुदान (सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद, मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स)	सावधि ऋण पर भुगतान किये गये ब्याज का 40 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक अधिकतम सीमा रू. 10 लाख वार्षिक से 100 लाख वार्षिक, अवधि 5 वर्ष से 8 वर्ष तक।
2	स्थायी पूंजी निवेश अनुदान (सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद, मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स)	स्थायी पूंजी निवेश का 30 प्रतिशत से 50 प्रतिशत अधिकतम सीमा रू. 30 लाख से रू. 500 लाख तक
3	विद्युत शुल्क छूट (सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद, मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 5 वर्ष से 10 वर्ष तक
4	स्टाम्प शुल्क से छूट (सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद, मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स)	1. भूमि, भवन/शेड के क्रय/ लीज पर पूर्ण छूट 2. ऋण–अग्रिम से संबंधित विलेखों के निष्पादन पर 3. औद्योगिक प्रयोजन हेतु अधिग्रहित भूमि के एवज में भू–स्वामी परिवारों द्वारा क्रय की गई कृषि भूमि पर 4. भारत सरकार/ राज्य शासन द्वारा स्वीकृत औद्योगिक पार्कों /औद्योगिक क्षेत्रों पर 5. बंद/ बीमार औद्योगिक इकाई के क्रय पर 6. फिल्म उद्योगों 7. लॉजिस्टिक हब, वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज, ग्रेन साइलो।
5	औ0 क्षेत्रों में भू–आबंटन (सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद, मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स)	20 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक भू–प्रब्याजि में छूट।
6	परियोजना प्रतिवेदन अनुदान (सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग)	स्थायी पूंजी निवेश का 1 प्रतिशत अधिकतम सीमा रू. 1 लाख से रू. 2 लाख
7	भू व्यपवर्तन शुल्क में छूट (सूक्ष्म एवं लघु उद्योग)	अधिकतम 5 एकड़ भूमि तक, भू–पुनर्निधारण कर में 100 प्रतिशत छूट।
8	गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग)	व्यय का 50 प्रतिशत, अधिकतम रू. 1 लाख प्रत्येक प्रमाणीकरण हेतु।
9	तकनीकी पेटेन्ट अनुदान (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग)	व्यय का 50 प्रतिशत, अधिकतम रू. 5 लाख
10	प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान (सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद, मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स)	व्यय का 50 प्रतिशत, अधिकतम रू. 5 लाख
11	मार्जिन मनी अनुदान (सूक्ष्म,एवं लघु उद्योग)	परियोजना का 25 प्रतिशत, अधिकतम रू. 35 लाख
12	औद्योगिक पुरस्कार योजना	**1. राज्य स्तर पर** – प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार क्रमशः रू. 1 लाख, 0.51 लाख एवं 0.31 लाख एवं प्रशस्ति पत्र, (4 श्रेणियों में– सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के समग्र मूल्यांकन, अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग द्वारा स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, निर्यातक सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, महिला उद्यमी द्वारा स्थापित उद्योग) **2. जिला स्तर पर** – सर्वश्रेष्ठ उद्यमी का पुरस्कार रू. 25,000/– एवं प्रशस्ति पत्र।
13	प्रवेश कर भुगतान से छूट (सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद, मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स)	05 वर्ष से 07 वर्ष की अवधि हेतु।
14	विकलांग (निःशक्त) रोजगार अनुदान (सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद, मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स)	स्थायी नौकरी प्रदान करने पर शुद्ध वेतन/पारिश्रमिक की 25 प्रतिशत प्रतिपूर्ति।
15	इनवायरमेंट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट अनुदान	कार्बन केडिट की प्राप्ति एवं कार्बन फुटप्रिंट की कमी से संबंधित प्रत्येक तकनीकी पर मशीनरी लागत का 25 प्रतिशत, अधिकतम रू. 14 लाख।

टीप :–

- महिला उद्यमी, सेवानिवृत्त सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्तियों को 10 प्रतिशत अधिक अनुदान तथा अप्रवासी भारतीय/शत प्रतिशत एफडीआई निवेशकों, निर्यातकों एवं विदेशी तकनीक वाले उद्योगों को 5 प्रतिशत अधिक अनुदान, छूट की अवधि से संबंधित प्रकरणों में उपरोक्तानुसार वर्ग को एक वर्ष की अधिक छूट।
- औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े विकास खण्डों में विकासशील क्षेत्रों विकास खण्डों की अपेक्षा अधिक अनुदान छूट एवं रियायतें ।
- प्राथमिक श्रेणी के उद्योगों को सामान्य श्रेणी के उद्योगों से अधिक अनुदान।
- लॉजिस्टिक हब, वेयर हाउसिंग एवं कोल्ड स्टोरेज को भी सामान्य उद्योगों की भांति अनुदान, छूट एवं रियायते।
- औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक पार्कों में उद्योग स्थापना पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान एवं छूट के प्रकरणों में 01 वर्ष अधिक छूट।

10.2.2 औद्योगिक नीति 2014–19 में अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग हेतु विशेष पैकेज :–

1. औद्योगिक क्षेत्रों में भू–प्रब्याजि में 100 प्रतिशत छूट एवं भू–भाटक की सांकेतिक दर रू. 1 प्रति एकड़ पर भूमि का आबंटन।
2. औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक क्षेत्रों में 25 प्रतिशत तक एवं औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक क्षेत्र में 50 प्रतिशत तक भू–खण्डों का आरक्षण।
3. रू. 5 करोड़ तक के पूंजीगत लागत तक के उद्योगों में 25 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान– अधिकतम सीमा रू. 40 लाख।
4. अनुदान के प्रकरणों में सामान्य वर्ग की अपेक्षा 10 प्रतिशत से 35 प्रतिशत तक अधिक अनुदान तथा छूट की अवधि से संबंधित प्रकरणों में 5 वर्ष तक अधिक छूट ।

10.2.3 कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012–19 की योजनाएँ

- मूल्य संवर्धित कर एवं केन्द्रीय विक्रय कर में रियायत प्रतिपूर्ति – स्थायी पूंजी निवेश का अधिकतम 150 प्रतिशत तक सीमित, अधिकतम समयावधि 10 वर्ष
- प्रवेश कर भुगतान से छूट– 7 वर्ष की अवधि हेतु।
- विद्युत शुल्क में छूट – 10 वर्ष तक छूट
- मण्डी शुल्क छूट – 5 वर्ष तक छूट, स्थायी पूंजी निवेश के 75 प्रतिशत के समतुल्य तक सीमित।
- उपरोक्त के अतिरिक्त यथा समय राज्य शासन की औद्योगिक नीति के अनुरूप अन्य अनुदान, छूट एवं रियायतें।

10.2.4 कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012–19 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन की योजनाएँ–

- खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों का तकनीकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण– संयंत्र एवं मशीनरी, तकनीकी सिविल कार्यो की लागत का 25 प्रतिशत, 50.00 लाख।
- कोल्ड चेन, मूल्य संवर्धन एवं संरक्षण अधोसंरचना का विकास (उद्यानिकी एवं गैर उद्यानिकी क्षेत्र में)–
- परियोजना लागत का 35 प्रतिशत, 500.00 लाख, बैंक/वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत सावधि ऋण पर 6 प्रतिशत की दर से आया वास्तविक ब्याज, 5 वर्ष की अवधि हेतु–200.00 लाख

- ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र/संग्रहण केन्द्र की स्थापना– परियोजना लागत का 50 प्रतिशत, 250.00 लाख।

- रीफर वाहन योजना– कूलिंग की लागत का 50 प्रतिशत, 50.00 लाख।

10.2.5 ऑटोमोटिव उद्योग नीति 2012–17 की योजनाएँ–

- मूल्य संवर्धित कर एवं केन्द्रीय विक्रय कर में रियायत प्रतिपूर्ति–मूल एवं सहायक इकाई को स्थायी पूंजी निवेश का अधिकतम 150 प्रतिशत तक सीमित, अधिकतम समयावधि 18 वर्ष।
- केन्द्रीय विक्रयकर में छूट– तत्समय प्रचलित दर का 50 प्रतिशत, 18 वर्षों की अवधि तक।
- प्रवेश कर भुगतान से छूट– 8 वर्ष की अवधि हेतु।
- विद्युत शुल्क में छूट – 10 वर्ष तक छूट
- पंजीयन शुल्क पर छूट– भूमि, भवन शेड प्रकोष्ठ पर 100 प्रतिशत छूट
- उपरोक्त के अतिरिक्त यथा समय राज्य शासन की औद्योगिक नीति के अनुरूप अन्य अनुदान, छूट एवं रियायतें।

10.2.6 औद्योगिक नीति 2014–19 के अंतर्गत स्टार्ट–अप छत्तीसगढ़ पैकेज की योजनाएँ–

(भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में उद्योग व सेवा संबंधी इकाईयों में वैद्य पंजीयन प्रमाण पत्र धारकों को।)

- ब्याज अनुदान – सावधि ऋण पर भुगतान किये गये ब्याज का 75 प्रतिशत की दर से अधिकतम सीमा 70 लाख रूपये वार्षिक।
- स्थायी पूंजी निवेश अनुदान–

तालिका 10.3 स्थायी पूँजी निवेश अनुदान

क्र.	श्रेणी	अनुदान	
		प्रतिशत	अधिकतम राशि (लाख में)
1	सूक्ष्म एवं लघु उद्योग	35	60
2	मध्यम उद्योग	35	70
3	वृहद उद्योग	35	110
4	मेगा उद्योग	40	350

- विद्युत शुल्क छूट– शत–प्रतिशत छूट।
- भूमि के क्रय/लीज पर स्टाम्प शुल्क से पूर्ण छूट।
- लिये गये ऋण पर भी तीन वर्ष तक स्टाम्प शुल्क से छूट।
- (अ) परियोजना प्रतिवेदन अनुदान – मान्य स्थायी पूंजी निवेश का एक प्रतिशत, अधिकतम रूपये 2.50 लाख,
  (ब) गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान– व्यय का 60 प्रतिशत अधिकतम रूपये 1.25 लाख।
  (स) तकनीकी पेटेंट अनुदान– व्यय का 60 प्रतिशत अधिकतम रूपये 6.00 लाख।
  (द) प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान– व्यय का 60 प्रतिशत अधिकतम रूपये 6.00 लाख।

- औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक पार्कों में भूमि आबंटन पर भू–प्रब्याजी में 60 प्रतिशत छूट।
- प्रारंभिक वर्षों में श्रम कानूनों में स्व–प्रमाणन व्यवस्था।
- प्रथम 36 स्टार्ट अप यूनिट्स को वैध रहने पर 03 वर्षों तक राज्य शासन को पटाये गये समस्त करों (रिफण्ड को छोड़कर) की शत–प्रतिशत् प्रतिपूर्ति।
- किराया अनुदान– किराये के भवन में स्टार्ट अप यूनिट स्थापित करने की दशा में, पटाये गये मासिक किराये का 40 प्रतिशत अथवा 8 रू. प्रति वर्गफुट, जो भी न्यूनतम हो, प्रति माह अधिकतम रू. 8000/– की प्रतिपूर्ति 03 वर्षों तक।

10.2.7 सूक्ष्म एवं लघु उद्यम फैसिलिटेशन कॉउंसिल :– सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों द्वारा उत्पादित वस्तुओं/सामग्रियों की आपूर्ति के पश्चात् क्रेताओं द्वारा समय पर भुगतान न करने अथवा भुगतान संबंधित विवादों के निराकरण हेतु राज्य में सूक्ष्म एवं लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउंसिल गठित है। काउंसिल के अध्यक्ष उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग तथा 4 अन्य वित्त एवं आर्थिक क्रियाकलापों के विशेषज्ञ होते हैं।

10.2.8 छत्तीसगढ़ भण्डार कय नियम :– राज्य के लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु, राज्य के शासकीय विभागों, निगमों, बोर्डो व स्थानीय निकायों में लगने वाली सामग्री की आपूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पो0 द्वारा पंजीयन एवं दर अनुबंध दिया जाता है ।

10.2.9 मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना :– युवा वर्ग को आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी, आत्मनिर्भरता, कार्यक्षमता का पूर्ण उपयोग एवं योग्यता के अनुरूप स्वयं का रोजगार (उद्यम, सेवा, व्यवसाय) प्रारंभ करने हेतु बैंकों से ऋण प्राप्त होने संबंधी समस्याओं के दीर्घकालीन निराकरण हेतु मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गयी है। उनके स्वरोजगार स्थापना में बैंकों की ऋण प्रदायगी में राज्य शासन की गारंटी है। इस योजना के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा गारंटी शुल्क, सेवा शुल्क का भुगतान किया जाता है तथा मार्जिन मनी अनुदान (अधिकतम 1.50 लाख रू.) व औद्योगिक नीति के औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन भी दिये जाते हैं।

ऋण की सीमा -

विनिर्माण उद्यम – परियोजना लागत अधिकतम रू. 25.00 लाख
सेवा उद्योग – परियोजना लागत अधिकतम रू. 10.00 लाख
व्यवसाय – परियोजना लागत अधिकतम रू. 02.00 लाख

10.2.10 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

उद्देश्य	–	देश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन।
परियोजना लागत	–	विनिर्माण – अधिकतम रू. 25.00 लाख सेवा एवं व्यवसाय – अधिकतम रू. 10.00 लाख
लाभार्थी का अंशदान	–	सामान्य वर्ग – 10 प्रतिशत अजा/अजजा/अपिवर्ग व अन्य – 5 प्रतिशत
अनुदान की दर	–	सामान्य वर्ग – शहरी 15 प्रतिशत, ग्रामीण 25 प्रतिशत, अजा/अजजा/अपिवर्ग व अन्य– शहरी 25 प्रतिशत, ग्रामीण 35 प्रतिशत
पात्रता	–	आयु 18 वर्ष से अधिक, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8 वीं उत्तीर्ण, स्वसहायता समूह/ सोसायटी भी पात्र

10.2.11 प्रधानमंत्री मुद्रा योजना-

(सूक्ष्म श्रेणी के उद्योग, व्यवसाय व सेवा हेतु बैंको के माध्यम से ऋण वितरण)

1. ''शिशु'' – रू. 50,000 तक
2. ''किशोर'' – रू. 50,000 से अधिक एवं रू. 5 लाख तक,
3. ''तरूण'' – रू. 5 लाख से अधिक एवं रू. 10 लाख तक।

10.2.12 ''स्टैण्ड अप इंडिया'' योजना -

(अ) पात्रता– (1) अनुसूचित जाति, (2) अनुसूचित जनजाति, (3) महिला उद्यमी

(ब) लक्ष्य– प्रत्येक बैंक शाखा हेतु न्यूनतम अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक हितग्राही एवं एक महिला उद्यमी।

(स) ऋण सीमा– रू. 10 लाख से 1 करोड़ रू.।

10.2.13 छत्तीसगढ़ बंद/बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नीति 2016-

(बंद/बीमार घोषित उद्योगों के पुनर्स्थापन/पुनर्वास पर बंद/बीमार उद्योग के क्रेता उद्योग/बीमार उद्योग के पुनर्वासित बीमार उद्योग को दी जाने वाली सुविधायें यथा स्थिति लागू।)

1. स्टाम्प शुल्क से छूट
2. पंजीयन शुल्क से छूट
3. औद्योगिक क्षेत्रों/लैण्ड बैंक में भू–हस्तांतरण की दर 15 प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत।
4. उद्योग के कार्यरत् रहने की अवधि में पात्र अनुदान, छूट एवं रियायतें, जिनका उपयोग न हुआ हो/आंशिक उपयोग हुआ हो, की पात्रता।
5. उद्योग के बंद घोषित होने तक राज्य शासन के विभिन्न विभागों को देय राशियों का भुगतान 03 माह की अवधि के भीतर एकमुश्त करने पर पेनाल्टी/ब्याज/अधिभार की छूट।
6. उद्योग के बंद/बीमार उद्योगों के द्वारा राज्य शासन को देय राशियों का एकमुश्त भुगतान न करने पर पेनाल्टी/ब्याज/अधिभार के भुगतान के साथ 36 समान मासिक किस्तों/12 त्रैमासिक किश्तों में सुविधा।
7. बीमार/बंद उद्योग क्रेता के पक्ष में राज्य शासन द्वारा दिये जाने वाले विद्युत कनेक्शन जल कनेक्शन, अन्य क्लीयरेंस एवं अनापत्ति प्रमाण पत्रों का हस्तांतरण।

10.2.14 छत्तीसगढ़ राज्य विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र नीति-

1. छत्तीसगढ़ उन राज्यों में सम्मिलित हुआ, जिनकी पृथक से एस.ई.जेड. पॉलिसी है।
2. राज्य में निर्यात उत्पादन को बढ़ावा
3. नये एस.ई.जेड. (विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र) – राजनांदगांव– सोलर पेनल (आंशिक परियोजना प्रारंभ)
   रू. 500 करोड़ से अधिक स्थायी पूंजी निवेश वाली प्रथम खाद्य, फल, सब्जी एवं गैर काष्ठीय वन उत्पाद प्रसंस्करण परियोजना हेतु विशेष पैकेज

1 लैण्ड बैक में भूमि आबंटित किये जाने पर प्रब्याजि में 75 प्रतिशत् की छूट दी जावेगी, लीज रेंट तथा अन्य देय शुल्कों में कोई छूट नहीं दी जायेगी। इसके लिये प्रब्याजि की गणना सांकेतिक रूप से की जायेगी।

2 भूमि आबंटन पर स्टाम्प ड्यूटी से 100 प्रतिशत छूट दी जावेगी। यह छूट प्रथम स्टाम्प शुल्क छूट प्रमाण पत्र जारी होने की दिनांक से 36 माह में परियोजना में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने पर मान्य होगी।

3 परियोजना के लिये बैंको/वित्तीय संस्थाओं से ऋण पर प्रथम 3 वर्षों के लिए स्टाम्प शुल्क से पूर्ण छूट।

4. औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर भू–आबंटन हेतु छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमि. को 5 प्रतिशत सर्विस चार्ज देय होगा।

5 स्थायी पूंजी निवेश की राज्य शासन को देय GST के रूप में प्रतिपूर्ति के संदर्भ में पृथक से नीतिगत निर्णय लिया जायेगा।

6 परियोजना हेतु, अधिसूचित बैकों से, लिये जाने वाले सावधि ऋण (परियोजना के लिये आवश्यक स्थायी पूंजी निवेश का 80 प्रतिशत सीमा तक) पर 10 वर्ष तक 100 प्रतिशत ब्याज (कुल स्थायी पूंजी निवेश के 50 प्रतिशत की सीमा तक) की प्रतिपूर्ति।

7 पात्रताधारित सभी संवर्ग के उद्योग को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की तारीख से 15 वर्ष तक स्वयं खपत की गई बिजली की यूनिटों पर देय विद्युत शुल्क भुगतान से 100 प्रतिशत की छूट रहेगी। लेकिन संस्थान द्वारा विद्युत शुल्क में छूट हेतु उद्योग संचालनालय से अनुशंसित आवेदन मुख्य विद्युत निरीक्षकालय में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के 06 माह की समय–सीमा में प्रस्तुत करना होगा।

8 प्रदेश के किसी संभाग में रू. 500 करोड़ से अधिक स्थायी पूंजी निवेश वाली प्रथम खाद्य, फल, सब्जी एवं गैर काष्ठीय वन उत्पाद (NTFP) प्रसंस्करण परियोजना को राज्य की मंडियों/सीधे उत्पादनकर्ता कृषक/इकाई/राज्य के बाहर से सर्वप्रथम कच्चा माल क्रय करने के दिनांक से 15 वर्ष तक के लिए कृषि उत्पादों (परिशिष्ट एक में वर्णित अपात्र उद्योगों को छोड़कर) पर लगने वाले मंडी शुल्क से पूर्ण (100 प्रतिशत) छूट प्रदान की जावेगी, छूट की अधिकतम सीमा प्रसंस्करण इकाई द्वारा किये गए स्थायी पूंजी निवेश के 75 प्रतिशत के बराबर होगी।

9 परियोजना में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के दिनांक से 3 वर्ष तक भूमि भवन, प्लांट मशीनरी, विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति में होने वाले निवेश को स्थायी पूंजी निवेश के अंतर्गत मान्य किया जायेगा ।

10 परियोजना में संलग्न छत्तीसगढ़ के स्थानीय तकनीकी एवं कुशल कामगारों के कौशल विकास हेतु, परियोजना में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के दिनांक से प्रथम 500 कामगारों के प्रथम 12 माह के देय ईपीएफ बराबर की राशि की प्रतिपूर्ति अनुदान के रुप में निवेशक को प्रत्येक माह दी जायेगी।

11 उपरोक्त विशेष पैकेज के साथ–साथ परियोजना को औद्योगिक नीति 2014–19, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012 एवं छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन में वर्णित अन्य अनुदान, छूट एवं रियायतों हेतु अधिसूचित नियमों में उल्लेखित पात्रता अनुसार, **समान स्वरूप** का अनुदान होने की दशा में उद्यमी द्वारा चयनित कोई भी एक ही अनुदान, भी प्राप्त होंगे।

10.2.15 खाद्य प्रसंस्करण परियोजना (खाद्य प्रसंस्करण, फल व सब्जी प्रसंस्करण एवं एन.टी.एफ.पी प्रसंस्करण) की स्थापना मेसर्स पतंजली आयुर्वेद लिमिटेड, हरिद्वार का प्रस्ताव :-

कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति के अंतर्गत 500 करोड़ से अधिक की खाद्य प्रसंस्करण परियोजना (खाद्य प्रसंस्करण, फल व सब्जी प्रसंस्करण एवं एन.टी.एफ.पी प्रसंस्करण) की स्थापना के लिए मेसर्स पतंजली आयुर्वेद लिमिटेड, हरिद्वार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव दिनांक 21.10.2017 पर चर्चा की गयी। राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 03.10.2017 के अनुसार गठित समिति द्वारा बैठक दिनांक 08.11.2017 को चर्चा की गयी।

चर्चा में कंपनी द्वारा परियोजना हेतु ग्राम बिजेतला, जिला राजनांदगांव में 500 एकड़ भूमि की आवश्यकता दर्शायी गयी है। लगभग 190 एकड़ भूमि वर्तमान में सी.एस.आई.डी.सी. के आधिपत्य में है एवं शेष भूमि हेतु आपसी सहमति से क्रय हेतु प्रस्ताव राज्य शासन को प्रेषित किया गया है। इस परियोजना के आने से प्रदेश के लगभग 02 लाख किसानों को लाभ होगा तथा लगभग 2200 लोगों को सीधे रोजगार एवं 22,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध होगा।

राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 20–87/2012/11/(6), दिनांक 05.09.2017 के अंतर्गत मेसर्स पतंजली आयुर्वेद लिमि. द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव दिनांक 21.10.2017 को, समिति द्वारा स्वीकृत किया गया है।

फल एवं सब्जी प्रसंस्करण/परिरक्षण उद्योगों हेतु पैकेज की सुविधायें एवं अनुदान

तालिका 10.4 ब्याज अनुदान

क्र.	उद्यमी का वर्ग	पूंजी निवेश स्लैब	फल/सब्जी प्रसंस्करण उद्योग हेतु अनुदान
1	सामान्य वर्ग	रू. 25 हजार से – 25 लाख तक	10 वर्ष तक सावधि ऋण पर कुल भुगतान किए गए ब्याज का 70% अधिकतम सीमा 05 लाख वार्षिक।
2	अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग	रू. 25 हजार से – 25 लाख तक	10 वर्ष तक सावधि ऋण पर कुल भुगतान किए गए ब्याज का 70% अधिकतम सीमा 10 लाख वार्षिक।

तालिका 10.5 स्थायी पूंजी निवेश अनुदान

क्र.	उद्यमी का वर्ग	पूंजी निवेश स्लैब	फल/सब्जी प्रसंस्करण उद्योग हेतु अनुदान
1	सामान्य	रू. 25 हजार से – 10 लाख तक	स्थाई पूंजी निवेश का 40% अधिकतम सीमा 05 लाख
		रू. 10 लाख से – 25 लाख तक	स्थाई पूंजी निवेश का 50% अधिकतम सीमा 12.5 लाख
2	अनुसूचित जाति/जनजाति	रू. 25 हजार से – 25 लाख तक	स्थाई पूंजी निवेश का 60% अधिकतम सीमा 15 लाख

10.2.16 विद्युत शुल्क छूट :– राज्य की नीति के अंतर्गत स्थापित होने वाले सभी संवर्ग के नवीन पात्रताधारित उद्योगों द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की तारीख से स्वयं की बिजली की खपत की गई यूनिटों पर 10 वर्ष तक देय विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट रहेगी।

10.2.17 भूमि उपयोग में परिवर्तन :– निवेशकों के वर्ग की दृष्टि से वर्गीकृत समस्त श्रेणियों के उद्यमियों द्वारा स्थापित केवल पात्र नवीन, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को भू–उपयोग परिवर्तन (औद्योगिक प्रयोजन होने पर) अधिकतम 15 हजार फुट भूमि (परिवार में केवल एक खातेदार के लिए), भू–पुर्ननिर्धारण कर (डायवर्सन शुल्क) में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी ।

टीप– उपरोक्त विशेष पैकेज के साथ–साथ औद्योगिक नीति 2014–19 के अनुदान, छूट एवं रियायतों के तहत् स्टॉम्प शुल्क में छूट, औद्योगिक क्षेत्रों/पार्को के भू–आबंटन पर भू–प्रीमियम में छूट, परियोजना प्रतिवेदन अनुदान, गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान, तकनीकी पेटेन्ट अनुदान व प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान तथा निशक्त अनुदान पात्रता अनुसार प्राप्त होंगे।

10.2.18 स्वरोजगार योजनाएँ (वर्ष 2017–18 में अक्टूबर 2017 तक की जानकारी)

तालिका 10.6 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

क्र0	वर्ष	लक्ष्य			स्वीकृत		वितरित		
		भौतिक	वित्तीय	रोजगार	संख्या	राशि	संख्या	राशि	रोजगार
1-	2017-18	2025	4016.685	16200	385	898.65	190	445.21	1520

टीपः– प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना वर्ष 2008–09 से प्रारंभ की गई है ।

तालिका 10.7 मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना

क्र0	वर्ष	लक्ष्य		स्वीकृत		वितरित	
		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1-	2017-18	460	300.00	142	60.93	30	10.61

तालिका 10.8 प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

वर्ष	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	शिशु			किशोर			तरूण			योग		
			स्वीकृत खातो की संख्या	स्वीकृत राशि	वितरित राशि	स्वीकृत खातो की संख्या	स्वीकृत राशि	वितरित राशि	स्वीकृत खातो की संख्या	स्वीकृत राशि	वितरित राशि	स्वीकृत खातो की संख्या	स्वीकृत राशि	वितरित राशि
2017-18	401542	2376.51	430103	980.66	929.24	24907	492.25	440.93	5669	466.03	443.34	460679	1938.94	1813.51

तालिका 10.9 स्टैण्ड–अप योजना						
क्र.	वर्ष	भौतिक लक्ष्य	स्वीकृत प्रकरण संख्या	स्वीकृत राशि	वितरित प्रकरण संख्या	वितरित राशि
1	2017-18	4300	398	92.00	233	30.60

तालिका 10.10 फेसिलिटेशन काउंसिल				
क्र.	वित्तीय वर्ष	प्रकरण संख्या	निराकृत प्रकरण संख्या	पारित एवार्ड राशि (लाख में)
1	2017-18	113	17	704.16

10.2.19 Ease of Doing Business 2017

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन (डीआईपीपी) विभाग, भारत सरकार (भारत सरकार) द्वारा देश में व्यापार करने के लिए नियामक ढांचे में सुधार के लिए वर्ष 2015 में 98 सूत्री कार्ययोजना जारी किया गया था।

इसी अनुक्रम में वर्ष 2016 में औद्योगिक नीति एवं संवर्धन (डीआईपीपी) विभाग द्वारा 340 बिन्दुओं के आधार पर कार्य योजना जारी की गई थी। उक्त कार्य योजना के कार्यान्वयन के आधार पर 36 राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों का मूल्यांकन किया गया जिसमें छत्तीसगढ़ ने 97.32 प्रतिशत के साथ पुनः चतुर्थ स्थान प्राप्त किया।

तालिका 10.11 EoDB वर्ष 2015 एवं 2016 तुलनात्मक विश्लेशण			
क्र.	विवरण	वर्ष 2015	वर्ष 2016
1	DIPP एवं World Bank द्वारा जारी रैंकिंग	04	04
2	परिपालन प्रतिशत	62.45 प्रतिशत	97.32 प्रतिशत
3	DIPP द्वारा सुझाये गये बिन्दु	285	340
4	DIPP द्वारा सुझाये गये सुधार के क्षेत्र	8	10

छततीसगढ़ राज्य ने DIPP द्वारा सुझाये गये सुधार के 10 क्षेत्रों में से निम्नलिखित 7 क्षेत्रों में 100 प्रतिशत बिन्दुओं का परिपालन किया गया है।

10.2.20 Business Reform Action Plan- 2017

वर्ष 2017 में Ease of Doing Business के तहत 372 बिन्दुओं की सूची जारी की गई है जिसमें सुधार के 12 क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है जो कि राज्य के 21 विभागों एवं संस्थाओं से संबंधित है।

Ease of Doing Business के अन्तर्गत विभाग–वार लागू किये गये प्रमुख सुधार निम्नानुसार है–

- **उद्योग विभाग:-**

✓ उद्योग विभाग द्वारा Single Window System के माध्यम से विभिन्न विभागों की 22 सेवाओं को Online प्रदाय किया जा रहा है। वर्ष 2017 के अंतर्गत 4 अतिरिक्त प्रक्रियाओं को Single Window System में एकिकृत किया गया है।

✓ Single Window Systemds माध्यम से इन सभी 22 सेवाओं हेतु आवेदन, दस्तावेज अपलोड करना, आवेदन राशि का भुगतान Online करना, आवेदन की स्थिति ज्ञात करना एवं स्वीकृत प्रमाण पत्र/अनुज्ञप्ति/पंजीयन आदि Online डाउनलोड करने की सुविधा प्रदाय की गई है।

✓ "उद्यम आकांक्षा" Online, निःशुल्क, बिना किसी संलग्नक के एवं स्वप्रमाणन के आधार पर तुरंत जारी किये जा रहे हैं। वर्तमान में राज्य में 10000 से अधिक उद्यम आकांक्षा जारी किये जा चुके हैं।

✓ उद्योग स्थापना एवं संचालन करने हेतु आवश्यक समस्त अनुज्ञप्तियां/अनुमति/प्रमाण–पत्र आदि की जानकारी विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध है। कोई भी निवेशक अपने योजना के अनुसार लगने वाले अनुज्ञप्तियां/अनुमति/प्रमाण–पत्र आदि की जानकारी तुरंत प्राप्त कर सकता है।

- ✓ उद्योग से संबंधित सभी शंकाओ के समाधान करने हेतु विशेष टोल फ्री नंबर विभाग की वेबसाईट में उपलब्ध कराया गया है।
- ✓ CSIDC द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि का आबंटन पूर्णतः ऑनलाईन माध्यम से किया जा रहा है।
- ✓ प्रदेश में औद्योगिक इकाईयों हेतु उपलब्ध भूमि GIS पद्धति के माध्यम से देखने की सुविधा प्रदान कि गई है जिसका उपयोग करके कोई भी निवेशक पर्यावरण की दृष्टि से लाल, नारंगी, हरी या सफेद श्रेणी के उद्योगो हेतु उपलब्ध भूमि, आस–पास उपलब्ध आधारभूत सुविधाएं जैसे की सड़क, नाले, नहर, विद्युत आपूर्ति आदि की जानकारी GIS पर आधारित नक्शे में देख सकते हैं।
- ✓ बॉयलर नवीनीकरण के लिये थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन की व्यवस्था की गई है।
- ✓ औद्योगिक एवं गैर औद्योगिक क्षेत्रों में जल कनेक्शन के लिये आवेदन की भी ऑनलाईन प्रणाली लागू की गई है।

- **निरीक्षण सुधार :-**

- ✓ औद्योगिक इकाईयों में विभिन्न विभागों द्वारा संपादित किये जाने वाले निरीक्षण में पारदर्शिता एवं जानकारी साझा करने के उद्देश्य से केन्द्रीय निरीक्षण प्रणाली लागू की गई है जिसमें बॉयलर, श्रम विभाग एवं पर्यावरण विभाग को शामिल किया गया है।
- ✓ इन विभागों द्वारा संपादित किये जाने वाले निरीक्षण की तिथि, निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम आदि की जानकारी श्रम विभाग के केन्द्रीय निरीक्षण प्रणाली के पोर्टल पर उपलब्ध है।
- ✓ सभी निरीक्षण प्रतिवेदन 24 घंटे के भीतर केन्द्रीय निरीक्षण प्रणाली के पोर्टल पर अपलोड करने की अनिवार्यता।
- ✓ निरीक्षण के बिन्दु, निरीक्षण प्रक्रिया आदि की जानकारी केन्द्रीय निरीक्षण प्रणाली के पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है।

- **नगरीय प्रशासन विभाग :-**

- ✓ भवन निर्माण अनुज्ञा हेतु Auto CAD पर आधारित ऑनलाईन आवेदन की प्रणाली लागू की गई है।
- ✓ छत्तीसगढ़ के भवन निर्माण अनुज्ञा की ऑनलाईन प्रणाली को DIPP द्वारा Best Practice का दर्जा दिया गया है।
- ✓ भवन निर्माण अनुज्ञा हेतु निरीक्षण की प्रणाली GPS पर आधारित है। यह प्रणाली लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का प्रथम राज्य है।
- ✓ भवन निर्माण अनुज्ञा हेतु भवनों को उच्च, मध्यम एवं निम्न जोखिम के आधार पर वर्गीकरण किया गया है।
- ✓ भवन निर्माण और पूरा होने के चरण के दौरान लागू प्रमाणन के लिये थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन की व्यवस्था लागू की गई है।
- ✓ इस वर्श भवन निर्माण अनुज्ञा के लिये आवश्यक अन्य विभाग जैसे– विमानन प्राधिकरण, पुरातत्व विभाग आदि से लिये जाने वाले अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन भवन निर्माण अनुज्ञा की सिंगल विन्डो के माध्यम से की जा सकती है।

- **पर्यावरण संरक्षण बोर्ड :-**

✓ जल प्रदूशण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 एवं वायु प्रदूशण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत स्थापना सम्मति एवं संचालन सम्मति तथा परिसंकटमय अपशिष्ट नियम के अंतर्गत अनुज्ञा के आवेदन की ऑनलाईन व्यवस्था की लागू की गई है।

✓ सफेद एवं हरी श्रेणी के उद्योगो को उद्योग स्थापना एवं संचालन सम्मति लेने की आवश्यकता से मुक्त कर दिया गया है।

✓ जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत स्थापना सम्मति एवं संचालन सम्मति को स्व प्रमाणन के आधार पर नवीनीकरण की व्यवस्था लागू की गई है।

✓ प्रथम स्थापना सम्मति एवं संचालन सम्मति की वैधता 5 वर्ष कर दी गई है।

✓ नारंगी श्रेणी को नियतकालिक निरीक्षण के लिये थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन की सुविधा प्रदान की गई है।

✓ सफेद एवं हरी श्रेणी के उद्योगो को निरीक्षण से मुक्त कर दिया गया है।

✓ जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत निरीक्षण हेतु सम्पूर्ण प्रक्रिया, निरीक्षण के दौरान प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज आदि की विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध कराई गई है।

- **श्रम विभाग :-**

✓ समस्त श्रम कानूनों के तहत एकीकृत विवरणी दाखिल की ऑनलाईन व्यवस्था लागू की गई है।

✓ फैक्ट्री लायसेन्स एवं उसकी नवीनीकरण की वैधता न्यूनतम 10 वर्ष की गई।

✓ उद्योगो को उच्च, मध्यम एवं निम्न जोखिम के आधार पर वर्गीकरण किया गया है एवं निम्न जोखिम के उद्योगों को निरीक्षण से मुक्त कर दिया गया है।

✓ मध्यम जोखम वाले उद्योगों के लिये विभागीय निरीक्षण की अनिवार्यता से मुक्त करते हुये थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन की सुविधा प्रदान की गई है।

✓ समस्त श्रम कानूनों के तहत संयुक्त निरीक्षण की व्यवस्था लागू की गई है।

✓ विभिन्न श्रम कानूनों के तहत निरीक्षण हेतु सम्पूर्ण प्रक्रिया, निरीक्षण के दौरान प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज आदि की विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध कराई गई है।

- **विद्युत विभाग :-**

✓ उद्योग के लिये विद्युत कनेक्शन हेतु आवश्यक दस्तावेजों की संख्या घटाकर केवल 2 कर दी गई है।

✓ नवीन विद्युत कनेक्शन के लिये भुगतान की जाने वाली राशि की गणना विभाग की वेबसाईट पर जाकर की जा सकती है।

- **पंजीयन विभाग :-**

✓ भूमि/सम्पत्ति पंजीयन हेतु आवश्यक डीड/करार के नमूने विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध कराये गये है।

✓ भूमि/सम्पत्ति पंजीयन हेतु ई–स्टॉम्प की सुविधा प्रदाय की गई है।

- **वाणिज्य कर विभाग :-**

✓ मनोरंजन कर के अंतर्गत पंजीयन, रिटर्न फाईलिंग, कर भुगतान हेतु ऑनलाईन व्यवस्था लागू की गई है।

✓ समस्त राज्य संबंधी करों के भुगतान एवं रिटर्न फाईलिंग हेतु ऑनलाईन व्यवस्था लागू की गई है।

- **राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग** :-

✓ औद्योगिक प्रयोजन हेतु भूमि व्यपवर्तन हेतु ऑनलाईन व्यवस्था लागू की गई है एवं Single Window System के माध्यम से आवेदन की सुविधा प्रदाय की गई है।

✓ उद्योग स्थापना हेतु वृक्ष कटाई के लिये अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु ऑनलाईन व्यवस्था लागू की गई।

✓ वृक्ष कटाई के लिये अनापत्ति प्रमाण–पत्र के संबंध में निरीक्षण प्रतिवेदन ऑनलाईन अपलोड करने की समय सीमा घटाकर 48 घंटे की गई एवं निरीक्षण प्रतिवेदन, आवेदक को भी ऑनलाईन देखने की सुविधा प्रदाय की गई है।

✓ वृक्ष की प्रजातियों के आधार पर उच्च, मध्यम एवं निम्न जोखिम की श्रेणियों में वर्गीकरण किया गया है।

- **विधि विभाग** :-

✓ वाणिज्यिक विवादों की सुनवाई के लिये छत्तीसगढ़ राज्य में देश का प्रथम वाणिज्यिक न्यायालय की स्थापना की गई है।

✓ वाणिज्यिक न्यायालय अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है।

✓ ई–फाईलिंग एवं ई–समन की सुविधा भी वाणिज्यिक न्यायालय में प्रदाय की गई है एवं न्यायिक फैसले डिजिटल साईन के माध्यम से जारी किये जा रहे हैं, जो कि वाणिज्यिक न्यायालय की वेबसाईट पर भी उपलब्ध हैं।

- **वन विभाग** :- काष्ठ परिवहन की अनुमति हेतु ऑनलाईन प्रणाली
- **नापतौल विभाग** :- नापतौल विभाग के अंतर्गत पंजीयन हेतु ऑनलाईन प्रणाली
- **लोक निर्माण विभाग** :- सड़क काटने की अनुमति हेतु ऑनलाईन प्रणाली
- **खाद्य एवं औषधि विभाग** :- औषधि निर्माण एवं विक्रय की अनुमति हेतु ऑनलाईन प्रणाली
- **वित्त विभाग (टैक्स पोर्टल)** :- राज्य में लगने वाले समस्त करों की जानकारी एवं उनके ऑनलाईन भुगतान, ऑनलाईन रिटर्न फाइल करने की सुविधा हेतु पोर्टल वित्त विभाग द्वारा विकसित की गई है जिसकी सहायता से आवेदकों/करदाताओं को सारी जानकारी एक ही जगह पर उपलब्ध होगी।

10.2.21 राज्य में रेल्वे लाइनों का विकास एवं संयुक्त उपक्रम

- राज्य के गठन के पूर्व राज्य में 1196 कि.मी. का रेल्वे नेटवर्क था।
- राज्य में निम्नांकित दो रेल्वे कॉरीडोर की स्थापना प्रगति पर है–
- **ईस्ट रेल कॉरीडोर** - ईस्ट रेल कॉरीडोर की स्थापना हेतु दिनांक 27.02.2012 को एम.ओ.यू. का निष्पादन किया गया था एवं दिनांक 12.03.2013 को ज्वाईंट वेन्चर कम्पनी का गठन किया जा चुका है व दिनांक 18.01.2014 को परियोजना के क्रियान्वयन का अनुबंध इरकॉन कम्पनी के साथ किया जा चुका है। इसकी परियोजना लागत 3055.15 करोड़ है। परियोजना की स्थापना हेतु भू–अधिग्रहण की कार्यवाही के पश्चात् निर्माण कार्य सतत् प्रगति पर है। ईस्ट रेल कॉरीडोर खरसिया से प्रारंभ होकर धर्मजयगढ़ होते हुए कोरबा को जोड़ेगा। इसकी लंबाई लागभग 173 रूट कि.मी. है।
- **ईस्ट-वेस्ट रेल कॉरीडोर** - ईस्ट–वेस्ट रेल कॉरीडोर की स्थापना हेतु दिनांक 27.02.2012 को एम.ओ.यू. का निष्पादन एवं दिनांक 25.03.2013 को ज्वाईंट वेन्चर कम्पनी का गठन किया जा चुका है व दिनांक 05.04.2014 को परियोजना के क्रियान्वयन का अनुबंध इरकॉन कम्पनी के साथ किया जा चुका है। इसकी परियोजना लागत 4919.28 करोड़ है। परियोजना की स्थापना हेतु भू–अधिग्रहण की कार्यवाही के पश्चात् निर्माण कार्य सतत् प्रगति पर है।

ईस्ट–वेस्ट रेल कॉरीडोर का क्षेत्र गेवरा–पेण्ड्रा रोड को जोड़ेगा। इस कॉरीडोर की लंबाई लगभग 151 रूट कि.मी. है। इन दो कॉरीडोरों की स्थापना से माल परिवहन के साथ–साथ पैसेंजर ट्रेनें भी प्रारंभ होगी।

- **दल्ली राजहरा–रावघाट रेल लिंक परियोजना** – इस परियोजना में रेल्वे लाईन की लम्बाई 95 कि.मी. है, जिसमें से 17 कि.मी. रेल्वे लाईन का निर्माण दल्ली राजहरा–गुदुम हो चुका है। भानुप्रतापपुर भी रेल्वे से जुड़ जावेगा।

- **रावघाट–जगदलपुर परियोजना** – इस परियोजना का कियान्वयन एन.एम.डी.सी., स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि0, इरकॉन एवं छत्तीसगढ़ शासन, संयुक्त उपक्रम कम्पनी बस्तर रेल्वे प्रा.लि. के द्वारा किया जा रहा है। रावघाट–जगदलपुर परियोजना की लम्बाई 140 कि.मी है।

परियोजना की स्थापना हेतु ट्रेक एलाईनमेंट, लोकेशन सर्वे व विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर रेल्वे लाईन का रूट प्लान बनाया जा चुका है एवं टोपो शीट पर एलाईनमेंट भी किया जा चुका है व फिजीबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है।

राज्य में रेल्वे नेटवर्क के विकास हेतु दिनांक 09 फरवरी 2016 को छत्तीसगढ़ शासन व भारत सरकार, रेल मंत्रालय के मध्य एक एम.ओ.यू. निष्पादित किया गया है व एम.ओ.यू. के क्रियान्वयन हेतु छ.ग. शासन व रेल मंत्रालय की एक संयुक्त उपक्रम कंपनी ''छत्तीसगढ़ रेल्वे कार्पोरेशन लिमिटेड'' गठित की गयी है। जिसमें राज्य शासन की भागीदारी 51 प्रतिशत है तथा रेल मंत्रालय की भागीदारी 49 प्रतिशत है।

यह संयुक्त उपक्रम कंपनी प्रदेश में वायबल रेल परियोजनाओं का चिन्हांकन कर उसका कियान्वयन करेंगी या परियोजना विशेष एस.पी.वी. बनाकर इसका कियान्वयन करेगी।

10.3 –उद्योग विभाग के अंतर्गत स्थापित निगम/बोर्ड

उद्योग विभाग के अंतर्गत एक ही निगम ''छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि0 है। इस निगम की अधिकृत पूंजी रू0 10 करोड़ एवं प्रदत्त पूंजी रू0 1.60 करोड़ है। राज्य शासन द्वारा पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश शासन में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के निगम, (1) म0प्र0 औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, रायपुर (2) म0प्र0लघु उद्योग निगम (3) म0प्र0राज्य उद्योग निगम (4) मध्यप्रदेश वित्त निगम (5) म0प्र0निर्यात निगम (6) म.प्र. औद्योगिक विकास निगम (7) मध्यप्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन (8) म0प्र0 टेक्सटाईल कार्पोरेशन इसमें समाहित हैं।

राज्य में विभिन्न औद्योगिक संवर्धन गतिविधियों यथा – प्रचार–प्रसार, अधोसंरचना सुविधाओं का विकास, औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों की स्थापना, लघु उद्योगों के विपणन में सहायक की भूमिका, कच्चा माल आपूर्ति, शासकीय उद्योगों का संचालन, प्रति वर्ष राज्य की राजधानी में राज्योत्सव का आयोजन एवं नई दिल्ली के भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राज्य के मंडप का निर्माण एवं संचालन निगम के कर्त्तव्यों में है।

10.3.1 स्थापित औद्योगिक क्षेत्र

तालिका 10.12 स्थापित औद्योगिक विकास केन्द्र/औद्योगिक क्षेत्र/पार्कों का विवरण

क्र.	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	कुल प्राप्त भूमि (हेक्टेयर में)	आबंटन योग्य भूमि (हेक्टेयर में)	अनुमानित पूंजी निवेश करोड़ में	रोजगार संख्या
वृहद औद्योगिक क्षेत्र (200 हेक्टेयर से अधिक)					
1	औद्योगिक क्षेत्र उरला, रायपुर	395.563	251.483	5220	15500
2	औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, रायपुर	1184.40	872.812	4560	7618
3	औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी, बिलासपुर	338.42	217.49	3240	10450
योगः–		**1918.383**	**1341.785**	**13020**	**33568**

मध्यम औद्योगिक क्षेत्र (100 से 200 हेक्टेयर तक)					
4	औद्योगिक क्षेत्र बोरई, दुर्ग	450.810	192.462	1410	4983
5	औद्योगिक क्षेत्र सिलपहरी, बिलासपुर	244.86	157.56	356	997
6	औद्योगिक क्षेत्र भनपुरी, रायपुर	164.30	103.48	2105	2596
योगः–		**859.97**	**453.502**	**3871**	**8576**
लघु औद्योगिक क्षेत्र (50 से 100 हेक्टेयर तक)					
7	इंजीनियरिंग पार्क, हथखोज भिलाई	141.613	59.15	23	250
8	औद्योगिक क्षेत्र मेटलपार्क, रायपुर	101.790	35.82	–	–
9	महरूम कला, जिला राजनांदगांव	66.858	–	–	–
10	औद्योगिक क्षेत्र तिफरा, बिलासपुर	55.84	39.48	412.40	2300
11	बिरकोनी, आईआईडीसी	96.42	41.82	119.00	1210
12	नयनपुर–गिरवरगंज, आईआईडीसी	51.237	24.061	155.15	1590
13	फूडपार्क बगौद, जिला धमतरी	68.74	23.45	–	–
14	ग्राम लखनपुरी, जिला कांकेर	53.30	25.86	–	–
योगः–		**635.798**	**249.641**	**709.55**	**5350**
सूक्ष्म औद्योगिक क्षेत्र (0 से 50 हेक्टेयर तक)					
15	औद्योगिक क्षेत्र रावांभाठा, रायपुर	37.18	30.95	233	780
16	औद्योगिक क्षेत्र आमासिवनी, रायपुर	11.83	10.04	30	340
17	अंजनी, पेण्ड्रारोड	19.42	10.89	15	310
18	हरिनछपरा, आईआईडीसी	20.93	11.09	5.60	635
19	औद्योगिक क्षेत्र तेन्दुआ, रायपुर	20.991	7.27	180	87
20	टेकनार दन्तेवाड़ा, आईआईडीसी	19.27	9.016	–	–
21	कापन, आईआईडीसी	43.06	15.325	–	–
22	औद्योगिक क्षेत्र बरतोरी तिल्दा, रायपुर	32.32	15.29	–	–
23	औद्योगिक क्षेत्र गंगापुर खुर्द, जिला सरगुजा	12.25	4.73	–	–
24	इलेक्ट्रानिक मेन्युफेक्चरिंग क्लस्टर ग्राम तुता, नया रायपुर	45.75	22.83	–	–
25	औद्योगिक क्षेत्र महरूम खुर्द, जिला राजनांदगांव	37.12	13.87	–	–
26	औद्योगिक क्षेत्र अवरेठी, भाटापारा	8.615	5.479	–	–
योगः–		**308.736**	**156.78**	**463.60**	**2152**

10.3.2 एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र (IIDC) :– भारत सरकार की इस योजना के अंतर्गत राज्य में सूक्ष्म, लघु उद्योगों की स्थापना हेतु एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्रों की स्थापना की जाती है । नवीनयोजना के अंतर्गत परियोजना लागत का 60 प्रतिशत अधिकतम रु. 6 करोड़ का अनुदान भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, शेष राशि का अंशदान राज्य शासन द्वारा दिया जाता है। राज्य में इनकी स्थापना हेतु नोडल एजेंसी सी.एस.आई.डी.सी. है।

राज्य शासन की योजना के अनुसार ग्राम लखनपुरी, तहसील–चारामा, जिला–कांकेर में कुल 53.30 हेक्टेयर भूमि पर राशि रू. 31.61 करोड़ कुल लागत से नवीन औद्योगिक क्षेत्र लखनपुरी की स्थापना की जा रही है। इस हेतु नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से स्वीकृत अभिन्यास की स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है।

10.4 स्थापित विशिष्ट औद्योगिक पार्क

10.4.1 मेटल पार्क – जिला रायपुर :– विशिष्ट उद्योगों पर आधारित औद्योगिक पार्को की स्थापना के अंतर्गत रायपुर में रावांभाटा में फेरस तथा नान फेरस डाऊनस्ट्रीम अप्रदूषणकारी सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों को भूमि उपलब्ध कराने की दृष्टि से **रायपुर शहर से 12 कि.मी. की दूरी पर ग्राम रावांभाटा में स्थापित मेटल पार्क की कुल 87.57 हेक्टेयर भूमि में से फेस–। की 19.93 हेक्टेयर भूमि पर मेटल पार्क स्थापित हो चुका है।** इसमें 25% भूखण्ड अनुसूचित

जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है। **मेटल पार्क फेस–।। के भू–खण्डों का आबंटन दिसम्बर–2017 से किया जा रहा है।**

10.4.2 इंजीनियरिंग पार्क – जिला दुर्ग :– विशिष्ट उत्पाद आधारित औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के अंतर्गत इंजीनियरिंग उत्पाद संबंधी समूह उद्योगों के विकास हेतु भारी औद्योगिक क्षेत्र हथखोज, भिलाई से लगे हुए ग्राम हथखोज में कुल 122.618 हेक्टेयर भूमि पर निगम द्वारा इंजीनियरिंग उत्पादों के क्लस्टर विकास हेतु इंजीनियरिंग पार्क विकसित किया गया है। इस पार्क में आबंटन योग्य भूमि 57.611 हेक्टेयर है तथा कुल औद्योगिक भू–खण्डों की संख्या 215 है, जिनमें औद्योगिक प्रयोजन हेतु 55.986 हेक्टेयर एवं व्यावसायिक प्रयोजन हेतु 1.625 हेक्टेयर भूमि है। विकसित भू–खण्डों में से कई भू–खण्ड का आबंटन किया जा चुका है। उद्योग स्थापनाधीन हैं तथा रिक्त भू–खण्डों आबंटन हेतु आनलाईन उपलब्ध है।

10.4.3 इलेक्ट्रानिक मेन्यूफेक्चरिंग क्लस्टर – जिला रायपुर :– नया रायपुर में 28.32 हे. भूमि पर इलेक्ट्रानिक मेन्यूफेक्चिरिंग क्लस्टर की स्थापना प्रारंभ हो चुका है। अंतिम स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त की गई है। परियोजना लागत रु. 89.22 करोड़ है जिसमें से रुपये 43 करोड़ भारत सरकार द्वारा स्वीकृति उपरांत भारत सरकार से रु. 8.62 करोड़ प्राप्त हो चुका है। सीएसआईडीसी द्वारा रु. 9.30 करोड़ प्रदत्त की गई है। अधोसंरचना विकास हेतु रु. 24.63 करोड़ के कार्यादेश जारी किये गये हैं। उद्योग स्थापना हेतु कुल निष्पादित 14 एमओयू में रु. 432 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है। 9 इकाईयों को भूमि आबंटन की कार्यवाही की जा चुकी है। 20.23 हेक्टेयर भूमि अतिरिक्त रूप से प्राप्त एवं विस्तार हेतु प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है।

10.4.4 फूड पार्क – जिला धमतरी :– ग्राम बगौद जिला–धमतरी में कुल 68.68 हेक्टेयर भूमि पर फूड पार्क के विकास कार्य प्रगति पर है। अनुमानित परियोजना लागत रू. 45.00 करोड़ है। वर्ष 2016–17 में रु. 18.00 करोड़ का प्रावधान। अधोसंरचना निर्माण कार्य प्रगति पर है। परियोजना का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से सम्पन्न हुआ है। 2 इकाईयों का भू–आबंटन प्रकरण प्रक्रियाधीन है। 5 इकाईयों को भूमि आबंटित।

10.5 स्थापनाधीन/प्रस्तावित विशिष्ट औद्योगिक पार्क

10.5.1 प्लास्टिक पार्क – जिला राजनांदगांव :– राजनांदगांव जिले के ग्राम खैरझीटी में 40 हेक्टेयर पर प्लास्टिक पार्क प्रस्तावित। परियोजना की लागत रु. 100 करोड़ है। भारत सरकार से सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पूर्ण किया गया है। जी.पी.रियलिटीज़ के साथ संयुक्त उपक्रम हेतु अनुबंध किया जाकर कंपनी पंजीकरण हेतु रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ का आवेदन प्रेषित किया गया है। कंपनी पंजीयन उपरांत भूमि एस.पी.व्ही. को हस्तांतरण की कार्यवाही की जाएगी ।

10.5.2 एल्यूमीनियम पार्क – जिला कोरबा :– सीएसआईडीसी ग्राम दोंदरों जिला कोरबा में 152 हेक्टेयर भूमि पर एल्यूमीनियम पार्क की स्थापना प्रस्तावित है। स्थानीय रुप से एल्यूमीनियम का राज्य में ही मूल्य संवर्धन होने से उद्यमियों एवं राज्य को लाभ होगा। इस पार्क में एल्यूमीनियम के उत्पादों से संबंधित इकाईयों की स्थापना की जाएगी। परियोजना की अनुमानित लागत रु. 7000.00 लाख है । **एफ.आर.ए. प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाएगा ।**

10.5.3 परीक्षण प्रयोगशाला भिलाई :– परीक्षण प्रयोगशाला भिलाई के द्वारा प्रतिवर्ष लगभग 3500 लघु उद्योग इकाईयों को उनके उत्पाद परीक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है । इस प्रयोगशाला हेतु एन.ए.बी.एल. से मान्यता प्राप्त की गई है एवं अब इसके परीक्षण राष्ट्रीयस्तर पर मान्य हैं।

10.6 कौशल उन्नयन गतिविधियां

10.6.1 अपेरल ट्रेनिंग एण्ड डिज़ाईन सेंटर :– रायपुर, भिलाई, राजनांदगांव में अपेरल ट्रेनिंग एण्ड डिज़ाईन सेंटर

स्थापित किये गये हैं। इससे राज्य के युवाओं को अपेरल क्षेत्र में प्रशिक्षण एवं रोजगार प्राप्त हो रहा है।

10.6.2 टूल रुम की स्थापना :– लघु उद्योगों को परीक्षण सुविधा एवं युवाओं को प्रशिक्षण हेतु बोरई में टूल रुम के लिये 25 एकड़ भूमि निःशुल्क आबंटित की गई है। इस भूमि पर भारत सरकार द्वारा लगभग 100 करोड़ रुपये की लागत से टूल रुम की स्थापना प्रगति पर है। अस्थायी रुप से सीएसआईडीसी की परीक्षण प्रयोगशाला भिलाई में प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया है।

10.6.3 सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालॉजी (सीपेट) :– प्लास्टिक उद्योग में युवाओं को प्रशिक्षण देने हेतु सीपेट (''सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालॉजी) की स्थापित किया गया है। यहां दीर्घकालीन एवं डिप्लोमा तथा पीजी डिप्लोमा कोर्स संचालित है। केन्द्र से मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत अब तक 1,969 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्राप्त हो चुका है एवं लगभग 77 प्रतिशत 1,525 प्रशिक्षित व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है।

10.6.4 खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का विकास :– राज्य के किसानों की आय में वृद्धि हेतु विभिन्न अभिनव प्रयास किये गये हैं। वर्ष 2012–13 से लागू भारत सरकार के नेशनल मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग के अंतर्गत राज्य में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। तीन वर्षों में राज्य के 119 विभिन्न स्थानों पर लगभग 3000 व्यक्ति प्रशिक्षित किये गये। इन तीन वर्षों मे 19 इकाईयों को रुपये 24.31 करोड़ का अनुदान स्वीकृति जिसके विरुद्ध रु. 10.70 करोड़ वितरित किया गया है। इन उद्योगों द्वारा रु. 84.36 करोड़ का निवेश गया है। एन.एम.एफ.पी. के पश्चात राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन प्रारंभ किया गया है जिसके अंतर्गत अब तक राशि रु. 469 लाख का अनुदान वितरित किया गया है।

10.7 स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास एवं उन्नयन :– भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग की संशोधित औद्योगिक अधोसंरचना उन्नयन योजना (एम.आई.आई.यू.एस.) परियोजना का राज्य में क्रियान्वयन। **की गई है। अधोसंरचना विकास हेतु रु. 33.55 करोड़ के कार्यादेश जारी, कार्य प्रगति पर है।**

12वीं पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार द्वारा संशोधित आई.आई.यू.एस. योजना लागू है। इसके अंतर्गत भारत सरकार द्वारा स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास एवं उन्नयन के लिये अनुदान प्रदान किया जाता है। इस हेतु छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि., स्टेट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है।

औद्योगिक अधोसंरचना के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु भारत सरकार द्वारा संचालित संशोधित एकीकृत अधोसंरचना उन्नयन योजना (एम.आई.आई.यू.एस.) के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र उरला जिला रायपुर एवं सिरगिट्टी जिला बिलासपुर के लिये अधोसंरचना यथा सड़क, बिजली, जलप्रदाय के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु पृथक–पृथक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर भारत सरकार को अग्रेषित किया गया था। भारत सरकार से दोनों परियोजनाओं हेतु स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

10.7.1 परियोजना लागत निम्नानुसार है –

- **<u>औद्योगिक विकास केन्द्र उरला, जिला रायपुर</u>**

परियोजना लागत	रु. 5480.94 लाख
केन्द्र सरकार से अनुदान	रु. 1215.00 लाख
राज्य शासन का हिस्सा	रु. 4265.94 लाख

इस योजनांतर्गत औद्योगिक क्षेत्र उरला में अब तक योजना अंतर्गत रु. 622.00 लाख की लागत से 21.50 किमी डी. आई. पाईप लाईन तथा रु. 3391.41 लाख की लागत से 11 किमी लंबाई में 7.50 मी चौड़ी सीमेंट कांक्रीट सड़क एवं 4.17

कि.मी. आरआर मेसनरी नाली तथा 6.50 किमी आरसीसी नाली निर्माण किया गया है। जलप्रदाय योजना के अंतर्गत 10 एमएलडी क्षमता का जल शुद्धिकरण संयंत्र, 26.50 किमी स्ट्रीट लाईन, 8 मीटर व्यास का इंटेकवेल एवं पूर्व निर्मित आरआर मेसनरी नालियों की उंचाई बढ़ाने हेतु निविदा प्रकिया पूर्ण कर ली गई है एवं कार्य प्रगति पर है।

10.7.2 औद्योगिक विकास केन्द्र सिरगिट्टी, जिला बिलासपुर

परियोजना लागत रु. 4459.33 लाख

केन्द्र सरकार से अनुदान रु. 1204.00 लाख

राज्य शासन का हिस्सा रु. 3435.33 लाख

इसके विरुद्ध सिरगिट्टी हेतु केन्द्र सरकार से रु. 262.00 लाख एवं राज्य शासन से रुपये 1030.00 लाख, कुल राशि रु. 1292.00 लाख प्राप्त हो चुकी है।

औद्योगिक विकास केन्द्र सिरगिट्टी, जिला बिलासपुर में कुल व्यय रु. 30.04 करोड़ का व्यय किया जा चुका है। जिसमें से कांक्रीट सड़क (4.5 कि.मी), बी.टी. सड़क (14 कि.मी.), पाईप लाइन (8.5 कि.मी.), आर.सी.सी. ड्रेन (14.4 कि.मी.) तथा सड़क बत्ती (4.50 कि.मी.), के कार्य पूर्णतः की ओर है।

10.7.3 अन्य निवेश प्रोत्साहन गतिविधियां :– निवेश प्रोत्साहन हेतु बंगलुरु, दिल्ली में रोड शो आयोजित किया जाकर राज्य में निवेश हेतु विभिन्न कंपनियों से चर्चा की गई है। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रतिनिधिमण्डल द्वारा यू. एस.ए.,चीन, कोरिया, ताईवान एवं आस्ट्रेलिया का प्रवास कर निवेशकों को राज्य निवेश हेतु प्रोत्साहित किया गया। कुछ विदेशी कंपनियों द्वारा निवेश की संभावना हेतु राज्य का प्रवास कर उपलब्ध संसाधनों का अवलोकन किया गया है।

10.8 निगम की वर्ष 2016–17 में व्यावसायिक गतिविधिया (अप्रेल 2016 से दिसम्बर 2017 तक)

10.8.1 लघु उद्योगों को विपणन सुविधा :– राज्य के लघु उद्योगों के विकास एवं प्रोत्साहन हेतु राज्य में लागू ''छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम–2002 (यथा संशोधित)'' में संशोधन किये गये है। जिसके फलस्वरूप समस्त शासकीय विभागों के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल, प्रदेश के समस्त सार्वजनिक उपक्रम, मंडल, जिला पंचायत एवं नगरीय निकाय भी भंडार क्रय नियमों की परिधि में रहेगें। भंडार क्रय नियम के परिशिष्ट–1 की आरक्षित सूची में कुल 65 आयटम/उत्पाद सूचीबद्ध है।

राज्य के लघु उद्योग इकाईयों को प्रोत्साहन के दृष्टिगत भंडार क्रय नियम के प्रावधान के अनुसार दर निर्धारण के समय मध्यम, वृहद एवं राज्य के बाहर स्थित इकाईयों की तुलना में छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित लघु उद्योग इकाईयों को 10 प्रतिशत (दस प्रतिशत) की मूल्य अधिमान्यता एवं क्रय अधिमान्यता स्थानीय लघु उद्योगों इकाईयों को राज्य के बाहर स्थित इकाईयों की तुलना में 5 प्रतिशत (पांच प्रतिशत) क्रय अधिमान्यता का लाभ स्थानीय लघु उद्योग इकाईयों को प्रदान की गई हैं। इसके अतिरिक्त राज्य में स्थित बी.आई.एस. प्रमाण पत्र धारी लघु उद्योगों को अन्य उद्योगों के विरूद्ध 10 प्रतिशत क्रय अधिमान्यता भी प्रदान की गई है।

भण्डार क्रय नियम के परिशिष्ट–1 की सूची में सम्मिलित सामग्रियों के दर निर्धारण हेतु शासन द्वारा निविदा प्रक्रियॉ में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उददेश्य से क्रियान्वित ई–प्रोक्यूरमेंट सिस्टम के अंतर्गत निगम द्वारा ई–निविदा प्रकाशित की जाती है।

छत्तीसगढ़ शासन के ई–प्रोक्यूरमेंट सिस्टम के अंतर्गत आमंत्रित ई–निविदा में प्रचलित दर निर्धारण प्रक्रियॉ अनुसार छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम के प्रावधान के तहत निगम द्वारा दर निर्धारण किया जाता है तथा पात्र निविदाकर्ता इकाईयों के पक्ष में दर अनुबंध निश्पादित किया जाता हैं। परिशिष्ट–1 में सम्मिलित सामग्री के निर्धारित दर सूची एवं अनुबंधित इकाईयों की सूची विभागीय वेबसाईट www.csidc.in पर क्रेता विभागों के लिए सुलभ संदर्भ हेतु प्रसारित की जाती है।

वर्ष 2017–18 में कुल 06 सामग्रियों की दर निर्धारित की गई है जिसकी दर वैद्यता अवधि है एवं दर अनुबंध में कुल 42 इकाईयॉ अनुबंधित हैं, विवरण निम्नानुसार है :–

क्रमांक	सामग्री का नाम	दर अनुबंध में अनुबंधित इकाईयों की संख्या
1	एगल आयरन फेंन्सिग पोल	16
2	सोडियम हाईपोक्लेराईट	02
3	सायकल	11
4	यू.पी.व्ही.सी. स्क्रीन केंसिग पाईप	04
5	फायर एक्सटीन्गुशर	02
6	वाटर टेंकर	07

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निविदा में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उददेश्य से संचालित ई–प्रोक्यूरमेंट सिस्टम के अंतर्गत सीएसआईडीसी द्वारा भण्डार क्रय नियम–3 के अधीन परिशिष्ट–1 की सूची में उल्लेखित सामग्रियों के दरों एवं शर्तो का निर्धारण कर इकाईयों से दर अनुबंध निष्पादित किया गया है।

10.8.2 छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम 2002 (यथा संशोंधित 2017) के अनुसार जेम (GeM: Government e-Market place) के माध्यम से शासकीय खरीदी :–

छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से जारी अधिसूचना कमांक एफ–20–70/2004/11/(6) नया रायपुर दिनांक 05.07.2017 के अनुसार भण्डार कय नियम की कण्डिका–3 में, ''परिशिष्ट–1 में अंकित वे वस्तुयें जिनकी दरें एवं विशिष्टियां भारत सरकार के डीजीएसएण्डडी (DGS&D) की जेम वेबसाइट (Gem Web-Site) में उपलब्ध हो, हेतु छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (सीएसआईडीसी) द्वारा नया रेट कॉन्ट्रेक्ट (Rate Contract) नहीं किया जायेगा'' तथा भण्डार कय नियम 4.3.3 में ''परंतु, वे वस्तुयें जिनकी दर एवं विशिष्टियां भारत सरकार के डीजीएसएण्डडी की जेम वेबसाईट में उपलब्ध हो, का कय उक्त खुली निविदा पद्धती या जेम पर उपलब्ध ई–बिडिंग (E-bidding) अथवा रिवर्स ऑक्शन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा जारी उपरोक्त अधिसूचना के अनुकम में भारत सरकार की संस्था जेम (GeM: Government e-Market place) एवं राज्य शासन के मध्य निष्पादित एम. ओ.यू. के अंतर्गत राज्य शासन के विभागों द्वारा सामग्री का कय जेम (Gem) के माध्यम से किया जाना है।

10.8.3 लघु उद्योगों को कच्चे माल की सुविधा :–

- **भिलाई स्थित कच्चामाल डिपो से लघु उद्योग इकाईयों को वायर राड का विक्रय (दिसम्बर–17 तक)** –– मात्रा – 9613.320 मेट्रिक टन विक्रय राशि – रू. 26.31 करोड़
- **लघु उद्योगों को कोल आबंटन** – मात्रा 24278.00 मेट्रिक टन, इकाइयॉ 45

10.8.4 लघु उद्योगों को परीक्षण जांच की सुविधा (दिसम्बर–17 तक) :–

टैस्टिंग लैब भिलाई में केमिकल, मेटलर्जीकल सेम्पल परीक्षित – 4325

सिविल व इलेक्ट्रिक सेम्पलों का परीक्षण आय – रू 22.54 लाख

10.8.5 फर्नीचर व शीट मेटल उद्योगों का संचालन (दिसम्बर–17 तक) :–

अ–फर्नीचर वर्क्स, अभनपुर	उत्पादन	रू. 375.65 लाख
	विक्रय	रू. 351.20 लाख
ब–कृषि उपकरण कारखाना, भिलाई	उत्पादन	रू. 673.06 लाख
	विक्रय	रु. 565.27 लाख

10.8.6 ऑनलाईन भुगतान सुविधा :– सीएसआईडीसी द्वारा भू–आबंटी इकाईयों से भू–आबंटन से संबंधित राशियों (प्रीमियम, लीज़रेंट, मेंटनेंस आदि) की वसूली हेतु ऑनलाईन सुविधा सफलतापूर्वक क्रियान्वित की जा रही है।

10.8.7 भू–आबंटन पत्रों को ऑनलाईन प्राप्त करना :– दिनांक 7 मार्च 2015 से लागू नवीन छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 के परिपालन में 134 ऑनलाईन प्राप्त आवेदनों का निराकरण किया गया है । यहां यह उल्लेखनीय है कि इस प्रक्रिया में उद्यमी को मांगपत्र, आशयपत्र, आबंटन आदेश, भू–प्रब्याजि में छूट, आशय पत्र में समयावधि विस्तार, संशोधन मांगपत्र आदि की समस्त प्रक्रिया आनलाईन की जा रही है ।

10.8.8 जल–आपूर्ति संयोजन हेतु ऑनलाईन आवदेन पत्र सुविधा :– इकाईयों को जल–आपूर्ति के लिये ऑनलाईन आबंटन सुविधा प्रारंभ की गई है । अब तक 12 आवेदन प्राप्त में से 3 निराकृत किये गये हैं। शेष आवेदन प्रक्रियाधीन हैं।

10.8.9 लैण्ड बैंक का जी.आई.एस. मैप :– राज्य में औद्योगिक प्रयोजन हेतु उपलब्ध लैण्ड बैंक का जी.आई.एस. मैप तैयार कराया जाकर आनलाईन किया गया है।

10.9 अन्य अधोसंरचना

10.9.1 सिलतरा शॉपिंग काम्पलेक्स :– रायपुर जिले के सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र में नवीन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की स्थापना की गई है। इस भवन में भूतल तथा प्रथम तल पर कुल 121 कक्ष (व्यावसायिक दुकाने–108 / कार्यालय–12 / रेस्टोरेंट–1) निर्मित है। रिक्त कक्षों के आबंटन के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने हेतु ई–टेण्डरिंग किया गया है।(Reverse auction) प्रक्रिया से आवश्यकता अनुसार क्रय कर सकेगा'' का प्रावधान किया गया है।

10.9.2 व्यावसायिक परिसर तिफरा बिलासपुर :– बिलासपुर जिले में तिफरा व्यावसायिक परिसर का निर्माण किया गया है। इस भवन के भूतल एवं प्रथम तल में कुल 16 कक्ष (दुकान –11 / कार्यालय–4 / बैंक एटीएम–1) निर्मित किये गये है तथा आबंटित हैं।

10.9.3 व्यावसायिक परिसर बिरकोनी महासमुंद :– महासमुंद जिले में एकीकृत औद्योगिक विकास केंद्र के अंतर्गत 10 दुकानो का निर्माण किया गया है। तीन दुकान आबंटित हैं। रिक्त दुकानों के आबंटन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने हेतु ई–टेण्डरिंग द्वारा किया गया है।

10.9.4 व्यावसायिक परिसर औद्योगिक क्षेत्र हरिनछपरा, कबीरधाम :– कबीरधाम जिले में हरिनछापरा औद्योगिक क्षेत्र में व्यावसायिक परिसर का निर्माण किया गया जिसमें भूतल पर 6 दुकाने एवं प्रथम तल पर 1 प्रशासकीय भवन कुल 7 भवनों के आवंटन / किराये पर देने विज्ञापन प्रकाशित किया गया है।

10.9.5 व्यावसायिक परिसर औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी, बिलासपुर :– बिलासपुर जिले के औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी में एसाईड प्रोजेक्ट के अंतर्गत दो गोडाउन निर्माण किया गया है। निर्यातक उद्योग अथवा अन्य इकाईयों को नियम एवं शर्तो के अधीन किराये पर गोडाउन आबंटित करने बाबत् ई–टेण्डरिंग किया गया है।

10.9.6 वाणिज्यिक परिसर डंगनिया रायपुर :– रायपुर शहर मे निगम के आधिपत्य की भूमि पर पांच तल का वाणिज्यिक भवन का निर्माण किया गया है। जिसमें सी.एस.आर. के अंतर्गत ए.टी.डी.सी. को निःशुल्क स्थान उपलब्ध कराया गया है। साथ ही पॉवर ग्रिड कार्पोरेशन तथा रेल कारीडोर परियोजना हेतु गठित छत्तीसगढ़ ईस्ट रेल लिमि. एवं छत्तीसगढ़ ईस्ट–वेस्ट रेल लिमि. को स्थान किराए पर उपलब्ध कराया गया है। शेष स्थान / दुकानों के आबंटन हेतु आवेदन प्राप्त करने के लिये ई–टेण्डरिंग किया गया है।

10.9.7 डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं व्यापार परिसर, नई राजधानी, रायपुर :– छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के उपरांत से एक दशक की अवधि में व्यापार एवं उद्योग की दिशा में तीव्र गति से हुए विकास एवं राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश

तथा आयात–निर्यात की अपार संभावनाओं को देखते हुए राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले, प्रदर्शनी, कान्फ्रेन्स, सेमिनार इत्यादि के लिये एक सर्व सुविधायुक्त ट्रेड सेंटर जिसमें आयात–निर्यात से संबंधित गतिविधियों के लिये एक्सपोर्ट फेसिलिटेशन सेंटर का प्रावधान भी हो, के निर्माण की आवश्यकता को दृष्टिगत् रखते हुए राज्य शासन द्वारा नई राजधानी क्षेत्र के ग्राम तूता में छत्तीसगढ़ ट्रेड सेंटर की स्थापना की जा रही है। उक्त परियोजना का निर्माण कार्य नोडल एजेन्सी छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा नया रायपुर में नया रायपुर डेव्हलपमेंट एजेंसी से पट्टे पर प्राप्त कुल 100 एकड़ भूमि पर किया जा रहा है। कुल पुनरीक्षित परियोजना लागत रू. 192.14 करोड़ है।

वर्तमान में इस आयोजन स्थल पर प्रत्येक वर्ष लगभग 7–8 विभिन्न प्रकार के बड़े एवं मध्यम स्तर के औद्योगिक एवं व्यापार मेलों/प्रदर्शनी का आयोजन विभिन्न संगठनों के द्वारा किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना दिवस पर प्रत्येक वर्ष राज्योत्सव के वृहद् कार्यक्रम का आयोजन माह नवम्बर में किया जाता है, इसके अतिरिक्त वर्ष 2012 में राज्य में प्रथम बार ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन भी इस विकसित हो रहे परिसर में सफलतापूर्वक किया गया है। वर्ष 2016 में देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी की गरिमामय उपस्थिति में राज्योत्सव का आयोजन किया गया है। वर्ष 2017 में भारत के माननीय राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति जी की गरिमामय उपस्थिति में राज्योत्सव का सफलता पूर्वक आयोजन किया गया।

वर्तमान में उपरोक्त परियोजना के अंतर्गत कुछ आंतरिक सड़कों के साथ–साथ प्रदर्शनी परिसर, कल्चरल प्रोग्राम ग्राऊण्ड, पाथवेज एवं बाऊण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त Export Facilitation cum Convention Centre तथा Cultural Programme Stage का निर्माण कार्य प्रगति पर है। राज्य शासन के बजट से राशि की उपलब्धता के आधार पर उपरोक्त परियोजना चालू वित्तीय वर्ष के अतिरिक्त आगामी 03 वर्षों अर्थात् 2019–20 में पूर्ण किया जाना संभावित है।

10.9.8 निर्यात अधोसंरचना व सहायक गतिविधियों के विकास हेतु सहायता योजना (ASIDE) :- भारत सरकार की एसाईड योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 में प्राप्त राशि से डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं व्यापार परिसर, ग्राम तूता, नया रायपुर में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यापार मेलों के साथ–साथ निर्यात प्रोत्साहन से संबंधित सेमीनार, वर्कशॉप, व्यावसायिक सम्मेलन, प्रदर्शनी इत्यादि के आयोजन के दृष्टिकोण से एक्सपोर्ट फेसिलिटेशन कम कन्वेंशन सेंटर का निर्माण कुल लागत राशि रू. 24.05 करोड़ से किया जा रहा है। उपरोक्त परियोजना निर्माण कार्य हेतु रू. 19.10 करोड़ की राशि केन्द्र सरकार से एसाईड योजनांतर्गत स्वीकृत है, शेष राशि राज्य शासन द्वारा प्रदान की जा रही है। वर्ष 2015–16 से केन्द्र शासन द्वारा उपरोक्त योजना को Delink कर दिया गया है। जिसके फलस्वरूप योजना के अंतर्गत वर्तमान में चल रहे कार्यों (Ongoing works) को पूर्ण करने के लिये शेष राशि राज्य शासन द्वारा प्रदान की जा रही है।

10.10 अन्य मुख्य कार्यकलाप

- नई दिल्ली में प्रतिवर्ष 14 नवंबर से 27 नवंबर तक आयोजित होने वाले भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2017 में छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व ''सी0एस0आई0डी0सी0'' द्वारा नोडल एजेंसी के रुप सफलतापूर्वक किया गया जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य के पेवेलियन को विशेष पुरस्कार प्राप्त हुआ है ।

- विभाग के उपक्रम सी0एस0आई0डी0सी0 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के औद्योगिक विकास हेतु देश–विदेश के औद्योगिक समूहों/उद्योगपतियों की राज्य में औद्योगिक निवेश हेतु रूचि जागृत करने के लिए आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने की दृष्टि से तैयार की गई वेबसाइट को और अधिक व्यवस्थित किया गया है। इसमें राज्य के वर्तमान औद्योगिक परिदृश्य प्राकृतिक संसाधनों, सामाजिक अधोसंरचना, नीतियां तथा स्थापित विकास केन्द्रों की जानकारी उपलब्ध कराई गई है। इस वेबसाइट का पता www.csidc.in है।

10.11 उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण :– इस सर्वेक्षण में कारखाना अधिनियम 1948 कं अंतर्गत पंजीकृत समस्त फैक्ट्री,

बीड़ी एवं सिगार कर्मचारी (रोजगार की शर्तें) अधिनियम 1966 के अंतर्गत पंजीकृत उद्यमों को शामिल किया जाता है। विगत उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण (2009–10 से 2014–15) का मदवार विवरण नीचे दर्शित तालिका 10.13 में दिया गया है। इस तालिका से स्पष्ट होता है, कि वर्ष 2014–15 में कुल उत्पादन में 13.0 प्रतिशत, कुल आदाय में 19.6 प्रतिशत वृद्धिएवं सकल वैल्यू एडेड में 3.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण 2014–15 के आधार पर प्रति इकाई निष्पादन का विस्तृत विवरण तालिका 10.14 में दर्शित है।

तालिका 10.13 छत्तीसगढ़ राज्य में कारखाना क्षेत्र की चयनित विशेषताओं का अनुमान (लाख रू.)

क्र.	विशेषताएं	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	प्रतिशत वृद्धि
1	कारखानों की संख्या	1976	2358	2472	2441	2534	2809	10.9
2	स्थायी पूंजी	3372131	3474615	5063241	6030773	6408052	7793471	21.6
3	कार्यशील पूंजी	3277255	3767631	3855561	4994654	5035782	7022346	39.4
4	पूँजी निवेश	4412078	4837395	6706860	7916990	8091611	9709592	20.0
5	बकाया ऋण	1584772	2147287	2598125	3930857	3318023	3642340	9.8
6	कुल उत्पादन	6778083	7954481	9301415	10352834	10599069	11977648	13.0
7	कच्चे माल का उपयोग	3673754	4765651	5750115	6183728	5976498	6873188	15.0
8	ईंधन खपत	580792	617095	775441	879555	890129	1116519	25.4
9	कुल आदाय	5229752	6408069	7749533	8514861	8153091	9751457	19.6
10	सकल वेल्यू एडेड	1548331	1546412	1551883	1837972	2157709	2226191	3.2
11	शुद्ध वेल्यू एडेड	1328067	1286739	1260536	1521724	2125353	1815125	-14.6
12	सकल स्थायी पूंजी निर्माण	728887	658883	1061518	1072289	1232281	1407004	14.2
13	सकल पूंजी निर्माण	815612	968007	1254107	1169576	1300026	1339751	3.1
14	लाभ	8670321	647719	543238	669450	1261218	805046	-36.2

Source - mospi.gov.in

तालिका 10.14 छत्तीसगढ़ राज्य में कारखाना क्षेत्र की प्रति इकाई निष्पादन

क्र.	सूचक	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15 (P)	% वृद्धि
1	स्थायी पूंजी	1707	1474	2048	2471	2529	2774	9.7
2	कार्यशील पूंजी	1659	1598	1560	2046	1987	2500	25.8
3	पूंजी निवेश	2233	2051	2713	3243	3193	3457	8.3
4	बकाया ऋण	802	911	1051	1610	1309	1297	-0.9
5	कुल उत्पादन	3430	3373	3763	4241	4183	4264	1.9
6	कच्चे माल का उपयोग	1859	2021	2326	2533	2359	2447	3.7
7	ईंधन खपत	294	262	314	360	351	397	13.2
8	कुल आदाय	2647	2718	3135	3488	3217	3472	7.9
9	सकल वेल्यू एडेड	784	656	628	753	852	793	-7.0
10	शुद्ध वेल्यू एडेड	672	546	510	623	839	646	-23.0
11	सकल स्थायी पूंजी निर्माण	369	279	429	439	486	501	3.1
12	सकल पूंजी निर्माण	413	411	507	479	513	477	-7.0
13	लाभ	4388	275	220	274	498	287	-42.5

10.12 छत्तीसगढ़ राज्य में महत्वपूर्ण उद्योगों का योगदानः—उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण 2014—15 से यह स्पष्ट होता है कि राज्य में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तीन उद्योग है— खाद्य उत्पादों का विनिर्माण, गैर धात्विक उत्पादों का विनिर्माण है तथा मूल धात्विक उत्पादन, जिसका सकल घरेलू उत्पाद में 3.7 प्रतिशत, 12.1 प्रतिशत एवं 71.6 प्रतिशत क्रमशः योगदान रहा। जिसका विवरण सारणी 10.15 में दर्शाया गया है —

तालिका 10.15 छत्तीसगढ़ राज्य में कारखाना क्षेत्र में तीन महत्वपूर्ण उद्योगों का योगदान (लाख रू.) वर्ष 2014—15

क्र.	महत्वपूर्ण उद्योगों का योगदान (लाख रू.)					उद्योगों का प्रतिशत योगदान		
	विशेषताएं	All	10	23	24	10	23	24
1	कारखानों की संख्या	2809	1126	229	576	40.1	8.2	20.5
2	स्थायी पूंजी	7793471	142831	883388	5740680	1.8	11.3	73.7
3	कार्यशील पूंजी	7022346	123842	-60018	6905848	1.8	-0.9	98.3
4	पूंजी निवेश	9709592	324640	1013087	7045569	3.3	10.4	72.6
5	बकाया ऋण	3642340	106525	499500	2650026	2.9	13.7	72.8
6	कुल उत्पादन	11977648	1016533	885771	8695445	8.5	7.4	72.6
7	कच्चे माल का उपयोग	6873188	553646	278444	5426813	8.1	4.1	79.0
8	ईंधन खपत	1116519	29124	165379	795291	2.6	14.8	71.2
9	कुल आदाय	9751457	933814	615608	7101228	9.6	6.3	72.8
10	**सकल वेल्यू एडेड**	2226191	82719	270163	1594217	3.7	12.1	71.6
11	शुद्ध वेल्यू एडेड	1815125	65758	207420	1330084	3.6	11.4	73.3
12	सकल स्थायी पूंजी निर्माण	1407004	30638	288036	822411	2.2	20.5	58.5
13	सकल पूंजी निर्माण	1339751	21347	319366	704874	1.6	23.8	52.6
14	लाभ	805046	19044	153658	542000	2.4	19.1	67.3
15	कामगारों की संख्या की संख्या	142799	17965	7842	82497	12.6	5.5	57.8
16	कुल नियोजित कर्मचारी	179324	23468	10926	101483	13.1	6.1	56.6
17	कामगारों को मजदूरी	284683	15712	13721	218602	5.5	4.8	76.8
18	कुल परिलब्धियां	544824	26541	35066	412075	4.9	6.4	75.6

स्त्रोत — उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण 13—14 10 (NIC'08)= खाद्ध उत्पादों काविनिर्माण, 23 (NIC'08)= गैर धात्विक उत्पादों का विनिर्माण(सीमेंट सहित), 24 (NIC '08) = मूल धात्विक उत्पादों का विनिर्माण

10.13 अखिल भारत एवं छत्तीसगढ़ राज्य की तुलनाः— नवीनतम उपलब्ध ASI 2013—14 के परिणामों से यह स्पष्ट होता है कि भारत की तुलना में छत्तीसगढ़ में स्थायी पूंजी, कार्यशील पूंजी, पूंजी निवेश एवं बकाया ऋण में न्यूनतम बढ़ोत्तरी हुई जिस कारण सकल पूंजी निर्माण में बढ़ोत्तरी हुई है। परंतु कुल उत्पादन में कमी होने से सकल वैल्यू एडेड में छत्तीसगढ़ का अंश कम हुआ है। तथापि पूंजी निर्माण में बढ़ोत्तरी भविष्य में लाभदायक प्रतीत होती है।

तालिका 10.16 अखिल भारत एवं छतीसगढ़ राज्य का कारखाना क्षेत्र का तुलनात्मक विवरण (लाख रू.)						
विशेषताएं	2013–14 (P)			2014–15 (P)		
	अखिल भारतीय	छत्तीसगढ़	भारत में छ.ग. का प्रतिशत भाग	अखिल भारतीय	छत्तीसगढ़	भारत में छ.ग. का प्रतिशत भाग
कारखानों की संख्या	224576	2534	1.1	230435	2809	1.2
स्थायी पूंजी	237371903	6408052	27.0	247445461	7793471	3.1
कार्यशील पूंजी	66268577	5035782	7.6	64084031	7022346	11.0
पूंजी निवेश	338455535	8091611	2.4	351396431	9709592	2.8
बकाया ऋण	122209355	3318023	2.7	115219520	3642340	3.2
कुल उत्पादन	655525116	10599069	1.6	688633458	11977648	1.7
कच्चे माल का उपयोग	423046161	5976498	1.4	435109973	6873188	1.6
ईंधन खपत	29850770	890129	3.0	29899690	1116519	3.7
कुल इनपुट	5490113952	8153091	0.1	572225529	9751457	1.7
सकल वेल्यू एडेड	106511163	2445977	2.3	116407929	2226191	1.9
सकल स्थायी पूंजी निर्माण	35373809	1232281	3.5	32359589	1407004	4.3
सकल पूंजी निर्माण	42184321	1300026	3.1	34461410	1339751	3.9
लाभ	43956552	1261218	2.9	45965978	805046	1.8
श्रमिक संख्या	10444404	131032	1.3	10755288	142799	1.3
काम में लगे कुल व्यक्ति	13538114	166236	1.2	13881386	179324	1.3

10.14 औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक (IIP) द्वारा औद्योगिक क्षेत्र के विकास की दर मापी जाती है। विश्व के लगभग सभी देशों में इस सूचकांक का आकलन किया जाता है। इसके अलावा भारत के प्रमुख राज्य में भी राज्य स्तरीय औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक तैयार किए जाते हैं। छतीसगढ़ में इस सूचकांक के तैयार नहीं होने के कारण भारत के सूचकांक को मानते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय संपूर्ण भारत के लिए मासिक IIP संकलन कर जारी करता है।

तालिका 10.17 औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक							
क्षेत्र	भार (Weight)	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक		औद्योगिक उत्पादन सूचकांक अप्रैल से नवम्बर		प्रतिशत वृद्धि	
		नव 16	नव 17	2016–17	2017–18	नव.	अप्रैल से नवम्बर
सामान्य सूचकांक	100	115.9	125.6	117.8	121.6	8.4	3.2
खनन	14.37	106.2	107.4	95.5	98.4	1.1	3.0
विनिर्माण	77.63	115.7	127.5	119.3	123.0	10.2	3.1
विद्युत	7.99	134.9	140.1	143.1	150.5	3.9	5.2
स्त्रोत– mospi.gov.in							

ग्रामोद्योग (रेशम प्रभाग)

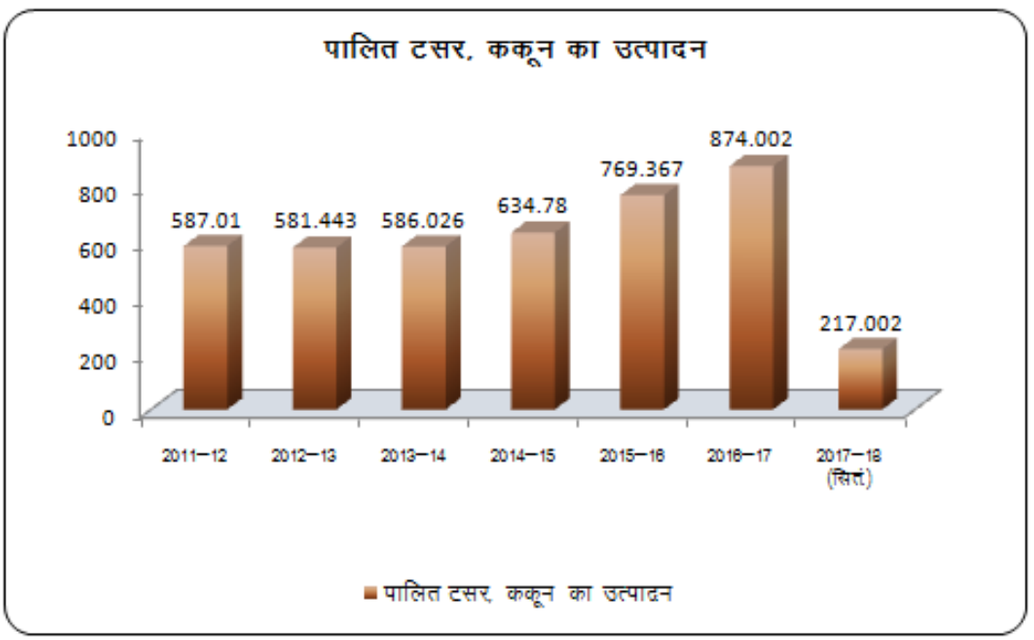
10.15 प्रदेश में टसर कृमि पालन का कार्य परंपरागत है। संचालित योजना के माध्यम से ग्रामीण अंचल में निवास कर रहे स्थानीय निर्धन, विशेष कर अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के गरीब परिवारों को स्वरोजगार उपलब्ध कराना है। छत्तीसगढ़ राज्य में दो प्रकार की रेशम प्रजातियों टसर एवं मलबरी का उत्पादन होता है।

10.15.1 पालित डाबा टसर ककून उत्पादन योजना :–

इस योंजना के अंतर्गत प्रदेश में उपलब्ध साजा–अर्जुन के टसर खाद्य पौधों पर टसर कीट पाले जाते है। इस योजना को अपनाने के लिये हितग्राहियों को किसी प्रकार की पूंजी निवेश की आवश्यकता नही होती है। ऐसे कृषक जिनकी स्वयं की भूमि पर पर्याप्त मात्रा में टसर खाद्य पौधे उपलब्ध है। इस योजना को अपना कर स्वरोजगार प्राप्त कर सकते हैं। विभाग द्वारा टसर स्वस्थ्य डिम्ब समूह रियायती दर पर 2.00 प्रति स्व.समूह (अंडे) की दर से प्रति कृषक को 100 स्वस्थ्य डिम्ब समूह उपलब्ध कराया जाता है। जिससे वर्ष में तीन फसल कृषकों द्वारा उत्पादित की जा सकती है। प्रत्येक फसल में 8000 से 10000 टसर कोसा का उत्पादन कर 500 रू से 3000 रू. प्रति हजार मूल्य कृषकों द्वारा प्राप्त किया जा रहा है ,उक्त योजना प्रदेश के 27 जिलों में संचालित 381 टसर केन्द्रों एवं नवीन (राजस्व/वन भूमि) विस्तार केन्द्र तथा चिन्हांकित वन क्षेत्रों में योजना कियान्वित की जा रही है। वर्ष 2016–17 में पालित डाबा टसर ककून का प्रस्तावित लक्ष्य 1050.65 लाख नग के विरूद्व मार्च–17 तक 766.430 लाख नग (रेशम प्रभाग द्वारा) 16.676 लाख एन.जी.ओ.द्वारा तथा प्रदेश में केन्द्र शासित ईकाई (सीएसबी) द्वारा 90.896 लाख नग इस प्रकार **कुल 874.002 लाख नग पालित टसर ककून का उत्पादन किया गया है,** जिससे मार्च–17 अंत तक कुल 33639 हितग्राही/श्रमिक लाभान्वित हुये हैं। वर्ष 2017–18 में कुल 1050.24 लाख नग पालित कोसा का उत्पादन लक्ष्य प्रस्तावित है तथा 31132 हितग्राही/श्रमिको को लाभान्वित करना प्रस्तावित है, जिसके विरूद्व माह सितम्बर–17 तक कुल 217.494 लाख नग कोसा उत्पादन किया गया जिससे 16225 हितग्राही/श्रमिकों को लाभान्वित किया गया है, कृमिपालन कार्य प्रगति पर है।

तालिका 10.18 विगत वर्षों में पालित टसर, ककून का उत्पादन

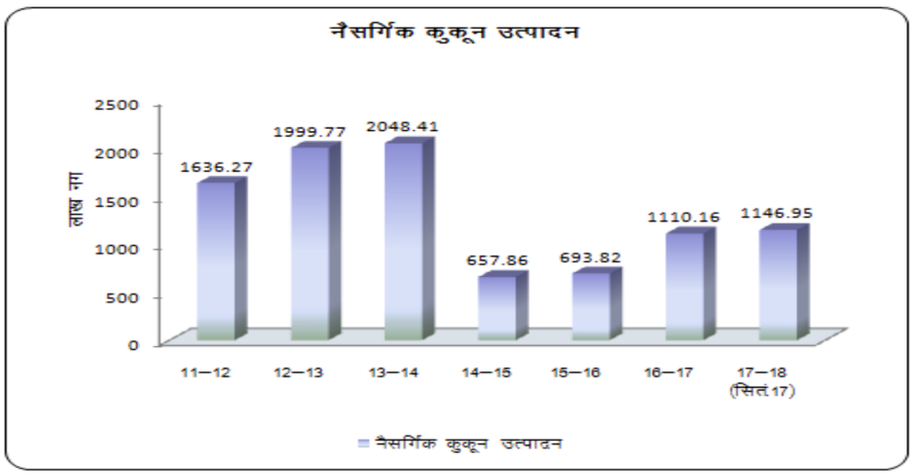
क्र.	विवरण	इकाई	11–12	12–13	13–14	14–15	15–16	16–17	17–18 (सितं 17)
1	पालित टसर	लाख नग में	587.01	581.443	586.026	634.780	769.367	874.002	217.002
2	लाभान्वित हितग्राही	संख्या	16962	20872	18493	22525	34587	33639	31132



10.15.2. नैसर्गिक बीज प्रगुणन एवं कोसा संग्रहण योजना :– वर्ष 2016–17 में नैसर्गिक ककून उत्पादन 1110.157 लाख ककून का उत्पादन/संग्रहण कर 44009 संग्राहकों हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2017–18 में नैसर्गिक ककून का प्रस्तावित लक्ष्य 1215.27 लाख नग विरूद्व माह सितम्बर–17 तक कुल 1146.950 लाख नग उत्पादन किया गया जिससे 28025 हितग्राही/संग्रहक लाभान्वित हुये हैं ,कार्य प्रगति पर है।

तालिका 10.19 विगत वर्षों में नैसर्गिक ककून का उत्पादन

क्र.	विवरण	इकाई	11–12	12–13	13–14	14–15	15–16	16–17	17–18 (सितं.17)
1	लगाए गए कैम्प	संख्या	83	138	164	72	168	224	559
2	नैसर्गिक कुकून उत्पादन	लाख नग	1636.27	1999.77	2048.41	657.86	693.82	1110.16	1146.95
3	लाभान्वित हितग्राही	संख्या	52366	62869	83866	21469	29042	44009	28025



10.15.3 टसर धागा करण योजना:– प्रदेश के विभिन्न जिलों में 2007 रीलिंग एवं स्पीनिंग मशीन प्रदाय की गई हैं। योजनान्तर्गत 183 महिला स्व–सहायता धागाकरण समूह कार्यरत हैं। वर्ष 16–17 में सांख्यिकी आधार पर 353.18 मि.टन. रा–स्पन सिल्क उत्पादित किया गया। तथा वर्ष 17–18 में सांख्यिकी आधार पर माह सित. 17 तक 262 मि.टन रा–स्पन सिल्क एवं स्पन उत्पादन किया गया।

तालिका 10.20 विगत वर्षों में रा–सिल्क एवं स्पन सिल्क का उत्पादन विवरण

विवरण	इकाई	11–12	12–13	13–14	14–15	15–16	16–17	17–18 (सितं.17)
टसर रा–सिल्क एवं स्पन धागा	मि.टन	298.608	387.183	394.715	226.788	254.168	353.13	262.00

10.15.4 मलबरी रेशम विकास एवं विस्तार योजना:– प्रदेश में 74 रेशम केन्द्र/रेशम बीज केन्द्र 11 ककून बैंक, 04 यार्न बैंक संचालित हैं। वर्ष 2016–17 में 60502 किलोग्राम मलबरी ककून उत्पादन कर कुल 2675 हितग्राही/श्रमिक लाभान्वित किया गया है, वर्ष 2017–18 में 72600 किलोग्राम लक्ष्य के विरूद्वमाह सितम्बर–2017 अंत तक कुल 14194 किलोग्राम मलबरी ककून का उत्पादन किया गया है जिससे कुल 1519 हितग्राही/श्रमिको को लाभान्वित किया जा रहा है कृमिपालन कार्य प्रगति पर है।

तालिका 10.21 विगत वर्षों में पालित मलबरी, ककून का उत्पादन

क्र.	विवरण	इकाई	11–12	12–13	13–14	14–15	15–16	16–17	17–18 (सितं. 17)
1	मलबरी ककून उत्पादन	कि.ग्रा.	52340	54488	64911	66278	68918	60501	14194
2	लाभान्वित हितग्राही/श्रमिक	संख्या	1629	2297	2596	3457	3242	2675	1519

रेशम प्रभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं के माध्यम से वर्ष 2016–17 में कुल 80331 हितग्राही/श्रमिकों को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2017–18 में 81061 हितग्राही/श्रमिक लाभान्वित का लक्ष्य रखा गया है, जिसके विरूद्ध समस्त रेशम योजनाओं से माह सितंबर 17 तक कुल 45769 हितग्राही/श्रमिकों को लाभान्वित किया गया।

ग्रामोद्योग (हाथकरघा)

10.16 ग्रामीण अर्थव्यवस्था मे हाथकरघा उद्योग का रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। यह उद्योग हाथकरघा बुनाई के परंपरागत धरोहर को अक्षुण्ण बनाए रखने के साथ ही बुनकर समुदाय के सामाजिक, सांस्कृतिक परंपराओं को प्रतिबिंबित करता है। छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 16699 करघों पर लगभग 50091 बुनकर प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार में संलग्न हैं। राज्य के चांपा–जांजगीर एवं रायगढ़ जिला कोसा वस्त्र उत्पादक क्षेत्र हैं, तथा रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, महासमुन्द, कवर्धा, धमतरी, अंबिकापुर एवं जगदलपुर सूती वस्त्र उत्पादक क्षेत्र है। राज्य का कोसा वस्त्र एवं जगदलपुर के परंपरागत वस्त्र राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात है।

तालिका 10.22 हाथकरघा क्षेत्र में बुनकर सहकारी समितियां रोजगार

क्र	विवरण	वर्षवार प्रगति		
		2014–15	2015–16	2016–17
1	बुनकरसमितियां	210	214	230
2	कार्यशीलकरघे	15997	15997	16699
3	बुनाईरोजगार	46671	47991	50091

10.16.1 नेशनल हेण्डलूम एक्सपो एवं हाथकरघा प्रदर्शनी :– प्रदेश के हाथकरघा बुनकरों द्वारा उत्पादित वस्त्रों के विपणन को प्रोत्साहित करने हेतु भारत सरकार एवं राज्य शासन के सहयोग से हाथकरघा संघ द्वारा वर्ष 2016–17 में रायपुर तथा बिलासपुर में स्पेशल हेण्डलूम एक्सपो किया गया। स्पेशल हेण्डलूम एक्सपो बिलासपुर, कोटा (राजस्थान), भोपाल (मध्यप्रदेश), विशाखापटनम (आन्ध्रप्रदेश), कलकता (पं. बंगाल), मुम्बई (महाराष्ट्र) तथा भुवनेश्वर (उड़ीसा) में आयोजित किया गया। हाथकरघा संघ द्वारा जिला स्तरीय प्रदर्शनी जगदलपुर, कवर्धा, जशपुर, अंबिकापुर, धमतरी, बलौदाबाजार, महासमुंद तथा मुंगेली में आयोजित किया गया।

तालिका 10.23 नेशनल हेण्डलूम एक्सपो एवं हाथकरघा

वर्ष	प्रदर्शनी हेतु आबंटन राशि			हाथकरघा वस्त्रों की बिक्री
	राज्य	केन्द्र	योग	
2009–10	51.68	56.00	107.68	550.05
2010–11	52.53	96.00	148.89	736.85
2011–12	60.00	192.00	252.00	1221.30
2012–13	60.00	204.00	264.00	1250.00
2013–14	61.00	112.00	173.00	836.00
2014–15	61.00	112.00	173.00	976.00
2015–16	61.00	128.00	189.00	987.50
2016–17	62.00	46.00	108.00	311.00

10.16.2 शासकीय विभागों में हाथकरघा वस्त्र प्रदाय :–छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवंविपणन सहकारी संघ द्वारा प्रदेश के बुनकर सहकारी समितियों के माध्यम से शासकीय वस्त्र प्रदाय योजनांतर्गत वस्त्र उत्पादन कार्यक्रम संचालित है। इस योजनांतर्गत शासकीय विभागों में लगने वाले वस्त्रों की आपूर्ति, प्रदेश के हाथकरघा बुनकरों से उत्पादन कराकर की जा रही है। इस योजना से राज्य के बुनकरों को नियमित रोजगार सुलभ हुआ है।

तालिका 10.24 शासकीय वस्त्र प्रदाय योजना से नियमित रोजगार

क्र.	विवरण	वर्षवार प्रगति		
		2014–15	2015–16	2016–17
1	आपूर्ति	122.05	147.00	158.00
2	धागाप्रदाय	44.73	55.32	60.00
3	बुनाईपारिश्रमिक	30.47	38.73	50.00

तालिका 10.25 परिवार मूलक योजना की प्रगति (राशि लाखं)

वर्ष	लक्ष्य			पूर्ति		
	भौतिक	वित्तीय	रोजगार	भौतिक	वित्तीय	रोजगार
2015–16	3797	512.50	7594	3667	495.054	7334
2016–17	3794	512.50	7588	3794	512.50	7588
2016–17 (सितं.)	3794	512.50	7588	474	63.99	948
2017–18 (सितं.)	489	512.50	2934	-	-	-

10.17 छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

छत्तीसगढ़ राज्य में खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का मुख्य उददेश्य ग्रामीण अंचलों में खादी तथा ग्रामोद्योगों की इकाई स्थापना कराना है तथा उन्नत तकनीक के द्वारा प्रशिक्षण प्रदान कर कारीगरों एवं दस्तकारों तथा सूत कातने वाली महिलाओं को रोजगार के व्यापक अवसर सृजित करना है। बोर्ड द्वारा प्रमुख रूप से कियान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है :–

तालिका 10.26 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की प्रगति (राशि लाख)

वर्ष	लक्ष्य			पूर्ति		
	भौतिक	वित्तीय	रोजगार	भौतिक	वित्तीय	रोजगार
2015–16	646	1291.40	5165	338	707.969	1941
2016–17	674	1347.99	5392	605	1485.33	4840
2016–17 (सितं.)	674	1347.99	5392	315	810.162	2196
2017–18 (सितं.)	1519	3012.50	12150	140	336.05	1120

तालिका 10.27 कारीगर प्रशिक्षण कार्यक्रम की प्रगति (राशि लाख रू. में)

वर्ष	लक्ष्य		पूर्ति	
	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
2015–16	201	45.39	201	44.94
2016–17	213	45.39	213	45.39
2016–17 (सितं)	213	45.39	Nil	Nil
2017–18	201	48.43	-	-

10.17.1 मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम :– छ.ग. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित परिवार मूलक योजना को संशोधित कर मुख्यमंत्री रोजगार एवं सृजन कार्यक्रम नवीन योजना की स्वीकृति दी गई है। योजनांतर्गत परियोजना लागत राशि सेवा क्षेत्र हेतु रू. 1.00 लाख एवं विनिर्माण क्षेत्र हेतु रू. 3.00 लाख तथा अनुदान राशि की सीमा 35 प्रतिशत है, जिसमें लाभार्थी द्वारा स्वयं अंशदान विनियोजन 5 प्रतिशत है।

तालिका 10.28 खादी उत्पादन कार्यक्रम की प्रगति (राशि लाख रू. में)

वर्ष	लक्ष्य		पूर्ति	
	वित्तीय	रोजगार	वित्तीय	रोजगार
2015–16	266.00	500	218.18	491
2016–17	292.60	507	291.51	507
2016–17 (सितं)	299.60	700	143.77	620
2017–18 (सितं)	644.00	507	169.20	507

10.17.2 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम :– इस योजनांतर्गत रू. 25.00 लाख तक के परियोजना लागत की ग्रामोद्योग इकाईयां स्थापित करने पर सामान्य पुरूष वर्ग को 25 **प्रतिशत** तथा अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. व महिलाओं को 35 **प्रतिशत** मार्जिन मनी अनुदान बोर्ड द्वारा बैंको के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। सामान्य वर्ग के पुरूष को परियोजना लागत का 10 **प्रतिशत** तथा अन्य को 5 **प्रतिशत** स्वयं का अंशदान विनियोजित करना अनिवार्य है।

तालिका 10.29 बांस कला/शिल्प कार्यक्रम की प्रगति (राशि लाख रू. में)

वर्ष	विवरण	लक्ष्य		पूर्ति	
		वित्तीय	रोजगार	वित्तीय	रोजगार
2015–16	उत्पादन	12.00	40	14.00	13.20
	विक्रय	13.00	विभागीय	13.15	विभागीय
2016–17	उत्पादन	13.20	40	36.56	40
	विक्रय	15.40	विभागीय	36.16	विभागीय
2016–17 (सितं.)	उत्पादन	13.20	40	7.93	40
	विक्रय	15.40	विभागीय	9.23	विभागीय
2017–18 (सितं.)	उत्पादन	14.52	40	16.09	40
	विक्रय	17.00	विभागीय	17.26	विभागीय

10.17.3 कारीगर प्रशिक्षण :– इस योजनांर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत युवक – युवतियों को ग्रामोद्योग स्थापना संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि वे अपना स्वरोजगार स्थापित कर उसे सफलता पूर्वक संचालित कर सकें।

तालिका 10.30 विभागीय खादी ग्रामोद्योग विक्रय भंडार की प्रगति (राशि लाख रू. में)

वर्ष	विवरण	लक्ष्य		पूर्ति	
		वित्तीय	रोजगार	वित्तीय	रोजगार
2015–16	विक्रय	360.00	विभागीय	371.18	विभागीय
2016–17	विक्रय	396.00	विभागीय	438.02	विभागीय
2016–17 (सितं.)	विक्रय	396.00	विभागीय	109.80	विभागीय
2017–18 (सितं.)	विक्रय	435.60	विभागीय	87.00	विभागीय

10.17.4 खादी उत्पादन :–खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित 8 उत्पादन केन्द्र संचालित हैं, जहां ग्रामीण महिलाओं को अम्बर चरखा से सूत कताई का कार्य नियमित रूप से दिया जा रहा है एवं बुनकरों द्वारा खादी वस्त्र का उत्पादन किया जाता है।

10.17.5 बांस कला/शिल्प :– बस्तर जिले में छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा बांसकला शिल्प केन्द्र संचालित हैं। इसमें आदिवासी महिलाओं के माध्यम संस्कृति में कलात्मक वस्तुयें तैयार कर प्रदेश के भीतर एवं बाहर बिक्री एवं प्रचार–प्रसार किया जाता है, इस केन्द्र पर 40 अनुसूचित जनजाति वर्ग की ग्रामीण महिलाओं को रोजगार प्राप्त होता है।

10.17.6 विभागीय खादी ग्रामोद्योग विक्रय भंडार :– इसके अंतर्गत रायपुर, बिलासपुर एवं जगदलपुर में स्थित खादी ग्रामोद्योग भंडारों के माध्यम से खादी उत्पादन केन्द्रों, बांस कला केन्द्र एवं बोर्ड के माध्यम से लाभान्वित ग्रामोद्योग इकाईयों द्वारा उत्पादित सामग्रियों का विक्रय किया जा रहा है।

विद्युत एवं आधारभूत संरचना

11

अध्याय

11 विद्युत एवं आधारभूत संरचना

मुख्य बिन्दु -

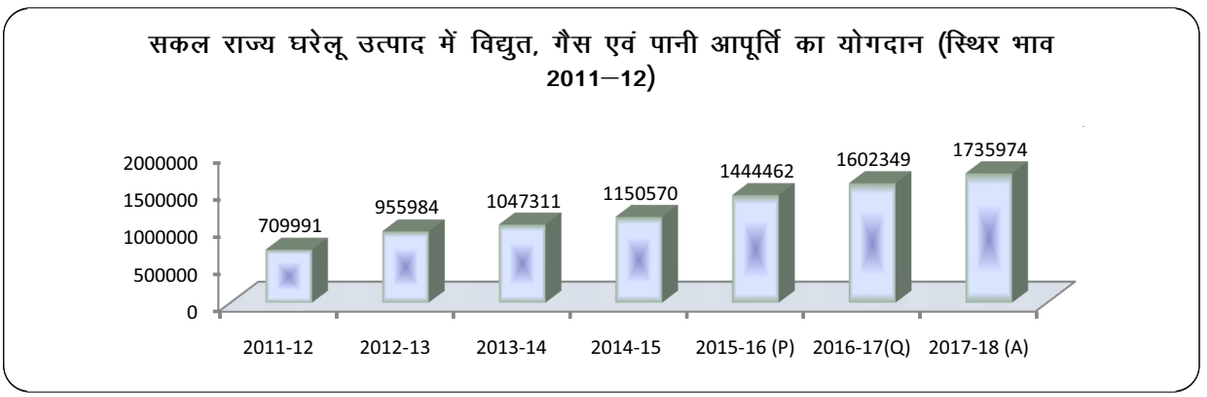
- विद्युत क्षेत्र (गैस एवं जल आपूर्ति सहित) की वर्ष 2017-18 (A) में भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद में 1735974 लाख रूपए है।
- राज्य की स्वयं की विद्युत उत्पादन की कुल क्षमता (नवंबर 2000) 1360 मेगावाट से बढ़कर (नवंबर 2017 तक) 3424.70 मेगावाट हो गई है। इस प्रकार 17 वर्षों में स्थापित क्षमता में 152 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- विद्युत वितरण हानि सतत् कम हो रही है। जबकि विद्युत उपलब्धता में क्रमशः वृद्धि हो रही है। जहाँ विद्युत वितरण हानि वर्ष 2009-10 के 31.5 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2016-17 में 18.56 प्रतिशत हो गया है।
- 2016-17 की स्थिति में राज्य के 19567 (2011 की जनगणना) ग्रामों से 19225 (98.25 प्रतिशत) ग्राम विद्युतीकृत है।
- वर्ष 2016-17 के अंत में कुल विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या 47.43 लाख है।
- प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 3222 कि.मी.।
- वर्ष 2016-17 में 3339 कि.मी. सड़कों का निर्माण एवं उन्नयन किया गया।
- वर्ष 2016-17 में विद्युत उपभोक्ताओं से राशि रू. 1121.17 करोड़ राजस्व संग्रहण किया गया।

विद्युत

11.1 आर्थिक विकास में विद्युत की उपलब्धता की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ–साथ व्यक्ति विशेष के जीवन स्तर को भी बेहतर करता है। सम्पत्ति निर्माण एवं विद्युत उपयोग में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। राज्य में अनुकूल परिस्थितियों, संसाधनों की प्रचुरता आदि के कारण विद्युत क्षेत्र में तीव्र वृद्धि परिलक्षित हो रही है। जो नीचे दी गई तालिका में दर्शाए गए ऑकड़ों से स्पष्ट होता है।

तालिका 11.1 सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विद्युत, गैस एवं पानी आपूर्ति का योगदान (स्थिर भाव 2011–12)

मद	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16 (P)	2016-17(Q)	2017-18 (A)
योगदान लाख रू. में	709991	955984	1047311	1150570	1444462	1602349	1735974
वृद्धि (प्रतिशत)		34.65	9.55	9.86	25.54	10.93	8.34
हिस्सा (प्रतिशत)	4.78	6.15	6.07	6.56	7.85	8.03	8.16



11.1.1 राज्य निर्माण के पश्चात् छत्तीसगढ़ राज्य ने वर्ष 2000 से अभी तक विद्युत उत्पादन का केन्द्र बनने में लंबा सफर तय किया है। राज्य, देश में तापीय कोयले के सबसे बड़े उत्पादकों में एक है।

11.1.2 स्थापित क्षमता में अधिकांश बढ़ोत्तरी निजी (तापीय) क्षेत्र में हो रही है। राज्य की स्वयं की तापीय एवं जलीय विद्युत क्षमता पिछले 17 वर्ष में लगातार बढ़कर नवंबर 2017 की स्थिति में 3424.70 मेगावाट हो गई है।

तालिका 11.2 छत्तीसगढ़ राज्य में विद्युत उत्पादन एवं पारदर्शिता

क्षेत्र	चालिका शक्ति	उत्पादन (MU)			पी.एल.एफ. प्रतिशत	
		अप्रैल 16 से दिसम्बर 16	अप्रैल 17 से दिसम्बर 17	अंतर प्रति.	अप्रैल 16 से दिसम्बर 16	अप्रैल 17 से दिसम्बर 17
राज्यीय	तापीय	13038.087	15419.468	18.3	64.56	71.23
	जल विद्युत	172.918	227.203	31.39		
निजी	तापीय	18328	27946	52	37.4	44.4
केंद्रीय	तापीय	34148	35374	3.6	85.1	88.2
कुल		64016	76681			

11.2 छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडलः–

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों व लक्ष्य के विरूद्वअर्जित उपलब्धियों, राज्य शासन एवं केन्द्र शासन की विभिन्न योजनाओं की प्रगति आदि के साथ आगामी वित्त वर्ष 2017–18 हेतु निर्धारित विभिन्न लक्ष्यों, कार्यक्रमों की बिन्दुवार जानकारी निम्नानुसार है –

(I) **उत्पादन संकायः–**

(1) **विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता एवं विद्युत उत्पादन :–**

मंडल गठन के समय विद्युत उत्पादन की कुल स्थापित क्षमता 1,360 मेगावाट थी, जो विगत 17 वर्षों में अर्थात नवंबर, 2017 की स्थिति में बढ़कर 3424.70 मेगावाट हो गई है। इसमें 3280 मेगावाट ताप विद्युत, 138.7 मेगावाट जल विद्युत तथा 6 मेगावाट अन्य (सह–उत्पा.) की स्थापित क्षमता है।

तालिका 11.3 विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता एवं विद्युत उत्पादन

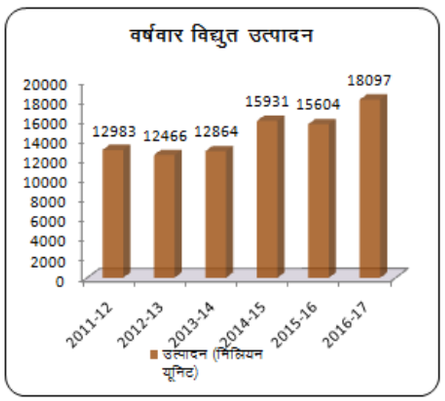
क्रं.	विद्युत परियोजना	क्षमता (मेगावाट)	परिचालन वर्ष
I	**ताप विद्युत गृह**		
1	कोरबा ताप विद्युत गृह कोरबा (पूर्व)		
	कोरबा पूर्व विद्युत गृह क्रमांक – II	4 X 50 =200	1966–68
	कोरबा पूर्व विद्युत गृह क्रमांक –III	2 X 120 =240	1976–81
2	डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह, कोरबा पूर्व	2 X 250=500	2007
3	हसदेव ताप विद्युत गृह, कोरबा पश्चिम	4 X 210=840	1983–86
4	कोरबा पश्चिम विस्तार संयंत्र	1 X 500=500	2013
5	मड़वा तेन्दूभाठा ताप विद्युत गृह, जांजगीर–चांपा	2 X 500=1000	2015–16
6	भोरमदेव सह–उत्पादन, कवर्धा	1 X 6 =6	2006
II	**जल विद्युत गृह –**		
1	मिनीमाता हसदेव–बांगो जल विद्युत गृह	3 X 40=120	1994–95
2	जल विद्युत गृह गंगरेल	4 X 2.5=10	2004
3	जल विद्युत गृह सिकासार	2 X 3.5=7	2006
4	लघु जल विद्युत गृह (कोरबा पश्चिम)	2 X 0.85=1.70	2003,2009
	योग	3424.70 MW	

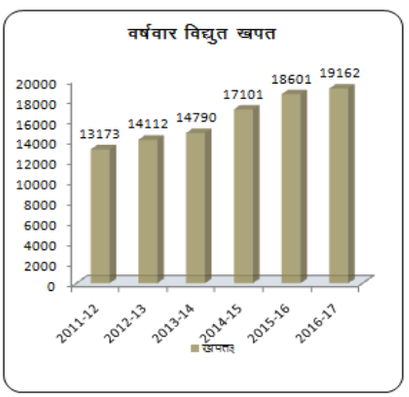
जिला जांजगीर–चांपा के समीपस्थ ग्राम मड़वा – तेंदुभाठा में (2 X 500) मेगावाट ताप विद्युत संयंत्र की इकाइयां स्थापित की गई है। इन इकाइयों द्वारा क्रमशः माह मार्च 2016 एवं जुलाई 2016 से व्यावसायिक उत्पादन प्रारंभ कर दिया गया है। जिससे राज्य के अपने विद्युत संयंत्रों की कुल स्थापित क्षमता 2424.70 मेगावाट से 41.24 प्रतिशत वृद्धि होकर 3424.70 मेगावाट हो गई है, इस प्रकार राज्य स्थापना के समय से स्थापित क्षमता में 152 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान 18097.428 मिलियन यूनिट (तापीय 17906.323 जलीय 184.529 एवं अन्य सह–उत्पादन 6.576 मिलियन यूनिट) विद्युत का उत्पादन किया गया जबकि वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान 15603.92 मिलियन यूनिट (तापीय 15278.50, जलीय 315.68 एवं अन्य सह–उत्पादन 9.74 मिलियन यूनिट) विद्युत का उत्पादन किया गया था।

तालिका क. 11.4 वर्षवार उत्पादन क्षमता, उत्पादन तथा खपत

वर्ष	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
उत्पादन क्षमता (मेगावाट)	1924.70	1924.70	2424.40	2424.70	3424.70	3424.70
उत्पादन (मिलियन यूनिट)	12982.78	12465.99	12863.54	15931.29	15603.92	18097.43
खपत (मिलियन यूनिट)	13173.00	14112.19	14789.89	17101.44	18600.63	19162.00





11.2.1 विद्युत उत्पादन संयंत्रों की विशिष्ट उपलब्धियाँ वर्ष 2015–16 :–

- वर्ष 2016 में मडवा–तेन्दूभाठा ताप विद्युत गृह(2x500) मेगावाट की प्रथम इकाई के 31 मार्च, 2016 एवं द्वितीय इकाई 31 जुलाई 2016 से परिचालन में आÙ से छत्तीसगढ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी की स्थापित क्षमता 2280 मेगावाट से बढकर 3280 मेगावाट हो गयी तथा इस प्रकार कंपनी की स्थापित क्षमता में 44% की अभिवृध्दि हुई है।
- वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल 18097.428 मिलियन यूनिट (तापीय 17906.323 मिलियन यूनिट (PLF 65.64%), जलीय 184.529 मिलियन यूनिट एवं अन्य सह–उत्पादन 6.576 मिलियन यूनिट) विद्युत का उत्पादन हुआ।
- निरंतर प्रयास एवं कंपनी के कुशल प्रबंधन द्वारा छ.रा.वि.उत्पा.कं.मर्या. के विद्युत गृहों से विद्युत उत्पादन करने में प्रयुक्त होने वाली विद्युत खपत वित्तीय वर्ष 2016–17 में 8.63 प्रतिशत रही।
- वित्तीय वर्ष 2016–17 में कोयले की आपूर्ति के लिए विगत एक वर्ष में एसईसीएल से फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट के अंतर्गत निर्धारित आबंटित कोयले की मात्रा को लगभग शत–प्रतिशत प्राप्त किया गया।
- डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह, कोरबा पूर्व द्वारा वित्तीय वर्ष 16–17 में बेहतर प्रबंधन के कारण विद्युत उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले विशिष्ट तेल की खपत 0.193 मिली लीटर प्रति इकाई एवं विशिश्ट कोल खपत 0.68 किलोग्राम प्रति इकाई रही, जो कि सर्वकालिक न्यूनतम है, यह ऊर्जा संरक्षण की दिशा में उठाया गया सराहनीय कदम है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में (दिसम्बर 2017 तक) विशिष्ट तेल खपत 0.25 मिली लीटर प्रति इकाई रही है।
- वित्तीय वर्ष 2016–17 में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा वार्षिक उत्पादन लक्ष्य (मड़वा तेन्दूभाठा ताप विद्युत गृह के उत्पादन को हटाकर) ताप विद्युत संयंत्रों के लिये 15020 मिलियन यूनिट रखा गया है, जिसके एवज में वर्ष 2016–17 तक कुल 17906.323 मिलियन यूनिट का विद्युत उत्पादन हुआ है।
- वित्तीय वर्ष 2017–18 में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा वार्षिक उत्पादन लक्ष्य ताप विद्युत संयंत्रों के लिये 19115 मिलियन यूनिट रखा गया है, जिसके एवज में वर्ष 2017–18 में 31 दिसम्बर 2017 तक कुल 15419.468 मिलियन यूनिट का विद्युत उत्पादन हुआ है। जल विद्युत संयंत्रों से वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य 291 मिलियन यूनिट रखा गया है जिसके एवज में जल विद्युत गृहों द्वारा 31 दिसम्बर 2017 तक कुल 226.577 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन किया गया है।

11.2.2 राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि :-

- छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित द्वारा विद्युत उत्पादन में विस्तार के लिये मड़वा – तेन्दुभाठा में 1000 मेगावाट ताप विद्युत संयंत्र परियोजना अर्थात् 500 मेगावाट की दो इकाईयां स्थापित की गई है जिसमें प्रथम इकाई से वाणिज्यिक उत्पादन 31 मार्च 2016 से एवं द्वितीय इकाई से 31 जुलाई 2016 से प्रारंभ हुआ।
- केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण नई दिल्ली ¼CEA½ की रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में नवम्बर 2017 की स्थिति में राश्ट्रीय स्तर पर स्टेट सेक्टर का औसत PLF 54.40% है, तथा छ.रा.वि.उत्पा.कं.मर्या. 70.45% PLF के साथ स्टेट सेक्टर में चतुर्थ स्थान पर है।

11.2.3 ऑक्जिलरी खपत -

ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र में ऑक्जिलरी में प्रयुक्त होने वाली विद्युत, ऑक्जिलरी खपत वित्तीय वर्ष 2016–17 में 8.63 प्रतिशत रही।

11.2.4 प्रदत्त विद्युत :– वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान ताप जल एवं अन्य सह–उत्पादन विद्युत गृहों द्वारा आक्जिलरी खपत पश्चात उत्पादित विद्युत प्रणाली में कुल 16548.462 मिलियन यूनिट विद्युत प्रदत्त (यूनिट सेन्ट आउट) की गई इसमें ताप विद्युत उत्पादन द्वारा 16360.326 मिलियन यूनिट, जल विद्युत उत्पादन द्वारा 183 मिलियन यूनिट तथा अन्य (सह–उत्पादन) द्वारा 5.136 मिलियन यूनिट प्रदत्त विद्युत रही।

11.2.5 ईधन खपत एवं विशिष्ट ईधन खपत (2016–17) :–वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान ताप विद्युत गृहों की ईधन खपत का विवरण सारणी अनुसार है।

तालिका 11.5 विद्युत संयंत्र में ईधन खपत

विद्युत गृह का नाम	विशिष्ट ईंधन खपत	
	विशिष्ट कोयला खपत (किलोग्राम प्रति यूनिट)	विशिष्ट तेल खपत (मिलीलीटर प्रति यूनिट)
1. कोरबा ताप विद्युत गृह कोरबा(पूर्व)		
विद्युत गृह–2	0.999	2.182
विद्युत गृह–3	0.953	1.217
कोरबा पूर्व संकुल	0.971	1.593
2. डॉ. भयामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह कोरबा पूर्व	0.68	0.193
3. हसदेव ताप विद्युत गृह कोरबा पश्चिम		
विद्युत गृह–1	0.79	0.524
विद्युत गृह–2	0.787	0.717
कोरबा पश्चिम संकुल	0.789	0.613
4. कोरबा पश्चिम विस्तार (इकाई क्र–5)	0.726	0.512
5. मड़वा तेन्दूभाठा ताप विद्युत गृह, जांजगीर–चांपा	0.732	2.340

11.3 पारेषण की उपलब्धि :-

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड द्वारा वित वर्ष 2016–17 के दौरान पारेषण प्रणाली के उन्नयन के अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए गए, जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है:–

11.3.1 उपकेन्द्र निर्माण :– वर्ष 2016–17 के अंत में उच्च दाब उपकेन्द्रों की कुल संख्या 96 तथा इनकी संयुक्त क्षमता 14734 एम.व्ही.ए. हो गई, जो वर्ष 2000 में क्रमशः 27 एवं 3795 एम.व्ही.ए. थी।

तालिका 11.6 वर्ष 2015–16 के दौरान कंपनी द्वारा उपकेन्द्र स्थापना की वोल्टेज वार जानकारी

क्र.	वोल्टेज अनुपात	उपकेन्द्रों की संख्या		
		वर्ष 2015–16 की स्थिति में	वर्ष 2016–17 की स्थिति में	सिंतबर 2017 की स्थिति में
1	400/220 केवी उपकेन्द्र	2	2	3
2	220/132 केवी उपकेन्द्र	20	20	20
3	132/33 केवी उपकेन्द्र	71	73	73
4	एच.व्ही.डी.सी. उपकेन्द्र	1	1	1
योग		**94**	**96**	**97**

11.3.2 विद्युत लाईनों का निर्माण :– वर्ष 2000 की स्थिति में अति उच्च दाब की कुल लाइने 5205.46 सर्किट कि.मी. थी, जो कि 17 वर्षों में बढ़कर वर्ष 2016–17 में 11533.54 सर्किट कि.मी. हो गई है।

तालिका 11.7 राज्य में वर्ष 2016–17 तक की स्थिति में विद्युत लाईनों का विवरण					
क्र.	वोल्टेज	31 मार्च 2016 की स्थिति में	वर्ष 2016–17 में वृद्धि	31 मार्च 2017 की स्थिति में	सितंबर 2017 की स्थिति में
अति उच्चदाब लाईनें (सर्किट कि.मी.)					
1	400 केवी लाईनें	1827.06	88.46	1915.52	1915.52
2	220 केवी लाईनें	3431.49	47.02	3478.51	3478.51
3	132 केवी लाईनें	5688.92	64.46	5753.38	5779.51
4	एच.व्ही.डी.सी. लाईनें	360	0	360	360
योग		**11307.47**	**199.94**	**11507.41**	**11533.54**

11.4 वितरण कंपनी की उपलब्धि :–

छ.रा.वि.वित.कंपनी द्वारा वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान उप–पारेषण तथा वितरण प्रणाली के उन्नयन के अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए गए, जिनका संक्षिप्त ब्यौरा निम्नानुसार है :–

11.4.1. उपकेन्द्र निर्माण :– छ.रा.वि.मंडल (वर्तमान में छ.रा.वि.वित.कंपनी मर्या.) के गठन वर्ष 2000 की स्थिति में उच्चदाब उपकेन्द्रों तथा वितरण उपकेन्द्रों की कुल संख्या मात्र 29940 थी। इनकी संयुक्त क्षमता 2984 एम.व्ही.ए थी। विगत 17 वर्षो में उपकेन्द्रों की संख्या बढ़कर वर्ष 2016–17 के अंत में कुल 1,40,416 हो गयें है तथा इनकी संयुक्त क्षमता 16499 एम.व्ही.ए हो गई है, जो कि 17 वर्षो के कार्यकाल में उपकेन्द्र निर्माण में 369 प्रतिशत तथा उनकी क्षमता में 453 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। दिनांक 30.09.2017 की स्थिति में संयुक्त क्षमता 16916 एम.व्ही. ए. एवं संख्या 1,41,965 हो गई है।

तालिका क्र. 11.8 उपकेन्द्र स्थापना की वोल्टेज अनुपात जानकारी				
क्र.	वोल्टेज अनुपात	उपकेन्द्रो की संख्या		
		वर्ष 2015–16 सितं. 2015	वर्ष 2015–16 में मार्च 2016	वर्ष 2016–17 में सितं. 2016
1	33/11 के.व्ही.उपकेन्द्र	972	979	1021
2	11/0.4 के.व्ही उपकेन्द्र (वितरण ट्रांसफार्मर)	130307	139437	140944
	योग :–	**131279**	**140416**	**141965**

11.4.2 विद्युत लाईनों का निर्माण :–

छ.रा.वि. मण्डल (वर्तमान में छ.रा.वि.वित.कंपनी मर्या.) गठन वर्ष 2000 की स्थिति में उच्चदाब तथा निम्नदाब की कुल विद्युत लाईनों की लंबाई 98858 कि.मी. थी, जो 17 वर्षो में बढ़कर वर्ष 2016–17 तक 287340 कि.मी. एवं 30.09.17 की स्थिति में 290943 कि.मी. हो गई है।

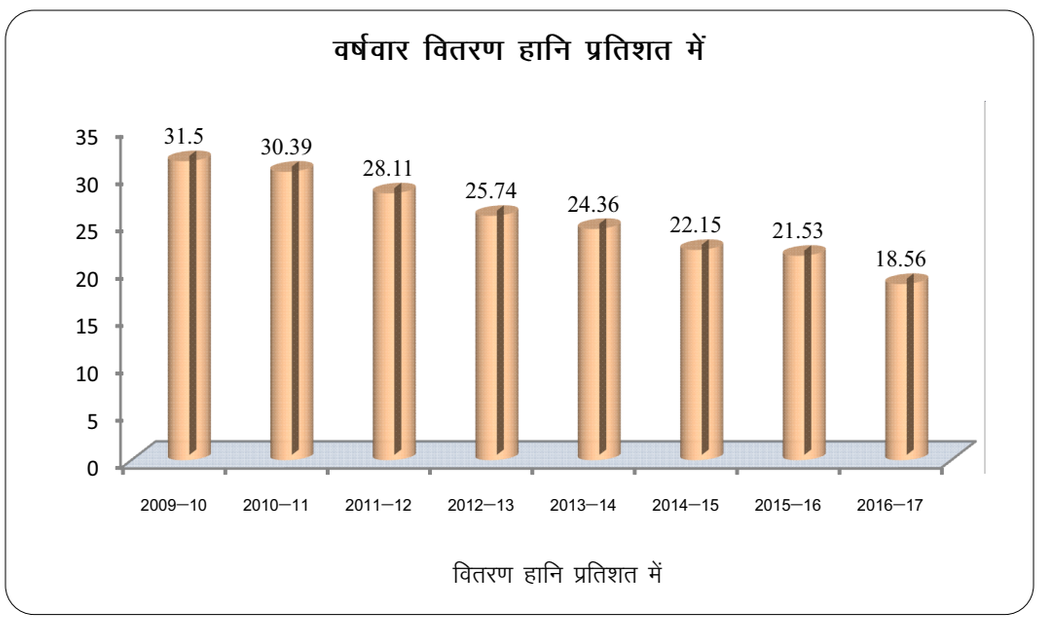
वितरण कंपनी द्वारा विचाराधीन वर्ष 2016–17 के दौरान उच्चदाब तथा निम्नदाब की कुल 13926 कि.मी. की नई विद्युत लाईनों का निर्माण किया गया जिससे वर्ष 2016–17 तक विद्युत लाइन की लंबाई कुल 287340 कि.मी. हो गई थीं। इस प्रकार वर्षावधि में विद्युत लाईनों की लंबाई में 4.85 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा कंपनी गठन से 17 वर्षो की कार्यावधि में 190 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

तालिका क्र. 11.9 विद्युत लाईनों का निर्माण				
क्र.	वोल्टेज (के.व्ही.)	वर्ष 2016–17 सितं. 2016 की स्थिति में	वर्ष 2016–17 में मार्च 17 की स्थिति	वर्ष 2017–18 में सितं. 2017 की स्थिति
I	**उच्चदाब लाईनें**			
1	33/11 के.व्ही. लाईने	18618	18979	19288
2	11 के.व्ही. लाईने	93905	97409	99260
	कुल उच्चदाब लाईने	**112523**	**116388**	**118548**
II	**निम्नदाब लाईने**			
3	400–230 वोल्ट्स	165617	170952	172395
	महायोग	**278140**	**287340**	**290943**

11.4.3. वितरण हानि :– वर्ष 2016–17 में वितरण हानि का प्रतिशत 18.56 रहा, जो वर्ष 2015–16 की अपेक्षा 2.96 प्रतिशत कम है। वर्ष 2017–18 में और भी 2.50 प्रतिशत हानि कम करने का लक्ष्य है, जिसकी प्राप्ति के लिए विभिन्न योजनाओं पर कार्यवाही जारी है। वितरण हानि का विवरण निम्नानुसार है।

तालिका क्र. 11.10 वर्षवार वितरण हानि

क्र.	वर्ष	विद्युत उपलब्धता (मिलियन यूनिट में)	खपत (मिलियन यूनिट में)	वितरण हानि (मिलियन यूनिट में)	वितरण हानि प्रतिशत में
1	2009–10	16512.28	11311.39	5200.89	31.50
2	2010–11	17435.98	12137.84	5898.14	30.39
3	2011–12	18325.03	13173.00	5152.03	28.11
4	2012–13	19124.00	14200.41	4923.59	25.74
5	2013–14	19553.25	14789.25	4764.00	24.36
6	2014–15	21966.91	17101.40	4866.00	22.15
7	2015–16	23702.45	18600.63	5101.82	21.53
8	2016–17	23530.00	19162.00	4368.00	18.56



11.4.4. आर–एपीडीआरपी योजना

तालिका क्र 11.11 आर–एपीडीआरपी भाग–ब योजना की प्रगति

क्र.	विवरण	ईकाई	किये गये कार्य	
			अप्रैल 2016 से सितम्बर 2016	अप्रैल 2016 से मार्च 2017
1	33/11 के.व्ही.उपकेन्द्र निर्माण	संख्या	49	09
2	33 के.व्ही.लाईन निर्माण	कि.मी.	160.48	239.52
3	11 के.व्ही. लाईन निर्माण	कि.मी.	1334.68	1426.59
4	निम्नदाब लाईनो का निर्माण	कि.मी.	107.63	127.84
5	निम्नदाब लाईनो के तारो को बदलकर ए.बी. केवल लगााने का कार्य	कि.मी.	2878.47	3277.03
6	नये वितरण ट्रांसफार्मर	संख्या	5708	5981

11.4.5. सामान्य विकास कार्य :–

छ.रा.वि.वित.कंपनी द्वारा उप–पारेषण तथा वितरण हेतु सामान्य विकास योजनाओं के अंतर्गत निम्नलिखित विकास कार्य किए गए :–

तालिका क्र 11.12 सामान्य विकास कार्य उपलब्धि

क्र.	विवरण	इकाई	उपलब्धि (2016–17) 30–09–16 की स्थिति	उपलब्धि (2016–17) 31–03–17 की स्थिति	उपलब्धि (2017–18) दिनांक 30.09.2017 की स्थिति में
1	33/11 के.व्ही.उपकेन्द्र निर्माण	संख्या	2	2	0
2	33 के.व्ही. लाईन निर्माण	कि.मी.	32	118.30	22.92
3	11 के.व्ही. लाईन निर्माण	कि.मी	196	528.56	193.30
4	नये विद्युत कनेक्शन के लिए निम्नदाब लाईन	कि.मी	311+60 (कनवर्सन)	860+279(कनवर्सन)	349+24(कनवर्सन)
5	नये वितरण ट्रांसफार्मर	संख्या	823	2438	708
6	वितरण ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि	संख्या	172	603	68
7	वर्षावधि में प्रदाय किये गये कनेक्शन (कुल)	संख्या	85130	229931	69117
i)	सिंगल फेस	संख्या	68710	202291	59834
ii)	थ्री फेस	संख्या	16368	27452	9195
8	उच्चदाब कनेक्शन	संख्या	52	188	88

11.4.6. एस.टी.(एन) :– छ.रावि.वित.कंपनी द्वारा उप–पारेषण एवं वितरण नेटवर्क हेतु एस.टी.(एन) योजना के अंतर्गत निम्नलिखित विकास कार्य किए गए :–

तालिका क्र 11.13 सामान्य विकास कार्य उपलब्धि

क्र.	विवरण	इकाई	उपलब्धि (2016–17) 30–09–16 की स्थिति	उपलब्धि (2016–17) 31–03–17 की स्थिति	उपलब्धि (2017–18) दिनांक 30.09.2017 की स्थिति
1	33 के. व्ही. उपकेन्द्र निर्माण	संख्या	8	10	42
2	33 के.व्ही. लाईन निर्माण	कि.मी.	171.96	370.68	214.66
3	11 के.व्ही. लाईन निमार्ण	कि.मी.	137.92	360.07	187.28

11.5 ग्राम विद्युतीकरण :– जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में कुल 19567 ग्रामों में से वित्त वर्ष 2016–17 के अंत तक 19225 (18231 परंपरागत तरीके से + 994 अपरंपरागत तरीके से क्रेडा व्दारा) ग्राम विद्युतीकृत थे। राज्य में 2011 की जनगणना के आधार पर विद्युतीकरण का स्तर 98.25 प्रतिशत रहा। वर्ष 2017–18 में दिनांक 30.09.2017 की स्थिति में 06 ग्राम परंपरागत तरीक से एवं 102 ग्राम अपरंपरागत तरीके (सौर उर्जा) से क्रेडा व्दारा विद्युतीकृत किया गया है। इस प्रकार दिनांक 30.09.2017 की स्थिति मे प्रदेश में कुल 19567 आबाद ग्रामों में से विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या 19333 एवं अविद्युतीकृत ग्रामों की संख्या 234 है।

11.6 पंपों का ऊर्जीकरण :– राज्य गठन के पूर्व राज्य में मात्र 73369 कृषि पंप विद्यमान थे, जबकि राज्य गठन के पश्चात 17 वर्षों की अवधि में दिनॉक 30–09–2017 की स्थिति में 319260 अतिरिक्त कृषि पंप कनेक्शनों का उर्जीकरण किया जा चुका है, जिसके परिणाम स्वरूप वर्तमान में कुल 392629 उर्जीकृत हो गए हैं।

11.7 कृषक जीवन ज्योति योजना :– राज्य शासन द्वारा कृषकों को वित्तीय राहत प्रदाय किये जाने के उद्देश्य से कृषक जीवन ज्योति योजना 02 अक्टूबर 2009 से लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत पात्र कृषकों को 3 अश्वशक्ति तक कृषि पम्प के बिजली बिल में 6000 यूनिट प्रति वर्ष एवं 3 से 5 अश्वशक्ति के कृषि पम्प के बिजली बिल में 7500 यूनिट प्रति वर्ष छूट दी जा रही है। उपरोक्त छुट अस्थाई कृषि पम्पों पर भी दी जाती है। नवंबर 2013 से कृषक जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत पात्र कृषको को फ्लेट रेट दर पर बिजली प्राप्त करने का विकल्प भी दिया गया है। फ्लेट रेट का विकल्प चुनने वाले कृषकों को, उनके व्दारा की गई विद्युत खपत की कोई सीमा न रखते हुए, मात्र 100/प्रतिमाह प्रति अश्व शक्ति की दर बिजली बिल का भुगतान करना होगा। वर्ष 2016–17 में प्रदेश के 4.46 लाख से अधिक कृषकों को लाभ मिल रहा है। वर्ष 2017–18 में 5 हा.पा. तक सिंचाई पंपों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु रू. 2171.66 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है।

11.8 बी.पी.एल. (एकलबत्ती) कनेक्शन :– गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवारों को बी0पी0एल0 (एकलबत्ती) कनेक्शन की सुविधा प्रदान की गई है। उक्त श्रेणी में आने वाले परिवारों को, जिनके घर कंपनी की विद्यमान लाईन से अधिकतम 30 मीटर की दूरी के भीतर है, उन्हें सर्विस कनेक्शन चार्ज तथा सुरक्षानिधि जमा कराये बगैर बी.पी.एल. (एकलबत्ती) कनेक्शन प्रदाय किये जाते है। वर्ष 2016–17 के दौरान कुल 15161 बी.पी.एल कनेक्शन उपरोक्त श्रेणी के परिवारों को प्रदाय किये गये। वर्ष 2017–18 में सितंबर 17 तक 6782 बी.पी.एल. कनेक्शन प्रदाय किए गए। इस प्रकार दिनांक 30.09.2017 की स्थिति में तक कुल बीपीएल कनेक्शन की संख्या लगभग 15 लाख है, जिन्हे वितरण कंपनी द्वारा रियायती दर पर विद्युत प्रदाय किया जाता है। इन बी0पी0एल0 कनेक्शनधारियों के 40 यूनिट खपत के विद्युत देयक राशि का प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा किया जाता है। वर्ष 2017–18 हेतु राज्य शासन के बजट में रू. 419.33 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

11.9 मुख्यमंत्री एल.ई.डी. लैम्प वितरण योजना :– राज्य में बीपीएल एवं एपीएल विद्युत उपभोक्ताओं को एल.ई.डी. लैम्प वितरण योजना का क्रियान्वयन एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज़ लिमिटेड (ईईएसएल) द्वारा छ.रा.वि.वि.कं. के सहयोग से किया जा रहा है। राज्य में वर्तमान में लगभग 15 लाख बीपीएल उपभोक्ता हैं जिन्हें 09 वाट के 03 नग एलईडी बल्ब निःशुल्क वितरित किया जाना है। दिनॉक 30.10.2017 तक 1472346 बीपीएल परिवारों को कुल 4417039 एलईडी बल्ब वितरित किए जा चुके हैं।

एपीएल परिवारों को उनके द्वारा मांग किए जाने पर एकमुश्त भुगतान अथवा मासिक किश्तों में भुगतान की सुविधा के साथ 05 बल्ब प्रति परिवार वितरित किए जाने की योजना है। अभी तक एपीएल परिवारों को 4585491 एलईडी बल्ब वितरित किए जा चुके हैं। इस प्रकार राज्य में कुल 9002530 एलईडी बल्ब वितरित किए जा चुके हैं। यह कार्य 31.12.2017 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है।

उक्त योजना के फलस्वरूप घरेलू उपभोक्ताओं की खपत में परिवर्तन परिलक्षित हुआ यथा वर्ष 2015–16 में प्रति कनेक्शन वार्षिक खपत 1261 यूनिट थी, जो घटकर वर्ष 2016–17 में 1220 यूनिट हो गई। इसी तरह वर्ष 2015–16 में प्रति किलोवाट संबद्ध भार पर वार्षिक खपत 1948 यूनिट थी, जो वर्ष 2016–17 में 1906 यूनिट हो गई।

नेशनल उजाला डेश बोर्ड पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ में एलईडी बल्ब के उपयोग के परिणामस्वरूप लगभग 235 मेगावाट मांग में कमी आई एवं 952529 टन कार्बन उत्सर्जन प्रतिवर्ष कम होने का आंकलन किया गया है।

11.10 राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (केन्द्र प्रवर्तित योजना)

केन्द्र की भारत निर्माण योजना में सम्मिलित राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का मुख्य उद्देश्य सभी ग्रामीण उपभोक्ताओं को विद्युत पहुंच उपलब्ध कराना है। प्रदेश में ग्राम विद्युतीकरण के कार्य राजीव गॉधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना एवं दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजनांतर्गत किया जा रहा है जो निम्नानुसार है :–

तालिका क. 11.14 राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

क.	विवरण	वर्ष 2016–17 (अप्रेल 16 से सितम्बर 16)	वर्ष 2016–17 (अप्रेल 16 से मार्च 17)	वर्ष 2016–17 (अप्रेल 17 से सितम्बर 17)
		कार्यपूर्ण	कार्यपूर्ण	कार्यपूर्ण
1	अविद्युतीकृत ग्राम	54	85	2
2	आंशिक विद्युतीकृत ग्राम	706	1024	130
3	बी.पी.एल. कनेक्शन	4770	7765	2455

11.11 दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (D.D.U.G.J.Y.)

तालिका क. 11.15 दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना

क.	विवरण	वर्ष 2016–17 (अप्रेल 16 से सितम्बर 16)	वर्ष 2016–17 (अप्रेल 16 से मार्च 17)	वर्ष 2016–17 (अप्रेल 17 से सितम्बर 17)
		कार्यपूर्ण	कार्यपूर्ण	कार्यपूर्ण
1	यू.ई./डी.ई.	17	91	4

उक्त परियोजनांतर्गत फीडर पृथक्करण तथा वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण एवं ग्रामों के सघन विद्युतीकरण के कार्य भी किए जा रहे हैं।

11.12 मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना :– मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना के तहत प्रदेश के नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत विद्युत विहीन क्षेत्रों में विद्युत लाइनो का विस्तार, विद्यमान अव्यवस्थित विद्युत लाईनों को पहुंच मार्गों के अनुरूप व्यवस्थित करना एवं वितरण ट्रांसफार्मरों को सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित /उपयुक्त स्थान पर शिफ्ट करना, तंग गलियों एवं व्यस्तम मार्गों में सुरक्षा की दृष्टि से ओवर हेड अथवा अंडर ग्राउंड केबलों का इस्तेमाल किया जाना, अधिक लाईन लास वाले क्षेत्रों में ए.बी. केबल लगाया जाना एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे सभी परिवार को निःशुल्क बी.पी.एल. कनेक्शन उपलब्ध कराना आदि शामिल है। वर्ष 2017–18 हेतु राज्य शासन के बजट में योजनांतर्गत रू. 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

11.13 मुख्यमंत्री मजरा–टोला विद्युतीकरण योजना :– इस योजना के अंतर्गत एसे अविद्युतीकृत ग्राम एवं मजरे/टोले/बसाहटों का विद्युतीकरण किया जाना है जो सांसद आदर्श ग्राम योजना में शामिल है या लोक सुराज अभियान के दौरा शासन/जिला प्रशासन व्दारा संसूचित किये गये है एवं राज्य में चल रहे किसी भी योजना में शामिल नही है। वर्ष 2017–18 में योजनान्तर्गत रू. 140 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

11.14 एकीकृत विद्युत विकास योजना (I.P.D.S.) :– भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के ओ.एम. क्रं. 26/1/2014–APDRP दिनांक 03.12.2014 के द्वारा एकीकृत विद्युत विकास योजना (I.P.D.S.) प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करना, सोलर पैनल की स्थापना, वितरण ट्रान्सफार्मर/11 के. व्ही. फीडर/उपभोक्ताओं की मीटरिंग, वितरण सेक्टर में आई टी. उपयोग को उपयोगी बनाने के कार्य किये जाने हैं। एकीकृत विद्युत विकास योजना के अंतर्गत् छत्तीसगढ़ राज्य के कुल 182 शहरों में वितरण हानि को कम करने हेतु विद्युतीकरण के कार्य प्रस्तावित हैं। परियोजना की लागत 489.06 करोड़ हैं। योजना की कुल अवधि 30 माह है।

11.15 विद्युत उपभोक्ता :– वर्ष 2016–17 के अंत में कुल उपभोक्ताओं की संख्या 47 लाख 43 हजार है जो वर्ष 2015–16 की तुलना में 5.10 प्रतिशत अधिक है। इसमें से 31 लाख 59 हजार उपभोक्ता अर्थात् 66.61 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र के है जो विगत वर्ष के ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं की तुलना में 5.18 प्रतिशत अधिक हैं।

कुल उपभोक्ताओं की संख्या में से वर्ष 2016–2017 के अंत में हितग्राही उपभोक्ताओं में बी.पी.एल. के 32.48 प्रतिशत एवं कृषि हितग्राही उपभोक्ताओं का 9.99 प्रतिशत है।

11.16 विद्युत उपभोग का स्वरूप :– वर्ष 2016–17 में राज्य की समस्त प्रकार के उपभोक्ताओं द्वारा कुल 19162.00 मिलियन यूनिट विद्युत की खपत की गई जो कि विगत वर्ष 2015–16 की खपत से 2.99 प्रतिशत अधिक है। राज्य में विक्रय की गई बिजली का लगभग 48 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है।

राज्य में विक्रय की गई बिजली में से 25.77 प्रतिशत घरेलू, 7.56 प्रतिशत गैर घरेलू, 42.22 प्रतिशत औद्यौगिक, 22.39 प्रतिशत कृषि एवं 2.06 प्रतिशत सार्वजानिक उपभोग (जलकल एवं सड़कबत्ती) के मद में रहा। ग्रामीण क्षेत्र में इन मदों का हिस्सा क्रमशः 18.89 प्रतिशत घरेलू, 4.60 प्रतिशत गैर घरेलू 36.28 प्रतिशत औद्यौगिक, 38.42 प्रतिशत कृषि एवं 1.81 प्रतिशत सार्वजनिक उपयोग होना पाया गया। जिसका विवरण तालिका कमांक 11.16 में दर्शाया गया है। कुल खपत में से वर्ष 2016–17 में हितग्राही बी.पी.एल. उपभोक्ताओं की खपत 6.12 प्रतिशत एवं हितग्राही कृषि पंप उपभोक्ताओं की खपत 21.76 प्रतिशत आंकी गई जो कि वर्ष 2015–16 में क्रमशः 6.46 एवं 21.63 प्रतिशत थी।

तालिका 11.16 राज्य में कुल विद्युत विक्रय का विवरण

वर्ष	विवरण	घरेलू	गैर–घरेलू	औद्यौगिक	कृषि	सार्वजनिक
2015–16	कुल विक्रय (प्रतिशत)	26.26	12.34	37.65	21.82	1.93
	ग्रामीण क्षेत्र में उपयोग	18.69	7.08	33.98	37.92	2.23
2016–17	कुल विक्रय (प्रतिशत)	25.77	7.56	42.22	22.39	2.06
	ग्रामीण क्षेत्र में उपयोग	18.89	4.60	36.28	38.42	1.81

11.17 राजस्व संग्रहण :– वर्ष 2016–17 में समस्त प्रकार के उपभोक्ताओं से विद्युत खपत एवं अन्य चार्ज के विरूद्ध कुल रूपये 11121.17 करोड़ का राजस्व संग्रहण किया गया। जो कि वर्ष 2015–16 में रूपये 9843.18 करोड़ था।

11.18 बकाया राशि :– वर्ष 2016–17 के अंत में विद्युत उपभोक्ताओं के विरूद्ध बकाया राशि कुल रूपये 3976.68 करोड़ है, जिसमें 620.91 करोड़ निम्नदाब उपभोक्ताओं के तथा 3355.77 करोड़ रूपये उच्चदाब उपभोक्ता पर बकाया हैं। जबकि वर्ष 2015–16 के अंत में विद्युत उपभोक्ताओं के विरूद्ध बकाया राशि कुल रूपये 3428.20 करोड़ थी, जिसमें 391.25 निम्नदाब उपभोक्ताओं के तथा 3036.95 करोड़ रूपये उच्चदाब उपभोक्ता पर बकाया थी।

कुल राशि में से राज्य शासन के विभिन्न विभागों पर रू. 37.00 करोड़ एवं राज्य शासन के सार्वजनिक उपक्रमों (स्थानीय निकाय) पर रूपये 123.24 करोड़ एवं रूपये 2968.92 करोड़ राशि रेलवे के विरूद्ध बकाया है। जिसका विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है। रेल्वे के विरूद्ध बकाया राशि विवादित है।

तालिका कमांक 11.17 बकाया राशि

(करोड़ में)

वर्ष	बकाया राशि				कुल	दाब अनुसार उपभोक्ता का प्रकार बकाया राशि		कुल
	राज्य	सार्वजनिक	रेल्वे	अन्य		निम्न दाब	उच्च दाब	
2012–13	7.23	42.00	2106.34	433.09	2588.66	323.33	2265.33	2588.66
2013–14	27.00	45.00	2360.96	474.73	2907.69	323.13	2584.54	2907.69
2014–15	18.00	5.34	2610.23	631.68	3265.25	323.67	2941.58	3265.25
2015–16	1.56	16.03	2777.55	633.06	3428.20	391.25	3036.95	3428.20
2016–17	37.00	123.24	2968.92	460.67	3976.68	620.91	3355.77	3976.68

परिवहन एवं संचार

11.19 देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए परिवहन एवं संचार एक महत्वपूर्ण अवयव है। यह व्यक्तियों को गतिशील बनाता है, जिससे वे अपने जीवनयापन हेतु रोजी–रोटी की व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मनोरंजन सुविधाऐं प्राप्त कर सकें। बाजार के क्षेत्र में व्यापक वृद्विहेतु सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। छत्तीसगढ़ राज्य में रेल एवं वायु परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन प्रमुख रूप से शामिल है। संचार माध्यमों में डाक, कुरियर, टेलीफोन (मोबाइल सहित) तथा ब्राडबेंड (इंटरनेट सहित) सेवाएं आदि प्रमुख हैं।

11.19.1 परिवहन क्षेत्र का योगदान तालिका में निम्नानुसार प्रदर्शित है:–

तालिका 11.19 राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (स्थिर भाव) में परिवहन (रेल के अलावा) क्षेत्र का योगदान (आधार वर्ष 2011–12)

मद	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16 (P)	2016-17 (Q)	2017-18 (A)
भागीदारी (लाख में)	281709	312165	339701	373159	412337	446681	502536
वृद्धि (प्रतिशत)		10.81	8.82	9.85	10.50	8.33	12.50
हिस्सा (प्रतिशत)	1.90	2.01	1.97	2.13	2.24	2.24	2.37

11.20 भूतल परिवहन :–

11.21 सड़के एवं पुल

लोक निर्माण विभाग छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के पश्चात सड़कों के उन्नतिकरण एवं पुलों के निर्माण पर विषेष ध्यान दे रहा है। इसी कड़ी में वर्ष 2016–17 में 3339 कि.मी. सड़कों का निर्माण एवं उन्नयन जिसमें गिट्टीकरण, चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के कार्य किये गये। 01 रेल्वे ओव्हर ब्रिज, 61 वृहद पुल एवं 33 मध्यम पुल का निर्माण पूर्ण किया गया है और 08 रेल्वे ओव्हर ब्रिज, 01 रेल्वे अण्डर ब्रिज एवं 174 नग वृहद पुल प्रगति पर रहे। वर्ष 2016–17 में कुल राशि रू. 6858.03 करोड़ प्रावधान के विरूद्ध रू 3764.13 करोड़ व्यय किया गया।

वर्ष 2017–18 में माह 09/2017 तक 2150 कि.मी. सड़कों का निर्माण एवं उन्नयन किया गया। 01 रेल्वे अण्डर ब्रिज, 13 वृहद पुल, 35 मध्यम पुल पूर्ण तथा 08 रेल्वे ओव्हर ब्रिज का निर्माण,1 रेल्वे ओव्हर ब्रिज का चौड़ीकरण एवं 172 वृहद पुल कार्य प्रगति पर हैं। वर्ष 2017–18 में रू. 7397.50 करोड़ प्रावधान के विरूद्ध माह 09/2017 तक रू. 1413 करोड़ का व्यय किया गया है।

11.21.1 छत्तीसगढ़ राज्य सड़क क्षेत्र परियोजना के अंतर्गत एशियन डेव्हलपमेंट बैंक (ए.डी.बी.) की सहायता से 14 महत्वपूर्ण राज्य मार्गों एवं जिला मार्गों जिनकी कुल लम्बाई 856 कि.मी. के उन्नयन/पुर्ननिर्माण का कार्य किया जा रहा है। परियोजना की अनुमानित लागत रू. 2210 करोड़ है। इस योजना के अंतर्गत 14 मार्गों का कार्य प्रगति पर हैं।

11.21.2 बायपास मार्ग के अंतर्गत वर्ष 2016–17 में 2 कार्य पूर्ण एवं 7 बायपास मार्ग प्रगति पर थे। वर्ष 2017–18 में 02 बायपास मार्ग पूर्ण किए गए एवं 05 बायपास मार्ग प्रगति पर हैं।

11.21.3 रेल्वे ओव्हर/अण्डर ब्रिज के अंतर्गत वर्ष 2016–17 में 01 रेल्वे ओव्हर ब्रिज (बोदरी रेल्वे ओव्हर ब्रिज) कार्य पूर्ण एवं 08 कार्य प्रगति पर थे। वर्ष 2017–18 में 1 रेल्वे ओव्हर ब्रिज (ममता नगर) का कार्य पूर्ण हुआ है तथा 09 रेल्वे ब्रिज के कार्य प्रगति पर हैं।

11.21.4 केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत राज्य को 79 कार्यो हेतु कुल रू. 1396.57 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हुई है। जिसमें से अभी तक कुल 57 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, 21 कार्य प्रगति पर हैं एवं 01 कार्य पुनरावृत्ति है। इन कार्यो पर वर्ष 2017–18 में माह 09/2017 तक रू. 36 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं।

11.21.5 एल.डब्ल्यू.ई. योजनातंर्गत केन्द्र शासन से 54 कार्यों के लिये रू. 3097.74 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हुई है। जिसमें से 25 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, 29 कार्य प्रगति पर हैं।

भवन कार्यों के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय प्रशासन, पुलिस राजस्व तथा अन्य विभागों के लिये आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों का निर्माण किया जा रहा है। इसके अंतर्गत वर्ष 2016–17 में 373 भवन कार्य पूर्ण किये गये थे तथा 381 भवन कार्य प्रगति पर थे। इन कार्यो हेतु वर्ष 2016–17 में रू. 894.42 करोड़ के आंबटन के विरूद्ध रू. 589.54 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं। इस वर्ष इन कार्यो पर माह 09/2016 तक रू. 867.64 करोड़ आंबटन के विरूद्ध रू. 184.74 करोड़ व्यय किया गया है। इस वर्ष अब तक 135 भवन कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं एवं 373 कार्य प्रगति पर हैं।

❖ **वर्ष 2016–17 में पूर्ण हुए महत्वपूर्ण भवन कार्यों की जानकारी :–**

- जिला जगदलपुर पुलिस मुख्यालय में 600 जी–टाईप आवासगृह का निर्माण लागत रू. 44.07 करोड़।
- शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, रायपुर में 108 स्टाफ क्वार्टर एवं 120 बिस्तर बॉयज एवं 80 बिस्तर कन्या छात्रावास का निर्माण लागत रू. 24.48 करोड़।
- जिला मुंगेली में संयुक्त जिला कार्यालय भवन का निर्माण लागत रू. 22.36 करोड़।

- जिला बालोद में संयुक्त जिला कार्यालय भवन का निर्माण लागत रू. 22.01 करोड़।
- जगदलपुर में भौमिकी एवं खनिकर्म क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयोगशाला भवन एवं अन्य अधोसंरचना विकसित के कार्य लागत रू. 18.36 करोड़।
- जिला बलरामपुर में जिला अस्पताल भवन का निर्माण लागत रू. 13.21 करोड़।
- इनडोर स्टेडियम, बूढ़ापारा रायपुर का उन्नयन (एकोस्टिक ट्रीटमेंट गैलरी के लिए फाईबर चेयर इलेक्ट्रानिक स्कोरबोर्ड केटिंग, बुडन फ्लोरिंग एवं अन्य कार्य) लागत रू. 10.15 करोड़।
- भाटापारा में पॉलीटेक्निक भवन का निर्माण लागत रू. 8.99 करोड़।
- पं. जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में चतुर्थ तल का निर्माण लागत रू. 8.66 करोड़।
- केन्द्रीय जेल रायपुर के बाहरी दीवार के निर्माण लागत रू. 8.30 करोड़।
- एन.सी.सी. संचालनालय शिविर का निर्माण लागत रू. 8.09 करोड़।
- जिला–उत्तर बस्तर कांकेर में कम्पोजिट भवन का निर्माण लागत रू. 8.82 करोड़।
- पं. जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में 60 बिस्तर महिला पी.जी. छात्रावास भवन का निर्माण लागत रू. 5.43 करोड़।
- शासकीय पालिटेक्निक दुर्ग के भवन विस्तार लागत रू. 4.22 करोड़।
- कुनकुरी जिला जशपुर में सिविल न्यायालय भवन निर्माण लागत रू. 3.12 करोड़।
- कोन्टा जिला सुकमा में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था भवन लागत रू. 3.08 करोड़।
- विधानसभा परिसर में लाईब्रेरी भवन निर्माण का लागत रू. 3.07 करोड़।
- गुण्डरदेही में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था भवन निर्माण लागत रू. 2.94 करोड़।
- पाटन में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था भवन निर्माण लागत रू. 2.77 करोड़।
- कोन्टा जिला सुकमा में 100 सीटर छात्रावास भवन का निर्माण लागत रू. 2.68 करोड़।
- पत्थलगांव जिला जशपुर में नवीन सिविल न्यायालय भवन लागत रू. 2.59 करोड़।
- शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय जगदलपुर में 144 शैय्या बालक छात्रावास भवन निर्माण लागत रू. 2.30 करोड़।
- नगरी, जिला धमतरी में सिविल व्यवहार न्यायालय भवन लागत रू. 2.27 करोड़।
- आई.टी.आई. कुरूद धमतरी को सेंटर ऑफ एक्सीलेन्स के रूप में उन्नयन किये जाने हेतु भवन निर्माण लागत रू. 2. 17 करोड़।

* वर्ष 2017–18 में महत्वपूर्ण भवन जो इस वर्ष 09/2017 तक पूर्ण किये गये है :–

- सांईस कॉलेज परिसर रायपुर में आडिटोरियम का निर्माण लागत रू. 39.17 करोड़।
- नया रायपुर में लोक निर्माण विभाग के विभागाध्यक्ष कार्यालय भवन निर्माण लागत रू. 21.56 करोड़।
- नक्सल प्रभावित क्षेत्र बीजापुर में विशेष अधोसंरचना विकास योजना (भोपालपट्नम में ट्रांजिट हॉस्टल का निर्माण) (एन.जी.ओ.हेतु) लागत रू. 16.41 करोड़।
- सुकमा में पॉलीटेक्निक भवन का निर्माण लागत रू. 11.72 लाख।
- बिलासपुर में शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक स्थापना भवन निर्माण लागत रू. 8.99 करोड़।
- बिलासपुर में आई.टी.आई. भवन का निर्माण लागत रू. 5.92 करोड़।
- जिला न्यायालय बिलासपुर में न्यायालय कक्षों का निर्माण लागत रू. 4.88 करोड़।
- नवगठित जिला मुंगेली में सर्किट हाउस भवन का निर्माण लागत रू. 4.53 करोड़।
- पेण्ड्रा जिला बिलासपुर में आई.टी.आई. भवन एवं छात्रावास भवन का निर्माण लागत रू. 4.16 करोड़।
- सुकमा में लाईवलीहुड कॉलेज भवन का निर्माण लागत रू. 3.85 करोड़।
- जगदलपुर में लाईवलीहुड कॉलेज भवन का निर्माण लागत रू. 3.45 करोड़।
- जिला रायपुर के हीरापुर में नवीन आई.टी.आई. भवन एवं छात्रावास भवन का निर्माण लागत रू. 3.12 करोड़।
- कमलादेवी शासकीय महाविद्यालय राजनांदगांव में 100 सीटर कन्या छात्रावास का निर्माण लागत रू. 2.72 करोड़।
- जिला रायपुर के शासकीय नागार्जून महाविद्यालय में 100 बिस्तर कन्या छात्रावास का निर्माण लागत रू. 2.72 करोड़।
- समाज कल्याण संस्थाओं का एकीकृत परिसर का निर्माण (माना कैम्प) लागत रू. 2.62 करोड़।
- दुर्गुकोन्दल जिला कांकेर में महाविद्यालय भवन का निर्माण लागत रू. 2.13 करोड़।
- बेलौदी जिला बालोद में महाविधालय भवन का निर्माण लागत रू. 2.13 करोड़।
- साल्हेवारा जिला–राजनांदगांव में महाविद्यालय भवन का निर्माण लागत रू. 2.13 करोड़।
- पिपरिया जिला कबीरधाम में महाविद्यालय भवन का निर्माण लागत रू. 2.13 करोड़।
- नवीन जिला बालोद में सर्किट हाऊस का निर्माण लागत रू. 2.18 करोड़।
- नवागढ़ जिला बेमेतरा में नवीन आई.टी.आई. भवन का निर्माण लागत रू. 2.07 करोड़।
- लालबहादुर नगर जिला राज. में नवीन आई.टी.आई.भवन का निर्माण लागत रू. 2.07 करोड़।
- आई.टी.आई. मुख्य भवन का निर्माण पंडरिया लागत रू. 2.07 करोड़।
- लोरमी में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था भवन का निर्माण लागत रू. 2.07 करोड़।
- जिला दुर्ग वि.ख. धमधा के लिटिया में विश्राम गृह का निर्माण लागत रू. 1.19 करोड़।

- शासकीय आर.बी.नवीन कन्या महाविद्यालय रायपुर में 8 अतिरिक्त कक्ष का निर्माण लागत रू. 1.40 करोड़।

* **वर्ष 2016-17 में पूर्ण हुए महत्वपूर्ण पुलों की जानकारी :-**

- भर्रेगांव रवेली राजनांदगांव मार्ग पर स्थित शिवनाथ नदी पर उच्चस्तरीय पुल का निर्माण लागत रू.11.50 करोड़।
- दोरनापाल–कालीमेला मार्ग के कि0मी0 2/2 शबरी नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य लागत रू. 11.48 करोड़।
- सोंढूर नदी/सरईभदर जड़जड़ा गरियाबंद मार्ग के कि.मी. 1/2 पर पुल निर्माण लागत रू. 10.18 करोड़।
- जैतपुरी–कबोंगा–हाथीपखना मार्ग के कि.मी. 1/8 भंवरडींग नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य लागत रू. 7 करोड़।
- कोलबिर्रा–सिलपहरी मार्ग के बीच सोन नदी एवं खुज्जी नाला पर पुल निर्माण लागत रू. 6.96 करोड़।
- रैरूमाखुर्द–भालूपखना मार्ग पर मांड नदी पुल निर्माण लागत रू. 4.47 करोड़।
- तिलसिवा सरस्वतीपुर मार्ग पर रेहाण्ड नदी पर पुल निर्माण लागत रू. 4.40 करोड़।
- पाली–तानाखार के पोड़ी से बांगो तान नदी पर पुल निर्माण लागत रू. 4.34 करोड़।
- पनेका मार्ग पर बाकल नदी पर पुल निर्माण लागत रू. 4.32 करोड़।
- कवर्धा के डेरही से पंडरिया मार्ग पर सकरी पदी पर पुल निर्माण लागत रू. 4.30 करोड़।
- ग्राम पंचायत खपरी (जरवायडीह) से भैंसबोड़ पहुच मार्ग एवं नाला पर पुल निर्माण लागत रू. 4 करोड़।
- पंडरिया के कुई से कुकदूर मार्ग के कि.मी. 19/4 पर स्थित आगर नदी पर उच्चस्तरीय पुल का निर्माण लागत रू. 4 करोड़।
- प्रेमनगर के महोरा विध्यांचल मार्ग पर चितखई नाला पर पुल निर्माण लागत रू. 3.80 करोड़।
- छिंदगढ़ से पतिनाईकरास पहुच मार्ग कि.मी. 2/8 पर जाजल नदी पर पुल निर्माण लागत रू. 3.36 करोड़।

* वर्ष 2017–18 में महत्वपूर्ण पुल कार्य जो इस वर्ष 09/2017 तक पूर्ण किये गये है :–

- जैतपुरी से बेलरगांव नाला पर पुल निर्माण एवं बिरगुड़ी बेलरगांव धुरावड़ मार्ग पर जैतपुरी नाला पर पुल निर्माण लागत रू. 5.08 करोड़।
- बिलाईगढ़ के ग्राम धोबनी पचपेड़ी के बीच बिला नाला में पुल का निर्माण लागत रू. 2.08 करोड़।
- डूमरपाली से झलप मार्ग में डूमरपाली नाला पर पुल निर्माण लागत रू. 2.41 करोड़।
- डौण्डीलोहारा के खरखरा नदी सेतु/भंवरमरा से उसरीटोला मार्ग पर पुल निर्माण लागत रू. 3 करोड़।
- ममता नगर जिला राजनांदगांव में रेल्वे क्रासिंग पर अंडर ब्रिज का निर्माण लागत रू. 14 करोड़।

- बागमोहलाई बेलपुटी मंगनार मार्ग के कि0मी0 3/8 पर पेटपुल्ली नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य लागत रू. 3.22 करोड़।
- कोलावल पाथरी किरमिरी मार्ग कि0 मी0 8/2 मारकंडी नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण लागत रू. 3.87 करोड़।
- मुक्ता से बनडभरा के मध्य सोन नदी पर उच्चस्तरीय पुल का निर्माण लागत रू. 2.95 करोड़।
- बकालो से सरिया नाला (कोरजा नाला) में पुल निर्माण लागत रू. 2.97 करोड़।
- रहोरा–सेमई–चन्दोरा मार्ग गोड़कटवा नाला पर पुल निर्माण लागत रू. 2.02 करोड़।
- बैकुण्ठपुर सलवा खड़गंवा मार्ग पर लौहंदिया नाला पर पुल निर्माण लागत रू. 3.45 करोड़।
- केदमा से बिनिया मार्ग पर रेहण्ड नदी पर पुल निर्माण लागत रू. 6.05 करोड़।
- प्रतापपुर के बंशीपुर से बगड़ा मार्ग पर महान नदी पर पुल निर्माण लागत रू. 3 करोड़।

सड़कों की लम्बाई

- राष्ट्रीय राजमार्ग की लम्बाई – 3222 कि.मी.
- राज्य मार्ग की लम्बाई – 4369 कि.मी.
- मुख्य जिला मार्ग की लम्बाई – 11338 कि.मी.
- ग्रामीण मार्ग एवं अन्य जिला मार्ग की लम्बाई – 14298 कि.मी.

योग – 33227 कि.मी.

11.22 वाहन :– वर्ष 2016–17 माह सितंबर 16 तक 210444 वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया गया तथा वर्षान्त (31 मार्च 17) तक 478550 वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया गया है। वर्ष 2017–18 में माह सितंबर 17 तक 227977 वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया गया है।

जनगणना 2011 अनुसार 15.6 प्रतिशत एवं 2.2 प्रतिशत परिवार क्रमशः दोपहिया मोटर वाहन एवं चारपाहिया वाहन उपलब्ध है। राज्य में परिवहन विभाग 27 कम्प्युटराईज्ड कार्यालयों से संयोजित है। परिवहन विभाग की सभी प्रक्रिया कम्प्युटराईज्ड की जा रही है, जिससे इन्टरनेट के माध्यम से जानकारी उपलब्ध होगी या नागरिकों द्वारा एसएमएस के माध्यम से प्राप्त की जा सकेगी। छत्तीसगढ़ राज्य देश का प्रथम राज्य है, जिसने वाहन एवं सारथी योजना सम्पूर्ण राज्य में सफलतापूर्वक क्रियान्वित कर ली है।

11.23 राज्य में रेल्वे लाइनों का विकास एवं संयुक्त उपक्रम

- राज्य के गठन के पूर्व राज्य में 1196 कि.मी. का रेल्वे नेटवर्क था।
- राज्य में निम्नांकित दो रेल्वे कॉरीडोर की स्थापना प्रगति पर है–

11.23.1 ईस्ट रेल कॉरीडोरः– ईस्ट रेल कॉरीडोर की स्थापना हेतु दिनांक 27.02.2012 को एम.ओ.यू. का निष्पादन किया गया था एवं दिनांक 12.03.2013 को ज्वाईंट वेन्चर कम्पनी का गठन किया जा चुका है व दिनांक 18.01.2014 को परियोजना के क्रियान्वयन का अनुबंध इरकॉन कम्पनी के साथ किया जा चुका है। इसकी परियोजना लागत 3055.15 करोड़ है। परियोजना की स्थापना हेतु भू–अधिग्रहण की कार्यवाही के पश्चात् निर्माण कार्य सतत् प्रगति पर है।

ईस्ट रेल कॉरीडोर खरसिया से प्रारंभ होकर धर्मजयगढ़ होते हुए कोरबा को जोड़ेगा। इसकी लंबाई लागभग 173

रूट कि.मी. है।

11.23.2 ईस्ट–वेस्ट रेल कॉरीडोर :– ईस्ट–वेस्ट रेल कॉरीडोर की स्थापना हेतु दिनांक 27.02.2012 को एम.ओ.यू. का निष्पादन एवं दिनांक 25.03.2013 को ज्वाईंट वेन्चर कम्पनी का गठन किया जा चुका है व दिनांक 05.04.2014 को परियोजना के क्रियान्वयन का अनुबंध इरकॉन कम्पनी के साथ किया जा चुका है। इसकी परियोजना लागत 4919.28 करोड़ है। परियोजना की स्थापना हेतु भू–अधिग्रहण की कार्यवाही के पश्चात् निर्माण कार्य सतत् प्रगति पर है।

ईस्ट–वेस्ट रेल कॉरीडोर का क्षेत्र गेवरा–पेण्ड्रा रोड को जोड़ेगा। इस कॉरीडोर की लंबाई लगभग 151 रूट कि.मी. है।

इन दो कॉरीडोरों की स्थापना से माल परिवहन के साथ–साथ पैसेंजर ट्रेनें भी प्रारंभ होगी।

11.23.3 दल्ली राजहरा–रावघाट रेल लिंक परियोजना :– इस परियोजना में रेल्वे लाईन की लम्बाई 95 कि.मी. है, जिसमें से 17 कि.मी. रेल्वे लाईन का निर्माण दल्ली राजहरा–गुदुम हो चुका है। भानुप्रतापपुर भी रेल्वे से जुड़ जावेगा।

11.23.4 रावघाट–जगदलपुर परियोजना :– इस परियोजना का कियान्वयन एन.एम.डी.सी., स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि0, इरकॉन एवं छत्तीसगढ़ शासन, संयुक्त उपक्रम कम्पनी बस्तर रेल्वे प्रा.लि. के द्वारा किया जा रहा है। रावघाट–जगदलपुर परियोजना की लम्बाई 140 कि.मी है।

परियोजना की स्थापना हेतु ट्रेक एलाईनमेंट, लोकेशन सर्वे व विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर रेल्वे लाईन का रूट प्लान बनाया जा चुका है एवं टोपो शीट पर एलाईनमेंट भी किया जा चुका है व फिजीबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है।

राज्य में रेल्वे नेटवर्क के विकास हेतु दिनांक 09 फरवरी 2016 को छत्तीसगढ़ शासन व भारत सरकार, रेल मंत्रालय के मध्य एक एम.ओ.यू. निष्पादित किया गया है व एम.ओ.यू. के क्रियान्वयन हेतु छ.ग. शासन व रेल मंत्रालय की एक संयुक्त उपक्रम कंपनी ''छत्तीसगढ़ रेल्वे कार्पोरेशन लिमिटेड'' गठित की गयी है। जिसमें राज्य शासन की भागीदारी 51 प्रतिशत है तथा रेल मंत्रालय की भागीदारी 49 प्रतिशत है।

यह संयुक्त उपक्रम कंपनी प्रदेश में वायबल रेल परियोजनाओं का चिन्हांकन कर उसका कियान्वयन करेंगी या परियोजना विशेष एस.पी.वी. बनाकर इसका क्रियान्वयन करेगी।

ग्रामीण विकास एवं रोजगार

12

अध्याय

12 ग्रामीण विकास एवं रोजगार

मुख्य बिन्दु -

- मनरेगा - वित्तीय वर्ष 2016-17 में 21.32 लाख परिवारों को रोजगार, 885.94 लाख मानव दिवस सृजित, महिलाओं का प्रतिशत 49 है। वर्ष 2016-17 में 1,72,904 परिवारों को 100 दिवस का रोजगार।
- वर्ष 2017-18 में सितम्बर तक 16.80 लाख परिवारों को रोजगार, 579.31 लाख मानव दिवस सृजित, महिलाओं का प्रतिशत 51। वर्ष 2017-18 में सितम्बर तक 55,600 परिवारों को 100 दिवस का रोजगार।
- वर्ष 2017-18 (सितंबर) में उपलब्ध राशि 2196 करोड़ रू. से 1986 करोड़ रू. व्यय।
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ''बिहान'' (NRLM) - वर्ष 2016-17 में सामुदायिक निवेश निधि से 6122 स्व-सहायता समूहों को रू. 3788.70 लाख, वर्ष 2017-18 में सितम्बर तक 3579 समूहों को रू. 2174.00 लाख ऋण प्रदाय। चक्रिय निधि से 2016-17 में 11795 स्व-सहायता समूहों को रू. 1769.25 लाख, 2017-18 में सितम्बर तक 8428 समूहों को रू. 1264.20 लाख प्रदाय।
- बैंक क्रेडिट लिंकेज अंतर्गत वर्ष 2016-17 में 21236 स्व-सहायता समूहों को रू. 30506 लाख तथा वर्ष 2017-18 में सितम्बर 2017 तक 6693 इकाई को को रू. 9959 लाख जारी
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना - 2016-17 में 1019 कि.मी. लंबाई की 185 सड़कें एवं 50 वृहद - पुल निर्माण, 2017-18 में सितंबर तक 219.80 कि.मी. लंबाई की 48 सड़कें, एवं 12 वृहद-पुल निर्माण पूर्ण।
- मुख्यमंत्री ग्राम गौरवपथ योजना - अद्यतन कुल 6193 गौरवपथ, 1819.38 कि.मी. लंबाई के पूर्ण किए।
- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क विकास योजना - अब तक 4380.68 कि.मी लंबाई की 1385 सड़कों हेतु राशि रू. 2170. 73 करोड़ स्वीकृत।

ग्रामीण विकास

छत्तीसगढ़ में त्रि–स्तरीय पंचायत राजव्यवस्था वर्ष 2000 में राज्य स्थापना के साथ लागू हुई। संविधान के 73वें संशोधन के फलस्वरूप आर्थिक एवं सामाजिक न्याय के 29 कार्यों (11वीं अनुसूची) का क्रियान्वयन पंचायतों के माध्यम से किये जाने का प्रावधान है। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 255 मिलियन है। जहां 76. 76% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत आती है, इस प्रकार राज्य में ग्रामीण विकास का विश्लेषण अति आवश्यक है।

12.1 वर्तमान में प्रदेश में 27 जिला पंचायतें, 146 जनपद पंचायतें तथा 10,971 ग्राम पंचायतें स्थापित हैं। प्रदेश के कुल 27 जिलों में से 13 जिले पूर्णरूपेण एवं 6 जिले आंशिक रूप से अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जिनमें 85 जनपद पंचायतें एवं 5,050 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। पंचायतराज संस्थाओं के कार्यक्रमों हेतु उनके स्वयं के संसाधन तथा राज्य एवं केन्द्र से प्राप्तियां शामिल हैं।

छत्तीसगढ़ में गाँव की स्थिति निम्न तालिका में दर्शित है।

तालिका – 12.1 ग्रामीण छत्तीसगढ़ की स्थिति

मद	1951	1961	1971	1981	1991	2001	2011
छ.गः कुल जनसंख्या (लाख)	74.57	91.54	116.37	140.40	176.15	208.33	255.45
छ.गः पिछले एक दशक में कुल जनसंख्या वृद्धि (%)	9.42	22.72	27.12	20.39	25.73	18.27	22.61
छ.गः ग्रामीण जनसंख्या (%)	70.93	83.91	104.29	119.52	145.5	166.47	196.08
छ.गः पिछले एक दशक में कुल ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि		18.30	24.29	14.60	21.74	14.41	17.79
छ.गः पिछले एक दशक में कुल ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि (%)		12.98	20.38	15.23	25.98	20.97	29.61
छ.गः कुल ग्रामीण जनसंख्या कुल जन संख्या के अनुपात में (%)	95.12	91.66	89.62	85.31	82.60	79.91	76.76
भारतः कुल जनसंख्या (लाख)	3611	4392	5482	6833	8464	10287	12109
भारतः पिछले एक दशक में कुल जनसंख्या वृद्धि (%)	13.31	21.64	24.8	28.66	23.87	21.54	17.7
भारत : ग्रामीण जनसंख्या(लाख)	2987	3603	4391	5238	6288	7426	8338
भारतः पिछले एक दशक में कुल ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि		20.62	21.87	19.29	20.05	18.10	12.28
भारतः पिछले एक दशक में कुल ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि (लाख)		616	788	847	1050	1138	912
भारतः कुल ग्रामीण जनसंख्या कुल जनसंख्या के अनुपात में (%)	82.72	82.04	80.10	76.66	74.29	72.19	68.86

उपयुक्त तालिका से यह स्पष्ट है की छत्तीसगढ़ राज्य में पिछले 5 दशको में समग्र राज्य की वृद्धि की तुलना में ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर में कमी पायी गयी है। जहां वर्ष 1951 में कुल जन संख्या का ग्रामीण भाग 95 प्रतिशत था वहीं वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार यह 77 प्रतिशत तक हो गया है। निरपेक्ष संख्या की दृष्टि से वर्ष 1951 में ग्रामीण जनसंख्या केवल 70.93 लाख थी जो अब 2011 जनगणना के अनुसार 196.08 लाख है।

तालिका 12..2 छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य सूचकांक

सूचकांक	2013			2014		
	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी
अशोधित जन्म दर	24.4	25.8	17.9	23.4	25.0	18.4
सामान्य प्रजनन क्षमता	89	95.7	60.7	85.2	92.7	62.7
कुल प्रजनन क्षमता दर	2.6	2.8	1.8	2.6	2.8	1.9
सकल प्रजनन दर	1.6	1.3	0.9	1.3	1.4	0.8
सामान्य वैवाहिक प्रजनन क्षमता दर	123.4	130.8	90	118.4	127.9	89.4
कुल वैवाहिक प्रजनन क्षमता दर	4.5	4.5	3.9	4.6	4.9	3.7
शिशु मृत्यु दर	46	47	38	43	45	34
5 साल के नीचे मृत्यु दर	53	56	38	49	52	37
अशोधित मृत्यु दर	7.9	8.4	5.9	7.7	8.3	5.8

12.2 ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए स्वास्थ्य व शिक्षा, पानी तथा साफ–सफाई, पशु चिकित्सा सेवाओं सहित सहकारिता आवश्यक हैं, विशेष रूप से उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के युग में इस प्रकार ग्रामीण विकास, विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए एक एकीकृत अवधारणा है, जिसकी पंचवर्षीय योजनाओं में प्रमुखता रही है। किसी भी अर्थतंत्र की प्रगति के लिए ग्रामीण विकास महत्वपूर्ण माना जाता है, भारत में ग्रामीण विकास की गति चिंता का विषय है। भारत ग्रामीण विकास में अभी भी बहुत पीछे है।

निम्न तालिकाओ में छत्तीसगढ़ के सामाजिक संकेतांकों की दृष्टि से तुलनात्मक उपलब्धियों को दर्शाया गया है।

तालिका 12.3 जीवित जन्म 2008–13– संस्थागत प्रसव (सरकारी/गैर सरकारी अस्पताल) का प्रतिशत							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
कुल	35.2	40.3	47.4	54.1	63.3	66.5	71.8
ग्रामीण	30.7	35.9	43	50.3	60.5	64.0	68.2
नगरीय	65.6	68.9	76.9	79.2	81.7	83.3	85.2

तालिका 12.4 मृत्यु 2008–13– संस्थागत (सरकारी/गैर सरकारी अस्पताल) का प्रतिशत							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
कुल	25.1	25.7	25.8	26.2	26.5	32.1	35.9
ग्रामीण	20.9	21.5	21.7	22.2	22.7	28.8	31.5
नगरीय	50.1	50.3	50.6	50.9	51.3	53.7	56-8

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक कार्यक्रम /योजनायें संचालित की जा रही हैं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा – आजीविका परियोजनाएं, महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा आवास योजना आदि का क्रियान्वन किया जा रहा है. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एवं विधायक निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना का क्रियान्वयन आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय द्वारा किया जा रहा है।

ग्रामीण विकास (Rural Development) निम्नलिखित अवधारणाओं का समावेश है :–

- ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचागत सुविधाओं का प्रावधान, पीने के पानी के साथ स्कूलों का संचालन, स्वास्थ्य सुविधायेँ, सड़क, विद्युतीकरण आदि।
- ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता में सुधार।
- सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सामाजिक सेवाओं का प्रावधान।
- ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने, कृषि उत्पादकता बढ़ाने के साथ ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं लागू करना ।
- गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व व्यक्तिगत परिवारों को स्वयं सहायता समूह (SGH) के माध्यम से क्रेडिट और सब्सिडी के द्वारा उत्पादक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए सहायता।

12.3 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना :– महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) अंतर्गत राज्य में प्रथम चरण में 11 जिले में 2 फरवरी 2006 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना छत्तीसगढ़ में प्रारंभ की गई। दिनांक 01 अप्रैल 2008 से राज्य के समस्त जिलों में योजना प्रभावशील है।

- अधिनियम के तहत ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराना एवं स्थायी परिसम्पत्तियों का सृजन करना है।
- किसी भी ऐसे ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य जो अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार है, उनके द्वारा आवेदन किये जाने के 15 दिवस के भीतर रोजगार मुहैया कराये जाने की गारंटी लागू है।
- काम की मांग करने वाले आवेदक को 15 दिवस के भीतर कार्य उपलब्ध नहीं होने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। बेरोजगारी भत्ता प्रथम 30 दिवस हेतु न्यूनतम मजदूरी दर का एक चौथाई होता है एवं 30 दिवस के उपरांत न्यूनतम मजदूरी दर का आधा होता है। इस हेतु राज्य द्वारा "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार बेरोजगारी

- राज्य शासन द्वारा वर्ष 2013–14 से महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत 100 दिवस से बढ़ाकर 150 दिवस रोजगार प्रदाय किया जा रहा है। अतिरिक्त 50 दिवस पर होने वाला व्यय का वहन राज्य शासन द्वारा किया जाता है।
- वनाधिकार पट्टा धारक परिवारों को 150 दिवस का रोजगार भारत सरकार द्वारा दिया जा रहा है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)/इन्दिरा आवास योजना अंतर्गत हितग्राहियों को आवास निर्माण के लिये महात्मा गांधी नरेगा अन्तर्गत सामान्य क्षेत्रों में 90 मानव दिवस एवं पहाड़ी क्षेत्रों में 95 मानव दिवस कार्य का अतिरिक्त लाभ प्रदान की जाती है।
- योजना के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान बैंक/डाकघर के बचत खातों के माध्यम से किया जाता है।
- योजनांतर्गत वर्तमान में रू. 172/– प्रति दिवस मजदूरी दर भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है।
- योजनांतर्गत जिला स्तर पर मजदूरी एवं सामग्री का 60:40 के अनुपात में राशि व्यय का प्रावधान है।
- महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत कुछ कार्यों के लिये मशीनों का उपयोग कुछ शर्तों के अधीन दिया गया है :– भूमि का उत्पादकता बढ़ाने हेतु–कुआँ खोदने के लिये पंप सेट, कम्प्रेसर हैमर, लिफ्ट डिवाईस, सड़क निर्माण के लिये–पावर रोलर, ट्रेलर माउन्टेड वाटर ब्रोसर, स्टैटिक स्मूथ विल्ड रोलर आफ 8–20 टन वेट, मैक्निकल मिक्सर, मैक्निकल वाइब्रेटर, भवन निर्माण के लिये–मिक्सर और मैक्निकल वाइब्रेटर, भवन निर्माण सामग्री का उत्पादन – मशीन फार सी एस ई बी का प्रावधान किया गया है।

12.3.1 पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व :–

- महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत प्राप्त शिकायतों का निराकरण हेतु **''छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी शिकायत निवारण नियम,** 2012'' बनाया गया है। साथ ही पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु राज्य में पृथक से सामाजिक अंकेक्षण इकाई का गठन किया गया है।
- पारदर्शिता तथा Realtime MIS अद्यतन करने के उद्देश्य से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के कार्यों हेतु पूरे राज्य में e-Muster Roll का प्रयोग किया जा रहा है।
- महात्मा गांधीनरेगा की धारा 27 के तहत्योजना क्रियान्वयन से संबंधित शिकायतों के निवारण (निपटारे) के लिए जिला स्तर पर योजनांतर्गत 17 लोकपाल की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है, राज्य के सभी 27 जिलों का 17 प्रादेशिक क्षेत्र बनाया गया है।
- जिलों के लोकपाल द्वारा पारित अवार्ड के विरूद्ध सुनवाई हेतु राज्य स्तर पर त्रिसदस्यीय अपीलीय प्राधिकरण गठन किया गया है।

12.3.2 गुणवत्ता पूर्ण स्थायी परिसम्पत्तियों का निर्माण :– योजनांतर्गत गुणवत्ता पूर्ण स्थायी परिसम्पत्तियों का निर्माण सुनिश्चित करने हेतु ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के अभियंताओं के साथ ही पी.एम.जी.एस.वाय. मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क एवं विकास योजना के अभियंताओं के द्वारा भी मैदानी स्तर पर सतत् पर्यवेक्षण की कार्यवाही की जा रही है।

12.3.3 भुगतान प्रक्रिया :– मजदूरी भुगतान में विलंब को कम करने के उद्देश्य से PFMS / e-FMS प्रणाली अपनाई जा रही हैं। DBT (Direct Benefit Transfer) योजना के तहत आधार / EID नम्बर आधार पर संबंधित हितग्राही के खाते को अद्यतन किया जा रहा है।

12.3.4 मातृत्व अवकाश भत्ता :– राज्य शासन द्वारा योजनांतर्गत कार्यरत ऐसे महिला श्रमिकों को जो विगत 12 माह में 50 दिवस मजदूरी कार्य किया है उनको मातृत्व अवकाश भत्ता के रूप में एक माह का मजदूरी राशि का भुगतान किया जा रहा है जिसका वहन राज्य शासन द्वारा किया जाता है।

कार्य स्थल पर उपलब्ध सुविधाएं :– कार्यस्थल पर पेयजल, छाया हेतु शेड, प्राथमिक उपचार सुविधा तथा मजदूरों के 6 वर्ष से कम आयु के 5 से अधिक बच्चे होने पर शिशुघर (Creche) की व्यवस्था की जाने का प्रावधान है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत निम्न कार्य किए जाता है :–

- प्राकृतिक संसाधन से संबंधित लोकनिर्माण
- दुर्बल वर्ग के लिये अस्तियाँ का निर्माण
- एनआरएलएम स्वयं सहायता समूहों के लिए सामान्य अधोसंरचना
- ग्रामीण अधोसंरचना

12.3.5 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की प्रगति :– योजनांतर्गत वर्ष 2016–17 के अप्रेल 2016 से मार्च 2017, अप्रेल 2016 से सितम्बर 2016 एवं वर्ष 2017–18 के अप्रेल 2017 से सितम्बर 2017 तक के प्रगति का विवरण निम्नानुसार हैः–

तालिका क. 12.5 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की प्रगति

क.	मद	वर्ष 2016–17		वर्ष 2017–18
		अप्रेल से मार्च	अप्रेल से सितम्बर	अप्रेल से सितम्बर
1	पंजीकृत परिवारों की संख्या लाख	36.25	36.75	36.38
2	रोजगार उपलब्ध कराये गये परिवारों की संख्या	21.32	18.20	16.80
3	उपलब्ध राशि करोड़	2414.04	2047.37	2196.30
4	व्यय राशि करोड़	2743.40	1883.22	1986.43
5	लाख मानव दिवस सृजित	885.94	629.48	579.31
6	महिलाओं का प्रतिशत	49%	50%	51%
7	स्वीकृत कार्यो की संख्या	672205	412713	606707
8	100 दिवस रोजगार उपलब्ध कराये गये परिवारों की संख्या	172904	64583	55600

12.4 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ''बिहान'' (NRLM) :– स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का पुर्नगठन कर इसे समाप्त करते हुए दिनांक 01–04–2013 से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन सम्पूर्ण प्रदेश में लागू किया गया है। योजनांतर्गत वित्त पोषण केन्द्र तथा राज्य के मध्य 75:25 के अनुपात मे किया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य विभिन्न प्रकार के स्वरोजगार के अवसरों का सृजन कर ग्रामीण परिवारों की गरीबी दूर करना है। समुदाय आधारित समूहों के लिए सूक्ष्म उद्यमों का विकास तथा ग्रामीण बी.पी.एल. युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाना इस योजना में शामिल है एवं मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति में सार्वभौमिक सामाजिक संगठनीकरण, सामुदायिक संस्थाओं का निर्माण, समूहों के संघ का निर्माण, प्रशिक्षण एवं कौशल उन्नयन, वित्तीय समावेशन, बाजार एवं अधोसंरचना उपलब्ध कराना इत्यादि कार्य किया जाना है।

12.5 सामुदायिक निवेश कोष (Community Investment Fund**)** :– **राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन** अंतर्गत सामुदायिक निवेश कोष का प्रावधान स्व–सहायता समूहों के जीविकोपार्जन संबंधी गतिविधि को बढ़वा देने के लिए प्रारंभिक पूंजी के रूप में किया गया है, जिसके अंतर्गत स्व सहायता समूहों को सूक्ष्म ऋण योजना के आधार पर 50–75 हजार रूपए तक की राशि ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। जिसकी वापसी स्व–सहायता समूह द्वारा ग्राम संगठन के माध्यम से संकुल स्तरीय संगठन को किया जाता है।

सामुदायिक निवेश निधि की राशि संकुल स्तरीय संगठन (Cluster Level Federation-CLF) के लिये अनुदान है, परन्तु ग्राम संगठन, स्व सहायता समूह एवं उनके सदस्यों के लिये ऋण के रूप में दिया जाता है। जहां पर संकुल स्तरीय संगठन का गठन हो चुका है, वहां पर सामुदायिक निवेश निधि सीएलएफ के माध्यम से दिया जाता है, परन्तु जिस विकासखण्ड में संकुल स्तरीय संगठन का गठन नहीं हुआ है, वहां पर सामुदायिक निवेश निधि की राशि सीधे स्व सहायता समूहों को जनपद के माध्यम से दिया जा रहा है।

तालिका क. 12.6 सामुदायिक निवेश कोष

क	वित्तीय वर्ष	लक्ष्य (कुल स्व–सहायता समूह)	उपलब्धि		लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि
			स्व–सहायता समूह	राशि (लाख में)	
1	2016-17 (अप्रैल से सितम्बर तक)	2275	3612	2167.20	159%
2	2016-17 (अप्रैल से मार्च तक)	4550	6122	3788.70	135%
3	2017-18 (अप्रैल से सितम्बर तक)	4350	3579	2174	82%

12.6 चक्रिय निधि (Revolving Fund**) :-** चक्रिय निधि की परिकल्पना स्व सहायता समूह में आंतरिक उधार की प्रक्रिया को गति देने, कोष के आकार में वृद्धि करने एवं समूहों के विकास हेतु एक तंत्र के रूप में की गई है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा वैसे स्व सहायता समूह जो तीन माह से पंचसूत्र (नियमित साप्ताहिक बैठक, नियमित साप्ताहिक बचत, नियमित आंतरिक लेन–देन, नियमित ऋण वापसी तथा नियमित साप्ताहिक लेखा संधारण) का पालन कर रहे हों, उन्हें 15,000/– रूपये की राशि चक्रिय निधि के रूप में प्रदाय किये जाने का प्रावधान है।

तालिका क. 12.7 चक्रिय निधि

क.	वित्तीय वर्ष	लक्ष्य (कुल स्व–सहायता समूह)	उपलब्धि		लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि
			स्व–सहायता समूह	राशि (लाख में)	
1	2016-17 (अप्रैल से सितम्बर तक)	4621	6054	908.10	131%
2	2016-17 (अप्रैल से मार्च तक)	9242	11795	1769.25	128%
3	2017-18 (अप्रैल से सितम्बर तक)	7901	8428	1264.20	107%

12.7 बैंक लिंकेज :– महिला स्व–सहायता समूहों को आर्थिक गतिविधि से जोड़ना मिशन का मुख्य उद्देश्य है। महिला स्व–सहायता समूहों को रिपीट ऋण के माध्यम से निरंतर बैंको से ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अनुपालित महिला स्व–सहायता समूह 03% के ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया है प्रदेश में वर्तमान में कुल 1,04,726 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अनुपालित स्व–सहायता समूह हैं।

तालिका क्र. 12.8 स्व–सहायता समूहों का बैंक क्रेडिट लिंकेज					
स.क्र	वित्तीय वर्ष	लक्ष्य (कुल स्व–सहायता समूह)	उपलब्धि		लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि
			स्व–सहायता समूह	राशि (लाख में)	
1	2016-17 (अप्रैल से सितम्बर तक)	11830	6297	8237	53.00%
2	2016-17 (अप्रैल से मार्च तक)	23659	21236	30506	90.00%
3	2017-18 (अप्रैल से सितम्बर तक)	12755	6693	9959	52.47%

12.8 दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDU&GKY**)** :– पूर्व में संचालित स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के कौशल उन्नयन विशेष परियोजना को परिवर्तित करते हुए राष्ट्रीय ग्रामी ण आजीविका मिशन अंतर्गत कौशल विकास हेतु दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDU&GKY) लागू की गई है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना अंतर्गत एक परियोजनावधि अधिकतम 3 वर्ष की होगी। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना अंतर्गत राज्य के सभी जिले शामिल हैं। कौशल उन्नयन अंतर्गत 15–35 वर्ष के ग्रामीण बी .पी.एल. युवाओं को विभिन्न व्यवसाय अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जाकर कम से कम 70 % प्रशिक्षित युवाओं को औपचारिक संस्थाओं (Formal Sector) में जिला, राज्य तथा राज्य से बाहर नियोजित किया जा रहा है। वर्तमान में योजनांतर्गत कुल 37 परियोजनाएं लागत राशि रू. 471 करोड़ 50,182 युवाओं को प्रशिक्षण हेतु स्वीकृत हैं।

12.9 रोशनी कार्यक्रम (नक्सल प्रभावित जिला हेतु विशेष परियोजना) :– राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत कौशल विकास हेतु प्रदेश के कुल 08 अनुसूचित जनजाति बाहुल्य व नक्सल प्रभावित जिले क्रमशः बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कोण्डागांव तथा बलरामपुर शामिल किया गया है। इन जिलों में प्रदेश की अनुशंसा पर भारत सरकार द्वारा चयनित एजेंसियों द्वारा 15 से 35 वर्ष के युवाओं को कौशल उन्नयन अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जावेगा। इन जिलों में इस योजना का क्रियान्वयन किया जावेगा। लगभग 15000 युवाओं को आगामी 3 वर्षों में प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। रोशनी परियोजना अंतर्गत 50% महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाना प्रावधानित है। प्रशिक्षण उपरांत प्रशिक्षित युवाओं का नियोजन भी किया जावेगा। इन प्रशिक्षित युवाओं का नियोजन जिला, राज्य तथा राज्य से बाहर भी किया जा सकता है। वर्तमान में योजनांर्तत कुल 0 8 परियोजना राशि रू. 59.91 करोड़ 6333 युवाओं को प्रशिक्षण हेतु स्वीकृत है।

12.10 R-SETI (Rural Self Employment Training School) :- बी.पी.एल हितग्राहियों को समुचित प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से भारत सरकार के सहयोग से लीड बैंक के माध्यम से R-SETI की स्थापना की गई है। प्रशिक्षण हेतु समस्त राशि का वहन भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। आर–सेटी द्वारा न्यूनतम 10 दिवस से 45 दिवस के प्रशिक्षण हेतु 200 रू. प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रतिदिन के मान से अधिकतम 9000 रू. का प्रावधान है। युवाओं के रूचि के आधार पर उन्हे स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण उपलब्ध कराये जा रहे हैं साथ ही उन्हें स्वरोजगार स्थापना हेतु प्राथमिकता के आधार पर बैंक ऋण उपलब्ध कराकर लाभान्वित किया जा रहा है। वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 की भौतिक प्रगति निम्नानुसार है :–

तालिका 12.9 R-SETI (Rural Self Employment Training Institute)				
क्र.	वित्तीय वर्ष	लक्ष्य (युवाओं की संख्या)	उपलब्धि (प्रशिक्षित युवा)	लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि
1	वर्ष 2016–17	11265	13240	117%
2	वर्ष 2017–18	11730	4630	39%

12.11 प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) :–_आवास मनुष्य की अनिवार्य आवश्यकता है इंदिरा आवास योजना के स्थान पर दिनांक 01.04.2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) संचालित की

जा रही है। योजनांतर्गत इस वर्ष 206372 आवास निर्माण का लक्ष्य की पूर्ति के लिए 264277.832 लाख का एलोकशन निर्धारित है।

- वर्ष 2016–17 में SECC डाटा 2011 में दिए गए आकड़ों के आधार पर ग्राम सभा द्वारा हितग्राहियों का चयन किया जा रहा है।
- योजनांतर्गत न्यूनतम 25 वर्ग मीटर में ही आवास का निर्माण किया जाना है। जिसमें कम से कम एक कमरा पक्की छत, सीमेंट कांक्रीट स्लैब से निर्माण किया जाना है। आवास के साथ रसोई तथा शौचालय का निर्माण भी आवश्यक है।
- योजनांतर्गत राशि का अनुपात 60:40 निर्धारित है। वर्ष 2016–17 से सामान्य जिलों के लिए राशि रू. 1.20 लाख एवं आई.ए.पी. जिलों के लिए 1.30 लाख प्रति आवास इकाई लागत निर्धारित की गई है जो 03 किश्तों में 40 प्रतिशत, 40 प्रतिशत एवं 20 प्रतिशत के मान से एफ.टी.ओ (F.T.O.) के माध्यम से हितग्राहियों के खाते में राशि का भुगतान किया जाएगा।
- इसके अलावा आवास में शौचालय निर्माण के लिए मनरेगा से राशि रू. 12,000 प्रति शौचालय के मान से होगा। हितग्राहियों को राशि रू. 70,000 तक का ऋण अगर हितग्राही चाहे तो उपलब्ध कराया जा सकता है।
- मनरेगा के अंतर्गत चयनित सामान्य जिले के हितग्राहियों को मानव दिवस के रूप में 90 एवं आई.ए.पी. जिलों के हितग्राहियों को 95 दिवस का रोजगार भी उपलब्ध कराया जाएगा।
- इस प्रकार अभिसरण के माध्यम से सामान्य जिले के प्रत्येक हितग्राही को कुल राशि रू. 1.47 लाख एवं आई.ए.पी. जिलों के प्रत्येक हितग्राही को कुल राशि रू. 1.57 लाख मिलेगा।
- योजनातंर्गत अच्छी गुणवत्ता युक्त आवास निर्माण के लिए कुशल प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों से आवास निर्माण कराने हेतु योजनांतर्गत ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है।
- राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत 15280 हितग्राहियों को प्रशिक्षित किये जाने का प्रावधान है जिसमें से अब तक 3070 हितग्राहियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है तथा 12210 हितग्राही प्रशिक्षित हो रहे हैं।
- वर्ष 2016–17 में योजनांतर्गत 232903 में से माह नवम्बर 2017 तक 110480 आवास निर्माण कार्य पूर्ण किये गये हैं। योजनांतर्गत राशि रू. 290239.20 लाख का एलोकेशन में से अब तक राशि रू. 207378.36 लाख व्यय हुआ।

12.12 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना :– गांव की सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति की कल्पना अच्छी सड़कों के बिना संभव नहीं है। इसलिये आवश्यक है कि प्रत्येक गांव को बारामासी सड़कों से जोड़ा जावे। अतः भारत सरकार द्वारा 25.12.2000 को ''प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना'' इस उद्देश्य के साथ प्रारंभ की गई थी कि ''सामान्य क्षेत्रों में 500 तथा आदिवासी क्षेत्र एवं आई.ए.पी. जिलों में 250 या इससे अधिक आबादी की समस्त बिना जुड़ी हुई बसाहटों को अच्छी बारहमासी सड़कों से जोड़ा जाना है''। ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा 09 अप्रैल 2014 को नक्सल प्रभावित 07 जिलों के 29 विकासखण्डों का चयन करते हुए इन विकासखण्डों में 100 से 249 जनसंख्या वाली बसाहटों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने हेतु स्वीकृति है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सिर्फ अन्य जिला सड़कों एवं ग्राम सड़कों को सम्मिलित किया जा सकता है। शहरी क्षेत्र की सड़कों को इस कार्यक्रम की परिधि से बाहर रखा गया हे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक बसाहट को कम से कम एक बारहमासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराना है।

12.12.1 प्राथमिकता :–

पहली – सभी 1000 या उससे अधिक आबादी की बसाहटों (आदिवासी तथा पहाड़ी क्षेत्र की स्थिति में 500 या उससे अधिक आबादी की बसाहटों) को बारामासी मार्ग से जोड़नें का कार्य।

दूसरी – सभी 500 या उससे अधिक आबादी की बसाहटें (आदिवासी तथा पहाड़ी एवं आईएपी जिलों में क्षेत्र की स्थिति में 250 या उससे अधिक आबादी की बसाहटें) को बारामासी मार्ग से जोड़ने हेतु नई सड़क निर्माण।

तीसरी – सभी मुख्य मार्गों (Through Routes) का उन्नयन।

चौथी – सभी संपर्क मार्ग (Link Routes) का उन्नयन।

योजनांतर्गत वर्ष 2016–17 में अप्रैल 2016 से मार्च 2017 तक 185 सड़कें लंबाई 1019 कि . मी. एवं 50 वृहद पुल पूर्ण कर रू. 422.05 करोड़ का व्यय किया गया। वर्ष 2016–17 में माह सिंतबर 2016 तक 88 सड़कें, लंबाई 312.11 कि.मी. एवं 28 वृहद पुल पूर्ण कर रू 174.72 करोड़ व्यय किया गया था। चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में सितंबर 2017 तक 48 सड़कें, लंबाई 219.80 कि.मी. एवं 12 वृहद पुल पूर्ण कर रू. 191.05 करोड़ का व्यय किया गया है।

12.13 मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना :– 23 अप्रैल 2011 से लागू राज्य पोषित योजना अंतर्गत ऐसी बसाहटें जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मापदण्डों में नही हैं, के अनुरूप कोर नेटवर्क में शामिल उन बसाहटों को जोडने का प्रावधान है। वर्तमान में इस योजना अंतर्गत प्रदेश के सामान्य जिलों के सामान्य विकासखण्डों के 250 या उससे अधिक जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) की बिना जुड़ी बसाहटों को बारहमासी डामरीकृत सड़क के माध्यम से मुख्य सड़क से जोड़ते हुए सड़क संपर्क उपलब्ध कराया जाना है।

अब तक इस योजना अंतर्गत 1385 सड़कें, लंबाई 4380.68 कि.मी., राशि रू. 2170.73 करोड़ की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। माह–अक्टूबर 2017 तक 1123 सड .कों में 3186 .38 कि.मी. लंबाई पूर्ण कर रू . 1473.70 करोड़ व्यय किया गया है। वर्ष 2017–18 हेतु इस योजना के लिए रू. 300 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है, जिसके विरूद्ध माह–अक्टूबर 2017 तक रू . 91.65 करोड़ व्यय किया जा चुका है।

वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 (सितंबर तक) की उपलब्धि निम्नानुसार है :–

तालिका क. 12.10 मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना (राशि करोड़ रू. में, लंबाई कि.मी. में)

स.क.	वर्ष	पूर्ण सड़कों की संख्या	पूर्ण लम्बाई	व्यय राशि
1	2016-17 (अप्रैल से सितम्बर तक)	50	145.26	81.04
2	2016-17 (अप्रैल से मार्च तक)	176	477.49	204.03
3	2017-18 (अप्रैल से सितम्बर तक)	66	190.03	70.76

12.14 मुख्यमंत्री ग्राम गौरवपथ योजना :– वर्ष 2012–13 से लागू। सीमेंट कांक्रीट सड़क एवं नाली का निर्माण (शहरो में गौरव पथ के तर्ज पर), कम से कम 200 मीटर एवं अधिकतम 500 मीटर लंबाई, 6.00 मी. चौड़ाई की सड़क, बीच में 4.00 मी. चौड़ाई में कांक्रीट मार्ग निर्माण, 0.50 मी. चौड़ाई में दोनो तरफ कांक्रीट पेविंग/खरंजा तथा शेष चौड़ाई में दोनो तरफ 0.50 मी. चौड़ाई में "V" आकार की नाली का निर्माण किया जाता है।

मुख्यमंत्री ग्राम गौरवपथ योजना अंतर्गत कम से कम एक तरफ नाली निर्माण आवश्यक है। यदि अपरिहार्य कारणों से एक तरफ भी नाली निर्माण हेतु पर्याप्त स्थल उपलब्ध न हो, ऐसी स्थिति में गौरवपथ का निर्माण प्रारंभ नहीं कर कार्य निरस्तीकरण हेतु प्रस्तावित करने के निर्देश है।

इस योजना अंतर्गत अब तक 6582 कार्य, लंबाई 1869.36 कि.मी., लागत रू. 1124.07 करोड़ की स्वीकृति जारी की जा चुकी है, अद्यतन कुल 6193 गौरवपथ, लंबाई 1819 .38 कि.मी. पूर्ण किये गये, जिसमें रूपये 877.52 करोड़ व्यय किया गया है। वर्ष 2017–18 में इस योजना हेतु 126. 00 करोड़ का बजट आबंटित किया गया है, जिसके विरूद्ध इस वित्तीय वर्ष माह–अक्टूबर तक रू. 24.69 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 (सितंबर तक) की उपलब्धि निम्नानुसार हैं :–

तालिका क्र. 12.11 मुख्यमंत्री ग्राम गौरवपथ योजना			(राशि करोड़ रू.में, लंबाई कि.मी. में)	
क्र.	वर्ष	पूर्ण सड़कों की संख्या	पूर्ण लम्बाई	व्यय राशि
1	2016-17 (अप्रैल से सितम्बर तक)	319	115.01	50.61
2	2016-17 (अप्रैल से मार्च तक)	616	199.36	140.90
3	2017-18 (अप्रैल से सितम्बर तक)	418	110.048	19.81

12.20 रोजगार सेवा –

12.20.1 रोजगार सेवा के उद्देश्य एवं कार्य :– राज्य की रोजगार सेवा, रोजगार सहायता के इच्छुक आवेदकों को सतत् उत्कृष्ट रोजगार सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से सदैव तत्पर हैं, छत्तीसगढ़ रोजगार सेवा निम्न कार्यों के माध्यम से अपनी सेवायें प्रदान कर रही है:–

12.20.2 रोजगार सहायता इच्छुक आवेदकों का पंजीयन :– रोजगार सहायता के इच्छुक आवेदकों का पंजीयन प्रदेश के समस्त जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्रों द्वारा आवेदकों के शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, निवास एवं जाति प्रमाण पत्रों इत्यादि के आधार पर किया जाता है। यह पंजीयन कार्यालय के अतिरिक्त किसी भी स्थान ऑनलाइन रोजगार सेवा के पोर्टल http://cg.nic.in/exchange के माध्यम से किया जा सकता है। पंजीकृत आवेदकों को अपने अभिलेखों का सत्यापन 15 दिवस के भीतर जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र से कराया जाना अनिवार्य है। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्रों के अतिरिक्त विकासखंड स्तर पर भी पंजीयन एवं नवीनीकरण की सुविधा प्रदान की जाती है।

12.20.3 पूर्व पंजीयन का नवीनीकरण:– पूर्व से पंजीकृत आवेदकों के पंजीयन रिकार्ड का नवीनीकरण पंजीयन माह के तीन वर्ष पश्चात् किया जाता है। रोजगार सेवा के पोर्टल से भी नवीनीकरण किया जा सकता है।

12.20.4 प्लेसमेन्ट कैम्प का आयोजन:– प्रदेश के जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्रों द्वारा प्रतिमाह विभिन्न जिलों में प्लेसमेन्ट कैम्प आयोजित कर स्थानीय नियोजकों के यहाँ उपलब्ध रोजगार के अवसरों का लाभ स्थानीय रोजगार इच्छुकों को दिया जा रहा है। जिसके अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में लगभग 11 हजार आवेदकों को पंजीकृत कर 6123 आवेदकों को रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है।

तालिका 12.14 प्लेसमेन्ट कैम्प			
क्र.	**वर्ष**	**आयोजित प्लेसमेन्ट कैम्प की संख्या**	**चयनित आवेदकों की संख्या**
1.	2013–14	13	3320
2.	2014–15	18	2384
3.	2015–16	173	10425
4.	2016–17	265	6123

12.20.5 रिक्तियों की अधिसूचना का सम्प्रेषण एवं नियुक्ति :– रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 के प्रावधानों के अंतर्गत नियोजकों से प्राप्त अधिसूचित रिक्तियों को जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्रों द्वारा दर्ज किया जाता है। रिक्तियों की प्रकृति के अनुसार निर्धारित योग्यता एवं अनुभव के आधार पर शासन द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप योग्य आवेदकों का सम्प्रेषण नियोक्ता को किया जाता है। वर्तमान में 1 रिक्त पद के विरूद्ध 12 आवेदकों के नाम वरिष्ठता क्रमानुसार प्रेषित किए जाने का प्रावधान है।

12.20.6 युवा क्षमता विकास योजना का क्रियान्वयन :– इस हेतु वर्ष 2015–16 से ''युवा क्षमता विकास योजना'' प्रारंभ की गई है। योजनान्तर्गत निम्नानुसार प्रावधान हैं:–

(क) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के हितग्राहियों को प्रचलित ब्याज दर में प्रथम वर्ष के लिये 6 प्रतिशत की छूट।

(ख) व्यापम द्वारा आयोजित सभी प्रवेश तथा भर्ती परीक्षाओं के शुल्क में रू. 100/– प्रति परीक्षार्थी की दर से कमी।

(ग) शासकीय आई.टी.आई. में अध्यनरत छात्रों के शिक्षण शुल्क (अ.जा./अ.ज.जा. छात्रों को छोड़कर शेष छात्रों द्वारा देय रू. 1000/– प्रतिवर्ष) तथा परीक्षा शुल्क (रू. 100/– प्रति छात्र प्रति सेमेस्टर) में 50 प्रतिशत की कमी।

(घ) छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई के द्वारा आयोजित डिप्लोमा, स्नातक तथा स्नातकोत्तर परीक्षाओं (बैक पेपर्स को छोड़कर) के परीक्षा शुल्क (लगभग रू. 800/– प्रति सेमेस्टर) में 50 प्रतिशत की कमी करते हुए कमी की पूर्ति इस योजना से किया जाना।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में राशि रूपये 5.00 करोड़ बजट प्रावधान किया गया है।

तालिका 12.15 विगत पांच वर्षों में संपादित कार्य

वर्ष	पंजीयन				नियुक्ति				जीवित पंजी			
	कुल	अनु. जाति	अनु. जनजाति	अपिव	कुल	अनु. जाति	अनु. जनजाति	अपिव	कुल	अनु. जाति	अनु. जनजाति	अपिव
2012	271986	23150	42681	55592	296	26	132	79	1466554	139235	264159	312061
2013	204583	18025	35271	47348	776	55	70	57	1545791	145102	267062	297232
2014	282553	27588	53360	74535	1043	21	69	80	1345530	130682	303835	323811
2015	278258	28725	61917	82089	1508	70	710	302	2021119	197342	406261	458675
2016	366979	39693	78180	116111	653	56	54	209	2220235	224895	465633	552138

नगरीय विकास

13

अध्याय

13 नगरीय विकास

मुख्य बिंदु :-

- ग्रामों से नगरों की ओर जनसंख्या का आना अर्थव्यस्था में विकास की कुंजी तथा शहरों की संख्या में वृद्धि सम्पन्नता को बढ़ाती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, आवास, यातायात, दूरसंचार इसके मूल तत्व हैं। वर्ष 1951 में जहॉ शहरीकरण 4.88 प्रतिशत (3.64 लाख) था, यह वर्ष 2011 में बढ़कर 23.24 प्रतिशत (59.37 लाख) हो गया है।
- शहरी क्षेत्र में नागरिक सुविधाओं हेतु संचालित योजनाएं -सरोवर धरोहर योजना, ज्ञानस्थली योजना, उन्मुक्त खेल मैदान योजना, पुष्प वाटिका उद्यान योजना, पं. दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, मुक्तिधाम निर्माण योजना, ट्रॉसपोर्ट नगर योजना, महिला समृद्धि योजना, हाट-बाजार समृद्धि योजना, सॉस्कृतिक भवन योजना, गोकुल नगर योजना, भागीरथी नलजल योजना, वाटर एटीएम योजना इत्यादि।
- स्वरोजगार योजना -सभी नगरीय निकायों में शिक्षित बेरोजगार युवक/युवतियों के लिए मुख्यमंत्री स्वालंबन योजना एवं महिला समृद्धि बाजार योजना, अन्नपूर्णा सामुदायिक सेवा केन्द्र योजना।
- स्वस्च्छ भारत मिशन - पूर्ण स्वच्छता के लक्ष्य अंतर्गत छ.ग. राज्य मॉडल को प्रधानमंत्री द्वारा पुरस्कृत तथा आगामी 3 वर्षों में खुले में शौच प्रथा का पूर्णतया समापन का लक्ष्य।
- स्वच्छ पेयजल हेतु वाटर ए.टी.एम. की स्थापना।

13. नगरीय विकास

विश्व तीव्रगति से शहरीकृत होता जा रहा है जिसके परिणाम स्वरूप मानव सभ्यता अधिकाधिक नगरीय सभ्यता बनती जा रही है। मानव सभ्यता की प्रवृत्ति ग्रामों से शहरों की ओर जाने की है।

अनुभव से यह स्थापित होता है कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास शहरीकरण से दृढ़ता से संबंधित है। सामान्यतः बड़े शहरों में बसने वाले लोगों के वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग की दृष्टि से ही उत्पादन होता है। अर्थव्यवस्था के पैमाने के अनुसार उच्च जनसंख्या एवं जनसंख्या घनत्व लेन–देन का व्यय कम करता है तथा सेवाओं को सस्ता बनाता है। बड़े शहरों में आनुपातिक रूप से प्रवर्तन, उत्कर्ष, वस्तुओं और सेवाओं का हर संभव उत्पादन अधिक होता है। वास्तव में शहर विकास का इंजन है।

तालिका 13.1 छत्तीसगढ़ में शहरीकरण की गति

मद	1951	1961	1971	1981	1991	2001	2011
कुल जनसंख्या (लाख)	74.57	91.54	116.37	140.1	176.15	208.34	255.45
दशकीय जनसंख्या कुल वृद्धि दर	9.42	22.77	27.12	20.39	25.73	18.27	22.61
शहरी जनसंख्या (लाख)	3.64	7.63	12.08	20.58	30.65	41.86	59.37
दशकीय शहरी जनसंख्या वृद्धि दर		109.52	58.37	70.39	48.9	36.58	41.84
शहरी जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर		3.99	4.45	8.5	10.07	11.21	17.51
कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत	4.88	8.33	10.38	14.69	17.4	20.09	23.24
भारत की कुल जनसंख्या	3,611	4,392	5,482	6,833	8,464	10,287	12,109
भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर	13.31	21.64	24.8	24.66	23.87	21.54	17.7
भारत की शहरी जनसंख्या (लाख)	624	789	1,091	1,595	2,176	2,861	3,771
भारत की शहरी जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर		26.44	38.28	46.2	36.43	31.49	31.8
भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत	17.28	17.96	19.9	23.34	25.71	27.81	31.14

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ राज्य में नगरीय जनसंख्या न केवल छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या की वृद्धि से अधिक बढ़ रही है, बल्कि यह समस्त देश के शहरी जनसंख्या वृद्धि से अधिक गति से बढ़ रही है। जहां वर्ष 1951 में कुल जनसंख्या का नगरीय भाग 5 प्रतिशत से भी कम था वहीं वर्ष 2011 की जनगणनानुसार इसमें 23 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई है। निरपेक्ष संख्या की दृष्टि से वर्ष 1951 में शहरी जनसंख्या केवल 3.64 लाख थी जो अब बढ़कर 2011 जनगणना के अनुसार 59.37 लाख हो गई है। यह वास्तव में शहरीकरण के मोर्चे पर उल्लेखनीय प्रगति है। तथापि यह ध्यान देने योग्य है कि शहरीकरण का स्तर (23.24 प्रतिशत 2011 जनगणना के अनुसार) देश के स्तर (31.23 प्रतिशत 2011 जनगणना अनुसार) से काफी कम है। यह मुख्यतः शहरीकरण के देर से आरंभ होने, राज्य में कम औद्योगीकरण एवं गरीबी का स्तर उच्च होने इत्यादि के कारण हैं। गरीब अर्थव्यवस्था से अमीर अर्थव्यवस्था की ओर परिवर्तन ग्रामों से नगरों की ओर जनसंख्या के जाने की गति पर निर्भर करता है। राज्य में रायपुर–भिलाई पेटी में सबसे तीव्र शहरीकरण देखा जा सकता है जो कि तेजी से मेट्रोप्लेक्स के रूप में उभर रहा है। छोटे ग्रामों की बहुलता गरीबी को पर्याप्त बढ़ावा देती है जबकि बड़े शहरों की संख्या में वृद्धि संपन्नता को बढ़ाती है।

मूल निवास इकाइयों की श्रेणी एवं गुणवत्ता अर्थव्यवस्था की सफलता निर्धारित करती है। बड़ी उत्पादन इकाइयों को बहुत अधिक लोगों की आवश्यकता पड़ती है, जिससे सहायक गतिविधियॉ बढ़ जाती है, जिससे पुनः अधिक जनबल की आवश्यकता पड़ती है। किसी विशेष स्थान पर बहुत बड़ी जनसंख्या होने से भौतिक एवं सामाजिक आधारभूत सुविधा जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, आवास, यातायात, सड़कें, दूरसंचार, जलप्रदाय, स्वच्छता इत्यादि की अधिक मांग बढ़ती है। नगरीय प्रशासन के लिए उक्त मूल आवश्यकताओं की पूर्ति एक दुरूह कार्य हो जाता है। भीड़ भरे उपनिवेश बिना उचित भौतिक अधोसंरचना जैसे आवास, स्वच्छता, जलप्रदाय के शहरी क्षेत्रों में प्रायः गंदी बस्ती में परिवर्तित होने लगते हैं।

यद्यपि शहरीकरण अर्थव्यवस्था में विकास की कुंजी है, भारत में इसकी न्यून गति चिंता का विषय है। यू.एन. के शहरीकरण के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि विगत् 15 वर्षों से भारत शहरीकरण में काफी पीछे है। (1970–71 में शहरी क्षेत्र की जी.डी.पी. 37.7 प्रतिशत तेज गति से होने की आवश्यकता है।) केंद्र सरकार इस मामले में संवेदनशील है और नई योजनाएँ जैसे अमृत, स्मार्टशहर, हेरिटेज शहरों का विकास इत्यादि का शुभारंभ किया गया है।

सतत विकास लक्ष्य के लक्ष्य क्रमांक 11 के अंतर्गत भी शहर और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित लचनशील और चिरस्थायी बनाया जाना प्रस्तावित है। इसके तहत वर्ष 2030 तक प्राप्त किये जाने हेतु निम्नांकित लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं–

1. पर्याप्त, सुरक्षित और किफायती आवास और आधारभूत सेवाओं तक सभी के लिए पहुँच सुनिश्चित करना और मलीन बस्तियों का उन्नयन करना।
2. सड़क सुरक्षा में सुधार करते हुए, विशेषकर कमजोर स्थिति वाले लोगों, महिलाओं, बच्चों, विकलांग व्यक्तियों और वृद्ध व्यक्तियों की जरूरतों पर विशेष ध्यान देने के साथ सार्वजनिक परिवहन का विस्तार करके, सभी के लिए सुरक्षित, सस्ती, सुलभ और चिरस्थाई परिवहन व्यवस्था तक पहुँच प्रदान करना।
3. सभी देशों में समावेशी और चिरस्थाई शहरीकरण और सहभागी, एकीकृत और चिरस्थाई मानव बस्ती योजना और प्रबंधन के लिए क्षमता का संवर्धन करना।
4. विश्व की सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर की रक्षा और सुरक्षा करने के लिए प्रयासों का सुदृढ़ीकरण करना।
5. गरीबों और कमजार स्थितियों वाले लोगों की सुरक्षा पर ध्यान देने के साथ पानी से संबंधित आपदाओं सहित आपदाओं की वजह से हाने वाली मौतों की संख्या और प्रभावित लोगों की संख्या में ठोस कमी लाना ओर सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष आर्थिक हानियाँ (*X*) प्रतिशत तक कम करना।
6. हवा की गुणवत्ता और नगर निगम और अन्य अपशिष्ट प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने सहित शहरों का प्रति व्यक्ति प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव कम करना।
7. विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों, बुजुर्गों और विकलांग व्यक्तियों के लिए सुरक्षित, समावेशी और सुलभ, हरित और सार्वजनिक स्थलों तक सार्वभौमिक पहुँच प्रदान करना।

छत्तीसगढ़ के नगरीय सामाजिक संकेतांकों की दृष्टि से तुलनात्मक उपलब्धियों को नीचे दर्शाया गया है, जो ग्रामीण क्षेत्र से बेहतर कार्य निष्पादन को भी दर्शाता है।

तालिका 13.2 छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य संकेतांकः 2013 (Health Indicators Chhattisgarh: 2013)

Indicators	Total	Rural	Urban
अशोधित जन्म दर (Crude birth rate)	24.4	25.8	17.9
सामान्य प्रजनन दर (Generalfertilityrate)	89.0	95.7	60.7
कुल प्रजनन दर (Totalfertility rate)	2.6	2.8	1.8
सकल प्रजनन दर (Grossreproductionrate)	1.3	1.3	0.9
सामान्य वैवाहिक जीवन में प्रजनन दर (Generalmaritalfertility rate)	123.4	130.8	90.0
कुल वैवाहिक जीवन में प्रजनन दर (Totalmaritalfertilityrate)	4.5	4.5	3.9
शिशु मृत्यु दर (Infantmortality rate)	46	47	38
पाँच वर्ष के अंदर शिशु मृत्यु दर (Under-fivemortalityrate)	53	56	38
अशोधित मृत्यु दर (Crudedeathrate)	7.9	8.4	5.9

तालिका 13.3 – शासकीय/निजी अस्पतालों में प्रसव के दौरान चिकित्सीय देखभाल प्राप्त होने वाले जीवित जन्मों का प्रतिशत (2008–13)

मद	2008	2009	2010	2011	2012	2013
कुल	35.2	40.3	47.4	54.1	63.3	66.5
ग्रामीण	30.7	35.9	43.0	50.3	60.5	64.0
नगरीय	65.6	68.9	76.9	79.2	81.7	83.3

तालिका 13.4 – शासकीय/निजी अस्पतालों में प्रसव के दौरान चिकित्सीय देखभाल प्राप्त होने वाले मृत्यु का प्रतिशत (2008–13)

मद	2008	2009	2010	2011	2012	2013
कुल	25.1	25.7	25.8	26.2	26.5	32.1
ग्रामीण	20.9	21.5	21.7	22.2	22.7	28.8
नगरीय	50.1	50.3	50.6	50.9	51.3	53.7

समान्य विभागीय जानकारी

13.1 छत्तीसगढ़ शासन का नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग प्रदेश की नगरपालिक निगमों, नगरपालिका परिषदों तथा नगर पंचायतों का प्रशासकीय विभाग है। शहरी क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन की योजनाएं भी इस विभाग के अधीन गठित राज्य शहरी विकास अभिकरण द्वारा संचालित की जाती हैं।

शहरी गरीबी उपशमन की योजनाओं के संचालन व अनुश्रवण हेतु माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में राज्य शहरी विकास अभिकरण एवं जिलों में कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला शहरी विकास अभिकरण कार्यरत हैं। जिला शहरी विकास अभिकरण के कार्यों के संचालन हेतु परियोजना अधिकारी पदस्थ किए गए हैं।

13.2 नगरीय निकाय :- भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 'थ' के अधीन वृहत्तर नगरीय क्षेत्र, लघुत्तर नगरीय क्षेत्र तथा संक्रमणशील क्षेत्रों के लिए क्रमशः नगर पालिक निगम, नगर पालिका परिषद् तथा नगर पंचायत के गठन की व्यवस्था है। इस संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप प्रदेश में नगरीय निकायों का गठन किया गया है।

13.2.1 विभाग के दायित्व :-

इस विभाग को सौंपे गये प्रमुख कार्य निम्नानुसार हैं :–

- नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से संबंधित कार्य।
- तंग बस्ती सुधार योजनाओं का पर्यवेक्षण।
- नगरीय क्षेत्रों में गरीबों के उन्नयन के लिए विशिष्ट योजनाएं तैयार करना तथा उनका पर्यवेक्षण।?
- छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्र में भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम का क्रियान्वयन एवं पट्टों के दस्तावेजों का पर्यवेक्षण।
- शहरी गरीबों के लिए आवास व्यवस्था का पर्यवेक्षण।
- चुंगी क्षतिपूर्ति कर निधि का प्रशासन।
- वित्त एवं सामान्य प्रशासन विभाग को आबंटित विषयों को छोड़कर विभाग के अधीन सेवाओं का कार्मिक प्रशासन आदि।

13.3 सामान्य या प्रमुख विशेषताएँ :-

13.3.1 वित्तीय प्रशासन :-

संविधान के अनुच्छेद 243 'भ' में करारोपण द्वारा राजस्व वसूली का अधिकार नगरीय निकायों को प्राप्त है। इस संवैधानिक व्यवस्था को छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 132 एवं 127 में क्रमशः स्थापित किया गया है। निकायों को शासन द्वारा चुंगी क्षतिपूर्ति अनुदान तथा यात्रीकर विशेष अनुदान का भुगतान मासिक तौर पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त निकाय स्तर पर मुख्य रूप से निम्नांकित कर अधिरोपित किए जाते हैं:–

1. संपत्ति कर
2. समेकित कर
3. जलकर
4. बाजार शुल्क
5. निर्यात कर

नगरीय क्षेत्रों में संपत्तिकर के निर्धारण एवं वसूली की प्रक्रिया में अनुभव की गई कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा संपत्तिकर के स्व–निर्धारण की प्रक्रिया नगरीय क्षेत्रों में लागू की गई है। इसके अंतर्गत संबंधित निकायों

द्वारा क्षेत्रवार अधिसूचित वार्षिक भाड़ा मूल्य के आधार पर करदाता स्वयं उसके द्वारा धारित संपत्ति पर देय संपत्ति कर का आंकलन तथा तद्नुसार स्व–निर्धारित राशि निकाय के कोष में जमा करता है।

शासन द्वारा संपत्तिकर के स्वनिर्धारण प्रक्रिया लागू करने के साथ ही सफाई कर, प्रकाश कर एवं अग्निकर के बदले वार्षिक भाड़ा मूल्य के आधार पर समेकित कर नगरीय क्षेत्रों में लागू किया गया है।

13.3..2 छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निधि :-

प्रदेश में नगरीय निकायों के योजनाबद्ध विकास हेतु छत्तीसगढ़ नगर विकास निधि नियम, 2003 बनाया गया है। नगर विकास निधि के अंतर्गत दो खातों, न्यागमन खाता एवं अधोसंरचना खाते का संधारण किया जाता है। जिनसे निम्नानुसार कार्यो को संपादित किया जाता है :–

- सड़कों से संबंधित कार्य, जिसमें उनके मरम्मत कार्य भी सम्मिलित है।
- पेयजलय योजना के लिए आवश्यक रकम में नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाला अनुदान भी शामिल है।
- अग्निशमन सेवा सुधार।
- किसी विशेष योजना, जो राज्य शासन द्वारा लागू की गई है।
- कूड़ा–कचरा अपशिष्ठ का प्रबंधन।
- नगरीय स्थानीय निकायों में मूलभूत सुविधाओं का विकास।

13.3.3 निर्वाचन :-

74 वें संविधान संशोधन के अनुरूप राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम तथा छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम में स्थानीय निकायों के समय–सीमा में निर्वाचन कराये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इस हेतु छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। यह आयोग छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निकायों के निर्वाचन के लिए अधिनियम के अंतर्गत स्वतंत्र एजेंसी के रूप में कार्यरत है।

13.3.4 महत्वपूर्ण सांख्यिकीय :-

2011 जनगणना :–

– शहरी आबादी 2011 – 59.36 लाख

– कुल जनसंख्या का प्रतिशत – 23.24 प्रतिशत

13.4 विभाग द्वारा संचालित प्रमुख राज्य प्रवर्तित योजनाएँ :-

13.4.1 नवीन सरोवर धरोहर योजना :- शहरी क्षेत्रों में स्थित तालाबों के पुनरोद्धार, सौन्दर्यीकरण एवं पर्यावरण सुधार की एकीकृत योजना। जलाशयों के संपूर्ण विकास हेतु आवश्यकतानुसार चरणबद्ध वित्तीय सहायता प्रदान करना। जलाशयों में दूषित जल के प्रवेश को रोकना तथा अतिक्रमण मुक्त कराना। परिसर में वहद वृक्षारोपण संरक्षण ऐरियेशन से जल की सफाई, पाथ–वे विद्युतीकरण सहित एवं महिला घाट का अनिवार्य प्रावधान। तालाब में मत्स्य पालन मूर्तियां एवं अन्य सामग्री का विसर्जन पूर्णतः प्रतिबंध। प्रथम चरण में रू. 3.00 लाख, द्वितीय चरण में रू. 22.50 लाख एवं तृतीय चरण में रू. 12.00 लाख, प्रति हेक्टेयर का प्रावधान। योजनांतर्गत वर्ष 2015–16 में कुल 26 परियोजनाओं हेतु रू.1515.596 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी प्रकार वर्ष 2017–18 में 08 परियोजनाओं हेतु रू. 201.13 लाख को स्वीकृति प्रदान की गई है। योजनांतर्गत अब–तक 610 परियोजनाओं हेतु रू. 13905.90 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। अद्यतन रू.11748.89 लाख व्यय, 540 परियोजनाएँ पूर्ण।

13.4.2 ज्ञानस्थली योजना :- शहरी क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों के जीर्णोद्धार तथा अतिरिक्त कमरों के निर्माण की योजना। प्राथमिक शाला के लिए 8.75 लाख रूपए, माध्यमिक शालाओं के लिए 13.70 लाख, उच्चतर माध्यमिक शालाओं के लिए 15.25 लाख तथा महाविद्यालय के लिए 18.24 लाख रूपए का प्रावधान है। नगरीय निकायों को शत–प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है। योजनांतर्गत वर्ष 2016–17 में कुल 50 परियोजनाओं हेतु रू. 421.69 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी प्रकार वर्ष 2017–18 में 70 परियोजनाओं हेतु रू. 306.58 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजनांतर्गत अब–तक 1237 परियोजनाओं हेतु रू. 4986.53 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। अद्यतन रू. 3837.822 लाख व्यय, 1039 परियोजनाएं पूर्ण।

13.4.3 उन्मुक्त खेल मैदान योजना :- शहरी क्षेत्रों में स्थित खेल मैदानों के संरक्षण एवं नवीन खेल मैदान बनाने की योजना। प्रति हेक्टेयर 40.50 लाख रूपये का प्रावधान। नगरीय निकायों को शत–प्रतिशत अनुदान। योजनांतर्गत वर्ष 2016–17 में कुल 03 परियोजनाओं हेतु रू. 46.27 लाख स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी प्रकार वर्ष 2017–18 में 05 परियोजनाओं हेतु रू. 63.82 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजनांतर्गत अब–तक 212 परियोजनाओं हेतु रू. 3009.31 लाख स्वीकृत प्रदान की गई है। अद्यतन रू. 2125.628 लाख व्यय, 175 परियोजनाएँ पूर्ण।

13.4.4 पुष्प वाटिका उद्यान योजना :- शहरी क्षेत्रों में रिक्त स्थानों एवं कालोनियों के बीच स्थित स्थानों को विकसित कर उद्यान बनाने योजना। प्रति हेक्टेयर रू. 37.00 लाख का प्रावधान। नगरीय निकायों को शत–प्रतिशत अनुदान। योजनांतर्गत वर्ष 2016–17 में कुल 17 परियोजनाओं हेतु रू. 746.15 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी प्रकार वर्ष 2017–18 में कुल 06 परियोजनाओं हेतु रू. 91.90 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजनांतर्गत अब–तक 463 परियोजनाओं हेतु रू. 7385.92 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। अद्यतन रू. 3915.46 लाख व्यय, 288 परियोजनाएं पूर्ण।

13.4.5 पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वालंबन योजना :- असंगठित रूप से गुमटी–ठेले एवं फेरी लगाकर जीविकोपार्जन करने वाले परिवारों के आर्थिक उत्थान की योजना। प्रति गुमटी राशि रू. 0.30 लाख का प्रावधान। नगरीय निकाय को शत–प्रतिशत अनुदान। योजनांतर्गत वर्ष 2017–18 में 15 परियोजनाओं हेतु रू. 4.50 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजनांतर्गत अब–तक 3710 गुमटियों हेतु राशि रू. 641.10 लाख की स्वीकृत प्रदान की गई है। अद्यतन रू. 640.67 लाख व्यय, 3600 परियोजनाएं पूर्ण

13.4.6 मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना :- नगरीय निकायों के बेरोजगार नवयुवकों तथा नवयुवतियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु दुकान/चबूतरा उपलब्ध कराने की योजना। बड़ी दुकान के लिए रू. 1.18 लाख तथा रू. 0.98 लाख की लागत से छोटी दुकान एवं रू. 6500.00 की लागत से चबूतरों का निर्माण। नगरीय निकायों को 50 प्रतिशत ऋण एवं 50 प्रति अनुदान का प्रावधान। दुकान एवं चबूतरे नगरीय निकाय द्वारा पात्र हितग्राहियों को निर्धारित न्यूनतम अमानत राशि एवं मासिक किराये पर आबंटन। योजनांतर्गत अब–तक 12512 परियोजनाओं हेतु रू. 2739.975 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। अद्यतन रू. 2617.725 लाख व्यय, 8743 परियोजनाएं पूर्ण।

13.4.7 महिला समृद्धि बाजार योजना :- प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में रह रहे बेरोजगार महिला एवं नवयुवतियों को उनके आर्थिक स्थिति को मजबूत करने व आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उनके द्वारा तैयार उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने हेतु सस्ता सुरक्षित तथा मूलभूत सुविधायुक्त बाजार स्थल पर दुकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, महिला समृद्धि बाजार योजना प्रारंभ की गई है। योजनांतर्गत अब तक 778 परियोजनाओं हेतु रू. 194.50 लाख की स्वीकृत प्रदान की जा चुकी है। अद्यतन रू. 155.16 लाख व्यय, 616 परियोजनाए पूर्ण।

13.4.8 ट्रांसपोर्ट नगर योजना :- प्रदेश में यातायात व्यवस्था को सुगम एवं सुव्यवस्थित बनाने हेतु 8 निकायों में ट्रांसपोर्ट नगर योजना। कुल 08 निकायों में रू. 21.31 करोड़ की योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। अद्यतन रू. 15.23

करोड़ व्यय, परियोजनाएं पूर्ण।

13.4.9 गोकुल नगर योजना :- डेयरी व्यवसाय को शहर के बाहर व्यवस्थित रूप से बसाने की योजना। कुल 8 निकायों में रू. 1597.00 लाख की लागत से 08 नगरीय निकायों को आबंटित किए गए है। 08 परियोजनाएं पूर्ण।

13.4.10 प्रतीक्षा बस स्टैण्ड योजना (द्वितीय चरण) :- राज्य में सड़क मार्ग ही आवागमन के मुख्य साधन होने के कारण बस स्टैण्ड निमार्ण करने हेतु प्रतीक्षा बस स्टैण्ड योजना लागू की गयी थी। इस योजना में अनुभवों को देखते हुए अब शेष स्थानों पर बस स्टैण्ड व सुव्यवस्थित बाजार की उपलब्धता हेतु प्रतीक्षा बस स्टैण्ड सह व्यवसायिक परिसर (प्रतीक्षा बस स्टैण्ड योजना– द्वितीय चरण) बनाने का निर्णय लिया गया है। यात्री सुविधाओं के लिए बस स्टैण्ड व सुव्यवस्थित बाजार उपलब्ध कराने की योजना। नगर निगमों में रू. 50.00 लाख, नगर पालिकाओं में रू. 33.00 लाख एवं नगर पंचायतों में रू. 17.00 लाख आबंटन का प्रावधान। योजनांतर्गत वर्ष 2016–17 में कुल 05 परियोजनाओं हेतु रू. 111.01 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी प्रकार वर्ष 2017–18 में 01 परियोजना हेतु रू. 21.09 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। अद्यतन रू. 2730.92 लाख व्यय, 119 परियोजनाएं पूर्ण।

13.4.11 मुक्तिधाम निर्माण योजना :- शहरी क्षेत्र के सभी धर्मों के अनुयायियों के लिए सुव्यवस्थित मुक्तिधाम योजना। नगरीय निकायों को प्रथम चरण शवदाह शेड, प्रतिक्षालय, चौकीदार कक्ष, एवं स्टोरेज हेतु रू. 10.00 लाख, पॉथवे पेयजल तथा पाईप लाईन फेंसिग प्रवेश द्वार विकास कार्य (उद्यान एवं नलकूल) विद्युतीकरण टॉयलेट ब्लाक द्वितीय चरण हेतु रू. 15.00 लाख प्रति हेक्टेयर का प्रावधान। योजनांतर्गत वर्ष 2016–17 में कुल 21 परियोजनाओं हेतु रू. 617.27 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी प्रकार वर्ष 2017–18 में 04 परियोजनाओं हेतु रू. 40.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजनांतर्गत अब–तक 438 मुक्तिधाम निर्माण हेतु रू. 4668.86 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। अद्यतन रू. 2439.435 लाख व्यय, 288 परियोजनाएं पूर्ण।

13.4.12 हाट बाजार समृद्धि का आधार योजना :- असंगठित रूप से गुमटी, ठेले एवं फेरी लगाकर जीविकोपार्जन करने वाले परिवारो के आर्थिक उत्थान एवं ग्रामीण क्षेत्रों के उत्पादक वस्तुओं के सुलभ तरीके से विक्रय हेतु योजना। नगर निगमों को रू. 100.00 लाख, नगर पालिका परिषद् को राशि रू. 70.00 लाख तथा नगर पंचायत को राशि रूपये 40.00 लाख का प्रावधान। नगरीय निकाय को शत–प्रतिशत अनुदान। योजनांतर्गत वर्ष 2016–17 में कुल 10 परियोजनाओं हेतु रू. 592.31 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी प्रकार वर्ष 2017–18 में 04 परियोजनाओं हेतु रू. 75.27 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजनांतर्गत अब तक 174 बाजार निर्माण हेतु रू. 7789.27 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। अद्यतन रू. 5145.92 लाख व्यय, 107 परियोजनाएं पूर्ण।

13.4.13 सांस्कृतिक भवन निर्माण योजना :- नगरीय क्षेत्रों में सांस्कृतिक, मांगलिक एवं अन्य सामाजिक कार्यो हेतु एक सुलभ सुसज्जित भवन उपलब्ध कराने की योजना। नगर पालिक निगम रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, कोरबा में रू. 100.00 लाख तथा शेष नगर पालिक निगमों में रू. 75.00 लाख, 50 हजार से अधिक जनसंख्या वाले तथा जिला मुख्यालय के नगर पालिकाओं में रू. 50.00 लाख, शेष नगर पालिकाओं में रू. 35.00 लाख शेष नगर पंचायतों में रू. 25.00 लाख का प्रावधान। नगरीय निकाय को शत–प्रतिशत अनुदान। योजनांतर्गत वर्ष 2017–18 में 01 परियोजनाओं हेतु रू. 16.20 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजनांतर्गत अब तक 206 भवन निमार्ण हेतु रू. 8096.62 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई। अद्यतन रू. 3967.744 लाख व्यय, 86 परियोजनाएं पूर्ण।

13.4.14 अन्नपूर्णा सामुदायिक सेवा केन्द्र योजना :- महिलाओं की सामुदायिक विकास समिति (सी.डी.एस.) के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक क्षेत्र में सीधे सहभागिता हेतु योजना। सामुदायिक विकास समिति (सी.डी.एस.) को उचित मूल्य की दुकानों का संचालन हेतु 3000 वर्गफीट भूमि पर निमार्ण हेतु 15 लाख का प्रावधान। नगरीय निकाय को

शत–प्रतिशत अनुदान। योजनांतर्गत वर्ष 2017–18 में कुल 01 परियोजनाओं हेतु रू. 15.00 लाख की स्वकृति प्रदान की गई है। योजनांतर्गत अब–तक 45 अन्नपूर्णा सामुदायिक सेवा केन्दों निमार्ण हेतु रू. 674.90 लाख की स्वीकृत प्रदान की गई है। अद्यतन रू. 373.21 लाख व्यय, 28 परियोजनाएं पूर्ण।

13.4.15 भागीरथी नल-जल योजना :- राज्य के लगभग 5.00 लाख परिवार विभिन्न नगरीय क्षेत्रों में स्थित तंग बस्तियों में निवासरत है। पेयजल जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित गरीब परिवारों को निःशुल्क नल संयोजन प्रदान किये जाने हेतु भागीरथी नल जल योजना लागू की गई है। प्रति आवासीय इकाई में नल संयोजन हेतु रू. 3000.00 का प्रावधान। नगरीय निकायों को शत–प्रतिशत अनुदान। योजनांतर्गत वर्ष 2016–17 में कुल 4571 कनेक्शन हेतु रू. 137.13 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी प्रकार वर्ष 2017–18 में 935 कनेक्शन हेतु रू. 27.210 लाख स्वीकृत प्रदान की गई है। 149 नगरीय निकायों को 257715 नल संयोजन के लिए राशि रू. 7731.45 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। अद्यतन रू. 4661.77 लाख व्यय, 166806 नल संयोजन का कार्य पूर्ण।

13.4.16 पं. दीनदयाल उपाध्याय सर्वसमाज मांगलिक भवन योजना :- नगरीय क्षेत्रों में वैवाहिक, मांगलिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों के लिए उपयुक्त भवन के अभाव होन के कारण सर्व समाज के नागरिकों को फिजूल खर्ची एवं कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, अतः उक्त प्रयोजन के सुव्यवस्थित आयोजनों के लिए पर्याप्त खुली भूमि, पार्किंग के साथ सर्व सुविधा युक्त मांगलिक भवन का निर्माण इस योजना अंतर्गत करया जा सकेगा। निकाय क्षेत्रों में निर्मित मांगलिक भवनों का उपयोग सर्व समाज द्वारा नगरीय निकायों को निर्धारित शुल्क देकर किया जा सकेगा। योजना वर्ष 2017–18 में सभी निकायों के लिए लागू की गई है जिस हेतु नगर पालिका निगम की स्थिति में रू. 300.00 लाख, नगर पालिका परिषद् में रू. 150.00 लाख तथा नगर पंचायतों हेतु रू. 75.00 लाख का प्रावधान। 04 निकाय को रू. 448.27 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है।

13.5 मिशन अमृत :-

- भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा दिनांक 25 जून 2015 को देश के 500 शहरों जिनकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक है, के लिए अमृत मिशन (अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन) का शुभारंभ किया गया है, जिसमें प्रदेश के 09 नगरीय निकाय क्रमशः रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, अंबिकापुर, जगदलपुर, रायगढ़ एवं कोरबा सम्मिलित है। मिशन अंतर्गत जलप्रदाय, सीवरेज तथा सेप्टेज मैनेजमेंट, उद्यान एवं हरित स्थल इसके प्रमुख घटक हैं।
- मिशन अवधि (वर्ष 2015–20 तक) हेतु कुल राशि रू. 2192.76 करोड़ की कार्ययोजना भारत सरकार एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा स्वीकृत की गई।
- भारत सरकार के अद्यतन राशि रू. 202.00 करोड़ प्रथम किश्त के रूप में प्रदाय की गई है।
- प्राप्त केन्द्रांश के अनुपात में राज्यांश की राशि रू. 156.00 करोड़ आहरित की गई है।
- स्वीकृत वित्तीय ढांचे के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों (केवल रायपुर) हेतु निकाय का अंशदान 26.67% एवं 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों हेतु निकाय का अंशदान 20% है।
- जल प्रदाय योजना रायपुर, बिलासपुर, भिलाई, कोरबा, राजनांदगांव, अंबिकापुर एवं जगदलपुर का कार्य प्रगतिरत है।

- मिशन अंतर्गत रिफार्म कियान्वयन हेतु निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति पर वित्तीय वर्ष 2015–16 में राशि रू. 13.00 करोड़ एवं वित्तीय वर्ष 2016–17 में राशि रू. 25.01 करोड़ भारत सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है।

13.6 मिशन स्मार्ट सिटी :- भारत सरकार द्वारा देश में कुल 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने हेतु मिशन स्मार्ट सिटी 25 जून 2015 को प्रारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत प्रदेश के 03 शहरों को सम्मिलित किया गया है। रायपुर शहर का चयन स्मार्ट सिटी के फास्ट ट्रैक मोड में हुआ, जिसकी घोषणा भारत सरकार द्वारा दिनांक 23 मई 2016 को की गई। बिलासपुर एवं नया रायपुर शहर का चयन स्मार्ट सिटी के तृतीय चरण मे हुआ, जिसकी घोषणा भारत सरकार द्वारा दिनांक 23 जून 2017 को की गई।

- मिशन स्मार्ट सिटी के अंतर्गत रायपुर शहर के विकास के लिए राशि रू. 3939.00 करोड़ का प्लान भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है।
- उक्त प्लान के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर सुनियोजित विकास सुनिश्चित करने हेतु पेयजल, विद्युत की 24 घण्टे उपलब्धता तथा मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु बिजली की खपत में कमी लाने हेतु एलईडी लाईट, अण्डरग्राउण्ड विद्युत वितरण प्रणाली, ऐतिहासिक महत्व के स्थलों का विकास, अत्याधुनिक पार्को एवं ग्रीन स्पेसेस तथा बाजारों के विकास का कार्य प्रस्तावित है।
- वर्तमान में 25 योजनाओं का कियान्वयन किया जा रहा है, जिनमें 05 परियोजनाओं, 1. स्मार्ट पार्किंग, 2. सिटी पेमेंट एप्प, 3. सोलर रूफपैनल इंस्टॉलेशन, 4. पब्लिक बायसिकल शेयरिंग सिस्टम एवं 5. सार्वजनिक शौचालयों के कार्यों को पीपीपी मोड पर किया जा रहा है।
- शहर में प्रदूषण रहित यातायात प्रणाली के विकास एवं संचालन हेतु ई–रिक्शा, सायकल शेयरिंग, ट्रेफिक पुलिस एवं प्रशासन को अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाने के साथ साथ शहरी नागरिकों को दी जाने वाली सार्वजनिक सुविधाओं की समस्त जानकारी एक ही प्लेटफार्म पर उपलब्ध कराने हेतु इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम एवं कंट्रोल सेंटर के विकास हेतु वेंडर चयन की **कार्यवाही प्रगतिरत्।**
- बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड अंतर्गत शहर के विकास के लिए राशि रू. 3966.00 करोड़ का प्लान भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया। स्मार्ट सिटी के कार्यों हेतु प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसलटेंट (पीएमसी) चयन की कार्यवाही प्रचलित। साथ ही स्मार्ट रोड के कार्य हेतु निविदा प्रक्रिया प्रचलित।
- नया रायपुर स्मार्ट सिटी अंतर्गत शहर के विकास के लिए राशि रू. 1690.00 करोड़ का प्लान भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया।
- नया रायपुर स्मार्ट सिटी हेतु एसपीव्ही गठन का कार्य पूर्ण। स्मार्ट सिटी के कार्यों हेतु प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसलटेंट (पीएमसी) चयन की कार्यवाही प्रचलित।

13.7 दीनदयाल अंत्योदय योजना-''राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन'' :- भारत सरकार, छत्तीसगढ़ शासन एवं नगरीय निकायों के संयुक्त प्रयासो से शहरी गरीबों के उत्थान के लिए ''दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन'' का संचालन किया जा रहा है। यह मिशन क्षमता संवर्धन, कौशल उन्नमुखी, स्व–रोजगार, सामाजिक सुरक्षा तथा महिला समूहो का संस्थागत विकास के द्वारा शहरी गरीबों को रोजगार उपलब्ध कराया जाना है। मिशन बेघर लोगों को आश्रय एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगा। पथ विक्रेताओं की समस्याओं को दूर करते हुए, समुचित स्थानों पर हॉकर्स कॉर्नर, वेण्डर्स बाजार इत्यादि विकसित किये जाएंगे।

प्रथम चरण में समस्त जिला मुख्यालय एवं 01 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में से छत्तीसगढ़ के कुल 28 नगरीय निकाय–रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जशपुरनगर, अंबिकापुर, बैकुंठपुर, जगदलपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, धमतरी, महासमुंद, दुर्ग राजनांदगांव, भिलाई, कवर्धा, गरियाबंद, बेमेतरा, बालोद, सुरजपुर, बलरामपुर, जांजगीर–नैला, मुंगेली, बलौदाबाजार, कोण्डागांव सम्मिलित हैं। भारत सरकार, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त निर्देशानुसार 50 हजार से अधिक जनसंख्या वाले अन्य 29 नये नगरीय निकाय जिन्हें वित्तीय वर्ष 2016–17 में द्वितीय चरण में सम्मिलित शहरों में क्रमशः–सरायपाली, बागबाहरा, किरन्दुल, बचेली, सारंगढ़, खरसिया, अकलतरा, सक्ती, चांपा, शिवपुरचरचा, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, दीपिका, कटघोरा, तिफरा, रतनपुर, तखतपुर, गोबरानवापारा, आरंग, दल्ली–राजहरा, भिलाई–चरौदा, कुम्हारी, अहिवारा, जामुल, तिल्दा–नेवरा, भाटापारा, डोंगरगांव, खैरागढ़, बीरगांव है।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में 20 नवीन शहरों को योजना में शामिल किया गया है जो इस प्रकार हैं– अभनपुर, सिमगा, भटगांव, कसडोल, कुरूद, नगरी, बसना, पाटन, गंडई, डोंगरगांव, पंडरिया, बस्तर, बोदरी, बिल्हा, गौरेला, बलौदा, खरौद, धर्मजयगढ़, पत्थलगांव तथा रामानुजगंज।

13.7.1 योजना का प्रारंभ : यह योजना 1 अप्रैल, 2014 से छत्तीसगढ़ राज्य में प्रारंभ की गयी है।

योजना में आरक्षण :-

- महिला – 30 प्रतिशत
- अल्पसंख्यक – 15 प्रतिशत
- दिव्यांग – 03 प्रतिशत
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति – शहर में निवासरत् अ.जा. एवं अ.ज.जा. के अनुपात में।

- **मिशन के वित्तीय संसाधन** : भारत सरकार, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा योजना के आरंभ में केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 75–25 प्रतिशत था वित्तीय वर्ष 2015–16 में इसे निम्नानुसार संशोधित किया गया :–

- भारत सरकार का अंशदान – 60 प्रतिशत
- राज्य सरकार का अंशदान – 40 प्रतिशत

13.7.2 योजना के प्रमुख घटक :

- **सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास** :- घटक के अंतर्गत राज्य स्तर पर एक त्रिस्तरीय संगठनात्मक संरचना परिकल्पित की गयी है। बस्ती/स्लम स्तर पर समूह बनाए जायेंगे, वही 10–20 स्व–सहायता समूह आपस मे मिलकर क्षेत्र स्तरीय फेडरेशन (Area Level Fedration) का गठन करेंगे। 10 से 20 क्षेत्र स्तरीय फेडरेशन मिलकर एक नगर स्तरीय फेडरेशन (City Level Fedration) का गठन करेंगे। संघीय संरचना से बैंक लिंकेज, प्रशिक्षण, मार्केटिंग, ऋण, मूल्यांकन, हितग्राहियों की पहचान एवं भागीदारी तथा समूहों के गठन मे सहायता मिलेगी। स्त्रोत संगठनों (Resource Organization) का चयन किया जाकर प्रत्येक शहर मे शहरी आजीविका केन्द्रों की स्थापना प्रस्तावित की गई है, जिससे स्थनीय समूहों द्वारा उत्पादित माल को बाज़ार, प्लेसमेंट सर्विस अंतर्गत नगर वासियों को घर पहुंच सुविधा उपलब्ध कराने के साथ–साथ शासकीय योजनाओं की जानकारी दिये जाने का प्रावधान है। आजीविका केन्द्रो का संचालन समुदाय आधारित संस्थाओं, एनजीओ, स्व–सहायता समूह के फेडरेशन आदि के द्वारा किये जाने का प्रावधान है।

- **कौशल प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट के माध्यम से रोजगार** :- घटक के अंतर्गत शहरी गरीबों को कौशल प्रशिक्षणों के द्वारा उन्नत रोजगार एवं स्व–रोजगार चाहने वाले को स्व–रोजगार से जोड़ा जावेगा, घटक के उद्देश्य पूर्ति हेतु निम्नानुसार गतिविधियां संचालित की जाएंगी :–
- बाजार की मांग के अनुसार दक्षता की कमी का विश्लेषण तथा रोजगारोन्मुख व्यवसायों की सूची तैयार करना।
- गरीब तथा कमजोर वर्गो के अकुशल प्रशिक्षणार्थियों का चयन। प्रशिक्षण संस्थाओं का पारदर्शी तरीके से चयन।
- भारत सरकार, आवास एवं शहरी उपशमन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं कौशल विकास मंत्रालय द्वारा पाठ्यक्रम निर्धारण।
- प्रमाणीकरण।
- प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराना तथा 12 माह तक सतत् संपर्क।
- उद्यमिता विकास कार्यक्रम का प्रशिक्षण।
- **स्वरोजगार कार्यक्रम** : इस घटक के अंतर्गत व्यक्तिगत एवं समूह उद्यम के लिए बैंको के माध्यम से ऋण द्वारा वित्त पोषण सुनिश्चित किया जाएगा।

➢ व्यक्तिगत अधिकतम (रूपये 2.00 लाख) एवं समूह अधिकतम (रूपये 10.00 लाख अधिकतम) ऋण पर बैंकों द्वारा प्रचलित ब्याज दर पर जगह मात्र 7 प्रतिशत ब्याज दर होगी तथा शेष ब्याज का वहन योजनांतर्गत ब्याज अनुदान के रूप में शासन द्वारा किया जाएगा।

➢ महिला स्व सहायता समूहो को नियमित भुगतान करने पर 3 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान का लाभ स्व–सहायता समूहों को दिया जाएगा।

➢ व्यक्तिगत उद्यमियों को केडिट कार्ड की सुविधा सुलभ होगी। गाईड लाईन अनुसार ऋण अवधि 5–7 वर्ष के लिए प्रस्तावित है।

➢ इस कार्यक्रम के द्वारा 18 वर्ष या अधिक आयु के हितग्राहियों की पहचान नगरीय निकायों/क्षेत्रीय स्तरीय फेडरेशन के द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।

➢ हितग्राहियों के 6 दिन का उद्यमिता उन्मुखीकरण प्रशिक्षण (EDP) प्रदान किया जावेगा।

➢ घटक का प्रबंधन शहर स्तर/निकाय पर गठित टॉस्कफोर्स के द्वारा किया जाएगा।

- **क्षमता संवर्धन एवं प्रशिक्षण** :- इस घटक के अन्तर्गत राज्य तथा निकाय स्तर पर मिशन प्रबंधन इकाई का गठन कर राज्य स्तर पर 06 तकनीकी विशेषज्ञों तथा निकाय स्तर पर 02–04 विशेषज्ञ की पदस्थापना कर मिशन का संचालन किया जावेगा। (रायपुर भिलाई में 4–4 एवं बिलासपुर तथा कोरबा में 3–3) मिशन प्रबंधक के अतिरिक्त सामुदायिक संगठकों एवं अन्य सहायक कर्मचारियों की पदस्थापना की जायेगी।
- क्षमता विकास एवं प्रशिक्षण घटक अंतर्गत समस्त कर्मचारियों/अधिकारियों के क्षमता विकास हेतु प्रशिक्षण का आयोजन समय–समय पर किया जाना है।
- **शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता** :- घटक अंतर्गत पथ विक्रेताओं सामाजिक सुरक्षा, कौशल उन्नयन, ऋण सुविधा से जोड़ा जायेगा साथ ही पहचान–पत्र विक्रेता हेतु सुनिश्चित स्थान आदि सुविधाओं से लाभान्वित किया जाएगा। निकाय स्तर पर टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन किया गया है। मिशन शहरों में पथ विक्रताओं का चिन्हांकन एवं

वेंडिंग जोन तैयार किये जाने हेतु शीघ्र ही जीआईएस पद्धति से सर्वे किया जाना है।

- **शहरी गरीबों के लिए आश्रम योजना** :- घटक अंतर्गत सामुदायिक आश्रम स्थल (24X7) का निर्माण कर गरीबों एवं बेघर लोगों के (50–100 व्यक्तियों के लिए) रहने का स्थान एवं मूलभूत सुविधाओं (किचन, पानी, शौचालय, बिजली, मनोरंजन आदि) उपलब्ध करायी जाएगी। ऐसे आश्रय भवन सभी मिशन शहरों मे रेल्वे स्टेशन, अस्पताल, बस स्टैण्ड, मण्डी आदि के समीप निर्मित किया जाएगा।
- आश्रम योजना का संचालन स्त्रोत संस्थाओं/क्षेत्रीय स्तरीय संघ/एन.जी.ओ. द्वारा क्रियान्वयन का प्रावधान है (प्रबंधक एवं तीन केयर ट्रेकर)।
- **अभिनव/विशेष परियोजना** :- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना अंतर्गत अभिनव एवं विशेष परियोजनाओं में राज्य की आवश्यकता एवं समुदाय आधारित कल्याणकारी, जनहितकारी योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा, अभिनव एवं विशेष परियोजना अंतर्गत नवाचार परियोजनाओं को भी सम्मिलित किया जायेगा, ताकि प्रयोगोपरांत सफल होने पर अन्य स्थानों पर क्रियान्वित किया जा सकता है।

तालिका 13.5 दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 की संक्षेपिका (दिनांक 30.09.2016 की स्थिति में)

घटक – सामाजिक गतिशीलता और संस्थागत विकास	घटक– क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण	घटक–कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार	घटक– स्व–रोजगार कार्यक्रम	घटक– शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता	घटक–शहरी बेघरों के लिए आश्रय की योजना
• 2615 समूहों का गठन किया जा चुका है। • 1468 समूहों को आवर्ती निधी जारी। • वित्तीय वर्ष 2016–17 में 4 आजीविका केन्द्र का शुभारंभ। • 2 एरिया लेबल फेडरेशन का पंजीयन पूर्ण। • 13853 स्वयं सहायता समूह के सदस्यों का खाता खोला गया। • 1126 स्वयं सहायता समूह का सदस्यों का बीमा किया गया। • 7262 स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को वित्तीय साक्षरता का प्रशिक्षण प्रदाय किया गया। • 1883 समूहों को वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्रशिक्षण दिया गया। • समाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास घटक अंतर्गत माह सितम्बर 2016 तक कुल राशि रू. 176.12 लाख व्यय किये गये।	• 58 विशेषज्ञों की नियुक्ति की जा चुकी है। शेष 4 विशेषज्ञों की नियुक्ति प्रकिया प्रगतिरत। • 101 सामुदायिक संगठकों की पदस्थापना 28 सिटी मिशन प्रबंधन ईकाई में की गई। शेष की नियुक्ति की कार्यवाही के लिये निविदा प्रकिया पूर्ण कर प्रदाय संस्था को चिन्हांकित कर लिया गया। • 29 सिटी मिशन प्रबंधन ईकाई नये वर्ष 2016–17 से प्रारंभ।	• 4986 हितग्राहियों विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षणरत्, 5764 हितग्राहियों का प्रशिक्षण पूर्ण। • 3321 महिला हितग्राहियों विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षणरत् 3410 महिला हितग्राहियों का प्रशिक्षण पूर्ण। • 5648 हितग्राहियों को प्रमाणीकरण परीक्षा का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया।	• वित्तीय वर्ष 2016–17 में 777 व्यक्तिगत् ऋण प्रकरण वितरित किये गये, कुल राशि रू. 634.12 लाख का ऋण वितरित। • वित्तीय वर्ष 2016–17 में 37 प्रकरण समूह ऋण अंतर्गत वितरित किये गये, कुल राशि रू. 80.91 लाख का ऋण वितरित। • वित्तीय वर्ष 2016–17 में 297 समूहों को बैंक लिंकेज वितरित किये गये, कुल राशि रू. 229.50 लाख का ऋण वितरित। • कुल राशि रू. 20.03 लाख का ब्याज अनुदान प्रदाय किया गया।	• निकाय स्तर पर पथ विक्रेताओं की सहायता हेतु 6 कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें 127 पथ विक्रेताओं ने भाग लिया। • 28 शहरों में पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। • 11246 वेंडर्स का चिनहंकन। • 2 वित्तीय शिविरों का आयोजन, 1356 पथ विक्रेताओं के बैंक खाते खोले गये। • 6159 वेंडर्स को परिचय पत्र वितरण। • 248 वेंडर्स का बीमा कराया गया। • जी.आई.एस. सर्वेक्षण हेतु निविदा प्रकिया प्रगति पर।	• वित्तीय वर्ष 2014–15 में राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा अनुमोदित 6 परियोजना में से 1 (रायगढ़) का संचालन प्रारंभ हो चुका है एवं 3 (दुर्ग रायपुर, अम्बिकापुर) का निर्माण कार्य पूर्ण। संचालन हेतु निविदा जारी की गई है। शेष 2 परियोजना का निर्माण कार्य अंतिम चरण में। • परियोजना स्वीकृति समिति की द्वितीय बैठक 21.09.2016 को आयोजित कर 5 नये आश्रय स्थल का नवीन निर्माण के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। • वित्तीय वर्ष 2015–16 में स्वीकृत 5 नये आश्रय स्थलों की निविदा प्रकिया पूर्ण कर ली गई है एवं 5 (कवर्धा, बेमेतरा, सूरजपूर, बलरामपुर एवं बलौदाबाजार) स्थनों पर आश्रय स्थलों के निर्माण कार्य प्रगति पर है। • घटक अंतर्गत कुल राशि रू. 49.99 लाख व्यय किया गया। • मिशन अंतर्गत माह सितम्बर 2016 तक राशि रू. 775.78 लाख व्यय किया गया।

तालिका 13.6 दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 की संक्षेपिका (दिनांक 31.03.2017 की स्थिति में)

घटक – सामाजिक गतिशीलता और संस्थागत विकास	घटक– क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण	घटक–कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार	घटक– स्व–रोजगार कार्यक्रम	घटक– शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता	घटक–शहरी बेघरों के लिए आश्रय की योजना
• 7187 समूहों का गठन किया जा चुका है। • 4834 समूहों को आवर्ती निधी जारी। • वित्तीय वर्ष 2016–17 में 9 आजीविका केन्द्र का शुभारंभ। • 73 में एरिया लेबल फेडरेशन का पंजीयन पूर्ण। • 35660 स्वयं सहायता समूह के सदस्यों का खाता खोला गया। • 2392 स्वयं सहायता समूह का सदस्यों का बीमा किया गया। • 13299 स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को वित्तीय साक्षरता का प्रशिक्षण प्रदाय किया गया। • 3502 समूहों को वित वर्ष 2016–17 में प्रशिक्षण दिया गया। • समाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास घटक अंतर्गत माह मार्च 2017 तक कुल राशि रू. 566.07 लाख व्यय किये गये।	• 67 विशेषज्ञों की नियुक्ति की जा चुकी है। शेष 3 विशेषज्ञों की नियुक्ति प्रकिया प्रगतिरत। • 149 सामुदायिक संगठकों की पदस्थापना 28 सिटी मिशन प्रबंधन ईकाई में की गई। शेष की नियुक्ति की कार्यवाही के लिये निविदा प्रकिया पूर्ण कर प्रदाय संस्था को चिन्हाकिंत कर लिया गया। • 29 सिटी मिशन प्रबंधन ईकाई नये वर्ष 2016 – 2017 से प्रारंभ। • घटक अंतर्गत कुल राशि रू. 527.20 लाख का व्यय किया गया।	• 4020 हितग्राहियों विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षणरत्, 14423 हितग्राहियों का प्रशिक्षण पूर्ण। • 2125 महिला हितग्राहियों विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षणरत् 8997 महिला हितग्राहियों का प्रशिक्षण पूर्ण। • 13119 हितग्राहियों को प्रमाणीकरण पत्र प्रदान किया गया। • 5858 हितग्राहियों को प्लेसमेंट माध्यम से रोजगार प्राप्त। • कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार घटक अंतर्गत माह मार्च 2017 तक कुल राशि रू.1113. 01 लाख व्यय किये गये।	• वित्तीय वर्ष 2016 –17 में 5420 व्यक्तिगत् ऋण प्रकरण वितरित किये गये, कुल राशि रू. 4224.06 लाख का ऋण वितरित। • वित्तीय वर्ष 2016 –17 में 1440 समूहों को बैंक लिंकेज वितरित किये गये, कुल राशि रू. 559.28 लाख का ऋण का वितरित। • वित्तीय वर्ष 2016 –17 में 1440 समूहों को बैंक लिंकेज वितरित किये गये, कुल राशि रू. 1014.88 लाख का ऋण वितरित। • कुल राशि रू. 65. 88 लाख का ब्याज अनुदान प्रदाय किया गया।	• निकाय स्तर पर पथ विक्रेताओं की सहायता हेतु 24 कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें 2730 पथ विक्रेताओं ने भाग लिया। • 28 शहरों में पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। • 11691 वेंडर्स का चिनहांकन। • वित्तीय शिविरों का आयोजन, 3580 पथ विक्रेताओं के बैंक खाते खोले गये। • 8761 वेंडर्स को परिचय पत्र वितरण। • 806 वेंडर्स का बीमा कराया गया। • जी.आई.एस. सर्वेक्षण हेतु निविदा प्रकिया प्रगति पर।	• रायगढ़ का संचालन प्रारंभ हो चुका है एवं 3 (दुर्ग रायपुर, अम्बिका–पुर) का निर्माण कार्य पूर्ण। संचालन हेतु निविदा जारी की गई है। • परियोजना स्वीकृति समिति की द्वितीय बैठक 21.09.2016 को आयोजित कर 5 नये आश्रय स्थल का नवीन निर्माण के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। • वित्तीय वर्ष 2015–16 में स्वीकृत 5 नये आश्रय स्थलों की निविदा प्रकिया पूर्ण कर ली गई है एवं 5 (कवर्धा, बेमेतरा, सूरजपूर, बलरामपुर एवं बलौदाबाजार) स्थनों पर आश्रय स्थलों के निर्माण कार्य प्रगति पर है। • घटक अंतर्गत कुल राशि रू. 128.53 लाख व्यय किया गया। • मिशन अंतर्गत माह सितम्बर 2016 तक राशि रू. 2431.46 लाख व्यय किया गया।

तालिका 13.7 दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 की संक्षेपिका (दिनांक 31.09.2017 की स्थिति में)

घटक – सामाजिक गतिशीलता और संस्थागत विकास	घटक– क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण	घटक–कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार	घटक– स्व–रोजगार कार्यक्रम	घटक– शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता	घटक–शहरी बेघरों के लिए आश्रय की योजना
• 2429 समूहों का गठन किया जा चुका है। • 1195 समूहों को आवर्ती निधी जारी। • वित्तीय वर्ष 2016–17 में 1 आजीविका केन्द्र का शुभारंभ। • 10 में एरिया लेबल फेडरेशन का पंजीयन पूर्ण। • 9925 स्वयं सहायता समूह के सदस्यों का खाता खोला गया। • 698 स्वयं सहायता समूह का सदस्यों का बीमा किया गया। • 5425 स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को वित्तीय साक्षरता का प्रशिक्षण प्रदाय किया गया। • 700 समूहों को वित वर्ष 2017–18 में प्रशिक्षण दिया गया। • समाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास घटक अंतर्गत माह सितम्बर 2017 तक कुल राशि रू. 141. 71 लाख व्यय किये गये।	• 70 विशेषज्ञों की नियुक्ति की जा चुकी है। • 173 सामुदायिक संगठकों की पदस्थापना 28 सिटी मिशन प्रबंधन ईकाई में की गई। • 20 सिटी मिशन प्रबंधन ईकाई नये वर्ष 2017 – 2018 से प्रारंभ। • घटक अंतर्गत कुल राशि रू. 311.09 लाख का व्यय किया गया।	• 4337 हितग्राहियों विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षणरत्, 3403 हितग्राहियों का प्रशिक्षण पूर्ण। • 2936 महिला हितग्राहियों विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षणरत् 1971 महिला हितग्राहियों का प्रशिक्षण पूर्ण। • 2588 हितग्राहियों को प्रमाणीकरण पत्र प्रदान किया गया। • 1814 हितग्राहियों को प्लेसमेंट माध्यम से रोजगार प्राप्त। • कौशल प्रषिक्षण के माध्यम से रोजगार घटक अंतर्गत माह सितम्बर 2017 तक कुल राशि रू.562.87 लाख व्यय किये गये।	• वित्तीय वर्ष 2017 –18 में 1026 व्यक्तिगत् ऋण प्रकरण वितरित किये गये, कुल राशि रू. 999.73 लाख का ऋण वितरित। • वित्तीय वर्ष 2017 –18 में 56 प्रकरण समूह ऋण वितरित किये गये, कुल राशि रू. 104.26 लाख का ऋण का वितरित। • वित्तीय वर्ष 2017–18 में 461 समूहों को बैंक लिंकेज वितरित किये गये, कुल राशि रू. 312.10 लाख का ऋण वितरित। • कुल राशि रू. 39.26 लाख का ब्याज अनुदान प्रदाय किया गया।	• निकाय स्तर पर पथ विक्रेताओं की सहायता हेतु 3 कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें 185 पथ विक्रेताओं ने भाग लिया। • 28 शहरों में पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। • 11821 वेंडर्स का चिन्हांकन। • 8905 वेंडर्स को परिचय पत्र वितरण। • जे.आई.एस. सर्वेक्षण हेतु निविदा प्रकिया प्रगति पर।	• वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य परियोजना स्वीकृत समिति द्वारा 11 नये आश्रय स्थल का निर्माण एवं 9 पुराने आश्रय स्थल के जीर्णोद्धार हेतु कुल 19 प्रस्ताव का अनुमोदन दिया गया। • बीजापुर में जीर्णोद्धार उपरांत आश्रय स्थल संचालित। • घटक अंतर्गत कुल राशि रू. 23.13 लाख व्यय किया गया। • मिशन अंतर्गत माह सितम्बर 2016 तक राशि रू. 1103.22 लाख व्यय किया गया।

शिक्षा

14

अध्याय

14 शिक्षा

मुख्य बिन्दु -

- वर्ष 2016-17 में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत 32.41 लाख विद्यार्थी लाभान्वित।
- वर्ष 2016-17 में 59.50 लाख छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों को का प्रदाय।
- वर्ष 2016-17 में सरस्वती सायकल योजना के तहत् 111519 छात्राएं लाभान्वित।
- स्म् प्रभावित जिलों में वर्ष 2017-18 में आवासीय विद्यालयों में दर्ज बच्चों की संख्या 29520 है।
- वर्ष 2017-18 में कस्तूरबा गॉधी आवासीय बालिका विद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं की संख्या 9278 है।
- सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत सत्र 2017-18 में कुल 2289671 छात्र-छात्राओं को निःशुल्क गणवेश प्रदाय किया गया है।
- छत्तीसगढ़ युवा सूचना क्रॉति योजनांतर्गत सत्र 2016-17 में 16804 लेपटॉप एवं 62124 टेबलेट वितरित किए गए।
- उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत वर्तमान में 08 राजकीय विश्वविद्यालय, 01 केन्द्रीय विश्वविद्यालय, 08 निजी विश्वविद्यालय, 221 शासकीय महाविद्यालय, 13 अशासकीय अनुदान प्राप्त एवं 205 अशासकीय अनुदान अप्राप्त महाविद्यालय राज्य में संचालित हैं।
- वर्ष 2016-17 में शासकीय महाविद्यालयों में लगभग 184640 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत थे।
- वर्ष 2017-18 में शासकीय महाविद्यालयों में लगभग 201483 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं।

राज्य के सर्वांगीण विकास हेतु मानव संसाधन के अन्तर्गत मूलभूत सुविधाओं के विस्तार एवं सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने हेतु विकास कार्यक्रमों की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, पर्यावरण, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास तथा सामाजिक रूप से पिछड़े विकलांग, वृद्ध एवं बच्चों के स्तर में विकास कर उन्हें समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित किया जाना प्रमुख है।

14.1 स्कूल शिक्षा विभाग :- प्रत्येक बच्चे (विशेषकर 6 से 14 आयु वर्ग) को निःशुल्क एवं सार्वभौमिक शिक्षा का लाभ देना ही शासन का उद्देश्य है। मानव संसाधन पर किया गया उद्देश्यपूर्ण व्यय ही विकास के मार्ग को प्रशस्त करता है। शिक्षा के लोकव्यापीकरण में सभी की सहभागिता हेतु अधोसंरचना के विकास, शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि, मॉनीटरिंग एवं पर्यवेक्षण किया जाता है। शासन, शिक्षा का विकास इस तरह से संपादित कर रही है कि शिक्षण सुविधा छात्रों को उनकी पहुँच पर प्राप्त हो रही है। विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन कर समाज को शिक्षा के प्रति जागृत कर बच्चों को शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु आकृष्ट किया जा रहा है। विभाग की प्रमुख योजनाएं जो उपरोक्त उद्देश्य से संचालित हैं, निम्नानुसार हैं :–

14.1.1 मध्याह्न भोजन कार्यक्रम :- यह एक केन्द्र प्रवर्तित योजना है स्कूल शिक्षा विभाग एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के 146 विकासखंड के सभी शासकीय विद्यालयों को अनुदान एवं स्थानीय निकायों एवं बाल श्रमिक विद्यालयों में कक्षा पहली से आठवीं तक अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को पका हुआ गरम पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना में केन्द्र सरकार का अंशदान 75 प्रतिशत एवं राज्य सरकार का 25 प्रतिशत है। योजना के तहत् वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में प्राप्त उपलब्धियां–लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या, प्राप्त आबंटन एवं खर्च की गयी राशि तालिका 14.1 में दर्शित है।

तालिका 14.1 मध्याह्न भोजन कार्यक्रम

क्र.	वर्ष	आबंटन (करोड़)	व्यय (करोड)	लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या
1	2015–16	515.81	485.67	33.84 लाख
2	2016–17	564.22	377.34	32.41 लाख

14.1.2 बालिका प्रोत्साहन योजना (केन्द्र प्रवर्तित योजना) :-

- ❖ केन्द्र प्रवर्तित योजना राज्य में प्रभावशील।
- ❖ योजनान्तर्गत् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बी.पी.एल. परिवार तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की समस्त छात्राएं योजना की हितग्राही।
- ❖ 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 3000/– रूपये छात्रवृत्ति की पात्रता।
- ❖ छात्रवृत्ति की राशि सीधे लाभान्वित छात्राओं के पासबुक में जमा करने का प्रावधान।
- ❖ लगभग 35600 बालिकाओं के प्रस्ताव भारत सरकार को अनुमोदन हेतु प्रेषित है।
- ❖ वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 से नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में जानकारी सीधे अपलोड किया जा रहा है।

14.1.3 राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति (केन्द्र प्रवर्तित योजना)

- ❖ केन्द्र प्रवर्तित योजना राज्य में प्रभावशील।
- ❖ परीक्षाएं राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा संचालित।
- ❖ कक्षा 8 वीं में मान्यता प्राप्त विद्यालय में अध्ययनरत् विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं।
- ❖ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्त को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर छूट एवं आरक्षण की पात्रता।
- ❖ गैर अनुदान प्राप्त शाला के विद्यार्थी परीक्षा में भाग नहीं ले सकते।
- ❖ सामान्य श्रेणी के छात्रों के लिए न्यूनतम 55 प्रतिशत् एवं अन्य श्रेणी के लिए 50 प्रतिशत् अंक होने पर ही परीक्षा में बैठने की पात्रता।

- ❖ परिवार की वार्षिक आय 1.50 लाख से अधिक न हो।
- ❖ सत्र 2015–16 में योजनान्तर्गत कुल 424 विद्यार्थी चयनित हुए हैं।
- ❖ सत्र 2016–17 में योजनान्तर्गत 429 विद्यार्थी चयनित हैं।

14.1.4 सर्व शिक्षा अभियान :- राज्य में प्रारंभिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से नवीन, प्राथमिक तथा पूर्व माध्यमिक शाला खोलने, अधोसंरचना निर्माण करने एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षण की व्यवस्था करने का कार्य किया जा रहा है। इसके तहत विद्यालयों को विभिन्न सुविधाएँ यथा अनुदान विद्यालयों एवं शिक्षकों की स्वीकृति भवन निर्माण, समावेशी शिक्षा,वैकल्पिक शिक्षा एवं नवचारी शिक्षा केन्द्र का संचालन किया जा रहा है। इस योजना में केन्द्र सरकार का अंशदान 65 प्रतिशत एवं राज्य सरकार का 35 प्रतिशत है।

14.1.5 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय :- शाला त्यागी बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रदेश में चार जिलों को छोड़कर(रायपुर,दुर्ग,बालोद एवं राजनांदगांव) शेष जिले में करस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय (100 सीटर) संचालित है। यह विद्यालय उन विकासखंडों में संचालित है जहाँ महिला साक्षरता की दर देश में महिला साक्षरता की दर से कम हो। उक्त विद्यालय में 10 वर्ष आयु से अधिक शाला त्यागी/अप्रवेशी,पालक/अभिभावक से वंचित बालिकाओं को प्रवेश दिया जाता है। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की समस्त शिक्षिकाओं के लिए सतत एवं समग्र मूल्यांकन पर 5 दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजन खंडस्तर पर किया जाता है।

14.1.6 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान :- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षा के लोक व्यापीकरण हेतु भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना में भारत शासन का अंशदान 75 प्रतिशत एवंराज्य सरकार का 25 प्रतिशत है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत आवश्यकतानुसार पूर्व माध्यमिक शालाओं को हाईस्कूल में उन्नयन एवं भवन निर्माण पूर्व संचालित हाईस्कूलों का राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की मापदंडों के अनुरुप सुद्ढ़ीकरण के तहत विभिन्न प्रकार के कक्ष एवं दर्ज संख्या के अनुसार अतिरिक्त शिक्षक,शिक्षक प्रशिक्षण आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। राज्य में यह अभियान वर्ष 2008–09 से संचालित है।

14.1.7 साक्षर भारत कार्यक्रम :- साक्षरता के माध्यम से प्रदेश में न केवल पढ़ने–लिखने एवं अंकज्ञान में आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है वरन् इससे भी बढ़कर कार्यात्मकता,सशक्तिकरण और आगे सीखने हेतु भी प्रेरित किया जा रहा है। इसके माध्यम से 80 प्रतिशत साक्षरता को प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित है।लिंग भेद को 10 प्रतिशत कम कर क्षेत्रीय, सामाजिक एवं आर्थिक असामनता को दूर किया जाएगा। साक्षर भारत कार्यक्रम का उद्देश्य एवं लक्ष्य यह है कि बुनियादी साक्षरता, बुनियादी शिक्षा, कौशल विकास एवं सतत् शिक्षा के उद्देश्य के साथ साक्षर भारत कार्यक्रम संचालित है। महिला व पुरुष साक्षरता दर में 10 प्रतिशत से ज्यादा अंतर न रहने देना क्षेत्रीय, सामाजिक और लैंगिक (जेण्डर) विषमताओं में कमी लाना, 15 वर्ष एवं अधिक आयु सीमा को शामिल करना है। इसकी कार्यकारी ऐंजेंसी ''राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण'' है।

14.1.8 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान :- बीजापुर एवं नारायणपुर तथा नवीन 09 जिलों को छोड़कर समस्त जिलों में डाइट द्वारा डी.एड. पाठ्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य शैक्षिक सामग्री तैयार करना,प्रारंभिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण एवं क्रियान्वयन,शिक्षकों का उन्मुखीकरण करना,सतत् मानिटरिंग करना,डाइट द्वारा चुनिंदा विषयों पर सर्वे, बच्चों की उपलब्धि परीक्षण,विभिन्न संस्थाओं को आमंत्रित कर सेमीनार का आयोजन करना,प्रशिक्षण के फालोअप कार्यक्रम एवं सहायक सामग्री का निर्माण करना है।

14.1.9 मॉडल स्कूल :- उच्चतर माध्यमिक स्तर पर उच्च गुणवत्ता योग्य आधुनिक शिक्षा जिससे विद्यार्थियों में जागरुकता, साहसिक गतिविधियों एवं शारीरिक शिक्षा के द्वारा सर्वांगीण विकास करने के उद्देश्य के तहत मॉडल स्कूल योजना संचालित की जा रही है। विद्यालय में अध्यापन का माध्यम अंग्रेजी तथा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा से संबंद्ध 6 वीं से 12 वीं तक

संचालित है। इसमें 74 विकासखंडों के आर्थिक एवं सामाजिक रुप से पिछड़े परिवार के छात्र–छात्राओं का प्राथमिकता के आधार पर चयन किया जाता है।

14.1.10 कन्या छात्रावास (केन्द्र प्रवर्तित योजना) :- शैक्षिक रुप से पिछड़े विकासखंड, जहाँमहिला साक्षरता दर कम है वहाँ बालिकाओं के उन्नयन में होने वाली बाधाओं को दूर करना। कन्या छात्रावास 14 से 18 वर्ष के आयु समूह की कक्षा 9वीं से 12वीं तक अध्ययनरत बालिकाएं, जो कि अनुसूचित जाति, अ.ज.जा., पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय एवं बी.पी.एल. परिवार की बालिकाओं के लिए है।

राज्य के शैक्षणिक रुप से पिछड़े 74 विकासखंडों में 100 सीटर कन्या छात्रावासों की स्वीकृति भारत शासन से प्राप्त हुई है, जिसमें 74 कन्या छात्रावासों का संचालन प्रारंभ है। वर्तमान में 5964 छात्राएं दर्ज है। प्रत्येक कन्या छात्रावास के लिए रू. 107.00 लाख रूपये की लागत से छात्रावास भवन का निर्माण कराया जा रहा है। 64 भवन पूर्ण हो चुके है, 10 प्रगति पर है। वर्ष 2016–17 हेतु राशि रू. 115464604/– का बजट प्रावधानित है।

14.1.11 निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का प्रदाय :- संपूर्ण छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी शिक्षा मिशन एवं स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रारंभिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण के लिए समस्त शासकीय अनुदान प्राप्त एवं गैर अनुदान प्राप्त शालाओं के समस्त बालक–बालिकाओं को पाठ्यपुस्तक उपलब्ध कराकर उन्हें शाला जाने के लिए प्रेरित करना है। कक्षा 1 से 10 तक सभी छात्र/छात्राएं पात्र है। योजना के तहत वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में प्राप्त उपलब्धियां–लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या, प्राप्त आबंटन एवं खर्च की गयी राशि तालिका 14.2 में दर्शित है।

तालिका 14.2 निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का प्रदाय

क्र.	वर्ष	आबंटन (करोड़ में)	व्यय (करोड़ में)	लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या
1	2015–16	129.06	99.82	59.44 लाख
2	2016–17	163.16	93.58	59.50 लाख

14.1.12 निःशुल्क गणवेश योजना :- संपूर्ण छत्तीसगढ़ में निःशुल्क गणवेश योजना के अंतर्गत शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 स्तर के समस्त छात्र–छात्राओं के लिए दो सेट निःशुल्क गणवेश दिए जाते हैं। सत्र 2012–13 में सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत समस्त बालिकाओं एवं अनुसूचित जाति, जनजाति के बालकों को स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत प्रति बालक–बालिका का राशि रुपये 400/– के मान से दो सेट गणवेश हेतु राशि प्रावधानित की गई है। जिन बच्चों को राज्य शासन के बजट से गणवेश प्रदान किए जा रहे है, उन्हे पूर्ववत् राज्य शासन के बजट से ही गणवेश प्रदाय किए जाते रहेंगे। योजना के तहत वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में प्राप्त उपलब्धियां तालिका 14.3 में दर्शित है।

तालिका 14.3 निःशुल्क गणवेश योजना

क्र.	वर्ष	आबंटन (लाख में)	व्यय (लाख में)	लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या
1	2015–16	142.85	112.04	राज्य – 1232360, एस.एस.ए.– 2520887
2	2016–17	192.82	138.89	राज्य – 1175952, एस.एस.ए.– 2406487

14.1.13 सरस्वती सायकल योजना :- संपूर्ण छत्तीसगढ़ में कक्षा 9वीं के शासकीय एवं अनुदान प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं बी.पी.एल. परिवार के छात्राओं को शाला आवागमन की सुविधा प्रदान करना एवं बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करना।

योजना के तहत वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में प्राप्त उपलब्धियां–लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या, प्राप्त आबंटन एवं खर्च की गयी राशि आदि का विवरण तालिका 14.4 में दर्शित है।

तालिका 14.4 सरस्वती सायकल योजना				
क्र.	वर्ष	आबंटन (करोड़ में)	व्यय (करोड़ में)	लाभान्वित छात्राओं की संख्या
1	2015–16	61.00	60.96	160526
2	2016–17	132.98	41.47	111519

14.1.14 छात्र दुर्घटना बीमा :- स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर के सभी छात्र–छात्राये छात्र दुर्घटना बीमा के अंर्तगत मृत्यु एवं पूर्ण अपंगता की स्थिति में 10,000/–की क्षतिपूर्ति एवं आंशिक अपंगता पर 5,000/– रुपये की क्षतिपूर्ति एवं भैषेजिक उपचार हेतु 500/– छात्र दुर्घटना बीमा दिया जाता है।

योजना के तहत् वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में प्राप्त उपलब्धियां–लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या, प्राप्त आबंटन एवं खर्च की गयी राशि आदि का विवरण तालिका 14.5 में दर्शित है।

तालिका 14.5 छात्र दुर्घटना बीमा				
क्र.	वर्ष	आबंटन	व्यय	लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या
1	2015–16	70.00 लाख	46.81 लाख	536
2	2016–17	70.00 लाख	07.80 लाख	90

14.1.15 आई.सी.टी. योजना :- योजना के तहत् वर्ष 2011–12 में 300 विद्यालयों में लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या 105501 थी एवं कुल 2961 शिक्षकों को त्रिस्तरीय कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया गया है। 1900 शालाओं हेतु राज्य में तीन जोन हेतु चयनित फर्मों में से एन.आई.आई.टी. लिमिटेड, द्वारा रायपुर जोन अन्तर्गत् 08 जिलों के 653 विद्यालयों में कम्प्यूटर लैब स्थापित कर शिक्षण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

14.1.16 कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना :- योजना के तहत वर्ष 2016–17 में राशि रू. 550 लाख का प्रावधान किया गया। विद्यालयों में संभावित लाभान्वित छात्राओं की संख्या 132000 है।

14.1.17 अस्वच्छ धंधा छात्रवृत्ति योजना :- योजना के तहत वर्ष 2016–17 में राशि रू. 405 लाख का प्रावधान किया गया। विद्यालयों में संभावित लाभान्वित छात्राओं की संख्या 160000 है।

14.1.18 मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना :- योजना अंतर्गत प्रतिवर्ष अनुसूचित जाति के 300 एवं अनुसूचित जनजाति के 700 विद्याार्थियों का चयन किया जाता है। योजना के तहत 2016–17 में राशि रू. 150 लाख का प्रावधान किया गया।

14.1.19 राज्य छात्रवृत्ति योजना (प्री-मेट्रिक एवं पोस्ट मेट्रिक) :- प्री–मेट्रिक अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों की कुल संख्या 27 लाख है एवं इस हेतु वर्ष 2016–17 में बजट प्रावधान राशि रू. 242 करोड़ 70 लाख है।

पोस्ट–मेट्रिक अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों की कुल संख्या 3 लाख 83 हजार है एवं इस हेतु वर्ष 2016–17 में बजट प्रावधान राशि रू. 5900.00 लाख का प्रावधान है।

14.2 राजीव गांधी शिक्षा मिशन

14.3 योजना शाखा :-

14.3.1 आवासीय विद्यालय :- LWE प्रभावित जिलों में स्कूल भवन क्षतिग्रस्त/बंद होने के फलस्वरूप अप्रवेशी एवं शाला त्यागी बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़े रखने के लिए प्री–फेब्रिकेटेड स्ट्रक्चर की स्थापना सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत की गई है। जिसे वर्ष 2011–12 में आवासीय विद्यालय का दर्ज दिया गया है। वर्ष 2017–18 में जिलेवार दर्ज बच्चों की संख्या का विवरण तालिका 14.6 में दर्शित है।

तालिका 14.6 आवासीय विद्यालय, दर्ज बच्चों की संख्या				
क्रं.	जिले का नाम	स्वीकृत आवासीय विद्यालयों की संख्या	आवासीय क्षमता	दर्ज बच्चो की संख्या
1	बीजापुर	28	14000	13994
2	दंतेवाड़ा	14	7000	6743
3	नारायणपुर	02	1000	1000
4	सुकमा	16	8000	7783
योग		**60**	**30000**	**29520**

14.3.2 परिवहन सुविधा :- ''शिक्षा का अधिकार अधिनियम'' के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2017–18 में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 839 बच्चों को परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराया जाकर शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा गया।

14.3.3 शहरी शिक्षा से वंचित बच्चों हेतु रेसीडेंशियल हॉस्टल :- शहरी सुविधा से वंचित बच्चे (बेघर और वयस्क, देख–रेख से वंचित, कठिन परिस्थितियों में रहने वाले गरीब, फुटपाथी, अनाथ, असहाय, निःशक्त, पलायन प्रभावित आदि) ऐसे विशेष श्रेणी के बच्चे हैं जिन्हें वास्तव में बिना आवासीय व्यवस्था कराये शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा जाना संभव नहीं हो पाता है। ऐसे बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़े जाने हेतु सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत 100 सीटर 10 रेसीडेंशियल हॉस्टल (जिला रायपुर में 04, दुर्ग में 02, राजनांदगांव में 03 एवं सरगुजा में 01 रेसीडेंशियल हॉस्टल) 2012–13 से प्रारम्भ किये गये हैं। जिला कलेक्टर, राजनांदगांव के पूर्ण सहयोग से राजनांदगांव जिले में संचालित 03 रेसीडेंशियल हॉस्टल के कुल दर्ज बच्चों को मुख्यधारा में जोड़ते हुए नजदीकी स्कूल में दाखिला कराया गया। उक्त 03 रेसीडेंशियल हॉस्टल माह दिसम्बर 2015 में बंद कर दिये गये। उनके स्थान पर जिला सुकमा में 02 एवं सरगुजा में 01 हॉस्टल संचालित किया गया है। इस प्रकार शहरी शिक्षा से वंचित बच्चों हेतु संचालित 10 रेसीडेंशियल हॉस्टल 30 सितम्बर 2017 की स्थिति तालिका 14.7 में दर्शित है।

तालिका 14.7 रेसीडेंशियल हॉस्टल

क्रं.	जिले का नाम	स्वीकृत 100 सीटर आवासीय हॉस्टल	प्रारम्भ किये हुए आवासीय हॉस्टल	दर्ज बच्चों की संख्या		
				बालक	बालिका	योग
1	दुर्ग	02	02	77	92	169
2	रायपुर	04	04	179	149	328
3	सुकमा	02	02	100	100	200
3	सरगुजा	02	02	99	81	180
योग		**10**	**10**	**455**	**422**	**877**

14.3.4 विशेष आवासीय/गैर आवासीय प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन :- शाला त्यागी एवं अप्रवेशी बच्चों का उम्र के अनुसार समुचित कक्षा में प्रवेश के साथ ही विशेष आवासीय/गैर आवासीय प्रशिक्षण की निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। वर्ष 2017–18 में शाला से बाहर बच्चों की चिन्हांकित संख्या 29759 है।

14.3.5 डॉरमेटरी युक्त विद्यालय :- आदिवासी क्षेत्रों में जहां 10 से कम बच्चे उपलब्ध होने की दशा में नवीन प्राथमिक शाला नहीं खोले जा सके हैं। वहां के बच्चों को शिक्षा सुविधा मुहैया कराने हेतु बलरामपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, अम्बिकापुर, कोरबा, नारायणपुर, सुकमा एवं जशपुर जिलों में कुल 24 विद्यालयों में 50 सीटर डॉरमेटरी युक्त शालाऐं प्रारम्भ की गई है। पलायन प्रभावित जिले बलौदाबाजार, धमतरी, जांजगीर–चांपा, कबीरधाम, महासमुन्द एवं रायगढ़ जिले में कुल 16 विद्यालयों में 50 सीटर डॉरमेटरी युक्त शालाऐं प्रारम्भ की जाकर पलायन प्रभावित बच्चों हेतु निःशुल्क आवास एवं भोजन की व्यवस्था सहित गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान की जा रही है।

14.4 सामुदायिक सहभागिता :-

सर्व शिक्षा अभियान या कोई अन्य महत्वपूर्ण एवं बड़े कार्यक्रम समुदाय के सहयोग के बिना सफल नहीं हो सकते। यही कारण है कि पहले डी पी ई पी एवं अब सर्व शिक्षा अभियान में समुदाय के साथ करीब से जोड़ा गया है। प्रदेश सरकार की यह कोशिश है कि गांव में शिक्षा व्यवस्था बनाए रखने एवं निर्धारित करने का कार्य ग्रामवासियों को दे दिया जाए। इन्हीं विचारों को लागू करने के लिए शाला प्रबंध समिति का गठन किया गया है।

- शाला प्रबंध समिति में सदस्य संयोजक सहित कुल 16 सदस्य होते हैं।
- समिति के 16 सदस्य निम्नानुसार प्रवर्ग के होंगे :–

1. समिति के 75 प्रतिशत सदस्य अर्थात् 12 सदस्य बच्चों के माता–पिता या पालक होंगे।
2. प्रधान पाठक सदस्य संयोजक होंगे।
3. समिति के शेष 25 प्रतिशत सदस्यों में –
   (क) 25 प्रतिशत अर्थात् 04 का एक तिहाई सदस्य अर्थात् 01 सदस्य जनप्रतिनिधि होगा।
   (ख) 25 प्रतिशत अर्थात् 04 का एक तिहाई सदस्य अर्थात् 01 सदस्य विद्यालय का अध्यापक होगा।
   (ग) 25 प्रतिशत अर्थात् 04 का एक तिहाई सदस्य अर्थात् 01 सदस्य स्थानीय शिक्षाविद् होगा।

14.5 कस्तुरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय :-

भारत सरकार द्वारा अगस्त 2004 से सर्व शिक्षा अभियान के पृथक घटक के रूप में दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में निवासरत अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. एवं अल्प संख्यक समुदाय के उच्च प्राथमिक स्तर के बालिकाओं को शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय (100 सीटर) का संचालन सफलता पूर्वक किया जा रहा है।

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लागू होने तथा सर्व शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन की संरचना में संशोधन के उपरांत के.जी.बी.व्ही. घटक का क्रियान्वयन अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित नियम व शर्तो के अनुरूप किया जा रहा है –

1. उक्त विद्यालय में 10 वर्ष से अधिक आयु की शाला त्यागी/अप्रवेशी, पालक/अभिभावक से वंचित, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा से वंचित विशेष आवश्यकता वाली, मौसमी पलायन के कारण पढ़ाई से वंचित एवं कठिन भौगोलिक कारण से पढ़ाई से वंचित बालिकाओं को प्रवेश दिया जाता है।
2. प्रदेश 27 जिलों में से चार जिलों को छोड़कर (रायपुर, दुर्ग, बालोद व राजनांदगांव) 23 जिले में कुल 93 कस्तुरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय (100 सीटर) संचालित है।
3. यह विद्यालय उन विकासखण्डों में संचालित है जहां कि महिला साक्षरता दर, कम है।
4. कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में वर्तमान में 9278 छात्राएं अध्ययन कर रही है।

तालिका 14.8 कस्तूरबा गॉधी विद्यालय दर्ज संख्या 2017–18

कुल कस्तूरबा गॉधी विद्यालय संख्या	कार्यरत कस्तूरबा गॉधी विद्यालय संख्या	अध्ययनरत छात्राओं की संख्या						
		अनु. जाति	अनु. जनजाति	अपिव	अल्पसंख्यक	अन्य	बीपीएल	कुल
93	93	1391	5971	1808	354	108	सभी	9278

तालिका 14.9 कक्षावार अध्ययनरत छात्राओं की संख्या

छठवीं	सातवीं	आठवीं	कुल
3088	3153	3037	9278

1. उक्त विद्यालय में 93 अधीक्षिकाएं, 241 शिक्षिकाएं कार्यरत है। इसके अलावा प्रत्येक झळठट में लेखापाल, रसोईयां भृत्य एवं नगर सेनानी महिला सुरक्षागार्ड कार्यरत है।

14.6 समावेशी शिक्षा :-

14.6.1 दिव्यांग बच्चों हेतु सुविधायें :- कक्षा एक से 8वीं तक अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र समाज कल्याण विभाग द्वारा उपकरण प्रदाय, रैम्प निर्माण, मॉडीफाई टायलेंट, शिक्षक प्रशिक्षण, ट्रांसपोर्ट एवं एस्कार्ट एलाउन्स, शल्य चिकित्सा आदि की व्यवस्था दिव्यांग बच्चों को बाधारहित वातावरण तैयार कर शिक्षा की मुख्यधारा में बनाये रखने के लिए किया जाता है। इस हेतु प्रति दिव्यांग बच्चे पर प्रतिवर्ष 3000 रूपये का बजट प्रावधान है।

14.6.2 दिव्यांग बच्चों शिक्षा :- समावेशी शिक्षा अंतर्गत 63943 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों राज्य में चिन्हांकित किये गये है। जिसमें अधिगम अक्षमता वाले बच्चों को छोड़कर 44892 बच्चों हेतु वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट सत्र 2017–18 में कुल राशि 1346.76 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का चिन्हांकन प्रत्येक विकासखण्ड स्तर पर किया गया। चिन्हांकित बच्चों का जांच उपरांत समाज कल्याण के द्वारा 1526 बच्चों को आवश्यकता के अनुरूप आवश्यक उपकरण, स्वास्थ्य विभाग से 38 बच्चो का सफल शल्य चिकित्सा, बी.आर.पी के द्वारा कुल 2500 बच्चो को आवश्यकता अनुरूप रिर्सोस रूम में आक्यूपेशलन, फिजियों एवं स्पीच थैरपी की सुविधा प्रदान की जा रही है।

14.6.3 होम बेस्ड एजुकेशन :- गंभीर व अतिगंभीर विशेष आवश्यकता वाले कुल 2500 बच्चो को उनके घर पर ही बी.आर.पी. के द्वारा आवश्यकता अनुरूप शिक्षण –प्रशिक्षण व थैरेपी दी जाती है तथा इन बच्चों का व्यक्तिगत शैक्षिक योजना भी तैयार किया जाता है।

14.6.4 सांकेतिक भाषा एवं ब्रेल-लिपि प्रशिक्षण :- जिन स्कूलों में दृष्टिबाधित एवं श्रवण बाधित बच्चे अध्ययनरत है, उन स्कूलों के कुल 3973 सामान्य शिक्षकों को 10 दिवसीय ब्रेल एवं सांकेतिक भाषा प्रशिक्षण कराया गया ।

14.6.5 विश्व दिव्यांगता दिवस एवं स्पेशल ओलम्पिक का आयोजन :- छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित प्रत्येक 27 जिलों में विश्व दिव्यांगता दिवस एवं स्पेशल ओलम्पिक का आयोजन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में छिपी हुई प्रतिभा को निखारने हेतु किया गया। जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों ने बढ़चढ़कर अपनी सहभागिता दी।

14.7 निर्माण कार्य :-

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रत्येक एक कि.मी. के क्षेत्र में प्राथमिक शाला एवं 3 कि.मी. के क्षेत्र में एक उच्च प्राथमिक शाला खोलने का प्रावधान है। जिसके लिए भवन निर्माण कार्य का भी प्रावधान इस अभियान के अंतर्गत है। सर्व शिक्षा अभियान के वार्षिक कार्ययोजना के कुल बजट का 33ः राशि निर्माण कार्य के लिए स्वीकृत की जाती है।

निर्माण कार्य की इकाई लागत निम्नानुसार है :–

1. प्राथमिक शाला भवन (40 बच्चों हेतु) :– 11.48 लाख रू.
2. उच्च प्राथमिक शाला :– 11.84 लाख रू.
3. अतिरिक्त क्लास रूम (प्राथमिक / उच्च प्राथमिक) :– 4.71 लाख रू.

प्राथमिक शाला तथा उच्च प्राथमिक शाला भवन में शौचालय निर्माण इकाई लागत में शामिल है। प्राथमिक शाला की इकाई लागत में किचन शेड भी शामिल है। अन्य शालाओं में शौचालय की सुविधा तथा समस्त शालाओं में पेयजल सुविधा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा संपूर्ण स्वच्छता अभियान के द्वारा कराई जा रही है।

माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना "स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय" के तहत प्रत्येक शाला में पृथक–पृथक बालक एवं बालिका शौचालय की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। उक्त अभियान का शुभारंभ 2 अक्टूबर

2014 को हुआ एवं अभियान के तहत 15 अगस्त 2015 तक समस्त शालाओ में शौचालय उपलब्ध कराया जाना था। इस अभियान के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय शालाओं में शौचालय की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु कुल 16642 शौचालयों का निर्माण किया गया।

14.8 पेडागॉजी शाखा :-

14.8.1. शिक्षक क्षमता विकास (Teacher Professional Development) :-

- इस वर्ष शिक्षक प्रशिक्षण के लिए राज्य को लक्ष्य इस प्रकार मिला है –
- कक्षा पहली एवं दूसरी के 25800 शिक्षकों को विकासखंड स्तर पर पाँच दिन एवं संकुल स्तर पर प्रतिमाह कुल दस माह के लिए एक दिन का प्रशिक्षण
- कक्षा तीसरी से पांचवीं तक के 36600 शिक्षकों को विकासखंड स्तर पर पाँच दिन एवं संकुल स्तर पर प्रतिमाह कुल दस माह के लिए एक दिन का प्रशिक्षण
- कक्षा छठवीं से आठवीं तक के 56419 शिक्षकों को विकासखंड स्तर पर पाँच दिन एवं संकुल स्तर पर प्रतिमाह कुल दस माह के लिए एक दिन का प्रशिक्षण

14.8.2 राष्ट्रीय उपलब्धि परीक्षण (National Achievement Survey NAS) :-

पूरे देश में पहली बार एक साथ कक्षा तीन, पाँच एवं आठ के लिए राष्ट्रीय उपलब्धि परीक्षण का आयोजन दिनांक 13 नवंबर को किया गया। इस बार उपलब्धि परीक्षण के लिए प्रश्न लर्निंग आउटकम को ध्यान में रखकर बनाए गए थे। राज्य के 27 जिलों में इस परीक्षण के लिए सेम्पल इस प्रकार से लिए गए – कक्षा तीन के 1639 (36213 बच्चे एवं 5041 शिक्षक) कक्षा पाँच के 1637 (34850 बच्चे एवं 5041 शिक्षक) एवं कक्षा आठ के 1366 (59031 बच्चे एवं 5468 शिक्षक), इस प्रकार कुल 4642 सेम्पल शालाओं में कुल 130094 बच्चों एवं 15550 शिक्षकों के परीक्षण का लक्ष्य रखा गया। इसमें से कुल 4621 शालाओं में कक्षा तीन से 25224 कक्षा पाँच से 25979 एवं कक्षा आठ से 33991 बच्चों अर्थात कुल 85194 बच्चों ने इस परीक्षण में सहभागिता ली। इस कार्य के लिए कुल 7931 फील्ड इन्वेस्टीगेटर्स की नियुक्ति की गयी। इस कार्य के सफल संपादन के लिए पहली बार जिलों में डाईट को ओ एम आर स्केनर उपलब्ध कराए गए। इन्हीं स्केनर का उपयोग कक्षा दस के उपलब्धि परीक्षण एवं आगामी सभी उपलब्धि परीक्षण में किया जा सकेगा।

इस बार राष्ट्रीय उपलब्धि परीक्षण में प्राप्त परिणामों के आधार पर जिलों में अपनी अपनी वार्षिक कार्ययोजना तैयार कर शालाओं में बच्चों के स्तर में सुधार के लिए प्रयास किया जाएगा।

14.8.3 डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम शिक्षा गुणवत्ता अभियान :-

इस अभियान की तीसरे वर्ष में सामाजिक अंकेक्षण माह जुलाई 2017 के बीच आयोजित किया गया। कुल 44528 शालाओं में से 43747 शालाओं का सामाजिक अंकेक्षण किया गया। फोकस शालाओं की संख्या इस प्रकार हैं –

A	B	C	D
11521	10911	10553	10762

कुल 10762 शालाओं को फोकस शालाओं के रूप में चिन्हांकित किया गया। फोकस शालाओं की मानिटरिंग हेतु टूल तैयार किये गए एवं फोकस शालाओं के लिए अधिकारियों/जनतिधिनियों को शाला आबंटन किया गया। शालाओं की प्रथम मानिटरिंग माह अगस्त 2017 में 16 अगस्त 2017 से 31 अगस्त 2017 तक करते हुए 14 सितम्बर 2017 तक आगे और बढ़ाया गया। मानिटरिंग हेतु 47 विभागों 1085 अधिकारियों की सेवायें ली गई। द्वितीय मानिटरिंग माह जनवरी, 2018 में दिनांक 10 से 25 तक आयोजित किया जाना है। सामाजिक अंकेक्षण एवं प्रथम अकादमिक निरीक्षण से प्राप्त परिणामों को सभी जिलों के साथ साझा करते हुए उन्हें सुधार के लिए प्रेरित किया जाता रहा है।

14.9 निःशुल्क गणवेश :- सर्व शिक्षा अभियान की वर्ष 2017–18 की स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना में प्रति बालक/बालिका 400/– रूपये के मान से 2 सेट गणवेश हेतु राशि प्रावधानित की गई है। यह गणवेश शासकीय स्कूलों में अध्ययनरत सभी बालिकाओं (कक्षा 01 से 05 तक अनुसूचित जाति/जनजाति की बालिकाओं को छोड़कर) तथा SC/ST/BPL परिवार के बालकों को प्रदाय किये जाने का प्रावधान है। सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत सत्र 2017–18 में कुल 2289671 छात्र–छात्राओं को 4579342 सेट निःशुल्क गणवेश प्रदाय किया गया है। जिसकी कुल राशि 91,58,68,400/– रूपये का भुगतान छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा निगम, रायपुर को कर दिया गया है।

14.10 निःशुल्क पाठ्य पुस्तक :- कक्षा 1 से 8 तक अध्ययन्रत सभी बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से प्राथमिक स्तर पर 150/– रूपये प्रति छात्र–छात्रा एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर 250/– रूपये प्रति छात्र–छात्राओं की ऊपरी सीमा के भीतर पाठ्य पुस्तकों के प्रावधान को सहयोग देगा। तथापि जो राज्य वर्ष 2007–08 से बजट के अधीन बच्चों को पाठ्य पुस्तक राज्य शासन के मद से उपलब्ध कराते रहे हैं। वे राज्य योजनाओं के अधिन उपलब्ध करायी जा रही पाठ्य पुस्तकों का वित्त पोषण जारी रखेंगे। सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत सत्र 2017–18 में कुल 2470933 छात्र–छात्राओं के लिए कुल राशि 46,77,15,000/– रूपये का बजटीय प्र

14.11 तकनीकी शिक्षा

वर्तमान में राज्य में 03 शासकीय, 03 स्वशासी–स्ववित्तिय और 41 निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालय हैं, जिनकी कुल प्रवेश क्षमता 20267 है। इनमें एक निजी विश्वविद्यालय मैट्स विश्वविद्यालय आरंग, रायपुर एवं एक उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज, लखनपुर भी शामिल है। राज्य 32 शासकीय एवं 28 निजी पॉलीटेक्निक संस्था स्थापित है, जिनकी कुल प्रवेश क्षमता 11265 है। सभी पॉलीटेक्निक संस्थाओं में त्रिवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम में सेमेस्टर पद्धति से अध्यापन व परीक्षा की व्यवस्था लागू है। राज्य में 10 निजी संस्थाओं में बी. फार्मेसी पाठ्यक्रम, कुल 763 प्रवेश क्षमता, 08 निजी संस्थाओं में एम.फार्मेसी पाठ्यक्रम, कुल 117 प्रवेश क्षमता 01 शासकीय एवं 07 निजी संस्थाओं में डी. फार्मेसी पाठ्यक्रम कुल 467 प्रवेश क्षमता के साथ संचालित हैं। राज्य में शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयीन संस्थाओं एवं निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में 1274 प्रवेश क्षमता के साथ एम.ई./एम.टेक. पाठ्यक्रम संचालित है, साथ ही 17 निजी महाविद्यालय में 1197 प्रवेश क्षमता के साथ एम.बी.ए. पाठ्यक्रम संचालित है एवं 09 निजी संस्थानों में 554 प्रवेश क्षमता के साथ एम.सी.ए. पाठ्यक्रम संचालित है। राज्य के इंजीनियरिंग संस्थानों में स्नातक स्तर के 18 पाठ्यक्रम, स्नातकोत्तर स्तर पर 27 तथा पॉलीटेक्निक संस्थाओं में डिप्लोमा स्तर के 16 त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम संचालित हैं। राज्य के शासकीय एवं निजी इंजीनियरिंग एवं पॉलीटेक्निक संस्थान छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानन्द तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई से सम्बद्ध हैं तथा इनमें संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त है।

14.11.1 छात्रवृत्तियाँ (सामान्य एवं पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिये) :- शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के लिये मेरिट स्कालरशिप और मेरिट–कम–मीन्स स्कॉलरशिप रू. 1000.00 प्रति माह तथा पॉलीटेक्निक संस्थाओं में रू. 600.00 प्रतिमाह दिये जाने की व्यवस्था है। राज्य के बाहर अध्ययनरत छत्तीसगढ़ राज्य के छात्र–छात्राओं को रू. 2000.00 प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है। इंजीनियरिंग महाविद्यालयों के छात्रों हेतु 100 एवं पॉलटेक्निक संस्थाओं के छात्रों हेतु 484 छात्रवृत्तियॉ निम्नानुसार स्वीकृत हैं :–

तालिका 14.10 छात्रवृत्ति		
इंजीनिरिंग महाविद्यालय	संख्या	राशि रू. प्रतिमाह
मैरिट स्कालरशिप	16	1000.00
मैरिट स्कालरशिप (राज्य के बाहर पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए)	8	2000.00
मैरिट–कम–मीन्स	76	1000.00
योग	**100**	
पॉलीटेक्निक	संख्या	राशि रू. प्रतिमाह
मैरिट स्कालरशिप	83	600.00
मैरिट–कम–मीन्स	401	600.00
योग	**484**	

14.11.2 कम्युनिटी कॉलेज की स्थापना :- रोजगार परक शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य में कम्युनिटी कॉलेज की स्थापना प्रदेश के दो शासकीय पॉलीटेक्निक (शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक रायपुर एवं किरोडीमल शासकीय पॉलीटेक्निक रायगढ़) में की गई है। कम्युनिटी कॉलेज की स्थापना हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा दोनों पॉलीटेक्निकों को प्रथम अनुदान की राशि जारी कर दी गई है। शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक रायपुर में इंटीरियर डिजाईन पाठ्यक्रम में 100 सीट एवं किरोड़ीमल शासकीय पॉलीटेक्निक रायगढ़ में इलेक्ट्रिकल इक्वीपमेंट मेन्टनेन्स पाठ्यक्रम में 100 सीट का अनुमोदन प्राप्त हुआ है।

कम्युनिटी कॉलेज का पाठ्यक्रम विभिन्न लेवल में विभाजित है, प्रत्येक लेवल लगभग 1000 घंटे का है, जो कि लगभग एक वर्ष में पूर्ण होता है। ये प्रत्येक लेवल अपने आप में पूर्ण है। लेवल I एवं II स्कूल लेवल में पढ़ाया जाता है जो कि क्रमशः नवमी एवं दसवी के समतुल्य है तथा पॉलीटेक्निक कॉलेज में यदि विद्यार्थी लेवल III, IV एवं V पूरल कर लेता है, तो इसे Diploma in Vocational Course (DVoC) पत्रोपाधि दी जा सकेगी। ये कोर्स ऐसे विद्यार्थियों के लिए विशेष लाभप्रद है जो दसवीं तक के अध्ययन करने के उपरांत किसी कारणवश आगे की पढ़ाई नही कर सके हैं ।।वधान है। उक्त समस्त पात्र विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक सत्र प्रारम्भ में ही वितरण कर दिया गया है।

वर्तमान परिदृश्य में बाजार की जरूरतों के अनुसार छात्रों में प्रचलित शिक्षा (Formal Education) के साथ–साथ कौशल विकास (Skill Develop) होना अनिवार्य हो गया है। वर्तमान जरूरतों के अनुसार छात्रों में कौशल का विकास करना ही कम्युनिटी कॉलेज की स्थापना के मुख्य उद्देश्य है।

सत्र 2016–17 तक शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक, रायपुर में कुल अनुदान 2841250.00 में से 1236848.00 व्यय हुआ। तथा 2017–18 में निरंक व्यय हुआ। इसी तरह शासकीय पॉलीटेक्निक, रायगढ़ में सत्र 2016–17 तक कुल अनुदान 6012500.00 में से 3393675.00 व्यय हुआ। तथा सत्र 2017–18 में 181536.00 व्यय हुआ।

14.11.3 मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना :- तकनीकी एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में शिक्षा ग्रहण करने वाले निर्धन परिवार के शिक्षार्थियों पर बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर के भार को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा मोरेटोरियम अवधि के उपरांत ली जाने वाली ब्याज राशि में अनुदान देने की योजना वित्तीय वर्ष 2012–13 से प्रारंभ की गई है।

इसके अंतर्गत रू. 2.00 लाख तक की वार्षिक आय के परिवार से आने वाले तकनीकी एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के शिक्षार्थियों को मोरेटोरियम अवधि (पाठ्यक्रम की अवधि एवं नौकरी लगने के उपरांत एक वर्ष अथवा छः महीना जो भी पहले

हो) के अपरांत नियमित भुगतान की स्थिति में ऋण राशि के ब्याज के भार में छूट प्रदान की जायेगी। मोरेटोरियम अवधि के उपरांत राज्य के वामपंथी चरमपंथी प्रभावित जिलों जैसे :– बस्तर, बीजापुर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, जशपुर, उत्तर बस्तर कांकेर, कोरिया, नारायणपुर, राजनांदगांव, सरगुजा, धमतरी, महासंमुद, गरियाबंद, बालोद, सुकमा, कोण्डागांव और बलरामपुर के निवासी शिक्षार्थियों को शून्य प्रतिशत एवं शेष जिलों के निवासी शिक्षार्थियों को केवल 1.00 प्रतिशत की दर से ब्याज भार वहन करना होगा एवं बैंको द्वारा लिये जाने वाले ब्याज दर के शेष का व्यय भार, राज्य शासन द्वारा वहन किया जायेगा।

14.11.4 छत्तीसगढ़ युवा सूचना क्रांति योजनांतर्गत शैक्षणिक सत्र 2016-17 में लेपटॉप वितरण :- छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ युवा सूचना क्रांति योजनांतर्गत निःशुल्क लेपटाप एवं टेबलेट कम्प्यूटर वितरण संबंधी अधिसूचना दिनांक, 15.05.2013 को जारी किया गया है। योजना के अंतर्गत इंजीनियरिंग महाविद्यालयों, मेडिकल महाविद्यालय, एवं अन्य तकनीकी श्रेणी के उच्च शिक्षण संस्थाओं में स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि हेतु अंतिम वर्ष में अध्ययनरत् विद्याार्थियों को लेपटाप एवं अन्य उच्च शिक्षण संस्थाओं में वाणिज्य, कला एवं विज्ञान, आदि निकायों में स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि हेतु अंतिम वर्ष में अध्ययनरत् विद्यार्थियों को पात्रता अनुसार निःशुल्क लेपटाप अथवा टेबलेट कम्प्यूटर प्रदाय किये जाने का प्रावधान है। वर्ष 2016–17 में 16804 नग लेपटाप एवं 62124 नग टेबलेट वितरित किए जा चुके हैं।

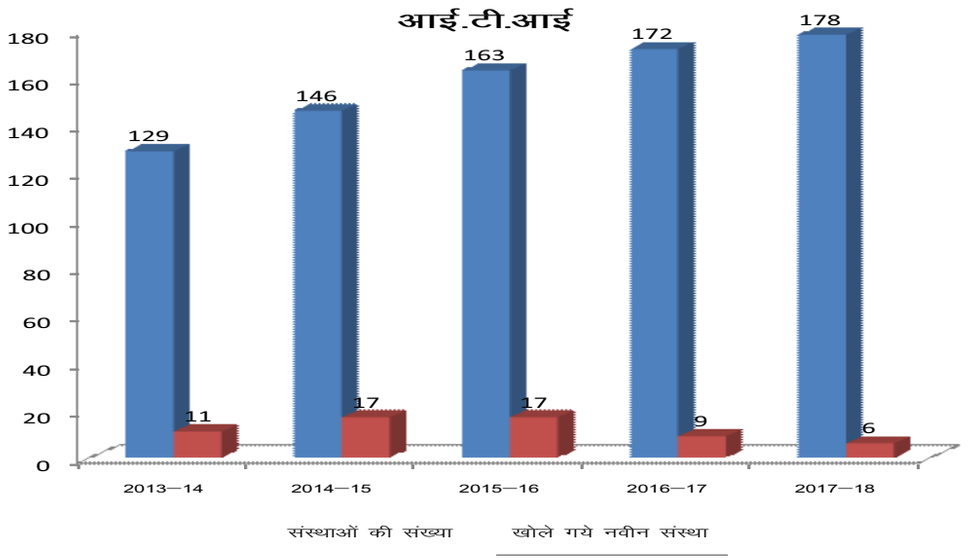
14.11.5 पॉलीटेक्निक संस्थाओं मे कन्या छात्रावास का निर्माण :- राज्य की 10 पॉलीटेक्निक संस्थाओं (शासकीय पॉलीटेक्निक जांजगीर–चांपा, कोरबा, धमतरी, दुर्ग, रायगढ़, अंबिकापुर, कबीरधाम, महासमुंद, तखतपुर एवं जगदलपुर) का चयन केन्द्र शासन की योजना के तहत् 50 सीटर कन्या छात्रावासों के निर्माण के लिये किया गया है। इस योजना के अंतर्गत 50 सीटर कन्या छात्रावास के निर्माण हेतु, केन्द्र शासन के द्वारा प्रत्येक संस्था को रूपये 1.00 करोड़ की राशि प्रदान की जाएगी। शासकीय पॉलीटेक्निक रायगढ़, कोरबा दुर्ग, धमतरी एवं जांजगीर–चांपा में छात्रावास निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा संस्था द्वारा अधिपत्य प्राप्त कर लिया गया है। शेष छात्रावासों का निर्माण कार्य पूर्णता पर है।

14.11.6 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें :- वर्तमान एवं भविष्य में कुशल जनशक्ति की आवश्यकता एवं मांग को दृष्टिगत रखते हुए एवं प्रदेश के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार मुहैया कराने तथा प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिये संचालनालय प्रशिक्षण अंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं का संचालन किया जा रहा है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.व्ही.टी.) नई दिल्ली से संबद्ध व्यवसायों में जो प्रशिक्षण प्रदान की जाती है। वर्तमान में संचालनालय प्रशिक्षण अंतर्गत कुल 178 शासकीय आई.टी.आई. संचालित है।

शासन द्वारा प्रदेश में विकास खण्ड स्तर पर चरणबद्ध रूप से कम से कम एक–एक शासकीय आई.टी.आई. खोलने की योजना है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में 8 विकास खण्ड को शामिल करते हुए 9 नवीन आई.टी.आई. खोले गए। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2017–18 में 6 विकास खण्डों में 6 नवीन आई.टी.आई. खोले गए हैं। वर्तमान में राज्य के 142 विकास खण्डों में कुल 178 शासकीय आई.टी.आई. खोले जा चुके हैं। राज्य के आई.टी.आई. विहिन शेष 4 विकास खण्डों में से 2 विकास खण्डों में केन्द्र सरकार के सहयोग से एवं 2 विकास खण्डों में राज्य योजनांतर्गत आई.टी.आई. खोले जाने का प्रस्ताव है। विगत 5 वर्षों में खोले गये आई.टी.आई. की जानकारी निम्नानुसार है :–

तालिका 14.11 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं

वर्ष	संस्थाओं की संख्या	खोले गये नवीन संस्था
2013–14	129	11
2014–15	146	17
2015–16	163	17
2016–17	172	09
2017–18	178	06



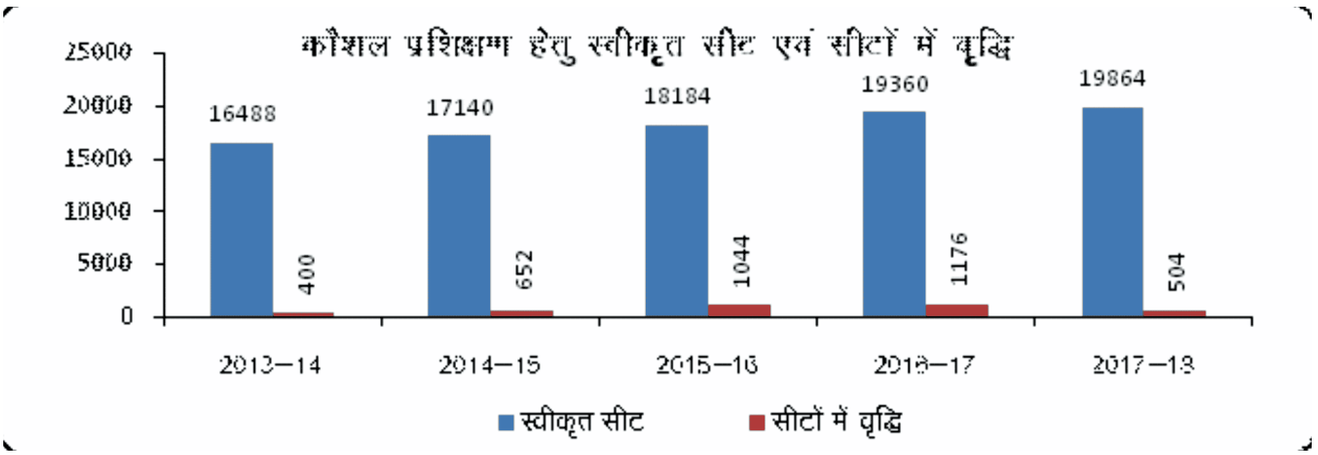
14.11.7 राज्य में संचालित औद्योगिक प्राशिक्षण संस्थाओं की स्थिति :

शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें	
जिलें	**27**
संस्थायें	**178**
अनुसूचित जनजाति विशेष संस्थायें	**09**
महिलाओं के लिये विशेष	**09**
संचालित व्यवसाय	**47**
इंजीनियरिग व्यवसाय	**32**
नॉन-इंजीनियरिग व्यवसाय	**15**
कुल प्रशिक्षण क्षमता सीट्स	**19864**

निजी औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र	
जिलें	**27**
संस्थायें	**104**
संचालित व्यवसाय	**21**
इंजीनियरिग व्यवसाय	**16**
नॉन-इंजीनियरिग व्यवसाय	**05**
कुल प्रशिक्षण क्षमता सीट्स	**11784**

क्र.	जिला	शासकीय औ.प्र.संस्थाओं की स्थिति		
		संस्थायें	स्वीकृत सीट्स	रिमार्क
1	बालोद	8	776	
2	बेमेतरा	5	408	
3	बलरामपुर	7	376	
4	बस्तर	8	840	
5	बीजापुर	4	224	
6	बिलासपुर	10	2212	
7	बलौदाबाजार–भाटापारा	7	932	
8	दंतेवाड़ा	4	224	
9	धमतरी	9	724	
10	दुर्ग	6	1780	
11	कबीरधाम	4	204	
12	जशपुर	6	444	
13	जांजगीर–चांपा	12	864	
14	गरियाबंद	5	376	
15	कोरिया	6	620	
16	कोरबा	6	1012	
17	कोण्डागांव	7	504	
18	नारायणपुर	2	160	
19	मुंगेली	3	176	
20	महासमुन्द	5	584	
21	रायपुर	8	1604	
22	रायगढ़	10	1344	
23	राजनांदगांव	11	764	
24	कांकेर	8	780	
25	सरगुजा	7	844	
26	सूरजपुर	7	516	
27	सुकमा	3	200	
	योग	178	19864	

वर्तमान में देश में कौशल प्रशिक्षण हेतु Seating Capacity का राष्ट्रीय औसत 250 सीट प्रति लाख जनसंख्या पर है, वही छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 165 सीट प्रति लाख जनसंख्या पर है। वर्ष 2030 तक राष्ट्रीय औसत को प्राप्त करने के लिये चरणबद्ध रूप से प्रतिवर्ष सीटों में वृद्धि कर लगभग 22 हजार अतिरिक्त सीट करने की योजना है। राज्य में संचालित शासकीय एवं निजी आई.टी.आई. में वर्तमान में प्रतिवर्ष लगभग 41 हजार युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने की क्षमता है। शासकीय आई.टी.आई. में वर्षवार सीटों में वृद्धि की जानकारी निम्नानुसार है :–



14.12 उच्च शिक्षा

छत्तीसगढ़ राज्य के विकास यात्रा में उच्च शिक्षा विभाग की भूमिका अत्यंत उल्लेखनीय रही है। राज्य गठन के बाद जिस तेजी से उद्योगों की संख्या बढ़ी है, यदि मानव संसाधन में सुधार पर ध्यान न दिया जाये तो निश्चित ही इसका लाभ अंचल के लोगों को नही मिल सकेगा। यह तभी सम्भव होता है जब उच्च शिक्षा के क्षेत्र मे परिणात्मक एवं गुणात्मक विस्तार एवं सुधार किया जाता। अपने गठन के समय से ही छत्तीसगढ़ का उच्च शिक्षा विभाग इस दिशा में सतत् प्रयत्नशील है एवं उच्च शिक्षा विभाग राज्य के प्रत्येक युवा को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु दृढ़ संकल्पित है। राज्य की उच्च शिक्षा को नया स्वरूप प्रदान करने की दिशा में विभाग अग्रसर है।

14.12.1 राज्य के गठन के समय 03 विश्वविद्यालय, 116 शासकीय महाविद्यालय एवं 74 अशासकीय महाविद्यालय थे। वर्तमान में 08 राजकीय विश्वविद्यालय, 01 केन्द्रीय विश्वविद्यालय, 08 निजी विश्वविद्यालय, 221 शासकीय महाविद्यालय एवं 13 अशासकीय अनुदान प्राप्त एवं 205 अशासकीय अनुदान अप्राप्त महाविद्यालय संचालित है।

14.12.2 दुर्ग में नवीन राजकीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है एवं 02 निजी विश्वविद्यालय यथा ओ.पी.जिंदल यूनिर्वसिटी रायगढ़ एवं एमिटी यूनिर्वसिटी रायपुर की स्थापना की गई है।

14.12.3 वर्ष 2016–17 में छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय महाविद्यालयों में लगभग 184640 छात्र–छात्रायें अध्ययनरत थे। इस वर्ष 2017–18 में प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में लगभग 201483 छात्र–छात्रायें अध्ययनरत हैं, जिसमें स्नातक स्तर पर 174830 एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 16869 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। कुल छात्रसंख्या में से 25242 सामान्य वर्ग, 31316 अनुसूचित जाति, 46307 अनुसूचित जनजाति एवं 98618 अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र–छात्रायें अध्यनरत् हैं।

14.12.4 इसके अतिरिक्त निजी विश्वविद्यालयों की देश में बढ़ती हुई भूमिका के मद्देनजर छत्तीसगढ़ में भी 06 निजी विश्वविद्यालय–डॉ. सी.व्ही. रमन विश्वविद्यालय कोटा, बिलासपुर, मैट्स विश्वविद्यालय आरंग, रायपुर, कलिंगा विश्वविद्यालय ग्राम कोटनी रायपुर, आई.सी.एफ.ए.आई विश्वविद्यालय ग्राम चरोदा दुर्ग, आई0टी0एम0 विश्वविद्यालय उपरवारा अभनपुर रायपुर, एवं महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नोलॉजी मंगला, बिलासपुर की स्थापना की जा

चुकी है। इन विश्वविद्यालयों की स्थापना से उच्च शिक्षा को गति प्राप्त हो रही है और हजारों विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल रहा है। इन निजी विश्वविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित छ.ग.निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा किया जाता है।

14.12.5 सत्र 2017-18 में 05 महाविद्यालयों :- बीरगांव जिला–रायपुर, खरोरा, जिला–रायपुर, चन्द्रपुर जिला–जांजगीर चांपा, सरिया जिला–रायगढ़ एवं कटेकल्याण जिला–दंतेवाड़ा की स्थापना किये जाने हेतु कुल 95 पद स्वीकृत किये गये।

14.12.6 इस सत्र में 11 अशासकीय महाविद्यालय (कृति इंन्टीटयूट ऑफ जर्नालिस्म एंड मास कम्युनिकेशन, नरदहा, रायपुर, 2. रामकृष्ण महाविद्यालय सांई दरबार रोड, रायपुरा रायपुर, 3 स्पेक्ट्रम कॉलेज ऑफ एजुकेशन नरदहा रायपुर, 4. प्रतिभा विद्यापीठ दलदल सिवनी मार्ग मोवा रायपुर, 5 श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेसनल स्टडी मुजगहन, सेजबहार रायपुर, 6 श्याम बालाजी कॉलेज महासमुन्द, 7. आई.पी.एस. गुरूकुल महाविद्यालय बेलटुकरी गनियारी, जिला बिलासपुर, 8. दुलीचंद जालान कॉलेज ऑफ क्लवालिटी एजुकेशन तिलईपाली सरसीवां जिला बलौदाबाजार, 9. अशोका महाविद्यालय सारंगढ़, 10. रायगढ़ कॉलेज ऑफ एजुकेशन कोटरापाली जिला रायगढ़, 11. सोनकर कॉलेज रायपुर रोड बुंदेली जिला मुंगेली) प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गयी है।

14.12.7 राज्य शासन द्वारा मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 21.12.2012 के निर्णय अनुसार शतप्रतिशत अनुदान प्राप्त अशासकीय एस.एन.जी. महाविद्यालय मुंगेली को जनहित में उत्तम व्यवस्था हेतु शासनाधीन किया गया है।

14.12.8 प्रदेश के कुल 13 निजी महाविद्यालयों को शासन द्वारा शतप्रतिशत अनुदान प्रदान किया जा रहा है। इस प्रकार वर्तमान में अशासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों की संख्या कुल–13 है।

14.12.9 सत्र 2017–18 हेतु प्रदेश के 25 शासकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर नवीन संकाय/पाठयक्रम प्रारंभ किये गये हैं। इस हेतु 50 सहायक प्राध्यापक, 20 प्रयोगशाला तकनीशियन तथा 20 प्रयोगशाला परिचारक के पद स्वीकृत किये गये।

14.12.10 सत्र 2017–18 हेतु प्रदेश के 25 शासकीय महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन विषय/पाठयक्रम प्रारंभ किये गये हैं। इस हेतु 40 प्राध्यापक के पद स्वीकृत किये गये।

14.12.11 सत्र 2017–18 हेतु प्रदेश के 19 शासकीय महाविद्यालयों में स्ववित्तीय/जनभागीदारी योजना अन्तर्गत 29 नये व्यावसायिक पाठयक्रम प्रारंभ किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

14.12.12 प्रदेश का सकल नामांकन अनुपात (G.E.R) वर्ष 2003 में 3.5 से बढ़कर अब लगभग 16 प्रतिशत हो गया है। यदि हम दूरस्थ क्षेत्रों में अध्यनरत छात्रों की संख्या एवं स्वाध्यायी छात्रों को मिलाकर गणना करें तो हमारे प्रदेश के G.E.R का औसत राष्ट्रीय औसत से बढ़कर लगभग 20 हो जाता है।

14.12.13 छत्तीसगढ़ युवा सूचना क्रांति योजना के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त अध्ययनरत स्नातक एवं स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष के छात्र–छात्राओं को तकनीकी शिक्षा संचालनालय, नया रायपुर के माध्यम से निःशुल्क टेबलेट का वितरण किया जा रहा है।

14.12.14 सभी महाविद्यालयों में प्रवेश–प्रक्रिया में सरलता एवं एकरूपता लाने हेतु चिप्स के माध्यम से तैयार किये गये साफ्टवेयर सेतु (Student Empowerment Through Technology Utilization-SETU) का सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया है। Student Empowerment Through Technology Utilization-SETU के माध्यम से समस्त शासकीय महाविद्यालयों में छात्र–छात्रओं को सफलतापूर्वक ऑन–लाईनप्रवेश प्रदान किया गया है। इसके अन्तर्गत छात्र–छात्राओं का प्रवेश तथा अन्य सभी अभिलेख ऑन–लाईन करने का प्रयास किया जा रहा है।

14.12.15 सत्र 2017–18 में प्रदेश के 30 महाविद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं/विषयों में कुल 2060 सीट वृद्धि की अनुमति दी गई।

14.12.16 राज्य के 221 शासकीय महाविद्यालयों में से 180 महाविद्यालयों के स्वयं के भवन है। शेष महाविद्यालयों में भवन निर्माणाधीन हैं।

14.12.17 10 शासकीय महाविद्यालयों में 100 सीटर कन्या छात्रावास हेतु क बजट में रू. 550.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

14.12.11 राज्य के महाविद्यालयों का ''राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC)'' द्वारा मूल्यांकन - उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के आकलन हेतु राज्य शासन द्वारा समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम, 2012 के तहत नैक (NAAC) द्वारा प्रत्यायन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। इस परिप्रेक्ष्य प्रदेश के लगभग 70 शासकीय महाविद्यालय एवं 47 अशासकीय महाविद्यालय एवं 03 विश्वविद्यालयों का नैक मूल्यांकन किया जा चुका है।

1. पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर – A
2. इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ – A
3. शासकीय वि.या.ता. पी.जी.महाविद्यालय दुर्ग – A+
4. शासकीय जे.पी.वर्मा पी.जी.महाविद्यालय बिलासपुर – A
5. शासकीय बिलासा कन्या महावि. बिलासपुर – A
6. शासकीय ई.राधवेन्द्र राव पी.जी.विज्ञान महावि बिलासपुर – A
7. अशासकीय सी.एम.डी. महाविद्यालय, बिलासपुर – A
8. अशासकीय डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर – A

14.12.12 राष्ट्रीय सेवा योजना :- वर्ष 2016–17 में केन्द्र शासन द्वारा अतिरिक्त छात्र संख्या 2800 का आबंटन किया गया है जिससे राष्ट्रीय सेवा योजना की कुल आबंटित संख्या 93,000 से बढ़कर 95,800 हो गया है। राष्ट्रीय सेवा योजना अंतर्गत वर्ष 2016–17 में प्रावधानित राशि 574.50 लाख में से राशि रू. 397.57 लाख व्यय किया गया। वर्ष 2017–18 में कुल प्रावधानित राशि 340.25 लाख में से 340.25 लाख राशि व्यय किया जा चुका है।

14.12.13 बी.पी.एल. बुक बैंक योजना :- बी.पी.एल. बुक बैंक योजना राज्य शासन द्वारा 2005 से प्रारंभ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत बी.पी.एल. छात्र–छात्राओं को स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर प्रतिवर्ष पूरे शैक्षणिक सत्र के लिये पाठ्य पुस्तकें महाविद्यालय द्वारा क्रय कर प्रदान की जाती हैं। इस शैक्षणिक सत्र के लिये रू. 45 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।

14.12.14 अ.जा. एवं अ.ज.जा. के विद्यार्थियों के लिये मुफ्त स्टेशनरी/पुस्तकें प्रदान करना :- इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को मुफ्त स्टेशनरी एवं पुस्तकें प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत स्नातक स्तर पर रूपये 50/– प्रति विद्यार्थी स्टेशनरी एवं प्रति दो विद्यार्थी रूपये 600/– की पुस्तकें तथा स्नातकोत्तर स्तर पर रूपये 50/– प्रति विद्यार्थी स्टेशनरी तथा प्रति दो विद्यार्थी रूपये 800/– की पुस्तकें देने का प्रावधान है। इस योजना अंतर्गत वर्ष 2016–17 में मांग संख्या 41 अंतर्गत 78 लाख प्रावधानित था जिसके विरूद्ध 69.57 लाख व्यय किया गया जिससे 41568 विद्यार्थी लाभांन्वित हुये इसी प्रकार मांग संख्या 64 अंतर्गत 110 लाख का प्रावधान किया गया था जिसके विरूद्ध 90 लाख व्यय किया गया जिससे 27130 विद्यार्थी लाभान्वित हुए।

14.12.15 बी.पी.एल. छात्रवृत्ति :- उच्च शिक्षा विभाग द्वारा गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले सभी वर्ग के परिवारों के छात्रों हेतु बी.पी.एल. छात्रवृत्ति सत्र 2005–06 से प्रदान की जा रही है। इसके अन्तर्गत आने वाले स्नातक स्तर के छात्रों को रू. 300/– प्रतिमाह की दर से 10 माह के लिए कुल 3000/– रू. एवं स्नातकोत्तर स्तर के छात्रों को रू. 500/– प्रति माह की दर से 10 माह के लिए कुल 5000/– प्रति छात्र प्रदान किया जाता है।

इस हेतु वर्ष 2016–17 में राशि रू.600.00 लाख का प्रावधान किया गया था जिससे 12307 विद्यार्थीयों को बी.पी.एल. छात्रवृत्तियॉ प्रदान की गयी। वर्ष 2017–18 में राशि रू. 600.00 लाख का प्रावधान किया गया है छात्रवृत्ति वितरण हेतु प्रस्ताव मंगायें गये है वर्तमान में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

14.12.16 विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण आंकडे :-

तालिका 14.13 उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या

विवरण	वर्ष 2016–17	वर्ष 2017–18 (नवम्बर 17)
1. महाविद्यालय		
शासकीय	216	221
अशासकीय अनुदान प्राप्त	13	13
स्वशासी	11	11
अशासकीय अनुदान अप्राप्त	205	216
2. विश्वविद्यालय		
राजकीय	08	08
निजी	08	08
केन्द्रीय	01	01

तालिका 14.14 छात्रसंख्या विषयवार

विषय	2016–17			2017–18		
	छात्र	छात्रा	कुल	छात्र	छात्रा	कुल
कला	37549	50222	87771	39978	55326	95304
वाणिज्य	13553	14811	28364	14298	16873	31171
विज्ञान	26658	35663	62321	28641	40901	69542
विधि	713	445	1158	624	340	964
प्रबंधन	43	39	82	43	31	74
कम्प्युटर	1543	1752	3295	1686	1974	3660
अन्य	560	934	1494	131	625	756

तालिका 14.15 छात्रसंख्या वर्गवार

वर्ग	2016–17			2017–18		
	छात्र	छात्रा	कुल	छात्र	छात्रा	कुल
अनु.जनजाति	20112	24539	44651	9034	16208	25242
अनु.जाति	12908	14552	27460	14400	16916	31316
अन्य पिछड़ा वर्ग	37180	48584	85764	19939	26368	46307
सामान्य	10481	16284	26765	42028	56590	98618

स्वास्थ्य

15

अध्याय

15 स्वास्थ्य

मुख्य बिन्दु -

- संस्थागत सव की दर वर्ष 2005-06 में 14.3 तिशत थी, जो बढ़कर 70.2 तिशत (2015-16) हो गई (NFHS 2015-16)।
- राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम का मूल उद्देश्य दृष्टिहीनता को घटाकर वर्ष 2020 तक 0.3 प्रतिशत लाना है।
- राज्य में कुल 27 जिला क्षय नियंत्रण केंद्र, 152 टीबी यूनिट तथा 551 सूक्ष्मदर्शी जांच केंद्र (डीएमसी) द्वारा टीबी का उपचार एवं निदान की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
- मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम हेतु वर्ष 2016-17 में राशि रू. 360.00 लाख प्रावधानित।
- राष्ट्रीय एवं मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत राज्य के स्मार्ट कार्डधारी परिवारों को रू. 50,000/- प्रति परिवार प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा कवर प्राप्त होगा।
- प्रदेश में वर्तमान में 52474 आंगनवाड़ी एवं मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं।
- नवाजतन योजना द्वारा 137480 बच्चों को कुपोषण से बाहर लाया गया।
- वजन त्यौहार 2016 के अनुसार बच्चों में कुपोषण का स्तर 30.13 प्रतिशत है।
- मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजनांतर्गत 2016-17 में 124926 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया।
- छत्तीसगढ़ महिला कोष अंतर्गत ऋण योजनांतर्गत 2016-17 में 2541 समूहों को ऋण प्रदान किया गया।
- पूरक पोषण आहार तैयार एवं वितरण करने हेतु 1647 महिला स्व-सहायता समूह लगे हुए हैं।
- 19586 महिला स्व-सहायता समूह नाश्ता बनाने हेतु नियोजित।
- राज्य में 3148 नलजल प्रदाय एवं 3192 स्थल जलप्रदाय योजनाओं से ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल प्रदाय।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार "स्वास्थ्य से तात्पर्य केवल रोगों अथवा दुर्बलता की अनुपस्थिति से ही नहीं वरन् संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण से है"। इस प्रकार अच्छे स्वास्थ्य के लिए उपचारात्मक के साथ साथ निवारक होना भी एक आवश्यक है। अनुपूरक घटक जैसे जल, स्वच्छता एवं पोषण आदि स्वास्थ्य की समग्र देखभाल के महत्वपूर्ण पहलू है।

स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत उन समस्त प्रयासों को सम्मिलित किया जाता है जिससे मानव की जीवन प्रत्याशा, शारीरिक शक्ति व योग्यता तथा कार्यक्षमता आदि की वृद्धि होती है। स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता एवं आवास की दशाएं मानव विकास को प्रभावित कर अंततः आर्थिक विकास को प्रभावित करती है। कुपोषण, निम्न जीवन स्तर, बीमारियां तथा स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी मानव की दक्षता में कमी लाता है। अतः यह आवश्यक है कि देश में लोगों की स्वास्थ्य सुविधाओं एवं सेवाओं को उच्च स्तर पर बनाये रखने के लिये इस क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में व्यय तथा विनियोग किया जाए, ताकि देश की मानव शक्ति कार्यकुशल एवं दक्ष बनी रहे।

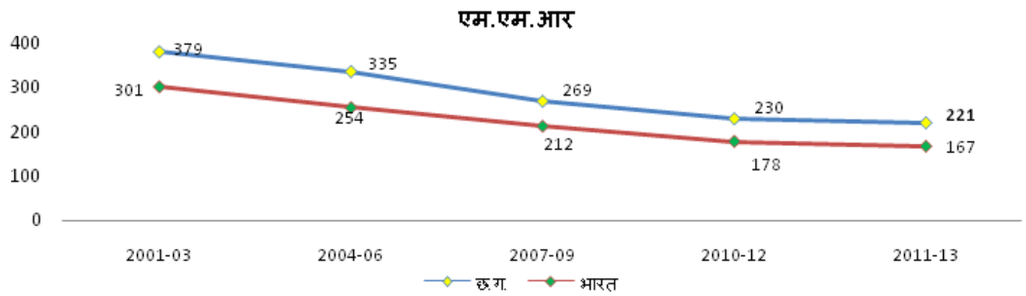
तालिका 15.1 स्वास्थ्य संस्थाएं

क्र.	स्वास्थ्य संस्था	स्वीकृत
1	जिला चिकित्सालय	26
2	सिविल अस्पताल	19
3	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	169
4	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	785
5	उप स्वास्थ्य केन्द्र	5186
6	सिविल डिस्पेंसरी	31
7	शहरी परिवार कल्याण केन्द्र	10
8	कुष्ठ गृह एवं चिकित्सालय	3
9	पॉली क्लीनिक रायपुर	1
10	टी.बी. सेनेटोरियम	1
11	मानसिक चिकित्सालय सेंदरी बिलासपुर	1

सितंबर 2015 में सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों (मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स) की अवधि पूरी होने पर इन लक्ष्यों को और विस्तार देते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा में अगले 15 वर्षों यानी 2030 तक के लिए एक नया वैश्विक एजेंडा– सतत विकास लक्ष्यों (सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स) तय किया गया, जिनमें विश्व की बेहतरी के लिए 17 सतत विकास लक्ष्यों को सम्मिलित किया गया। इनमें लक्ष्य–3 सभी आयु के लोगों में स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देने हेतु है।

15.1 मातृ स्वास्थ्य :- राष्ट्र के समग्र विकास और कल्याण में मातृत्व स्वास्थ्य का निर्णायक महत्व है। गर्भावस्था एवं प्रसव पूर्व एवं पश्चात् महिलाओं का पर्यवेक्षण देखभाल और सलाह, उपयुक्त औषधि तथा इलाज कुशल स्वास्थ्य कर्मियों एवं संस्थागत प्रसव के कारण मातृत्व मृत्यु दर में कमी परिलक्षित हुई। केन्द्र एवं राज्य सरकारों के द्वारा चलाये जाने वाले विभिन्न कार्यक्रम एवं योजनाओं के क्रियान्वयन ने राज्य में मातृत्व स्वास्थ्य में सुधार एवं मातृत्व मृत्यु दर में कमी लाने में निर्णायक भूमिका निभाई है।

मातृ मृत्यु दर 2001–03 में 1 लाख प्रति जीवित जन्मों पर भारत में 301 तथा राज्य में 379 थी। जो घटकर भारत व छत्तीसगढ़ में क्रमशः 167 व 221 (ैै त्मचवतज 2015) हो गया।ैक्ळ में 2030 तक मातृ मृत्यु अनुपात को 100 से कम लाने का लक्ष्य रखा गया है। विगत वर्षों में प्रदेश में गर्भवती माताओं का प्रसव अस्पतालों के प्रति विश्वास बढ़ी है। शासकीय अस्पतालों में छथ्ै.3 वर्ष 2005–06 में 6.9 प्रतिशत प्रसव होता था जो NFHS-4 में 2015–16 में बढ़कर 55.9 प्रतिशत हो गया है। छथ्ै.3 वर्ष 2005–06 में संस्थागत प्रसव 14.3 प्रतिशत प्रसव होता था जो NFHS-4 में 2015–16 में बढ़कर 70.2 प्रतिशत हो गया है।



प्रथम संदर्भन इकाइयां (First Referral Units & FRU) : जटिल प्रसव निष्पादन हेतु राज्य में 72 FRU चिन्हित किये गये जिसमें से 54 FRU क्रियाशील है जहॉ ऑपरेशन से प्रसव की सुविधा है। शेष 18 FRU को क्रियाशील किये जाने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

15.2 जननी शिशु सुरक्षा योजना :- संस्थागत प्रसव बढ़ाने हेतु राज्य में जननी शिशु सुरक्षा योजना संचालित है। वर्ष 2016–17 में क्रमशः 343665, 199136, 334503, 11222 तथा वर्ष 2017–18 (माह सितम्बर 2017 तक) में क्रमशः 193468, 108754, 200462, 5764 गर्भवती महिलाओं का लाभान्वित किया गया है। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क दवाईयां निःशुल्क भोजन, निःशुल्क लेबोरेटी व अन्य जांच एवं निःशुल्क रक्त अंतरण दिया जाता है। साथ ही जननी सुरक्षा योजना में गर्भवती महिला तथा मितानिनों का संस्थागत प्रसव हेतु प्रोत्साहन राशि प्रदाय करने का प्रावधान है वर्ष 2016–17 तथा 2017–18 (माह सितम्बर 2017 तक) में क्रमशः 324593 व 160768 माताओं को प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है।

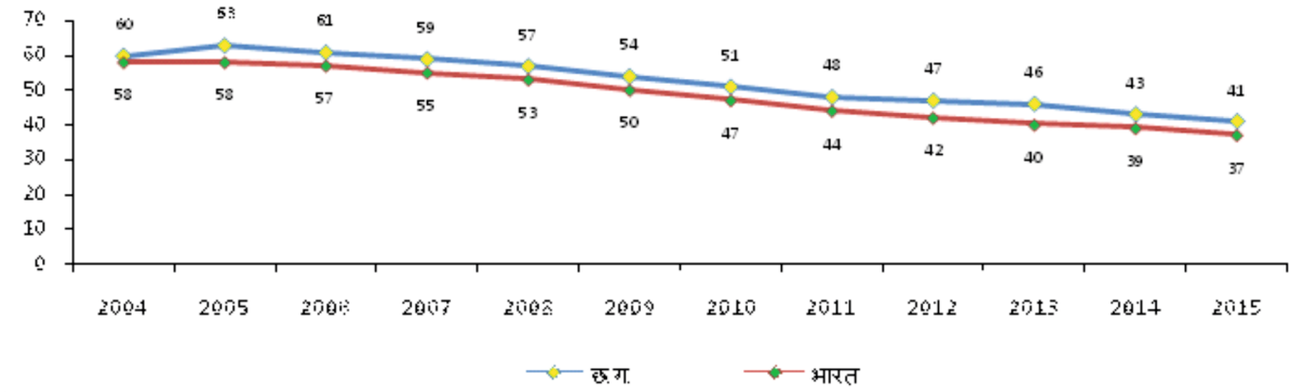
15.3 जन्म सहयोगी कार्यक्रम (Birth Companion Programme) :- गंभीर प्रसव के कारणों में कमी, मातृ–शिशु मृत्यु में कमी लाने तथा बेहतर डॉक्टर पेशंट संबंध के लिए, प्रसव पूर्व, प्रसव, प्रसवोत्तर अवधि के दौरान बेहतर मानसिक स्वास्थ्य बनाये रखने हेतु राज्य शासन द्वारा जन्म सहयोगी कार्यक्रम जनवरी 2016 से लागू किया गया है जिसके तहत सामान्य प्रसव के दौरान प्रसूता महिला प्रसव कक्ष में अपने निकट एक महिला को रख सकेगी। माह सितम्बर तक 205267 जन्म सहयोगी बने हैं।

15.4 प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान :- गर्भवती महिलाओं की गुणवता पूर्वक प्रसव पूर्व जांच एवं जटिल प्रकरणों की समय से पहचान व उपचार हेतु प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान क्रियान्वित किया जा रहा है जिसके अंतर्गत सप्ताह में एक दिन समस्त स्वास्थ्य केन्द्रों गर्भवती माताओं का ।छव चिकित्सकों के माध्यम से किया जा रहा है। राज्य में जून 2016 से अभियान शुरू किया गया तथा माह सितम्बर तक 317980 गर्भवती माताओं का ANC किया गया।

15.5 सुरक्षित गर्भ समापन (MTP) :- सुरक्षित गर्भपात सेवाएं मातृत्व स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण घटक हैं, असुरक्षित गर्भपात के कारण 8 प्रतिशत मातृत्व मृत्यु प्रतिवर्ष होती है। सुरक्षित गर्भपात सेवाओं की प्रदायगी के लिए शासन प्रयासरत है, ताकि असुरक्षित गर्भपात से होने वाली जटिलताओं तथा मातृत्व मृत्यु को कम से कम किया जा सके। एम.टी.पी. एक्ट 1971 में निजी स्वास्थ्य संस्थाओं को गर्भपात सेवाओं हेतु मान्यता देने की प्रक्रिया को 2003 में संशोधित कर जिला स्तर पर विकेन्द्रीकृत किया गया है जिसके अंतर्गत जिला स्तरीय समिति (डी.एल.सी.) को गर्भपात सेवाओं की प्रदायगी हेतु निजी नर्सिंग होम/अस्पताल को मान्यता देने के अधिकार दिये गये हैं। निजी अस्पतालों को मान्यता प्रदान किये जाने हेतु ऑन लाईन वजिूंतम.म.ंसलंदप तैयार किया गया है।

15.6 24X7 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व अन्य सुविधाएं :- प्रदेश के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पूर्ण समय (24X7) सुरक्षित प्रसव सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रथम चरण में 492 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का चिन्हांकन किया गया है, जिसमें से 254 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 10 या 10 से अधिक प्रसव हो रहे हैं तथा शेष 338 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो को 24x7 PHC के रूप में क्रियाशील किये जाने के लिए प्रयास किये जा रहे है।

15.7 शिशु स्वास्थ्य :- शिशु मृत्यु दर को प्रभावित करने वाले कारकों में माता का स्वास्थ्य, प्रसव पूर्व एवं पश्चात् नवजात की देखभाल, सामान्य जीवन स्तर, बीमारी की दर, पर्यावरण का स्तर आदि है। शिशु मृत्यु दर को कम करने में छत्तीसगढ़ में प्रभावशील सुधार कार्य किये गये है। छत्तीसगढ़ में शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के कारण राज्य स्थापित होने से अब तक शिशु मृत्यु दर में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ में शिशु मृत्यु दर वर्ष 2001 में प्रति एक हजार जीवित जन्म पर 77 थी, जो वर्ष 2016 की स्थिति में घटकर 39 हो गई है (SRS 2001, 2016)। SDG में 2030 तक शिशु मृत्यु दर का लक्ष्य 15 रखा गया है।



भारत एवं छत्तीसगढ़ में विभिन्न वर्षों में शिशु मृत्यु दर

Source: SRS Reports

नवजात शिशुओं के देखभाल के लिए वर्ष 2016–17 में 13 Special New Born Stabilization Care Unit (SNCU) तथा वर्ष 2017–18 में (माह सितम्बर 2017 तक) 14 Special New Born Stabilization Care Unit (SNCU) संचालित है। वर्ष 2016–17 में 24 New Born Stabilization Unit (NBSU) तथा वर्ष 2017–18 में (माह सितम्बर 2017 तक) 102 New Born Stabilization Unit (NBSU) संचालित हैं। वर्ष 2016–17 में 350 New Born Care Corner (NBCC) तथा वर्ष 2017–18 में (माह सितम्बर 2017 तक) 72 New Born Care Corner (NBCC) संचालित हैं। वर्ष 2016–17 में 72 New Born Stabilization Unit (NRC) तथा वर्ष 2017–18 में (माह सितम्बर 2017 तक) 79 New Born Stabilization Unit (NBCU) संचालित हैं।

वर्ष 2017–18 में माह अप्रैल से सितम्बर 2017 में SNCU में 9829 बच्चे भर्ती किए गए तथा उक्त अवधि में इन NRC में 5670 बच्चे भर्ती किए गए। कुपोषित बच्चों की देखभाल के लिए 79 पोषण पुनर्वास केन्द्र संचालित हैं, जहां 2016 तक 5670 बच्चों का इलाज किया गया।

15.8 टीकाकरण :- सम्पूर्ण टीकाकरण की दर 48.7 प्रतिशत (2005–06) से बढ़कर 76-4 प्रतिशत (2015–16) तक पहुंच गई है (NFHS 3,4)। SDG में 2024 तक टीकाकरण का लक्ष्य 90 प्रतिशत रखा गया है। माह अप्रैल से सितम्बर 2017–18 तक राज्य ने टीकाकरण में 29 प्रतिशत की उपलब्धि हासिल की है। टीकाकरण सुदृढ़ीकरण करने के लिए मेडिकल ओफिसर एवं आर.एम.ए. को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मिशन इंद्रधनुष फेस–4 में 2017 के अंतर्गत वैक्सीन पाने से 11520 छुटे हुए बच्चों को टीकाकृत किया गया है। छत्तीसगढ़ में टीकाकरण शाखा अंतर्गत कोल्ड चेन, वैक्सीन एवं लॉजिस्टिक्स तथा नियमित टीकाकरण का सुदृढ़ीकरण करने हेतु निम्नानुसार गतिविधियां चलाई जा रही है।

15.9 कोल्ड चेन संबंधित जानकारी :- कोल्ड चेन के सुदृढ़कीरण के लिए UNICEF के माध्यम से EVM (Effective Vaccine Management) सर्वेक्षण कराया गया हैं एवं उसमें प्राप्त कमियों को दूर करने के लिए इम्प्रूवमेंट प्लान तैयार करके जिलों एवं राज्य वैक्सीन भण्डार को आंबटित किया जा चुका है। UNDP के सहयोग से EVIN कार्यक्रम के अंतर्गत जिलों के समस्त कोल्ड चेन उपकरणों में डाटा लॉगर लगाया गया है। ताकि वास्तविक समय एवं तापमान की निगरानी के लिए प्रशिक्षण उपरांत राज्य के 27 जिलों में वैक्सीन की गुणवत्ता बनी रहे। कोल्ड चेन के सुदृढ़ीकरण करने के लिए पांचों संभाग में जाकर राज्य स्तरीय वैक्सीन कोल्ड चेन हैंडलर का प्रशिक्षण नए मॉड्यूल में दिया जा रहा है।

भारत सरकार द्वारा प्राप्त नये कोल्ड चैन उपकरण (ILR/DF- 379, Stasillizer- 358 & thermometer- 100) सुनियोजित रूप से जिलों को आंबटित किये जा रहे हैं।

15.10 वैक्सीन एवं लॉजिस्टिक्स संबंधित :-

पूर्ण टीकाकरण की उपलब्धि अप्रैल से सितम्बर 2017 तक निम्नानुसार है:–

- बी.सी.जी. – 32 प्रतिशत
- खसरा – 29 प्रतिशत
- पोलियो – 29 प्रतिशत
- पैंटावैलेंट – 29 प्रतिशत
- सोलर डायरेक्ट ड्राइव (SDD) पॉच जिलो (बस्तर, सरगुजा, जशपुर, कोण्डागॉव, सूरजपुर) को आबंटित किया जा रहा है।

15.11 चिरायु योजना :- चिरायु योजना अंतर्गत वर्ष 2016–17 में 6318117 बच्चों एवं वर्ष 2017–18 (माह सितंबर 2017 तक) की स्थिति में 2770830 बच्चों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण और वर्ष 2016–17 में सामान्य बिमारी से पीड़ित 940042 बच्चों का तथा सितंबर 2017 की स्थिति में 406506 बच्चों को चिरायु दलों द्वारा उपचार प्रदाय किया गया। 30 बिमारी अंतर्गत चिन्हांकित 207880 बच्चों का निःशुल्क ईलाज किया गया।

15.12 राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम (NLEP) :- इस कार्यक्रम का उद्देश्य है, कि समाज में छिपे सभी रोगियों को खोजकर उन्हें बहुऔषधि उपचार नियमित एवं पूर्ण दिलाकर रोग पर नियंत्रण कर लिया जाये ताकि रोग का प्रसार रूक जाये व रोग की प्रभावी दर एक व्यक्ति अथवा कम प्रति 10,000 जनसंख्या हो जाए।

तालिका 15.2 राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम भौतिक प्रगति

विवरण	31 मार्च 2017	सितम्बर 2017
खोजे गये नये रोगियों की संख्या	12609	5707
रोगमुक्त रोगियों की संख्या	12081	5368
उपचाररत् रोगियों की संख्या	7266	7605
विकृति सुधार शल्यक्रिया	117	37
रोग प्रभाव दर	2.63	2.69

छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के समय प्रदेश का कुष्ठ प्रभाव दर 8.2 प्रति 10,000 था, जो वर्तमान माह सितम्बर 2017 में 2.69 प्रति दस हजार है। वर्तमान माह सितम्बर 2017 में राज्य में कुल 7605 रोगियों को बहुऔषधि उपचार के अंतर्गत नियमित उपचार निःशुल्क दिया जा रहा है। राज्य के समस्त 27 जिलों में चर्मरोग निदान एवं उपचार अभियान (LCDC) सितम्बर 2017 कुष्ठ रोग जांच–खोज अभियान चलाया गया है।

तालिका 15.3 राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम वित्तीय उपलब्धि

वर्ष	स्वीकृत राशि	व्यय राशि
2016-17 (मार्च)	730.27	278.83
2017-18 (सितंबर)	429.52	113.47

15.13 राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, छत्तीसगढ़

राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत 6 वेक्टर जनित बिमारियां प्रचलित है : मलेरिया, फायलेरिया, डेंगू, चिकुनगुनिया, जापानीज एनसेफालाइटीस एवं काला–आजार।

छत्तीसगढ़ राज्य में तीन बीमारियां, मलेरिया, फायलेरिया एवं डेंगू पाये जाते है। राज्य के उत्तर एवं दक्षिणी क्षेत्र में मलेरिया का अधिक प्रकोप रहता है। छ.ग. के मध्य क्षेत्र में फायलेरिया के रोगी पाए जाते है। वर्ष 2016 में जिला सुकमा में जापानीज एनफालाइटीस के कुछ प्रकरण पाए गए है। माह सितंबर 2017 की स्थिति में राज्य में जापानीज एनफालाइटीस के प्रकरण निरंक है।

मलेरिया अतिसंवेदनशील कुल 86 विकासखंड (20 जिला) को चिन्हित किया गया है। उक्त जिलों में मानव संसाधन पदस्थ की गई है तथा समय–समय पर प्रशिक्षण दी जा रही है। व्यष्क मच्छर नियंत्रण हेतु घरों में कीटनाशक का छिड़काव किया जा रहा है। मच्छर लार्वा का स्रोत नियंत्रण किया जा रहा है। मलेरियारोधी दवाई एवं सामग्रियां मितानिन, उप स्वा. केन्द्र, प्राथ. स्वास्थ्य केन्द्र, सामु. स्वा. केन्द्र एवं जिला चिकित्सालय स्तर पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराई गई है। जन जाग्रुकता हेतु उप स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर विशेष प्रचार–प्रसार किया जा रहा है।

वर्ष 2016 में भारत सरकार से कुल 7 लाख दीर्घकालीन कीटनाशकयुक्त मच्छरदानी प्राप्त हुई थीं, जो कि जिला बस्तर, कांकेर, कोण्डागांव, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, राजनांदगांव एवं कवर्धा में वितरित की गई हैं। वर्ष 2017–18 में भारत सरकार से 49.27 लाख दीर्घकालीन कीटनाशकयुक्त मच्छरदानी स्वीकृति प्राप्त हुई है। जो कि चयनित 22 जिलों के वार्षिक परजीवी सूचकांक 1 से अधीक वाले उप स्वास्थ्य केन्द्र में वितरित किया जावेगा। जिला एवं विकासखंड स्तर पर मच्छरदानी वितरण की कार्ययोजना बनाई गई है। प्रतिमाह केन्द्रीय प्रयोगशाला एवं भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय प्रयोगशाला लालपुर में जांच किए गए रक्तपट्टी का क्रॉसचेक किया जाता है। भारत सरकार द्वारा स्वीकृत राशि का उपयोग मलेरिया/फायलेरिया एवं डेंगू के नियंत्रण एवं रोकथाम की कार्यवाही की जाती है।

तालिका 15.4 वर्ष 2015 से 2017 में मलेरिया रोग की एपियोडेमिलॉजीकल स्थिति

क्र.	विवरण	(जनवरी से दिसंबर 2015)	(जनवरी से दिसंबर 2016)	(जनवरी से सितंबर 2017)
1	रक्त पट्टी संग्रहण एवं परीक्षण	3886092	4830145	3349425
2	सकारात्मक	144886	148220	96240
3	प्लासमोडियम फेल्सीपेरम प्रकरण	123839	121401	76250
4	रक्तपट्टी सकारात्मक दर	3.72	3.07	2.87
5	वार्षिक परजीवी सूचकांक	5.21	5.31	3.36
6	रक्तपट्टी फेल्सीपेरम दर	3.18	2.51	2.27
7	प्लासमोडियम फेल्ससीपेरम प्रकरणों का प्रतिशत	85.47	81.91	79.23
8	मृत्यु	21	61	31

15.13.1 रेपिडडायग्नोस्टिक किट (आर.डी.कीट) :– राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत मलेरिया प्रकरणों की तत्काल जांच हेतु रेपिड डायग्नोस्टिक किट (त्वरित निदान किट) का उपयोग किया जाता है। मलेरिया प्रकरणों की तत्काल जांच हेतु पी. व्ही. एवं पी.एफ. बाईव्हैलेन्ट आर.डी. किट उपलब्ध कराई जाती है, जिससे खतरनाक या व्हाईवैक्स व फैल्सीपेरम प्रकार के मलेरिया की तत्काल पहचान कर उन्हें सम्पूर्ण उपचार प्रदान कर मलेरिया से होने वाली जटिलताओं को कम किया जाता है। वर्ष 2017 माह सितंबर तक में आर.डी. किट के माध्यम से कुल 8,61,412 बुखार पीड़ितों की रक्तपरीक्षण किए गए जिसमें से 38,011 सकारात्मक पाए गए। यह सुविधा ऐसे पहुंच विहिन, दुर्गम एवं जोखिम क्षेत्रों के लिए अत्यंत कारगर है जहां बुखार प्रकरणों के रक्तपट्टी परीक्षण के परिणाम चौबीस घंटे में नहीं मिल पाते।

15.13.2 आरटीसुनेट कॉम्बीनेशन थेरेपी (ए.सी.टी.) :– भारत सरकार द्वारा जारी उपचार निर्देशिका 2014 सभी उपचारकर्ताओं के पास उपलब्ध है। गाइडलाइन्स के अनुसार मलेरिया वाइवेक्स (PV+) बुखार पीड़ितों कोक्लोरोक्वीन एवं प्राइमाक्वीन तथा मलेरिया फेल्सीपेरम (PF+) बुखार पीड़ितों को ACT एवं प्राइमाक्वीन टेबलेट द्वारा उपचारित किया जाता है।

15.13.3 फायलेरिया नियंत्रण :– राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत मलेरिया के अलावा फायलेरिया की रोकथाम की योजना है, इस परिपेक्ष्य में केन्द्र शासन के प्रस्ताव पर प्रति वर्ष राष्ट्रीय फायलेरिया दिवस मनाया जाता है। राज्य के कुल 5 जिले दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, जांजगीर एवं जशपुर में 10 से 12 अगस्त 2017 को सामुहिक दवा सेवन कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया गया है। जिसमें लक्ष्य के विरूद्ध 90.07 प्रतिशत कव्हरेज किया गया है। उक्त कार्यक्रम में डी.ई.सी. 100 एम.जी गोलियों के साथ–साथ एल्बेडेजॉल 400 एम.जी कृमिनाशक दवा दी जाती है।

15.13.4 डेंगू नियंत्रण :– जनवरी 2017 से सितंबर 2017 तक मात्र 158 डेंगू प्रकरण दर्ज हुए हैं। इस रोग के रक्त के नमूनों की जांच प्रदेश में चिन्हांकित डेंगू सेन्टीनल साईट चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज रायपुर, जगदलपुर, राजनांदगांव तथा जिला चिकित्सालय बिलासपुर एवं कोरबा में की जाती है। डेंगू से बचाव हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार किया जा रहा है। डेंगू के पुष्टि होने पर मरीज के घर के आस–पास जमा पानी में मच्छर लार्वा स्रोत नियंत्रण किया जा रहा है।

तालिका 15.5 वर्ष 2016 एवं 2017 में डेंगू प्रकरण एवं डेंगू से मृत्यु

डेंगू सकारात्मक प्रकरण 2016	डेंगू से मृत्यु 2016	डेंगू सकारात्मक प्रकरण जनवरी से सितंबर 2017	डेंगू से मृत्यु जनवरी से सितंबर 2017
352	0	158	0

15.14 पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम :– पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम डॉट्स रणनीति के साथ वर्ष 1997 में प्रारंभ किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज के समस्त टीबी रोगियों को उच्च गुणवत्ता की जॉच एवं उपचार उपलब्ध कराकर ''टीबी मुक्त प्रदेश'' बनाना है। डॉट्स पद्धति (देख–रेख में दवा खिलाना) से टीबी का पुरा ईलाज किया जाना संभव है। आरएनटीसीपी कार्यक्रम द्वारा टीबी के मरीजों को अतिशीघ्र खोज कर ईलाज प्रारंभ किया जाता है, जिससे टीबी को फैलने एवं टीबी से होने वाले मृत्यु को रोका जा सकता है। छत्तीसगढ़ में पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम 15 अगस्त 2002 से 4 जिलों– रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर एवं राजनांदगांव में प्रारंभ हुआ एवं 15 अगस्त 2004 तक समस्त जिलों में प्रारंभ किया गया।

15.14.1 मुख्य उद्देश्य

- 90 % सभी प्रकार के टीबी मरीजों के टीबी नोटिफिकेशन (खोज) प्राप्त करना।
- 90 % उपचाररत नये धनात्मक टीबी मरीजों का सफल उपचार करना एवं 85% पुनः उपचार प्राप्त कर रहे टीबी मरीजों का सफल उपचार करना।

छत्तीसगढ़ राज्य में आरएनटीसीपी कार्यक्रम वर्ष 2002 में 4 जिलों में प्रारंभ हुआ तथा वर्ष 2004 तक समस्त जिलों में कार्यक्रम संचालित किया गया। राज्य में कुल 27 जिला क्षय नियंत्रण केन्द्र, 152 टीबी यूनिट तथा 551 सूक्ष्मदर्शी जॉच केन्द्र (डीएमसी) द्वारा टीबी का उपचार एवं निदान की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

15.14.2 टीबी नोटिफिकेशन – निजी केमिस्टों द्वारा टीबी नोटिफिकेशन की जानकारी प्राप्त करने वाला छत्तीसगढ़ प्रथम राज्य है। निजी केमिस्टों द्वारा वर्ष 2016–17 में कुल 14223 टीबी मरीज नोटिफाई किये गये।

15.14.3 ड्रग रेजिस्टेंट टीबी – राज्य में ड्रग रेजिस्टेंट टीबी की जॉच एवं उपचार की सुविधा दिसंबर 2011 से प्रारंभ हुई है। ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के निदान की सुविधा जिला स्तर पर उपलब्ध कराने हेतु सीबीनॉट मशीन 9 जिलों में (रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, अंबिकापुर, रायगढ़, कोरबा, दुर्ग, राजनांदगांव, एवं कांकेर) संचालित हैं। सीबीनाट मशीन से शंकास्पद मरीजों का 2 घंटे में टीबी या ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होने का पता लगाया जा सकता है। आईआरएल में ड्रग रेजिस्टेंट टीबी की जॉच एवं फॉलो–अप हेतु एलपीए, लिक्विड एवं सॉलिड कल्चर की सुविधा उपलब्ध है।

15.14.4 टीबी एचआईव्ही समन्वय – समस्त टीबी एचआईव्ही से ग्रसित मरीजों को प्रतिदिन डॉट्स की दवा एआरटी सेंटर के माध्यम से दी जा रही है। एचआइव्ही मरीजों में टीबी की रोकथाम हेतु आईपीटी एआरटी सेंटर के माध्यम से प्रदाय किया जा रहा है।

तालिका 15.6 भौतिक प्रगति

क्र.	सूचक (Indicator)	अप्रेल 2016 से सितम्बर 2016	अप्रेल 2016 से मार्च 2017	अप्रेल 2017 से सितम्बर 2017
1	टीबी नोटिफिकेशन	144 प्रति लाख, प्रतिवर्ष	144 प्रति लाख, प्रतिवर्ष	102 प्रति लाख, प्रतिवर्ष
2	उपचार सफलता दर	89 %	83 %	82 %
3	टीबी मरीजों की एचआईव्ही की जॉच	92 %	94 %	92 %
4	संभावित ड्रग रजिस्टेंश टीबी मरीज की जॉच	2125	10645	9736
5	जॉच में पाये गये ड्रग रजिस्टेंश टीबी मरीज	140	287	166

15.14.5 टीबी मरीजों की खोज दर (Annualized Case Notification Rate) टीबी की खोज दर बढ़ाने हेतु सघन जाँच अभियान के अंतर्गत टीबी स्क्रीनिंग किये गये :–

तालिका 15.7 टीबी मरीजों की खोज दर

उच्च जोखिम समूह (HRG)	माह	किये गये जॉच की संख्या	प्राप्त संदेहास्पद टी. बी. मरीजों की संख्या	उपचारित टी.बी. मरीजों की संख्या
सभी कैदी	दिसम्बर 16	18425	812 (4.4 %)	15(1.8%)
कोरबा	दिसम्बर 16	कुल जनसंख्या	6276	179(2.8%)
राजनांदगांव (उच्च जोखिम जनसंख्या)	जनवरी 17	118441	1504 (1.3%)	89(6%)
सभी स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता	मई 17	23895	330 (1.4%)	7(2.1%)
दुर्ग (उच्च जोखिम जनसंख्या)	जून 17	2,17,101	1375 (0.6%)	115(8.4%)

15.14.6 मुख्यमंत्री क्षय पोषण योजना

- देश में टीबी मरीजों को पोशण आहार प्रदान करने वाला छत्तीसगढ़ प्रथम राज्य है। क्षय पोषण योजना हेतु राज्य बजट वर्ष 2016–17 में कुल 12.20 करोड़ की स्वीकृति दी गई है।
- मुख्यमंत्री क्षय पोशण योजना अंतर्गत समस्त टीबी मरीजों को सम्पूर्ण उपचार अवधि तक पोषण आहार मासिक फूड बास्केट के रूप में दिया जाना है।
- मासिक फूड बास्केट का क्रय सीजीएमएससी द्वारा किया जा रहा है। मासिक फूड बास्केट का शुभारंभ दिनॉक 3 जुलाई 2017 को किया गया।
- मासिक फुड बास्केट में टीबी मरीजों को 1 लीटर सोयाबीन तेल, 1.5 किलों मूंगफली दाना एवं 1 किलों दूध पावडर दिया जा रहा है।

15.15 अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम के उद्देश्य — राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश में राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम 1976 से प्रारंभ किया गया था। प्रदेश में यह कार्यक्रम 1978 से प्रारंभ हुआ। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य दृष्टिहीनता को घटाकर वर्ष 2020 तक 0.3 प्रतिशत करना है। इसके अंतर्गत निःशुल्क मोतियाबिन्द आपरेशन, शालेय छात्रों को निःशुल्क चश्मा तथा अन्य नेत्र रोगों का उपचार किया जाता है। राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम राज्य के समस्त जिलों में संचालित है।

15.15.1 विशेष कार्यक्रम :– दिनांक 25 अगस्त से 8 सितंबर तक प्रतिवर्ष नेत्रदान पखवाड़ा राज्य में तथा समस्त जिलों में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह के दूसरे गुरूवार को विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है। 12 मार्च को विश्व ग्लाकोमा दिवस मनाया जाता है। सोमवार को ग्लाकोमा क्लीनिक, गुरूवार को रेटिना क्लीनिक तथा शनिवार को पीडियाट्रिक आफ्थेल्मोलाजी क्लीनिक का आयोजन जिला अस्पताल में किया जाता है।

15.15.2 एम्बेसडर फॉर आई केयर :– राज्य में राजीव गॉधी शिक्षा मिशन के सहयोग से शालाओं के 47029 शिक्षकों को प्रशिक्षण देकर 'एम्बेसडर फॉर आई केयर' बनाया गया है। इनके द्वारा प्राथमिक जॉच की जाती है और दृष्टि कम होने पर नेत्र सहायक अधिकारी द्वारा चश्मा प्रदाय किया जाता है। इसमें अब तक लगभग 21 लाख छात्र लाभान्वित हो चुके है।

15.15.3 कॉम्प्रिहेन्सिव आई केयर :– सितंबर 2017 में राज्य के समस्त जिलों के एक–एक विकासखण्ड का चयन कर उसके प्रत्येक ग्राम में घर–घर जाकर प्रत्येक व्यक्ति का नेत्र परीक्षण किया गया जिसके तहत् कुल 27 विकासखण्ड के 2984 ग्राम के 4532562 व्यक्तियों का नेत्र परीक्षण किया गया। नेत्र रोग से ग्रसित मरीजों का उपचार जिला चिकित्सालय एवं जटिल प्रकरणों हेतु चिकित्सा महाविद्यालयों में भेजा गया। इसी के साथ ग्लाकोमा, रेटिनोपेथी की जांच, अंधत्व प्रमाण–पत्र जारी तथा चश्में की जांच की भी व्यवस्था की गई ताकि नेत्र का सम्पूर्ण उपचार किया जा सके।

15.15.4 टेली ऑफ्थल्मिक विजन सेंटर की स्थापना :– राज्य के 146 सी.एच.सी. में टेली ऑफ्थल्मिक विजन सेंटर की स्थापना की योजना। विजन सेंटर में नेत्र सहायक अधिकारी द्वारा मरीजों का नेत्र परीक्षण। आन लाइन केन्द्रों के विशेषज्ञों से संपर्क, उपचार हेतु परामर्श एवं रोगियों से वार्तालाप। प्रथम चरण में 40 सीएचसी में टेली ऑफ्थल्मिक विजन सेंटर की स्थापना। दूरस्थ स्थानों के मरीजों को भी नेत्र विशेषज्ञों की सेवाओं का लाभ।

15.15.5 स्पेशल क्लीनिक :– सोमवार को ग्लोकोमा क्लीनिक, गुरूवार को रेटिना क्लीनिक, शनिवार को पीडियाट्रिक ऑफ्थाल्मोजी क्लीनिक का आयोजन जिला अस्पताल में किया जाता है।

15.15.6 कार्ययोजना :– राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जिलों में घर–घर जाकर नेत्र रोग से पीड़ित मरीजों की जॉच कर बेस हास्पिटल एप्रोच के तहत् मोतियाबिन्द आपरेशन तथा अन्य जटिल नेत्र रोगों का उपचार किया जा रहा है, नेत्र आपरेशन शिविर नही लगाये जा रहे है। दोनों ऑखों में मोतियाबिन्द के कारण दृष्टिहीन सभी रोगियों को चिन्हित कर मार्च 2020 तक सभी के आपरेशन कर राज्य को 'मोतियाबिन्द दृष्टिहीनता रहित' करने की योजना पर कार्य किया जा रहा है।

15.15.7 नेत्र बैंक :– राज्य में 5 नेत्र बैंक है। नेत्रदान को बढ़ावा देने हेतु मेडिकल कालेज रायपुर एवं बिलासपुर में आई डोनेशन काउन्सलर को नियुक्त किया गया है।

15.15.8 नेत्र संग्रहण केन्द्र :– प्रत्येक जिले में नेत्र संग्रहण केन्द्र स्थापित करने की योजना है। ऐसे केन्द्र में प्रतिवर्ष 50 नेत्र सग्रहण किया जावेगा। राज्य में जिला चिकित्सालय दुर्ग, चन्दुलाल चन्द्राकर हास्पिटल दुर्ग, कोरबा एवं सरगुजा में नेत्र संग्रहण केन्द्र संचालित हैं। धमतरी एवं महासमुन्द में नेत्र संग्रहण केन्द्र खोले जा रहे हैं।

15.15.9 नेत्र वार्ड एवं नेत्र शल्य कक्ष का निर्माण :– भारत सरकार की सहायता से जगदलपुर, कोण्डागांव, में नेत्र आपरेशन हेतु निर्माण किया गया है। गत वर्ष बेमेतरा में डेडीकेटेड नेत्र अस्पताल हेतु 1.00 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई थी, जो की निर्माणधीन है । इस वर्ष मुंगेली में डेडीकेटेड नेत्र अस्पताल हेतु 1.00 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है।

15.16 अन्य कार्यक्रम एवं उपलब्धियां

15.16.1 चिकित्सा शिक्षा :– विगत दस वर्ष में चार नये मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हुए। वर्ष 2006 में बस्तर (जगदलपुर), वर्ष 2013 में रायगढ़, वर्ष 2014 में राजनांदगांव और इस वर्ष तीन सितम्बर 2016 को सरगुजा (अम्बिकापुर) में शासकीय मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हुए। इन्हें मिलाकर छत्तीसगढ़ में सरकारी मेडिकल कॉलेजों की संख्या छह तक पहुंची।

15.16.2 एकीकृत रोग निगरानी परियोजना :– राज्य में वर्ष 2016–17 के लिये 284.51 लाख प्रावधानित थी जिसमें 165. 85 लाख का उपयोग किया गया है। राज्य में वर्ष 2017–18 के लिये 329.29 लाख प्रावधानित है।

15.16.3 मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम :– शहरी लोगों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये जून 2012 के मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरूआत की गई। वर्ष 2016–17 में राशि 360.00 लाख प्रावधानित थी। वर्ष 2017–18 में राशि 4223.35 लाख प्रावधानित है।

15.16.4 बुजुर्गों के स्वास्थ्य देखभाल के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम, केन्द्र प्रवर्तित योजना :– बुजुर्गों के लिये स्वास्थ्य देखभाल हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम की जरूरत को समझते हुये व्यापक स्वास्थ्य देखभाल प्रारंभ करने हेतु एक मामूली प्रयास के रूप में इसकी शुरूआत की योजना में बुढ़ापे में निवारक उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा और पुनर्वास पहलुओं पर ध्यान दिया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बुजुर्गों को पीला कार्ड की सुविधा प्रदान की जा रही है जिसके अंतर्गत निःशुल्क दवाईयों, वॉकर, वॉकर स्टीक इत्यादि की सेवाएं प्रदान की जा रही है। वर्ष 2015–16 में राशि रू. 25.00 लाख का प्रावधान किया गया था। वर्ष 2016–17 में राशि रू. 154.97 लाख का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2017–18 में राशि रू. 515.80 लाख का प्रावधान किया गया है।

15.16.5 संजीवनी एक्सप्रेस सेवा :– 108 संजीवनी एम्बुलेंस सेवा के द्वारा आकस्मिक दुर्घटना और गंभीर बीमारी के दौरान पीड़ितों को तत्काल मदद पहुंचाने टोल फ्री नम्बर 108 पर आधारित संजीवनी

एक्सप्रेस सेवा वर्ष 2011 से प्रारंभ। इसके अंतर्गत राज्य में 240 संजीवनी वाहनों का संचालन। निःशुल्क स्वास्थ्य परामर्श के लिए टोल फ्री नम्बर 104 पर आधारित आरोग्य परामर्श सेवा। 102 – महतारी एम्बुलेंस सेवा के द्वारा निःशुल्क 24 घन्टे सेवा दी जा रही है। टोल फ्री महतारी एक्सप्रेस की योजना अगस्त 2013 से प्रारंभ हुई। प्रदेश भर में 362 महतारी एक्सप्रेस वाहन संचालित हैं। 108– संजीवनी एम्बुलेंस एवं 102– महतारी एम्बुलेंस दोनो के द्वारा अब तक लगभग 38 लाख से ज्यादा लोगो को आपातकालीन चिकित्सा सहायता एवं माताओं और बच्चों को महतारी एक्सप्रेस की सुविधा दी जा चुकी हैं।

15.16.6 चिरायु योजना :– अगस्त 2014 से राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत चिरायु योजना प्रारंभ। योजना के तहत आंगनबाड़ी केन्द्रों और स्कूलों में वर्ष 2016–17 में 6318117 बच्चों का तथा अप्रैल से सितम्बर 2017–18 तक आंगनबाड़ी केन्द्रों और स्कूलों में अब तक 2770830 बच्चों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण और इनमें से आवश्यकता अनुसार वर्ष 2016–17 में सामान्य बीमारी से पीड़ित 940042 बच्चों का तथा अप्रैल से सितम्बर 2017–18 तक 406506 बच्चों चिरायु दल के द्वारा निःशुल्क उपचार किया गया। 30 बीमारी अंतर्गत चिन्हाकिंत 207880 बच्चों का निःशुल्क इलाज किया गया।

15.16.7 मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना :– मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना वर्ष 2008 से संचालित है। इस योजना के तहत् हृदय रोग पीड़ित बच्चों का ईलाज सरकारी खर्च पर करने का प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों में ईलाज द्वारा 6,748 बच्चों को जीवनदान मिला है।

15.16.8 स्वास्थ्य अधोसंरचना :– राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास और विस्तार के लिए अधोसंरचना निर्माण भी तेजी से जारी है। विगत् तेरह साल में सरकारी जिला अस्पतालों की संख्या सात से बढ़कर 26, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या 114 से बढ़कर 169, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या 512 से बढ़कर 785 और उप–स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या 3818 से बढ़कर 5186 तक पहुंच गई है। राज्य में वर्ष 2001–02 में केवल 07 सरकारी रक्त बैंक थे, जिनकी संख्या आज बढ़कर 19 हो गई है।

15.16.9 स्वास्थ्य बीमा योजना :– राज्य में राश्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ–साथ मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। इस योजना के तहत् सितंबर 2017 तक रूपये 30 हजार प्रतिवर्श प्रति परिवार (अधिकतम पांच सदस्यों तक) स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। योजनांतर्गत स्मार्ट कार्डधारी परिवार के सदस्य बीमार होने पर पंजीकृत चिकित्सालयों में भर्ती होकर नगद–रहित उपचार का लाभ उठा सकते है। माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन के घोषणा अनुरूप 01 अक्टूबर 2017 से राष्ट्रीय एवं मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत राज्य के स्मार्ट कार्डधारी परिवारों को रू. 50,000/– प्रति परिवार प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा कवर प्राप्त होगा।

15.16.10 संजीवनी सहायता कोष :– प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के सदस्यों तथा माननीय मुख्यमंत्री, छ.ग. शासन द्वारा शिथिल किये गये प्रकरणों को योजना में शामिल किया गया है। इस योजना के तहत् 30 प्रकार की सूचीगत बीमारियों के ईलाज हेतु अधिकतम रूपये 1.5 लाख सहायता राशि प्रदान किया जाता है, किन्तु सिर की चोट एवं गुर्दा प्रत्यारोपण के लिए दो से तीन लाख रूपये तक की सहायता देने का प्रावधान है। दुर्घटना तथा आपात स्थिति में पात्र मरीज पंजीकृत चिकित्सालय में भर्ती होकर योजना का लाभ ले सकते है। संजीवनी सहायता कोश द्वारा राज्य के 23,677 से अधिक मरीजों को चिकित्सा हेतु सहायता राशि प्रदान की गई है।

15.17 छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण समिति का स्वरूप :– छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण समिति का गठन म0प्र0 सोसायटी अधिनियम 1973 के अधीन वर्ष 2001 में पंजीकृत किया गया और मई 2002 में क्रियान्वित हुआ। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के दिशानिर्देश के अनुरूप एच.आई.वी. के नए संक्रमण पर रोकथाम तथा एच.आई.वी. के साथ जी रहे लोगों के लिए देखभाल एवं उपचार के कार्यक्रम सम्पादित किया जा रहा है।

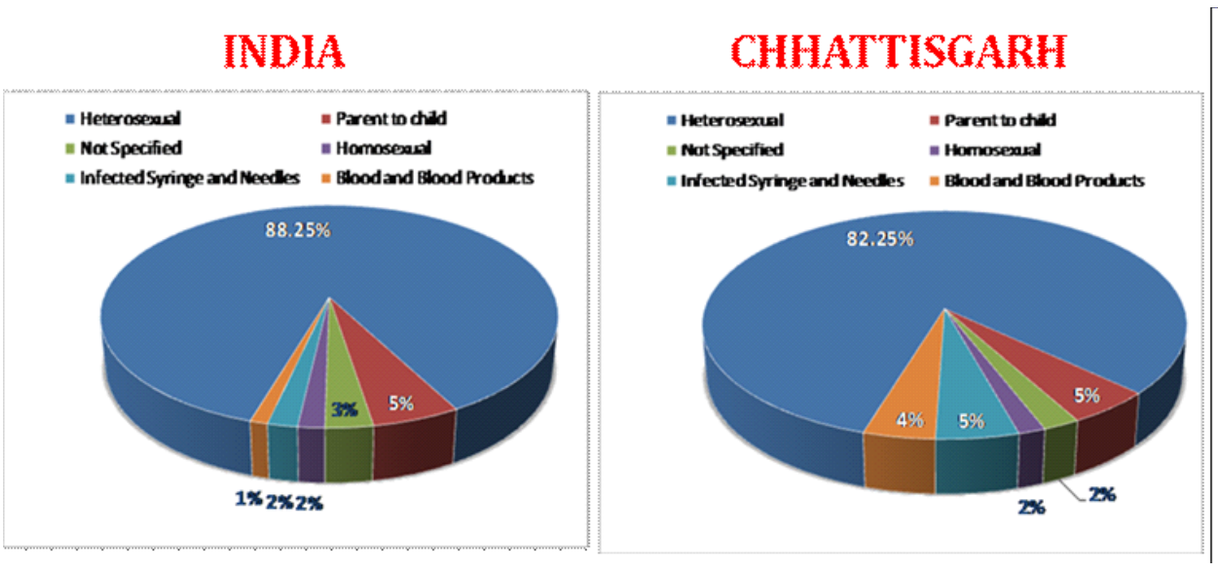
15.17.1 राज्य में एच.आई.वी./एड्स कार्यक्रम :– राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, नाको, नई–दिल्ली स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के निर्देशानुसार एच.आई.वी./एड्स की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण समिति की स्थापना वर्ष 2002 में की गयी। राज्य में एच.आई.वी. पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए सत्त रूप से अनेकों कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

जिसमें क्रमशः 125 आई.सी.टी.सी. (समेकित परामर्श एवं जांच केन्द्र) केन्द्र, एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के स्तर पर लगभग सभी केन्द्रों मे एफ.आई.सी.टी.सी के माध्यम से एच.आई.वी. की जांच की सुविधा उपलब्ध है। 30 एस.टी.आई. (यौन रोग उपचार) केन्द्र, 05 ए.आर.टी. केन्द्र, 08 लिंक ए.आर.टी. केन्द्र, 23 ब्लड बैंक, 36 लक्षित हस्तक्षेप परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं।

वर्ष 2003 से सितम्बर 2017 तक कुल 25,59,402 लोगों को एच.आई.वी. जांच की सुविधा प्रदान की गयी जिसमें कुल 28,121 लोग एच.आई.वी. संक्रमित पाए गए, जो कि 1.1 % हैं।

राज्य के सभी एच.आई.वी. के साथ जी रहे लोगों को वर्ष 2006 के पश्चात ए.आर.टी. की सुविधा प्रदान करने हेतु 05 ए.आर.टी. केन्द्र क्रमशः डॉ. बी.आर. स्मृति चिकित्सालय मेकाहारा रायपुर, सिम्स बिलासपुर, महारानी चिकित्सालय जगदलपुर, जिला चिकित्सालय दुर्ग एवं सरगुजा में स्थापित किये गये हैं। कुल एच.आई.वी. संक्रमित लोगों में से 21,742 लोग पंजीकृत हुए हैं। जिनमें से आवश्यकतानुरूप 16,192 लोगों को ए.आर.टी. की दवा निःशुल्क प्रदाय की जा रही है।

एच.आई.वी. फैलने के कारणों को देखने से पता चलता है, कि राज्य में हेट्रोसेक्सुअल के कारण 82.25% होमोसेक्सुअल 2%, रक्त एवं रक्त उत्पादों से 4%, संक्रमित निडिल एवं सीरिंज से 5%, माता–पिता से संतान में 5% तथा जिनके पास जानकारी नहीं है 2% है।



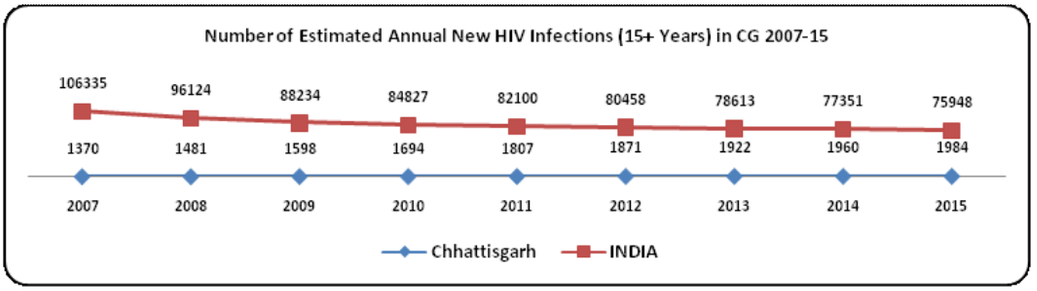
राज्य में एच.आई.वी. जांच को देखने से यह स्पष्ट प्रतीत होता है, कि जिस प्रकार जांच केन्द्रों की सुविधा उत्तरोतर एच.आई.वी. संक्रमण की दर कम देखने को मिल रही है।:–

15.17.2 राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के सर्वेक्षण के अनुसार :–_राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा प्रकाशित प्रतिवेदन (India HIV Estimations 2015 Technical Report) के अनुसार राज्य में नए एच.आई.वी. इंफेक्शन (15+) में उत्तरोतर वृद्धि देखने को मिल रही है जो कि एक चुनौती के रूप में सामने आयी है। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर नए संक्रमण के दर में काफी कमी देखने को मिल रही है।

राज्य में एच.आई.वी. फैलने का मुख्य कारण औद्योगिकीकरण एवं आजीविका हेतु प्रवासी मजदुरों का आवागमन, ट्रक्स, असुरक्षित यौन व्यवहार, अशिक्षा आदि है।

तालिका 15.9 छत्तीसगढ़ में अनुमानित नवीन एचआईवी इन्फेक्शन (15 वर्ष से अधिक) की संख्या

वर्ष	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
छत्तीसगढ	1370	1481	1598	1694	1807	1871	1922	1960	1984
भारत	106335	9614	88234	84827	82100	80458	78613	77351	75948
छत्तीसगढ़ का प्रतिशत	1.29	1.54	1.81	2.00	2.20	2.33	2.44	2.53	2.61

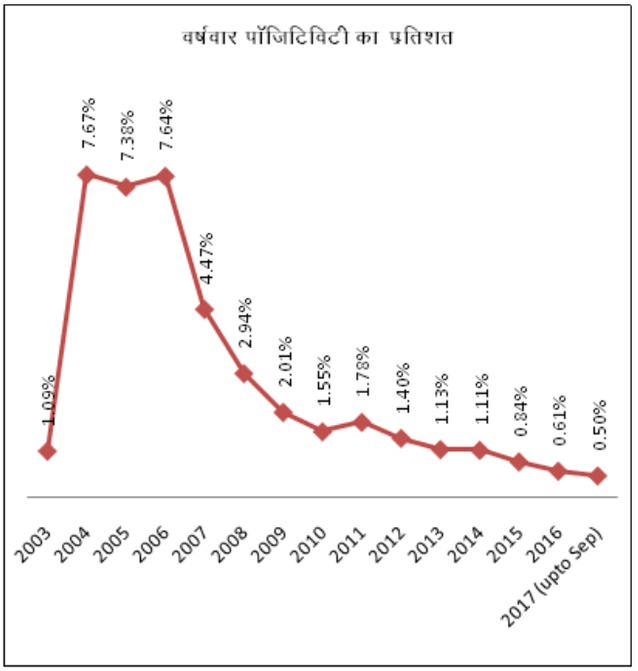


तालिका 15.10 राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यकम उपलब्ध सेवाएं		
केंद्र	संख्या	स्थान
ICTC (Integrated Counseling & Testing Center) – समेकित परामर्श एवं जांच केंद्र	125	मेडिकल कॉलेज – 8, जिला अस्पताल – 25 सामुदायिक स्वा.केंद्र – 79 सिविल अस्पताल – 5, प्राथमिक स्वा. केंद्र – 7 शहीद अस्पताल – 1
ब्लड बैंक (नाको सहायतित)	23	जिला अस्पताल – 16 मेडिकल कालेज – 5 रेड क्रॉस, रायपुर – 1
ए.आर.टी. प्लस	01	रायपुर
ए.आर.टी. केंद्र	05	रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, अंबिकापुर
लिंक ए.आर.टी. केंद्र	08	महासमुंद, कोरबा, जांजगीर, रायगढ़, राजनांदगांव, बालौद, बमेतरा, कवर्धा
केयर एंड सर्पोट सेंटर	05	रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, अंबिकापुर
शा. एस.टी.डी. क्लिनिक	30	मेडिकल कॉलेज – 5 जिला अस्पताल – 24 सिविल अस्पताल –01
एन.जी.ओ. (लक्षित हस्तक्षेप कार्यकम)	35	राज्य के 21 जिलों में संचालित
रक्त संग्रहण हेतु मोबाईल वेन	01	मेडिकल कॉलेज रायपुर द्वारा संचालित
चलित समेकित परामर्ष एवं जांच केंद्र	03	दुर्ग, जगदलपुर,रायगढ़
ब्लड ट्रांसपोर्टशन वेन	04	रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर
लिंक वर्कर स्कीम	04	रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव
OST सेंटर	06	बिलासपुर.–2, दुर्ग, कोरबा, मनेन्द्रगढ़, सुरजपुर

15.17.3 छत्तीसगढ़ राज्य में एच.आई.वी.की स्थितिः– सितम्बर 2017 तक

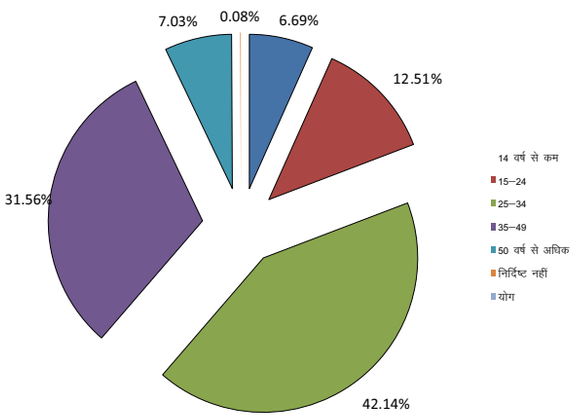
- कुल एच.आई.वी. जांच की संख्या – **2559402**
- कुल एच.आई.वी. पॉज़िटिव की संख्या – **28121**
- एच.आई.वी. जांच की संख्या (अप्रैल 17 से **सितम्बर 2017**) – **327410**
- एच.आई.वी. पॉज़िटिव की संख्या (अप्रैल 17 से **सितम्बर 2017**) – **1593**
- पॉज़िटिव महिलाओं का प्रतिशत – **40 %**
- पॉज़िटिव पुरुषों का प्रतिशत – **60 %**
- सर्वाधिक प्रभावित आयु वर्ग – **25–49 वर्ष**
- सर्वाधिक प्रभावित आयु वर्ग का प्रतिशत – **74 %**
- कुल ए.एन.सी. जांच (अप्रैल 17 से **सितम्बर 2017**) – **199572**
- कुल ए.एन.सी. पॉज़िटिव (अप्रैल 17 से **सितम्बर 2017**) – **150**
- राज्य में स्वैच्छिक रक्तदान का प्रतिशत (अप्रैल 17 से **सितम्बर 2017**) – **70 %**
- **HIV Care** के लिये ARTC में कुल पंजीकृत मरीजों की संख्या – **21742**
- **HIV Care** के लिये ART पर मरीजों की संख्या – **16192**
- कुल संभावित टी.बी. मरीजों का रेफरल (अप्रैल 17 से **सितम्बर 2017**) – **7717 (7.4 %)**
- जांच पश्चात् कुल टी.बी. मरीजों की संख्या (अप्रैल 17 से **सितम्बर 2017**) – **866 (11.22 %)**

तालिका 15.11 वर्षवार HIV पॉजिटिव (राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम)			
वर्ष	HIV टेस्ट संख्या	पॉजिटिव पाए गए	पॉजिटिविटी %
2003	3395	37	1.09%
2004	2725	209	7.67%
2005	4663	344	7.38%
2006	8369	639	7.64%
2007	25048	1119	4.47%
2008	51333	1508	2.94%
2009	108479	2184	2.01%
2010	147482	2287	1.55%
2011	144287	2563	1.78%
2012	208522	2910	1.40%
2013	251547	2838	1.13%
2014	283346	3146	1.11%
2015	346083	2894	0.84%
2016	494850	3041	0.61%
2017 (upto Sep)	479273	2402	0.50%
Total	**2559402**	**28121**	**1.10%**



तालिका 15.12 राज्य में विभिन्न आयुवर्ग में एच0आई0वी0 पॉजिटिविटी का वितरण (2003 से मार्च 2017)						
14 वर्ष से कम	15–24	25–34	35–49	50 से अधिक	निर्दिष्ट नहीं	योग
1882	3517	11850	8875	1976	21	28121
6.69%	12.51%	42.14%	31.56%	7.03%	0.08%	100%

विभिन्न आयु वर्ग में एच.आई.वी. पॉजिविटी का वितरण (2003 से मार्च 2017)



15.17.4 एच.आई.वी. के साथ जी रहे लोगों के लिये राज्य शासन द्वारा स्वीकृत योजनायें:–

- **अन्तयोदय अन्न योजना:–** एच.आई.वी. के साथ जी रहे लोगों को अन्तयोदय अन्न योजना का कार्ड निर्मित कराया जाकर प्रत्येक व्यक्ति 07 किलो प्रतिमाह की दर से अन्न उपलब्ध कराया जा रहा है।

- **निःशुल्क बस पासः**– एच.आई.वी. के साथ जी रहे लोगों को ए.आर.टी. दवा प्राप्त करने हेतु एक सहयोगी के साथ निकट ए.आर.टी. सेंटर आवागमन हेतु परिवहन विभाग के द्वारा राज्य में संचालित बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदाय किया जा रही है।
- **रेलवे किफायती किरायाः**– एच.आई.वी. के साथ जी रहे लोगों ए.आर.टी. दवा प्राप्त करने हेतु एक सहयोगी के साथ निकट ए.आर.टी. सेंटर आवागमन हेतु किराया में 50% रियायत यात्रा की सुविधा प्रदाय किया जा रही है।
- **नोनी सुरक्षा योजना (महिला एवं बाल विकास विभाग):**– एच.आई.वी. संक्रमित दम्पती से 01 अप्रैल 2016 के उपरांत जन्मी बालिकाओं को योजना का लाभ प्रदाय किये जाने का निर्णय लिया गया।
- **पोषण आहार योजना (महिला एवं बाल विकास विभाग)**:– एच.आई.वी. संक्रमित एवं प्रभावित समस्त 06 वर्ष तक के बालक एवं बालिकाओं को योजना का लाभ प्रदाय किये जाने का निर्णय लिया गया।
- **सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (वित्तीय सहायता योजना) (समाज कल्याण विभाग)** :– राज्य में एच.आई. वी. संक्रमित लोगों को 350/– रूपये प्रतिमाह की दर से वित्त सहायता प्रदाय किये जाने का निर्णय लिया गया।
- **शिक्षण अवधि में अवकाश की पात्रता (स्कूल शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनिकी शिक्षा विभाग)**:– एच.आई.वी. संक्रमित विद्यार्थीयों को जिन्हें ए.आर.टी. दवा लेने हेतु ए.आर.टी. केन्द्रों में जाना होता है, उन्हें उस शैक्षिक दिवस को अवकाश स्वीकृत करने उपरांत कुल शैक्षणिक सत्र के शैक्षिक दिवस में सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया। जो विभाग द्वारा समस्त शैक्षणिक संस्थाओं को भेजा जा चुका है।

एच.आई.वी. के रोकथाम एवं प्रचार प्रसार के लिये बाल्को के साथ अनुबंध :-

- **कौशल विकास योजना** (**कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग**):– एच.आई.वी. संक्रमित लोगों को उनकी योग्यता एवं रूचिनुसार उन्हें रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण प्रदाय किये जाने का निर्णय लिया गया।
- **मनरेगा (पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग)**:– मनरेगा के अन्तर्गत रोजगार प्रदान करने में एच.आई.वी. संक्रमित को प्राथमिकता दिये जाने का निर्णय लिया गया।
- **सिटी बस निःशुल्क यात्रा (नगरीय प्रशासन विकास विभाग)**:– इस योजना के अन्तर्गत एच.आई.वी. के साथ जी रहे लोगों को ए.आर.टी. दवा प्राप्त करने हेतु एक सहयोगी के साथ निकट ए.आर.टी. सेंटर आवागमन हेतु निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदाय किये जाने का निर्णय लिया गया।

महिला एवं बाल विकास

नवंबर 2000 को गठित नवराज्य छत्तीसगढ़ को निरंतर उन्नति के पथ पर आगे ले जाने हेतु महिलाओं और बच्चों का सर्वांगीण विकास अत्यंत महत्वपूर्ण है। लिंगानुपात की दृष्टि से देश के प्रथम चार राज्यों में छत्तीसगढ़ शामिल है। राज्य में महिला एवं बाल विकास विभाग महिलाओं एवं बच्चों के हितों की सुरक्षा हेतु विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों का संचालन करता है। महिलाओं के कल्याण, परामर्श तथा विभिन्न प्रकार की हिंसा से संरक्षण के लिये राज्य की राजधानी रायपुर में भारत का पहला **''वन स्टॉप सेंटर'' (सखी)** 16 जुलाई 2015 से आरंभ किया गया तथा शेष सभी जिलों में भी मार्च 2017 से वन स्टॉप सेंटर का संचालन किया जा रहा है।

15.18 समेकित बाल विकास सेवा योजना :- भारत सरकार द्वारा कुपोषण, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर के स्तर में कमी लाने, बच्चों में मानसिक विकास की नींव डालने एवं उचित सामुदायिक शिक्षा के माध्यम से बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य, पोषण तथा विकास संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल में माताओं की क्षमता निर्माण की महत्वाकांक्षी उद्देश्यों के साथ 02 अक्टूबर 1975 को समेकित बाल विकास सेवा परियोजना प्रारंभ किया गया।

15.18.1 समेकित बाल विकास सेवा के उद्देश्य :-

समेकित बाल विकास सेवा परियोजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं :–

- बच्चों के उचित मानसिक (मनोवैज्ञानिक) शारीरिक तथा सामाजिक विकास की नींव डालना।
- 0 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों में पोषण व स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारना।
- मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, कुपोषण, रूग्णता और बीच में स्कूल छोड़ने की घटनाओं में कमी लाना।
- बाल विकास को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न विभागों में नीति निर्धारण और कार्यक्रम लागू करने में प्रभावकारी तालमेल कायम करना।
- उचित सामुदायिक शिक्षा के माध्यम से बच्चों में सामान्य स्वास्थ्य पोषण तथा विकास संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल के लिए माताओं की क्षमता बढ़ाना।

15.18.2 समेकित बाल विकास परियोजना की सेवायें:-

समेकित बाल विकास सेवा परियोजना के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हितग्राहियों को निम्नलिखित छः सेवायें प्रदान की जाती है :–

तालिका 15.13 समेकित बाल विकास परियेाजना

क्र0	सेवा	हितग्राही
1	टीकाकरण	आंगनबाड़ी केन्द्र के परिक्षेत्र की समस्त गर्भवती महिलायें, किशोरी बालिकाएँ एवं 0–6 वर्ष तक के समस्त बच्चे।
2	स्वास्थ्य जॉच	आंगनबाड़ी केन्द्र के परिक्षेत्र की समस्त गर्भवती महिलायें, धात्री माताएँ, 0–6 वर्ष तक के बच्चे तथा किशोरी बालिकायें।
3	संदर्भ सेवाएँ	आंगनबाड़ी केन्द्र के परिक्षेत्र के 0–6 वर्ष तक के गम्भीर कुपोषित बच्चे, विकलांग बच्चे, जोखिम वाले बच्चे, बीमार बच्चे, खतरे के लक्षण वाली गर्भवती महिलायें/शिशुवती माताएँ।
4	पूरक पोषाहार	आंगनबाड़ी केन्द्र के परिक्षेत्र की समस्त गर्भवती महिलायें, शिशुवती मातायें, 06 माह से 06 वर्ष तक के बच्चे।
5	स्वास्थ्य, पोषण एवं शिक्षा	आंगनबाड़ी केन्द्र के परिक्षेत्र की समस्त 15–45 साल की महिलायें, गर्भवती महिलायें, धात्री मातायें एवं किशोरी बालिकायें।
6	शाला पूर्व शिक्षा	आंगनबाड़ी केन्द्र के परिक्षेत्र की , 03–06 वर्ष तक के समस्त बच्चे।

15.19 आंगनबाड़ी केंद्र एवं मिनी आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृति के मापदण्ड :-

15.19.1 ग्रामीण/शहरी परियोजनाओं में आंगनबाड़ी केन्द्र :

1. 400–800 जनसंख्या पर – 1 आंगनबाड़ी केन्द्र
2. 800–1600 जनसंख्या पर – 2 आंगनबाड़ी केन्द्र
3. 1600–2400 जनसंख्या पर – 3 आंगनबाड़ी केन्द्र

15.19.2 ग्रामीण/शहरी परियोजनाओं में मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र :

150–400 जनसंख्या पर – 1 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र

15.19.3 आदिवासी क्षेत्र/पहाड़ी क्षेत्र/दुर्गम क्षेत्र में आंगनबाड़ी केन्द्र :

300–800 जनसंख्या पर – 1 आंगनबाड़ी केन्द्र

15.19.4 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र :

150–300 जनसंख्या पर – 1 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र

15.19.5 आईसीडीएस का सर्वव्यापीकरण :- आईसीडीएस कार्यक्रम का विस्तार करते हुए सुदूर अंचलों में स्थित बसाहटों में भी आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। राज्य में चरणबद्ध तरीके से स्वीकृत परियोजनाओं एवं केंद्रों की स्थिति निम्नानुसार है :–

तालिका 15.14 आईसीडीएस का सर्वव्यापीकरण

क्र.	केंद्र / परियोजना	छत्तीसगढ़ गठन के पूर्व स्वीकृत	प्रथम चरण विस्तार अन्तर्गत स्वीकृत (05–06)	द्वितीय चरण विस्तार अन्तर्गत स्वीकृत (07–08)	तृतीय चरण विस्तार अन्तर्गत स्वीकृत (10–11) एवं 11–12	सर्वव्यापीकरण के तहत नवीन स्वीकृत आं.बा. / मिनी आं.बा. केन्द्र	कुल स्वीकृत	वर्तमान में संचालित	समर्पित आं.बां. केन्द्र
1.	बाल विकास परियोजना	152	06	05	57	0	220	220	0
2.	आंगनबाड़ी केंद्र	20289	9148	5500	8826	2967	46660	44867	70
3.	मिनी आंगनबाड़ी केंद्र	836	0	1483	4229	532	5814	5305	1266
	योग (2+3)	**21125**	**9148**	**6983**	**13055**	**3499**	**52474**	**50172**	**1336**

15.20 मुख्यमंत्री सुपोषण योजना :-

- माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 10.11.2017 को शुभारंभ किया गया है।
- छत्तीसगढ़ को सुपोषित राज्य बनाने के लिए संगठित स्वरूप में सुपोषण मिशन प्रारंभ करने वाला छत्तीसगढ़ अग्रणी राज्य है।
- कुपोषण के स्तर में तीव्र गति से कमी लाने के उद्देश्य से कुपोषण मुक्ति हेतु किये जा रहे समस्त प्रयासों का मुख्यमंत्री सुपोषण मिशन के तहत् एकीकृत किया जा रहा है।

15.20.1 मुख्यमंत्री सुपोषण मिशन अंतर्गत गतिविधियॉं :-

- समुदाय में सुपोषण की अवधारणा स्थापित करना।
- प्रत्येक वर्ष वजन त्यौहार का आयोजन कर बच्चों के वजन तथा गर्भवती व शिशुवती महिलाओं का डाटा दर्ज कर स्थाई रूप से ऑनलाईन अनुश्रवण।
- मध्यम एवं गंभीर कुपोषित बच्चों के पोषण स्तर में सुधार हेतु समुदाय से बाल मित्रों का चयन कर सामुदायिक सहभागिता से पोषण प्रोत्साहन देना।
- आंगनबाड़ी गुणवत्ता उन्नयन हेतु आंगनबाड़ी मित्रों के माध्यम से पोषण उन्नयन हेतु सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करना।
- समुदाय को जागरूक बनाने के लिए पोषण साक्षरता प्रयास आरंभ किया जाएगा, जिसमें स्थानीय बोली तथा स्थानीय भाषा में सूचना शिक्षा संचार सामग्री का निर्माण एवं उपयोग सुनिश्चित किया जावेगा।

- चिन्हांकित विशेष कुपोषित क्षेत्रों में सघन प्रयास हेतु संकल्प सुपोषण अभियान का संचालन।
- बेहतर परिणाम प्राप्त करने हेतु अंतर्विभागीय समन्वय किया जायेगा।

15.20.2 वजन त्यौहार :- कुपोषण मुक्ति हेतु ठोस कार्ययोजना बनाने के लिए 05 वर्ष तक के बच्चों का डाटा बेस तैयार करने के उद्देश्य से वर्ष 2012 से वजन त्यौहार का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश में कुपोषण के स्तर में लगभग 17 प्रतिशत की कमी आई है। वर्ष 2005–06 में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के अनुसार प्रदेश में 47.10 प्रतिशत बच्चे कुपोषित थे। वजन त्यौहार वर्ष 2015 के अनुसार कुपोषण की दर 29.87 प्रतिशत पर आ गई है। वर्ष 2016 में वजन त्यौहार के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 5 वर्ष तक के बच्चों में कुपोषण की दर 30.13 प्रतिशत है। राज्य शासन द्वारा किये जा रहे प्रयासों से कुपोषण मुक्ति की दिशा में अच्छे परिणाम सामने आये हैं।

15.20.3 नवाजतन योजना :- समुदाय के सहयोग से कुपोषण प्रबंधन की यह महत्वपूर्ण योजना है नवाजतन योजना के अब तक 5 चरण क्रियान्वित किए गए हैं। इन 5 चरणों में कुल 3,02,855 कुपोषित बच्चों को लक्षित कर 1,37,480 बच्चों को कुपोषण मुक्त किया गया है। 2 अक्टूबर 2016 से नवाजतन का पंचम चरण संचालित किया गया है, जिसमें से 1,08,082 कुपोषित बच्चों को लक्षित करते हुए 46,581 बच्चों को सामान्य पोषण स्तर पर लाया गया। इस प्रकार नवाजतन योजना पांचवे चरण में निर्धारित 6 माह की अवधि में 43.10 प्रतिशत बच्चे योजना से लाभांवित होकर कुपोषण मुक्त हुए।

15.20.4 मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना :- मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना गंभीर कुपोषित एवं संकटग्रस्त बच्चों को चिकित्सकीय परीक्षण की सुविधा, चिकित्सक द्वारा लिखी गई दवाएं, आवश्यकतानुसार बाल रोग विशेषज्ञों की परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

योजना अंतर्गत वर्ष 2016–17 में 1,24,926 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। 2009 से 2016–17 तक कुल 6,33,139 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया।

15.20.5 पूरक पोषण आहार कार्यक्रम :- आंगनबाड़ी केन्द्रों में आने वाले 3 से 6 वर्ष आयु के लगभग 8.12 लाख सामान्य, मध्यम व गंभीर कुपोषित बच्चों को गर्म पके हुए भोजन के साथ सप्ताहिक मेन्यू अनुसार नाश्ता एवं प्रत्येक मंगलवार को इन बच्चों को मुर्रा लड्डू दिया जा रहा है।

6 माह से 3 वर्ष आयु के लगभग 11.73 लाख सामान्य बच्चों को 135 ग्राम रेडी टू ईट प्रतिदिन के मान से 6 माह से 3 वर्ष आयु के गंभीर कुपोषित बच्चों को 211 ग्राम रेडी टू ईट प्रतिदिन के मान से टेक होम राशन पद्धति से दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सामान्य बच्चों को 20 ग्राम का मुर्रा लड्डू व इसी आयु के गंभीर कुपोषित बच्चों को 40 ग्राम के मुर्रा लड्डू प्रतिदिन (सप्ताह में 6 दिवस हेतु) के मान से दिया जा रहा है।

आंगनवाड़ी केन्द्र में आने वाले गर्भवती माताओं को प्रति हितग्राही 75 ग्राम रेडी टू ईट फूड प्रतिदिन के मान से टेकहोम राशन पद्धति से प्रदाय किया जा रहा है साथ ही आंगनवाड़ी केन्द्रों में गर्म भोजन दिया जा रहा है। धात्री माताओं को प्रतिदिन 165 ग्राम के मान से रेडी टू ईट फूड तथा 40 ग्राम के मान से मुर्रा लड्डू दिया जा रहा है।

15.20.6 मुख्यमंत्री अमृत योजना :- आंगनबाड़ी केन्द्रों में आने वाले 3 से 6 वर्ष आयु के सामान्य व गंभीर कुपोषित बच्चों को गर्म पके हुए भोजन, नाश्ता के साथ ही प्रत्येक सोमवार को मुख्यमंत्री अमृत योजना अन्तर्गत छ.ग. राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित के माध्यम से 100 मि.ली. मीठा सुगंधित दूध का वितरण किया जा रहा है।

15.20.7 महतारी जतन योजना :- महतारी जतन योजनांतर्गत राज्य की गर्भवती महिलाओं को टेक होम राशन अन्तर्गत 75 ग्राम रेडी टू ईट प्रतिदिन के अतिरिक्त आंगनवाड़ी केन्द्र में एक पूर्ण आहार के रूप में गर्म भोजन दिया जा रहा है। इस योजना से अनुमानित लगभग 1.54 लाख गर्भवती महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं।

15.20.8 पूरक पोषण आहार प्रदाय का कार्य महिला स्व सहायता समूहों को :- प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों में महिला स्व–सहायता समूहों के माध्यम से पूरक पोषण आहार का प्रदाय सुनिश्चित किया गया है। प्रदेश में 1,647 महिला स्व सहायता समूहों के द्वारा रेडी–टू–ईट फूड एवं 19,586 महिला स्व सहायता समूहों के द्वारा नाश्ता एवं गर्म पका हुआ भोजन प्रदाय किया जा रहा है। प्रदेश में पूरक पोषण आहार का प्रदाय कर रहे महिला स्व सहायता समूहों को समयावधि में भुगतान हेतु भुगतान की सरलीकृत प्रक्रिया लागू की गई है, जिसमें प्रत्येक स्तर पर समय सीमा का निर्धारण किया गया है।

स्व सहायता समूह के द्वारा उत्पादित किए जा रहे रेडी टू ईट फूड की गुणवत्ता निर्धारित किए जाने हेतु सघन भ्रमण का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है तथा गुणवत्ता के परीक्षण हेतु प्रत्येक समूह के उत्पादित सैम्पल का प्रयोगशाला परीक्षण सुनिश्चित किया गया है।

15.21 खाद्य सुरक्षा अधिनियम :- इस अधिनियम अंतर्गत हितग्राहियों को पूरक पोषण आहार प्रदाय सुनिश्चित करने हेतु टेक होम राशन के हितग्राहियों के लिए ''पूरक पोषण आहार कार्ड'' का प्रदाय किया गया है।

15.21.1 राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना-'सबला':- सबला योजना अंतर्गत किशोरी बालिकाओं को पोषण आहार तथा गैर पोषण आहार सेवाएं प्रदान की जाती हैं। पोषण आहार अंतर्गत 11 से 14 वर्ष आयु की प्रत्येक शाला त्यागी तथा 14 से 18 वर्ष आयु की सभी बालिकाओं को प्रतिदिन 165 ग्राम के मान से 06 दिवस हेतु 990 ग्राम रेडी टू ईट फूड प्रदान किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य, संपूर्ण भारत वर्ष में सबला योजना की तरह 17 गैर सबला जिलों में 11 से 14 वर्ष की शाला त्यागी तथा 14 से 18 वर्ष आयु की समस्त किशोरी बालिकाओं को शत प्रतिशत राज्य निधि से पूरक पोषण आहार का प्रदाय करने वाला अग्रणी राज्य है।

तालिका क्र. 15.15 सबला योजना

क्र.	सेवाएं / प्रशिक्षण	लाभान्वित संख्या		
		2015–16	2016–17	2017–18 (जून 2017)
1.	पोषण आहार सेवा	309334	381560	378144
2.	स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा	126108	96908	70506
3.	परिवार कल्याण प्रजनन एवं यौनिक स्वास्थ्य बाल देखभाल पद्धितियां एवं गृह प्रबंधन	80967	68267	31864
4.	जीवन कौशल	77678	37757	19686
5.	एक्सपोजर विजिट	23702	21521	3791
6.	व्यावसायिक प्रशिक्षण	1946	1129	98

गैर पोषण आहार सेवा के तहत् किशोरी बालिकाओं को स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा, जीवन कौशल, कानूनी अधिकार, यौनिक स्वास्थ्य, गृहप्रबंधन आदि विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त उन्हें व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। सार्वजनिक सेवाओं का एक्सपोजर विजिट कराया जाता है तथा स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से स्वास्थ्य जांच, संदर्भ सेवा, आईएफए एवं कृमिनाशक टेबलेट का प्रदाय भी किया जाता है।

15.22 किशोरी शक्ति योजना :- 11 से 18 आयु वर्ग की किशोरी बालिकाओं को किशोरवय में होने वाले शारीरिक, मानसिक बदलावों के संबंध में जानकारी देने और इन परिवर्तनों के लिये उन्हें मानसिक रूप से तैयार करने, स्वास्थ्य–पोषण, प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य बच्चों की देखभाल, जीवन कौशल इत्यादि विषयों पर प्रशिक्षण देने, शालात्यागी बालिकाओं का शिक्षा की मुख्य धारा में प्रवेश, आंगनबाड़ी केन्द्र की सेवाओं से संबद्ध कर उन्हें आंगनबाड़ी केन्द्र की सेवाओं के संबंध में प्रशिक्षित करने, लघु व्यावसायिक गतिविधियों का प्रशिक्षण देकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से किशोरी शक्ति योजना का संचालन 17 जिलों की 92 आईसीडीएस परियोजनाओं में किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत प्रति परियोजना 300 बालिकाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्ष 2017–18 हेतु 27,600 बालिकाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है।

15.23 संस्कार अभियान :- महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 06 वर्ष से कम आयु के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा (ECCE) प्रदाय हेतु ''संस्कार अभियान'' संचालित किया जा रहा है। संस्कार अभियान के

तहत प्रारंभिक बाल्यावस्था की सभी उप अवस्थाओं अर्थात गर्भावस्था, जन्म से 03 वर्ष एवं 03 से 06 वर्ष आयु समूह को शामिल किया गया है। इस अभियान के तहत क्षमता विकास, संसाधन सामग्री का विकास, वातावरण निर्माण, अनुश्रवण तंत्र एवं गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदाय संबंधी घटकों को शामिल किया गया है। आंगनबाड़ी केन्द्रों में माध्यम से शाला पूर्व शिक्षा प्रदाय किये जाने हेतु बाल केन्द्रित एवं आयु आधारित पाठ्यचर्या विकसित की गई है। इस पाठ्यचर्या में बाल विकास के विविध क्षेत्रों यथा शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, भाषा विकास, सृजनात्मक विकास, सामाजिक विकास, शाला पूर्व पढ़ने एवं लिखने की तैयारी तथा शाला पूर्व गणित का विकास शामिल है। पाठ्यचर्या के साथ 360 शाला पूर्व गतिविधि युक्त गतिविधि कोष भी तैयार किया गया है। आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु 52 सप्ताह के लिए एक सुव्यवस्थित समयसारिणी बनायी गयी है। जिसके माध्यम से आंगनबाड़ी केन्द्र में बच्चों को सभी आवश्यक विकास क्षेत्रों से संबंधित गतिविधियों का अनुभव प्राप्त होगा। एक विषयवस्तु से विविध अवधारणाएं सीखने का अवसर प्रदान करने हेतु थीम पुस्तिका तैयारी की गई है। 03 से 06 वर्ष आयु समूह के प्रत्येक बच्चे का सतत् समग्र मूल्यांकन करने हेतु आयु आधारित आकलन पत्रक भी विकसित किये गये हैं।

संस्कार अभियान अंतर्गत विभागीय अमले की प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा विषय पर क्षमता निर्माण हेतु व्यापक क्षमता विकास रणनीति निर्धारित की गई है। प्रारंभिक चरण में 1600 से अधिक जिला स्तरीय अधिकारियों, परियोजना अधिकारियों, प्रशिक्षण केन्द्र के संकाय सदस्य एवं पर्यवेक्षकों को जीवंत गतिविधि आधारित प्रशिक्षण दिया गया है। आगामी चरण में लगभग 52 हजार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जावेगा।

15.24 नोनी सुरक्षा योजना :- राज्य की बेटियों को सक्षम बनाने तथा उनका आर्थिक आधार मजबूत करने, शिक्षा स्तर बढ़ानें तथा कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम हेतु सरकार ने नोनी सुरक्षा योजना लागू की है। योजना के अंतर्गत बालिका के 18 वर्ष पूर्ण होने एवं 12वी कक्षा उत्तीर्ण होने पर 1 लाख रूपये की राशि दिए जाने का प्रावधान है।

15.25 सखी (वन स्टॉप सेन्टर - One Stop Centre)

उद्देश्य :- घर के भीतर अथवा घर के बाहर अथवा किसी भी रूप में पीड़ित व संकटग्रस्त महिला को आवश्यकतानुसार सुविधा/सहायता तत्काल उपलब्ध कराते हुए जरूरतमंद महिला को चिकित्सा, विधिक सहायता, मनोवैज्ञानिक सलाह, मानसिक चिकित्सा, परामर्श सुविधा एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराना।

15.26 वन स्टॉप सेन्टर किनके लिये :- संकटग्रस्त/पीड़ित में वे सभी महिलाएं (18 वर्ष से कम उम्र की बालिकाएं भी सम्मिलित हैं) जिन्हे सहायता की आवश्यकता है।

15.26.1 सखी वन स्टॉप सेंटर में उपलब्ध सेवाएं :-

- आपातकालीन सहायता एवं बचाव।
- चिकित्सकीय सहायता।
- महिला को पुलिस में प्रथम सूचना दर्ज कराने, घरेलू हिंसा अंतर्गत प्रकरण दर्ज कराने आदि में सहायता उपलब्ध कराना।
- मनोवैज्ञानिक/सामाजिक/परामर्श, सला

15.26.2 प्रदेश में सखी वन स्टॉप सेंटर द्वारा किये गये कार्य :-

- प्रदेश में भारत का पहला वन स्टॉप सेंटर रायपुर में 16 जुलाई 2015 से प्रारंभ किया गया।
- शेष सभी जिलों में 10 मार्च 2017 से वन स्टॉप सेंटर प्रारंभ किया गया है। देश में छत्तीसगढ़ ही ऐसा राज्य है जहां

सर्वप्रथम सभी जिलों में वन स्टॉप सेंटर का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है।

- प्रदेश में संचालित सखी केन्द्रों में अब तक 3569 दर्ज प्रकरणों में से 2405 प्रकरणों का निराकरण किया गया है। 966 प्रकरणों में पीड़िता को आश्रय प्रदान किया गया है।
- प्रदेश के सभी वन स्टॉप सेंटर को महिला हेल्पलाईन नं. 181 से जोड़े जाने (एकीकरण) की कार्यवाही पूर्णता की ओर है।

15.27 नवाबिहान योजना :- घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 प्रावधानों के अनुरूप घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला को आवश्यकता अनुसार परिवहन, चिकित्सा, आश्रय एवं पुनर्वास तथा परामर्श सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रदेश में नवाबिहान योजना संचालित है। इसके अंतर्गत स्वतंत्र संरक्षण अधिकारी एवं सेवा प्रदाता की नियुक्ति की गई है।

15.28 अल्पकालिक आश्रय गृहः- मानसिक बीमार महिलाओं के लिए रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंसेस रायपुर के माध्यम से 50 महिलाओ के लिए अल्पकालिक आश्रय गृह राज्य में संचालित है। इस केन्द्र में मानसिक बीमार महिलाओं की भर्ती एवं ईलाज, संभावित मानसिक बीमार महिलाओं का चिन्हांकन के लिए बाह्य उपचार व्यवस्था, परामर्श सेवा तथा संदर्भ सेवा उपलब्ध कराई गई है।

15.29 प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना :-

- महिलाओं को अल्पपोषण प्रतिकूल रूप में प्रभावित करता है, अल्पपोषित माता अधिकांशतः कम वजन वाले शिशुओं को ही जन्म देती है, जब कुपोषण गर्भाशय में भी शुरू हो जाता है, तो यह पूरे चक्र में चलता रहता है और ज्यादातर अपरिवर्तनीय होता है।
- आर्थिक और सामाजिक तंगी के कारण कई महिलाएं अपनी गर्भावस्था के आखिरी दिनों तक अपने परिवार की जीविका अर्जित करना जारी रखती है, इसके अलावा अपने बच्चे को जन्म देने के बाद वक्त से पहले काम करना शुरू कर देती है, जबकि उनका शरीर इसके लिए तैयार नहीं होता है। इस प्रकार वे एक तरफ अपने शरीर को पूरी तरह स्वस्थ होने से रोकती है और पहले छः माह में अपने नौनिहालों को अनन्य स्तनपान कराने की अपने सामर्थ्य में भी बाधा पहुंचाती है।
- उपरोक्त परिदृश्य की ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसरण में देश के सभी जिलों में 01 जनवरी 2017 से प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना के नाम से एक नवीन एवं महत्वपूर्ण योजना लागू की गई है।

15.29.1 योजना के उद्देश्य :-

- ''मजदूरी की क्षति के बदले में नकद राशि प्रोत्साहन के रूप में आंशिक क्षतिपूर्ति प्रदान करना ताकि महिलाएं पहले जीवित बच्चे के जन्म से पहले और बाद में पर्याप्त विश्राम कर सके।''

  प्रदाय किए गए नकद प्रोत्साहन राशि से गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं में स्वस्थ रहने के आचरण में सुधार होगा।

15.29.2 योजना अंतर्गत लाभ :-

- योजना अंतर्गत गर्भवती धात्री महिलाओं को प्रथम जीवित संतान के लिये तीन किस्तो में 5000/– रूपये राशि के भुगतान किये जाने का प्रावधान रखा गया है।
- विभाग द्वारा प्रदेश में उपरोक्त योजना का कियान्वयन शुरू कर दिया गया है तथा पात्र गर्भवती शिशुवती माताओं के आवेदनों की ऑनलाईन प्रविश्टि प्रारंभ कर दी गई है व सहायता।

- **आपातकालीन आश्रय सुविधा।**

15.29.3 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ :- भारत शासन द्वारा पूरे देश के 100 चयनित जिलों में बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओ योजना दिनांक 22 जनवरी 2015 से लागू की गई है। छत्तीसगढ़ में रायगढ़ जिले का चयन किया गया है। योजना का उद्देश्य निम्नानुसार है :–

- बच्चों के जन्म के समय लिंग चयन तथा विभेद को समाप्त करना ।
- बालिकाओं की उत्तरजीविका व उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- बालिकाओं की शिक्षा को सुनिश्चित करना।

15.29.4 उपरोक्त योजना के लक्ष्य :-

- 2017 तक बाल मृत्युदर के लिंग अंतर में कमी लाना।
- बालिकाओं के पोषण स्तर में सुधार लाना।
- आईसीडीएस कार्यक्रम का सर्वव्यापीकरण करना तथा बालिकाओं की शत् प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चत करना।
- 2017 तक उच्चतर माध्यमिक स्तर पर न्यूनतम 79 प्रतिशत बालिकाओं का पंजीयन सुनिश्चित करना।
- वर्ष 2017 तक सभी शालाओं मे शत्–प्रतिशत शौचालय की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चत करना तथा इस हेतु लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का प्रभावी कियान्वयन।
- जन प्रतिनिधियों को प्रेरित करना और बालिका शिक्षा के प्रति उनका सहयोग प्राप्त करना। समुदाय को जागरूक करना तथा उनकी सोच में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक बदलाव लाना।
- रायगढ़ जिले में योजना के उद्देश्यों के अंतर्गत विविध प्रयास/गतिविधियां की जा रही है जिसके परिणामस्वरूप जन्म के समय बालक–बालिका अनुपात में सकारात्मक परिवर्तन आया है।

15.30 मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना :- योजनांतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अथवा मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अन्तर्गत कार्डधारी परिवार की 18 वर्ष से अधिक आयु की अधिकतम दो कन्याओं को पात्रता शर्तों को पूर्ण करने पर विवाह कराया जाता है।

योजना के अन्तर्गत 11500 रूपये तक की आर्थिक सहायता सामग्री के रूप में तथा 2500 रूपये आयोजन व्यय के रूप में तथा 1000 रूपये चैक/ड्राफ्ट के रूप में अर्थात् प्रति कन्या कुल 15000 रूपये की सहायता का प्रावधान है।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत सूखे से प्रभावित किसानों को उनकी कन्या के विवाह हेतु रूपये 30000/– उनके खातों में दिये जाने के निर्देश थे। यह योजना 1 जनवरी 2016 से 31 दिसम्बर 2016 तक के लिये लागू थी। सूखे से प्रभावित किसानों के 12,996 कन्याओं के विवाह हेतु 30000/– रूपये प्रति कन्या के मान से खाते में राशि अन्तरित किए गए। इस प्रकार अब तक मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजनान्तर्गत 111.46 करोड़ रूपये व्यय हुआ है।

योजना प्रारम्भ वित्तीय वर्ष 2005–06 से 30 सितम्बर 2017 की स्थिति में 70,405 कन्याओं का विवाह कराया गया है।

15.31 छत्तीसगढ़ महिला कोष अन्तर्गत ऋण योजना :- महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक विकास संबंधी कार्यो को

बढ़ावा देने, महिला सशक्तिकरण के लिए आवश्यक उपाय करने तथा महिला स्वयं सहायता समूहों के गठन, सुदृढ़ीकरण एवं आर्थिक गतिविधि के लिए वित्तीय एवं अन्य सुविधायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ महिला कोष का गठन छत्तीसगढ़ सोसायटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के तहत दिनांक 2.2.2002 को किया गया है।

- छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा महिला स्व–सहायता समूहों को आसान शर्तो पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए ऋण योजना का संचालन दिनांक 15.8.03 से किया जा रहा है। योजनांतर्गत स्व–सहायता समूहों को अधिकतम 50000.00 रूपये तक का ऋण प्रथम बार में प्रदाय किया जाता है तथा प्रथम बार प्रदत्त ऋण की सफलतापूर्वक वापसी पर दो लाख रूपये तक का ऋण द्वितीय बार में प्रदान किया जाता है। योजना के तहत यह ऋण 3 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। वर्ष 2016–17 (अप्रैल 2016 से सितम्बर 2016 एवं अप्रैल 2016 से मार्च 2017) में 2541 समूहों को 9 करोड़ 29 लाख 55 हजार रूपये का एवं वर्ष 2017–18 (अप्रैल 2017 से सितम्बर 2017 की स्थिति में) में 308 समूहों को 1 करोड़ 16 लाख 65 हजार रूपये का ऋण प्रदान किया गया।
- छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा वर्ष 2009–10 में ''सक्षम योजना'' आरंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत ऐसी महिलाओं जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है अथवा 35 से 45 आयु वर्ग की अविवाहित महिलाओं अथवा कानूनीतौर पर तलाकशुदा महिलाओं को स्वयं का व्यवसाय आरंभ करने हेतु आसान शर्तो पर 1.00 लाख रूपये तक का ऋण प्रदाय किया जाता है। वर्ष 2016–17 में (अप्रैल 2016 से सितम्बर 2016 एवं (अप्रैल 2016 से मार्च 2017) 407 प्रकरण में 2 करोड़ 44 लाख 85 हजार रूपये एवं वर्श 2017–18 (अप्रैल 2017 से सितम्बर 2017 की स्थिति में) 116 प्रकरण में 77 लाख 30 हजार रूपये के ऋण स्वीकृत किये गये।
- छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा वर्ष 2009–10 में ''स्वावलंबन योजना'' आरंभ की गई है । इस योजना के अंतर्गत निर्धन वर्ग की ऐसी महिलाओं को जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है अथवा जो कानूनीतौर पर तलाकशुदा है अथवा जो 35 से 45 आयु वर्ग की अविवाहित महिलायें है, व्यावसायिक दक्षता प्रदान कर उनके स्वावलंबी बनने का आधार हेतु आय उपार्जन गतिविधि का प्रशिक्षण निःशुल्क प्रदान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत प्रति हितग्राही 5 हजार रूपये तक की अधिकतम व्यय सीमा निर्धारित की गई है। वर्ष 2016–17 में (अप्रैल 2016 से सितम्बर 2016 एवं (अप्रैल 2016 से मार्च 2017)में 542 महिलाओं को एवं एवं वर्श 2017–18 (अप्रैल 2017 से सितम्बर 2017 की स्थिति में) 9 महिलाओं को प्रशिक्षण दिये गये।

15.32 एकीकृत बाल संरक्षण योजना :- प्रदेश सरकार महिलाओं एवं बच्चों के विकास के साथ–साथ उनकी देखरेख, उनकी सुरक्षा के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी निरंतर में बाल संरक्षण तंत्र को अधिक संवेदनशील एवं कारगर बनाने के लिए विस्तृत स्वीकृतियां प्रदान की गई हैं। मैदानी स्तर तक अमले की पदस्थापना के साथ उन्हें संवेदनशील तरीके से बच्चों के प्रकरणों के निराकरण के लिए उत्तरदायी बनाया गया है।

- विधि विरूद्ध कार्य करने वाले बच्चों के लिए राज्य में 13 बाल सम्प्रेक्षण गृह स्वीकृत हैं। राज्य के सभी संभागीय मुख्यालयों में सुरक्षित गृहों (Place of Safety) के स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई है। देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए राज्य में 47 बाल गृह संचालित हैं।
- वर्तमान में प्रदेश में बच्चों के लिए 8 खुला आश्रय गृह संचालित हैं।
- दत्तक ग्रहण कार्यक्रम के अंतर्गत 11 जिलों में दत्तक ग्रहण स्थापना एजेंसी संचालित है। बच्चों की गैर संस्थागत देखरेख कार्यक्रम के अंतर्गत स्पान्सरशिप, फास्टरकेयर कार्यक्रम एवं पश्चात्वर्ती देखरेख कार्यक्रम राज्य के सभी जिलों में लागू करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

- राज्य के रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, कवर्धा, बिलासपुर, रायगढ़, जशपुर, कोरबा, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर, बस्तर एवं दंतेवाड़ा, कांकेर एवं महासमुन्द में चाईल्ड हेल्पलाईन (1098) की सेवायें उपलब्ध करायी जा रही है। जांजगीर एवं धमतरी में यह कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

15.33 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी

छत्तीसगढ़ शासन का लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग राज्य में भारत सरकार, पेयजल एवं स्वछता मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी मापदण्डों एवं राज्य शासन के अवधारणानुसार ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था कराने एवं नगरीय क्षेत्र में पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन का कार्य संपादित करता है। विभाग की संक्षिप्त एवं सारगर्भित उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:–

15.34 ग्रामीण जल प्रदाय कार्यक्रम-2016-17

- राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के 19, 716 ग्रामों के 74,647 बसाहटों में 2,64,403 हैंडपंप स्थापित कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।
- राज्य में 2,980 नलजल प्रदाय योजनाएं एवं 2,922 स्थल जलप्रदाय योजनाओं के माध्यम से ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल प्रदाय किया जा रहा है।
- प्रदेश की 55,294 शालाओं एवं 27,428 आंगनबाड़ी केन्द्रों में शुद्ध पेयजल व्यवस्था उपलब्ध करायी गयी है।
- सोलर आधारित ड्यूल ऑपरेटेड पम्प स्थापना–राज्य के वनांचल एवं मैदानी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा आधारित पेयजल योजनाओं का निर्माण कराया जा रहा है। जिसका संचालन–संधारण अत्यंत सरल है। वर्तमान में 2 हजार 477 सोलर पम्पों के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।
- शासन द्वारा पेयजल की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जल परीक्षण हेतु राज्य में 27 जिला स्तरीय प्रयोगशाला, 25 उपखंड स्तरीय प्रयोगशाला तथा 18 चलित प्रयोगशाला की स्थापना की गई है, जिससे निरंतर पेयजल का परीक्षण किया जा रहा है।
- राज्य के जलगुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु गंभीरता के साथ प्रयास किये गये हैं, जिसके अंतर्गत आर्सेनिक से प्रभावित जिला राजनांदगांव के चौकी क्षेत्र के 20 ग्रामों के लिए रु. 33.85 करोड़ की पेयजल योजना तथा जिला बेमेतरा के विकासखंड नवागढ़, बेमेतरा एवं साजा के खारे पानी से प्रभावित 152 ग्रामों के लिए रु. 189.54 करोड़ की पेयजल योजना का कार्य क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना का कार्य प्रगतिरत है। इसी प्रकार जिला बस्तर के फ्लोराइड से प्रभावित 29 ग्रामों के लिए रु. **49.76** करोड़ की कोसारटेडा समूह जलप्रदाय योजना क्रियान्वित की जा रही है। योजना का कार्य प्रगतिरत है।
- एन.एम.डी.सी. के माध्यम से दंतेवाड़ा जिले के लाल पानी से प्रभावित क्षेत्रों में नेरली एवं धुरली समूह जलप्रदाय योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य के अन्य क्षेत्रों में देवरी (द), छिंदनार, धीरी, मोहारा एवं पोड़ी समूह जल प्रदाय योजना निर्माण का कार्य प्रगतिरत है।

15.35 शहरीय जल प्रदाय कार्यक्रम -

- 102 नगरीय निकायों में जल प्रदाय योजनाएं पूर्ण कर जल प्रदाय प्रारंभ किया जा चुका है।
- 66 नगरीय निकायों में जलप्रदाय योजनाओं के कार्य प्रगति पर है।

15.36 पेयजल हेतु जन समस्या निवारण व्यवस्था -

- राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के पेयजल समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा टोल फ्री नम्बर 1800–233–0008 स्थापित किया गया है, जिसके माध्यम से प्राप्त समस्याओं का निराकरण त्वरित किया जाता है। यह व्यवस्था सतत् जारी है।

15.37 ग्रामीण जल प्रदाय कार्यक्रम-2017-18 (सितंबर)

- राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के **19, 655** ग्रामों के **74,685** बसाहटों में **2,67,992** हैंडपंप स्थापित कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।
- राज्य में **3,148** नलजल प्रदाय योजनाएं एवं **3,192** स्थल जलप्रदाय योजनाओं के माध्यम से ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल प्रदाय किया जा रहा है।
- प्रदेश की **55,294** शालाओं एवं **27,428** आंगनबाड़ी केन्द्रों में शुद्ध पेयजल व्यवस्था उपलब्ध करायी गयी है।
- **सोलर आधारित ड्यूल ऑपरेटेड पम्प स्थापना -** राज्य के वनांचल एवं मैदानी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा आधारित पेयजल योजनाओं का निर्माण कराया जा रहा है। जिसका संचालन–संधारण अत्यंत सरल है। वर्तमान में 3 हजार 586 सोलर पम्पों के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्तमान में 2 हजार 676 बसाहटों में सौर ऊर्जा आधारित पेयजल योजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- शासन द्वारा पेयजल की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जल परीक्षण हेतु राज्य में 27 जिला स्तरीय प्रयोगशाला, 25 उपखंड स्तरीय प्रयोगशाला तथा 18 चलित प्रयोगशाला की स्थापना की गई है, जिससे निरंतर पेयजल का परीक्षण किया जा रहा है।
- राज्य के जलगुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु गंभीरता के साथ प्रयास किये गये हैं, जिसके अंतर्गत आर्सेनिक से प्रभावित जिला राजनांदगांव के चौकी क्षेत्र के 20 ग्रामों के लिए रु. 33.85 करोड़ की पेयजल योजना तथा जिला बेमेतरा के विकासखंड नवागढ़, बेमेतरा एवं साजा के खारे पानी से प्रभावित 152 ग्रामों के लिए रु. 189.54 करोड़ की पेयजल योजना का कार्य पूर्ण कर परीक्षण के तौर पर पेयजल प्रदाय किया जा रहा है। इसी प्रकार जिला बस्तर के फ्लोराइड से प्रभावित 29 ग्रामों के लिए रु. 49.76 करोड़ की कोसारटेडा समूह जलप्रदाय योजना क्रियान्वित की जा रही है। योजना से परीक्षण के तौर पर जल प्रदाय प्रारंभ है।
- एन.एम.डी.सी. के माध्यम से दंतेवाड़ा जिले के लाल पानी से प्रभावित क्षेत्रों में नेरली एवं धुरली समूह जलप्रदाय योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य के अन्य क्षेत्रों में देवरी (द), छिंदनार, धीरी, मोहारा एवं पोड़ी समूह जल प्रदाय योजना निर्माण का कार्य प्रगतिरत है।

15.38 शहरीय जल प्रदाय कार्यक्रम -

- 95 नगरीय निकायों में जल प्रदाय योजनाएं पूर्ण कर जल प्रदाय प्रारंभ किया जा चुका है।
- 73 नगरीय निकायों में जलप्रदाय योजनाओं के कार्य प्रगति पर है।

15.39 पेयजल हेतु जन समस्या निवारण व्यवस्था -

- राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के पेयजल समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा टोल फ्री नम्बर 1800–233–0008 स्थापित किया गया है, जिसके माध्यम से प्राप्त समस्याओं का निराकरण त्वरित किया जाता है। यह व्यवस्था सतत् जारी है।

सामाजिक सेवाएं

16

अध्याय

16 सामाजिक सेवाएं

मुख्य बिन्दु -

- सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनांतर्गत वर्ष 2016-17 में 517359 हितग्राही लाभान्वित।
- सुखद सहारा योजनांतर्गत वर्ष 2016-17 में 240068 हितग्राही लाभान्वित।
- इंदिरा गॉधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनांतर्गत वर्ष 2016-17 में 630506 हितग्राही लाभान्वित।
- इंदिरा गॉधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजनांतर्गत वर्ष 2016-17 में 153312 हितग्राही लाभान्वित।
- इंदिरा गॉधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजनांतर्गत वर्ष 2016-17 में 34334 हितग्राही लाभान्वित।
- राष्ट्रीय परिवार सहायता योजनांतर्गत वर्ष 2016-17 में 9436 हितग्राही लाभान्वित।
- आश्रम शाला योजनांतर्गत वर्ष 2016-17 में अनुसूचित जाति के 3044 तथा अनुसूचित जनजाति के 73823 छात्र-छात्राएं लाभान्वित।
- सिविल सेवा प्रोत्साहन योजनांतर्गत वर्ष 2016-17 में अनुसूचित जाति के 81 तथा अनुसूचित जनजाति के 137 छात्र-छात्राएं लाभान्वित।
- नर्सिंग प्रशिक्षण योजनांतर्गत वर्ष 2016-17 में अनुसूचित जाति के 300 तथा अनुसूचित जनजाति के 497 विद्यार्थी लाभान्वित।

समाज सेवा

16 समाज कल्याण द्वारा :- निःशक्तजनों, निराश्रितों, विधवा एवं परित्यक्त महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, बौने व्यक्तियों, तृतीय लिंग के व्यक्तियों, कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाले बच्चों के पुनर्वास के साथ–साथ नशामुक्ति के संबंध में सकारात्मक वातावरण बनाने संबंधी विस्तृत कार्यक्रम संचालित किये जाते है। इन दायित्वों के निर्वहन हेतु विभाग अन्तर्गत विभिन्न अधिनियम प्रभावशील है।

16.1 सामाजिक सहायता कार्यक्रम

16.1.1 सामाजिक सुरक्षा पेंशन :- इस योजनान्तर्गत 60वर्ष या अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध एवं 50 वर्ष या अधिक आयु के निराश्रित विधवा या परित्यक्ता महिलाएं एवं 6 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित विकलांग बच्चों को 350 रू. मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है। गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के 6 से 14 वर्ष तक आयु वर्ग के स्कूल जाने वाले विकलांग बच्चे ही वह निराश्रित न हो, को पेंशन की पात्रता है। पेंशन की पात्रता केवल राज्य के निवासियों के लिये ही है।

16.1.2 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना :- राज्य में इंदिरा गॉधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 1 अक्टूबर 1995 से संचालित की जा रही है। योजनांतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के 60 से 79 वर्ष आयुवर्ग के वृद्धजनों को राशि रू. 350.00 प्रतिमाह तथा 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्धजनों को राशि रू. 650.00 प्रतिमाह की दर से पेंशन का भुगतान स्थानीय निकायों के माध्यम से किया जाता है। उक्त पेंशन राशियों में राशि रू. 150.00 राज्यांश सम्मिलित है।

16.1.3 राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना :- योजनान्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष से कम आयु के मुख्य कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर 20,000 रू. दिये जाते हैं। भारत सरकार द्वारा शत्–प्रतिशत राशि उपलब्ध कराई जाती है।

16.1.4 सुखद सहारा योजना :- योजना का उद्देश्य विधवा/परित्यक्त महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने हेतु सहयोग देना है। जिसके तहत राज्य में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के 18 से 39 वर्ष आयुवर्ग की विधवा तथा 18 वर्ष या अधिक आयु की परित्यक्त महिलाओं को राशि रूपये 350/– प्रतिमाह की दर से पेंशन का भुगतान किया जाता है।

16.1.5 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना :- यह योजना फरवरी 2009 से प्रभावशील है। इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के 40 से 79 वर्ष आयुवर्ग की विधवाओं को रू. 350.00 प्रतिमाह पेंशन का भुगतान स्थानीय निकायों के माध्यम से किया जाता है। उक्त पेंशन राशि में राशि रू. 50/– राज्यांश सम्मिलित है।

16.1.6 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना :- यह योजना फरवरी 2009 से प्रभावशील है। इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के 18 से 79 वर्ष आयुवर्ग के गंभीर एवं बहुविकलांगों को रूपये 500/–प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। उक्त पेंशन राशियों में राशि रूपये 200/– राज्यांश सम्मिलित है।

सारणी 16.1 सामाजिक सहायता कार्यक्रम की प्रगति				
योजना	2016–17		2017–18 सित. की स्थिति में	
	वित्तीय उपलब्धि (लाख में)	भौतिक उपलब्धि / हितग्राही (संख्या)	वित्तीय उपलब्धि (लाख में)	भौतिक उपलब्धि / हितग्राही (संख्या)
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	33500.76	517359	17743.46	519148
सुखद सहारा योजना	9794.46	240068	4955.80	239284
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	17549.59	630506	8385.59	654482
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	5417.66	153312	2764.88	160996
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजना	1332.56	34334	630.00	33412
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	1884.00	9436	817.70	4089

16.2 निःशक्त कल्याण की योजनाएं

16.2.1 स्वैच्छिक संस्थाओं को राज्य अनुदान :- निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के प्रावधान अनुसार प्रदेश में निःशक्तजनों के शिक्षण–प्रशिक्षण तथा समग्र पुनर्वास में स्वैच्छिक संस्थाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य शासन द्वारा स्वैच्छिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान कर उनके द्वारा आवेदन करने पर पात्रता / नियमानुसार सहायक अनुदान स्वीकृत किया जाता है। जिसके अन्तर्गत अस्थि बाधितों हेतु रायपुर एवं राजनांदगांव में विशेष विद्यालय, मंद बुद्धि बच्चों के लिए रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, कोरबा, दंतेवाड़ा, जांजगीर–चांपा, जगदलपुर, व बिलासपुर में तथा श्रवण बाधितों के लिए रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, जांजगीर–चांपा, सरगुजा कोरबा एवं रायगढ़ में विशेष विद्यालय स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से संचालित हैं।

16.2.2 निःशक्तजनों के लिए छात्रवृत्ति योजना :- इस योजनांतर्गत प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक एवं महाविद्यालयीन अध्ययनरत् निःशक्त विद्यार्थियों को पात्रता एवं कक्षा अनुसार रू. 150 से 190 प्रतिमाह तक छात्रवृत्ति विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाती है तथा दृष्टि बाधित छात्रों को रू. 100 प्रतिमाह वाचक भत्ता प्रदान किया जाता है।

16.2.3 कृत्रिम अंग उपकरण प्रदाय योजना :- इस योजना के अन्तर्गत निःशक्तजनों को कैलीपर्स, ट्रायसिकल, व्हीलचेयर, बैसाखी, श्रवण यंत्र, श्वेत छड़ी व ब्रेल किट आदि उपलब्ध कराये जाते हैं। इस योजना अन्तर्गत निःशक्तों को संसाधन सेवायें उनकी आय सीमा रू. 5000 मासिक तक निःशुल्क तथा रू. 5001 से रू. 8000 मासिक तक 50% छूट के साथ संसाधन सेवाऐं उपलब्ध कराई जाती है। अधिकतम राशि रूपये 6900 / – तक की राशि के उपकरण प्रदाय किये जाने का प्रावधान है।

16.2.4 सामर्थ्य विकास योजना :- प्रदेश के निःशक्त हितग्राहियों को उपयुक्त, टिकाऊ, वैज्ञानिक रूप से तैयार आधुनिक एवं मानकीकृत सहायक यंत्र एवं उपकरण प्रदाय करने की दृष्टि से "सामर्थ्य विकास योजना" आरंभ की गई है। सामर्थ्य विकास योजना अन्तर्गत निःशक्तजनों हेतु मेले / शिविर का आयोजन कर कृत्रिम अंग एवं उपकरण प्रदाय किये जाते हैं। इस योजना में अधिकतम राशि रू.6900 / – तक की राशि के उपकरण प्रदाय किये जाने का प्रावधान है।

16.2.5 निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना :-निःशक्त व्यक्तियों के सामाजिक पुनर्वास एवं उन्हे स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से 18 से 45 वर्ष की निःशक्त महिला तथा 21 से 45 वर्ष के निःशक्त पुरूष जो आयकर दाता की श्रेणी में नहीं आता हो, को विवाह उपरांत जोड़े में एक व्यक्ति के निःशक्त होने पर राशि रूपये 50,000/– तथा दोनों (वर–वधू) के निःशक्त होने पर राशि रूपये 1,00,000/– की सहायता राशि दी जाती है।

16.2.6 निःशक्त व्यक्तियों के शिक्षण प्रशिक्षण हेतु शासकीय संस्थाएं :- विभाग द्वारा निःशक्तजन अधिनियम 1995 के प्रावधानों के अनुसार राज्य में आवासीय संस्थाएं संचालित हैं। जिसमें निःशक्त बच्चों को निःशुल्क छात्रावास, शिक्षण–प्रशिक्षण, भोजन, वस्त्र एवं आवासीय सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती है। वर्तमान में 19 शासकीय संस्थाएं संचालित हैं। वर्ष 2016–17 में नवीन दिव्यांग कालेज की स्थापना की गई है।

16.2.7 निःशक्तजनों के लिए ''क्षितिज अपार संभावनाएं'' अन्तर्गत एकीकृत योजना :- प्रदेश में निःशक्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए ''क्षितिज अपार संभावनाएं'' नाम से 03 एकीकृत योजना प्रारंभ की गई है–

16.2.7.1 निःशक्तजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना :- निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के तहत 18 वर्ष तक की आयु के निःशक्त बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किये जाने का प्रावधान है। सामान्यतः आर्थिक अभाव एवं निःशक्तता के कारण मेधावी निःशक्त बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित हो जाते हैं, जिन्हें संबल प्रदान करने के लिए माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले निःशक्त विद्यार्थियों एवं तकनीकी तथा उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् नियमित निःशक्त छात्रों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जायेगी।

दिये जाने वाले लाभ :-

- जिले में माध्यमिक परीक्षा (दसवीं) में सर्वाधिक अंक पाने वाले निःशक्त छात्र तथा छात्रा को राशि रूपये 2000/– एकमुश्त।
- जिले में उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (बारहवीं) में सर्वाधिक अंक पाने वाले निःशक्त छात्र तथा छात्रा को राशि रूपये 5,000/– एकमुश्त।
- आई. टी. आई./पॉलिटेक्निक/स्नातक एवं स्नातकोत्तर (कला , वाणिज्य एवं विज्ञान) पर अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को राशि 6,000/–रूपये प्रतिवर्ष प्रोत्साहन राशि।
- चिकित्सा/तकनीकी/व्यावसायिक शिक्षा में स्नातक एवं स्नातकोत्तर अध्ययनरत विद्यार्थियों को राशि 12,000/– रूपये प्रतिवर्ष प्रोत्साहन राशि।
- वित्तीय वर्ष 2017–18 में निःशक्तता की प्रावीण्य सूची अनुसार समस्त जिलों से जिलेवार कक्षा 10 वीं के 27 तथा कक्षा 12 वीं के 25 निःशक्त विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया है।
  उच्च शिक्षा हेतु 14 विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि स्वीकृत किया गया है।

16.2.7.2 निःशक्तजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना :- निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के तहत निःशक्त मेधावी व्यक्तियों को सिविल सेवा के क्षेत्र में

प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की जा रही है। इससे अन्य निःशक्त व्यक्ति प्रतिस्पर्धा के लिए प्रेरित होंगे तथा आगामी तैयारी हेतु आर्थिक सहयोग प्राप्त हो सकेगा।

दिये जाने वाले लाभ :-

- प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर राशि रूपये 20,000/– एकमुश्त।
- मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर राशि रूपये 30,000/– एकमुश्त।
- संघ/छत्तीसगढ़ लोक सेवा में चयन होने पर राशि रूपये 50,000/– एकमुश्त।
- वित्तीय वर्ष 2017–18 में 12 निःशक्त प्रतिभागियों को सिविल सेवा परीक्षा में चयनित होने हेतु प्रोत्साहन राशि स्वीकृत किया गया है।

16.2.7.3 निःशक्त विद्यार्थियों के लिए छात्रगृह योजना -

निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के तहत निःशक्त व्यक्तियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित, उन्हें संबल प्रदान करने एवं उनके अधिकारों का संरक्षण हेतु 5 निःशक्त विद्यार्थियों के समूह को किराये के भवन में निःशुल्क आवास सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएगी। योजना से राज्य के निःशक्त विद्यार्थियों का समूह देश के अन्य राज्यों में भी अध्ययन करने हेतु छात्रगृह का लाभ ले सकेंगे।

दिये जाने वाले लाभ :-

05 बच्चों के समूह को रेन्ट कन्ट्रोल अथॉरिटी द्वारा निर्धारित दर पर निर्धारित किराए की सीमा में रहने की निःशुल्क सुविधा। भवन का अधिकतम मासिक किराया राशि विद्युत एवं अन्य व्यय सहित निम्नानुसार श्रेणी के शहरों के लिए निर्धारित किया गया है –

1. A श्रेणी के शहर हेतु 10,000/– (दस हजार) तक देय होगी।
2. B श्रेणी के शहर हेतु 7,000/– (सात हजार) तक देय होगी।
3. C श्रेणी के शहर हेतु 5,000/– (पांच हजार) तक देय होगी।

तालिका 16.2 निःशक्त कल्याण की योजनाओं की प्रगति

योजना	2016.17		2017–18 सित. की स्थिति में	
	वित्तीय उपलब्धि लाख	भौतिक उपलब्धि/हितग्राही (संख्या)	वित्तीय उपलब्धि लाख	भौतिक उपलब्धि/हितग्राही (संख्या)
स्वैच्छिक संस्थाओं को राज्य अनुदान	384.00	2107	127.60	1273
निःशक्तजनों के लिए छात्रवृत्ति योजना	76.50	12533	17.00	12533
कृत्रिम अंग उपकरण प्रदाय योजना	82.38	2218	45.48	1294
सामर्थ्य विकास योजना	212.02	3355	39.40	1486
निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना	142.54	443	83.17	134
निःशक्त व्यक्तियों के शिक्षण प्रशिक्षण हेतु शासकीय संस्थाए	1486.40	1228	1743.42	1250

16.3 समाज रक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत संचालित योजनाएं

16.3.1 वरिष्ठ नागरिकों के लिए कार्यक्रम :-वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा, संरक्षण एवं सम्मान हेतु प्रत्येक वर्ष ''अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस'' जनपद पंचायत स्तर से राज्य स्तर तक सम्मान समारोह का आयोजन किए जाते हैं तथा निराश्रित वृद्धजनों के लिए प्रदेश में 21 वृद्धाश्रम संचालित है। जहॉ 537 वृद्धजन लाभान्वित हो रहे हैं।

वरिष्ठ नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए उन्हें प्राथमिक देखभाल तथा मनोरंजन के अवसर उपलब्ध कराने एवं जन समुदाय में वरिष्ठ नागरिकों के प्रति रचनात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बहुसेवा केन्द्र का संचालन स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से किया जा रहा है। केन्द्र में वरिष्ठ नागरिकों के लिए निःशुल्क स्वल्पाहार, स्वास्थ्य परीक्षण, भौतिक चिकित्सा उपलब्ध कराया जाता है। वर्तमान में 13 बहुसेवा केन्द्र संचालित है। जिसमें प्रतिदिन 25–30 वृद्धजन सम्मिलित होते हैं।

16.3.2 छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना :- योजना को दिनांक 04 दिसम्बर 2012 से प्रभावशील किया गया है। इस योजना अन्तर्गत छत्तीसगढ़ के निवासी वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्ति) को उनके जीवनकाल में एक बार, प्रदेश के बाहर स्थित विभिन्न नामनिर्दिष्ट तीर्थ स्थानों में से किसी एक या एक से अधिक स्थानों की निःशुल्क यात्रा शासकीय सहायता से करायी जाती है। योजना अन्तर्गत निःशक्तजनों को भी तीर्थयात्रा योजना में शामिल कर उनके लिए विशेष ट्रेन की व्यवस्था कर यात्रा करायी जा रही है।

16.3.3 तृतीय लिंग के व्यक्तियों के लिए कल्याणार्थ कार्यक्रम/योजना :- तृतीय लिंग के व्यक्तियों के सामाजिक एवं आर्थिक पुनर्वास तथा उनके कौशल उन्नयन हेतु विभाग द्वारा कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

16.3.4 वरिष्ठ नागरिक सहायक उपकरण प्रदाय योजना :- 60 वर्ष से अधिक आयु के गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले वृद्ध/निराश्रित वृद्ध/वृद्धाश्रम में निवासरत वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धावस्था में होने वाली समस्या के निराकरण हेतु उनकी आवश्यकता के अनुरूप सहायक उपकरण, चिकित्सीय देखभाल की सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए वरिष्ठ नागरिक सहायक उपकरण प्रदाय योजना प्रारंभ की जा रही है। वरिष्ठ नागरिकों को चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा दिए गए परामर्श अनुसार अधिकतम रूपये 6900/– तक के डायबिटिक शू, नी–स्पिलिन्ट, स्पिलिन्ट (विभिन्न प्रकार के), ब्रेसेस (विभिन्न प्रकार के), कॉलर, वाकर, बैशाखी, छड़ी, व्हील चेयर, चश्मा, श्रवण यंत्र, डेन्चर एवं अन्य उपकरण चिकित्सक के परामर्श अनुसार एक या एक से अधिक सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। योजना वित्तीय वर्ष 2016–17 से प्रारंभ की गई है।

तालिका 16.3 समाज रक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत संचालित योजनाओं की प्रगति

योजना	2016–17		2017–18 सित. की स्थिति में	
	वित्तीय उपलब्धि लाख	भौतिक उपलब्धि/हितग्राही (संख्या)	वित्तीय उपलब्धि लाख	भौतिक उपलब्धि/हितग्राही (संख्या)
वरिष्ठ नागरिकों के लिए कार्यक्रम	196.17	862	38.47	862
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना	3668.40	34729	1782.10	17233
तृतीय लिंग के व्यक्तियों के लिए कल्याणार्थ कार्यक्रम/योजना	31.56	-	1.82	-

16.4 आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास

16.4.1विशिष्ट संस्थाऐं :-

राज्य में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास विभाग द्वारा प्राथमिक स्तर से उच्चतर माध्यमिक स्तर की शालायें संचालित की जा रही है। विभाग द्वारा 06 आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, 14 कन्या शिक्षा परिसर, 01 गुरूकुल विद्यालय, 13 आदर्श एकलब्य आवासीय विद्यालय,एवं 14 खेल परिसर संचालित है।

16.4.2 जवाहर उत्कर्ष मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदाय करने की योजना :-

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के प्रतिभावान छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने एवं नये सोच के साथ नये केरियर चयन का अवसर प्रदान के उद्देश्य से योजना संचालित है, योजना अंर्तगत प्रतिवर्श कक्षा 6 वीं के अनुसूचित जाति वर्ग के 50 तथा अनुसूचित जन जाति वर्ग के कक्षा 6 वीं के 100 विघार्थियों तथा कक्षा 9 वीं के अनुसूचित जाति वर्ग के 20 तथा अनुसूचित जन जाति वर्ग 30 विधार्थियों इस प्रकार दोनो वर्गो हेतु कुल 200 विधार्थियों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है।

16.4 जवाहर उत्कर्ष मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदाय करने

वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धियॉ (राशि लाखों में)
2016–17 (अप्रैल 2016 से सितम्बर 2017 तक)	अनुसूचित जाति	–	–
	अनुसूचित जनजाति	–	–
2016–17 (अप्रैल 2016 से मार्च 2017)	अनुसूचित जाति	320	267.94
	अनुसूचित जनजाति	719	646.80
2017–18 (अप्रैल 2017 से सितम्बर 2017)	अनुसूचित जाति	–	–
	अनुसूचित जनजाति	–	–

वित्तीय वर्ष 2016–17 के अप्रैल 2016 से सितम्बर 2016 तथा अप्रैल 2016 से मार्च 2017 तक एवं 2017–18 में माह सितम्बर 17 तक वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि तालिका क्र. 16.4 में दर्शित है।

16.4.3 विज्ञान एवं वाणिज्य प्रोत्साहन योजना :- नक्सल हिंसा से प्रभावित प्रदेश के जिलो में अनुसूचित जाति एवं जनजाति जो कि विज्ञान एवं वाणिज्य विषय के पद रिक्त रह जाते है क्योंकि इस वर्ग के विद्यार्थियों की सूची विज्ञान एवं वाणिज्य विषय में कम है। अतः इन वर्ग के विद्याथियो को विज्ञान एवं वाणिज्य के विशय में अध्यापन को प्रोत्साहन करने हेतु संस्था दुर्ग एवं जगदलपुर में 500–500 सीटर विज्ञान एवं वाणिज्य विशय केन्द्र स्थापित किया गया है। इन विशयों की पूर्ति हेतु वर्श 2014–15 में प्रारम्भ की गई है। इसके अन्तर्गत स्नातक स्तर पर गठित हेतु वाणिज्य हेतु बीएड हेतु कुल 200 सीट स्वीकृत है। इस योजनान्तर्गत चयनित विद्यार्थियो जिन्होने स्नातक/स्नातकोत्तर शिक्षा विज्ञान एवं वाणिज्य विशयो के साथ जारी रखी गई हो। विज्ञान के पदो एवं आयोजित की जाने वाली प्रीबीएड तथा टी.ई.टी. परीक्षा हेतु आपरेटर एवं अध्यापक उपलब्ध कराया जावेगा। उपयोजना अन्तर्गत 500 सीटर बलिकाओ को प्रदाय हेतु दर्ग जिला के मुख्यालय में 2013–14 मे प्रारम्भ की गई है।

तालिका 16.5 विज्ञान एवं वाणिज्य प्रोत्साहन योजना

वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धियॉ (राशि लाखों में)
2016–17 (अप्रैल 2016 से सितम्बर 2017 तक)	अनुसूचित जनजाति	–	–
2016–17 (अप्रैल 2016 से मार्च 2017)	अनुसूचित जनजाति	396	147.25
2017–18 (अप्रैल 2017 से सितम्बर 2017)	अनुसूचित जनजाति	–	–

वित्तीय वर्ष 2016–17 के अप्रैल 2016 से सितम्बर 2016 तथा अप्रैल 2016 से मार्च 2017 तक एवं 2017–18 में माह सितम्बर 17 तक वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि तालिका क्र. 16.5 में दर्शित है।

16.4.4 पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियॉ :- कक्षा 12वीं से उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति एवं पिछडा वर्ग के विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। प्रदेश के अनुसूचित जाति/जनजाति तथा पिछडा वर्ग के विद्यार्थियों को उचच शिक्षा के दौरान आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना शासन द्वारा संचालित की जा रही हैं।

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (निर्वाह भत्ता) (अनु0जा0 एवं अ0ज0जा0)

- आय–सीमा– रू. 2.50 लाख तक वार्षिक आय,
- भारत सरकार द्वारा छात्रवृत्ति की दरे दिनांक 01.07.2010 से निम्नानुसार लागू हैं :–

तालिका 16.6 पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (निर्वाह भत्ता) (अनु0जा0 एवं अ0ज0जा0)

समूह	छात्रवृत्ति की दरें (प्रति माह)			
	अनुसूचित जनजाति		अनुसूचित जाति	
	छात्रावासी	दिवा छात्र	**छात्रावासी**	दिवा छात्र
<u>समूह–1–</u> (i)डिग्री तथा स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रम यथा–एम.फिल, पीएच .डी तथा औषधि में पोस्ट डाक्टोरल अनुसंधान (अलोपैथिक, भारतीय तथा अन्य मान्यता प्राप्त औषधि पद्धतियां) इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी, प्लानिंग, कृषि, डिजाईन, फैशन टेक्नालॉजी, पशु– चिकित्सा एवं सम्बद्ध विज्ञान, प्रबंधन, बिजनेस वित्त, बिजनेस प्रशासन तथा कम्प्यूटर अनुप्रयोग/विज्ञान। (ii) वाणिज्यिक पायलेट लाइसेंस (हेलिकाप्टर पायलट तथा मल्टी–इंजिन रेटिंग पाठ्यक्रम (iii) प्रबंधन तथा औषधि में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम (iv) सी.ए./आई.सी.डब्ल्यू.ए./सी.एस./आई.सी.एफ.ए. आदि पाठ्यक्रम (v) एम.फिल., पीएच.डी तथा पोस्ट डाक्टोरल अनुसंधान यथा– डी.लिट, डी.एस.सी. इत्यादि (vi) एल.एल.एम.	1200	550	1200	550
<u>समूह–2–</u> (i) स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तरीय डिग्री पाठ्यक्रम, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र स्तरीय पाठ्यक्रम जैसे– फार्मेसी (बी.फार्मा), नर्सिंग (बी.नर्सिंग), एल.एल.बी., बी.एफ.एस. अन्य पैरा मेडिकल ब्रांच जैसे– रिहायबिलिटेशन, डायगनोस्टिक इत्यादि, होटल प्रंबधन, मॉस कम्यूनिकेशन, ट्रवेल/टूरिज्म/हॉस्पिटायलिटी प्रबंधन, आंतरिक साज– सज्जा, न्यूट्रिशन और डायटेटिक्स, कामर्सियल आर्ट, वि त्तीय सेवाएं जैसे– बैंकिंग, इन्शयोरेन्श इत्यादि जिसके लिए प्रवेश परीक्षा 12 स्तर के हो। (ii) स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रम जो समूह–1 में शामिल न हो जैसे– एम.ए., एम.एस.सी., एम.कॉम, एम.एड इत्यादि	820	530	820	530

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति राज्य शासन की दर (पिछड़ा वर्ग)

- आय–सीमा– रू. 1,00,000/– तक वार्षिक
- वर्तमान में उक्त छात्रवृत्ति राज्य आयोजना से दी जा रही है। छात्रवृत्ति की दरें निम्नानुसार हैं :–

समूह–3– स्नातक स्तरीय अन्य डिग्री पाठ्यक्रम (जो समूह–1 तथा 2 द्वारा शामिल नहीं किए गए हैं) जैसे– बी .ए., बी.एस.सी. ,बी.कॉम.,बी.एड इत्यादि	570	300	570	300
समूह –4 – सभी पोस्ट मैट्रिकुलेशन स्तरीय नॉन डिग्री पाठ्यक्रम जिसके लिए प्रवेश परीक्षा हाईस्कूल स्तरीय हो। आई टी आई पाठ्यक्रम, त्रिवषीय पॉलिटेक्निक डिप्लोमा पाठ्यक्रम	380	230	380	230

16.7 पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति राज्य शासन की दर (पिछड़ा वर्ग)

समूह	छात्रवृत्ति की दरें (माहवार रूपये)				
	अध्ययन का वर्ष	छात्रावासी		गैर छात्रावासी	
		छात्र	**छात्रा**	छात्र	छात्रा
1 –मेडिकल तथा इंजीनियरिंग	प्रथम वर्ष	210	220	100	100
	द्वितीय वर्ष	210	255	100	115
बी.व्ही.एस.सी. तथा बी.एस.सी. (कृषि)	प्रथम वर्ष	185	195	100	110
	द्वितीय वर्ष	185	200	100	115
2 – डिप्लोमा कोर्सेस, मेडिकल टेक्नालॉजी तथा पोस्ट ग्रेजुएट साइंस	प्रथम वर्ष	130	135	100	110
	द्वितीय वर्ष	130	135	100	110
3 – सर्टीफिकेट कोर्सेस इंजीनियरिंग, मेडिकल टेक्नालॉजी तथा पोस्ट ग्रेजुएट, आर्ट एवं कामर्स	प्रथम वर्ष	125	135	100	110
4 – सर्टिफिकेट कोर्सेस अप टू ग्रेजुएट लेवल व बाद के वर्ष	प्रथम वर्ष	100	110	55	70
	द्वितीय वर्ष	115	130	70	85
5 – कक्षा – 11 वीं		100	110	50	60
कक्षा – 12 वीं		100	110	55	70

वित्तीय वर्ष 2016–17 के अप्रैल 2016 से सितम्बर 2016 तथा अप्रैल 2016 से मार्च 2017 तक एवं 2017–18 में माह सितम्बर 17 तक वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि निम्नानुसार है:–

तालिका 16.8 छात्रवृत्ति वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि

वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धियॉ (राशि लाखों में)
2016–17 (अप्रैल 2016 से सितम्बर 2017 तक)	अनुसूचित जाति	स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन थी	
	अनुसूचित जनजाति	स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन थी	
	पिछड़ा वर्ग	स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन थी	
2016–17 (अप्रैल 2016 से मार्च 2017)	अनुसूचित जाति	42376	3693.57
	अनुसूचित जनजाति	49324	3889.49
	पिछड़ा वर्ग	121372	7985.30
2017–18 (अप्रैल 2017 से सितम्बर 2017 की स्थिति में)	अनुसूचित जाति	01 दिसम्बर 2017 से पोर्टल स्वीकृति हेतु खोला जा रहा है	
	अनुसूचित जनजाति	01 दिसम्बर 2017 से पोर्टल स्वीकृति हेतु खोला जा रहा है	
	पिछड़ा वर्ग	01 दिसम्बर 2017 से पोर्टल स्वीकृति हेतु खोला जा रहा है	

16.4.5 छात्रावास :- अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को अच्छे परिवेश की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश में इन वर्गो के लिए छात्रावास संचालित किये जा रहे है, बालक एवं बालिकाओं के लिए पृथक–पृथक छात्रावास संचालित हैं, इन छात्रावासों में छात्र–छात्राओं के लिए निःशुल्क आवास, भोजन, बिजली, पानी, पलंग, विस्तर, पुस्तकें एवं समाचार पत्र आदि उपलब्ध कराया जाता है। प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों के लिए 1629 प्री.मैट्रिक, पिछडा वर्ग के 8 प्री मैट्रिक एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के 391 पोस्ट मैट्रिक तथा पिछडा वर्ग के 19 पोस्ट मैट्रिक छात्रावास संचालित हैं। प्री.मैट्रिक छात्रावास में प्रवेशित विद्यार्थियों को 10 माह 15 दिवस के लिए शिष्यवृत्ति प्राप्त करने की पात्रता है। वित्तीय वर्ष 2016–17 के अप्रैल 2016 से सितम्बर 2016 तथा अप्रैल 2016 से मार्च 2017 तक एवं 2017–18 में माह सितम्बर 17 तक वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि तालिका क्र. 16.9 में दर्शित है।

तालिका 16.9 छात्रावास योजना भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि

वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाखों में)
2016–17 (अप्रैल 2016 से सितम्बर 2016 तक)	अनुसूचित जाति	1419	694.03
	अनुसूचित जनजाति	59003	2514.05
	पिछड़ा वर्ग	377	14.80
2016–17 (अप्रैल 2016 से मार्च 2017)	अनुसूचित जाति	14459	1322.54
	अनुसूचित जनजाति	61427	5448.98
	पिछड़ा वर्ग	400	37.00
2017–18 (अप्रैल 2017 से सितम्बर 2017)	अनुसूचित जाति	14475	702.40
	अनुसूचित जनजाति	63246	2940.64
	पिछड़ा वर्ग	436	2163

तालिका 16.10 स्वास्थ तन-स्वस्थ मन योजना उपलब्धि

वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धियॉ (राशि लाखों में)
2016–17 (अप्रैल 2016 से सितम्बर 2016 तक)	अनुसूचित जाति	445	22.00
	अनुसूचित जनजाति	77448	65.00
2016–17 (अप्रैल 2016 से मार्च 2017)	अनुसूचित जाति	4500	28.69
	अनुसूचित जनजाति	80100	117.00
2017–18 (अप्रैल 2017 से सितम्बर 2017)	अनुसूचित जाति	4250	22.00
	अनुसूचित जनजाति	78550	61.20

तालिका क्र. 16.11 आश्रम शाला योजना

वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धियॉ (राशि लाखों में)
2016–17 (अप्रैल 2016 से सितम्बर 2016 तक)	अनुसूचित जाति	3044	142.58
	अनुसूचित जनजाति	73822	3523.44
2016–17 (अप्रैल 2016 से मार्च 2017)	अनुसूचित जाति	3044	274.70
	अनुसूचित जनजाति	73823	6588.61
2017–18 (अप्रैल 2017 से सितम्बर 2017)	अनुसूचित जाति	3150	150.68
	अनुसूचित जनजाति	74570	3654.19

छात्रावास योजना के अंर्तगत स्वस्थ तन स्वस्थ मन (स्वास्थ्य शिक्षा) अंतर्गत विभाग कें छात्रावासों तथा आश्रमों में निवासरत छात्र– छात्राओं के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण हेतु यह योजना वर्ष 2007–08 में लागू है, इसके अंतर्गत अर्द्धशासकीय निजी चिकित्सको द्वारा माह में 02 बार विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2016–17 के अप्रैल 2016 से सितम्बर 2016 तथा अप्रैल 2016 से मार्च 2017 तक एवं 2017–18 में माह सितम्बर 17 तक

तालिका क्र 16.12 खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत खाद्यान्न उपलब्धता की

वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाखों में)
2016–17 (अप्रैल 2016 से सितम्बर 2017 तक)	अनुसूचित जाति	25241	160.79
	अनुसूचित जनजाति	189783	1134.27
	पिछड़ा वर्ग	1450	2.99
2016–17 (अप्रैल 2016 से मार्च 2017)	अनुसूचित जाति	25241	249.00
	अनुसूचित जनजाति	189783	1749.00
	पिछड़ा वर्ग	1450	6.00
2017–18 (अप्रैल 2017 से सितम्बर 2017)	अनुसूचित जाति	25757	161.00
	अनुसूचित जनजाति	179197	18.00
	पिछड़ा वर्ग	1450	3.77

वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि तालिका क्र. 16.10 में दर्शित है।

16.4.6 आश्रम शाला योजना :- प्रदेश में वनॉचल एवं दूरस्थ क्षेत्रों में जहॉ शैक्षणिक सुविधा नहीं है ऐसे स्थानों में आश्रम शाला योजना की व्यवस्था की जाती हे। इन आश्रमों में कक्षा पहली से कक्षा 8वीं तक की कक्षाऐं चलाई जाती है, इन आश्रमों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा के साथ–साथ आवास एवं भोजन की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए 51 एवं अनुसूचित जनजाति के लिए .1175 आश्रम शालाऍ संचालित हैं। वित्तीय वर्ष 2016–17 के अप्रैल 2016 से सितम्बर 2016 तथा अप्रैल 2016 से मार्च 2017 तक एवं 2017–18 में माह सितम्बर 17 तक वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि तालिका क्र. 16.11 में दर्शित है।

16.4.7 खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत छात्रावासियों छात्रो को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाना :– खाघान्न सुरक्षा योजना अधिनियम 2012 के अंर्तगत विभाग द्वारा संचालित छात्रावास/आश्रम के साथ–साथ शासकीय अनुदान प्राप्त छात्रावास/आश्रमों में तथा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त एवं विभाग द्वारा संचालित निजी छात्रावास/आश्रमों में निवासरत विद्यार्थियों को रियायती दर पर खाघान्न प्रदान करने हेतु योजना संचालित है। वित्तीय वर्ष 2016–17 के अप्रैल 2016 से सितम्बर 2016 तथा अप्रैल 2016 से मार्च 2017 तक एवं 2017–18 में माह सितम्बर 17 तक वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि तालिका क्र. 16.12 में दर्शित है।

16.4.8 विशेष कोचिंग केन्द्र योजना :- विशेष कोचिंग के अंतर्गत दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रो में कठिन विशयों के शिक्षको का अभाव बना रहता है जिसके कारण छात्रावास/आश्रमों में निवासरत विद्यार्थियों को कठिन विशयों में कमजोर रह जात है फलस्वरूप परीक्षा परिणाम अपेक्षित स्तर पर कमी रहता है। इस योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के छात्रावास/ आश्रमों में रहने वाले विद्यार्थियों को निदानात्मक एवं विशेष शिक्षण के माध्यम से कठिन विषयों जैसे–गणित/विज्ञान/वाणिज्य जैसे विशयों में गुणात्मक सुधार के लिए प्रयास किया जाता है। उक्त योजना का क्रियान्वयन माह नवंबर, दिसम्बर एवं जनवरी में किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2016–17 के अप्रैल 2016 से सितम्बर 2016 तथा अप्रैल 2016 से मार्च 2017 तक एवं 2017–18 में माह सितम्बर 17 तक वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि तालिका क्र. 16.13 में दर्शित है।

16.4.9 छात्र भोजन सहाय योजना :- पोस्ट मेटिक छात्रावासी विधार्थियो बढते उमर के अनुरूप संतुलन शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु अतिरिक्त पोशण की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए छात्र भोजन सहाय योजना वर्श 2005–06 से प्रारंभ की गई है, इसके अंर्तगत विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति एवं पिछडा वर्ग एवं अन्य पिछडा वर्ग विधार्थियो को भोजन सहाय हेतु प्रति छात्र प्रति माह राशि रूपये 500/– की दर से उपलब्ध

तालिका 16.13 विशेष कोचिंग केन्द्र योजना प्रगति (राशि लाखों में)

वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि
2016–17 (अप्रैल 2016 से सितम्बर 2017)	अनुसूचित जाति	–	20.00
	अनुसूचित जनजाति	–	70.00
2016–17 (अप्रैल 2016 से मार्च 2017)	अनुसूचित जाति	5350	50.00
	अनुसूचित जनजाति	28850	175.00
2017–18 (अप्रैल 2017 से सितम्बर 2017)	अनुसूचित जाति	–	32.50
	अनुसूचित जनजाति	–	89.00

कराई जाती है। वित्तीय वर्ष 2016–17 के अप्रैल 2016 से सितम्बर 2016 तथा अप्रैल 2016 से मार्च 2017 तक एवं 2017–18 में माह सितम्बर 17 तक वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि तालिका क्र. 16.14 में दर्शित है।

तालिका 16.14 छात्र भोजन सहाय योजना प्रगति

वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाखों में)
2016–17 (अप्रैल 2016 से सितम्बर 2017 तक)	अनुसूचित जाति	4336	86.72
	अनुसूचित जनजाति	12923	258.46
	पिछड़ा वर्ग	618	12.36
2016–17 (अप्रैल 2016 से मार्च 2017)	अनुसूचित जाति	4640	244.27
	अनुसूचित जनजाति	14615	779.76
	पिछड़ा वर्ग	854	42.68
2017–18 (अप्रैल 2017 से सितम्बर 2017)	अनुसूचित जाति	4851	112.80
	अनुसूचित जनजाति	16369	360.00
	पिछड़ा वर्ग	860	22.00

16.4.10 व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना:-

16.4.10.1 नर्सिंग प्रशिक्षण योजना :- यह योजना वर्ष 2009–10 से प्रारम्भ की गई है। योजनान्तर्गत प्रतिवर्ष अनुसूचित जाति के 155 तथा अनुसूचित जनजाति के 245 इस प्रकार कुल 400 विद्यार्थियों को नर्सिंग पाठयक्रम में निःशुल्क अध्ययन की सुविधा दिये जाने का लक्ष्य है। वित्तीय वर्ष 2016–17 के अप्रैल 2016 से सितम्बर 2016 तथा अप्रैल 2016 से मार्च 2017 तक एवं 2017–18 में माह सितम्बर 17 तक वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि तालिका क्र. 16.15 में दर्शित है।

तालिका 16.15 नर्सिंग प्रशिक्षण योजना प्रगति

वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाखों में)
2016–17 (अप्रैल 2016 से सितम्बर 2017 तक)	अनुसूचित जाति	–	–
	अनुसूचित जनजाति	–	–
2016–17 (अप्रैल 2016 से मार्च 2017)	अनुसूचित जाति	300	307.50
	अनुसूचित जनजाति	497	456.00
2017–18 (अप्रैल 2017 से सितम्बर 2017)	अनुसूचित जाति	–	–
	अनुसूचित जनजाति	–	–

16.4.10.2 हास्पिटलिटी एवं होटल मैनेजमेन्ट योजना :- राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र/छात्राओं को एअर हॉस्टेज, एविएशन हॉस्पिटालिटी एवं होटल मैनेंजमेंट डिप्लोमा का प्रशिक्षण योजना वर्ष 2006–07 से आरम्भ की गई है। वर्ष 2013–14 में योजना में संशोधन किया गया जिसके तहत हॉस्पिटालिटी एवं होटल मैनेंजमेंट में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह योजना वर्ष 2006–07 से आरम्भ की गई है। वित्तीय वर्ष 2016–17 के अप्रैल 2016 से सितम्बर 2016 तथा अप्रैल 2016 से मार्च 2017 तक एवं 2017–18 में माह सितम्बर 17 तक वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि तालिका क्र. 16.16 में दर्शित है।

तालिका 16.16 हास्पिटलिटी एवं होटल मैनेजमेन्ट योजना प्रगति

वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाखों में)
2016–17 (अप्रैल 2016 से सितम्बर 2017 तक)	अनुसूचित जाति	–	–
	अनुसूचित जनजाति	–	–
2016–17 (अप्रैल 2016 से मार्च 2017)	अनुसूचित जाति	49	26.61
	अनुसूचित जनजाति	50	26.79
2017–18 (अप्रैल 2017 से सितम्बर 2017)	अनुसूचित जाति	–	–
	अनुसूचित जनजाति	–	–

16.4.10.3 निःशुल्क वाहन चालक प्रशिक्षण योजना :- इस योजनान्तर्गत

तालिका क्र. 16.17 निःशुल्क वाहन चालक प्रशिक्षण योजना की प्रगति

वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाखों में)
2016–17 (अप्रैल 2016 से सितम्बर 2017 तक)	अनुसूचित जाति	–	–
	अनुसूचित जनजाति	–	–
2016–17 (अप्रैल 2016 से मार्च 2017)	अनुसूचित जाति	33	4.95
	अनुसूचित जनजाति	33	4.95
2017–18 (अप्रैल 2017 से सितम्बर 2017)	अनुसूचित जाति	–	–
	अनुसूचित जनजाति	–	–

अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के कक्षा 8वीं उत्तीर्ण गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को वाहन चालक का प्रशिक्षण दिलाकर रोजगार उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2008–09 से योजना लागू की गई है। वित्तीय वर्ष 2016–17 के अप्रैल 2016 से सितम्बर 2016 तथा अप्रैल 2016 से मार्च 2017 तक एवं 2017–18 में माह सितम्बर 17 तक वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि तालिका क्र. 16.17 में दर्शित है।

तालिका 16.18 रविदास चर्म शिल्प योजना प्रगति

वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाखों में)
2016–17 (अप्रैल 2016 से सितम्बर 2017 तक)	अनुसूचितजाति	–	–
2016–17 (अप्रैल 2016 से मार्च 2017)	अनुसूचित जाति	375	30.00
2017–18 (अप्रैल 2017 से सितम्बर 2017)	अनुसूचित जाति	–	–

16.4.11 रविदास चर्म शिल्प योजना :- प्रदेश में चर्म सिलाई के व्यवसाय में लगे लोगों के वित्तीय यहायता प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2008–09 में रविदास चर्मशिल्प योजना प्रारम्भ की गई है। इसके तहत अनुसूचित जाति के हितग्राहियों को मोची पेटी औजार सहित निःशुल्क प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2016–17 के अप्रैल 2016 से सितम्बर 2016 तथा अप्रैल 2016 से मार्च 2017 तक एवं 2017–18 में माह सितम्बर 17 तक वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि तालिका क्र. 16.18 में दर्शित है।

16.4.12 आदिवासी सस्कृति का परीक्षण एवं विकास :- वर्ष 2015–16 से आदिवासी संस्कृतियां का परीक्षण एवं विकास योजनान्तर्गत निम्नालिखित योजना संचालित है :–

- आदिवासी संस्कृति का परीक्षण एवं विकास योजनान्तर्गत आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में आदिवासियों की पूजा एवं श्रद्धा स्थलों (देवगुडी) के निर्माण एवं मरम्मत हेतु वर्ष 2006–07 से योजना संचालित है। योजनान्तर्गत प्रति देवगुडी मरम्मत/निर्माण हेतु राशि 50000 दिया जाता है।
- आदिवासी संस्कृति का परीक्षण एवं विकास योजनान्तर्गत आदिवासियों के सांस्कृतिक वाद्ययंत्र खरीदने हेतु अनुदान स्वरूप प्रतिदल रू. 10000 दिये जाने का प्रावधान है।
- शहीद वीर नारायण सिंह लोक कला महोत्सव– शहीद वीर नारायण सिंह की स्मृति में उनके शहादत दिवस 10 दिसम्बर को शहीद वीर नारायण सिंह लोक कला महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष उनके जन्म स्थान सोनाखान जिला–बालौदाबाजार में किया जाता है। इसके अंतर्गत आदिवासियों की लोकनृत्य प्रतियोगिता राज्य स्तर पर आयोजित की जाती है। प्रतियोगिता में सम्मिलत आदिवासी लोक कला दल को प्रथम पुरस्कार राशि रू. 1.00 लाख, द्वितीय पुरस्कार राशि रू. 0.50 लाख तथा तृतीय पुरस्कार राशि रू. 0.25 लाख दिया जाता है। उपर्युक्त महोत्सव का उद्देश्य शहीद वीर नारायण सिंह की शहादत चीर विस्मरणीय बनाना एवं आदिवासी लोक कला एवं संस्कृति को प्रोत्साहित करना।
- शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान पुरस्कार–छ0ग0 राज्य में आदिवासी सामाजिक चेतना जागृत करने तथा उनके उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति को पुरस्कृत किया जाता है।

- स्व. डॉ भंवरसिंह पोर्ते स्मृति आदिवासी सेवा सम्मान पुरस्कार–छ0ग0 राज्य में आदिवासियों की सेवा करने और उनके उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसी 01 संस्था को सम्मनित कर प्रोत्साहित किया जाता है। पुरस्कार राशि रू. 2.00 लाख एवं प्रशस्ति पत्र राज्योत्सव पर प्रत्येक वर्ष दिया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2014–15 के अप्रैल 2014 से सितम्बर 2014 तथा अप्रैल 2014 से मार्च 2015 तक एवं 2015–16 में माह सितम्बर तक वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि तालिका क्रमांक 16.19 में दर्शित है।

तालिका 16.19 आदिवासी संस्कृति का परीक्षण एवं विकास (राशि लाखों में)

वर्ष	योजना का नाम	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि
2016–17 (अप्रैल 2016 से सितम्बर 2016 तक)	1. देवगुडी मरम्मत/निर्माण	–	–
	2. आदिवासी लोककला दलो को सहायता	–	–
	3. शहीद वीरनारायण सिंह लोककला महोत्सव	–	–
	4. शहीद वीरनारायण सिंह लोककला महोत्सव/डॉ भंवरसिंह पोर्ते पुरस्कार	–	–
2016–17 (अप्रैल 2016 से मार्च 2017)	1. देवगुडी मरम्मत/निर्माण	630	300.00
	2. आदिवासी लोककला दलो को सहायता	730	73.00
	3. शहीद वीरनारायण सिंह लोककला महोत्सव	3	18.00
	4. शहीद वीरनारायण सिंह लोककला महोत्सव/डॉ भंवरसिंह पोर्ते पुरस्कार	2	4.50
2017–18 (अप्रैल 2017 से सितम्बर 2017)	1. देवगुडी मरम्मत/निर्माण	–	–
	2. आदिवासी लोककला दलो को सहायता	–	–
	3. शहीद वीरनारायण सिंह लोककला महोत्सव	–	–
	4. शहीद वीरनारायण सिंह लोककला महोत्सव/डॉ भंवरसिंह पोर्ते पुरस्कार	–	–

16.4.13 अनुसूचित जाति लोक कला संस्कृति एवं परीक्षण :– वर्ष 2015–16 से आदिवासी संस्कृतियां का परीक्षण एवं विकास योजनान्तर्गत निम्नालिखित योजना संचालित है :–

तालिका 16.20 अनुसूचित जाति लोक कला संस्कृति एवं परीक्षण (राशि लाखों में)

वर्ष	योजना का नाम	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि
2016–17 (अप्रैल 2016 से सितम्बर 2017 तक)	1. गुरू घासी दास सम्मान पुरस्कार	–	–
	2. अनुसूचित जाति लोककला महोत्सव	–	–
2016–17 (अप्रैल 2016 से मार्च 2017)	1. गुरू घासी दास सम्मान पुरस्कार	1	2.25
	2. अनुसूचित जाति लोककला महोत्सव	3	28.15
2017–18 (अप्रैल 2017 से सितम्बर 2017)	1. गुरू घासी दास सम्मान पुरस्कार	–	–
	2. अनुसूचित जाति लोककला महोत्सव	–	–

- गुरू घासी दास सामाजिक चेतना एवं अनुसूचित जाति उत्थान सम्मान पुरस्कार :– छ.ग. राज्य में सामाजिक चेतना जागृत करने तथा अनुसूचित जाति वर्गो के उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य्र करनें वाले व्यक्ति एवं स्वेच्छिक संस्थाओ को पुरस्कृत कर प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश के महान संत गुरूघासीदास की स्मृति में सम्मानित कर प्रोत्साहित किया जाता है। पुरस्कार की राशि रू. 2.00 लाख एव प्रशस्ति पत्र राज्योत्सव पर प्रत्येक वर्ष दिया जाता है।

16.4.14 अशासकीय संस्थाओं को अनुदान :- अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं को अनुसूचित जाति/जनजाति के स्वास्थ्य के लिए कार्य करने वाली अशासकीय संस्थाओं को विभागीय अशासकीय संस्था अनुदान अनुसार शाला, छात्रावास, बालवाडी, औषधालय आदि के लिए अनुदान देने का प्रावधान है।

16.4.15 बस्तर एवं सरगुजा तथा अनुसूचितजाति विकास प्राधिकरण :- छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आदिवाासी अंचलों के त्वरित तथा सर्वागीण विकास के उद्देश्य की पूर्ति हेतु उच्च स्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण तथा सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकारणों का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त कांकेर जिला मुख्यालय पर क्रीडा प्रयास आवासीय विद्यालय संचालित है।

16.4.16 सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना :- अनुसूचित जाति/जनजाति के के अभ्यार्थियों को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु रूपये 1.00 लाख प्रदान की जाती है। इसी प्रकार इन वर्गो के अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने पर रूपये 0.10 लाख एवं मुख्य परीक्षा में सफल होने पर 0.20 लाख प्रदान की जाती है। यह योजना वर्श 2010–11 से प्रारंभ की गई है। वर्श 2014–13 में इस योजनान्तर्गत 16 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए रू.14.00 लाख का प्रावधान रखा गया है। वर्ष 2013–14 के लिए इस योजनान्तर्गत रूपये 14.00 लाख का प्रावधान रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2016–17 के अप्रैल 2016 से सितम्बर 2016 तथा अप्रैल 2016 से मार्च 2017 तक एवं 2017–18 में माह सितम्बर तक वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि तालिका क्र. 16.21 में दर्शित है।

तालिका 16.21 सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना प्रगति

वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाखों में)
2016–17 (अप्रैल 2016 से सितम्बर 2016 तक)	अनुसूचित जाति	–	–
	अनुसूचित जनजाति	–	–
2016–17 (अप्रैल 2016 से मार्च 2017)	अनुसूचित जाति	81	9.70
	अनुसूचित जनजाति	137	13.20
2017–18 (अप्रैल 2017 से सितम्बर 2018 की स्थिति में)	अनुसूचित जाति	–	–
	अनुसूचित जनजाति	–	–

16.4.17 युवा कैरियर निर्माण योजना :- वर्ष 2006 में युवा केरियर निर्माण योजना के नाम से प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रशिक्षण का कार्य प्रतिष्ठित निजी कोचिंग संस्थाओं को वनज`वनतबपदह करके देने का निर्णय लिया गया था। यह योजना परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र रायपुर, बिलासपुर,तथा जगदलपुर में संचालित की जा रही है संध एवं राज्य लोकसेवा आयोग तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के साथ ही वर्ष 2011 में योजना का विस्तार करते हुए बैकिंग, रेल्वे भर्ती बोर्ड, कर्मचारी चयन आयोग इत्यादि

तालिका 16.22 युवा कैरियर निर्माण योजना प्रगति

वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाखों में)
2016–17 (अप्रैल 2016 से सितम्बर 2016 तक)	अनुसूचित जाति	–	–
	अनुसूचित जनजाति	–	–
2016–17 (अप्रैल 2016 से मार्च 2017)	अनुसूचित जाति	130	107.28
	अनुसूचित जनजाति	215	436.08
2017–18 (अप्रैल 2017 से सितम्बर 2017)	अनुसूचित जाति	36	24.60
	अनुसूचित जनजाति	42	129.60

परीक्षाओं की कोचिंग का कार्य को भी योजना में समाहित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2016–17 के अप्रैल 2016 से सितम्बर 2016 तथा अप्रैल 2016 से मार्च 2017 तक एवं 2017–18 में माह सितम्बर तक वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि तालिका क्र. 16.22 में दर्शित है।

16.4.18 मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना :- नक्सल प्रभावित क्षेत्रो के लिए मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना क्रियान्वित की जा रही है। यह योजना वर्ष 2010 में प्रारम्भ की गई है।

- **आस्था** :- नक्सल हिसा से प्रभावित बच्चो के लिए अध्ययन कार्य किया जाता है।
- सहयोगः– इस योजना अंतर्गत 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान की जाती है। उक्त योजना संचालित वर्तमान में दंतेवाडा मुख्यायल योजना सम्मिलित है।
- **निष्ठा** :- इसके तहत पीडित परिवारो के लिए कक्षा 01 से 12वी के विद्यार्थियों को निष्ठा जिले के निजी शालाओं में अध्ययनरत हैं।

तालिका 16.23 मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना

वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाखों में)
2016–17 (अप्रैल 2016 से सितम्बर 2016 तक)	अनुसूचित जनजाति	2071	312.70
2016–17 (अप्रैल 2016 से मार्च 2017)	अनुसूचित जन जाति	2071	823.99
2017–18 (अप्रैल 2017 से सितम्बर 2017)	अनुसूचित जनताति	2376	518.00

- **प्रयास** :- नक्सल प्रभवित जिले के 1वीह उत्तीर्ण मेधावी छात्रो को कक्षा 11वी 12वी के अध्ययन के रूप में सत्र आई.टी.आई./पी.ई.टी./पीएमटी/पीईजी की कोचिंग देने हेतु प्रारम्भ किया गया है। दुर्ग, बिलासपुर, अंम्बिकापुर एवं जगदलपुर में प्रयास आवासीय विद्यालय संचालित हैं।

वित्तीय वर्ष 2016–17 के अप्रैल 2016 से सितम्बर 2016 तथा अप्रैल 2016 से मार्च 2017 तक एवं 2017–18 में माह सितम्बर तक वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि तालिका क्र. 16.23 में दर्शित है।

16.4.19 विशेष केन्द्रीय सहायता आदिवासी उपयोजना :-

16.4.19.1 विशेष केन्द्रीय सहायता से पोषित योजनाएं से स्थानीय विकास कार्यक्रम :- एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं में स्थानीय विकास कार्यक्रम अनुसूचित जनजातियो के सर्वागीण विकासतथा आर्थिक एवं सामाजिक विकास को गति देने के उददेश्य से आदिवासी उपयोजना की अवधारणा स्वीकृत की गई है। प्रदेश में 19 एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाएं, 09 माडा पाकेट एवं 02 लघु अंचल संचालित है तथा विशेष जनजाति प्रकोष्ठ 06, विशेष पिछडी जनजाति विकास प्राधिकरण।

परियोजना के गठन के साथ ही उनको क्रियाशील बनाने के उद्देश्य से

तालिका 16.24 विशेष केन्द्रीय सहायता से पोषित योजनाओं स्थानीय विकास कार्यक्रम

(राशि लाखों में)

वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि
2016–17 (अप्रैल 2016 से सितम्बर 2016)	अनुसूचित जनजाति	0	0.00
2016–17 (अप्रैल 2016 से मार्च 2017)	अनुसूचित जनजाति	1918	11000.98
2017–18 (अप्रैल 2017 से सितम्बर 2017)	अनुसूचित जनजाति	22	5246.81

परियोजना सलाहकार मंडल का गठन किया गया है। परियोजना सलाहकार मण्डल के अनुमोदन पश्चात् ही अनुमोदित योजनाओं का क्रियान्वयन संबंधित विकास विभागों को उपलब्ध कराये गए आबंटन के अनुसार किया जाता है ताकि सामाजिक आर्थिक दृष्टि से सामान्य वर्ग के समतुल्य लाना संभव हो सके।

परियोजनाओं को प्रदत्त आंबटन दो विभागों में विभक्त होता है। प्रथम राजस्व मद एवं द्वितीय पूंजीमद। राजस्व मद के अंतर्गत परिवार मूलक आर्थिक विकास के कार्य लिए जाते है। तथा पूंजीमद अंतर्गत अधोसंरचना विकास एवं मूलभूत सुविधांए उपलब्ध कराने हेतु राशि दी जाती है। केन्द्र शासन के नवीन दिशा निर्देश दिनांक 25/05/2003 के अनुसार परियोजना मद की राशि का 30 प्रतिशत एवं 70 प्रतिशत राशि राजस्व मद में व्यय किया जाता है।

माडा क्षेत्रों में विशेष केन्द्रीय सहायता मद मे प्राप्त राशि से माडा हेतु गठित समिति की सलाह एवं स्वीकृति से विभिन्न विभागों द्वारा जिले के आदिवासी उपयोजना क्षेत्र एवं माडा पाकेट में स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप प्राथमिकता के आधार पर पेयजल सुविधा, पहुॅच मार्गो, पुल–पुलियों एवं रपटो का निर्माण, शिक्षा संस्थाओं में अतिरिक्त कमरो का निर्माण, स्वास्थ्य सेवाऐ तथा चिकित्स आवास गृह का निर्माण कार्य एवं विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण तथा व्यक्तिमूलक तथा परिवारमूलक कराये जाते है तथा इस राशि से परिवारमूलक कार्य भी किये जाते है।

आदिवासी अंचलों में स्थानीय यविकास कार्यक्र विशेष केन्द्रीय सहायता मद मे प्राप्त राशि से माडा हेतु गठित समिति की सलाह एवं स्वीकृति से विभिन्न विभागों द्वारा जिले के आदिवासी उपयोजना क्षेत्र एवं माडा पाकेट में स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप प्राथमिकता के आधार पर पेयजल सुविधा, पहुॅच मार्गो, पुल–पुलियों एवं रपटो का निर्माण, शिक्षा संस्थाओं में अतिरिक्त कमरो का निर्माण, स्वास्थ्य सेवाऐ तथा चिकित्स आवास गृह का निर्माण कार्य एवं विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण तथा व्यक्तिमूलक तथा परिवारमूलक कराये जाते है तथा इस राशि से परिवारमूलक कार्य भी किये जाते हैं।

वित्तीय वर्ष 2016–17 के अप्रैल 2016 से सितम्बर 2017 तथा अप्रैल 2016 से मार्च 2017 तक एवं 2017–18 में माह सितम्बर 2017 तक वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि तालिका क्र. 16.24 में दर्शित है।

16.4.19.2 आदिवासी क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार :- संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत आदिवासी उपयोजना क्षेत्र अंतर्गत अंधोसरचना संबंधी कार्य किये जाते हैं। जैसे– स्टॉपडेम का निर्माण, पुल पुलिया निर्माण, आवासीय शैक्षाणिक संस्थाओं का निर्माण, एकलब्य आदर्श आवासीय भवन निर्माण, शौचालय, स्नानागार निर्माण छात्रावास/आश्रम भवन निर्माण, प्रयास भवन निर्माण आदि कार्य किये जाते है।

16.4.19.3 एकलब्य आवासीय विद्यालय :- राज्य शासन द्वारा संविधान अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत भारत सरकार जनजाति कार्य मंत्रालय प्राप्त राशि के तहत यह योजना संचालित है। अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियो को

तालिका 16.25 एकलब्य आवासीय विद्यालय (राशि लाखों में)

वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि
2016–17 (अप्रैल 2016 से सितम्बर 2016)	अनुसूचित जनजाति	0	0.00
2016–17 (अप्रैल 2016 से मार्च 2017)	अनुसूचित जनजाति	94	9385.93
2017–18 (अप्रैल 2017 से सितम्बर 2017)	अनुसूचित जनजाति	29	6492.90

गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा उपलब्ध कराकर सामान्य जाति के विद्यार्थियों को एकल्य बनाना, उनके प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत कर प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हो इस हेतु एकलब्य आवासी विद्यालय का प्रारम्भ किया गए हैं। वित्तीय वर्ष 2016–17 के अप्रैल 2016 से सितम्बर 2017 तथा अप्रैल 2016 से मार्च 2017 तक एवं 2017–18 में माह सितम्बर 2017 तक वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि तालिका क्र. 16.25 में दर्शित है।

16.4.19.4 पण्डो एवं भुंजिया विकास अभिकरण :– पण्डो एवं भुंजिया विकास अभिकरण द्वारा उन्नत बीज एवं खाद्य प्रदाय, स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन, निःशुल्क दवाई वितरण, पशु पालन, मत्स्य पालन, बाडी विकास, कृशि उपकरण का प्रदाय, स्वरोजगार हेतु सहायता, विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार मूलक प्रशिक्षण कार्यक्रम विकाास, सिंचाई सुविधा से संबंधित योजनाएं ली जाती है। वित्तीय वर्ष 2016–17 के अप्रैल 2016 से सितम्बर 2017 तथा अप्रैल 2016 से मार्च 2017 तक एवं 2017–18 में माह सितम्बर 2017 तक वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि तालिका क्र. 16.26 में दर्शित है।

तालिका 16.26 पण्डो एवं भुंजिया विकास (राशि लाखों में)

वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि
2016–17 (अप्रैल 2016 से सितम्बर 2016)	अनुसूचित जनजाति	07	40.00
2016–17 (अप्रैल 2016 से मार्च 2017)	अनुसूचित जनजाति	17	100.00
2017–18 (अप्रैल 2017 से सितम्बर 2017)	अनुसूचित जनजाति	17	40.00

16.4.19.5 प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना :– केन्द्र प्रवर्तित योजना अंर्तगत 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामो के सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु वर्ष 2015–16 में प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना लागू की गई है। उक्त योजनान्तर्गत छ0ग0 राज्य में जिला बेमेतरा के 30, बलौदाबाजार के 40 एवं जांजगीर–चांपा के 30 ग्रामों का चयन किया गया है। चयनित ग्रामों में अनुसूचित जाति के परिवारों की मूलभूत आवश्यकता यथा–आवास, पेयजल, विद्युत विस्तार, स्वास्थ्य एवं सामाजिक एवं आर्थिक विकास इत्यादि तथा चयनित ग्रामों में आवश्यक अधोसंरचना के संबंध में ग्रामवार फोर लाईन सर्वेक्षण कर डेव्हलपमेन्ट प्लान तैयार किया जाता है। 12वी पंचवर्शीय योजना के अवधि में सेक्टर चिन्हित अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में संतुलन को कम करने एवं इस समुदाय के सदस्यो का बुनियादी सुविधाऐ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गई योजना में केन्द्रीय 75 प्रतिशत और राज्यांश 25 प्रतिशत है। वित्तीय वर्ष 2016–17 के अप्रैल 2016 से सितम्बर 2017 तथा अप्रैल 2016 से मार्च 2017 तक एवं 2017–18 में माह सितम्बर 2017 तक वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि तालिका क्र. 27 में दर्शित है।

तालिका 16.27 प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना प्रगति

वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाखों में)
2016–17 (अप्रैल 2016 से सितम्बर 2016)	अनुसूचित जाति	–	–
2016–17 (अप्रैल 2016 से मार्च 2017)	अनुसूचित जाति	175 ग्राम	7696.00
2017–18 (अप्रैल 2017 से सितम्बर 2017)	अनुसूचित जाति	–	–

16.4.19.6 मल्टी सेक्टर डेवल्पमेंट प्रोग्राम :– अल्पसंख्यक समुदाय के शैक्षाणिक एवं समग्र विकास के लिए ''मल्टी सेक्टर प्रोग्राम'' जशपुर जिले में लागू किये गये है। इस योजना के अतर्गत जशपुर जिले के 05

विकासखंड (जशपुर, मनौदा, दुलदुली, कुनकुरी, एवं काटेकल्याण) को अल्पसंख्यक विकास के रूप में चयनित किया गया है।

इस प्रोग्राम के अंतर्गत शिक्षा के लिए आधारभूत संरचना विकास, स्वास्थ्य, स्वच्छता, आवास, सडक, पेयजल, और अनेक अवसरो उपलब्ध कराने के लिए यह अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2016–17 के अप्रैल 2016 से सितम्बर 2017 तथा अप्रैल 2016 से मार्च 2017 तक एवं 2017–18 में माह सितम्बर 2017 तक वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि तालिका क्र. 16.28 में दर्शित है।

तालिका 16.28 मल्टी सेक्टर डेवल्पमेंट प्रोग्राम

वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाखों में)
2016–17 (अप्रैल 2016 से सितम्बर 2016)	अनुसूचित जाति	–	–
2016–17 (अप्रैल 2016 से मार्च 2017)	अनुसूचित जाति	ऑगनबाड़ी भवन निर्माण, हॉस्टल निर्माण एवं अन्य कार्य	287.90
2017–18 (अप्रैल 2017 से सितम्बर 2017)	अनुसूचित जाति	–	–

16.4.20 विशेष केन्द्रीय सहायता अनुसूचित जाति उपयोजना

16.4.20.1 विशेष केन्द्रीय सहायता से पोषित योजनाएं से स्थानीय विकास कार्यक्रम :- उक्त योजना के तहत अनु.जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राही को कौशल प्रशिक्षण दिया जाकर स्वरोजगार हेतु अन्त्यावसायी वित्त एवं विकास निगम संचालित है। प्रदेश के सभी जिलो में निगम की ईकायईयां संचालित है। अल्पसंख्यक, पिछडा वर्ग के लोगो को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु संचालित है। राज्य के अनुसूचित जाति के बाहुल्य ग्राम जिसकी जनसंख्या अनुसूचित जाति की जनसंख्या 50% से अधिक है। उन ग्रामो में अधोसंरचना कार्य जैसे–सी.सी.रोड निर्माण, पंचरी निर्माण एवं अन्य छोटे कार्य किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2016–17 के अप्रैल 2016 से सितम्बर 2017 तथा अप्रैल 2016 से मार्च 2017 तक एवं 2017–18 में माह सितम्बर 2017 तक वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि निम्नानुसार है :–

तालिका क्र. 16.29 स्थानीय विकास कार्यक्रम प्रगति

वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाखों में)
2016–17 (अप्रैल 2016 से सितम्बर 2016)	अनुसूचित जाति/जनजाति	1654	178.305
2016–17 (अप्रैल 2016 से मार्च 2017 की स्थिति में)	अनुसूचित जाति/जनजाति	3243 हितग्राही/419 कार्य	2236.71
2017–18 (अप्रैल 2017 से सितम्बर 2017)	अनुसूचित जाति/जनजाति	1064 हितग्राही/88 कार्य	687.22

16.4.21 केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनाएं

16.4.21.1 आदिवासी विशेष पिछड़े समूह :- योजनान्तर्गत विशेष पिछडी जनजाति क्षेत्र में अधोसंरचना विकास के साथ–साथ व्यक्तिमूलक/परिवारमूलक एवं रोजगार वृद्धिकारक कराये जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2016–17 के अप्रैल 2016 से सितम्बर 2017 तथा अप्रैल 2016 से मार्च 2017 तक एवं 2017–18 में माह सितम्बर 2017 तक वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि निम्नानुसार है :–

तालिका 16.30 आदिवासी विशेष पिछड़े समूह			
वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धियॉ (राशि लाखों में)
2016–17 (अप्रैल 2016 से सितम्बर 2016)	अनुसूचित जनजाति	0	0.00
2016–17 (अप्रैल 2016 से मार्च 2017)	अनुसूचित जनजाति	22	1498.47
2017–18 (अप्रैल 2017 से सितम्बर 2017)	अनुसूचित जनजाति	0	0.00

16.4.21.2 वन बंधु कल्याण योजना :- वनबंधु कल्याण योजनान्तर्गत आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के सर्वागीण विकास हेतु आर्थिक स्वालम्बन सुदृढता, साक्षरता विकास दर में वृद्धि, कृषि के क्षेत्र में विकास एवं आर्थिक उन्नति, कौशल आधरित प्रशिक्षण द्वारा रोजगार के अवसर में वृद्धि, सामाजिक आर्थिक विकास, युवा एवं महिला सशक्तीकरण, अंधोसंरचना विकास की मुख्य धारा में जुड़ाव आदि कार्य किये जाते है। वित्तीय वर्ष 2016–17 के अप्रैल 2016 से सितम्बर 2017 तथा अप्रैल 2016 से मार्च 2017 तक एवं 2017–18 में माह सितम्बर 2017 तक वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि निम्नानुसार है :–

तालिका 16.31 वन बंधु कल्याण योजना प्रगति			
वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धियॉ (राशि लाखों में)
2016–17 (अप्रैल 2016 से सितम्बर 2016)	अनुसूचित जनजाति	6	970.00
2016–17 (अप्रैल 2016 से मार्च 2017)	अनुसूचित जनजाति	6	1572.50
2017–18 (अप्रैल 2017 से सितम्बर 2017)	अनुसूचित जनजाति	6	0.00

16.5 छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल

- राज्य में आने वाले पर्यटकों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। वर्ष 2008 में पर्यटकों की संख्या 4,44,224 तथा वर्ष 2017 में 5,25,855 रही है। वर्ष 2013 में घरेलु पर्यटकों की संख्या की दृष्टि से छत्तीसगढ़, देश के प्रथम 10 राज्यों में शामिल हुआ था।
- सेंचुरी एशिया के माध्यम से वर्ष 2017 में उच्च स्तरीय कॉफी टेबल बुक ''वाईल्ड छत्तीसगढ़'' तैयार कराई गई।
- छततीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा पण्डरापाठ जिला जशपुर में राशि रू. 426.65 लाख की लागत से रिसार्ट का निर्माण, राजमेरगढ़, जिला बिलासपुर में राशि रू. 214.31 लाख की लागत से रिसार्ट का निर्माण कार्य कराया जा रहा है।
- छततीसगढ़ राज्य के संरक्षित पुरातात्विक स्थलों में से 06 स्थलों क्रमशः सिद्धेश्वर मंदिर (पलारी), चितावरी देवी मंदिर (सिमगा), जगन्नाथ मंदिर (खल्लारी), कर्णेश्वर मंदिर समूह (सहावा), प्राचीन शिव मंदिर (धमधा), शैलाश्रय (सिंघनपुर) में पर्यटन विकास कार्य अंतर्गत राशि रू. 1.52 करोड़ से आवश्यक मूलभूत सुविधाओं (पेयजल सुविधा टायलेट सुविधा, शेड निर्माण आवश्यकतानुसार सीटिंग बेंचेस, सीढ़ियां, रेलिंग, साईनेजेस आदि) का विकास कार्य किया जा रहा है।
- ग्रामीण पर्यटन विकास को दृष्टिगत रखते हुए बेमेतरा के ग्राम ढनढनी स्थित जूनी सरोवर एवं उसके तट पर स्थित मंदिरों में राशि रू. 220.49 लाख की लागत से एवं नवागढ़ स्थित महामाया मंदिर एवं शारदा मंदिर में राशि रू. 161.95 लाख की लागत से पर्यटन विकास कार्य कराए जा रहे है।
- पर्यटकों द्वारा किसी भी स्थल से पर्यटन मंडल के होटल/रिसोर्ट के लिए ऑनलाईन बुकिंग वेबसाईट http://tourism.cg.gov.in से की रही है।
- काल सेन्टर के माध्यम से निःशुल्क पर्यटन सूचना एवं पर्यटन मंडल में संचालित ईकाईयों के आरक्षण की सुविधा हेतु टोल फ्री नं. 1800 102 6415 की सुविधा प्रदान की गई है (प्रातः 08:00 बजे से संध्या 08:00 बजे तक)। नवंबर 2017 तक आनलाईन बुकिंग के माध्यम से कुल राशि रू. 5 करोड़ 37 लाख की आय हुई है।
- Zee Asia Pacific (APAC) द्वारा छततीसगढ़ के पर्यटन स्थलों पर आधारित 4 विषयों को प्रदर्शित करने वाले विडियों तीन अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं (मलय, इन्डोनेशियन एवं थाई) में तैयार कर Asia Pacific Countries (APAC) मलेशिया, इन्डोनेशिया एवं थाईलैण्ड में प्रसारण का कार्य कराया गया है।
- ''**रमन जन पर्यटन योजना**'':– पं. दीनदयाल उपाध्याय जी के शताब्दी वर्ष पर देश की पहली

अनुठी पर्यटन योजना ''रमन जन पर्यटन योजना'' का शुभारंभ 15 अक्टूबर 2016 से किया गया है। जिसमें प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को हमर राजधानी दर्शन के नाम से वातानुकुलित बस में मात्र 200.00 प्रति व्यक्ति की दर से पैकेज का संचालन किया जा रहा है, जिसमें लंच तथा शाम के चाय नास्ते की व्यवस्था की गयी है। उसी प्रकार पर्यटन स्थल भ्रमण हेतु इस योजना के तहत प्रत्येक सोमवार को गिरौधपुरी एवं बारनवापारा अभ्यारण के लिए प्रति व्यक्ति राशि रू. 700.00 तथा प्रत्येक मंगलवार को चित्रकोट, तीरथगढ़ एवं बस्तर के अन्य पर्यटन स्थलों के लिए प्रति व्यक्ति राशि रू. 900.00 तथा प्रत्येक शुक्रवार को ताला मल्हार, शिवरीनारायण एवं रतनपुर के लिए राशि रू. 500.00 न्यूनतम दरों पर कराया जा रहा है। राजनांदगांव से चित्रकोट–तीरथगढ़–दंतेवाड़ा हेतु दर राशि रू. 1500.00 प्रति व्यक्ति एवं डोगरगढ़ से उक्त मार्ग हेतु राशि रू. 1800/– प्रति व्यक्ति दर निर्धारित है।

- रमन जन पर्यटन योजना के अंतर्गत अक्टूबर 2016 से नवम्बर 2017 तक कुल 3,224 पर्यटकों ने इस योजना का लाभ उठाया एवं इससे कुल राशि रू. 17,27,000.00 (रू. सत्रह लाख, सताईस हजार) प्राप्त हुई है।
- **राम वन गमन पथः**– छत्तीसगढ़ राज्य में राम वन गमन मार्ग को चिन्हांकित कर ''दंडकारण्य सर्किट'' के रूप में पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं हेतु विकसित करने के उद्देश्य से परियोजना प्रस्ताव का कांसेप्ट तैयार कर भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय को प्रेषित किया गया है। इस सर्किट में शिवरीनारायण, राजिम एवं सिहावा (सप्त ऋषि आश्रम) को शामिल किया गया है। प्रस्ताव की स्वीकृति भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय से अेक्षित है।
- **ईको टूरिज्म सर्किट** :– भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय को स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत ''इको दूरिज्म सर्किट'' का कांसेप्ट प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। इस सर्किट में छ.ग. राज्य में स्थित बांध क्षेत्रों – हसदेव बांगो, खुंटाघाट, कोडार, तांडुला, माडमसिल्ली, दुधावा, कोसारटेडा एवं दलपत सागर को शामिल किया गया है। प्रस्ताव की स्वीकृति भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय से अपेक्षित है।
- **होम स्टे** :– प्रदेश में स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ने एवं उन्हें अतिरिक्त आय का स्त्रोत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निजी संस्था मेसर्स YATRA.COM से एम.ओ.यू. किया गया है। जिससे राज्य में आने वाले पर्यटकों को पारंपरिक आवास सुविधा के विकल्प के रूप में ''होम स्टे'' की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इससे यहॉ आने वाले पर्यटकों को स्थानीय लोगों के साथ रहने एवं यहॉ की संस्कृति को जानने का सुअवसर प्राप्त होगा तथा इन होम स्टे में पर्यटकों के रूकने से स्थानीय लागों को अतिरिक्त आय भी प्राप्त होगी।

नागरिक पंजीयन प्रणाली :

जन्म पंजीकरण को बच्चे के पहले अधिकार के रूप में जाना जाता है। जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के अंतर्गत, हमारे देश में घटित हर एक जन्म एवं मृत्यु की घटना का पंजीकरण अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ राज्य में जन्म मृत्यु की घटना का पंजीकरण "छत्तीसगढ़ जन्म मृत्यु पंजीयन नियम 2001" के अंतर्गत किया जाता है।

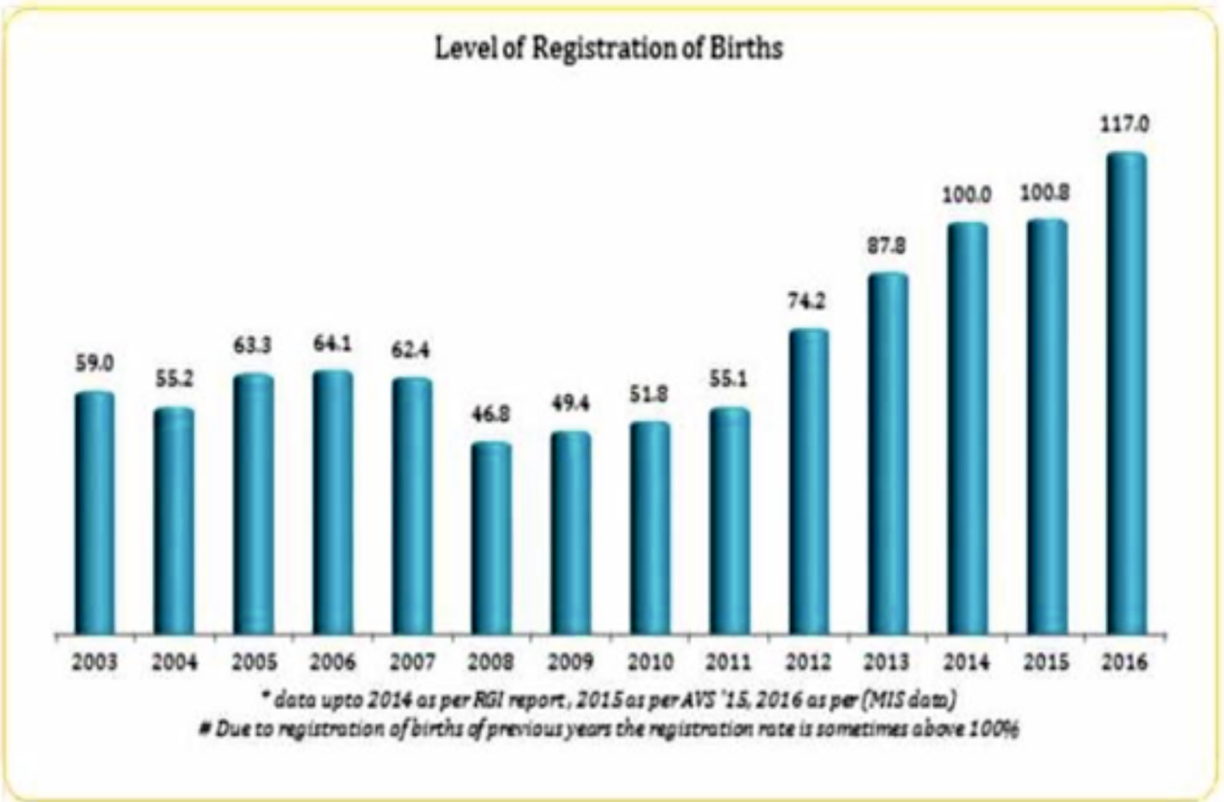
छत्तीसगढ़ में, वर्ष 2008 से पूर्व, जन्म मृत्यु की घटनाओं का पंजीकरण पुलिस थानो में किया जाता था, जो जनवरी 2008 से शहरी एवं ग्रामीण इकाइयो को हस्तांतरित किया गया। ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत प्राथमिक पंजीकरण इकाई है। राज्य के 27 जिलों में 10975 ग्राम पंचायत में सचिव, पंचायत के अधिकार क्षेत्र के भीतर जन्म मृत्यु पंजीयन करते है।

ग्राम पंचायत सचिव, पंजीयन करने के पश्चात, सभी वैधानिक भाग को अपने पास सुरक्षित रखते है, एवं सभी सांख्यिकी भागों को जनपद पंचायत में हर महीने की मासिक बैठक में जनपद पंचायत सीईओ को प्रस्तुत करते है। छत्तीसगढ़ में 146 जनपद पंचायत है। हर महीने जनपद पंचायत उनके अधिकार क्षेत्र के समस्त ग्राम पंचायतों से सांख्यिकी भाग मासिक सारांश के साथ एकत्र करके जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय में जमा करते है।

शहरी क्षेत्रों में, मुख्य नगर पालिका अधिकारी जन्म मृत्यु पंजीयक है। राज्य में कुल 168 शहरी इकाइयाँ है, जो कि, तीन भागों में विभाजित है: 1) नगर निगम, 2) नगर पालिका एवं 3) नगर पंचायत।

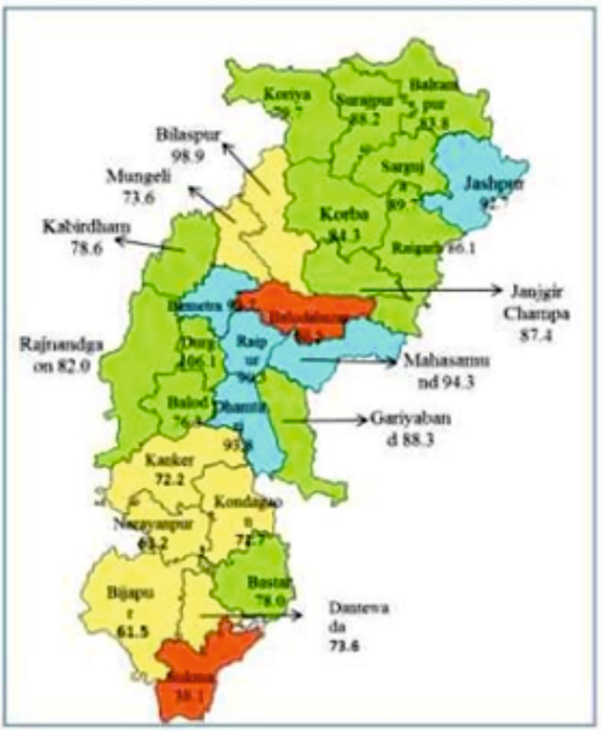
इसके अतिरिक्त राज्य में सभी शासकीय अस्पताल यथा – जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केंद्र एवं अन्य शासकीय अस्पताल में घटित जन्म–मृत्यु (संस्थागत घटनाओं) का पंजीयन इन संस्थाओं में होता है।

जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय में समस्त इकाईयों से प्राप्त सांख्यिकी भागों का संकलन एवं डाटा प्रविष्टि कर आर्थिक एवं सॉख्यिकीय संचालनालय को प्रेषित की जाती है, जहॉ संकलन एवं विश्लेषण कर राज्य की AVS रिपोर्ट तैयार की जाती है एवं महा रजिस्ट्रार कार्यालय को प्रेषित की जाती है।


Level of Registration of Births
59.0
55.2
63.3
64.1
62.4
46.8
49.4
51.8
55.1
74.2
87.8
100.0
100.8
117.0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
* data upto 2014 as per RGI report, 2015 as per AVS '15, 2016 as per (MIS data)
# Due to registration of births of previous years the registration rate is sometimes above 100%


Level of Registration of Deaths
66.6
72.6
72.6
75.7
77.3
76.6
81.0
56.5
56.9
60.1
59.7
72.8
76.2
88.6
82.1
92.5
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
* data upto 2014 as per RGI report, 2015 as per AVS '15, 2016 as per (MIS data)

Level of Registration of Births 2013



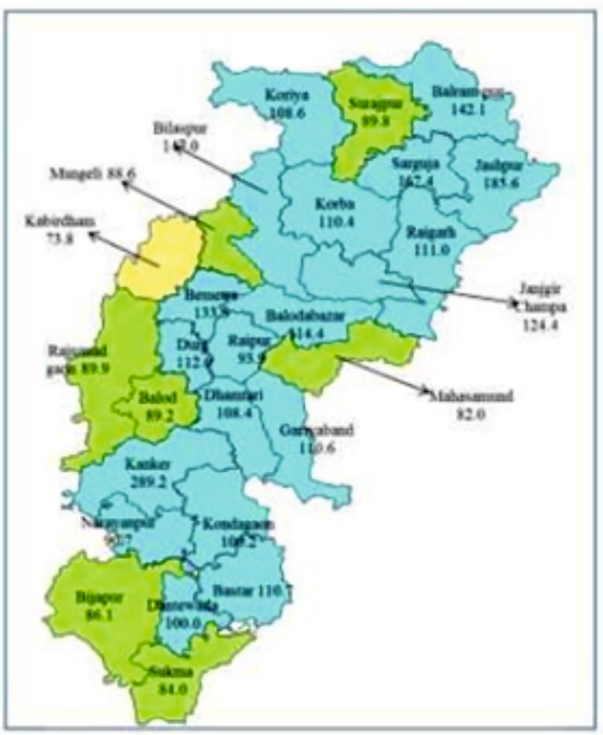
Level of Registration of Births 2014



Level of Registration of Births 2015



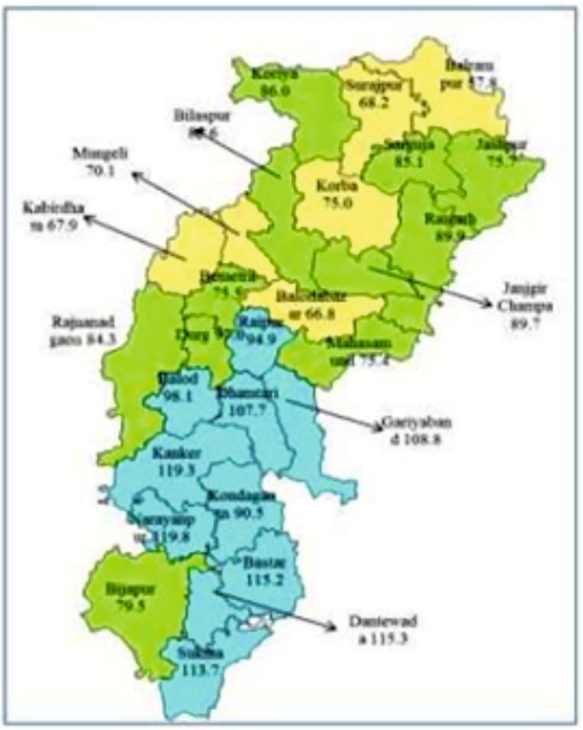
Level of Registration of Births 2016 (MIS data)



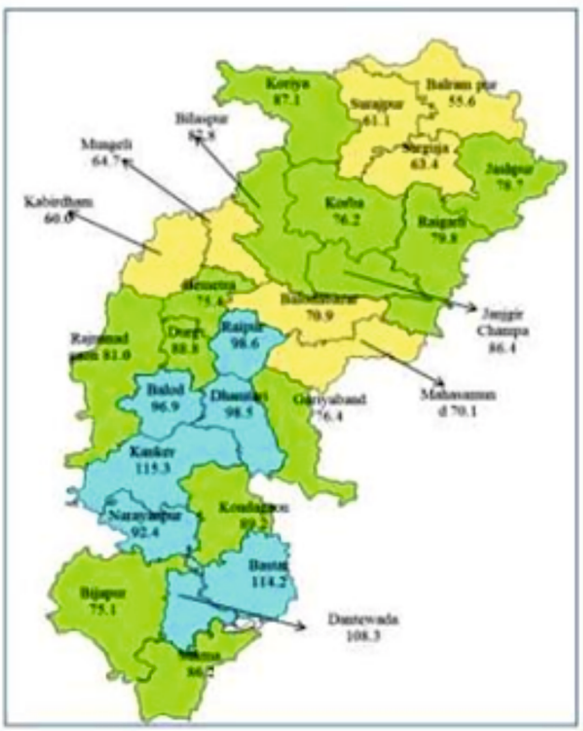
Level of Registration of Deaths 2013



Level of Registration of Deaths2014



Level of Registration of Deaths 2015



Level of Registration of Deaths 2016 (MIS data)

